पंचदश माला, खंड 21, अंक 13

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2011
21 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 20 May 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 13, सोमवार, 12 दिसम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
म्यांमार से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 244	1-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 260	46-90
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990	90-700
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	700-701
भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली के 100 वर्ष पूरे होना	700-701
सभा पटल पर रखे गए पत्र	701-121
कार्य मंत्रणा समिति	
31वां प्रतिवेदन	722
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित एचएमटी इकाइयों की रूग्णता के कारण श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	722
सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित	
(एक) खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011	722-723
(दो) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011	723
(तीन) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011	724
(चार) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011	724-725
दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011	725
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री कमलनाथ	725-726
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	726-730
श्री संदीप दीक्षित	730-736

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री शैलेन्द्र कुमार	736–737
श्री ए. सम्पत	737–739
श्री विजय बहादुर सिंह	739–741
श्री भर्तृहरि महताब	741–744
श्री लालू प्रसाद	744–745
खण्ड 2 से 6 और 1.	751
पारित करने के लिए प्रस्ताव.	751
नियम 377 के अधीन मामले.	752
(एक) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11.07.2011 की अधिसूचना के सीमा क्षेत्र से जल्लीकट्टू को छूट दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	752–753
(दो) सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में वित्तीय औचित्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रदीप माझी	753
(तीन) राजधानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीश चौधरी	754
(चार) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण के नियमों का पालन किए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	754–755
(पांच) हरियाणा विशेष रूप से फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री अवतार सिंह भडाना	755–756
(छह) इंदौर-अमृतसर एक्सप्रेस को उज्जैन के रास्ते चलाए जाने और उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आगामी बजट में वित्तीय आबंटन के लिए भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रेमचंद गुड्डू	756
(सात) राजस्थान में किसानों को अफीम लाइसेंस (पट्टा) दिए जाने की आवश्यकता	
श्री दुष्यंत सिंह	756
(आठ) प्रदूषण के स्तर को न्यूनतम करने में गुजरात राज्य सरकार को उसके प्रयासों में हर संभव सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	757
(नौ) कर्नाटक के बेलगाम जिले में जिले के यातायात का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिले के रक्षा विभाग की भूमि बेलगाम जिला प्राधिकरण को हस्तांरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश अंगडी	757

विषय **कॉलम**

(दस) बिहार में चकिया और शिवहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 104 को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 758

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम अनुरागी........ 758

(बारह) उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत यूनिटों के लिए कोयला की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी 759

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के होगेनाक्कल जलप्रताप को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 759-760

(चौदह) देश में व्यापक रूप से पुलिस सुधार उपायों को विकसित और कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी........ 760

(पंद्रह) राजस्थान में कालीसिंध और छाबरा ताप विद्युत संयंत्र के किए कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा........ 756-762

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009........ 762

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री नमोनारायन मीणा 762-764

श्री शिव कुमार उदासी........ 764-768

श्री हरीश चौधरी........ 768-771

श्री शैलेन्द्र कुमार 771-772

श्री रमाशंकर राजभर 772-774

श्री अर्जुन राय 774-777

श्री कल्याण बनर्जी........ 777-778

श्री आर. थामराईसेलवन 779-787

श्री बंस गोपाल चौधरी........ 781-782

श्री तथागत सत्पथी........ 782-788

श्री एस. सेम्मलई 788-789

श्री प्रबोध पांडा........ 789-790

विषय **कॉलम**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 790-793

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 793-794

डॉ. तरुण मंडल 794-797

श्री जोस के. मणि 797-798

श्री अर्जुन राम मेघवाल 798-799

खंड 2 से 9 और 1 804-814

पारित करने के लिए प्रस्ताव 814

पेट्रोलियम और खजिन पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010

विचार करने के लिए प्रस्ताव 815

श्री आर.पी.एन. सिंह 816

श्री हंसराज गं. अहीर 816-819

श्री निनोंग ईरींग 819-823

श्री शैलेन्द्र कुमार 823-823

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 825-828

डॉ. मोनाजिर हसन 828-829

डॉ. रत्ना डे 829-831

श्री भर्तृहरि महताब 831-834

श्री पी.आर. नटराजन 834-835

श्री अनंत गंगाराम गीते 835-837

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 837-840

श्री एस. सेम्मलई 840-841

श्री नामा नागेश्वर राव 841-843

श्री प्रबोध पांडा 843-844

श्री एस.एस. रामासुब्बु 844-847

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 847-850

श्री प्रमदास राय 850-852

श्रीमती पुतुल कुमारी 852-853

श्री हरीश चौधरी 853-854

विषय	कॉलम

श्रीमती विजया चक्रवर्ती 855-856

श्री कामेश्वर बैठा........ 856-857

खंड 2 और 1. 865-867

पारित करने के लिए प्रस्ताव 867

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 889

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 890-900

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 901

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 902-904

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

LOK SABHA DEBATES

लोक सभा

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2011/21 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

म्यांमार से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में यात्रा पर आए म्यांमार की संसद के निचले सदन पिथू हलुताव के माननीय अध्यक्ष, श्री थुरा यू सूई मान और म्यांमार के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं।

वे रविवार, 11 दिसंबर, 2011 को भारत पहुंचे। इस समय विशेष प्रकोष्ठ बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से म्यांमार के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की मित्र जनता का अभिनंदन करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

+*241. श्री सुरेश अंगड़ी:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन करने के लिए एक उच्चस्तरीय गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के संवर्द्धन और विकास के लिए प्रदत्त अवसंरचनात्मक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग में रोजगार के सृजन हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्रों की निर्यात हिस्सेदारी में वृद्धि करने तथा पड़ोसी देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए वस्त्रों के निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने वस्त्र उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन के लिए सचिव वस्त्र की अध्यक्षता में निम्नलिखित उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयीय समितियां गठित की हैं जिनमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल है।

(i) तिरुपुर वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार संबंधी उच्चस्तरीय समिति;

(ii) टीयूएफएस संबंधी अंतरमंत्रालयीय स्टियरिंग समिति (आईएमएससी);

(iii) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना संबंधी परियोजना अनुमोदन समिति;

(iv) एकीकृत कौशल विकास योजना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति;

(v) मेगा कलस्टर संबंधी परियोजना अनुमोदन समिति;

(vi) तकनीकी वस्त्र संबंधी परियोजना अनुमोदन समिति

(ख) सरकार की योजनाओं के प्रभावी एवं समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नीतिगत चुनौतियों का समाधान करने हेतु उच्च स्तरीय समितियां नियमित आधार पर बैठकें करती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में वस्त्र उद्योग के बढ़ावे को सुनिश्चित किया जाता है। टीयूएफएस संबंधी आईएमएससी ने वस्त्र उद्योग में मंदी के मसलों का समाधान किया है और वस्त्र उद्योग में मंदी का समाधान करने के लिए पुनर्गठन कार्यक्रम पर विचार किया है।

(ग) सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए विश्व स्तरीय अवसंचरना सृजित करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के तहत अक्तूबर 2011 में 2100 करोड़ रु. की परियोजना लागत से 21 नए एकीकृत वस्त्र पार्क स्वीकृत किए हैं।

(घ) सरकार, मार्च 2012 तक 2.5 लाख वस्त्र कामगारों के कौशल निर्माण के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना में 229 करोड़ रुपये के आबंटन से एकीकृत कौशल विकास कार्यक्रम (आईएसडीएस) कार्यान्वित कर रही है।

(ङ) सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 की योजनाओं के माध्यम से अनेक निर्यात संवर्धन उपाय शुरू किए हैं जिनमें फोकस मार्केट स्कीम और फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत प्रोत्साहन शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय ने अपनी निर्यात संवर्धन परिषदों को अफ्रीका, लेटिन अमरीका और ईस्ट/साउथ ईस्ट एशिया के नए बाजारों में निर्यात संवर्धन शो आयोजित करने के लिए इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

श्री सुरेश अंगड़ी: महोदया, देश के बुनकर और किसान इस देश की दो आंखें हैं-एक लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है तो दूसरा लोगों को वस्त्र उपलब्ध कराता है। इसलिए देश में दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये दो आंखें हैं। आज की तारीख में देश में वस्त्र उद्योग का काफी नुकसान हुआ है। वस्त्र के निर्यात के मामले में देश का एक-चौथाई आमदनी का नुकसान हो रहा है। देश ये, विशेषकर मेरे राज्य कर्नाटक में बुनकरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम सिटी, रायदुर्ग तालुका और कर्नाटक राज्य में अन्य हिस्सें अर्थात बागलकोट और कर्नाटक के अन्य जिलों में बुनकर बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। क्या इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय की ओर से कोई योजना बनाई गई है। उन्होंने 20 नवम्बर को ऐसा कहा था और वह हिन्दू नामक समाचार पत्र में "बुनकरों के 50,000 रुपये के कर्ज की माफी" शीर्षक से समाचार छपा था। उन्होंने एक विशेष अनुदान की घोषणा की थी। क्या यह कर्नाटक को भी दिया जाएगा? माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं।

श्री आनंद शर्मा: महोदया, जैसा कि मैंने एक विस्तृत उत्तर में उल्लेख किया था कि वस्त्र उद्योग में मंदी आई है। जोकि एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र में मंदी के अनेक कारण हैं। एक कारण विश्वस्तर पर मांग में आई कमी है। इसलिए, सूत के उत्पाद तथा वस्त्र के उत्पादन में 15 से 19 प्रतिशत तक की कमी आई है।

इसके लिए जिम्मेदार दूसरा कारण मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश से तिरुपुर यूनिटों का बंद होना है जिससे मद्रास कोर्ट के आदेश से एक लाख लोगों का रोजगार छिन गया है और इस उद्योग को 1100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, सरकार भी बुनकरों की समस्या के बारे में चिंतित है। वस्तुतः मैं इसका जवाब विस्तार से अगले प्रश्न अर्थात् 242 के उत्तर में देने जा रहा था जो हथकरघा क्षेत्र के संबंध में है, क्योंकि यह प्रश्न विशिष्ट रूप से वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, छह समितियां हैं जिनका गठन सरकार ने किया है। एक तिरुपुर वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति है। एक टी.यू.एस. संबंधी अंतर मंत्रालीय संचालन समिति है। समेकित वस्त्र पार्कों के लिए एक योजनाओं संबंधी परियोजना अनुमोदन समिति है। समेकित कौशल विकास योजना संबंधी एक अधिकार प्राप्त समिति है। बड़े क्षेत्रों संबंधी एक परियोजना अनुमोदन समिति है। चार बड़े क्षेत्रों की घोषणा की गई है जैसा कि सभा को यह बात याद होगी, जिसकी घोषणा अपने बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री ने की थी। तकनीकी वस्त्रों संबंधी परियोजना स्वीकृति समिति भी है। आगे मैं माननीय मंत्री को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस वर्ष अक्तूबर में समेकित वस्त्र पार्क के लिए योजना के अंतर्गत 21 नए समेकित वस्त्र पार्कों को स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना लागत 2,100 करोड़ रुपये होगी।

विशेष रूप से कर्नाटक के बारे में जहां से माननीय सदस्य आये हैं, कर्नाटक को ग्यारहवीं योजना में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए 23 क्षेत्र तथा 18 ग्रुप समूह स्वीकृत किए गए हैं।

श्री सुरेश अंगड़ी: क्या मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम के लिए कोई योजना है? रामदुर्ग और बेलगाम बुनकरों के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। *[हिन्दी]* क्या उसके लिए कोई योजना मंत्री जी ने बनायी है या नहीं? *[अनुवाद]* यह कर्नाटक में एक महत्त्वपूर्ण जिला है। *[हिन्दी]* उसके लिए कोई योजना आपने तय की है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए। *[अनुवाद]* इसके अतिरिक्त क्या बुनकरों के लिए 50,000 रुपये की ऋण माफी के लिए विशेष अनुदान की कोई योजना है? श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने राजग के शासनकाल में एक योजना क्रियान्वित की थी जिसमें बुनकर अपने घर के सामने अपना कारोबार कर सकता था और इसके

पिछवाड़े में वह निवास कर सकता था। वीवर्स के लिए वह सुविधा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में दी गई थी उसी प्रकार की योजना बनायी है?

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही सवाल पूछिए।

[अनुवाद]

श्री आनन्द शर्मा: महोदया, माननीय सदस्य से ऐसा कोई प्रस्ताव आने पर मुझे खुशी होगी।

[हिन्दी]

आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में जो भी सुझाव देंगे उस पर जरूर गौर किया जाएगा और उस पर जो उचित निर्णय लेना होगा अवश्य लेंगे। जहां तक बुनकरों की समस्या है, उनका आपने जिक्र किया। मैंने पहले भी बताया की अगला प्रश्न विवर्स से संबंधित हैं। मैं यह बात सदन को बताना चाहता हूं कि बुनकर के लिए एक रिवाइवल पैकेज की अभी घोषणा की गई है पहले उसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में किया था तीन हजार करोड़ रूपए का विवर्स पैकेज। उसकी जो भी प्रक्रिया थी वह पूरी कर दी गई है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकॉनामिक अफेयर्स ने उसको अपनी मंजूरी दे दी है और बुनकरों का पैकेज अब पूरे देश में इस्पलीमेंट हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदया, पूरे देश के अंदर कृषि के बाद रोजगार सृजन के लिए वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है माननीय मंत्री जी ने तो बात इस संबंध में कही है कि वस्त्र उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है उसके लिए उन्होंने समिति बनायी है लेकिन अब तक का अनुभव यह बताता है कि सरकार को यदि कोई कार्य टालना होता है तो उसके लिए समिति गठित कर देती है वर्ष 2005-06 में गोरखपुर के लिए टैक्सटाइल इंटीग्रेटिड पार्क स्वीकृत हुआ था। मैं अत्यंत खेद के साथ सूचित कर रहा हूं कि वह इंटीग्रेटिड पार्क अब तक गोरखपुर में नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र टैक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुआ था मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को गोरखपुर खलीलाबाद मऊ और वाराणसी का क्षेत्र में जो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो मंदी आयी है उसके कारण वे बदहाल स्थिति में हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोरखपुर के लिए स्वीकृत टैक्सटाइल इंटीग्रेटिड पार्क को कब स्थापित कर दिया जाएगा और वहां के उद्योग में लगे हुए कामगारों के उत्थान के लिए सरकार क्या योजना बना रही है।

श्री आनन्द शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मानदीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि गोरखपुर से संबंधित जो इन्होंने प्रश्न किया है, वह टी.सी.आई.बी.एस पार्क की स्कीम थी। उसका स्पेशल इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना में मर्ज कर दिया गया है। यह योजना 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्पेशल इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लक्ष्मी कॉटन, कानपुर स्वीकृत हुआ है। प्रस्तावना जहां की होती है, उसी के आधार पर एस.आई.टी.पी. की स्वीकृत की जाती है। उसकी समिति उसको गौर से देखती है कि उसमें कितनी को-ऑपरेटिव सोसायटीज हैं या उस कलस्टर में कितने लोग हैं, जो शामिल हुए हैं? एक व्यक्ति विशेष को एस.आई.टी.पी. की स्वीकृति की जाती है उसकी समिति उसको गौर से देखती है कि उसमें कितनी को-ऑपरेटिव सोसायटीज है या उस कलस्टर में कितने लोग हैं जो शामिल हुए हैं? एक व्यक्ति विशेष को एस.आई.टी.पी. की योजना को अनुमति नहीं दी जाती। जैसा मैंने सदन में बताया कि 21 पार्कों की हमने स्वीकृति दी है। उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना उसमें निवेश होगा, उसी के आधार पर उसे वेटेज प्वायंट्स दिए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट की जो सूची जारी होती है उसी के आधार पर निर्णय जिया जाता है। हमने 21 पार्कों की स्वीकत दी है जिसमें 40 करोड़ रूपए का सीमा होती है जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। 2100 करोड़ रूपए इन 21 पार्कों में निवेश होगा। इससे यह भी साफ जाहिर है कि बडी़ संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

आपका जो प्रश्न था वह काफी विस्तृत था, उसमें आपने कई विषय कहे हैं। यह सही है कि कपडा़ उद्योग कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। साढ़े तीन करोड़ लोगों को इससे प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला हुआ है और साढ़े चार करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। असंगठित क्षेत्र में कृषि के बाद यह सबसे बड़ा क्षेत्र है इसलिए जो भी चुनौती सामने आती है उसके कई कारण आपने कहा कि चीन से जो यार्न आता है इसलिए जो भी चुनौती सामने आती है उसके कई कारण हैं। आपने कहा कि चीन से जो यार्न आता है उससे नुकसान हुआ। पिछले साल और अभी के जो आकड़े हमारे पास हैं उसके अनुसार ड्यूटी कम करने के बावजूद भी पहले से कम आयात हुआ है वह सिर्फ मांग और पूर्ति की बात है हमारे देश में जो उत्पादन होता हैं वह मांग से कम है इसलिए बाहर से आयात होता है और इस पर सरकार निगाह रखती है।

श्रीमती अन्नू टण्डन: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पहले तो मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बुनकर भाइयों के लिए जो पैकेज घोषित किया है वह बहुत ही सराहनीय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः शांत हो जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें प्रश्न करने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती अन्नू टण्डनः जैसे पूर्व प्रश्न में कहा गया, यह बात सही है कि वस्त्र निर्यात का शेयर अभी हमारे देश में काफी गिर गया है। अन्य देश जैसे चीन, बांग्लादेश, मैक्सको, थाइलैंड वगैरह काफी आगे बढ़े हैं उनकी टेक्नॉलोजी बेहतर है या सस्ती क्रेडिट सुविधा उनके देश में टेक्सटाइल्स मिल्स के बंद होने से रोजगारी काफी बढ़ी है। मेरे अपने क्षेत्र के बगल में कानपुर को पहले पूर्व का मैनेचेस्टर कहा जाता था। वहां के टेक्सटाइल्स मिल्स के बंद होने की वजह से हमारे क्षेत्र उन्नाव में भी रोजगार पर फर्क पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई स्वतंत्र निकाय की स्थापना के बारे में सोच रही है ताकि उसको वस्त्र उद्योग के लिए जरूरी इनपुट्स दे सके और यह मूल्यांकन कर सके कि ऐसा क्यों हुआ खासकर सिल्क यार्न और रॉ कॉटन के ऊपर ताकि वह नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन की तर्ज पर वस्त्र उद्योग के लिए एक इन्नोवेशन और टैक्टीकल फंड्स स्थापित कर सके।

अध्यक्ष महोदयाः आप आपने प्रश्न संक्षेप में पूछिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयाः शांत रहिए।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती अन्नू टण्डनः वस्त्र उद्योग के जो माइक्रो स्मॉल और मीडीयम इंटरप्राइजेज है उस पर कोई विशेष योजना बनाकर हम वस्त्र उद्योग को मदद कर सकें।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया शांत हो जाइए।

श्री आनन्द शर्माः अध्यक्ष महोदया मैंने उत्तर में उल्लेखित किया है कि छह कमेटियां बनी हैं टैक्सटाइल क्षेत्र को देखते हुए उनकी जो चुनौतियां एवं समस्याएं हैं, छह ऐसी कमेटियां है इंटर मिनिस्टिरियल कमेटी टफ्स पर हैं। हमने टैक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम में यह भी तय किया है कि 12वीं योजना के अंदर भी इसे जारी रखा जाएगा क्योंकि इसमें काफी निवेश है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इस साल जरूर चिन्ता की बात है, क्योंकि टफ्स स्कीम के तहत सन् 2011-12 के लिए 1972 करोड़ रूपए रखे गए थे उनमें शायद पांच सौ करोड़ रूपए भी इस्तेमाल न हो पाएं क्योंकि इसमें मंदी है यह केवल राष्ट्र से संबंधित नहीं है, इसके ग्लोबल कारण भी हैं। विश्व के अंदर जो मंदी आई है, यूरोप एवं अमेरिका में भी मंदी है इससे यार्न का प्रोडक्शन देश में काम हुआ हैं जैसे जिक्र किया था कि 15 परसेंट कॉटन यार्न का प्रोडक्शन देश में कम हुआ और फैब्रिक का प्रोडक्शन 19 प्रतिशत कम हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं जहां तक निर्यात की बात है, पिछले साल टैक्सटाइल का एक्सपोर्ट 28 बिलियन यूएस डालर हुआ है और इस साल के लिए हमारा लक्ष्य बिलियन यूएस डालर टैक्सटाइल एक्सपोर्ट 28 बिलियन यूएस डालर हुआ है और इस साल के लिए हमारा लक्ष्य 33 बिलियन यूएस डालर टैक्सटाइल एक्सपोर्ट का है।

श्री घनश्याम अनुरागीः माननीय अधयक्ष महोदया, आज पूरे देश में बुनकर गरीबी की कगार में है। बुनकर मानव की सभ्यता का प्रतीक है उसने कपड़े बुनने का काम किया। मनुष्य को तन ढकने के लिए कपड़े दिए, बुनकर इस सभ्यता का प्रतीक है। सभी वर्गों में बुनकर है, अल्पसंख्यक एवं हिन्दू भी बुनकर हैं आज सबसे ज्यादा गरीब बुनकर हैं मैं उस बुनकर समाज से आता हूं मैं देखता हूं कि आज हमारे परिवार एवं समाज में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मिलें लगातार बंद होती जा रही हैं सरकार इस पर बिलकुल चिन्तित नही हैं ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयाः इतनी लम्बी भूमिका मत बांधिए, प्रश्न पूछिए।

...(*व्यवधान*)

श्री घनश्याम अनुरागीः अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन बुनकरों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयाः बहुत अच्छा, धन्यवाद।

श्री घनश्याम अनुरागीः क्या उनको रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था है? उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई की व्यवस्था करें। जो भूखों मर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ...(*व्यवधान*) क्या उनके लिए कोई रोजगार है? ...(*व्यवधान*)

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण देना चाहता हूं मैने जो एक लाख का जिक्र किया वह केवल तिरूपुर से संबंधित था देश से संबंधित जिक्र नहीं किया था। तिरूपुर के लिए विशेष समिति बना दी गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट से उस पर चर्चा हो रही है। आपका प्रश्न बुनकरों के विषय में है, मैंने पहले ही कहा कि वित्त मंत्री जी ने बजट में जो आश्वासन दिया था, उसे आगे ले जाते हुए तीन हजार करोड़ के बुनकर पैकेज को 3884 करोड़ का बुनकर पैकेज सरकार ने घोषित किया है। यह दूसरा प्रश्न था, इसलिए मैंने विस्तार में नहीं बताया, अगर आपकी अनुमति हो तो दोनों प्रश्नों को साथ ले लें क्योंकि यह बुनकरों के हैंडलूम सेंसस से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदया: एक साथ ले लिया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा: हमने जो पैकेज बुनकरों के लिए बनाया है यह रिवाइवल रिफार्म और रीस्ट्रैचरिंग पैकेज है सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है।

इस क्षेत्र के अन्तर्गत सेंसस भी कराई गई, जिसका दूसरे प्रश्न में उल्लेख है यह सही है कि इस देश में बुनकरों की संख्या पिछली सेंसस के मुकाबले में घटी है अभी जो संख्या है वह 43.31 लाख है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में राज्य की स्टेटवाइज संख्या का उल्लेख किया गया है कितने बुनकर हैं।

प्लानिंग कमीशन ने हैण्डलूम पर एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया। इसमें कई कारण हैं एक तो मकेनाइज्ड सैक्टर से इनकी प्रतिस्पर्धा है कम्पीटिशन है जैसे मिल्स हैं, पावरलूम्स हैं एक जो उनका उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, अगर पावरलूम्स और मिल सैक्टर से तुलना करें तो वह भी हैण्डलूम्स की कम है। इनके संगठन का जो नेटवर्क है, वह भी कमजोर है और मार्केटिंग भी कमजोर है इसलिए इन सारे विषयों को मद्देनजर रख कर बुनकरों को पैकेज दिया गया।

इनकी जो कर्जे की दर, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी महंगी थी, इसलिए जो पैकेज बना है, उसमें 15 हजार को-ऑपरेटिव सोसायटी की कर्जे की माफी भी है। 13 लाख बुनकरों को उसमें फायदा है, 500 करोड़ रूपए का उन बुनकरों के कर्जे की माफी के लिए प्रावधान है, जिन्होंने को-ऑपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से कर्जे नहीं लिए हैं ताकि सीधा फायदा हर गरीब बुनकर तक पहुंचे। उसके साथ-साथ कर्जे की जो दर है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, वित्त मंत्री जी ने हमने चर्चा की, उसमें भी तीन परसेंट उसका सबवेंशन किया गया है।

एक और सरकार के सामने प्रस्तावना है, जिस पर वित्त मंत्रालय से, प्लानिंग कमीशन से बातचीत पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही उसकी भी सरकार घोषणा करेगी। वह भविष्य से संबंधित है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना है जिसमें बुनकरों को उसके साथ क्रेडिट की गारण्टी भी सरकार लेगी और मार्जिन मनी का भी हमारी तरफ से प्रावधान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे: अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद।

जैसा कि आप जानते हैं सक्ल घरेलू उत्पाद के वस्त्र उद्योग का 4 प्रतिशत का योगदान है और निर्यात के बावजूद इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है यद्यपि यह 16 प्रतिशत होने का दावा करता है। लेकिन इस उद्योग को कई झटके लगे। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगी।

मूल समस्या है कि इसमें कर्मचारियों को काफी धूल, शोरगुल का सामना करना पड़ता है जोकि काफी अधिक है। रासायनिक प्रभाव भी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। सूत पर निर्माण बहुत ज्यादा है और श्रम कानून इस उद्योग के पक्ष में नहीं है।

क्या मंत्री महोदया बताएंगे कि मंत्रालय ने दस्ताने, बचाव वाले जूते, धूल और रासायनिक प्रभाव दोनों से बचाव के लिए रैस्पीरेटर्स तथा ईयर प्लग आदि जैसे मूलभूत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त समग्रता के अतिरिक्त क्या संबंधित मंत्रालय इस उद्योग से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा की थी? क्या मंत्री महोदय संबंधित उद्योग में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी सुनिश्चित करते हैं?

श्री आनन्द शर्मा: ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो इस देश के बुनकरों के लिए बनाई गई हैं।

जैसा कि उत्तर में मैंने उल्लेख किया है पांच योजनाएं हैं जो इस समय क्रियान्वयन के अधीन है। ये हैं समेकित हथकरघा विकास योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, विपणन और निर्यात संवर्धन योजना, मिलगेट प्राइस योजना और विविध हथकरघा विकास योजना है। ये सभी योजनाएं क्रियान्वयन के अधीन है।

मैंने पूर्व में उन समस्याओं का उल्लेख किया था, जो इस क्षेत्र के सामने समस्या खड़ी कर रही है तथा उन कदमों का उल्लेख किया था जो सरकार ने उन चुनौतियों को हल करने के लिए उठाये हैं।

संदूषण को कम करने के लिए हमने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की भी घोषणा की है तथा उद्योग की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए टी.यू.एफ.एस., जिसने 2,00,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं इस क्षेत्र में अनुमोदित की गई हैं, की घोषणा की है।

हथकरघा क्षेत्र और बुनकरों को सभी प्रकार की संभव सहायता दी जा रही है जिसमें कौशल प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। विपणन में उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इस वर्ष 680 कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं तथा अगले वर्ष के लिए 700 विपणन तथा निर्यात सवंर्धन योजनाएं बनाई गई हैं।

दी जाने वाले सहायता के बारे में जब बात डाइज की जाती है और जब प्रसंस्करण इकाइयों की बात आती है यह छोटे क्लस्टरों में किया जा रहा है जिनका और विस्तार किया जाएगा। मेरा मानना है शिवसागर, असम, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, विरूद्धनगर, तमिलनाडु और एक भाषा में भी है। चार मुख्य क्लस्टर्स के पूर्व कार्यान्वयन से बुनकरों को और मदद मिलेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

श्री बसुदेव आचार्यः कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क के 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने से रेशम उद्योग, बुनकरों और साथ ही रेशम किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के हजारों बुनकर तथा किसान बेरोजगार हो गए हैं जहां पर रेशम उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है।

क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इसके प्रतिकूल प्रभाव और हमारे देश में चीन से अन्य कच्चे रेशम के पाटन जिसके कारण रेशम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसके बारे में क्या सरकार सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत वाले दो वर्ष पूर्व वाले स्तर पर लाने पर विचार करेगी।

श्री आनन्द शर्माः महोदया, सरकार अपने विभिन्न माध्यमों से इसकी निगरानी करती है। रेशम के वस्त्र पर शुल्क घटाने पर लिए गए निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है और इसे कच्चे कपास पर कार्यान्वित किया गया था क्योंकि देश में इसकी मांग है।

भारत एक प्रमुख रेशम उत्पादक है। यह सच है। चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व के कुल रेशम उत्पादन का 80 प्रतिशत उत्पादन चीन में होता है। तथापि, प्राकृतिक उत्पादनों के कारण शहतूत की कृषि में कमी के कारण चीन में पारित आपूर्ति बाध्यता के कारण चीन में गत दो वर्षों में कच्चे रेशम के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जब घरेलू मूल्यों और घरेलू आयातों की बात आती है जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा है ऐसी कोई स्थिति अर्थात पाटन की स्थिति नहीं रही है–जिसे हमारे ध्यान में लाया गया है। यदि सरकार को पाटन की कोई शिकायत मिलती है वे हमारे पास सुरक्षोपाय शुल्क और पाटन रोधी शुल्क सहित पाटन रोधी उपाय लागू करने के लिए डब्ल्यूटीओके अंतर्गत प्रावधान हैं और पाटन रोधी उपाय सहित पाटन रोधी शुल्क लगाये जा सकते हैं।

हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि कच्चे रेशम जिस पर शुल्क घटाया गया है उसकी मांग और पूर्ति में अंतर है। मांग अधिक रही है परंतु हमारा उत्पादन कम रहा है। इसलिए, आयात किए जा रहे कच्चे रेशम से वास्तम में बुनकरों सहित रेशम उद्योग की आवश्यकता पूरी हो रही है और यही तथ्य है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आयात शुल्क में कमी के बावजूद क्रासब्रीड कोकून का औसत मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि न्यूनतम लाभकारी मूल्य 170 रुपये प्रति किलोग्राम है।

यह सच है कि मूल्य घटे हैं। परंतु इसके अनेक कारण हैं। जब आप कोकून के उत्पादन को देखें तो इसमें कर्नाटक में भी 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं इन्हें माननीय सदस्य के पास भेज सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 242 श्री खगेन दास-उपस्थित नहीं।

श्री निशिकांत दुबे।

[अनुवाद]

***242. +श्री खगेन दासः**
श्री निशिकांत दुबेः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में हाल ही में की गई राष्ट्रीय हथकरघा गणना के अनुसार राज्य-वार कितने बुनकर तथा समवर्गी कर्मकार हैं;

(ख) क्या बुनकरों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा अन्य कठिनाइयों विशेषकर व्यवसाय से होने वाले रोगों के बारे में कोई मूल्यांकन कराया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और ऋण की अनुपलब्धता के कारण हथकरघा क्षेत्र दबाव में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हथकरघा उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए हथकरघा क्षेत्र में और अधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने देशभर के बुनकरों और सम्बद्ध कामगारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वर्ष 2010 में तृतीय हथकरघा संगणना कराई है। भारत की हथकरघा संगणना (2009-10) के अनुसार देश में हथकरघा बुनकरों और सम्बद्ध कामगारों की संख्या 43.31 लाख है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गये हैं।

(ख) इस क्षेत्र के लिए 12वीं योजना (2012-17) हेतु हथकरघा संबंधी कार्य दल द्वारा, हथकरघा क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं का आंकलन किया गया है। इनमें, अन्य के साथ-साथ शामिल है (i) मिल और विद्युतकरघा जैसे यंत्रचालित क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा, (ii) विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र की तुलना में हथकरघों की कम उत्पादकता (iii) दुर्बल संगठनात्मक तंत्र और अल्प विपणन, (iv) पुराने हो चुके पूर्व और पश्च बुनाई क्रियाकलाप, (v) क्षमता संबंधी कठिनाइयां, (vi) आपूर्ति श्रृंखला की रुकावटें, (vii) कर्मशालाओं और आधुनिक रंजक गृहों का अभाव, (viii) हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण की उच्च लागत और ऋण का कम वितरण, (ix) ऋण प्रलंबन के कारण ऋण श्रृंखला में रुकावट, तथा (x) व्यवसाय से होने वाली बीमारियां।

(ग) हथकरघा क्षेत्र मिलों और विद्युत करघा जैसे यंत्र चालित क्षेत्र तथा साथ ही आयातित वस्त्रों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। हथकरघा क्षेत्र ऋण के प्रवाह उच्च लागत, कम वितरण स्तर तथा ऋण प्रलंबन के कारण ऋण श्रृंखला में रुकावट से प्रभावित हो रहा है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए पांच योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो इस प्रकार है:-(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (iii) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना (iv) मिल गेट कीमत योजना तथा (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने दिनांक 28.2.2011 को बजट भाषण में वार्षिक बजट 2011-12 में ऋण माफी के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तदोपरांत, सरकार ने 3884 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय निहितार्थ के साथ "हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार तथा पुनर्गठन पैकेज" अनुमोदित करके बजट घोषणा पर कार्रवाई की है। इसमें से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रुपये है। इससे हथकरघा बुनकरों और उनकी सोसाइटियों के लिए अवरुद्ध ऋण श्रृंखलाएं पुन: खुल जाएंगी और 15000 से अधिक हथकरघा बुनकर सहकारी दसोसाइटियां तथा करीब 3 लाख 'हथकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे।

अनुबंध

भारत की हथकरघा संगणना (2009-2010) के अनुसार हथकरघा बुनकरों और सम्बद्ध कामगारों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बुनकरों की संख्या (2009-2010)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	355838
2.	अरुणाचल प्रदेश	33041
3.	असम	1643453
4.	बिहार	43392
5.	छत्तीसगढ़	8191
6.	दिल्ली	2738
7.	गुजरात	11009
8.	गोवा	0
9.	हरियाणा	7967
10.	हिमाचल प्रदेश	13458
11.	जम्मू और कश्मीर	33209
12.	झारखंड	21160
13.	कर्नाटक	89256

1	2	3
14.	केरल	14679
15.	मध्य प्रदेश	14761
16.	महाराष्ट्र	3418
17.	मणिपुर	218753
18.	मेघालय	13612
19.	मिजोरम	43528
20.	नागालैंड	66490
21.	ओडिशा	114106
22.	पुदुचेरी	2803
23.	पंजाब	2636
24.	राजस्थान	31958
25.	सिक्किम	568
26.	तमिलनाडु	352321
27.	त्रिपुरा	137177
28.	उत्तर प्रदेश	257783
29.	उत्तराखंड	15468
30.	पश्चिम बंगाल	779103
	अखिल भारत	43,31,876

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मंत्री जी, मैंने आप से हैण्डलूम सेन्सस के बारे में पूछा था और उसमें हमने यह जानने की कोशिश की थी कम्पैरिजन क्या है? पहला सेन्सस, दूसरा सेन्सस और तीसरा सेन्सस क्या कह रहा है? आपने इसके बारे में गोल-गोल जवाब दिया है। फैक्ट यह है कि आपने वर्ष 1995 में जो सेन्सस किया था उसमें 25 लाख बुनकर थे आज वे 22 लाख हो गए हैं उनकी संख्या 34 लाख से 29 लाख में आ गई है जो शेयर ऑफ आइडियल लूम्स हैं उनकी संख्या दस परसेन्ट से चार परसेन्ट आ गई है। यह दूसरा सेन्सस और तीसरा सेन्सस का कम्पैरिजन है इसके बाद आप ने कमेटी की बात कही है। वर्ष 1952 से लगातार कमेटी बनी है-अशोक मेहता कमेटी और कानूनगो कमेटी बनी है। वर्ष 1974 में शिवराम कमेटी बनी है और वर्ष 1985 में माननीय राजीव गांधी जी एक बहुत ही अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी लाये। उसके बाद वर्ष 1990 में आबिद हुसैन की कमेटी बनी। मीरा सेठ की कमेटी बनी और बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एस. सत्यम की कमेटी बनाई। मेरा पहला सवाल यह है कि आबिद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें नाइन्थ शेड्यूल में टेक्सटाइल इन्डस्ट्री को इन्क्लूड करने की बात है। वह कह रहा है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। पूरे देश के बारे में एक टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं हो सकती है क्योंकि मैं भागलपुर से आता हूं तो भागलपुरी सिल्क है। गोड्डा मेरा निर्वाचक क्षेत्र है तो वहां भगैया सिल्क है, बनारसी सिल्क है। मद्रास का सिल्क है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे: मेरा यह कहना है कि मंत्री जी ने आबीद हुसैन कमेटी के आधार पर आपने बुनकरों के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है और उनकी संख्या क्यों घट रही है?

श्री आनन्द शर्मा: माननीय सदस्य योग्य हैं, और टेक्सटाइल और बुनकरों के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। अध्यक्ष महोदया, आप के माध्यम से मुझे एक जानकारी माननीय सदस्य को देनी है प्रश्न का उत्तर गोलमाल नहीं है स्पष्ट है आप 'ए' का उत्तर देखें जो लिखित दिया गया है कि पिछले सेन्सस की तुलना में इनकी संख्या घटी है। मैंने बताया कि अभी जो सेन्सस है उसमें 43 लाख 31 हजार बुनकर हैं। जो पहले का सेन्सस था उसकी तुलना में 65 लाख 50 हजार थे। इतने बुनकर क्यों कम हुए? ...*(व्यवधान)* इतने कम क्यों हुए मैंने इनके कारणों का उल्लेख किया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): फर्स्ट सेन्सस में क्या था? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया सुनने दीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: जो लूम्स की संख्या है वह भी कम हुई हैं ये 34 लाख 87 हजार से घट कर 23 लाख 77 हजार हो गई है? जो लूम्स की संख्या है वह भी कम क्यों हुई है। ...*(व्यवधान)* मैंने इसके कारण बताए हैं कि इसमें एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो गरीब हैं इसलिए सरकार ने विशेष हस्तक्षेप करके कई योजनाएं बनाई हैं-उनको ट्रेनिंग देने का, उनका कर्जा माफ करने की, कर्जा दिलाने की बैंक्स का क्रेडिट कार्ड देने की स्वास्थ्य योजना की जो मशीनरी है, कहां कलस्टर्स में लगे, वह मशीनरी भी सरकार की तरफ से सब योजनाएं है और सभी योजनाएं

क्रियान्वयन में है। यह सभी अंडर इम्प्लिमेन्टेशन हैं। मैंने आपको यह बात भी बताया कि बुनकरों को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: हमने केवल इन दो प्रश्नों पर इतना अधिक समय लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा: मुझे यह चीज बतानी है कि वर्ष 2010 का जो तीसरा सेन्सस है, वर्ष 1995 के सेन्सस में जहां तक मैनडेज का प्रश्न है उसमें इम्प्रूवमेन्ट है। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 2010 में इसमे मैनडेज की संख्या बढ़ी है, उत्पादन की बात नहीं है। बुनकरों को हैंक यार्न जो है वह भी मिलगेट प्राइस पर उपलब्ध किया जाता है। उसमें और भी छूट दे दी गई है। उसमें हमने और भी रियायत दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा: मैं आपकी बात समझ सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप ऐसे मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए और बैठकर सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा: मैं समझ सकता हूं कि कारण क्या है, क्योंकि मैंने बनारस में तीन सप्ताह पहले स्वयं जाकर बुनकरों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है, जिसके लिए पहल इसी सदन के माननीय सदस्य श्री राहुल गांधी ने की थी। वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। ...*(व्यवधान)* बुनकरों के लिए दो पैकेजों की घोषणा से ...*(व्यवधान)* केवल राजनीति के कारण यह उत्तेजना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, मैंने आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा था और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने मैनडेस की बात की है। माननीय मंत्री जी, मेरे पास भी डाटा है कि 5,000 से 5,300 हो गया। बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, आप ही का सैन्सस कह रहा है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने यह क्रेडिट दिया और पूरा बैंच थपथपाया गया। माननीया अनु जी ने भी ये बातें कहीं। ...*(व्यवधान)* यह 28 फरवरी को एनाउंस हुआ और आज तक इम्प्लीमैंट नहीं हो पाया है। जो मिड ईयर एप्रेज़ल आया है, वह यह कह रहा है कि अभी तक प्लानिंग कमीशन ने उसे क्लीयर किया है, वह मंत्रालय में गया है और मंत्रालय में भी लेट लगेगा। लेकिन आप ही का उत्तर है मंत्री जी। आपने कहा 43 लाख वीवर्स हैं एक हिसाब बता दीजिए। उत्तर में कह रहे हैं कि तीन हजार करोड़ रूपए का जो पैकेज दे रहे हैं, उसमें से तीन लाख लोगों को फायदा होगा। 43 लाख लोगों में से 3 लाख तो बाकी 40 लाख लोग कहां जाएंगे, आप इसका जवाब बताइए।

नाबार्ड का जो क्रेडिट "लो है वह यह कह रहा है कि प्राइमरी और एपैक्ट कोऑपरेटिव, जो आप दे रहे हैं, लक्ष्य का केवल 50% पूरा किया गया है। उसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का 70 प्रतिशत टारगेट कम्प्लीट हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि प्लानिंग कमीशन ने आपको कारण बताया था कि यदि आप यह-यह काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन कह रही है कि हैंडलूम वीवर्स वे क्रेडिट डीड का क्या करेंगे, इनपुट सपोर्ट का क्या करेंगे, मार्किटिंग का क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिजर्वेशन का क्या करेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कितने सवाल पूछेंगे?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: प्लानिंग कमीशन ने आपको जो सजैशन दिए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप जल्दी से पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: प्लानिंग कमीशन ने जो सजैशन दिया है कि प्रोडक्ट रिजर्वेशन का क्या करेंगे क्रेडिट डीड्स का क्या करेंगे इनपुट सपोर्ट का क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, मार्किटिंग का क्या करेंगे और उन 40 लाख वीवर्स का क्या करेंगे, इस बारे में आपको बताना चाहिए। आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको जवाब पैश देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री आनन्द शर्मा: वैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं किया, टिप्पणी जरूर की है। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्न किए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कई प्रश्न नहीं, आप एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह प्रश्न आबिद हुसैन कमेटी से संबंधित नहीं है, हैंडलूम सैन्सस से संबंधित है। ...*(व्यवधान)* आबिद हुसैन कमेटी पर विचार करके क्या सोच बनी उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को भेज सकता हूं। ...*(व्यवधान)* आबिद हुसैन के बाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री ने जो कहा है उसके अतिरिक्त भी कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा: आप कम से कम व्यवधान न डालें, थोड़ा शान्ति से सुनिए। मालूम है कि आजकल शोर काफी है। सदन शान्ति से चल रहा है, आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* आबिद हुसैन और सत्यम दो कमेटियां बनी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप शान्त हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा: दोनों कमेटियों की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया। जो दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बनी है, आबिद हुसैन कमेटी और सत्यम कमेटी, इन दोनों रिपोर्टों पर गौर करके यही दो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थीं। वह उसमें शामिल की गई हैं।

अध्यक्ष महोदया मैंने आपके माध्यम से सदन को बुनकरों के पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी है। मार्केट प्रमोशन के लिए 680 इवेंट्स है हमारी जो विदेश व्यापार नीति है उसके तहत वर्ष 2009 से ...*(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं आप सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* फोकस प्रोडक्ट स्कीम और फोकस मार्केट स्कीम में 41 बड़े बाजार जिनमें से 26 एक स्कीम में और 13 एक स्कीम में विशेष प्रावधान किये गये जिसे आईडेंटिफाई किया। जहां इंसेटिववाइज किया, वहां टेक्सटाइल को हमने इंसेंटिव दिया है पूरे यूरोप के लिए पूरे अमेरिका के लिए। हालांकि हमारे पास साधनों की कमी है हमने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए विशेष इंसेंटिव दिया है। ...*(व्यवधान)* यह पब्लिक डोमेन में है पूरी जानकारी है कि सरकार की तरफ से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाये। जो भी समर्थन है सब योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट इसलिए नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये संतुष्ट होना नहीं चाह रहे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. चाको।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री पी.सी. चाको की स्थितियों के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. चाको: माननीय अध्यक्ष महोदया, हथकरघा क्षेत्र देश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री पी.सी. चाको: लाखों हथकरघा कर्मकार आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने पिछले बजट में हथकरघा क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपये की-ऋण राहत योजना को स्वीकृति दी थी। अगले बजट में केवल तीन महीने बचे हैं। 3000 करोड़ रुपये की इस ऋण राहत योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री अति सक्षम हैं और वह एफडीआई जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कारगर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। क्या मंत्री जी इस सभा को आश्वस्त करेंगे कि पिछले बार में घोषित इस ऋण राहत योजना को तत्काल और कम से कम अगले बजट से पहले कार्यान्वित किया जाये। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? पूरे देश में हथकरघा सोसाइटियों की लेखा-परीक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और यह योजना अब तक शुरू नहीं हुई है।

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मैंने सभा को सूचित किया है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बुनकरों की दुर्दशा और उनके पुनरूद्धार तथा पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज लाने के सरकार के आशय का उल्लेख किया था। यह 3000 करोड़ रुपये का पैकेज था। पैकेज को पुनः तैयार किया गया और अंतिम पैकेज 3884 करोड़ रुपये का घोषित किया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भी अपनी पिछली बैठक में पैकेज को स्वीकृत कर दिया था। माननीय सदस्य अति सुविज्ञ व्यक्ति है। वह सरकारी प्रक्रिया को समझते हैं। बजट में घोषणा अथवा उल्लेख मात्र का अर्थ योजना का कार्यान्वयन नहीं होता है। योजना आयोग और विशेष वित्त समिति जिसकी अध्यक्षता व्यय विभाग के सचिव द्वारा की जाते है, उनके द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल सीमिति इस पर विचार करती है और इसे स्वीकृत करती है। स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्यान्वयन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मैं माननीय सदस्य को शिविरों की तिथियों और संख्या की सूचना भेजूंगा जो कि स्वयं विभिन्न राज्यों के लिए इस महीने हेतु निर्धारित किए गए हैं जहां पर इस पैकेज के लाभ सीधे दिए जायेंगे। हमने बैंकों के साथ स्वीकृत कर दिया है। पैकेज को नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैंने उनके बारे में भी उल्लेख किया है जो सम्मिलित नहीं किए गए हैं...*(व्यवधान)* कुछ आदर दर्शाइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह उचित नहीं है

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी, क्या आप पूरा कर चुके हैं?

श्री आनन्द शर्मा: महोदया, मैंने पूरा नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदया: अब तक नहीं? ठीक है, कृपया संक्षेप में कहिए। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा: मैं आशा करता हूं कि मेरे दूसरी तरफ वाले मित्र उत्तर देने के लिए माननीय सदस्य श्री पी.सी. चाको के अधिकार के प्रति सम्मान दिखाएंगे। महोदया, हमारे सामने मुद्दा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराइए। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत सारे मामले हमारे बुनकरों से संबंधित हैं, उनको लेकर पूरा सदन चिंतित है और अभी हम लोगों ने इन दो प्रश्नों पर 45 मिनट तक चर्चा कर ली है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग मेरी बात सुनिए।

अगर आप लोग नोटिस दें, तो हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा लेंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस समय पर जब चर्चा होगी उसमें आप हिस्सा लीजिएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अर्जन

+
***243. श्रीमती सुप्रिया सुले:**
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब का एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान भूमि अर्जन के कारण कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ है/न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित भूमि अर्जन कानून से राष्ट्रीय राजमार्गों की लागत में वृद्धि होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भूमि अधिग्रहण उन कारकों में से एक कारक है जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कतिपय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। विलंब, ठेकेदार द्वारा अल्प-निष्पादन, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण जैसे परस्पर अधिव्यापी बहुविध कारणों से होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयनाधीन 226 परियोजनाओं में से 58 परियोजनाएं वर्तमान में, भूमि अधिग्रहण सहित बहुविध कारणों से विलंबित हैं। परियोजनाओं की राज्य-वार सूची संलग्न अनुबंध में दी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, संघ में अन्तर्विष्ट होंगे और अधिनियम की धारा 3घ के अधीन अधिसूचना के बाद भूमि, केन्द्रीय सरकार में अन्तर्विष्ट हो जाती है। धारा 3 घ(4) के अनुसार, ऐसी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय में अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तथापि, अदालती मामले, विवाचक द्वारा दिए गए अवार्ड के विरूद्ध और नीतिगत मुद्दों पर दायर किए जाते हैं। इसी के कारण विभिन्न न्यायालयों में 1609 मामले लंबित हैं।

(ग) और (घ) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक, 2011 अभी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि की राशि, ठीक-ठीक नहीं बताई जा सकती।

अनुबंध

भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कारणों से विलंबित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन के अधीन वर्तमान परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	खंड	रा सं.	कुल लंबाई (किमी. में)	पूरी की गई लंबाई (किमी. में	कार्यान्वयन के अधीन लंबाई (किमी. में	प्रारंभ की तिथि	ठेके के अनुसार पूरा किए की तारीख	पूरा किए जाने की अनुमानित तारीख	राज्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चिलकालुरिपेट-विजयवाडा (6 लेन)	5	82.5	18.9	63.6	मई-2009	दिसंबर-11	अगस्त-2012	आंध्र प्रदेश
2.	नलबारी-बिजनी (एएस-9)	31	21.5	19.105	2.395	दिसंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	असम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	नलबारी-बिजनी (एएस-9)	31	30	27	3	दिसंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	असम
4.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	31सी	30	23.02	6.98	नवंबर-2005	जून-2008	दिसबर-2011	असम
5.	गुवाहावी-नलबारी (एएस-4)	31	28	8	20	दिसंबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2012	असम
6.	गुवाहाटी-नलबारी (एएस-5)	31	28	14	14	अक्टूबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2012	असम
7.	सिलचर-उदरबंद (एएस-1)	54	32	17.56	14.44	सितंबर-2004	सितंबर-2007	मार्च-2012	असम
8.	हरंगजो से मैबंग (एएस-23)	54	16	10.2	5.8	अगस्त-2006	फरवरी-2009	दिसंबर-2011	असम
9.	नलबारी-बिजनी (एएस-7)	31	27.3	11.5	15.8	अक्टूबर-2005	अप्रैल-2008	दिसंबर-2011	असम
10.	बिजनी-असम/ पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	31सी	30	9.5	20.5	नवंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	असम
11.	दबोका से नगांव (एएस-17)	36	30.5	28.905	1.595	दिसंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	असम
12.	नलबारी से बिजनी (एएस-6)	31	25	18	7	नवंबर-2005	जून-2009	दिसंबर-2011	असम
13.	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3)	57	34.87	21.5	13.37	अप्रैल-2006	सितंबर-2008	दिसंबर-2011	बिहार
14.	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7)	57	37.59	30.5	7.09	अप्रैल-2006	सितंबर-2008	दिसंबर-2011	बिहार
15.	सिमराही से रिंग बंध (मिसिंग लिंक) (बीआर-4)	57	15.15	13.6	1.55	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	दिसंबर-2011	बिहार
16.	पहुँचमार्ग और गाइबंध एवं एफलक्स बंध सहित कोसी पुल (बीआर-5)	57	10.63	7	3.63	अप्रैल-2007	अप्रैल-2010	दिसंबर-2011	बिहार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	औरंग-रायपुर	6	43.485	41.5	1.985	अप्रैल-2006	जनवरी-2009	दिसबंर-2011	छत्तीसगढ़
18.	महरौली-गुड़गांव सड़क-दिल्ली के अंधेरिया मोड़-हरियाणा सीमा का 6 लेन में उन्नयन	236	7.45	7.1	0.35	अप्रैल-2010	अगस्त-2010	दिसंबर-2011	दिल्ली
19.	सूरत-दहिसर (छः लेन)	8	239	186.578	52.422	फरवरी-2009	अगस्त-2011	दिसबर-2011	गुजरात (118.2)/ महाराष्ट्र (120.77)
20.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	10	63.49	50.25	13.24	मई-2008	मई-2010	दिसंबर-2011	हरियाणा
21.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर (6 लेन)	8	225.6	117	108.6	अप्रैल-2009	दिसंबर-11	जून-2012	हरियाणा (64.3)/ राजस्थान (161.3)
22.	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जेएंडके)	1ए	17.2	17	0.2	जनवरी-2002	दिसंबर-2004	दिसंबर-11	जम्मू और कश्मीर
23.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जेएंडके	1ए	15	14.7	0.3	नवंबर-2005	मई-2008	मई-2012	जम्मू और कश्मीर
24.	श्रीनगरं बाइपास (पुल खंड (एनएस-30ए)	1ए	1.23	0	1.23	जून-2006	दिसंबर-2008	दिसंबर-2011	जम्मू और कश्मीर
25.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जेएंडके)	1ए	33.65	32.7	0.95	सितंबर-2005	फरवरी-2008	दिसंबर-2011	जम्मू और कश्मीर
26.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जेएंडके)	1ए	30	29.25	0.75	सितंबर-2005	फरवरी-2008	दिसंबर-2011	जम्मू और कश्मीर
27.	नया मंगलौर पत्तन	13, 17 और 48	37	36.74	0.26	जून-2005	दिसंबर-2007	दिसंबर-2011	कर्नाटक
28.	रारा-4 और रारा-48 का नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली	48	81	81	0	जनवरी-2008	जुलाई-2010	दिसंबर-2011	कर्नाटक
29.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	26	44	38.22	5.78	अप्रैल-2006	अक्टूबर-2008	मार्च-2012	मध्य प्रदेश
30.	ललितपुर-सागर (एडीबी-II/सी-4)	26	55	53.84	1.16	अप्रैल-2006	अक्टूबर-2008	दिसंबर-2011	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	राजमार्ग चौराहा से (एडीबी-II/सी-9)	26	54.7	50.06	4.64	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसंबर-2011	मध्य प्रदेश
32.	राजमार्ग चौराहा से लखनादोन (एडीबी-II/सी-8)	26	54	43	11	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसंबर-2011	मध्य प्रदेश
33.	सागर बाइपास (एडीबी-II/सी-5)	26	26	24.74	1.26	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसंबर-2011	मध्य प्रदेश
34.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	75.3	42	39.12	2.88	अप्रैल-2007	अक्तूबर-2009	जून-2012	मध्य प्रदेश
35.	ग्वालियर-झांसी	75	80	42.505	37.495	जून-2007	दिसंबर-2009	जून-2012	मध्य प्रदेश (68.5)/ उत्तर प्रदेश (11.5)
36.	बोरखेडी-जाम (एनएस-22/एमएच)	7	27.4	27	0.4	जून-2005	दिसंबर-2007	दिसंबर-2011	महाराष्ट्र
37.	नागपुर-कौंधली	6	40	39.84	0.16	जून-2006	दिसंबर-2008	दिसंबर-2011	महाराष्ट्र
38.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जेएंडके)	1ए	19.65	16.4	3.25	नवंबर-2005	मई-2008	दिसंबर-2011	पंजाब
39.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीबी)	1I	40	39.36	0.64	नवंबर-2005	मई-2008	दिसंबर-2011	पजांब (29)/ हिमाचल प्रदेश (11)
40.	कंगयम से कोयम्बतूर (केसी-2)	67, केसी 2	55.2	54.35	0.85	अगस्त-2006	अगस्त-2008	दिसंबर-2011	तमिलनाडु
41.	तंजावुर-त्रिची	67	56	54.2	1.8	दिसंबर-2006	जून-2009	दिसंबर-2011	तमिलनाडु
42.	मदुरै-अरूपुकोट्टे-तुतिकोरिन	45बी	128.16	127.4	0.76	जनवरी-2007	जनवरी-2010	दिसंबर-11	तमिलनाडु
43.	पुडुचेरी-टिंडीवनम	66	38.61	38.61	0	जनवरी-2008	जुलाई-2010	दिसंबर-11	तमिलनाडु
44.	त्रिची-डिंडीगुल	45	88.273	87.27	1.003	जनवरी-2008	जुलाई-2010	दिसंबर-11	तमिलनाडु
45.	लखनऊ बाइपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56ए और बी	22.85	21.5	1.35	मार्च-2009	अगस्त-2010	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश
46.	गोरखपुर बाइपास	28	32.6	26	6.6	अप्रैल-2007	अक्टूबर-2009	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	गंगा पुल से रामा देवी क्रासिंग (यूपी-6)	25	5.6	1.64	3.96	दिसंबर-2005	सितंबर-2008	जून-2012	उत्तर प्रदेश
48.	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40	39	1	दिसंबर-2005	दिसंबर-2008	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश
49.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यू (पी-2)	25,26 –	49.7	43.95	5.75	मार्च-2007	सितंबर-2009	फरवरी-2012	उत्तर प्रदेश
50.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यू पी-3)	26	49.3	49.3	0	मार्च-2007	सितंबर-2009	नवंबर-2011	उत्तर प्रदेश
51.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44	41.5	2.5	अक्टूबर-2005	अक्टूबर-2008	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश
52.	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.115	39	2.115	दिसंबर-2005	दिसंबर-2008	दिसबर-2011	उत्तर प्रदेश
53.	उरई से झांसी	25	50	49.7	0.3	सितंबर-2005	मार्च-2008	मार्च-2012	उत्तर प्रदेश
54.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	24	56.25	55.85	0.4	मार्च-2005	सितंबर-2007	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश
55.	ललितपुर सागर (एडीबी-/सी-3)	26	38	36.6	1.4	मई-2006	नवंबर-2008	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश
56.	सीतापुर-लखनऊ	24	75	71.5	3.5	जून-2006	जून-2009	दिसंबर-2011	उत्तर प्रदेश
57.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-7)	31	26	17.84	8.16	जनवरी-2006	जुलाई-2008	दिसंबर-2012	पश्चिम बंगाल
58.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकट्टा (डब्ल्यूबी-1)	31सी	32	22.08	9.92	जून-2006	नवंबर-2008	जनवरी-2012	पश्चिम बंगाल

श्री सुप्रिया सुलेः महोदया, जवाब में माननीय मंत्री ने कहा है कि 226 परियोजनाओं में से 58 परियोजनाओं में विविध कारणों के चलते विलम्ब हुआ जिससे भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है। आज हमारे देश में भूमि अधिग्रहण एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए विभाग का भूमि अधिग्रहण में तथा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में क्या भूमिका है, क्योंकि पहली बात पहली बात कि संपर्क के साधन होना बहुत महत्वपूर्ण है तथा दूसरी बात भूमि अधिकार से संबंधित है जो आजकल विलम्ब के कारण बदलती रहती है। इसलिए क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वे इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य में तेजी कैसे लाएंगे? यह इसलिय है कि हमारी गंभीर चिंता का विषय यह है कि विदर्भ में दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनमें लगभग तीन साल का विलम्ब हो चुका है। इसलिए सरकार इस संबंध में क्या करने का प्रयास कर रही है?

[हिन्दी]

डॉ. तुषार चौधरी: महोदया, मंत्रालय ने कई सारे स्टेप्स भूमि संपादन के लिए हैं और उसमें हमने प्रोसीजर का सिम्पलीफिकेशन भी किया है। मंत्रालय को 18 हजार किलोमीटर हाइवेज बनाने हैं और उसके लिए भूमि संपादन की लागत एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये प्रति हेक्टेयर आती है अभी आने वाले दिनों में अगर नई पॉलिसी आती है तो यह लागत पांच गुना होगी तो भविष्य में ऐसा निर्माण होगा कि 50 प्रतिशत कॉस्ट हाइवे के लिए सिर्फ लैण्ड एक्वीजिशन यूनिट हरेक पीआईओ में बनाए जाए और वहां के जो रिटायर्ड तहसीलदार है मामलतदार हैं, उनको काम पर लिया जाए और उनकी हेल्प ली जाए। एक हाईपावर कमेटी हरेक स्टेट में चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में बनाई जाए, इस तरह का मंत्रालय प्रयास कर रहा है। जहां तक माननीय सदस्या ने उनके क्षेत्र के बारे में पूछा है, उसकी जानकारी मैं उनको स्वयं लिखित रूप में दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदया, उत्तर में ठेकेदारों और वन से संबंधित अनुमति के खराब निष्पादन का उल्लेख किया गया है। आज हमारे देश में पर्यावरण एक संवेदनशील मुद्दा है। केन्द्र सरकार से वनों से संबंधित अनुमति मिलने में विलम्ब के कारण कई परियोजनाओं में देरी हो जाती है। इसलिए, सरकार ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना क्यों बनाती है जिसमें विलम्ब होता है। केन्द्र सरकार से बिना किसी पर्यावरण अनुमति के वे इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर देते हैं। पैसा इसमें फंस जाता है तथा पूरी परियोजना रूक जाती है क्योंकि केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की विशिष्ट वन संबंधी अनुमति नहीं मिली पाती है। इसलिए, दिल्ली से सरकार की क्या योजना है? वे कब ऐसी मुख्य परियोजनाओं की योजना बनाते हैं, वे ऐसी परियोजनाएं क्यों शुरू करते हैं क्योंकि इसमें पैसा भी फंस जाता है क्योंकि इस नीति में ही कमी होती है।

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): महोदया, यह बात सही है कि जब हम नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का पार्ट आता है। इसमें दो ऑप्शन्स है-एक, हम वाइल्ड लाइफ को एवाइड करके प्रपोजल बनाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एलाइनमेंट को चेंज करें। जहां तक फॉरेस्ट में क्लियरेंस की बात है, *[अनुवाद]* यह विषय राज्य सरकार के पास होता है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार पहले करेंगी, *[हिन्दी]* जो हम एलाइनमेंट कर रहे हैं उसमें राज्य सरकार अगर टाइम पर क्लियरेंस देगी तो उसमें डिले नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. संजीव गणेश नाईक: महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सूरत-दहीसर के बारे में क्रम संख्या 19 में बताया है। पिछले तीन वर्षों से विभाग कई तारीख दे रहा है। हर साल विभाग नई तारीख दे देता है। इस बार उसने दिसंबर, 2011 की तारीख दी है। मैं समझता हूं कि यह दिसम्बर, 2011 का महीना है और काम अभी भी चल रहा है। इसलिए मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह कार्य कब पूरा होने जा रहा है?

डॉ. सी.पी. जोशी: मैं समझता हूं कि समस्या विभिन्न प्रकार की छूटों के कारण उत्पन्न हुई है। हम छूट देने वालों से संपर्क बना रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि अनुदानग्राती काम को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार करते हैं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदया, माननीय मंत्री ने हाल ही में उन विलम्बित परियोजनाओं की एक सूची दी है जो एन.एच.ए. आई द्वारा क्रियान्वयनधीन है जिनमें भूमि आदि के अधिग्रहण के कारण विलम्ब हुआ है। लेकिन में यह देखकर चकित और आहत हूं कि ओड्डानचत्तीरण को इन विलम्बित परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एन. एच. 209 सड़क डिडीगुल से शुरू होनी है और ओड्डानचतीरण से होकर गुजरती है जो कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सब्जी का बाजार है। यातायात जाम से बचने के लिए ओडडानचत्तीरण पर एक बाई-पास शेड अति आवश्यक हो गयी है। ऐसा पाया गया है कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण संबंधी आंकलन दो साल पूर्व संस्वीकृत किया गया था फिर यह निर्णय के चरण तक नहीं पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार को 3डी प्रस्ताव भेजा है। क्या मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह देखने के लिए आवश्यक और गंभीर कदम उठाएंगे कि 3डी प्रस्तावों पर जांच और कार्रवाई हो और इन्हें भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. सी.पी. जोशी: महोदया, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। प्रश्न केवल भूमि अधिग्रहण से संबंधित था ...*(व्यवधान)*। मुझे इस बात का पता है। प्रश्न भूमि अधिग्रहण के

कारण विलंब से संबंधित था।...*(व्यवधान)* इसलिए, मैंने उस विशेष खंड का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वह इस श्रेणी में नहीं आता है। माननीय सदस्य महोदय आपने मेरे संज्ञान में यह बात लाई है। मैं इसका ध्यान रखूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि इसमें शीघ्रता हो।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदया, मैं जिस विषय के बारे में कहना चाहता हूं वह सभी माननीय सदस्यों के मन की बात है। मैंने शून्य काल में बोलने के लिए भी इस विषय पर नोटिस दिया था। आज एनएचएअरई काम कर रही हैं उससे देश की तरक्की रूक रही हैं अध्यक्ष महोदया आपके निर्वाचन क्षेत्र में वाजपेयी जी की सरकार के समय काफी अच्छी सड़क बनी थी। आज एनएचआई की प्रगति की रफ्तार कम हो गई हैं यह मूल प्रश्न एनएचआई से सम्बन्धित है उसके सभी इंजीनियर्स ने इस्तीफा दे दिया है उसका क्या कारण है? क्या इसकी वजह से एएचएआई के काम में बाधा पड़ेगी या नहीं? भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सभी इंजीनियर्स मेम्बर्स ने और चीफ इंजीनियर्स ने रिजाइन किया हो। इस वजह से सड़क बनाने की रफ्तार रूक गई है। ...*(व्यवधान)* क्या आप वापस उस काम की रफ्तार को ला पाएंगे?

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: भागलपुर के नेशनल हाईवे 106 और 80 पर काम रूक गया है। बिहार में ऐसी कई परियोजनाओं पर काम नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार के समय सड़कें बनाने की जो रफ्तार थी, 11-12 किलोमीटर रोज सड़क बनाने की जो रफ्तार थी, उसे पुनः बहाल करने के लिए और वापस ट्रैक पर लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): [illegible]

[illegible]

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. जोशी: मुझे खुशी है कि जन्मदिवस के अवसर पर माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे मंत्रालय ने जिस तरह के स्टेप उठाए हैं, ओपन बिडिंग कराई है, इन कदमों की वजह से आज के दिन 5,000 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष प्रीमियम पांच साल तक भारत सरकार को मिलेगा। *[अनुवाद]* एन.एच.ए.आई. के इतिहास हमने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अभियंताओं और मेरे मंत्रालय के हितों के लिए कोई टकराव नहीं है। एक मात्र मुद्दा यह है कि हम पी.सी. के मुद्दे का समाधान खोज रहे हैं। यह फैसला मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। हम कड़ाई से इसका पालन कर रहे हैं और इसे विश्वासपूर्वक क्रियान्वित करना होगा। इसलिए, मैं आपको यह आवश्वास दे सकता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य जो कह रहे है कि रफ्तार कम हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि काम की कोई रफ्तार कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है हमने 7300 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है, उसमें से 4,000 किलोमीटर का एवार्ड कर चुके हैं।

[अनुवाद]

मार्च के अंत तक हम 7300 किलोमीटर का ठेका देंगे और क्रमागत रूप में 3 वर्षों के लिए 7300 किलोमीटर के लिए दिए जाएंगे। *[हिन्दी]* हमने रोज 20-21 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही है और वह हम आपको करके बता देंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: उन्हें प्रश्न पूछने दें, क्योंकि समय बहुत कम है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव: थैंक्यू मैडम, यह जो लैंड एक्विजिशन का इश्यू है यह तब से चल रहा है जब से नेशनल

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हाई-वे स्टार्ट हुआ है इसका जिक्र यहां बहुत बार आया है और 15वीं लोक सभा में भी इसका जिक्र हुआ है। अभी एमओएस के मिनिस्टर साहब ने जबाव देते हुए एक बात कही है कि हाईपावर कमेटी हम लोग गठित कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हाई-पावर कमेटी है तो पहले से है, स्टेट के चीफ सैक्रेट्रीज को लेकर हाई-पावर कमेटी तो पहले से है। इतना होने के बावजूद भी लैंड एक्विजिशन जब तक नहीं होगा तब तक प्रोजैक्ट नहीं बनेगा। जब भी हाउस में लैंड की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के लिए बात की जाती है। उसके लिए हाई-लैवल कमेटी है तो मिनिस्ट्री लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम है और अगर मिनिस्ट्री इसे चालू करने में फेल हो गई है क्योंकि मॉनिटरिंग लगातार नहीं कर रही है इस पर मिनिस्ट्री इसे चालू करने में फेल हो गयी है क्यों इसकी मॉनिटरिंग लगातार नहीं कर रही है? देश में अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मिनिस्ट्री प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आगे क्या एक्शन लेगी? अगर इसे चालू रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और मिनिस्ट्री फरदर एक्शन क्या लेगी?

डॉ. सी.पी. जोशी: अध्यक्ष महोदया, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि लैड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। लैंड एक्वायर करने की अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपाइंट करती है। लैंड एक्वायर होने के बाद पैसा हम देते हैं डिस्बरसमेंट का काम तेज गति से हो रहा है। जहां पर यह प्रॉब्लम आ रही है वहां पर स्टेट की जो अपाइंटिंग अथॉरिटी है वह भी यूटिलिटी शिप्ट करने में डिले कर रहे है डिस्बर्स करने में डिले कर रहे हैं उनके कारण जो प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करने के लिए हम चीफ सैक्रेट्री के साथ मिलकर इस काम को एक्सिडाइट करने का काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: मैं केवल एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह पूरे देश में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। एक बहुत बड़ा और अच्छा काम किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक हमारे राज्य, जम्मू और कश्मीर का संबंध है, जम्मू तक सब कुछ पहुंच गया लेकिन जम्मू से आगे जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर शेष देश से लगभग कटा हुआ है। एक मात्र राजमार्ग जो हमें देश से तथा शेष विश्व से जोड़ता है, वह जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग है। लेकिन महोदया, कृपया हस्तक्षेप कीजिए। दुर्भाग्य से जम्मू से आगे कुछ नहीं पहुंचा। पूरे देश में यह कार्य युद्ध स्तर पर किया गया, एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है लेकिन जम्मू से आगे कुछ नहीं हुआ है और दुर्भाग्य से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो भूस्खलन के कारण कट जाता है, से जम्मू को कोई लाभ नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछिए। बहुत कम समय बचा है।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: इसलिए, क्या भारत सरकार, जहां तब जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग का संबंध है, इसे युद्ध स्तर पर लेगी जैसाकि देश के शेष भाग में किया गया था।

डॉ. सी.पी. जोशी: मुझे माननीय सदस्य की चिंता है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि न केवल जम्मू और कश्मीर को बल्कि हम लेह-लद्दाख को भी जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जो जिला की कनैक्टिविटी का जो काम है, राहुल गांधी जी वहां गए थे और हम वे वहां और इनीसिटटिव लिया है।

[अनुवाद]

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान

***244. +श्री आनंदराव अडसुलः**
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक सरकारी/निजी स्वास्थ्य परिचर्या परिचर्या संस्थानों द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए बनाए गए कंटेनरों हेतु निर्धारित रंग कोड का पालन न करते हुए 'बायो-मेडिकल वेस्ट (मैंनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 1998' का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या 'बायो-मेडिकल वेस्ट रूल्स, 1998' के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अनुसार बीएमडब्ल्यू उत्सर्जित करने वाले संस्थान के प्रत्येक पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अपशिष्ट को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के निपटाये जाएं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को बीएमडब्ल्यू नियम की अनुसूची II में कंटेनर/थैलों के निर्धारित कलर कोड के अनुसार पृथक किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि नियमों की अनुसूची-I में उल्लिखित शोधन और निपटान विकल्प के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन और निपटान किया जा सके।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संघ शासित क्षेत्रों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) नामोद्दिष्ट विहित प्राधिकरण हैं। भारत सरकार ने, संघ शासित प्रदेशों में सभी एसपीसीबी और पीसीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिमय, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निहित आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं ताकि वे अन्य बातों के साथ-साथ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 से संबंधित मानकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी उद्योग अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को निर्देश जारी कर सकें। एसपीसीबी/पीसीसी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों (एचसीई) के कार्यान्वयन को गहन रूप से मॉनीटर करना और उन संस्थानों के विरूद्ध जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना अपेक्षित है।

वर्ष, 2010 के लिए एसपीसीबी/पीसीसी/सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डीजीएएफएमएस) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ स्वास्थ्य दिनचर्या सुविधाएं (एचसीएफ) सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों का उल्लंघन करने की सूचना मिली है।

बीएमडब्ल्यू के मानंदडों का उल्लंघन करने वाले एचसीएफ की राज्य-वार संख्या और देश में चूककर्ता एचसीएफ को जारी कारण बताओ नोटिसों/निर्देशों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए केन्द्र सरकार स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई।

(ङ) बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) संघ शासित प्रदेशों के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को बीएमडब्ल्यू नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(ii) बीएमडब्ल्यू नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा 5829 चूककर्ता स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को कारण बताओ जारी किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपबंधों के उल्लंघन के लिए 33 एचसीएफ/ सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के विरूद्ध दिशानिर्देश भी जारी किए।

(iii) जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के पर्यावरणीय ठोस निपटान के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों में शोधन और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए जन निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(iv) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता सृजित करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एसपीसीबी/पीसीसी और सरकारी/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) "सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट इन्सीनिरेटर का डिजाइन और निर्माण" के लिए उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानाओं और उनके संबंधित न्यायधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और

हथालन) नियम, 1998 के अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपाय हेतु राज्य स्वास्थ्य सचिवों को सलाह देने का अनुरोध किया है। सीपीसीबी ने एसपीसीबी/पीसीसी के बेहतर अनुपालन के लिए मीडिया अभियान के माध्यम से जन जागरूकता सृजित करने की सलाह देने का अनुरोध किया है।

(vii) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुपालन को मॉनीटर करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से उनके राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य स्तर समिति और जिला स्तर मॉनीटरिंग समिति गठित करने का अनुरोध किया है।

(viii) मंत्रालय ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अंतरालों को अभिज्ञात किया है और मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित करने से पहले जन-विचार/सुझावों को प्राप्त करने के लिए प्रारूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किया है।

विवरण

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 1998 का उल्लंघन करने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं (एचसीएफ) की राज्य-वार संख्या, वर्ष 2010 में चूककर्ता एचसीएफ (एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत) के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस/निर्देशों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश (वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख)	बीएमडब्ल्यू नियमों का उल्लंघन करने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की संख्या	चूककर्ता एससीएफ को जारी कारण बताओ नोटिस/निर्देशों का कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार (28.09.2011)	एनपी	एनपी
2.	आंध्र प्रदेश (18.05.2011)	167	167
3.	अरुणाचल प्रदेश (20.05.2011)	0	0
4.	असम (11.05.2011)	208	1
5.	बिहार (24.05.2011)	1217	544
6.	चंडीगढ़ (14.03.2011)	15	4
7.	छत्तीसगढ़ (27.09.2011)	20	20
8.	दमन और द्वीव और दादरा और नगर हवेली (01.08.2011)	0	0
9.	दिल्ली (31.05.2011)	54	36
10.	गोवा (30.05.2011)	1	1
11.	गुजरात (14.07.2011)	154	154
12.	हरियाणा (27.06.2011)	121	62

1	2	3	4
13.	हिमाचल प्रदेश (04.10.2011)	15	15
14.	झारखंड 05.07.2011)	100	67
15.	जम्मू और कश्मीर (25.05.2011)	499	138
16.	कर्नाटक (12.05.2011)	483	483
17.	केरल (05.08.2011)	644	281
18.	लक्षद्वीप (03.10.2011)	0	0
19.	मध्य प्रदेश (29.07.2011)	100	100
20.	महाराष्ट्र (13.09ए2011)	3235	2331
21.	मणिपुर (28.04.2011)	0	0
22.	मेघालय (27.04.2011)	0	0
23.	मिजोरम (19.05.2011)	0	0
24.	नागालेंड (23.05.2011)	0	0
25.	ओडिशा (17.05.2011)	102	74
26.	पुदुचेरी (16.04.2011)	0	0
27.	पंजाब (30.03.2011)	119	101
28.	राजस्थान (01.09.2011)	440	330
29.	सिक्किम	प्रस्तुत नहीं किया गया	
30.	तमिलनाडु (01.06.2011)	300	261
31.	त्रिपुरा (30.07.2011)	0	0
32.	उत्तराखंड (03.08.2011)	0	0
33.	उत्तर प्रदेश (16.05.2011)	266	266
34.	पश्चिम बंगाल (22.06.2011)	393	393
	सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (19.10.2011)	शून्य	शून्य
	कुल	8653	5829

श्री आनंदराव अडसुलः महोदया, अस्पताल का कचरा या बायो -मेडिकल वेस्ट (बी.एम.डब्ल्यू) पर्यावरण प्रदूषण के सबसे खतरनाक अवयवों में से एक है। अस्पतालों से निकलने वाले कचरे की मात्रा और प्रकार विगत वर्षो से बढ़ती रही है। बहुत से अस्पतालों में हाल में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन से संबंधित मुख्य मुद्दा यह है कि बायो वेस्ट विनियमन का क्रियान्वयन असंतोषजनक है क्योंकि कुछ अस्पताल खतरनाक, अनुचित और अविवेकपूर्ण ढंग से कचरे का विष्पादन कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि एकत्रित किए गए तथा अलग किया गया। सारा कचरा अपने अंतिम गन्तव्य तक पहुंचे।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा और कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री नमो नारायन मीणाः महोदया, देश में बायोमेडिकल वेस्ट के उपयुक्त निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन और संचालन नियम का अनुपालन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। हमारे देश में 137000 स्वास्थ्य केन्द्र है जहां बायो मेडिकल वेस्ट पैदा होते हैं। वर्तमान में एक लाख स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो देश में बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए समान सुविधा का उपयोग कर रही हैं और देश में 20,000 संस्थाएं हैं जिनके अपने खुद के इनसिनेरेटर है, स्वयं निष्पाद सुविधा, माइक्रोवेव सुविधा तथा शेडर्स हैं।

जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, प्रारूप बायो मेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2011 वेबसाइट पर उपलब्ध है और देश में बायो मेडिकल वेस्ट के दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए सरकार आगे और कदम उठाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि में लंबित मामले

***245. श्री चंद्रकांत खैरेः**
श्री अंजनकुमार एम. यादवः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी मामलों के निपटान हेतु कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) ऐसे मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं और ऐसे मामलों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.11.2011 तक) के दौरान 'लम्बित दावों' संबंधी ब्यौरे निम्नवत् हैं:

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	वर्ष के दौरान कार्यभार	निपटान	लम्बित मामले	कार्यभार के संबंध में लम्बित मामलों का अनुपात
1	2	3	4(23)	5	6(4 5)	7(6/4)
2008-09	4.27	95.31	99.58	93.07	6.51	6.54%
2009-10	6.51	101.73	108.24	101.00	7.24	6.68%
2010-11	7.24	97.55	104.79	98.05	6.74	6.43%
2011-12	6.74	80.11	86.85	67.22	19.63	22.60%

(ख) दावों के लम्बित होने का मुख्य कारण यह है कि कुछ कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारंभिक भाग के दौरान मूल आंकड़ों को नई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में अंतरित करने और लम्बित लेखाओं की प्रक्रिया में समय लगा। इस प्रक्रिया के लिए कुछ कर्मचारियों को नैमी कार्य से हटाकर लगाया गया था जिससे दावों को निपटाने की गति में कमी आई।

दावों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

(i) दावा निपटान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा प्रारंभ की गई है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहले से ही कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है। इन कार्यों के पूरा होने के पश्चात, दावा निपटान की प्रक्रिया सरल, बेहतर और त्वरित हो जाएगी।

(iii) कार्यभर के संदर्भ में विद्यमान कार्यालयों के उन्नयन और नए कार्यालयों को खोलने से दावा निपटान की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

(iv) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/कार्यालय प्रभारी द्वारा दावा निपटान का स्वयं ही अनुवीक्षण किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यालय स्तर पर भी अनुवीक्षण किया जाता है।

(v) दावों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि नए दावे निरंतर आते रहते हैं अतः कुछ दावों के हमेशा लम्बित रहने की संभावना है। किसी माह में लम्बित दावों का निपटान दावा निपटान के अनुवर्ती चक्र में कर दिया जाता है।

(vi) भिन्न-भिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी दावों के निपटान के मार्ग में बाधक बनते हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उपयुक्त रूप से यह निदेश दिया गया है कि वे लम्बित मामलों की स्थिति की समीक्षा करें और विधिक काउंसल के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान हेतु हर संभव प्रयास करें ताकि दावा निपटान प्रक्रिया की गति में तेजी आ सके।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यचालन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सरकार, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के परामर्श से संगठन के कार्यचालन की समय-समय पर समीक्षा करती है और समुचित उपचारात्मक कदम उठाती है।

[अनुवाद]

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

***246. श्री संजय दिना पाटील:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र देश के विभिन्न राज्यों में अतिक्रमित रक्षा भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अतिक्रमण को हटाने तथा इस भूमि को पुनः उपयोग में लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इसकी कोई जांच कराई गयी थी और ऐसे मामलों में रक्षा संपदा महानिदेशालय के कर्मचारियों की सांठ-गांठ का पता चला था और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने समयबद्ध तरीके से बेहतर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली/अप्रयुक्त रक्षा भूमि का उपयोग करने हेतु कोई नीति तैयार की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रक्षा भूमि के प्रबंधन/उपयोग को सुचारू करने तथा एक प्रभावी और पारदर्शी प्रणाली बनाने एवं विभिन्न स्तरों पर रक्षा संपदा महानिदेशालय के अधिकारियों की जवाबदेही की रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) राज्यवार-ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों और छावनी अधिनियम, 2006 के तहत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है। नए अतिक्रमणों के प्रति चौकसी बरतने, उनका पता लगाने और उनकी रोकथाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए मंत्रालय द्वारा विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। अतिक्रमणों का पता लगाने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) अतिक्रमण से संबंधित मामलों में रक्षा संपदा महानिदेशालय के कर्मचारियों के कथित रूप से शामिल होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) रक्षा भूमि मुख्यतया विभिन्न रक्षा आवश्यकताओं के लिए अभिप्रेत होती है। रक्षा भूमि की आवश्यकता क्रमिक रूप से बढ़ रही है और अतः किसी निर्धारित समय पर इसे सीमित नहीं किया जा सकता। सेनाओं की मौजूदा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस समय खाली पड़ी भूमि सहित किसी भी रक्षा भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता है अथवा उसे जन उपयोग के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

(ङ) रक्षा भूमि के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से इसके उचित प्रबंधन और संरक्षण को सरल और कारगर बनाने के लिए उपाए शुरू किए गए हैं। सैन्य भूमि रजिस्टर और सामान्य भूमि रजिस्टर को कम्प्यूटरीकृत करने की परियोजना कार्यान्वित की गई है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाकर दो परियोजनाएं एक भूमि रिकार्डो के अंकीकरण और दूसरी रक्षा भूमि के सर्वेक्षण के बारे में हाल ही में स्वीकृत की गई हैं। ये दोनों परियोजनाएं एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जानी हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में भूमि के महत्व को मानते हुए यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा भूमि की भूमि संबंधी लेखा परीक्षा फिर से शुरू की जाए। यदि रक्षा संपदा के कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों को निर्वाह करने में असफल रहते हैं तो मौजूदा सरकारी नियमों में उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

विवरण

अतिक्रमित राज्य-वार रक्षा भूमि

क्र.सं.	राज्य	अतिक्रमित भूमि (एकड़ में)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0414
2.	आंध्र प्रदेश	215.425
3.	अरुणाचल प्रदेश	36.3
4.	असम	616.569
5.	बिहार	448.88
6.	चंडीगढ़	-
7.	छत्तीसगढ़	165.76
8.	दादरा एवं नगर हवेली	-
9.	दिल्ली	113.5997
10.	दमन और दीव	-
11.	गोवा	4.05
12.	गुजरात	303.6407
13.	हरियाणा	959.0387
14.	हिमाचल प्रदेश	143.9041
15.	जम्मू और कश्मीर	729.349
16.	झारखंड	77.7
17.	कर्नाटक	28.5819
18	केरल	0.0665
19.	लक्षद्वीप	-
20.	मध्य प्रदेश	1491.796024
21.	महाराष्ट्र	2487.9482
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	15.4337
24.	मिजोरम	-
25.	नागालैंड	-
26.	ओडिशा	45.31825
27.	पुदुचेरी	-
28.	पंजाब	495.7967
29.	राजस्थान	367.729
30.	सिक्किम	-
31.	तमिलनाडु	71.1776
32.	त्रिपुरा	-
33.	उत्तर प्रदेश	3079.9508
34.	उत्तराखंड	23.574
35.	पश्चिम बंगाल	405.6423
	कुल	12327.27257

''सी.एफ.एल. सेक्टर में पारा प्रबंधन''

***247. श्री प्रेम दास रायः**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काम्पैक्ट फ्लूऑरेसन्ट लैम्पों (सी.एफ.एल.) में अत्यधिक पारा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सी.एफ.एल. सेक्टर में पर्यावरण अनुकूल बेहतर पारा प्रबंधन के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास पारे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उक्त लैम्पों के समुचित पुनर्चक्रण का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) से (च) कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्पस् (सीएफएल) में पारा का संक्रेदण पारा की मात्रा में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ''फ्लोरोसेंट लैम्पों में पारा का पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन'' पर एक नीति तैयार करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था। इस कार्य बल द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने ''फ्लोरोसेंट लैम्पस् सेक्टर में पर्यावरणीय ठोस पारा प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश'' तैयार किए थे। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न स्तरों पर जैसे निर्माता स्तर पर उत्तम प्रणालियां निर्धारित करना और पारा खपत, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, अपरिष्कृत पारा आसवन, स्थल पर भंडारण, पारा वाले अपशिष्टों का शोधन, पुनःचक्रण और निपटान, पारा बिखराव प्रबंधन से संबंधित पहलू शामिल हैं। उपभोक्ता स्तर पर उत्तम प्रणालियों में प्रयुक्त/टूटे लैम्पों का हथालन, प्रयुक्त फ्लोरोसेंट लैम्पों का संग्रहण, परिवहन, शोधन और निपटान से संबंधित उपभोक्ता जागरूकता शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के पुनःचक्रण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है ताकि फ्यूजड कॉम्मपेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्पस् (सीएफएल) और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट फटीएल) को इकट्ठा कर इनमें से पारे को निकाल कर इसे निक तौर पर सुरक्षित ढंग से पुनःचक्रित किया जा सके।

औषधीय पौधों और उत्पादों का पेटेन्ट

***248. श्री अनंत कुमारः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय विदेशी कंपनियों/संस्थानों को कुछेक स्वदेशी औषधीय पौधों और उत्पादों का पेटेन्ट प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों पर इसके संभावित प्रभाव का क्या मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों के हितों के संरक्षण तथा भारतीय धरोहर और परम्परागत ज्ञान के दोहन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा)ः (क) और (ख) औषधीय पौधों और औषधीय पौधों से प्राप्त उत्पाद, जो पारंपरिक ज्ञान है अथवा पारंपरिक रूप से ज्ञात या घटकों के ज्ञात गुणों का समुच्चय अथवा प्रतिरूप है, पेटेंट अधिनियम, 1970 की क्रमशः धारा 3 (त्र) और 3 (त) के अंतर्गत पेटेंट योग्य नहीं हैं। तथापि, औषधीय पौधों से प्राप्त उत्पादों में किए गए पर्याप्त सुधार के लिए, जो पेटेंट अधिनियम, 1970 में निर्धारित किए गए पेटेंटनीयता के मानदंडों को पूरा करते हैं, पेटेंट प्रदान किया जा सकता है। अब तक विदेशी कंपनियों को ऐसे दस (10) पेटेंट दिए जा चुके हैं। इनमें से, चार औषधीय पौधों से प्राप्त उत्पादों के लिए हैं जो भारत के लिए स्वदेशी हैं। स्वीकृत पेटेंटों वेफ ब्यौरे संलग्न विवरण दिए में दिए गए हैं। चूंकि स्वीकृत पेटेंट नये उत्पाद/प्रक्रियाएं हैं, इसलिए कंपनियों पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

(ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (त्र) और धारा (त) के अलावा, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ऐसे औषधीय पौधे अथवा उनके उत्पादों के लिए पेटेंट प्रदान नहीं किया जाए जिनमें पारंपरिक तौर पर ज्ञात घटक अथवा घटकों के गुण मौजूद हों, धारा 25 (1) (ट) और 25 (2) (ट) में किसी ऐसे आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान करने के विरूद्ध प्रदानगी पूर्व और प्रदानगी के बाद विरोध की व्यवस्था है जिसके दावों का पूर्वानुमान उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान से लगाया जा सकता है। इसके अलावा, पेटेंट अधिनियम की धारा 64 के तहत, उपलब्ध स्थानीय भाषा जिनसमें मौखिक भाषा भी शामिल है, द्वारा आविष्कार का अनुमान भी पेटेंटों को रद्द करने का एक आधार है।

आयुर्वेद, योग यूनानी, सिद्ध और होम्पोपैथिक (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से ऐसे आविष्कारों के लिए पेटेंट दिए जाने को रोकने के लिए जो भारत में पारंपरिक औषधीय ज्ञान हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) स्थापित की है। इस डेटाबेस में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग से संकलित मौजूदा साहित्य से लिया गया पारंपरिक औषधीय ज्ञान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रारूप में और पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। अतः यह डेटाबेस भाषा और प्रारूप की अड़चनों से मुक्त है और यह पेटेंट जांचकर्ताओं द्वारा जनता के पास पहले ही उपलब्ध जानकारी (प्रायर आर्ट) स्थापित करने हेतु ज्ञान को पहुंचगम्य और खोज योग्य बनाता है। प्रकट न करने की शर्त के आधार पर एक पहुंच अनुबंध के जरिए यूरोपियन पेटेंट ऑफिस (ईपीओ), भारतीय पेटेंट कार्यालय, जर्मन पेटेंट ऑफिस, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड मार्क्स ऑफिस, यूनाइटेड किंडम इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑफिस, कैनेडियन इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑफिस, आईपी आस्ट्रेलिया और जापान पेटेंट ऑफिस को टीकेडीएल उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

उपलब्ध देशज औषधीय उत्पादों पर विदेशी कंपनियों को प्रदत्त पेटेंट/एकस्व

क्र.सं.	पेटेंट सं.	शीर्षक	पेटेंटी	राष्ट्रीयता	भारतीय औषधीय वनस्पति
1	2	3	4	5	6
1.	248562	गैर उपचायक संवर्धक मिश्रण	लाइफलाईन न्यूट्रास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन	यू.एस.ए.	इस औषधीय मिश्रण में हल्दी वनस्पति का सत निहित है, जो भारतीय मूल का है।
2.	231692	पॉलेनोसिस, एलर्जिक नेफ्रिटिस, एटोपिक डर्मेटिटिस, अस्थमा अथवा यूर्टिकेरिया की रोकथाम या उपचार के लिए मिश्रण	मत्स्युरा याकुग्यो	जापान	इस मिश्रण में प्रयुक्त वनस्पति कुकुरविता मोश्चाता मूल रूप से या तो मध्य अमरीका या उत्तरी दक्षिण अमरीका से उदगमित है किंतु, भारत में भी व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। इस मिश्रण में प्रयुक्त दूसरी वनस्पति कार्थामस टिंक्टोरियस हैं जिसे भारत में उगाया जाता है।
3.	213308	पौषणिक संपूरक	दी क्विगले कॉर्पोरेशन	यू.एस.ए.	इस मिश्रण में हल्दी के पौधे का सत है, जो भारतीय मूल का है।
4.	190850	रजोनिवृत्ति संलक्षण प्रबंधन हेतु हर्बल फार्मेस्युटिकल कंजोजीशन तैयार करने की प्रक्रिया	यूनाइटेड ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड	हांगकांग (चीन)	इस कंपोज़ीशन में प्रयुक्त औषधीय वनस्पति टिनोस्योरा कॉर्डिफोलिया है, जो गुडुची के सामान्य नाम से जानी जाती है, भारत के उष्ण कटिबधीय क्षेत्रों के देश मेनिस्पर्मेसी प्रजाति का हर्बेसियस वाइन है।
5.	243564	विषाणु संक्रमण के इलाज के लिए जड़ी-बूटी-औषधि तैयार करने की प्रक्रिया	एसएजीई (सेज) आर एंड डी	यू.एस.ए.	चीन की जड़ी-बूटी की औषधियों से व्युत्पन्न कंपोज़ीशन एजिनेशिया इंडिका सक्रिय अवयव भारत में भी पाया जाता है।

1	2	3	4	5	6
6.	211690	मानव तथा पशुओं के लिए कंपोजीशन तैयार करने की प्रक्रिया	रोपाफार्म बी.वी.	नीदरलैंड	दावा किए गए कंपोज़ीशन में प्रयुक्त पहली वनस्पति सामग्री बल्गरे की एक सामान्य प्रजाति औरिगैनम वल्गरे है जो मिंट प्रजाति (लेमियासी) की प्रकृति की एक मरूवक किस्म है। यह उष्णतापीय पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिम यूरेशिया और भूमध्सागर का देशज है।
7.	242831	जीवाणुरोधी कंपोज़ीशन	द क्विगले कॉर्पोरेशन	यू.एस.ए.	इस कंपोज़ीशन में प्रयुक्त पहला अवयव सौंठ पाउडर का सत है जिसे स्वाद, दवा या मसाले के रूप में काम में लिया जाता है। सौंठ की खेती दक्षिण एशिया में शुरू की गई थी और उसके बाद यह पूर्वी अफ्रीका और कैरेबियन क्षेत्र तक फैल चुकी है।
8.	219874	पशु में विषाणु संक्रमण के इलाज में उपयोगी कंपोज़ीशन	एसएजीई (सेज) आर एंड डी	यू.एस.ए.	यह कंपोज़ीशन चीन की हर्बल औषधियों, औषधीय वनस्पतियों और उनके सत से व्युत्पन्न है। सक्रिय अवयव एजिनेशिया इंडिका जो भारत में भी पाया जाता है।
9.	221614	हर्बल इंजेक्शन और इसे बनाने की विधि	माओक्सियांग वांग	चीन	इस कंपोज़ीशन में प्रयुक्त वनस्पति सामग्री जीनस लेग्जरिस से है, जो डेज़ी प्रजाति के पुष्पीय पौधे हैं। इस वनस्पति का सक्रिय अवयव चीन की पारंपरिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। लेग्ज़रिस सांकीफोलिया भारत में भी पाया जाता है।
10.	200879	हृदय रोग के लिए	त्यान्जिन टेस्ली	चीन	इस कंपोज़ीशन में प्रयुक्त वनस्पति सामग्री साल्विया मिल्शियोरिज़ा है, जो रेड सेज, चाइनीज़ सेज, टेनशेन या डेनशेन के रूप में भी जाना जाता है। यह जीनस साल्विया की पेरेनियन वनस्पति है, जिसे चीन की औषधी में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चीन और जापान का देशज है।

विश्व व्यापार संगठन में बाजार पहुंच के मुद्दे

***249. श्री एंटो एंटोनी:**
श्री जोस के मणी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व व्यापार के साथ कम विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच, प्रशुल्क और व्यापार पर प्रभाव डालने वाली राजसहायता, कृषि की कार्यविधियां आदि जैसी अपनी चिंताएं उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में विश्व व्यापार संगठन के साथ की गई चर्चा के क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) एलडीसी बाजारों में बाजार पहुंच प्राप्त करने के बजाए अल्प विकसित देशों को उनके उत्पादों हेतु बाजार पहुंच प्रदान करके उन्हें सहायता की जानी है। तदनुसार भारत ने हांगकांग मंत्रिस्तरीय अधिदेश के अनुसार अल्प विकसित देशों हेतु 2008 में शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान स्कीम कार्यान्वित की है।

भारत, डब्ल्यूटीओ के अन्य अनेक सदस्य देशों के साथ कुछेक विकसित देशों द्वारा अपने-अपने कृषि क्षेत्र को दी गई वृहद सब्सिडियों में पर्याप्त एवं प्रभावी कमी करने की मांग करता रहा है, क्योंकि ये उत्पादन और वैश्विक व्यापार को विकृत करती हैं।

(ख) और (ग) डब्ल्यूटीओ के दोहा दौर की वार्ताएं अभी चल रही हैं। भारत ने निरंतर एक मजबूत नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है और यह दोहा दौर के संतुलित एवं विकासोन्मुख परिणाम हेतु प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना

***250. श्री पी. करूणाकरन:**
डॉ. रत्ना डे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वन क्षेत्र की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान देश में पेड़ों की अवैध कटाई में राज्य-वार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, जारी की गई और खर्च की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में वन क्षेत्र के संरक्षण तथा और अधिक वनरोपण के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित 'भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2009' के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वनावरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। मंत्रालय को देश में वृक्षों की अप्राधिकृत कटाई में हुई वृद्धि से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 2007-08 से 2009-10 तक वृक्षों की अप्राधिकृत कटाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वृक्षों की अप्राधिकृत कटाई के प्रमुख कारण टिम्बर के रूप में उपयोग और बिक्री, अप्राधिकृत खेती के लिए वन भूमि की सफाई और आग जलाने के लिए लकड़ी के उपयोग के लिए वृक्षों की कटाई करना है।

(घ) वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान वन प्रबंधन की तीव्रीकरण स्कीम (आईएफएमएस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वन संरक्षण अवसंरचना सुदृढ़ करने, अग्नि से सुरक्षा, वन सीमाओं का निर्धारण करने फ्रन्टलाइन स्टाफ के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, संचार इत्यादि के लिए सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) वन प्रबंधन की तीव्रीकरण स्कीम (आईएफएमएस) के अंतर्गत वन संरक्षण उपायों में सहायता देने के अलावा जैसा कि उपर्युक्त भाग (घ) में दर्शाया गया है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत देश में लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों और सटे हुए क्षेत्रों के पुनः सृजन हेतु राज्यों को निधियां प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षो (2008-2009 से 2010-11 तक) के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत राज्यों की जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अलावा, विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे वनों के संरक्षण और विकास हेतु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमएनआरईजीएस) और राज्य सकीमों में वनीकरण/वृक्षारोपण का संघटक है।

विवरण-I

भारत में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में वनावरण

(वर्ग कि.मी. क्षेत्र)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	वनावरण				जीए का %
		अत्यधिक सघन वन*	मध्यम सघन वन**	खुले वन***	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	275,069	820	24,757	19,525	45,102	16.40
अरुणाचल प्रदेश	83,743	20,858	31,556	14,939	67,353	80.43
असम	78,438	1,461	11,558	14,939	27,692	35.30
बिहार	94163	231	3,248	3,325	6,804	7.23
छत्तीसगढ़	135,191	4,162	35,038	16,670	55,870	41.33
दिल्ली	1,483	7	50	120	177	11.94
गोवा	3,702	511	624	1,016	2,151	58.10
गुजरात	196,022	376	5,249	8,995	14,620	7.46
हरियाणा	44,212	27	463	1,104	1,594	3.61
हिमाचल प्रदेश	55,673	3,224	6,383	5,061	14,668	26.35
जम्मू और कश्मीर	222,236	4,298	8,977	9,411	22,686	10.21
झारखंड	79,714	2,590	9,899	10,405	22.894	28.72
कर्नाटक	191,791	1,777	20,181	14,232	36,190	18.87
केरल	38,863	1,443	9,410	6,471	17,324	44.58
मध्य प्रदेश	308,245	6,647	35,007	36,046	77,700	25.21
महाराष्ट्र	307,713	8,739	20,834	21,077	50,650	16.46
मणिपुर	22,327	701	5,474	11,105	17,280	77.40
मेघालय	22,429	410	9,501	7,410	17,321	77.23
मिजोरम	21,081	134	6,251	12,855	19,240	91.27
नागालैंड	16,579	1.274	4,897	7,293	13,464	81.21

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	155,707	7,073	21,394	20,388	48,855	31.38
पंजाब	50,362	0	733	931	1,664	3.30
राजस्थान	342,239	72	4,450	11,514	16,036	4.69
सिक्किम	7,096	500	2,161	696	3,357	47.31
तमिलनाडु	130,058	2,926	10,216	10,196	23,338	17.94
त्रिपुरा	10,486	111	4,770	3,192	8,073	76.99
उत्तर प्रदेश	240,928	1,626	4,563	8,152	14,341	5.95
उत्तराखंड	53,483	4,762	14,165	5,568	24,495	45.80
पश्चिम बंगाल	88,752	2,987	4,644	5,363	12,994	14.64
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,762	2,405	495	6,662	80.76
चंडीगढ़	114	1	10	6	17	14.91
दादरा व नगर हवेली	491	0	114	97	211	42.97
दमन व दीव	112	.0	1	5	6	5.04
लक्षद्वीप	32	0	16	10	26	82.75
पुदुचेरी	480	0	13	31	44	9.14
कुल योग	3,287,263	83,510	319,012	288,377	690,899	21.02

* अत्यधिक सघन वन (वीडीएफ) 70%, से अधिक सघन आवरण वाला वन है।

** मध्यम सघन वन (एमडीएफ) 40-70% के बीच सघन आवरण वाला वन है।

*** खुला वन (ओएफ) 10-40% के बीच सघन आवरण वाला वन है।

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों (2007-2008, 2008-2009 और 2009-2010) में वृक्षों की अवैध कटाई की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24795	38492	28222
2.	गोवा	155	237	207

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	5825	5482	5585
4.	हरियाणा	4545	6317	-
5.	झारखंड	307	192	114
6.	कर्नाटक	3811	4077	2301
7.	ओडिशा	71922	6522	-
8.	राजस्थान	11217	11662	9879
9.	पश्चिम बंगाल	1067	1094	581
	पूर्वोत्तर राज्य			
10.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
	संघ राज्य क्षेत्र			
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	2
12.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
13.	लक्षद्वीप		शून्य	
14.	दिल्ली		शून्य	

विवरण-III

पिछले 3 वर्षों के दौरान आईएफएमएस के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 जारी की गई	2009-10 जारी की गई	2010-11 जारी की गई	2011-12 जारी की गई
1	2	3	4	5	6
	अन्य राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	270.00	-	136.94	0.00
2.	बिहार	93,614	117.445	118.77	-
3.	छत्तीसगढ़	463.695	460.07	368.33	430.41
4.	गोवा	27.366	24.567	25.00	-
5.	गुजरात	461.66	501.81	429.83	183.49

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	111.85	69,56	101.70	56.00
7.	हिमाचल प्रदेश	260.96	281.996	287.71	246.49
8.	जम्मू और कश्मीर	-	135.00	0.00	-
9.	झारखंड	276.622	260.14	150.95	270.98
10.	कर्नाटक	264.90	252.15	205.61	271.76
11.	केरल	467.00	490.99	257.16	136.03
12.	मध्य प्रदेश	565.50	715.027	379.69	521.87
13.	महाराष्ट्र	232.00	459.195	262.38	373.51
14.	ओडिशा	234.00	122.46	229.54	133.03
15.	पंजाब	134.28	74.13	76.49	-
16.	राजस्थान	150.408	149.98	103.76	161.15
17.	तमिलनाडु	389.68	-	143,99	245.48
18.	उत्तर प्रदेश	255.48	181.92	213.72	140.00
19.	उत्तराखंड	305.26	317.20	134.57	229.95
20.	पश्चिम बंगाल	337.65	262.36	173.12	50.86
	कुल	5301.925	4876.00	3799.26	3451.01
	पूर्वोत्तर और सिक्किम				
1.	असम	400.00	360.02	202.65	246.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	282.84	314.40	325.67	-
3.	मणिपुर	206.843	198.42	168.21	158.50
4.	मेघालय	189.00	165.62	121.64	161.26
5.	मिजोरम	410.373	300.63	349.79	100.80
6.	नागालैंड	222.479	274.05	183.51	-
7.	सिक्किम	273.79	286.43	259.33	107.31
8.	त्रिपुरा	156.00	138.15	188.81	34.65
	कुल	2141.325	2037.72	1799.61	809.16

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	12.00	26.22	30.36
2.	चंडीगढ़	-	-	60.26	34.46
3.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-
4.	दमन व दीव	18.1464	8.00	-	-
5.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
6.	नई दिल्ली	-	-	-	-
7.	पुदुचेरी	-	-	-	-
	कुल	18.1464	20.00	86.48	64.82
	कुल योग	7461.3964	6933.72	5685.35	4324.99

विवरण-IV

2008-09 से 2010-11 के दौरान एनएपी के अधीन निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.54	11.03	10.48	33.05
2.	बिहार	6.48	7.74	5.48	19.71
3.	छत्तीसगढ़	25.66	25.12	33.25	84.03
4.	गोवा	0.00	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	25.75	24.44	29.43	79.62
6.	हरियाणा	20.14	20.57	24.20	64.91
7.	हिमाचल प्रदेश	6.72	3.59	3.45	13.76
8.	जम्मू और कश्मीर	8.47	9.81	3.99	22.27
9.	झारखंड	26.32	21.06	8.73	56.12
10.	कर्नाटक	15.46	11.95	8.12	35.53

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	9.45	4.02	7.54	21.00
12.	मध्य प्रदेश	22.55	22.53	30.39	75.47
13.	महाराष्ट्र	21.87	20.53	16.17	58.57
14.	ओडिशा	21.63	8.82	11.20	41.65
15.	पंजाब	3.30	3.01	0	6.31
16.	राजस्थान	7.32	10.67	4.94	22.93
17.	तमिलनाडु	8.86	7.98	7.21	24.05
18.	उत्तर प्रदेश	30.80	30.20	21.33	82.32
19.	उत्तराखंड	9.24	7.00	4.47	20.71
20.	पश्चिम बंगाल	9.06	3.11	4.12	16.29
	कुल (अन्य राज्य)	290.62	253.17	234.50	778.29
21.	अरुणाचल प्रदेश	3.25	2.37	5.52	11.14
22.	असम	9.78	14.48	6.08	30.34
23.	मणिपुर	9.51	5.93	10.37	25.81
24.	मेघालय	4.69	2.21	8.79	15.69
25.	मिजोरम	13.61	17.27	12.21	43.10
26.	नागालैंड	6.64	10.67	10.11	27.42
27.	सिक्किम	6.63	8.86	11.99	27.48
28.	त्रिपुरा	0.89	3.20	10.43	14.52
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	55.00	65.00	75.49	195.49
	कुल योग	345.62	318.17	309.99	973.78

निर्यात और आयात में अनियमितताएं

***251. श्री ए. सम्पतः**
श्रीमती रमा देवीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दलहन सहित खाद्यान्नों के आयात और निर्यात में अनियमितताओं के कतिपय मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है और उक्त अनियमितताओं के परिणामस्वरूप वर्ष-वार कुल कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में दलहनों के मूल्यों में वृद्धि की आशंका से कतिपय मामलों में आयातकों ने गोदियों से आयातित दलहनों को उठाने में कथित रूप से विलम्ब किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं और शिकायतों की निगरानी के लिए बेहतर तंत्र बनाने एवं ऐसे मामले में शीघ्र समुचित एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों में दालों सहित खाद्यान्नों निर्यात एवं आयात में कोई बड़ी अनियमितता जानकारी में नहीं आई है। तथापि, अफ्रीका में कुछेक देशों को गैर-बासमती चावल के निर्यात के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुछेक शर्तो के उल्लंघन की जानकारी मिली है और आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, जो पत्तन संबंधी मामलों के लिए टैरिफ का निर्धारण करता है, ने दिनांक 25 अगस्त, 2009 तथा 22 सितम्बर, 2009 को चीनी एवं दालों के संबंध में शुल्क मुक्त अवधि से आगे भंडारण प्रभारों/लाइसेंस फीस में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु संशोधित टैरिफ अधिसूचित किया है। ये अधिसूचनाएं अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इसके जरिए पत्तन क्षेत्र में इन वस्तुओं के लम्बे समय तक भंडारण को हतोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

नैमित्तिक कामगार

***252. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्यमान कोई केन्द्रीय श्रम कानून नैमित्तिक कामगारों के नियोजन को विनियमित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार कुल कितने नैमित्तिक कामगार हैं;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में नैमित्तिक कामगारों की संख्या वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नैमित्तिक कामगारों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपाय शुरू किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषरूप से नैमित्तिक कामगारों के लिए कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं एवं गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नैमित्तिक अथवा मौसमी अथवा अंतरविरामी प्रकृति के कार्य हेतु नैमित्तिक कामगार लगाए जाते हैं। उन्हें भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की आवश्यकतानुसार लगाया जाता है। नैमित्तिक कामगारों के नियोजन को विनियमित करने हेतु अलग से कोई विधान नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने दिहाड़ी आधार पर नैमित्तिक कामगारों की भर्ती के मामले में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

(ग) से (ङ) नैमित्तिक कामगारों के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता।

(च) और (छ) सरकार ने भारत सरकार की नैमित्तिक श्रमिक (अस्थाई हैसियत प्रदान किया जाना तथा नियमितीकरण) योजना नामक योजना 1993 में प्रारंभ की थी। इस योजना के अनुसार उन सभी नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई माना जाएगा जो नियोजन में थे और जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा की है, जिसका आशय यह है कि उन्हें कम से कम 240 दिन (5 दिन के सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिन) की अवधि तक लगाया जा चुका है। अस्थाई हैसियत वाले नैमित्तिक कामगार निम्नलिखित लाभों के पात्र होंगे:

(i) तदनुरूप समूह 'घ' कर्मचारियों हेतु न्यूनतम वेतनमान के संदर्भ में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और शहरी प्रतिपूर्ति भत्ता सहित दैनिक दर पर मजदूरी।

(ii) सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए यथानुपात मजदूरी की गणना करने के लिए समूह 'घ' कर्मचारी के लिए लागू दर के समान ही वेतन वृद्धि संबंधी लाभों की गणना की जाएगी।

(iii) छुट्टी संबंधी पात्रता प्रत्येक 10 कार्य दिवसों हेतु एक दिन की दर पर यथानुपात आधार पर होगी, आकस्मिक अथवा किसी अन्य प्रकार की छुट्टी, मातृत्व छुट्टी को छोड़कर, स्वीकार्य नहीं होगी।

(iv) नैमित्तिक महिला श्रमिकों को नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य मातृत्व छुट्टी की तरह छुट्टी की अनुमति दी जाएगी।

(v) अस्थायी हैसियत के अंतर्गत प्रदान की गई 50% सेवा की गणना उनके नियमितीकरण के पश्चात सेवा-निवृत्ति संबंधी लाभों के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

(vi) अस्थाई हैसियत प्रदान किए जाने के पश्चात तीन वर्ष तक निरंतर सेवा करने के बाद, नैमित्तिक श्रमिकों को सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के प्रयोजनार्थ अस्थाई समूह 'घ' कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा, और वे अस्थाई समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों की तरह की त्यौहार अग्रिम/बाढ़-अग्रिम प्रदान किए जाने के लिए भी पात्र होंगे।

(vii) जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा तब तक वे नैमित्तिक श्रमिकों के लिए लागू दरों पर ही उत्पादकता से जुड़े बोनस/तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।

पत्तनों का विकास

***253. श्री राम सुन्दर दासः** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कतिपय पत्तनों सहित छोटे पत्तनों को विकसित किया है तथा आधुनिक बनाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान आबंटित, जारी तथा खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार एवं पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे पत्तनों के विकास तथा आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार छोटे पत्तनों के विकास के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) केन्द्रीय सरकार महापत्तन और राज्य सरकारें गैर महापत्तन विकसित रही है। विशेष रूप से तटीय पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई पत्तन विकसित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) तक प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

***254. श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व शीर्ष के अंतर्गत धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) योजना के तहत सीएसआर कार्यों के लिए निधियों का आबंटन लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। गत तीन वर्ष के दौरान इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आबंटित की गई निधियों और उनके उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं;

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटित निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां
2008-09	29010.92	22900.61
2009-10	17615.00	17702.20
2010-11	19949.75	14813.74
कुल	66575.67	55416.55

स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इसलिए निजी स्टील कंपनियों के संबंध में अपेक्षित आंकड़े/सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सीएसआर के तहत क्रियान्वित प्रमुख परियोजनाओं की प्रकृति जलापूर्ति की व्यवस्था, स्कूल भवनों के निर्माण, स्कूलों में शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति, विद्युत सुविधा, सौर प्रकारश व्यवस्था प्रणाली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई की सुविधाएं, स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं के पीडितों के लिए राहत, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना इत्यादि से संबंधित है। कुछेक परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और कुछ पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कुछ सीएसआर कार्य सतत् प्रक्रिया की प्रकृति वाले हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का कन्वर्जन

***255. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकरों से राजमार्गों को चार/छह/आठ लेन वाले राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है;

(ख) कर्नाटक सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार चार/छह/आठ लेन में परिवर्तित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है एवं उक्त अवधि के दौरान चार/छह/आठ लेन में परिवर्तित किए गए राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छ/आठ लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित चार/छः/आठ लेन में परिवर्तित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) चार/छः/आठ लेन बनाए जाने के लिए चल रही 212 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की अनुमानित लागत 147093.27 करोड़ रुपए बनती है और ये परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान चार/छः/आठ लेन बनाए जाने की 128 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं जिनकी लागत 39185.89 करोड़ रुपए रही।

विवरण-I

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान अर्थात् वर्ष 2008-09 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छः/आठ लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य/वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त और अनुमोदित प्रस्ताव (31-11-2011) की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	8	1
4.	दिल्ली	1	1
5.	गुजरात	15	10
6.	हरियाणा	18	10
7.	कर्नाटक	1	न
8.	मध्य प्रदेश	6	3
9.	महाराष्ट्र	1	0
10.	पंजाब	9	5
11.	राजस्थान	4	2
12.	उत्तर प्रदेश	7	1
13.	उत्तराखंड	3	2

विवरण-II

चार/छः/आठ लेन में परिवर्तित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (30-11-2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5, 7, 9, 1 8, 202 और 205
2.	अरुणाचल प्रदेश	52ए

1	2	3
3.	असम	31, 31सी, 36, 37 और 54
4.	बिहार	2, 19, 28, 30, 57, 77 और84
5.	छत्तीसगढ़	6 और 200
6.	दिल्ली	236
7.	गोवा	4। और 17
8.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15 और 59
9.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 22, 71 और 71।
10.	हिमाचल प्रदेश	1ए और 22
11.	जम्मू और कश्मीर	1ए
12.	झारखंड	2 और 33
13.	कर्नाटक	4, 4।, 7, 9, 13, 17, 48, 63 और 206
14.	केरल	17, 47 और 47सी
15.	मध्य प्रदेश	3, 7, 26, 26बी, 59, 69, 69।, 75 और 86
16.	महाराष्ट्र	3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 26बी और 69
17.	मेघालय	40 और 44
18.	ओडिशा	5, 6, 42, 203और 215
19.	पंजाब	1, 1ए, 15, 21, 22 और 95
20.	राजस्थान	3,8, 11, 12, 14, 15, 76, 79 और 79।
21.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7।, 45, 45बी, 46, 47, 49, 66, 67, 68 और 205
22.	उत्तराखंड	58, 72, 73 और 87
23.	उत्तर प्रदेश	2, 3, 24, 24बी, 25, 26, 28, 56, 56ए, 56बी, 58, 75, 91 और 235
24.	पश्चिम बंगाल	2,6, 31, 31सी, 34 और 41

पश्चिमी घाटों पर मीठे पानी की प्रजातियों का संरक्षण

***256. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः**
श्री नलिन कुमार कटीलः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर' द्वारा किए गए अध्ययन में खुलासा किया गया है कि पश्चिमी घाटों में मीठे पानी की कुछ प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण पता लगाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को संबंधित राज्य सरकारों से उस क्षेत्र में उक्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) क्या सरकार के पास इस जैव विविधता को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर (आईसीएन) ने 2010-2011 के दौरान पश्चिमी घाटो में ताजा जल जैव विविधता के रेड लिस्टिंग मूल्यांकन करवाए थे। मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 1,146 ताजा जल प्रजातियों, जिनका मूल्यांकन किया गया था, में से लगभग 16% प्रजातियों के विलुप्त हो जाने का खतरा है।

(ख) रेड लिस्टिंग मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि पश्चिमी घाटों में ताजा जल जैव विविधता को प्रभावित करने वाले मुख्य खतरों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) प्रदूषण

(ख) जैविकीय संसाधन उपयोग

(ग) आवासीय और वाणिज्यिक विकास

(घ) बांध और प्राकृतिक व्यवस्था में अन्य आशोधन

(ङ) कृषि और एक्वाकल्चर

(च) ऊर्जा उत्पादन और खनन

(ग) और (घ) पश्चिमी घाट क्षेत्र में राज्य सरकारों ने पश्चिमी घाट सहित वन्यजीव पर्यावासों हेतु वन्यजीव और उसके पर्यावास के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों से पश्चिमी घाटों में विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें जैवविविधता से समृद्ध क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

पश्चिम घाटों में ताजा जल प्रजातियों के सरंक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण उपचारात्मक कमदों में निम्नलिखि शामिल हैं:

(i) सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए पश्चिमी घाटों में 39 समूह स्थलों की पहचान की है।

(ii) प्रजातियों और उनके पर्यावास को संरक्षण प्रदान करने के लिए दुर्लभ और संकटापन्न प्रजायितों के पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(iii) 'सरंक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव संरक्षण' और ''अत्यधिक संकटपान्न प्रजातियों और पर्यावासों के लिए रिकवरी कार्यक्रम'' घटकों के अंतर्गत 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नमभूमि, झीलों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है और पश्चिमी घाटों में 18 नमभूमियों की पहचान की गई है।

(v) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर गैर-वानिकी कार्यकलापों का, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार विनियमन किया जाता है।

(vi) दुर्लभ और संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों को वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है और इस प्रकार उन्हें उच्चतम श्रेणी का संरक्षण प्रदान किया जाता है।

(vii) देश में जैविकीय संसाधनों के उपयोग का विनियमन जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2011-2012 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पश्चिमी घाटों में राज्य सरकारों को जारी की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2011-2012 के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता (लाख रु. में)
1.	वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास	1218.041
2.	बाघ परियोजना	2495.0751
3.	हाथी परियोजना	541.56
4.	राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम	183.695
	कुल	4438.3711

वस्त्र संबंधी अनुसंधान और विकास

***257. श्री मधु गौड़ यास्खीः**
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के 'स्पेशल पर्पज फैब्रिक टेक्नीकल टेक्सटाइल' और नॉन वुवन फैब्रिक के आयात में भारत और चीन का तुलनात्मक हिस्सा कितना है;

(ख) सरकार द्वारा अमरीका के आयात में भारतीय हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने चीन की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कोई व्यापक अनुसंधान और विकास नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बढ़ते हुए बाजार में पैठ बनाने के लिए देश की क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) तकनीकी वस्त्रों में अन्य बातों के साथ-साथ स्पेशल पर्पज फैब्रिक एवं नॉन वूवन फैब्रिक शामिल है। स्पेशल पर्पज फैब्रिक के लिए अक्तूबर 2011 को समाप्त वर्ष में अमरीका के आयातों में चीन का हिस्सा 17.99% और भारत का हिस्सा 1.79% था। नॉन वूवन फैब्रिक्स के मामले में अमरीका के आयातों में चीन का हिस्सा 24.44% और भारत का 6.4% था (स्रोतः अमरीकी वाणिज्य विभाग, वस्त्र एवं अपैरल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासनिक कार्यालय)

(ख) तकनीकी वस्त्रों के विकास को संवर्धित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें 2007-08 में शुरु की गई तकनीकी वस्त्र की वृद्धि एवं विकास संबंधी योजना (एसजीडीटीटी); 2010 से 2014 तक तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) आदि शामिल हैं।

(ग) तकनीकी वस्त्रों सहित भारतीय वस्त्रों के विकास को घरेलू रूप से एवं विदेशों में संवर्धित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी एक व्यापक नीति है। तथापि, विशेषकर चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई अनुसंधान एवं विकास नीति नहीं है।

(घ) वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को संवर्धित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत 11वीं योजना परिव्यय को 10.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 34.00 करोड़ रु. कर दिया गया था। तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मेडिटेक, जीओटेक, स्पोर्टटेक, कंपोजिट क्षेत्रों में 8 उत्कृष्ट केन्द्र (सीओई) स्थापित/उन्नत किए गए हैं। इसके अलावा, टीएमटीटी के तहत संविदा अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वायु प्रदूषण

***258. श्री आर. ध्रुवनारायणः**
श्री प्रताप सिंह बाजवाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महानगरों और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदूषण का नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न शहरों में प्रदूषण के कारण कितने व्यक्ति श्वसन संबंधी रोगों से पीड़ित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इन शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) रोग विज्ञान संबंधी कुछ अध्ययनों के

अनुसार, श्वसन एवं हृदय-संवहन संबंधी रोग आदि के प्रकटीकरण जैसे स्वास्थ्य से संबंधित प्रभावों का संबंध वायु प्रदूषण से हो सकता है। विभिन्न शहरों में प्रदूषण के कारण होने वाले श्वसन संबंधी विकार रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सांख्यिकीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रदूषण के उपशमन हेतु एक व्यापक नीति तैयार करना, उन्नत ऑटो-ईंधन की आपूर्ति, वाहन जनित एवं औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को सख्त बनाना, निर्दिष्ट उद्योगों हेतु अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी, नगरीय, खतरनाक तथा जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाना, प्रदूषण भार का मूल्यांकन, स्रोत विभाजन अध्ययन, प्रमुख नगरों एवं गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वियन जन-जागरूकता, आदि शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास

***259. श्री संजय धोत्रेः**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पूरे देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार झारखंड जैसे राज्यों जहां परती भूमि का बड़ा क्षेत्र मौजूद है, में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है जिनके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी तथा इनकी स्थापना से उस स्थानीय क्षेत्र के विकास में भी सुविधा हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि ', तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियम से पूर्व स्थापित सात केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) और बाहर राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेडो के अलावा नवम्बर, 2011 तक 582 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 382 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। कुल 148 एसईजेड पहले से ही निर्यात कर रहे हैं। एसईजेडों के राज्य-वार वितरण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजेड की स्थापना वस्तुओं का विनिर्माण करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा दोनों के लिए अथवा एक मुक्त व्यापार भांडागार जोन के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित ऐसे प्रस्तावों पर एसईजेडों के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। झारखंड सरकार की ओर से प्राप्त ऐसे एक प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अधिसूचित किया गया है। तथापि झारखंड सरकार द्वारा संस्तुत कोई नए प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) एसईजेडों हेतु अनुमत्य वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 में अंतर्निहित हैं। ये छूटें निर्यात हेतु प्रोत्साहनों के स्वरूप की होती हैं और सामान्य रूप से सरकार की निर्यात संवर्धन पहलों के मार्गदर्शी सिद्धांतों से संगत होती हैं। एसईजेडों में किया जाने वाला निवेश मुख्यतः निजी निवेश चालित होता है। देश में विभिन्न एसईजेडों के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) एसईजेड अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(i) अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों का सृजन

(ii) वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन

(iii) घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन

(iv) रोजगार अवसरों का सृजन

(v) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास

दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार एसईजेड ने 7,32,839 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया हैं एसईजेडों से वास्तविक निर्यातों में वर्ष 2009-10 में लगभग 2,20,711 करोड़ रुपए

की तुलना में वर्ष 2010-11 में लगभग 3,15,868 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जिसमें 43.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 30 सितम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार अर्थात चालू वित्त वर्ष के प्रथमार्द्ध में एसईजेडों से कुल वास्तविक निर्यात लगभग 1,76,478 करोड़ रुपए के रहे हैं जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समनुरूपी अवधि के निर्यातों की तुलना में 26.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार एसईजेडों में कुल निवेश नए अधिसूचित जोनों में 2,58,485 करोड़ रुपए सहित लगभग 2,77,259 करोड़ रुपए रहा है। स्वतः पद्धति से एसईजेडों में 100% एफडीआई की अनुमति है।

वाणिज्य विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन से पता चला है कि एसईजेड ने प्रत्यक्ष के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रोजगार, नए कार्यकलापों के उद्‌भव, खपत के ढंग और सामाजिक जीवन में परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि जैसी मानव विकास सुविधाओं के रूप में स्थानीय क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है।

विवरण

राज्यवार अनुमोदित एसईजेड

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	निर्यात करने वाले एसईजेड (केन्द्र सरकार + राज्य सरकार/निजी एसईजेड + अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	109	75	37
चंडीगढ़	2	2	1
छत्तीसगढ़	2	1	0
दिल्ली	3	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	2	1	0
गोवा	7	3	0
गुजरात	45	30	14
हरियाणा	47	36	3
झारखंड	1	1	0
कर्नाटक	60	38	20
केरल	28	20	6
मध्य प्रदेश	14	5	1
महाराष्ट्र	102	63	18
नागालैंड	2	1	0

1	2	3	4
ओडिशा	10	5	1
पुदुचेरी	1	0	0
पंजाब	8	2	0
राजस्थान	10	9	4
तमिलनाडु	71	57	30
उत्तर प्रदेश	34	21	8
उत्तराखंड	2	1	0
पश्चिम बंगाल	22	11	5
महायोग	582	382	148

[हिन्दी]

खुदरा बाजार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव

***260. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः**
श्री प्रदीप माझीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय और अन्य निगमित कंपनियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय खुदरा बाजार और छोटे दुकानदारों तथा व्यापारियों पर उक्त नीति के संभावित प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(ग) मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने संबंधी सरकारी निर्णय का छोटे दुकानदारों और व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) किन-किन बहुराष्ट्रीय के भारतीय खुदरा व्यापार में प्रवेश करने की संभावना है तथा इन कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश जाएगा और इन कंपनियों द्वारा किए जाने वाले विपणन क्रियाकलापों को विनियमित करने हेतु बनाए गए विनियमनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी वर्षों में देश में निर्माण क्षेत्र में रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों के उक्त नीति के कारण रोजगार का कितना सृजन होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। लेकिन विभिन्न अंशधारकों के बीच व्यापक सहमति तैयार करने के दृष्टि से यह निर्णय स्थगित किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने "संगठित खुदरा व्यापार का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव" विषय पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआईआर) के जरिए एक अध्ययन करवाया था, जिसे वर्ष 2008 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इस अध्ययन में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि संगठित खुदरा व्यापार का मध्यवर्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा संगठित खुदरा व्यापारियों (रीटेलर्स) के प्रवेश की वजह से असंगठित क्षेत्र में समग्र रोजगार में कोई गिरावट आई है।

चीन, थाइलैंड, रूस और इंडोनेशिया और देशों की अर्थव्यवस्थाएं मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देती है। आईसीआरईआर के अध्ययन में यह बात सामने आई कि इंडोनेशिया में, सुपरमार्केटों के उभरने के अनेक वर्षों बाद भी ताजे खाद्यों का 90 प्रतिशत तथा समस्त खाद्यों का 70 प्रतिशत अभी भी पारंपरिक खुदरा व्यापारियों द्वारा नियंत्रित है।

(घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा "मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" पर वर्ष 2010 में जारी किए गए चर्चा-पत्र के प्रत्युत्तर में कुछ कंपिनयों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं। उदारीकृत आर्थिक वातावरण में निवेश संबंधी निर्णय,

वृहत्त-आर्थिक नीति संबंधी ढांचे, मेज बान देश में मौजूद, निवेश वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय निगमों की निवेश नीतियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिफलों पर आधारित होते हैं। अतः भारतीय खुदरा व्यापार क्षेत्र में जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए जाने की संभावना है उनके नामों के बारे में तथा निवेश की राशि के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है।

इस नीतिगत निर्णय में अंतर्निहित सुरक्षोपाय निम्न प्रकार हैं:

(i) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाए;

(ii) ताजे कृषि उत्पाद, जिनमें फल, सब्जियां, फूल, अनाज, दालें, ताजा पोल्ट्री, मछली और मांस उत्पाद शामिल हैं, बिना ब्रांड के हो सकते हैं।

(iii) विदेशी निवेशक द्वारा एफडीआई के तौर पर लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी।

(iv) लाए जाने वाले कुल एफडीआई का न्यूनतम 50 प्रतिशत 'बैंक एंड बुनियादी सुविधाओं' में निवेश किया जाएगा, जहां 'बैंक एंड बुनियादी सुविधाओं' में सभी कार्यकलापों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, सिवाए फ्रंट एंड इकाइयों पर किए गए पूंजी व्यय के; उदाहरण के लिए बैक एंड बुनियादी सुविधाओं में शामिल होगा प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, संभारतंत्र (लॉजिस्टिक्स), भंडारण, वेयरहाउस, कृषि बाजार उत्पाद अवसंरचना आदि पर किया गया निवेश। भूमि की लागत और किरायों पर किया गया व्यय, यदि कोई हो, को बैक एंड बुनियादी सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

(v) विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद का न्यूनतम 30 प्रतिशत 'लघु उद्योगों' से खरीदा जाएगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगा। यह मूल्य स्थापना के समय के मूल्य को बताता है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय यह मूल्य पर हो जाता है, तो उद्योग इस प्रयोजन हेतु 'लघु उद्योग' के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) उपर्युक्त क्रम संत्र (iii), (iv) और (v) में दी गई शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन, जिन्हें आवश्यकता होने पर दुबारा जांचा जा सकता है। तदनुसार, निवेशकों को वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखाओं का रखरखाव करना होगा।

(vii) खुदरा बिक्री स्थलों की स्थापना केवल उन शहरों में की जा सकती हैं जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है और ऐसे शहरों की नगरपालिका/शहरी संकुलन के आसपास के 10 किमी. क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है; संबंधित शहरों की मास्टर/जोनल योजनाओं के अनुसार खुदरा सदृश क्षेत्रों तक प्रतिबंधित किए जाएंगे और अपेक्षित सुविधाओं जैसे कि परिवहन संपर्क और पार्किंग के लिए प्रावधान किए जाएंगे;

(viii) कृषि उत्पादों को खरीदने का प्रथम अधिकार सरकार का होगा।

(ङ) वर्ष 2008 में आईसीआरआईईआर द्वारा "असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव" विषय पर किए गए अध्ययन के अनुसाप पांच वर्षो के भीतर संगठित खुदरा व्यापार द्वारा लगभग 1.7 मिलियन नौकरियां सृजित किए जाने की संभावना थी। इसके अलावा, संगठित खुदरा व्यापार कारोबार में सहायता हेतु प्रत्याशित रूप से निर्मित होने वाली आपूर्ति चेन के परिणामस्वरूप भी उल्लेखनीय मात्रा में रोज गार सृजित होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

पुलों का निर्माण

2761. श्री विष्णु पद रायः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रा.रा.-223 से सम्पूर्ण डीपीआर को अलग करके एक पृथक परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मिडल स्ट्रेट और हम्फ्री स्ट्रेट में पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पुलों का निर्माण कब तक आरंभ होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं। मिडल स्ट्रेट और हम्फ्री स्ट्रेट में पुलों सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रा.रा.-223 के पोर्टब्लेयर-मायाबंदर-डिगलीपुर खंड (किमी 0 से किमी 61, किमी 104 से किमी 142 औरी किमी 155 से किमी 333) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

तथापि, डीपीआर परामर्शदाता को मुख्य रिपोर्ट में पुलों की विस्तृत डिजाइन और लागत प्राक्कलन रिपोर्टें अलग-अलग खंड के अंतर्गत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इन पुलों की रिपोर्ट को मुख्य रिपोर्ट से अलग करके केवल पुल खंड पर प्राथमिकता से कार्रवाई, यदि आवश्यक हो तो, की जा सके।

(ग) चूंकि उपर्युक्त खंड को विश्व बैंक से ऋण सहायता की पहली किस्त के अंतर्गत शुरू करने के लिए अलग नहीं किया गया है इसलिए कोई निश्चित समय सीमा पता पाना संभव नहीं है।

पत्तन संबंधी कार्यकलापों हेतु एमएनसी को अनुमति

2762. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विदेशी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को देश में पत्तन संबंधी कार्यकलाप चलाने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से देश की रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाओं के अन्य देशों को पता लगने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो एमएनसी को पत्तन परियोजनाओं का कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) पत्तनों की क्षमता बढ़ाने और पत्तन उपकरणों इत्यादि के आधुनिकीकरण में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसीएस) सहित निजी भागीदारी को अनुमति तथा बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर, 1996 में महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए। तद्नुसार, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय पूंजी, प्रौद्योगिकी और दक्षता की पूरक व्यवस्था करने हेतु पत्तन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

(ग) जी, नहीं। सभी महापत्तनों की पत्तन परियोजनाओं के लिए सभी बोलीदाताओं के संबंध में, रक्षा मंत्रालय सहित सभी संबंधित सुरक्षा अभिकरणों से सुरक्षा अनापत्ति ली जानी होती है और पत्तन क्षेत्र की परियोजनाओं में केवल उन्हीं बोलीदाताओं की बोलियों पर विचार किया जाता है, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चावल का निर्यात

2763. श्री असादूद्दीन ओवेसीः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजनयिक स्तरों पर नेपाल, श्रीलंका और बांगलादेश को चावल का निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन देशों को निर्यात करने हेतु चावल की कुल कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार को इंडोनेशिया से भी इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल देश में घरेलू उपभोग हेतु पर्याप्त स्टाक रखने के पश्चात् ही चावल का निर्यात किया जाए, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैः

देश का नाम	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या	गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुमत्य मात्रा (टनों में)	शामिल एजेंसी
नेपाल	33/2009-2014 दिनांक 03.03.2010	25,000	एमएमटीसी
श्रीलंका	-वही-	20,000	पीईसी लि.
बांगलादेश	दिनांक 10.02.2011 की अधिसूचना संख्या 20 (आरई-2010) 2009-2014 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 30.8.2010 की अधिसूचना संख्या 03 (आरई-2010)/2009-2014	30,00,000	एसटीसी और पीईसी

(ग) इंडोनेशिया की सरकार ने भारत से 5 लाख टन चावल की खरीद करने के लिए सरकार से सरकार के साथ (जी2जी) एमओयू करने के लिए जकार्ता में भारतीय मिशन से सिफारिश की है।

(घ) इस समय गैर-बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमत्य है। डिप्लोमेटिक आधार पर इंडोनेशिया को चावल का निर्यात करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) दिनांक 01.11.2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल के स्टॉक की स्थिति 260.83 लाख टन है और 1 अक्तूबर, 2012 को चावल का अनुमानित अथशेष 72 लाख टन के बफर मानदंडों और कार्यनीतिक आरक्षित की तुलना में 202.75 लाख टन रहने की संभावना है। यह स्टॉक अगले मौसम तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चावल के घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन

2764. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कान्कुन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बेसिक देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) द्वारा भारत की भूमिका की सराहना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वैश्विक पर्यावरणीय परिदृश्य में भारत की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में क्या समझौता हुआ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की स्थिति साम्यता के सिद्धांत और पक्षकारों के "सामूहिक किन्तु पृथक उत्तरदायित्वों एवं उनकी क्षमताओं" में निहित है जैसा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी यूनाईटेड नेंशल फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) रयोटो प्रोटोकॉल और बाली कार्य योजना में दिया गया है। कान्कुन, मेक्सिको में अयोजित यूएनएफसीसीसी के पक्षकरों की 16वीं कान्फ्रेंस (सीओपी-16) के दौरान, भारत ने बाली रोड मैप के अनुसार निर्णयों के संतुलित और व्यापक समूह सृजित करने हेतु बेसिक देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के मध्य अन्य बातों साथ-साथ समन्वित भूमिका निभाई।

(ग) सीओपी-16 ने जलवायु परिवर्तन के सभी मुद्दों पर चर्चा की और निर्णयों के एक पैकेज को अपनाया जिसे कान्कुन करार का नाम दिया गया। कान्कुन निर्णयों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) यह करार विकसित और विकासशील देशों को अपनी संबंधित न्यूनीकरण वचनबद्धताओं/शपथों और कार्यों की समान्तर रिपोर्टिंग के माध्यम से वैश्विक सहयोग कार्य करने की अनुमति देना है;

(ii) विकसित देशों की न्यूनीकरण प्रतिबद्धताएं और विकासशील देशों के स्वैच्छिक न्यूनीकरण कार्य इस निर्णय के साथ संलग्न एवं पृथक दस्तावेजों में दर्ज किए गए हैं;

(iii) कान्कुन वचनबद्धताओं में यथा व्यक्त विकसित देशों के उत्सर्जन कटौती के महत्वाकांक्षी स्तर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में अपेक्षित प्रक्षेपणों से कम है;

(iv) विकासशील देश, कान्कुन में, लचीली प्रवृति के तहत् 'अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण' के माध्यम से अपने न्यूनीकरण कार्यों की पारदर्शी व्यवस्था को अपनाने पर सहमत हो गए जबकि ऐसा कदम बाली कार्य योजना के अंतर्गत अधिदेशित नहीं था। पारदर्शिता की एक व्यवस्था, सभी देशों द्वारा न्यूनीकरण लक्ष्यों और कार्यों की सामूहिक रिर्पोटिंग मौजूदा जलवायु व्यवस्था में एक प्रमुख नये कदम का प्रतिनिधित्व करता है;

(v) क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित देशों के लिए वचनबद्धता अवधि के लिए कोई करार नहीं था;

(vi) कानूनी रूप से बाह्य करार के लिए कोई करार नहीं था, यद्यपि दीर्घकालीन सहकारी कार्य संबंधी तदर्थ कार्यकारी समूह ने कानूनी विकल्पों पर विचार-विमर्श करने का कार्य जारी रखा ताकि एक सहमत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके;

(vii) हरित जलवायु निधि अनुकूलन फ्रेमवर्क और प्रौद्योगिकी कार्यतंत्र की स्थापना के लिए भी निर्णय लिए गए थे;

(viii) वर्ष 2015 तक जलवायु स्थिरीकरण के वैश्विक लक्ष्य की समीक्षा के लिए एक समीक्षा प्रक्रिया अधिदेशित की गई है।

संयुक्त नौसना अभियान

2765. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूस ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभियान को रद्द कर दिया है जिसके कारण भारत को काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इस मामले को रूसी प्राधिकारियों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के एंटनी): (क) से (ङ) इन्द्रा नामक भारत-रूस संयुक्त अभ्यास वर्ष 2003 से प्रत्येक दो वर्षो में एक बार आयोजित किया जाता है। भारतीय तथा रूसी नौसेनाएं आपसी सहूलियत की तारीखों के आधार पर इन्द्रा अभ्यास आयोजित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करते हैं। भारतीय नौसेना ने 11 फरवरी को ब्लाडीवोस्तक (रूस के उत्तरी तट) के पास इंद्रा 11 आयोजित करने का प्रस्ताव किया था और रूसी नौसेना ने उस पर अपनी सहमति सूचित की थी। तथापि, जापान में सुनामी और परमाणु विकिरण आपदा के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह अभ्यास स्थगित कर दिया गया था। चूंकि भारतीय पोत अपने रूटीन समुद्रपार तैनाती पर थे, अतः कोई हानि नहीं हुई। भावी कार्रवाई दोनों पक्षों की आपसी सहूलियत पर निर्भर करेगी।

डीईपीबी योजना को वापस लिया जाना

2766. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शुल्क पात्रता पास बुक (डीईपीबी) योजना को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यातकों के लाभ हेतु डीईपीबी योजना के स्थान पर घोषित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। 01.10.2011 से सरकार ने डीईपीबी योजना को वापस ले लिया है। यह निर्णय लिया गया कि संशोधित शुल्क वापसी दर को उन मदों तक बढ़ाया गया है जो डीईपीबी योजना में थी। वर्ष 2011-12 के लिए शुल्क वापसी योजना जो 20.09.2011 को घोषित की गई थी, में 1096 नई मदें हैं।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

2767. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को घटिया स्तर पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश का इस्पात उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और यह वैश्विक स्तर पर कोई छाप छोड़ने में समर्थ नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति की समीक्षा करने का है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) वर्ष 2010-11 के दौरान देश में लौह अयस्क के 208.11 मिलियन टन कुल आंकलित उत्पादन में से 97.66 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया। कुल निर्यात में से केवल 2.93 मिलियन टन लौह अयस्क (लगभग 3 प्रतिशत) उच्च गुणवत्ता का था (64 प्रतिशत और उससे अधिक लोहांश के साथ)। वर्ष 2010-11 के दौरान लौह अयस्क की कुल घरेलू खपत (निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को शामिल करते हुए) 111.4 मिलियन टन आंकलित की गई। देश में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू लौह और इस्पात उद्योग द्वारा लौह अयस्क की खपत का लगभग दुगुना है। इसलिए यह घरेलू लौह एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) इस्पात मंत्रालय का मत है लौह अयस्क के एक गैर-नवीकरण प्राकृतिक संसाधन होने के कारण घरेलू इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक

उपयोग हेतु इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार ने निश्चय किया है कि देश के लौह आयस्क के संसाधनों का संरक्षण लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध अथवा नियंत्रण के जरिए न करके बल्कि उपयुक्त राजकोषीय उपायों के द्वारा किया जाना चाहिए। वर्तमान में लौह अयस्क की सभी ग्रेडों और वेरायटियों (पिलेट्स को छोड़कर) पर यथामूल्य 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क वसूला जाता है।

[अनुवाद]

भारत में आईआईएफटी

2768. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) उपरोक्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में तमिलनाडु सहित पूरे देश में ऐसे और संस्थानों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संस्थानों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) दिल्ली और कोलकाता में स्थित है।

(ख) आईआईएफटी द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु सहित देश भर में संस्थान स्थापित करने के लिए वाणिज्य विभाग के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आईआईएफटी द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की सूची

1. नई दिल्ली में पी.एच.डी. कार्यक्रम
2. नई दिल्ली एवं कोलकाता में दो वर्षीय एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार)
3. नई दिल्ली एवं कोलकाता में तीन वर्षीय एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) (अंशकालिक)
4. दार-ए-सलाम तंजानिया में दो वर्षीय एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) अंशकालिक)
5. नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा
6. देश के विभिन्न शहरों में (वीएसएटी के जनिए) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7. नई दिल्ली में औद्योगिक विपणन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा
8. नई दिल्ली में पूजीं एवं वित्तीय विपणन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा
9. देश के विभिन्न शहरों में (वीएसएटी के जरिए) युवा प्रबंधकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
10. नई दिल्ली और कोलकाता में निर्यात प्रबंधन पर प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
11. नई दिल्ली में पूंजी वित्तीय विपणन पर प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
12. नई दिल्ली में ग्लोबल ट्रेड लोजिस्टिक्स एंड आपरेशन्स पर प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
13. नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भाषा में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

[हिन्दी]

भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत पेंशन

2769. श्री देवजी एम. पटेलः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 धारा 6क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 बनाई। यह योजना अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति पर सदस्यों को पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सदस्य/सदस्य पेंशनभोगी के देहांत की स्थिति में, योजना में निहित उपबंधों के अनुसार पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं विधवा और बच्चों/अनाथ/नामिती/आश्रित माता-पिता को भी दी जाती है।

योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं का भुगतान कर्मचारी पेंशन निधि में से किया जाता है जिसमें 6500 रुपये की मजदूरी सीमा के अध्यधीन नियोक्ता और केन्द्रीय सरकार क्रमशः मजदूरी के 8.33% और 1.16% की दर से अंशदान करते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने पेंशन के संशोधन सहित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समग्र पुनरीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत की और समिति की सिफारिशें 15 सितम्बर, 2010 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [सीबीटी (ईपीएफ)], के समक्ष विचारार्थ रखी गई थी। सीबीटी (ईपीएफ) ने निदेश दिया कि रिपोर्ट पर पहले पेंशन कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा विचार किया जाए। पीआईसी ने अब अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सीबीटी (ईपीएफ) के समक्ष रखने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मामले में इसकी आगामी बैठक में अंतिम निर्णय लेने हेतु भेज दिया है।

रेल उपरि पुल और रेल अधोगामी पुल

2770. श्री यशवंत लागुरीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुबंध संबंधी समस्याओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरि पुल और अधोगामी पुलों (आरओबी/आरयूबी) के कार्य में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित समय से पीछे चल रहे ऐसे आरओबी/आरयूबी का राज्य-वार/राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त आरओबी/आरयूबी का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ रेल उपरि पुलों और रेल अधोगामी पुलों से संबंधित निर्माण कार्य लंबित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने लंबित आरओबी/आरयूबी का कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरि पुलों और रेल अधो-पुलों जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभागों और सीमा संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच संविदात्मक समस्याओं की वजह से निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहे हैं, के कार्यों (राज्य-वार/राष्ट्रीय राजमार्ग वार) और उनको शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रेल उपरि पुलों और रेल अधो-पुलों के निर्माण के लंबित कार्य का अवस्थिति-वार ब्यौरा और उनको शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक-III पर दिया गया है।

विवरण-I

राज्य	रारा सं.	अवस्थिति	कार्य की वर्तमान स्थिति	आरओबी/आरयूबी को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा
केरल	17	437/375 (इडापल्ली आरओबी)	कार्य प्रगति पर	जिस संविदा में चूक हुई उसे समाप्त कर दिया गया और मूल ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य पुनर्व्यस्थित किया गया।

विवरण-II

राज्य	रारा सं.	अवस्थिति	कार्य की वर्तमान स्थिति	आरओबी/आरयूबी को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा
ओडिशा	5	रांभा बाईपास पर आरओबी (पैकेज-ओआर-vii)	निर्माण कार्य प्रगति पर	
ओडिशा	5	आरयूबी (पैकेज-ओआर-viii)	कार्य अभी शुरू किया जाना है	
उत्तर प्रदेश	25	उन्नाव में आरओबी (लखनऊ-कानपुर खंड)	निर्माण कार्य प्रगति पर	
उत्तर प्रदेश	56	लखनऊ बाईपास के दिलकुशा-मल्हौर में आरओबी	निर्माण कार्य प्रगति पर	

विवरण-III

आरओबी/आरयूबी का विवरण तथा इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई

राज्य	रारा सं.	खंड	अवस्थिति (किमी में)	आरओबी/आरयूबी का विवरण	आरओबी/आरयूबी को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
ओडिशा	203	भुवनेश्वर-पुरी	48.455	समजाजपुर आरओबी	रियायतग्राही ने उपलब्ध खंडों पर कार्य शुरू कर दिया है। विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन पूर्वी तटवर्ती रेलवे को अनुमोदन के लिए भेज दिए गए हैं। अनुमोदन प्राप्त होने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
	5	भुवनेश्वर-चांडीखोल	278.34	आरओबी	पूर्वी तटवर्ती रेलवे मुख्यालय में जीएडी का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
	5	कोलकाता-चेन्नै (ओआर-	297.154	नया छह लेन का आरओबी, ठेका पैकेज ओआर vii के अधीन	10.08.2011 को सीआरएस प्रदान किया गया, यातायात रोध समय-सारणी रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई है। तथापि, पूर्वी तटवर्ती रेलवे से पुल की डाट शुरू करने के लिए अंतिम अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

1	2	3	4	5	6
	5	कोलकाता-चेन्नै (ओआर-viii)	271.975	छतपुर रेलवे स्टेशन से किमी 11.978 पर नया दो लेन का आरयूबी ठेका पैकेज ओआर VII	प्रस्तावित सड़क से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन मै. इंडियन रेयर अर्थ्स लि. (आईआरईएल) की है। रेलवे लाइन को उखाड़ा जाना है और चार महीने के लिए रेल संचालन बंद किया जाना है ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आरयूबी का निर्माण कार्य शुरू कर सके। परंतु, आईआरईएल ने आज तक विल्लंगम मुक्त स्थल नहीं सौंपा है। उपर्युक्त कारण से "कट ओपेन बॉक्स पुशिंग विधि" से कार्य शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया है। अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा और उसको पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल, 2012 है।
ओडिशा	6	संबलपुर-बारगढ़-लहुराचट्टी (किमी0/0 से किमी 88/0)	11.4	हीराकुड और गोदभागा पर आरओबी	रेलवे में संशोधित जीएडी पर काम चल रहा है।
	6	संबलपुर-बरगढ़-लहुराचट्टी (किमी0/0 से किमी 88/0)	0.454	बारगढ़ बाईपास आरओबी	रियायतग्राही ने निर्माण-पूर्व कार्य-कलाप शुरू कर दिए हैं। रेलवे में संशोधित जीएडी पर काम चल रहा है।
	6	संबलपुर-बरगढ़-लहुराचट्टी (किमी0/0 से मिकी 88/0)	46.6	बारगढ़ बाईपास आरबोबी	रेलवे में संशोधित जीएडी पर काम चल रहा है।
	215	रिमूली-रॉक्सी-राजमुंडा (किमी 163/0 से किमी 269/0	182.579	जोडा आरओबी (मौजूदा आरयूबी	रियायतग्राही ने निर्माण-पूर्व कार्य-कलाप शुरू कर दिए हैं। रेलवे में संशोधित जीएडी पर काम चल रहा है।
	215	रिमूमी-रॉक्सी-राजमुंडा (किमी 163/0 से किमी 269/0)	235.108	रोक्सी आरओबी	रियायतग्राही ने निर्माण-पूर्व कार्य-कलाप शुरू कर दिए हैं। रेलवे द्वारा जीएडी अनुमोदित किया गया है।
	215	रिमूली-रॉक्सी-राजमुडा (किमी 163/0 से किमी 269/0)	246.258	बिमलगढ़ आरओबी (मौजूदा आरयूबी)	रियायतग्राही ने निर्माण-पूर्व कार्य-कलाप शुरू कर दिए हैं। रेलवे द्वारा जीएडी अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड

2771. श्री नवीन जिन्दलः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) और उसके सदस्यों को पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईपीएबी के अध्य ने आईपीएबी की स्वतंत्रता के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार की आईपीएबी की जिम्मेदारी विधि और न्याय मंत्रालय को सौंपने की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) को प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) संबंधी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत सितम्बर, 2003 से स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है। अपीलीय बोर्ड की स्थापना, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलीय बोर्ड की संरचना; चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अथवा अन्य सदस्यों के तौर पर नियुक्ति हेतु योग्यता एवं चेयरमैन का कार्यकाल, व्यापार चिन्ह अधिनियम के अध्याय-XI द्वारा तय होते हैं। अतः बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) अपने कार्यो में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से स्वतंत्र है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की भूमिका बजटीय प्रावधानों तथा आवश्यक अवसंरचनात्मक सहायता के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

(ङ) और (च) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की जिम्मेवारी विधि और न्याय मंत्रालय को हस्तांतरित करने के संबंध में इस विभाग को अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को उनके कार्यालय प्रयोजन हेतु चेन्नई में गुना काम्पलेक्स में 5,500 वर्ग फुट क्षेत्रफल उपलब्ध कराया गया है। हाल ही में, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का मौजूदा स्थान के अतिरिक्त, 8000 वर्ग फुट और जगह उपलब्ध कराई गई है।

(ii) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को सचिवालय सहायता/संभार-तंत्र सहायता हेतु इस विभाग द्वारा आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की समूह-वार स्वीकृत संख्या और पदधारिता की स्थिति नीचे दी गई है:-

समूह	स्वीकृत संख्या	पदधारिता स्थिति
क	1	1
ख	8	6
ग	11	8
घ	6	5

(iii) वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में 2.53 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन के जरिए 10 लाख रुपए की और राशि उपलब्ध कराई गई है ताकि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड अपने कार्यालय परिसर हेतु किराए के भुगतान की तत्काल आवश्यकता को पूरा कर सके।

एनएमडीसी

2772. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) सभी अयस्क आधारित उद्योगों को लौह अयस्क का एक मात्र आपूर्तिकर्ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएमडीसी से अयस्क की आपूर्ति घरेलू उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने घरेलू उद्योगों को अयस्क की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2010-11 के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड ने 25.15 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया जो देश में लौह अयस्क के कुल आंकलित उत्पादन 208.11 मिलियन टन का लगभग 12 प्रतिशत है।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान घरेलू उद्योगों द्वारा 111.4 मिलियन टन लौह अयस्क की खपत की गई जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान देश में लौह अयस्क का कुल उत्पादन 208.11 मिलियन टन आंकलित था। वर्ष 2010-11 के दौरान एनएमडीसी ने घरेलू उद्योगों को 23.75 मिलियन टन लौह अयस्क की आपूर्ति की जो घरेलू उद्योग द्वारा लौह अयस्क की आकलित खपत का लगभग 21 प्रतिशत है। घरेलू उद्योगों द्वारा लौह अयस्क की शेष आवश्यकता को निजी लौह अयस्क खानों अथवा अन्य लौह अयस्क उत्पादकों द्वारा आपूर्ति के जरिए पूरा किया जाता है।

(घ) लौह अयस्क के नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण इसकी आपूर्ति अलग-अलग कंपनियों द्वारा उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। तथापि, एनएमडीसी नई लौह अयस्क खानें खोलने और वर्तमान लौह अयस्क की खानों की क्षमता में विस्तार के जरिए लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है।

ओडिशा में स्पंज आयरन फैक्ट्री

2773. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा के मयूरभंज जिले के बामनघाटी अनुमंडल में भारी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला लौह अयस्क मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जिले में स्पंज आयरन फैक्ट्री की स्थापना करने और इस पिछड़े क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) नेशनल मिनरल इंवेंटरी के अनुसार 1.4.2010 की स्थिति (अनंतिम) के अनुसार, ओडिशा के मयूरभंज जिले में बामनघाटी तालुक में मध्यम से उच्च ग्रेड के लौह अयस्क (हेमेटाइट) के रिजर्व/संसाधन हजार 25.803 टन हैं।

(ग) स्पंज आयरन सहत इस्पात उद्योग के नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र में होने के कारण स्पंज आयरन फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में निर्णय निवेशकों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं और इसमें सरकार की भूमिका सुविधादाता की है।

सबरीमाला पुल

2774. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेना के मद्रास इंजीनियर ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे सबरीमाला के बेली पुल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना पर कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(ग) उत्सव अवधि के दौरान चिकित्सा सुविधाओं सहित विकसित की जा रही/प्रस्तावित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के एंटनी): (क) सेना द्वारा बनाया गया पुल केरल राज्य सरकार को दिनांक 17.10.2011 को सौंप दिया गया था।

(ख) लगभग 75 लाख रुपए की लागत वाले इस पुल पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से उनके उत्पादन एजेंसियों को आपूर्ति आदेश दिए जाने पर कर ली जाएगी।

(ग) उत्सव अवधि के दौरान सुविधाएं केरल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

मानव केश का निर्यात

2775. श्री बदरूद्दीन अजमलः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मानव केश की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मूल्य-वार देश-वार कुल कितनी मात्रा में मानव केश का निर्माण किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा देश में मानव केश के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2010 के दौरान मानव केशों का वैश्विक आयात 1339.00 मिलियन अम. डॉलर का हुआ था, जिसकी तुलना में भारत से निर्यात 193.90 मिलियन अम. डॉलर का हुआ था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से मानव केशों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	निर्यात (मिलियन अम. डॉलर)
2008-2009	179.11
2009-2010	193.90
2010-2011	181.08

भारत से मानव केशों के निर्यात के पांच प्रमुख गंतव्य देशों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन अम. डॉलर)

क्र.सं.		2008-2009	2009-2010	2010-11
1.	चीन	80.37	86.26	97.88
2.	ब्राजील	17.71	26.72	23.29
3.	हांगकांग	15.32	14.69	16.76
4.	इटली	17.66	17.63	11.33
5.	अमेरीका	9.46	10.80	13.74

(घ) मानव केशों सहित सभी वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने हेतु निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस स्कीम (एएलएस), शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी), बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) आदि जैसी स्कीमों का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। निर्यातकों को नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वन भूमि का अन्य उपयोग

2776. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री रामसिंह राठवाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 8 अगस्त, 2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात में कुनारिया से मडवाना तक सड़क निर्माण हेतु कच्छ जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य की वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को गदुली से हाजीपुर-ओदमा-खावदा-कुनारिया-डोलाविरा-माओवना-गदकवेट-संभालपुर रोड (एसएच रोड) के निर्माण के लिए कच्छ मरूस्थल वन्यजीव अभयारण्य और वाइल्ड एस्स सेंचुरी में 79.474 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमा सड़क का विकास शामिल है। चूंकि इस प्रस्ताव में वन्यजीव अभयारण्य से भूमि का अपवर्तन शामिल है, अतः इसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के विचारार्थ, इसकी 25 अप्रैल, 2011 की बैठक में रखा गया था, जिसमें इस मामले पर कार्रवाई करने से पहले स्थल का निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के विचारार्थ मंत्रालय को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अंतिम निर्णय के लिए कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2777. श्री नरहरि महतोः
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों की पीएसयू-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अधिकांश कर्मचारियों ने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण यह कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस रुझान पर रोक लगाने के लिए पीएसयू के कर्मचारियों के प्रौद्योगिकीय कौशल का उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)ः (क) वस्त्र मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, की संख्या का पीएसयू-वार ब्यौरा इस प्रकार हैः

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष वार ब्यौरा			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	3493	1217	1503	292
2.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार, ऑफ इंडिया लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लिमि.	शून्य	882	163	शून्य
5.	भारतीय पटसन निगम लिमि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमि.	20	शून्य	शून्य	शून्य
7.	राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम	01	शून्य	01	शून्य
8.	बड्र्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमि.	शून्य	शून्य	शून्य	2
9.	भारतीय कपास निगम लिमि.	4	शून्य	1	शून्य

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फील्ड फायरिंग रेंज

2778. श्री कुलदीप बिश्नोईः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेना के पास 104 फील्ड फायरिंग रेंजों में से लगभग 40 प्रचालनात्मक रेंज ही बचे हैं; जिनका सेना, कार्मिकों के युद्ध कौशल को सुधारने के लिए फील्ड फायरिंग करने हेतु उपयोग किया करती थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेंजों की संख्या में तेजी से कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) पिछले दो दशकों में फील्ड फायरिंग रेंजों की संख्या 104 से घटकर 66 (12 अधिग्रहित व 44 अधिसूचित रेंज) रह गई हैं। 38 फील्ड फायरिंग रेंजों को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने अथवा उनको राज्य सरकारों द्वारा पुनः अधिसूचित न करने की वजह से (गैर-अधिसूचित होने के कारण) 2009 में फील्ड फायरिंग रेंजों की तालिका से हटा दिया गया है।

(ख) अधिसूचित फील्ड फायरिंग रेंजों को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर पुनः अधिसूचित किया जाना अपेक्षित होता है। जनसंख्या में वृद्धि, निवास स्थानों एवं विकास के विस्तार, अतिक्रमण, क्षेत्रों का वन्य जीव अभयारण्य/रिजर्व वन के रूप में घोषित किए जाने तथा पर्यावरणीय दबाव के कारण राज्य सरकारें प्रायः अपने अधिकारी-क्षेत्र में आने वाली रेंजों को पुनः अधिसूचित करने के प्रति अनिच्छुक होती है।

(ग) अधिसूचना समाप्त की गई रेंजों को समयबद्ध तरीके से पुनः अधिसूचित करना सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समेकित उपाय किए जा रहे हैं। कई रेंजों को उनकी दीर्घकाल के लिए पुनः अधिसूचित और अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथापेक्षित एकबारगी क्षतिपूर्ति वन रोपण प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, सेना द्वारा फील्ड फायरिंग रेंजों की पुनः अधिसूचना/अधिग्रहण की जरूरत के लिए संबंधित राज्य सरकारों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मनाने पर जोर देने के प्रयास जारी हैं।

लोक भविष्य निधि पर ब्याज

2779. श्री समीर भुजबलः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ईपीएफओ के अंतर्गत लोक भविष्य निधि पर सरकार द्वारा उच्च ब्याज दर जारी रखने के क्या कारण हैं;

(ख) इस कारण सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि का वास्तविक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भवष्यि में ब्याज दर में कमी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा देखा जाने वाला भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर की सिफारिश उपलब्ध संभावित ब्याज आय तथा उस विशेष वर्ष में ब्याज भुगतान के संभावित देयों के आधार पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा की जाती है। भारत सरकार को ब्याज दर की सिफारिश करने से पहले केन्द्रीय न्यास बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा प्रतिवर्ष उपर्युक्त के अनुसार मूल्यांकन करता है।

(ख) वर्ष 2011-12 के लिए व्यय के वास्तविक ब्यौरे का 2010-11 के सभी वार्षिक लेखाओं के अद्यतनीकरण के पश्चात ही पता लगेगा।

(ग) और (घ) वर्ष 2011-12 के लिए ब्याज दर की सिफारिश संभावित ब्याज आय तथा भविष्य निधि सदस्यों को ब्याज भुगतान के संभावित देयों के आधार पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा की जानी है।

अहमदाबाद-बामनबोर खंड को छह लेन का बनाया जाना

2780. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग-8क के अहमदाबाद-बामनबोर खंड को छह लेन का बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित/स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और कतिपय सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है।

स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड

2781. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः क्या **श्रम आर रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड के माध्यम से लोगों को अपने उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित ऐसे जरूरतमंद लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है और राज्य के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं तथा पाली और जोधपुर जिलों में कितने स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) यह योजना कब से कार्यान्वित की जा रही है और योजना के अंतर्गत कितने लोगों को शामिल किया गया है और शामिल किए जाने का उद्देश्य है; और

(घ) क्या यह योजना अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) को प्रति परिवार फ्लोटर आधार पर 30000 रुपये प्रति वर्ष का स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के 2.54 करोड़ से अधिक परिवारों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राजस्थान ने प्रारंभ में इस योजना में भाग लिया था किन्तु बाद में इसे बंद कर दिया था। तथापि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मनरेगा, गलियों में सामान बेचने वालों, घरेलू कामगारों तथा बीड़ी कामगारों हेतु विस्तार किया है। जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

गरीबी रेखा से नीचे का सर्वेक्षण, 2022 के अनुसार, अंसगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 6 करोड़ परिवार (पांच की इकाई) होने का अनुमान है। अनुभव से पता चलता है कि गरीबी रेखा से नीचे के केवल लगभग 60% परिवार नामांकन हेतु उपलब्ध हैं। अतः इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 3.6 करोड़ परिवार कवर किए जाने हैं। सरकार का यह प्रयास है

कि ऐसे सभी परिवारों को 2012-13 तक इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाए।

विवरण

जारी किए गये स्मार्ट कार्डों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	30.11.2011 तक जारी गए स्मार्ट कार्डो की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	39,615
2.	असम	2,04,548
3.	बिहार	64,24,884
4.	चंडीगढ़	4,913
5.	छत्तीसगढ़	15,48,408
6.	दिल्ली	1,44,518
7.	गुजरात	15,71,617
8.	हरियाणा	6,15,809
9.	हिमाचल प्रदेश	2,35,131
10.	झारखंड	12,26,124
11.	कर्नाटक	1,51,828
12.	केरल	17,48,471
13.	महाराष्ट्र	20,04,333
14.	मणिपुर	10,000
15.	मेघालय	61,947
16.	मिजोरम	43,256
17.	नागालैंड	77,557
18.	ओडिशा	4,28,069
19.	पंजाब	2,21,444,
20.	त्रिपुरा	2,58,402
21.	उत्तर प्रदेश	40,29,958
22.	उत्तराखंड	3,38,879
23.	पश्चिम बंगाल	40,62,836
	योग	2,54,52,547

टिप्पणीः गोवा और तमिलनाडु राज्य ने यह योजना बंद कर दी है।

पत्तनों का कार्यकरण

2782. श्री रूद्रमाधव रायः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में पत्तनों के कार्यकरण और उनकी क्षमता में सुधार करने हेतु लगभग एक दर्जन पत्तन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पत्तनों के माध्यम से हाने वाली तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोग लगाने और सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(घ) इन उपायों के माध्यम से कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सरकार ने पीपीपी माध्यम के जरिए से महापत्तनों की क्षमता को 236.63 एमटीपीए की क्षमता तक बढ़ाने हेतु 16743.92 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से सौंपे जाने के लिए 23 परियोजनाएं चुनी हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले महापत्तनों के द्वारा तस्करी सहित सुरक्षा बढ़ाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) सभी महापत्तनों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विकास

(ii) नियंत्रण बढ़ाना

(iii) नियमित गश्त के लिए प्रत्येक महापत्तन द्वारा दो स्पीड बोटों का अधिग्रहण

(iv) अति महत्वपूर्ण स्थानों में सीसीटीवी स्थापित करना

(v) बम की जांच और निरस्तीकरण दस्ता

(vi) सभी महापत्तनों में रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिके शन (आरएफआईडी) आधारित जलयान यातायात प्रणाली (वीटीएस) और यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस)

(vii) डॉग स्क्वैड आरंभ करना।

(घ) समग्र सुरक्षा हेतु महापत्तनों द्वारा किए गए उपायों में कड़ाई बरती गई है और पत्तन का उपयोग करने वालों को गहरा विश्वास दिलाया गया है। किसी आतंकवादी या दमनकारी स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा अभिकरणों के पास बेहतर उपकरण मौजूद हैं।

विवरण

पत्तन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता (एम.टी.पी.ए.)
1	2	3	4	5
1.	पी.पी.पी. आधार पर सहायक सुविधाओं के साथ तीसरी तेल जेटी का आऊटर टर्मिनल 1 अपस्ट्रीम का निर्माण (कनिका/सेंडहेड में ट्रास्लोडिंग सुविधाओं के साथ जोड़ना)	कोलकाता पत्तन	290	4.5
2.	इनर हार्बर में ई.क्यू. 7 में उर्वरक के लिए मशीनीकृत सम्भलाई सुविधाओं को लगाना	विशाखापट्टनम पत्तन	217.58	5.21
3.	आयात ड्राई ब्लक कार्गो सम्भलाई के लिए डब्ल्यू.क्यू. 7 का विकास	विशाखापट्टनम पत्तन	180.00	4.60
4.	सम्भलाई बैंक ब्लक कार्गो और नियात ब्लक कार्गो के लिए डब्ल्यू.क्यू. 8 का विकास	विशाखापट्टनम पत्तन	230.00	2.00
5.	ड्राई ब्लक कार्गो सम्भलाई के लिए वी.पी.टी. का इनर हार्बर की उत्तरी भुजा में डब्ल्यू-1) में मशीनीकृत लोह अयस्क सम्भलाई सुविधाओं को लगाना	विशाखापट्टनम पत्तन	275.20	8.98
6.	मैगा कन्टेनर टर्मिनल की रचना	चेन्नई	3686.0	48.00
7.	भारती गोदी में आर.ओ.आर. के साथ बहुउद्देश्य घाट और कार पार्किंग का विकास	चेन्नई	100.00	1.00
8.	भारती गोदी में नाव जेटी का विकास	चेन्नई	25.00	1.00
9.	सीमेंट सम्भलाई के लिए शेलो ड्राफ्ट घाट का निर्माण	वी.ओ.टी. पत्तन, तूतीकोरीन	86.17	2.00
10.	घाट सं. 1 से 6 और घाट सं. 9 में मशीनीकृत सम्भलाई उपकरणों का उन्नयन	वी.ओ.टी. पत्तन, तूतीकोरीन	80.10	8.30

1	2	3	4	5
11.	निर्माण सामग्री सम्भलाई के लिए शेलो ड्राफ्ट घाट (सं.-2) का निर्माण	वी.ओ.टी. पत्तन, तूतीकोरीन	56.17	2.30
12.	कंटेनर टर्मिनल के रूप में घाट सं.-8 का रुपांतरण	वी.ओ.टी. पत्तन, तूतीकोरीन	312.23	7.20
13.	वी.ओ.सी. पत्तत‌न न्यास में थरमल कोयला और रोक फॉस्फेट सम्भलाई के लिए एन.सी.बी. III का विकास	वी.ओ.टी. पत्तन, तूतीकोरीन	420.0	7.28
14.	थरमल कोयला और सांद्र ताबे सम्भलाई के लिए एन.सी.बी. IV का विकास	वी.ओ.टी. पत्तन, तूतीकोरीन	355ए00	7.28
15.	अंतर्राष्ट्रीय बनकरिंग टर्मिनल-बहु-उद्देश्य तरल टर्मिनल का निर्माण	कोचीन पत्तन	206.30	4.10
16.	घाट सं. 11 में 4 एम.एम.टी.पी.ए. मशीनीकृत कोयला निर्यात टर्मिनल का निर्माण	मुरगांव पत्तन	425.00	4.00
17.	बैंक वाटर के पश्चिम में 7.2 एम.एम.टी.पी.ए. लोह आयात ब्लक सम्भलाई टर्मिनल का विकास	मुरगांव पत्तन	721.00	7.20
18.	एन.सी.आई.सी.टी. टर्मिनल का 330 एम उत्तर का घाट लंबाई के साथ स्टेंडलोन कंटेनर सम्भलाई सुविधा का विकास	जे.एन.पी.टी.	600	10.00
19.	चौथा कंटेनर टर्मिनल	जे.एन.पी.टी.	चरण-I-4100 चरण-II-2600	60
20.	टूना के नजदीक टेकरा से बाहर ड्राई ब्लक टर्मिनल का विकास	कांडला पत्तन	1060	14.11
21.	कच्छ की खाड़ी में वीर के बाहर सिंगल पोईंट मौरिंग (एस.पी.एल) और इससे जुड़ी हुई सुविधाओं को लगाना	कांडला पत्तन	621.53	12.00
22.	बंदर घाटी में नाव सम्भलाई सुविधाओं को लगाना	कांडला पत्तन	85.74	3.22
23.	कार्गो घाट सं. 7 और 8 का मशीनीकरण	कांडला पत्तन	80.61	7.35

आपातकालीन कमीशन अधिकारी

2783. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्ष 1968 में सेवा से निर्मुक्त किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) का लाभ प्रदान करने संबंधी अनुमोदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में सरकार को आपातकालीन कमीशन अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) आपातकालीन कमीशन अधिकारी भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे

पेंशनभोगी नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सुविधा के लिए पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी प्रकार की पेंशन लेने वाला एक पूर्व सैनिक हो। तथापि, आपातकालीन कमीशन अधिकारी सैन्य अस्पतालों में वहां पर उपलब्धता की सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अभिसमय में संशोधन

2784. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अभिसमय (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यू.एन.सी.आर.पी.डी. के अनुसरण में विभिन्न कानूनों में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में प्राप्त हुए विभिन्न सुझावों का अध्ययन करने और मौजूदा अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार अभिसमय के अनुरूप एक नया मसौदा विधायन तैयार करने के लिए विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करके 30.4.2010 को एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 30.6.2011 को मसौदा विधायन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

भारत में इस्पात की खपत

2785. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत विश्व औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में इस्पात की समग्र मांग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) वर्ष 2010 के दौरान भारत में फिनिश्ड स्टील की प्रति व्यक्ति खपत 55 कि.ग्रा. थी जो कि विश्व की इसकी औसतन 206 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति खपत और विकसित देशों की औसतन 324 कि.ग्रा. खपत की तुलना में कम है। भारत में स्टील की कम प्रति व्यक्ति खपत, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होने, जनसंख्या का आकार वृहत होने और अवसंरचना का विकास कम होने, के कारण हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण भारत में स्टील खपत के पैटर्न और प्रवृत्ति की पूर्ण तस्वीर प्राप्त करने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण का समन्वय संयंत्र संयुक्त समिति (जेपीसी), कोलकाता द्वारा किया गया है और क्षेत्रीय कार्य आईएमआरबी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। आज की तिथि के अनुसार सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसकी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत हो गई है।

(ङ) भारत में इस्पात उद्योग नियंत्रणमुक्त है और इस प्रकार सरकार देश में इस्पात की खपत में तेजी लाने के लिए केवल एक सुविधादाता की भूमिका निभाती है। हाल ही के वर्षों में इस्पात के सभी प्रमुख निर्माताओं ने अपनी क्षमता और उत्पादन में बढ़ोतरी की है तथा उपभोक्ताओं को उनके उपयोग वाले स्थानों में गुणवत्तापरक स्टील पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी डीलरशिप का विस्तार करने के लिए भी कार्रवाई की है।

पोत निर्माण विश्वविद्यालय

2786. श्री कादिर राणाः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में पोत निर्माण विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इसके लिए प्रस्तावित/संभावित स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) ऐसा विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किया जाएगा?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों को मानदेय

2787. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय केडेट कोर (एनसीसी) के अधिकारियों को दिए जा रहे मानदेय की राशि लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे संशोधित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सह-अधिकारियों को स्वीकार्य मानदेय की दर में 17 अप्रैल, 2000 को अंतिम संशोधन किया गया था, जो निम्नानुसार है

(1) वरिष्ठ प्रभाग अधिकारी

क्र.सं.	रैंक	मौजूदा दर प्रति माह (रुपए में)	संशोधित दर
(i)	मेजर	550	1100
(ii)	कैप्टन	500	1000
(iii)	लेफ्टिनेंट	450	900
(iv)	सेकंड लेफ्टिनेंट	400	800

(2) कनिष्ठ प्रभाग अधिकारी

क्र.सं.	रैंक	मौजूदा दर प्रति माह (रुपए में)	संशोधित दर
(i)	चीफ अफसर	425	850
(ii)	प्रथम अफसर	400	800
(iii)	द्वितीय अफसर	375	750
(iv)	तृतीय अफसर	350	700

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के सह-अधिकारियों द्वारा चलाए गए स्कूलों के लिए उनको मानदेय का भुगतान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मानदेय के मौजूदा दर को बढ़ाने के लिए उनकी सहमति मांगी गई है।

[अनुवाद]

राजमार्ग परियोजनाओं की बोली लगाना और उसका कार्य सौंपना

2788. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं की बोली लगाने एवं उसका कार्य सौंपने में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत सौंपा जाता है। कार्य सौंपने की प्रक्रिया में सरकार द्वारा अनुमोदित अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेजों में निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। निविदाकर्ताओं द्वारा मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भयता पूर्वक सहभागिता किए जाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में ई-टेंडरिंग भी शुरू की गई है जो पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें निविदाकर्ता, प्रत्येक निविदा प्रक्रिया में अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकता है।

'साउथ चाइना सी' अन्वेषण

2789. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'साउथ चाइना सी' अन्वेषण परियोजनाओं के बारे में भारत को चीन द्वारा चेतावनी देने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों की संप्रभुता इस क्षेत्र के कई देशों के बीच विवाद का विषय है। भारत इस विवाद में शामिल नहीं है। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता वाले दो विकासशील देशों के रूप में, भारत और वियतनाम हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से तेल और गैस उद्योग में सहयोग करते चले आ रहे हैं। चीन, जो दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल है, ने वियतनाम के तट से दक्षिण चीन सागर में भारत को हाइड्रोजन खोज और समुपयोग परियोजनाओं के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने यह बताया है कि भारतीय कंपनियों द्वारा इस प्रकार की गतिविधि पूर्ण रूप से वाणिज्यिक प्रकृति की है और यह कि संप्रभुता से संबंधित मामले अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विधि के अनुसार विवाद में शामिल देशों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हल किए जाने चाहिएं।

महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीयों का विकास

2790. श्री रवनीत सिंहः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सैन्य हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीयों के विकास पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं;

(ग) क्या डीआरडीओ वित्तीय कठिनाइयों के कारण तकनीकी रूप से प्रशिक्षित प्रतिभाओं को आकर्षित करने में असमर्थ है और विशेष तकनीकी योग्यताओं वाले वैज्ञानिक निजी क्षेत्र में एवं विदेशों की ओर जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन पूर्णतः सामरिक, जटिल तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदी प्रणालियों के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने प्रक्षेपास्त्रों, वैमानिकियों, शस्त्रास्त्रों एवं विस्फोटकों, नौसेना प्रणालियों, रेडारों तथा सेंसरों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति प्रणालियों, उन्नत सामग्रियों, युद्धक वाहनों आदि के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण जटिल प्रौद्योगिकियों को यथेष्ट रूप से विकसित किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के सामने कोई वित्तीय कठिनाइयां नहीं हैं। संगठन की आवश्यकतानुसार सभी ग्रेडों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाते हैं। लगभग 100 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्चतर अध्ययनों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

यूरेनियम खनन पर रोक

2791. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन्य जीव बोर्ड ने देश में यूरेनियम खनन परियोजनाओं को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किस हद तक मानदंड अपनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 14 मई, 2010 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक में रोंगचेंग पठार, बलपकरम राष्ट्रीय उद्यान, साऊथ गारो हिल्स, जिला मेघालय में यूरेनियम की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के एक प्रस्ताव पर विचार किया। समिति ने नोट किया कि पारिस्थितिकीय हॉट स्पाट और स्लो लोरिस, हूलॉक गिब्बन और हाथियों जैसी दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के लिए निवास-स्थल एवं मेघालय के देशीय गारो समुदाय के लिए पवित्र स्थान बलपकरम राष्ट्रीय उद्यान, में यूरेनियम खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के विचारार्थ आंध्र प्रदेश सहित, देश के अन्य भागों में यूरेनियम खनन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फेरी सेवा

2792. श्री अब्दुल रहमानः क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों ने सरकार से नागपत्तनम पत्तन के आधुनिकीकरण एवं मलेशिया तथा सिंगापुर तक सवारी और फेरी सेवा प्रारंभ करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पत्तन का आधुनिकीकरण करने तथा पत्तन से फेरी सेवाएं प्रारंभ करने के लिए भी क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नागापट्टिनम पत्तन तमिलनाडु का गैर-महापत्तन है। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित समुद्रीय राज्य सरकार का है। नागापट्टिनम पत्तन से मलेशिया और सिंगापुर तक यात्री और फेरी सेवा शुरु करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्रूज शिपिंग

2793. डॉ. क्रुपारानी किल्लीः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में क्रूज शिपिंग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए इस क्षेत्र का दोहन करने का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कार्य-योजना क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में अवसंरचना का विकास करने के लिए आबंटित धनराशि तथा अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) क्रूज पोत परिवहन विश्वव्यापी अवकाश आतिथ्य उद्योग का सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है और यह विश्व स्तर में 12% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में हाल ही में भारत में भी कुछ गतिविधि देखी गई है। तथापि यह भारत में अभी भी शैशव स्तर पर ही है। इस समय भारतीय नौवहन बेड़े में एक लग्ज़री क्रूज लाईनर हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने क्रूज़ पोत परिवहन नीति तैयार की है जिसमें भारत में क्रूज़ परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना निर्देशित की गई है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत, वर्ष 2008-09 के दौरान विलिंगडन आईलैंड, कोचीन में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए क्रूज़ पर्यटन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 145.00 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी। इस परियोजना को कम कीमत, अर्थात 1225 लाख रु. में पूरा किया गया था। 491.53 लाख रु. की एक राशि संस्वीकृत की गई है और 245.77 लाख रु. चालू वित्तीय वर्ष (2011-12) के दौरान कोचीन पत्तन न्यास को कोचीन पत्तन में क्रूज़ यात्री सुविधा केन्द्र के विकास हेतु जारी किए गए।

[हिन्दी]

कोटा में मसाला पार्क

2794. श्री इज्यराज सिंहः
श्री के. सुगुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत को मसालों के निर्यात में कई देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कतिपय अन्य मसाला उत्पादक देशों में मसालों की कम दर के कारण भारत की कई देशों की मसाला बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राजस्थान के कोटा जिले में मसाला पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत विभिन्न मसालों के संबंध में विएतनाम, चीन, ग्वाटेमाला, इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, बुल्गारिया, तुर्की, सीरिया, ईरान इत्यादि जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

(ग) और (घ) काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन इत्यादि जैसे मसालों के मामले में वैश्विक बाजार में भारतीय कीमतें अप्रतिस्पर्धी हैं, जिसका मुख्य कारण प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों में उत्पादकता का उच्च होना और उत्पादन लागत का कम होना है।

तथापि भारतीय मसालों की तात्विक गुणवत्ता के कारण, वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पाद को प्रीमियम कीमत मिलती है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ निर्यात संबंधी अवसंरचना सुविधाओं के विकास तथा अन्य कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (असाइड) स्कीम के तहत कोटा में एक मसाला पार्क की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। राजस्थान सरकार ने मसाला पार्क की स्थापना हेतु रामगंजमंडी, जिला कोटा के नीमाना गांव में 12.14 हैक्टेयर भूमि का फ्री-होल्ड आधार पर आवंटन किया है। मसाला बोर्ड ने परियोजना के परामर्शदाता के रूप में मै. केआईटीसीओ लि. को कार्य सौंपा है। कोटा स्थित मसाला पार्क का उद्देश्य बीज वाले मसालों, विशेष रूप से धनिया तथा जीरा के लिए अवसंरचना एवं प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करना है।

[अनुवाद]

रिक्शा-चालक

2795. श्री मनोहर तिरकीः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अभी भी हाथ रिक्शा चलाने वाले रिक्शा-चालकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्शों के स्थान पर बेहतर यांत्रिक साइकिल रिक्शा या ऑटोरिक्शा लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस व्यवस्था को कब तक समाप्त कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) देश में हाथ रिक्शा चलाने वाले रिक्शा-चालकों की राज्य-वार संख्या केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती।

सेना की सद्‌भावना योजनाएं

2796. श्री हसन खानः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेना द्वारा सद्‌भावना योजनाओं के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को उनमें स्थानीय प्रशासन का पर्याप्त सहयोग मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सेना द्वारा सद्‌भावना योजना के अंतर्गत लद्दाख में निष्पादित परियोजनाएं आधार-भूत अवसंरचना, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल मानव संसाधनों का विकास, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय एकीकरण दौरा आदि से संबंधित हैं। वर्ष 2009-10 तक किए गए व्यय निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित राशि	किए गए व्यय
2009-10	6.85	6.85
2010-11	7.00	7.00
2011-12	7.00	3.34 (आज की तारीख तक)

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं गांव के सरपंच और जिला प्रशासन की सलाह/सिफारिशों से की जाती हैं और ये सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केन्द्रित होती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-75

2797. श्री कामेश्वर बैठाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर झारखंड में वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य-वार कितने राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-75 से वी मोड़-उटारी पोआड ब्लॉक मोड़-मोहम्मदगंज से हरिहरगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग-95 तक के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-75 से वी मोड़-उटारी पोआड ब्लॉक मोड़-मोहम्मदगंज से हरिहरगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग-95 तक के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की जाती है।

[अनुवाद]

फ्लैटों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

2798. डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में डेवलपरों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्रों एवं अन्य वैसे भागों जो भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं में बहुमंजिल इमारतों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भवन निर्माताओं के लिए जिन्होंने 15 से ज्यादा मंजिल वाले फ्लैट बनाए हुए हैं, मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या इन बिल्डरों ने सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्तावों पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधनों के उपबंधों के अंतर्गत विचार किया जाता है। 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले भवन, श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं और इनका मूल्यांकन संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार वर्ष 2008 से अब तक एसईआईए दिल्ली द्वारा 6 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरियां प्रदान की गई हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. की एमआरओ इकाई

2799. श्री समीर भुजबलः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में निजी रख-रखाव मरम्मत एवं ओवरहॉलिंग (एमआरओ) इकाई की स्थापना के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में संगत प्रावधान क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. नासिक प्रभाग को नासिक, महाराष्ट्र में एमआरओ स्थापित करने हेतु हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

परमाणु प्रभावों का सामना करने से संबंधित तैयारी

2800. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने कथित रूप से किसी परमाणु हमले की स्थिति में अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परमाणु जैविक और रसायनिक (एनबीसी) घटनाओं के प्रत्युत्तर में कार्रवाई करने हेतु त्वरित कार्रवाई चिकित्सा दलों को नीति के अनुसार सामरिक स्थानों पर त्वरित कार्रवाई दलों के साथ तैनात किया जाता है। एनबीसी हमलों का जवाब देने के लिए कोर स्तर पर चिकित्सा दलों में भी क्षमता मौजूद है। एनबीसी हमलों का उपयुक्त तरीके से जवाब देने के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्न विरचनाओं में सभी चिकित्सा कार्मिकों को एनबीसी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अस्पताल परियोजनाओं के प्राधिकृत कार्यों में निर्धारित अस्पतालों के हताहत विसंदूषण केन्द्रों की स्थापना को भी शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

सेरेबल पाल्सी से प्रभावित बच्चे

2801. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सेरेबरल पाल्सी (प्रमस्तिष्किय घात) से प्रभावित बच्चों की संख्या संबंधी कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमस्तिष्किय घात से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष रूप से स्कूल स्थापित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस रोग को ध्यान में रखते हुए पीड़ित बच्चों के माता-पिता को कतिपय रियायतें प्रदान की गयी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत, सहायता अनुदान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों सहित परियोजनाएं संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए गठित राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत तथा बहु-विकलांगता अधिनियम, 1999 (अधिनियम, 1999 का 44) में ज्ञान प्रभा योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित बच्चों सहित विकासात्मक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय न्यास अपनी आकांक्षा योजना (दिवा देखभाल केन्द्रों) के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए स्कूल तैयारी के लिए प्रारम्भिक हस्तक्षेप तकनीकों पर विकलांग बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने पंजीकृत संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।

[हिन्दी]

वस्त्र संस्थान की स्थापना

2802. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए/किए जा रहे भारतीय हथकरघा एवं वस्त्र संस्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में एक और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) जैसे संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संस्थानों की स्थापना हेतु मानदंड क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत देशभर में पांच भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। हाल ही में दिनांक 11.8.2010 को राज्य क्षेत्र में कन्नूर (केरल) में एक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने अब पश्चिम बंगाल में शांतिपुर में एक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है।

(ख) जनवरी, 2010 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दो नए केम्पस यथा (i) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), जोधपुर (ii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), भुवनेश्वर खोले गए थे।

(ग) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), अपने केम्पस निफ्ट अधिनियम, 2006 की धारा 7(2) (ख) के तहत स्थापित करता है। जिसके अनुसार बोर्ड ऑफ इंस्टिट्यूट को निफ्ट केम्पस स्थापित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

[अनुवाद]

काली सूची में दर्ज फर्मों के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ समझौते

2803. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काली सूची में दर्ज कुछ फर्मों ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकरियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। रक्षा अनुंसधान तथा विकास संगठन ने 2006 में यथा-प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय की किसी

रोक लगाई गई/काली सूची में डाली गई फर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात का विविधीकरण

2804. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश पहले से देश से निर्यात किए जा रहे पारंपरिक उत्पादों से अलग अपने निर्यात का विविधिकरण करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके निर्यातों का विविधीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) निर्यात का विविधीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार ने निर्यात को दोगुना करने के लिए एक कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार किया है। भारत से निर्यात करने के लिए परम्परागत बाजारों के साथ-साथ उत्पाद समूह का विविधीकरण करना इसका एक संघटक है। कार्यनीतिक दस्तावेज जिसका अंतिम पाठ मई, 2011 में जारी किया गया था, का फोकस इंजीनियरिंग, वस्त्र रत्न एवं आभूषण जैसे परम्परागत भारतीय निर्यातों तथा चमड़ा, इलेक्ट्रानिक्स और रसायन जैसे गैर परम्परागत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, जिनकी भारत से निर्यात की काफी संभावना है की मूल्य श्रृंखला बढ़ाने पर है। सरकार ने परम्परागत और गैर परम्परागत निर्यातों और कतिपय बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिए फोकस बाजार एवं फोकस उत्पाद स्कीम भी शुरू की है। इन स्कीमों का ब्यौरा डीजीएफटी की वेबसाइट www.dgft.gov.in पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

गरीबों की दशा में सुधार में धीमी प्रगति

2805. श्री जगदीश सिंह राणाः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार पर लंबे समय से ध्यान केन्द्रित करने के बाद भी सामाजिक क्षेत्र सूचकांक में भारत की प्रगति की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सामाजिक क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानव विकास रिपोर्ट, 2011, मानव विकास सूचकांक, जो तीन आयामों अर्थात् दीर्घ तथा स्वस्थ्य जीवन, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति, जीवन स्तर और संसाधनों पर अधिकार में परिणामी संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है, प्रमुख चार राज्यों के लिए अनुबंध के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में कतिपय शामिल हैं अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, वयस्क बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, सर्व शिक्षा अभियान महिला साक्षरता पर संकेन्द्रित साक्षर भारत, दोपहर भोजन योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रावास सुविधाएं, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, पूर्ण स्वच्छता अभियान, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के लिए प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास सूचकांक

क्र.सं.	राज्य	मानव विकास सूचकांक 1999-2000	मानव विकास सूचकांक 2007-08
1	2	3	4
1.	केरल	0.677	0.790
2.	दिल्ली	0.783	0.750
3.	हिमाचल प्रदेश	0.581	0.652
4.	गोवा	0.595	0.617

1	2	3	4
5.	पंजाब	0.543	0.605
6.	पूर्वोत्तर राज्य (असम को छोड़कर)	0.473	0.573
7.	महाराष्ट्र	0.501	0.572
8.	तमिलनाडु	0.480	0.570
9.	हरियाणा	0.501	0.552
10.	जम्मू और कश्मीर	0.465	0.529
11.	गुजरात	0.466	0.527
12.	कर्नाटक	0.432	0.519
13.	पश्चिम बंगाल	0.422	0.492
14.	उत्तराखंड	0.339	0.490
15.	आंध्र प्रदेश	0.368	0.473
16.	असम	0.336	0.444
17.	राजस्थान	0.387	0.434
18.	उत्तर प्रदेश	0.316	0.380
19.	झारखंड	0.268	0.376
20.	मध्य प्रदेश	0.285	0.375
21.	बिहार	0.292	0.367
22.	ओडिशा	0.275	0.362
23.	छत्तीसगढ़	0.278	0.358
	सम्पूर्ण भारत	0.387	0.467

स्रोतः भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011
प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग, भारत सरकार

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर सड़क दुर्घटनाएं

2806. श्री मकनसिंह सोलंकीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर इंदौर के निकट मानपुर एवं गुजरी के बीच एक ही स्थान पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सड़क को चार लेन का बनाते समय कुछ तकनीकी त्रुटियां हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसे सही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों का संकलन, मंत्रालय में, एशिया प्रशान्त हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनएस्केप) की एशिया प्रशान्त सड़क दुर्घटना डाटाबेस (एपीआरएडी) परियोजना के फॉर्मेट के अनुसार किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं के विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आंकड़े इस फार्मेट में नहीं रखे जाते। उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2008 और 2009 में मध्य प्रदेश में कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 10,359 और 10,769 थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, बकनेर घाट के संवदेनशील क्षेत्र में निर्धारित गति से ऊपर चलने वाले वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए अनेक चेतावनी/सचेतक संकेत बोर्डों, सड़क चिह्नांकन, रम्बल पट्टियों आदि का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

बाघों के शिकार पर रोक

2807. श्री के. सुगुमारः
श्रीमती जे. शान्ताः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अधिसूचित बाघ अभ्यारण्यों के अंदर गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश के वन क्षेत्रों में शिकार गतिविधि के कई मामलों को संज्ञान में लिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में इन गतिविधियों के कारण वन्य जीव को हुई हानि/क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा अनावश्यक रूप से उकसाने के कार्य से परिहार करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 32 बाघ रिजर्वों के अधिसूचित प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों में 48,549 परिवारों वाले 762 गांव हैं। इनका ब्यौरा संलग्न-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अवैध शिकार के कारण बाघों की मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार से संबंधित सूचना का भारत सरकार स्तर पर समेकन नहीं किया जाता।

(घ) अवैध शिकार किसी प्रजाति का अपने पर्यावास से समाप्त होने का प्रमुख कारण है।

(ङ) बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

बाघ रिजर्वों में स्थित गांवों/आवासों से संबंधित आंकड़े
(संदर्भ वर्ष 2009-10, जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ रिवर्ज का नाम	प्रमुख महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास में गांवों की संख्या	परिधीय बफर क्षेत्र में गांव की संख्या	प्रमुख/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आने वालें गांवों में परिवारों की संख्या	परिधीय बफर क्षेत्रों में आने वाले गांवों में परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	मानसं	32	शून्य	912	शून्य
2.	असम	काजीरंगा	शून्य	8	शून्य	270
3.	असम	नामेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर	27	1640	102	7601
5.	अरुणालच प्रदेश	नामदफा	8	बफर क्षेत्र अभी तक अधिसूचित नहीं	84	.
6.	अरुणाचल प्रदेश	पक्के	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	बिहार	वाल्मीकि	शून्य	152	शून्य	36681

1	2	3	4	5	6	7
8.	छत्तीसगढ़	इन्द्रवती	56	शून्य	993	शून्य
9.	छत्तीसगढ़	उदंती-सीतानदी	45	56	3138	3541
10.	छत्तीसगढ़	अचानकमार	25	5	1774	.
11.	झारखंड	पलामू	3	552	105	13634
12.	केरल	पेरियार	1 (कोर में एन्कलेव)	4	100	1517
13.	केरल	पेरांबीकुलम	6	शून्य	299	शून्य
14.	कर्नाटक	बांदीपुर	शून्य	129	शून्य	22856
15.	कर्नाटक	भद्रा	4	शून्य	81	शून्य
16.	कर्नाटक	डांडेली-अंशी	52	6	4725	2153
17.	कर्नाटक	नागरहोल	45	86	1353	16896
18.	महाराष्ट्र	ताडोबा-अंधरी	5	79	924	.
19.	महाराष्ट्र	पेंच	1	38	85	15649
20.	महाराष्ट्र	मेलघाट	31	39	5835	4093
21.	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़	14	61	2164	5606
22.	मध्य प्रदेश	कान्हा	26	350	1828	17134
23.	मध्य प्रदेश	बोड़ी-सतपुड़ा	41	20	2693	1429
24.	मध्य प्रदेश	पन्ना	5	30	2811	19379
25.	मध्य प्रदेश	संजय बाघ रिजर्व	47	69	3256	5650
26.	मध्य प्रदेश	पेंच	शून्य	110	शून्य	14764
27.	मिजोरम	डाम्पा	1	21	224	5007
28.	ओडिशा	सतकोसिया	5	110	77	6889
29.	ओडिशा	सिमलीपाल	6	57	221	2674
30.	राजस्थान	रणथम्भौर	55	80	6124	17163

1	2	3	4	5	6	7
31.	राजस्थान	सरिस्का	28		2254	
32.	तमिलनाडु	कालाकाड-मुंडनथुरई	8	.	245	.
33.	तमिलनाडु	मुदुमलाई	30	107	449	.
34.	तमिलनाडु	अन्नामलाई	33		94	.
35.	उत्तराखंड	कार्बेट	2	20	71	508
36.	उत्तर प्रदेश	दुधवा	18	4	1475	2373
37.	पश्चिम बंगाल	बुक्सा	19	20	1744	1756
38.	पश्चिम बंगाल	सुंदरवन	छपस	25	.	2748
39.	पश्चिम बंगाल	सहयाद्रि	83		2309	
	कुल		762	3678	48549	227971

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाघों के अवैध शिकार का राज्यवार ब्यौरा (जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया)

क्र.सं.	राज्य के नाम	अवैध शिकार के मामले			
		2008	2009	2010	2011 (8.12.2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	-	2	-	-
2.	असम	-	2	1	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	1	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	2	2
6.	झारखंड	-	-	-	-
7.	कर्नाटक	1	2	5	3

1	2	3	4	5	6
8.	केरल	1	-	2	-
9.	मध्य प्रदेश	2	3	2	-
10.	महाराष्ट्र	-	3	4	3
11.	मिजोरम	-	-	-	-
12.	ओडिशा	-	1	-	-
13.	राजस्थान	1	-	3	-
14.	तमिलनाडु	-	1	2	-
15.	उत्तराखंड	1	2	1	1
16.	उत्तर प्रदेश	1	-	1	-
17.	पश्चिम बंगाल	2	1	1	-
	कुल	9	17	25	12

विवरण-III

बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए (हाल ही में किए गए उपायों सहित) महत्वपूर्ण उपाय

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंधों का प्रावधान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों में दंड को और कड़ा करना।

प्रशासनिक उपाय

3. बाघ रिजर्व राज्यों से यथा-प्रस्तावित रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल के अलावा भूतपर्वू सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिनांक 6.6.2007 से बहु-आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पांच नए बाघ रिजर्वों के सृजन की 'सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, और ये स्थल हैं: पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य

प्रदेश), सुनाबेदा (उड़ीसा), मुकन्द्रा हिल्स (दरराह, जवाहर सागर तथा चंबल वन्यजीव अभयारण्य सहित) (राजस्थान) और कुदरेमुख (कर्नाटका)। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वो के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है: (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नगजीरा -नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) सत्यमंगलम (तमिलनाडु), (v) गुरू घासीदास उद्यान (छत्तीसगढ़) और (vi) महादेई (गोवा) और (vii) सिरिविलिपुथुर ग्रिजल्ड जोंयंट स्क्विरल/मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य/वरूषानाडु घाटी (तमिलनाडु)।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुनर्वास/पुनःस्थापन, वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र में आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास विखण्डन को रोकने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघों का (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आंकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आंकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 16 बाघ राज्यों द्वारा (17 राज्यों में से) वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, जिसे 2006 में संशाधित किया गया था, की धारा 38v के अंतर्गत कोर क्षेत्र अथवा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 32578. 78 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है (ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)। बिहार राज्य ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कोर अथवा क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट्स को अधिसूचित करने का निणर्य लिया है।

वित्तीय उपाय

10. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

12. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

13. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक के दौरान, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशंस ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकरों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके, जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शिकार के अंशों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

14. दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा में आयोजित साइट्स की स्थायी समिति की 58वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं कि 20.10.2009 से 90 दिनों के भीतर 14.69 और 14.65 पर हुए निर्णयों के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें (बाघों के केप्टिव ब्रीडिंग आपरेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति)

नए बाघों को छोड़ा जाना

15. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुनर्निर्माण हेतु सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नए बाघों/बाघिनों को छोड़ने का कार्य किया गया है।

16. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या के स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष एडवाइजरीज जारी की गई है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का सृजन

17. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान एसटीपीएफ के सृजन के लिए कार्बेट, रणथम्भौर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रु. जारी किए गए हैं। तब से विकल्प II के रूप में वन गूजर जैसे स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस के स्थान पर वन कार्मिकों की तैनाती के लिए एसटीपीएफ के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान, एसटीपीएफ का गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए सिमलीपाल बाघ रिजर्व को 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

18. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन बाघ अपराध डाटा बेस आरंभ किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जेनेरिक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

हाल ही के उपाय

1. बाघ संरक्षण उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किए गए और उन्हें निधि प्रवाह के साथ जोड़ा गया।

2. बाघ रिजर्वों का तेजी से मूल्यांकन किया गया।

3. लेफ्ट विंग उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वों में तथा कम बाघ और उनके शिकार जानवरों वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए थे।

4. लेफ्ट विंग प्रभावित तथा कम बाघ और उनके शिकार जानवरों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की विशेष उपाय करने के लिए लिखा गया था।

5. प्रभावी तरीके से क्षेत्र पेट्रोलिंग और मॉनीटरिंग हेतु 'एम-स्ट्रिप्स' की शुरूआत के अलावा ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और फील्ड सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए।

6. चल रहे अखिल भारतीय बाघ अनुमान में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

7. प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाते हुए फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए उपाय किए गए।

8. बाघ रिजर्वों में निगरानी सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई।

9. 2010 में पूर्ण हुए देश स्तरीय बाघ स्थिति आंकलन के द्वितीय चक्र के निष्कर्षों में 2006 के पिछले देश स्तरीय आंकलन, जिसमें अनुमानित संख्या 1411, निम्नतम और उच्चतर सीमा क्रमशः 1165 और 1657 थी, की तुलना में बाघों की अनुमानित संख्या 1706 निम्नतम और उच्चतर सीमा क्रमशः 1520 और 1909 के रूप में वृद्धि दर्शाई गई है।

10. वैश्विक रूप से प्रयुक्त फ्रेमवर्क के आधार पर 39 बाघ रिजर्वों हेतु 2010-11 में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन के स्वतंत्र आंकलन का द्वितीय चक्र।

11. अतिरिक्त संघटकों सहित बाघ परियोजना हेतु आबंटन में वृद्धि।

12. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ टकराव को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

13. नई दिल्ली में आयोजित चौथी सीमापार परामर्शदात्री समूह की बैठक के परिणामस्वरूप, जैव विविधता बाघ

ससंरक्षण के लिए नेपाल के साथ एक संयुक्त संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

14. नागपुर, बंगलुरू और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

इस्पात आधारित उद्योग

2808. श्री महेश जोशीः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस्पात आधारित उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल का कितना निर्यात किया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात और आयात किए गए विनिर्मित इस्पात उत्पादों की मात्रा कितनी है; और

(घ) देश में इस्पात उत्पादों जो आयात किए जा रहे हैं के देश में विनिर्माण को सुगम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) देश में क्रूड स्टील का उत्पादन करने वाली इकाइयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, इस्पात मंत्रालय देश में इस्पात आधारित उद्योगों का रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) लौह अयस्क जोकि इस्पात के निर्माण हेतु प्रमुख महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, के पिछले तीन वर्षों के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

मद (मिलियन टन)

	2008-09	2009-10	2010-11
लौह अयस्क	105.86	117.37	97.66*

(स्रोत एमएमटीसी, वाणिज्य विभाग)

*अनुमानित

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात से निर्मित उत्पादों के निर्यात और आयात की मात्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

मद	वर्ष	(मिलियन टन)	
		आयात	निर्यात
फिनिश्ड स्टील	2008-09	5.84	4.44
(एलॉय+नॉन एलॉय)	2009-10	7.38	3.25
	2010-11	6.80*	3.46

*अनंतिम (स्रोतः जेपीसी)

(घ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार की भूमिका एक सुविधादाता की है। तदनुसार, देश में इस्पात क्षेत्र का विकास बाजार पर आधारित है जो बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करता है।

देशी इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधादाता की भूमिका के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं:

- लौह अयस्क पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाना

- पिलेट्स के निर्यात पर शून्य शुल्क
- इस्पात पर 5 से 10 प्रतिशत आयात शुल्क
- लौह एवं इस्पात मेल्टिंग स्क्रैप पर 15 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाना
- कोकिंग कोल/मैट कोक को आयात शुल्क से पूर्ण रूप से छूट

विवरण

क्रूड स्टील उत्पादित करने वाले सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयंत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	क्रूड स्टील का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	81
असम	11
बिहार	37
चंडीगढ़	4
छत्तीसगढ़	70
दादरा एवं नगर हवेली	23
दमन एवं दीव	40
दिल्ली	5
गोवा	24
गुजरात	59
हरियाणा	37
हिमाचल प्रदेश	16
जम्मू और काश्मीर	13
झारखंड	92
कर्नाटक	30
केरल	44
मध्य प्रदेश	17
महाराष्ट्र	85
मेघालय	12
ओडिशा	98
पुदुचेरी	27
पंजाब	147
राजस्थान	54
तमिलनाडु	106
उत्तर प्रदेश	159
उत्तराखंड	34
पश्चिम बंगाल	82
योग	1407

(स्रोतः जेपीसी)

[अनुवाद]

बाइ-पासों का निर्माण

2809. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों पर बाई-पासों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइ-पास के निर्माण के लिए स्थल के चयन हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कतिपय निर्माण परियोजनाएं विलंबित हो गयी हैं/प्रारंभ नहीं की जा सकी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के रूप में जिन बाइपासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) बाईपासों के निर्माण के लिए कार्यस्थल का चयन यातायात की मात्रा, भूमि की उपलब्धता, न्यूनतम विस्थापन, वन कटाई एवं पर्यावरण मुद्दों और विभिन्न इंजीनियरी पहलुओं तथा आर्थिक व्यवहार्यता आदि जैसे मानदंडों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां। कुछ परियोजनाओं में विलंब हुआ है और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

निर्माण कार्य शुरू किये गये बाइपासों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	बाइपास का नाम	रारा सं.	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	मदनपल्ली टाउन बाईपास	205 और 219	13.67
2.	असम	गुवाहाटी विश्वविद्यालय बाईपास	37	57.71
		नगांव बाईपास	37	230.00
		तिनसुकिया बाईपास	37	70.71
		मोहनबाड़ी, चबुआ और अन्य गांवों के बाईपास	37	133.40
		माकुल बाईपास	38	32.46
		सिलचर बाईपास	53	103.89
		कटलीचेरा बाईपास	154	38.26
3.	हिमाचल प्रदेश	पालमपुर बाईपास	20	5.39
		हमीरपुर बाईपास	88	27.51
		कुफरी बाईपास	22	2.90
4.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर बाईपास	1ए	60.66
5.	कर्नाटक	तुमकुर बाईपास	4	83
		चित्रदुर्ग बाईपास	4	104

1	2	3	4	5
6.	केरल	कालीकट बाईपास	17	
		कोडुंगलूर बाईपास	17	
7.	मध्य प्रदेश			
8.	महाराष्ट्र	संगमनेर बाईपास	50	66.76
		अकोला बाईपास	6	97.64
		काम्पटी कानून और नागपुर बाईपास (बाईपास की लंबाई 44 किमी) सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक चार लेन बनाया जाना	7	1170.52
9.	मेघालय	शिलांग-बाईपास	40 और 44	226.00
10.	राजस्थान	बिलाड़ा बाईपास	112	27.38
		चित्तौड़गढ़ बाईपास	76 और 79	133.03
11.	तमिलनाडु	मदुरै बाईपास	7	567.38
		चेन्नै बाईपास	4.5 और 45	480.00
		त्रिची-करईकुडि और त्रिची बाईपास (बाईपास की लंबाई 26.1 किमी) को दो लेन का बनाना	67 और 210	374.00
12.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बाईपास	2	975.32
		झांसी बाईपास	25	158.06

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	बाईपास का नाम	रारा सं. लागत	संस्वीकृत	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6
1ए	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर बाईपास (पुल खंड) (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1ए	62.6	• भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं • कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं • प्रतिकूल मौसम
		जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाईपास) एनएस-33/जेएंडके	1ए	85.34	• परियोजना खंड के दोनों ओर भूमि अधिग्रहण में विलंब से परियोजना में विलंब हुआ। • रेलवे द्वारा जीएडी का अनुमोदन नहीं

1	2	3	4	5	6
					• कुंजवानी उपरि पुल के स्वरूप में परिवर्तन • आरओबी से संबंधित कार्य का मैं, इरकॉन द्वारा निष्पादन नहीं किया गया
2.	मध्य प्रदेश	सागर इस्पात (एडीबी-II/सी-5)	26	151.30	• भूमि अधिग्रहण में विलंब • वन स्वीकृति में विलंब • ठेकेदार द्वारा खराब आयोजन और अल्प निष्पाद • आरओबी के लिए जीएडी के अनुमोदन में विलंब • कार्य की व्याप्ति में वृद्धि
		ग्वालियर बाईपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	3 और 75	300.93	• रक्षा भूमि के लिए स्वीकृति संबंधी मुद्दा • राज्य सरकार को ग्वालियर बाईपास परियोजना के निर्माण में आने वाली 7.39 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर उपयुक्त भूमि रक्षा प्राधिकरण को जारी करनी है • रक्षा प्राधिकरण से तकनीकी सहमति अभी प्राप्त होनी है।
3.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर बाईपास	28	600.24	• राजमार्ग पर 10 मीटर की पट्टी की अतिरिक्त शर्त लगाए जाने के कारण राज्य वन विभाग द्वारा वृक्ष काटे जाने में प्रारंभिक विलंब • सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के अधिग्रहण और अतिक्रमण/संरचनाओं को हटाए जाने में विलंब
		नए आगरा बाईपास को चार लेन का बनाना (एनएस-1/ यूपी-1)	2 और 3	465.50	भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब
		लखनऊ बाईपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56 और बी	111.78	• सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के अधिग्रहण और जिला प्राधिकारियों द्वारा अतिक्रमण/संरचनाओं को हटाए जाने में विलंब • सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण और धार्मिक संरचनाओं की पुनर्स्थापना में विलंब • आरओबी के लिए रेलवे से स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब
4.	पश्चिम बंगाल	डलकोला बाईपास	34	67.00	ठेके द्वारा अल्प निष्पादन। ठेकेदार से समाप्ति-नोटिस प्राप्त।

भारतीय वायुसेना कार्मिकों को नौकरी दिया जाना

2810. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए हाल ही में दिल्ली में नौकरी मेला (प्लेसमेंट फेयर) का आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फेयर के दौरान कितने कार्मिकों को श्रेणी-वार और कंपनी-वार, नौकरी दी गई;

(घ) क्या देश में, विशेष रूप से चेन्नई में, अन्य जगहों पर ऐसे फेयर आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के स्थापन प्रकोष्ठ (प्लेसमेंट सैल) द्वारा 15 एवं 16 अक्तूबर, 2011 को वायुसेना ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली में एक नौकरी मेले (प्लेसमेंट फेयर) का आयोजन किया गया था। 2671 वायुसैनिकों (2035 सेवानिवृत्त तथा 636 सेवारत) और 117 अफसरों (87 सेवानिवृत्त तथा 30 सेवारत) सहित कुल 2788 वायु योद्धाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मेले में 38 कंपनियों ने भाग लिया।

(ग) इस मेले के दौरान नौकरी (प्लेसमेंट) के लिए 666 वायु योद्धाओं की छंटनी की गई थी। अब तक भारतीय वायुसेना के प्लेसमेंट प्रकोष्ठ को 93 निश्चित प्लेसमेंटों की सूचना दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है।

अल्ट्रा मेगा इस्पात परियोजनाएं

2811. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं तरह कुछेक अल्ट्रा मेगा इस्पात परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों को निविर्दिष्ट किया गया है;

(ग) क्या इस कदम से विद्यमान संयंत्रों का समेकन और विस्तार होगा;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इन परियोजनाओं को किस प्रकार कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस परियोजनार्थ निर्धारित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) सरकार का अल्ट्रामेगा स्टील स्टील परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थापना का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों को खानें पट्टे पर दिया जाना

2812. श्री नारनभाई कछड़ियाः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल) के अधीन बोकारो इस्पात संयंत्र ने लौह अयस्क खानों को पट्टे पर लेने के लिए लगातार आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपने संयंत्रों के लिए खनन अधिकारों के लगातार चलने वाले पट्टे को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि इसके संयंत्रों को लौह अयस्क की लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार ने बड़े लौह अयस्क भंडारों को रखने वाली राज्य सरकारों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों को खनन पट्टे के अधिकारों को प्रदान करने की सिफारिश की है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में 26 पट्टों के साथ नौ लौह अयस्क खानों को ऑपरेट कर रही है। सेल संबंधित पट्टों के नवीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के साथ लगातार मामला उठा रही है। सेल द्वारा अपने इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क

की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपायों में मौजूदा खानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, नई खानों की विकास करना और नए डिपॉजिट्स के आबंटन के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करना शामिल है।

(घ) इस्पात मंत्रालय खानों के आबंटन और नवीकरण से संबंधित मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ लगातार उठाता रहता है। हाल ही में, 21.10.2011 को, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने सेल के विश्वेवैरया लौह और इस्पात संयंत्र के जरिए पूर्वेक्षणी या खनन कार्य करने के लिए उत्तर-पूर्व ब्लॉक रेंज, संदुर तालुक, जिला बेल्लारी, कर्नाटक में 20 वर्ष के लिए 140 हैक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया है।

एनएमडीसी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास

2813. श्रीमती कमला देवी पटलेः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) द्वारा 10 प्रतिशत शुद्ध लाभ को स्थानीय क्षेत्र विकास पर व्यय करने और एनएमडीसी के प्रबंधन बोर्ड में बस्तर मंडल के तीन निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) एनएमडीसी के निदेशक मंडल में बस्तर प्रभाग से तीन चयनित जन प्रतिनिधियों को शामिल करने और छत्तीसगढ़ में स्थानीय क्षेत्र के विकास पर इसके निवल लाभ का 10 प्रतिशत खर्च करने हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित संकल्प से संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार का एक प्रस्ताव हाल ही में इस्पात मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रस्ताव की इस्पात मंत्रालय में जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-58

2814. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के सांची-सागर और सागर-छत्तरपुर खंड जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त खंडों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राहतगढ़ से सागर और मकरोनिया से बेहरिया तक जाने वाली सड़क भी अत्यंत दयनीय स्थिति में है जिसके कारण गम्भीर दुर्घटनाएं और निरंतर यातायात जाम हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) ये खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-86 पर हैं। इस मानसून में हुई भारी वर्षा के कारण रारा 86 के कुछ खंड अच्छी स्थिति में नहीं हैं। राहतगढ़ होते हुए सांची से सागर तक के खंड के अनुरक्षण/सुधार के लिए 144.25 करोड़ रुपए के दो कार्य और मकरोनिया, बेहरिया तथा छत्तरपुर होते हुए सागर-मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा खंड के लिए 72.60 करोड़ रुपए के दो कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और प्रगति पर हैं। इन कार्यों को जुलाई, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

पशु उत्पादों का व्यापार

2815. श्री जगदीश ठाकोरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय अंश नगण्य है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पशु उत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) यूएनकॉमट्रेड की पशु उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2009 के दौरान भारत से पशु उत्पादों का कुल निर्यात 1,39,519.64 मिलियन अम. डॉलर के कुल वैश्विक निर्यात की तुलना में 609.52 मिलियन अम. डॉलर का हुआ था। भारत के नगण्य हिस्से का कारण है विकसित देशों

द्वारा दी गई व्यापार विकृतिकारी सब्सिडियां, विकसित देशों द्वारा मानव एवं पशु स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु अपेक्षित स्वच्छता उपायों से उच्चतर उपायों का निर्धारण और भारत में खुरपका और मुंहपका रोग एवं एवियन इन्फ्लूएंजा जैसी कतिपय बीमारियों का समय-समय पर क्रमशः प्रकोप और फैलना।

(ग) और (घ) निर्यात को बढ़ावा देना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और निर्यात विकास प्राधिकरणों आदि की योजना स्कीमों के अंतर्गत उपायों तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से कदम उठा रही है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं अर्थात बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल (एमएआई), निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्येां को सहायात (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता वाले नगर आदि। इस प्रयोजनार्थ व्यापार शिष्टमण्डलों को विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा पशु उत्पादों सहित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अनुसूचित उत्पादों के निर्यात हेतु एपीडा अपने पास पंजीकृत निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन से संबंधित अपनी वित्तीय सहायता स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। सरकार शुल्क प्रति अदायगी, फोकस देश सहायता जैसी सहायता भी प्रदान करती है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक बूचड़खानों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाती है।

इसके अलावा वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यातों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए मांस का निर्यात केवल एपीडा पंजीकृत बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों से ही अनुमत्य है।

[हिन्दी]

अंकलेश्वर में रसायन उद्योग के कारण प्रदूषण

2816. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अलंकेश्वर में रसायन उद्योगों के द्वारा होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के कारण अलंकेश्वर में अनेक स्थानों पर खुदाई के दौरान पाए गए लाल रंग के जल की वजह से कृषि योग्य भूमि और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अलंकेश्वर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यरत एजेंसियों द्वारा कार्य की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) रासायनिक उद्योगों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक प्रदूषण के कारण अंकलेश्वर में अनेक स्थानों पर उत्खनन के दौरान पाए गए लाल रंग के पानी के कारण कृषियोग्य भूमि और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) अंकलेश्वर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य की गुजरात राज्य सरकार के संबंधित विभागों और केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। इसका विवरण निम्नवत हैः

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2009 में अंकलेश्वर और पनोली एस्टेट्स वाले अंकलेश्वर औद्योगिक समूह को 'अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र' घोषित किए जाने के बाद; इस समूह हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।

(ii) कार्य योजना की प्रभावी ढ़ंग से मॉनीटरिंग करने के लिए जून, 2010 में जीपीसीबी द्वारा अंकलेश्वर क्षेत्र हेतु एक विशेषीकृत क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

(iii) अंकलेश्वर में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मॉनीटरिंग टीम सहित एक त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

(iv) साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र तथा उपचारित बहिस्राव के निपटान हेतु एक बंद पाइप लाइन की व्यवस्था की गई है जिसके परिणामस्वरूप आसपास के नालों में औद्योगिक बहिस्राव के प्रवाह पर रोक लगी है और कुछ समय में आसपास के क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता में सुधार होने की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

रक्षा संचार हेतु आवृत्ति बैंड

2817. श्री सी. शिवासामीः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रक्षा बलों द्वारा संचार प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने के लिए पृथक आवृत्ति बैंड पर सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय सुरक्षा बलों को असैनिक संचार हेतु अतिरिक्त स्पैक्ट्रम खाली करने में सक्षम बनाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा तथा सामरिक बलों की सामरिक तथा संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच रक्षा बैंड को आपस में अभिनिर्धारित किया गया है। अतिरिक्त स्पैक्ट्रम को खाली करना दूर संचार विभाग द्वारा वैकल्पिक नेटवर्क स्थापित किए जाने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

समूह बीमा निधि से भुगतान

2818. श्री कौशलेन्द्र कुमारः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निशक्तता के कारण अपनी-अपनी सेनाओं से सेवामुक्त होने वाले तीनों सेनाओं के कार्मिकों के समूह बीमा निधि से भुगतान की मौजूदा प्रक्रिया क्या है;

(ख) मृत्यु की परिस्थिति में कार्मिकों के आश्रितों को आधी बीमित राशि अदा किए जाने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या निःशक्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) तीनों सेनाओं की समूह बीमा निधि से भुगतान तीनों सेनाओं द्वारा अलग-अलग प्रबंधित की जा रही समूह बीमा निधि से किया जाता है। यह भुगतान संबंधित व्यक्ति से अपेक्षित दावा संबंधी दस्तावेजों, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही से अनुसमर्थित हों, के प्राप्त होने के पश्चात किया जाता है बशर्ते कि सम्बद्ध व्यक्ति पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करता हो।

(ख) समूह बीमा निधि से बीमा की आंशिक राशि का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्ति को पात्रता के अनुसार पूरी राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाता है। जहां तक समय अवधि का संबंध है सामान्यतः यूनिट/रिकार्ड कार्यालय और लाभार्थी से पूर्ण एवं सही दस्तावेज प्राप्त होने के सात से दस कार्यदिवसों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) ऐसी किसी घटना के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2819. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात की नीति का किसान समुदाय और कृषि उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी कृषि उत्पादों के निर्यात से प्रतिबंध हटाने और इन उत्पादों के आयात से किसानों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु पूर्ण निर्यात सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य संबंधी अधिकार प्राप्त मंत्री-समूह (ईजीओएम) द्वारा पेश में उपलब्ध कृषि उत्पादों के स्टॉक, बफर स्टॉक मानक के अतिरिक्त अधिशेष और कार्यनीतिक रिजर्व अपेक्षाओं, यदि कोई हो, खाद्य सुरक्षा मुद्दों, आम व्यक्ति को उचित कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता और उपजकर्ता हेतु लाभकारी आय तथा सतत आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के निर्यात, जब भी अपेक्षित हों, के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार वस्तु बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों के अंतर्गत उपायों और प्रोत्साहनों के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनेक स्कीमें अर्थात बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार सहायता पहल (एमएआई), निर्यात अवसंरचना के विकास और संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता के शहर आदि लागू की हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यापार शिष्टमंडलों को विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) भी समग्र कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अपने पंजीकृत पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

मन्दबुद्धि विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय

2820. श्री प्रेमचंद गुड्डू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मन्दबुद्धि छात्रों के लिए विशेष विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) वर्ष 2011-12 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऊन का उत्पादन

2821. श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित ऊन का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या आर्थिक मंदी के कारण प्रसिद्ध मारवाड़ी ऊन उद्योग बंद होने के कगार पर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऊन भेड़ पालन उद्योग को कृत्रिम ऊन उद्योग से बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पैकेज बनाई गई वित्तीय सहायता/विकास योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में भेड़ और ऊन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी निधि जारी की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2010-11 के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश में वार्षिक ऊन उत्पादन 44 मिलियन किग्रा. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भेड़ एवं ऊन सुधार योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में उत्तर प्रदेश सहित कुल 28.30 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ग्रामीण एकल महिलाओं हेतु योजना

2822. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण एकल महिलाओं के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में स्थिति में सुधार हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय से क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) सरकार द्वारा ग्रामीण एकल महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की जा रही है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने और

रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना/आजीविका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी अधिनियम, इन्दिरा आवास योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को कवर करने का विशेष प्रावधान किया जाता है। इसी प्रकार महिला और बाल विकास मंत्रालय भी ग्रामीण महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं, हरियाणा सहित देश भर के राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

युद्धक प्रणाली हेतु संविदा

2823. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने, जैसा कि हाल ही में सूचित किया गया है, सेना हेतु इलेक्ट्रानिक युद्धक प्रणाली के लिए भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड को करोड़ों रुपए के ठेके देने में खरीद के नियमों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का पुनर्गठन

2824. श्री किरोड़ी लाल मीणाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पुनर्गठित प्राधिकरण को सौंपी गई भूमिका और कृत्य क्या हैं और इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राधिकारण के क्षेत्राधिकार में आने वाले बाघ अभ्यारणयों की संख्या क्या है और बाघों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन अधिसूचना सं. 15-25/09 एनटीसीए, दिनांक 4 सितम्बर, 2009 द्वारा किया गया है क्योंकि उक्त यथा पूर्व गठित प्राधिकरण का कार्यकाल 3.9.2009 को समाप्त हो गया था।

(ग) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार तथा प्रकार्य, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 (1) के अन्तर्गत दिए गए हैं जैसाकि संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का संघटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) देश में 40 बाघ रिजर्व हैं जो उक्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 2010 में परिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुए किए गए नवीनतम अखिल भारतीय बाघ आकलन के निष्कर्षो के अनुसार, बाघ की राष्ट्रस्तरीय कुल संख्या कुल संख्या 1706 (मध्यमान) है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः 1520 और 1909 है। राज्यवार बाघों की संख्या और बाघ वासित लैंडस्केप के क्षेत्र की जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वर्ष 2006 में यथा संशोधित की धारा 380 (i) *के अन्तर्गत यथा निर्धारित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार एवं प्रकार्य*

(क) इस अधिनियम की धारा 38v की उप-धारा (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

(ख) वहनीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना और बाघ रिजर्वो के अन्दर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से किसी भी अवहनीय भूमि प्रयोग की अनुमति न देना;

(ग) बाघ रिजर्वो के बफर तथा कोर क्षेत्र में बाघ संरक्षण के लिए समय-समय पर पर्यटन कार्यकलापों हेतु नियामक मानकों और बाघ परियोजना हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) मनुष्यों और वन्य पशुओं के टकराव का निवारण करने के लिए प्रबंधन फोकस तथा उपाय उपलब्ध कराना और कार्यकारी योजना कोड में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों अथवा बाघ रिजर्वो के बाहर वन क्षेत्रों में सह-आस्तित्व पर बल देना;

(ङ) भावी संरक्षण योजना सहित सुरक्षा उपायों, बाघ तथा इसकी प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की संख्या का आकलन,

पर्यावासों की स्थिति, रोगों की निगरानी, मृत्युदर संबंधी सर्वेक्षण, पैट्रोलिंग, भावी संरक्षण योजना सहित अप्रिय घटनाओं की रिपोर्टों और प्रबंधन संबंधी अन्य पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराना;

(च) बाघ, सहचर भक्षियों, शिकार पर्यावास, संबंधित पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक आर्थिक पैरामीटरों एवं उनके मूल्यांकन पर अनुसंधान एवं निगरानी का अनुमोदन, समन्वयन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि जनहित वाले तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन से और बाघ संरक्षण प्राधिकरण के परामर्श से लिए गए मामलों को छोड़कर एक संरक्षित क्षेत्र अथवा बाघ रिजर्व को अन्य संरक्षित क्षेत्र अथवा बाघ रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ रिजर्वों और क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से अवहनीय प्रयोगों के लिए विपथित न किया जाए;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास तथा लोगों की भागीदारी के माध्यम से जैव-विधिता संरक्षण संबंधी पहलों के लिए राज्य में बाघ रिजर्व प्रबंधन को सुगमता तथा सहायता प्रदान करना और केन्द्रीय तथा राज्य के नियमों के अनुरूप समीपवर्ती क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों में सहायता देना;

(झ) बाघ संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून संबंधी सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता सुनिश्चित करना;

(ञ) बाघ रिजर्वों के अधिकारियों तथा स्टाफ के कौशल विकास हेतु जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सुगमता प्रदान करना; और

(ट) बाघों तथा उनके पर्यावास के संरक्षण के संदर्भ में इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यथा आवश्यकता ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना।

विवरण-II

पुनर्गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

1.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.	पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (रिक्त)	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती मेनका गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) ज्योति मिर्धा, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	प्रो. सैफ-उद-दीन सोज, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री बृजेन्द्र सिंह, 28, सुन्दर नगर, नई दिल्ली-110003.	सदस्य
7.	श्री एम. फिरोज अहमद, 50, समन्वय पक्ष, सर्वे, पी.ओ. बेलटोला, गुवाहाटी, असम	सदस्य
8.	श्री पी.के. सेन, बी-II/2275, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
9.	डॉ. प्रकाश मुरलीधर आमटे, लोक बिरादरी प्राकल, हेमल कासा पो. भामरागढ़, जिला गढ़ चिरौली, महाराष्ट्र-442710	सदस्य
10.	डॉ. उर्मिला पिंगले, 3-34/5, मधुवन एन्क्लेव, स्ट्रीट नं. 4, हब्शीगुडा, हैदराबाद-50007. आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
11.	डॉ. के. उल्लास कारंथ, वन्यजीव अध्ययन केन्द्र, 1669, 31 क्रॉस 16 मेन, बनाशंकरी दूसरा चरण, बंगलौर, कर्नाटक-560070.	सदस्य
12.	श्री समर सिंह, पी-I, हौज खास, नई दिल्ली-110016.	सदस्य

1	2	3
13.	डॉ. अपराजिता दत्ता, होर नं. 3076-5, चौथा क्रॉस, गोकुलम पार्क मैसूर-570002. कर्नाटक	सदस्य
14.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
15.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
16.	सचिव, जनजातिय कार्य मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
18.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग	सदस्य
19.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
20.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
21.	निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डेन, आंध्र प्रदेश	सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डेन, बिहार	सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डेन, छत्तीसगढ़	सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डेन, कर्नाटक	सदस्य
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डेन, मिजोरम	सदस्य
27.	मुख्य वन्यजीव वार्डेन, पश्चिम बंगाल	सदस्य
28.	श्री पी.बी. सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय	सदस्य
29.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बाघ परियोजना), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य सचिव

विवरण-II

वर्ष 2006 और 2010 के लिए बाघ की संख्या के अनुमान का विवरण

राज्य	बाघ संख्या						
	2006			2010			वृद्धि/कमी/स्थिर
	प्राक्कलन (संख्या)	सांख्यिकीय निम्नतम सीमा	सांख्यिकीय उच्चतम सीमा	प्राक्कलन (संख्या)	सांख्यिकीय निम्नतम सीमा	सांख्यिकीय उच्चतम सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8
विशालिक-गंगेरिक प्लेन लैंडस्केप कॉम्पलेक्स							
उत्तराखंड	178	161	195	227	199	256	वृद्धि

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	109	91	127	118	113	124	स्थिर
बिहार	10	7	13	8(-)***	(-)***	(-)***	स्थिर
शिवालिक-गंगेटिक लैंडस्केप	297	259	335	353	320	388	स्थिर
सेन्ट्रल इंडियन लैंडस्केप कॉम्पलेक्स एवं ईस्टर्न घाट लैंडस्केप कॉम्पलेक्स							
आन्ध्र प्रदेश	95	84	107	72	65	79	कमी
छत्तीसगढ़	26	23	28	28	24	27	स्थिर
मध्य प्रदेश	300	236	364	257	213	301	स्थिर
महाराष्ट्र	103	76	131	169	155	183	वृद्धि
ओडिशा	45	37	53	32	20	44	स्थिर
राजस्थान	32	30	35	36	35	37	स्थिर
झारखंड	निर्धारित नहीं की गई			10	6	14	चूंकि 2006 में निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकी।
सेन्ट्रल इंडियन लैंडस्केप	601	486	718	601	518	685	स्थिर
वेस्टर्न घाट लैंडस्केप कॉम्पलेक्स							
कर्नाटक	290	241	339	300	280	320	स्थिर
केरल	46	39	53	71	67	75	वृद्धि
तमिलनाडु	76	56	95	163	153	173	वृद्धि
वेस्टर्न घाट लैंडस्केप	402	336	487	534	500	568	वृद्धि
नार्थ ईस्टर्न हिल्स एवं ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेंस							
असम	70	60	80	143	113	173	वृद्धि
अरुणाचल प्रदेश	14	12	18	निर्धारित नहीं की गई	निर्धारित नहीं की गई	निर्धारित नहीं की गई	चूंकि 2010 में निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकी।

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम	6	4	8	5(-)***	(-)***	(-)***	स्थिर
उत्तरी वेस्ट बंगाल	10	8	12	निर्धारित नहीं की गई	निर्धारित नहीं की गई	निर्धारित नहीं की गई	चूंकि 2010 में निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकी।
नार्थ ईस्ट हिल्स, एवं ब्रह्मपुत्र लैंडस्केप	100	84	118	148	118	178	वृद्धि
सुन्दरबन	निर्धारित नहीं की गई	निर्धारित नहीं की गई	निर्धारित नहीं की गई	70	64	90	चूंकि 2006 में निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकी।
कुल	1411	1165	1657	1706	1520	1909	

***कम संख्या होने के कारण निम्नतम/उच्चतम सांख्यिकीय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी।

दलित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग

2825. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कार्यरत ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग" योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र संगठनों द्वारा संचालित प्रख्यात संस्थानों/केन्द्रों को ग्राह्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता कोचिंग प्रदान करना है जिसमें;

(i) संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित समूह क और समूह ख परीक्षाएं;

(ii) बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड की परीक्षाएं; तथा

(iii) निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए फिनीशिंग/नौकरी उन्मुखी पाठ्यक्रम शामिल हैं।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों (2007-08 से 2010-11) के दौरान योजना के अंतर्गत 19,676 विद्यार्थियों को कवर करने के लिए 94 संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई।

हिमाचल प्रदेश में सी.एस.डी. डिपो

2826. श्री वीरेन्द्र कश्यपः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश राज्य में, वहां रह रहे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की संख्या के मद्देनजर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य संगठन से राज्य के ऊना जिला मुख्यालय में सीएसडी डिपो स्थापित करने हेतु कोई निवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश के ऊना में सीएसडी डिपो कब तक स्वीकृत/स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैन्यकर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा यहां रहने वाले उनके परिवारों की संख्या को देखते हुए इस मंत्रालय से इस राज्य में एक सीएसडी डिपो खोलने का अनुरोध किया था।

इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 188 कैनाल माप की भूमि का प्रस्ताव किया था। तथापि, इसके कुछ हिस्से में खड/नाला होने, जिसकी वजह से वर्षा ऋतु में यहां बाढ़ आने की संभावना है, के मद्देनजर इसे उपयुक्त नहीं पाया गया था।

(ङ) इस तथ्य को देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अभी दूसरे उपयुक्त भूखण्ड की तलाश करनी है, इस स्थिति में ऊना में डिपो की स्थापना में लगने वाले अनुमानित समय का उल्लेख करना संभव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराने पर, इस प्रस्ताव पर बजट तथा जनशक्ति की उपलब्धता के मद्देनज़र विचार किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास हेतु कार्यक्रम

2827. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम बनाने हेतु कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है

❖ **अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक विकास की योजनाएं**

- "अस्वच्छ" व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (अनूसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों के लिए)
- अनूसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- "उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा" के लिए छात्रवृत्ति
- राष्ट्रीय समुद्रपारीय अध्येतावृत्ति
- राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
- योग्यता का उन्नयन
- अनुसूचित जाति बालिकाओं और बालकों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
- अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग

❖ **अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की योजनाएं**

- अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
- हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना

निम्नलिखित से रियायती दर पर ऋण

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)

(ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

(iii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसीज)

❖ **अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शैक्षिक विकास की योजनाएं**

- अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़ा वर्ग बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रवास की निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

❖ **अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं**

- निम्नलिखित से रियायती ऋण
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम।

निशक्तता उन्मूलन

2828. श्री जगदानंद सिंहः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के निःशक्त व्यक्तियों की जनगणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निःशक्त बच्चों के जन्म के कारणों को चिह्नित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार निःशक्त व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भविष्य में देश को निःशक्तता से मुक्त करने के लिए निःशक्तता के उन्मूलन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) जनगणना, 2011 के अनुसार, विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में परिकल्पित है कि सरकारी प्रतिष्ठानों में चिह्नित पदों में निःशक्तजन के लिए 3% आरक्षण हो।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के निजी क्षेत्र में नियोजन के लिए प्रोत्साहनों की योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 25,000 रुपए मासिक वेतन वाले निजी क्षेत्र में 01.04.2008 के पश्चात् नियुक्त दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांग कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, स्वरोजगार के लिए आय सृजक कार्यकलापों को स्थापित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किसी वित्त वर्ष में किसी ग्रामीण परिवार नियोजन के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगार की गारंटी देता है जो वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हैं, जो मांग आधारित योजना है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत, कुल 100 स्वरोजगारियों को कम से कम 3% की सीमा तक विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाओं में से एक है, में 18 से 59 वर्ष के आयु समूह के बीच 200 रुपए प्रति माह की दर से प्रति लाभार्थी अत्यधिक अथवा बहु-विकलांग बीपीएल व्यक्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था है।

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत की जनगणना, 2001

विकलांगता के प्रकार के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार जनसंख्या

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल विकलांग जनसंख्या कुल व्यक्ति	विकलांगता के प्रकार के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या				
		दृष्टिबाधित व्यक्ति	वाणी विकलांग व्यक्ति	श्रवण बाधित व्यक्ति	चलन संबंधी विकलांगता वाले व्यक्ति	मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
भारत	21906769	10634881	1640868	1261722	6105477	2263821

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	302670	208713	16956	14157	37965	24879
हिमाचल प्रदेश	155950	64122	12762	15239	46512	17315
पंजाब	424523	170853	22756	17348	149758	63808
चंडीगढ़	15538	8422	882	607	3828	1799
उत्तराखंड	194769	85668	16749	15990	56474	19888
हरियाणा	455040	201358	24920	27682	151485	49595
दिल्ली	235886	120712	15505	8741	64885	26043
राजस्थान	1411979	753962	73147	75235	400577	109058
उत्तर प्रदेश	3453369	1852071	255951	128303	930580	286464
बिहार	1887611	1005605	130471	73970	512246	165319
सिक्किम	20367	10790	3174	3432	2172	799
अरुणाचल प्रदेश	33315	23079	2429	3072	3474	1261
नागालैंड	26499	9968	4398	5245	4258	2630
मणिपुर	28376	11713	2769	2994	6177	4723
मिजोरम	16011	6257	2006	2421	2476	2851
त्रिपुरा	58940	27505	5105	5699	13970	6661
मेघालय	28803	13381	3431	3668	5127	3196
असम	530300	282056	26974	51825	91970	47475
पश्चिम बंगाल	1847174	862073	170022	131579	412658	270842
झारखंड	448377	186216	39683	28233	138323	55922
ओडिशा	1021335	514104	68673	84115	250851	103592
छत्तीसगढ़	419887	160131	30438	34093	151611	43614
मध्य प्रदेश	1408528	636214	75825	85354	495878	115257
गुजरात	1045465	494624	66534	70321	310765	103221

1	2	3	4	5	6	7
दमन और दीव	3171	1898	189	120	690	274
दादरा और नगर हवेली	4048	2346	295	337	795	275
महाराष्ट्र	1569582	580930	113043	92390	569945	213274
आंध्र प्रदेश	1364981	581587	138974	73373	415848	155199
कर्नाटक	940643	440875	90717	49861	266559	92631
गोवा	15749	4393	1868	1000	4910	3578
लक्षद्वीप	1678	603	207	147	505	216
केरल	860794	334622	67066	79713	237707	141686
तमिलनाडु	1642497	964063	124479	72636	353798	127521
पुदुचेरी	25857	10646	1818	2277	8830	2286
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7057	3321	625	545	1870	669

[अनुवाद]

चाय उत्पादकों के लिए वित्तीय पैकेज

2829. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री नरहरि महतोः
श्री पी. कुमारः
श्री पी.टी. थॉमसः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कुल चाय उत्पादन में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल चाय उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुल चाय उत्पादन में छोटे चाय उत्पादकों के अंश में कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और छोटे चाय उत्पादकों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, असम में उन चाय बागानों, जो वर्ष 2003 में बंद हो गए थे, को वित्तीय पैकेज और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इन बागानों में विनिर्माता इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) देश में चाय उद्योगों की समस्याओं के निराकरण और चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि वर्ष-दर-वर्ष चाय के कारण है, तथापि उत्पादन में क्रमिक गिरावट का कोई संकेत नहीं है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान और चालू वर्ष में देश में कुल चाय उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(मात्रा मिलियन किग्रा. में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल-सितम्बर	
				2011-12	2010-11
असम	483.98	497.78	487.21	358.17	325.67
पश्चिम बंगाल	236.78	223.33	228.31	143.09	139.47
अन्य पूर्वोत्तर राज्य	13.27	13.27	13.00	7.15	7.45
कुल उत्तर भारत	734.03	734.38	728.52	508.41	472.59
तमिलनाडु	165.02	178.76	166.88	88.83	89.21
केरल	67.77	71.74	65.87	35.44	34.43
कर्नाटक	5.95	6.3	5.46	2.59	2.7
कुल दक्षिण भारत	238.74	256.80	238.21	126.86	126.34
सकल भारत	972.77	991.18	966.73	635.27	598.93

(ग) जी, नहीं। चाय के कुल उत्पादन में लघु चाय उपजकर्ताओं का हिस्सा वर्ष 2001 में 21% से बढ़कर वर्ष 2010 में 26% हो गया है। लघु चाय उपजकर्ताओं की सहायता करने के लिए नव रोपण (इकाई लागत का 25%) तथा लघु फैक्टरियों की स्थापना (इकाई लागत का 40%) के लिए सब्सिडी, पत्ती संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, पत्ती कैरी बैगों के क्रय तथा भारोत्तोलकों (इकाई लागत का 100%), 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से निविष्टि हेतु आवर्ती निधि, अध्ययन दौरों के आयोजन, चाय पौधशालाओं की स्थापना, प्रदर्शन प्लॉटों आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चाय उपजाने के आधुनिक तरीकों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2008 और 2011 के बीच चाय की कीमतों में सुधार के साथ बंद पड़े लगभग सभी चाय बागान पुनः खुल गए हैं और केवल 4 चाय बागान बंद हैं-दो पश्चिम बंगाल और दो केरल में। भारत सरकार ने बंद पड़े चाय बागानों की बहाली के लिए पुनर्स्थापना पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में बकाया बैंक ऋणों के पुनर्गठन, संचयी ब्याज में बैंकों, केन्द्र सरकार तथा लाभानुभोगियों में से प्रत्येक द्वारा एक तिहाई की भागीदारी, कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, पीएफ देयताओं में से प्रत्येक द्वारा एक तिहाई की भागीदारी, कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, पीएफ देयताओं के लिए बकाया राशि का आस्थगित भुगतान, चाय बोर्ड की ऋण स्कीमों के अंतर्गत बकाया ऋण को पूरी तरह माफ करना तथा चाय बोर्ड की जारी विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत विकास सहायता प्रदान करने में वरीयता का प्रावधान है। केरल के केवल एक बागान ने इस पैकेज का लाभ लिया था और बैंक ऋण पर संचयी ब्याज के निपटान हेतु एक-तिहाई अंशदान के रूप में देना बैंक को 73.18 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड ने अपनी पूर्ववर्ती ऋण स्कीमों के अंतर्गत बंद पड़े चाय बागानों द्वारा लिए गए ऋण के लिए 481.29 लाख रुपए बट्टे-खाते डाले थे। पुनः खोले गए बागानों में से 10 बागानों की फैक्टरियों में हरी पत्ती का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

(च) चाय उद्योग की समस्याओं का समाधान करने और देश में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जारी XIवीं योजना स्कीम के भाग के रूप में पुरानी जराजीर्ण चाय झाड़ियों के पुनर्रोपण एवं नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना की गई है। फैक्टरी आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परम्परागत चाय के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की एक स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। लघु जोतों जिनका भारत के कुल उत्पादन में लगभग 26% हिस्सा है, की उत्पादकता में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस लेना

2830. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने जम्मू कश्मीर के कतिपय क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) को हटाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना अधिनियम द्वारा प्रदत्त संरक्षण कवर की अनुपस्थिति में राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर पाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एएफएसपीए के उपबंधों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है और क्या सेना को इन मामलों में संतुष्ट कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एएफएसपीए को हटाए जाने की स्थिति में सेना के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) जम्मू व कश्मीर के कुछ जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) हटाए जाने के मुद्दे पर दिनांक 9.11.2011 को जम्मू में हुई संयुक्त मुख्यालय की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों पर निर्णय जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने तथा केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और सुरक्षा बलों के बीच विस्तार से परामर्श करने के बाद लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश मानक

2831. श्री मानिक टैगोर:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्रीमती मीना सिंह:
डॉ. संजय सिंह:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्रीमती जे. शांता:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश हेतु निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी कंपनियों, विशेषकर तम्बाकू उत्पादन कंपनियों द्वारा इन मानकों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जापान से निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त और अनुमोदित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में निवेश पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय मुद्रा में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का रियलटी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आरम्भ की गई "इन्वेस्ट इंडिया" परियोजना की मुख्य विशेषताएं और दिशा-निर्देश क्या हैं और यह परियोजना, देश-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में किस हद तक सफल रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार एक विदेशी निवेशक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी 'समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति-2011 के परिपत्र-2', जो 1 अक्तूबर, 2011 से प्रभावी है, के तहत यथा प्रदत्त मौजूदा मानकों व प्रक्रियाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के उपबंधों

के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कर सकता है। एफडीआई एक पूंजी लेखा संचालन है और एफडीआई विनियमों का उल्लंघन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999 के दंडात्मक उपबंधों के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक फेमा लागू करता है तथा वित्त मंत्रालय का प्रवर्त्तन निदेशालय फेमा के प्रवर्त्तन का प्राधिकरण है। निदेशालय फेमा के उल्लंघन के प्रकरणों की जांच करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 2008 से 30.11.2011 तक उल्लंघन का एक मामला बताया गया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स जे.टी. इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि. (तम्बाकू कंपनी) के एक अन्य मामले में कंपनी को प्रदत्त पूंजी में 46 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए की वृद्धि से संबंधित शेष धनराशि की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में संयोजित करने के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है।

(ग) अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2011 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदित जापानी निवेशकों के प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने एफडीआई पर निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने की दृष्टि से एक परामर्शदात्री प्रक्रिया के जरिए इसकी सतत आधार पर समीक्षा की जाती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्कीम के तहत उसे बताए गए निवेशक-वार आंकड़े अलग नहीं करता है। अतः अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय मुद्रा में किए गए निवेश के विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

(च) "इन्वेस्ट इंडिया" भावी विदेशी निवेशकों के लिए गैर-लाभकारी एकल खिड़की सुविधा के रूप में स्थापित तथा निवेश आकृष्ट करने के लिए एक ढांचागत तंत्र के रूप में कार्य करने हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा फिक्की के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह वीडियो कांफ्रेंसों, सेमीनारों और व्यापार मेलों के आयोजन/उनमें सहभागिता और निवेशकों की पूछताछ को सम्हालने के माध्यम से निवेश संवर्धन व सुविधाकरण सहित देश-केंद्रित उपायों के सृजन के जरिए निवेश संवर्धन क्रियाकलाप करता है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा देश-वार आकृष्ट एफडीआई के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते।

विवरण-I

जापान के लिए अप्रैल 2010 से मार्च, 2011 के दौरान अनुमोदित एफडीआई

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	पंजीकरण सं. एवं तारीख	भारतीय कंपनी का नाम एवं पता	विदेशी सहयोकर्ता का नाम एवं पता	विदेशी इक्विटी		विदेशी इक्विटी का प्रतिशत
				रुपए में	अमरीकी डॉलर में	
			देश : जापान			
1	2	3	4	5	6	7
1.	15 27 जनवरी 2010	टोयटा त्सुशु कॉर्पोरेशन नगोया, जापान,	1. मारूईची स्टील ट्यूब लि., 2. टोयटा त्सुशु कॉर्पोरेशन, गगोया	0. 00	0. 00	99. 99

1	2	3	4	5	6	7
		मार्फत् बीएमआर एडवाइज़र्स मिडिल ईस्ट डब्ल्यूएलएल, 70 द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर, प्रथम तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.	जापान।			
		स्थान-दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (दिनांक): 29 (30 अप्रैल 2010)		विनिर्माण की मदः विभिन्न श्रेणी की धातुओं धातुओं से बने सभी प्रकार की ट्यूबों के विनिर्माण, डिजाइन, गढ़ाई, प्रक्रिया, एसेंबल, विकास तथा उनकी बिक्री खरीद, आयात, पट्टा, किराया, वितरण, परिवर्तन, मरम्मत, रूपांतरण कार्य हाथ में लेना तथा अन्यथा व्यापार करना।		
2.	81 08 अप्रैल 2010	निफ्को इंक., जापान, मार्फत दुआ कंसल्टिंग प्रा. लि., 301-303, टालस्टाय हाउस 15, टालस्टाव मार्ग, नई दिल्ली-110001.	निफ्को इंक., जापान	250.00	5.46 .	100.00
		स्थान : हरियाणा (हरियाणा) अनुमोदन सं. (दिनांक):43(31 मई 2010)		विनिर्माण की मदः प्लास्टि फास्टनर और प्लास्टिक हिस्सों का कारोबार करना।		
3.	142 09 जुलाई, 2010	देवा सिक्युरिटीज कैपिटल मार्केट्स सीआई लि. जापान, मार्फत अमरचंद एंड मंगलदास	देवा सिक्युरिटीज कैपिटल मार्केट्स व. लि. जापान	348. 75	7. 49	100. 00

1	2	3	4	5	6	7
		एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कं. 5वां पेनिंसुला चेंबर्स, लोवर पारेल, मुंबई-400013				
		स्थानः राज्य बताया नहीं गया (राज्य बताया नहीं गया) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 76(31 अगस्त, 2010)		**विनिर्माण की मदः** एनबीएफसी का कारोबार, प्राथमिक डीलरशिप कार्य जिनमें शामिल हैं सरकारी प्रतिभूति बाजारों के प्राथमिक और गौण दोनों खंडों में व्यापार।		
4.	151 27 जुलाई 2010	डेन्सो कॉर्पोरेशन मार्फत कोचर एंड कं. 11वां तल, डीएलएफ टावर ए, जसोला डिस्टिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025.	डेन्सो कॉर्पोरेशन जापान	50.00	1.13	74.00
		स्थानः राज्य बताया नहीं गया (राज्य बताया नहीं गया) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 89(31 अक्टूबर 2010)		**विनिर्माण की मदः** यात्री ऑटोमोबाइल्स, बसों, ट्रकों के पुर्जे और एयरकंडीशनर		
5.	165 12 अगस्त 2010	टोयोटा त्सुशो कॉर्पो., मार्फत श्रीकांत श्रीनिवासन/विनुता उंदाले, जेसीएसएस कंसल्टिंग प्रा.लि.; दूसरा तल, यूनिवर्थ प्लाजा, 20 सेंकी रोड, बेंगलौर 560020.	टोयोटा त्सुशो कॉर्पो. जापान	500.00	10.74	100.00

1	2	3	4	5	6	7
		स्थानः तमिलनाडु (तमिलनाडु) **अनुमोदन सं. दिनांकः** 84(31 अगस्त 2010)		**विनिर्माण की मदः** इस्पात उत्पादों/कोइल्स का प्रसंस्करण		
6.	178 03 सितंबर, 2010	मैटल वन कॉर्पोरेशन, मार्फत ट्रिलिगल, ए-38, कैलाश नई दिल्ली-110048.	मैटल वन कॉर्पोरेशन जापान	387.60	8.61	85.00
		स्थानः गुड़गांव (गुड़गांव) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 108(30 नवंबर 2010)		**विनिर्माण की मदः** मारुति सुजकी लि. और इसके विक्रेताओं की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण का व्यवसाय तथा इस्पात उत्पादों की आपूर्ति		
7.	196 05 अक्टूबर, 2010	योरुजु कॉर्पोरेशन, मार्फत सुराणा एंड सुराणा इंटरनेशनल लाटोटनीज, इंटरनेशनल लॉ सेंटर, 61-63 63 राधाकृष्ण सलाई, मिलापोर चैन्नई 600004.	योरोजु कॉर्पोरेशन जापान	1.400.00	30.84	95.00
		स्थानः चेन्नई (तमिलनाडु) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 120(31 जनवरी 2011)		**विनिर्माण की मदः** चेसिस, सस्पेंशन पुर्जों और अन्य आटोमोटिव पुर्जों के विनिर्माण कारोबार में रत।		
8.	222 12 नवंबर 2010	जेएफई शोजी ट्रेड कॉर्पोरेशन मार्फत कंसल्टिंग प्रा.लि. 301-303, टालस्टाय हाउस, 15, टालस्टाय मार्ग नई दिल्ली-110001.	जेएफई शोजी ट्रेड कॉर्पोरेशन	45.60	1.00	85.00

1	2	3	4	5	6	7
		स्थानः गुड़गांव (हरियाणा) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 126(31 जनवरी 2011)		**विनिर्माण की मदः** विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादों के विनिर्माण कार्यों में रत।		
9.	236 19 नवंबर 2009	मित्सुई एंड कं. लि. जापान, मार्फत अर्न्स्ट एंड यंग प्रा.लि. गोल्ड व्यू पावर्स टावर बी, सेक्टर 42, गुड़गांव	मित्सुई एंड कं. लि.' टोकियो	2,330.00	51.76	100.00
		स्थानः तमिलनाडु (तमिलनाडु) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 63(30 नवंबर 2010)		**विनिर्माण की मदः** वेयरहाउसिंग जोनों के लिए ढांचागत सुविधाएं और वेयरहाउस स्थापित करने अधिग्रहण करने, विकसित करने और रखरखाव करने का कारोबार तथा एफटीडब्ल्यूजेड।		
10.	387 04 दिसंबर, 2010	एनटीटी डोकोमो इंक., जापान मार्फत खेतान एंड कंपनी, 1105 अशोका एस्टेट, 24 बाराखंबा रोड़, नई दिल्ली-110001	एनटीटी डोकोमो इंक., जापान	129.240. 00	2.805.81	27.31
		स्थानः ग्रेटर मुंबई (मुंबई) (महाराष्ट्र) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 78(30 सितंबर 2010)		**विनिर्माण की मदः** दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने का कारोबार।		
11.	390 04 दिसंबर, 2010	एनटीटी डोकोमो इंक., जापान, मार्फत खेतान एंड कंपनी, 1105 अशोका एस्टेट, 24 बाराखंबा रोड़, नई दिल्ली-110001	एनटीटी डोकोमो इंक., जापान	9,490.70	206.04	20.25
		स्थानः ग्रेटर मुंबई (मुंबई) (महाराष्ट्र) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 79(30 सितंबर 2010)		**विनिर्माण की मदः** दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने का कारोबार।		

अप्रैल, 2011 से अगस्त, 2011 के दौरान एफडीआई अनुमोदन

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	पंजीकरण सं. एवं तारीख	भारतीय कंपनी का नाम एवं पता	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम एवं पता	विदेशी इक्विटी रुपए में	विदेशी इक्विटी मिलियन अमरीकी डॉलर में	विदेशी इक्विटी का प्रतिशत
1.	8 11 जनवरी 2011	क्यूडेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मार्फत एंड मंगलदास एंड सुरेश ए. श्राफ एंड कंपनी, अमरचंद टॉवर्स, 216, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेस-III नई दिल्ली 110020.	क्यूडेन इंटरनेशानल कॉर्पोरेशन जापान	16. 25	0. 37	25. 00
		स्थानः राज्य बताया नहीं गया (राज्य बताया नहीं गया) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 21(30 अप्रैल 2011)		**विनिर्माण की मदः** विद्युत जनित्रण, पारेषण और वितरण।		
2.	68 30 मार्च 2011	गोशी इंडिया आटो प्रा.लि. मार्फत एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 307, पर्ल कॉर्पोरेट, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	गोशी गिकन कं.लि., जापान,	163.60	3.65	11.00
		स्थानः हरियाणा (हरियाणा) **अनुमोदन सं. (दिनांक):** 54(30 जून 2011)		**विनिर्माण की मदः** स्पेयर पार्ट बनाने और वितरण का कारोबार।		

किन्नरों को मुख्यधारा में शामिल करना

2832. श्रीमती अन्नू टंडनः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किन्नरों को भारतीय समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किन्नरों को विशेष दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की गारंटी देता है तथा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तदनुसार, नपुंसकों सहित सभी नागरिक उन्हें संविधान द्वारा की गई अधिकारों की गारंटी के अधिकारों का उपयोग करने के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण नियमावली, 1960 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत, निदेश जारी किए हैं कि मतदाता नामावली में नामांकन से संबंधित प्रपत्रों (प्रपत्र 6, 7, और 8)में नपुंसक/ट्रांससेक्सुअल अपने लिंग 'अन्य' के रूप में शामिल कर सकते हैं जहां व पुरुष अथवा महिला के रूप में वर्णित नहीं होना चाहते हैं। आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य चुाव अधिकारियों को मतदाता पत्रावलियों के प्रपत्र में तथा इस संबंध में नामांकन से संबंधित प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन करने के भी निदेश दिए हैं।

दलहनों का निर्यात

2833. श्री कीर्ति आजादः
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः
श्री एन.एस.वी. चित्तनः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्रीमती जे. शांताः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश से दलहनों, चने, काबुली चने, जैविक दलहनों और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन उत्पादों पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों का आयात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ङ) सभी दालों का निर्यात दिनांक 27.06.2006 से प्रतिबंधित है। कुछेक वस्तुओं को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है, जो है (i) काबुली चना (दिनांक 23.03.2011 से छूट) (ii) 10,000 मी. टन की वार्षिक सीमा के साथ जैविक दालों का निर्यात (दिनांक 23.06.2011 से छूट) और (iii) डीजीएफटी द्वारा दी गई विशेष अनुमति के निर्यात हेतु छूट प्रदान की गई। प्याज के निर्यात पर इस समय कोई प्रतिबंध नहीं है और यह डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन अनुमत्य है। पिछले एक वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात पर दो बार प्रतिबंध लगाया गया था अर्थात (i) दिनांक 22.12.2010 से 18.02.2011 तक और (ii) दिनांक 09.09.2011 से 20.09.2011 तक। निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने अथवा दालों और प्याज सहित वस्तुओं की निर्यात नीति में संशोधन करने का निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है कि देश में इन वस्तुओं की कोई कमी न हो और ये उपभोक्ताओं को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध रहें। निर्यात नीति की समीक्षा करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। सरकार घरेलू बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता, उत्पादन, कीमत की स्थिति और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से निर्यात नीति की समीक्षा करती है।

(मात्राः टन में और मूल्यः लाख रुपए में)

मद	2008-09		2009-10		2010-11	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्याज	89.00	6.51	629.67	135.43	12506.13	3071.16
दलहन	2593690.00	653515.00	3750005.04	1062918.12	2777827.82	751248.64

[हिन्दी]

अमोनियम नाइट्रेट

2834. श्री लाल चंद कटारिया:
श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटकों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रासायनिक यौगिक का प्रयोग कर कहां-कहां पर विस्फोट किए गए हैं; और

(ग) विस्फोटकों की सूची में वर्तमान समय में शामिल पदार्थो या रासायनिक यौगिकों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) अमोनियम नाइट्रेट दिनांक 21.07.2011 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं.का.आ. 1678 (अ) द्वारा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17 के तहत 'विस्फोटक' के रूप में अधिसूचित है।

(ख) ईंधन तेल में मिश्रित अमोनियम नाइट्रेट एएनएफओ मिश्रण के रूप में जाना जाता है और गैर-कोयला खदानों में विस्फोट में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है। भारत में विनिर्मित वाणिज्यिक विस्फोटकों में एक बड़े अवयव के रूप में अमोनियम नाइट्रेट निहित रहता है।

(ग) आतंकवादी/बम विस्फोटों के अनेक मामलों, जैसे पुणे का जर्मन बेकरी बम विस्फोट और दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट बम विस्फोट, मामलों में तात्कालिक विस्फोटक बारूद को एक अवयव के रूप में 'अमोनियम नाइट्रेट' का प्रयोग किया जाना पाया गया।

[अनुवाद]

मैला ढोने वालों के लिए योजना

2835. श्री हरिन पाठक: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को आबंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सिर पर मैला ढ़ोने की परंपरा का उन्मूलन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास संबंधी योजना की उत्तरवर्ती योजना जनवरी, 2007 में आरंभ की गई थी। विगत तीन वर्षों के दौरान शामिल किए गए लाभार्थियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रदत्त निधियों तथा इस योजना के अंतर्गत, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई निधियों के ब्यौरे संबद्ध विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने हाथ से मैला साफ करने की प्रथा के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित चार स्तरीय रणनीति अपनायी हैं:-

(i) मैनुअल स्केवेंजरों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के निर्माण अथवा रखरखाव का प्रतिषेध करने के लिए सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय (प्रतिषेध) संनिर्माण अधिनियम, 1993 का अधिनियम;

(ii) शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलना और शहरी क्षेत्रों में एकीकृत निम्न लागत सफाई योजना के अंतर्गत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफाई अभियान के अंतर्गत नये स्वच्छ शौचालयों का निर्माण;

(iii) एसआरएमएस के अंतर्गत मैनुअल स्केवेंजरों तथा उनके आश्रितों का वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास; और

(iv) छात्रवृत्तियों का प्रावधान।

विवरण

हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या जारी निधि और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या			राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को जारी निधि (वापस की गई राशि के सामायोजन के बाद	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को द्वारा उपयोग की गई निधि
		2008-09	2009-10	2010-11		
1.	असम	1875	3662	0	1161.62	1095.69
2.	बिहार	1141	6868	0	1270.16	1116.96
3.	दिल्ली	297	240	0	100.92	79.97
4.	गुजरात	34	4175	0	805.04	751.89
5.	हिमाचल प्रदेश	1418	88	0	232.28	232.28
6.	जम्मू और कश्मीर	0	83	0	18.60	18.60
7.	झारखंड	92	2787	0	506.50	241.25
8.	कर्नाटक	9	0	0	0.75	0.75
9.	मध्य प्रदेश	7841	4419	0	4687.65	3492.31
10.	महाराष्ट्र	1310	8119	0	1973.81	1530.85
11.	मेघालय	11	119	0	16.36	16.36
12.	ओडिशा	8088	4125	329	2232.92	1631.87
13.	पुडुचेरी	30	0	0	3.99	3.99
14.	राजस्थान	873	0	0	331.54	105.39
15.	तमिलनाडु	8658	1694	0	2301.42	2045.31

1	2	3	4	5	6	7
16.	उत्तर प्रदेश	280	2881	0	1049.70	79577
17.	उत्तराखंड	130	274	0	26.40	18.91
18.	पश्चिम बंगाल	1666	2269	0	546.15	536.76
	कुल योग	33753	41803	329	17265.81	13714.90

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

2836. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का राज्य-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है और उनसे कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(घ) क्या सरकार के पास कृषि उत्पादों के निर्यात संबंधी राज्य/राज्यों का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कृषि उत्पाद तथा अर्जित राजस्व का उत्पाद-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

प्रमुख वस्तुएं (मूल्य करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	चाय	2688.87	2943.53	3246.75
2.	कॉफी	2255.76	2032.06	2907.72
3.	दालें	540.22	407.35	848.86
4.	चावल-बासमती	9477.03	10889.60	10578.68
5.	चावल (बासमती से इतर)	1687.37	365.30	222.21
6.	गेहूँ	1.46	0.06	0.60
7.	अन्य अनाज	3920.58	2973.19	3604.44
8.	डेयरी उत्पाद	1130.08	549.37	784.80

1	2	3	4	5
9.	पुष्पोत्पाद	368.81	294.46	286.45
10.	मसाले	6338.42	6157.33	7864.67
11.	काजू	2900.97	2801.58	2595.09
12.	तिल	1494.26	1494.10	2190.45
13.	मूंगफली	1239.01	1425.93	20974.06
14.	ग्वारगम खाद्य	1338.99	1133.31	2811.95
15.	तेल खाद्य	10269.24	7831.79	10810.52
16.	चपडा	103.89	71.30	139.03
17.	रामतिल	64.23	24.23	40.97
18.	फल/सब्जी बीज	119.99	145.08	175.20
19.	ताजे फल	1945.24	2269.08	2133.56
20.	ताजी सब्जियां	2454.15	2941.73	2492.07
21.	प्रसंस्कृत सब्जियां	711.22	752.30	765.12
22.	प्रसंस्कृत फल एवं पेय	1099.15	1159.32	1001.63
	कुल	52148.94	48662.01	57594.83

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

कृषि उत्पादों के निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन से आयात पर निर्भरता

2837. श्री जगदीश शर्माः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्रीमती जयाप्रदाः
श्री यशवीर सिंहः
श्री नीरज शेखरः
श्री दत्ता मेघेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आयातित चीनी माल पर भारतीय विनिर्माता उद्योगों की बढ़ती निर्भरता की जानकारी है और सरकार ने देश की चीनी माल पर बढ़ती निर्भरता के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर भी विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी उद्योगों को आत्म-निर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) भारत और चीन के बीच आयात-निर्यात का प्रतिशत क्या है और चीन द्वारा वार्षिक रूप से कितना लाभ अर्जित किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का भारत में चीनी माल और कच्ची सामग्री के आयात पर शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत और चीन के बीच नकारात्मक व्यापार संतुलन पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सरकार ने चीन से आयात पर भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की निर्भरता के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, सरकार चीन के साथ बढ़ते जा रहे व्यापार घाटे के प्रति सचेत रही है।

(ख) सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की दर को बढ़ाने और इसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्यों के साथ शामिल हैं : विश्वस्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित औद्योगिक निवेश का संवर्धन और सरलीकरण; व्यापार परिवेश में सुधार; उद्योग संबंधी कौशल विकास आदि।

(ग) भारत का चीन के साथ व्यापार और चालू वर्ष में अब तक और पूर्ववर्ती दो वर्षों में भारत के वैश्विक व्यापार में इसका प्रतिशत नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(बिलियन अमरीकी डॉलर में)

	विश्व व्यापार			चीन के साथ व्यापार				
वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	कुल भारतीय निर्यात का %	कुल भारतीय अयात का %
2009-2010	178.8	288.4	-109.6	11.6	30.8	-19.2	6.5	10.7
2010-2011	252.3	346.9	-94.6	19.4	39.8	-20.5	7.7	11.5
2011-2012 (अप्रैल-जुलाई)	111.2	158.0	-46.8	5.6	18.2	-12.6	5.1	11.5

भारत के साथ व्यापार में चीन द्वारा अर्जित लाभ संबंधी सूचना नहीं रखी है।

(घ) और (ङ) सरकार भारतीय उद्योग को वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहल करती रही है, ताकि व्यापार और चालू खाता घाटों को वहनीय स्तर पर बनाए रखा जा सके। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत किसी भी देश से आयातित उन उत्पादों, जो भारतीय बाजार में या तो पाटित हैं अथवा जिनसे भारत के घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है, पर पाटनरोधी अथवा रक्षोपाय भी लागू कर सकता है।

[अनुवाद]

हाथी-दांत का अवैध व्यापार

2838. श्री वरुण गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंटरनेट पर हाथी-दांत का अवैध व्यापार व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्हें इंटरनेट पर हाथी-दांत के अवैध व्यापार के व्याप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग

2839. श्री रमाशंकर राजभरः क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर्थिक मंदी के कारण देश में कालीन बुनाई में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कालीन उद्योग की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) देश में कालीन निर्यात की तुलना में उत्तर प्रदेश में कालीन निर्यात का प्रतिशत क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कालीन उद्योग को कोई पैकेज/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है तथा यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान आर्थिक मंदी के कारण कालीन निर्यात एवं बुनाई में कमी आई थी। तथापि, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान, कालीन निर्यात एवं बुनाई में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) (i) भारत सरकार द्वारा हाथ से बुने कालीन उद्योग को संकेन्द्रित उत्पाद स्कीम के अंतर्गत रखा गया है और हाथ से बुने कालीन एवं फर्श बिछावनों के निर्यातक निर्यात के एफओबी मूल्य पर 5 प्रतिशत ड्यूटी केडिट स्क्रिप प्राप्त कर रहे हैं साथ ही साथ निर्यात पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार ने श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) तथा भदोही-मिर्जापुर कालीन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) मे कालीनों के लिए 2 मेगा कलस्टर स्वीकृत किये हैं जिसमें समस्या के निदान के लिए कालीन बुनाई प्रशिक्षण स्कीम को भी एक संघटक के रूप में रखा गया है।

(ii) कालीन उद्योग के संरक्षण, संवर्धन और हाथ से बुने कालीनों के निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमें कियान्वित कर रही है जिनमें शामिल हैं विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी; विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प/हाथ से बुने कालीनों और अन्य फर्श बिछावनों का थिमेटिक प्रदर्शन और सजीव प्रदर्शन; भारत एवं विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना; संगोष्ठियों एवं प्रचार के माध्यम से भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों का ब्राण्ड इमेज संवर्धन, प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग एवं भारत में निर्यात नीतियों के संबंध में निर्यातकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम; नई दिल्ली में कालीन एक्सपो तथा मेड इन इंडिया शो के आयोजन के अतिरिक्त निर्यातक सदस्यों को वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास सहायता और विपणन पहुंच पहल स्कीमों (मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीमूस) के अंतर्गत सहायता मुहैया कराना।

(ग) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात का प्रतिशत भारत के कुल निर्यात का लगभग 55-56 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों के लिए हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों का कुल निर्यात इस प्रकार है

2008-09 :	2708.73 करोड़ रुपये
2009-10 :	2505.33 करोड़ रुपये
2010-11 :	2992.70 करोड़ रुपये
2011-12 : (अप्रैल-नवम्बर)	2196.62 करोड़ रुपये

(घ) जहां तक हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों का संबंध है भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों के निर्यातकों को निम्न सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं:

(i) 1 जनवरी, 2011 से सभी प्रकार के हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों के संबंध में निर्यात के एफओबी मूल्य पर संकेन्द्रित उत्पाद स्कीम के अंतर्गत 5 प्रतिशत का ड्यूटी केडिट स्क्रिप और निर्यात पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस लाभ।

(ii) प्री-शिपमेंट एवं पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट पर 2 प्रतिशत की ब्याज में आर्थिक सहायता।

(iii) मेलों एवं प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठक में भागीदारी हेतु एमडीए।

(iv) भारत एवं विदेशों में मेलों/प्रदर्शनी/क्रेता-विक्रेता बैठक में भागीदारी के लिए एमएआई सहायता।

(v) भारत एवं विदेशों में मेलों/प्रदर्शनी/बीएसएम में भागीदारी के लिए वस्त्र मंत्रालय फंड से सहायता।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार ने चालू वर्ष के दौरान भारत एवं विदेशों में होने वाले मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में सदस्य निर्यातकों की भागीदारी के लिए निम्न अनुदान निर्मुक्त किए हैं:

वाणिज्य मंत्रालय की विपणन पहुंच पहल स्कीमें (मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम्स)	:	220.00 लाख रुपये
वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास सहायता	:	93.78 लाख रुपये
वस्त्र मंत्रालय	:	115.80 लाख रुपये

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग

2840. श्री अंबिका बनर्जी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निभाई गई भूमिका ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक परिषद का कार्य निष्पादन क्या है;

(ख) क्या निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के कतिपय प्रावधानों के दुरुपयोग के कोई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में निर्यात संवर्धन योजना के दुरुपयेाग को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल कार्य भारतीय निर्यातों का संवर्धन करना और उनका विकास करना है। प्रत्येक परिषद उत्पादों, परियोजनाओं और सेवाओं के एक विशेष समूह का संवर्धन करने के लिए उत्तरदायी होती है। प्रत्येक परिषद के निष्पादन का अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता है। देश के निर्यात में इन परिषदों के निष्पादन का उल्लेखनीय योगदान है। गत तीन वर्षों में भारत का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	निर्यात (मिलियन अम. डॉलर में)
2008.09	185,295
2009.10	178,751
2010.11	252,354 (अनंतिम)

(ख) से (घ) किसी भी अन्य स्कीम की तरह निर्यात संवर्धन उपायों के दुरूपयोग की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। दुरूपयोग की ऐसी संभावना अग्रिम प्राधिकार, डीईपीबी, शुल्क वापसी इत्यादि जैसी शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों में होती है। कुछेक संभावित दुरूपयोग जाली दस्तावेज बनाना, गलत घोषणा करना, वस्तुओं को घरेलू बाजार में अपवर्तित करना, आयात एवं निर्यात में बीजकों का कम/अधिक निर्धारण करना हो सकते हैं। निर्यात दायित्वों की निगरानी के दौरान अनियमितताओं के संबंध में राजस्व आसूचना महानिदेशालय, सीमाशुल्क एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत ऐसी फर्मों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। की जानेवाली कार्रवाईयों में सीमशुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के अलावा इकाइयों की आईईसी संख्या को आस्थगित करना/रद्द करना, दण्डात्मक ब्याज के साथ वित्तीय शास्ति लगाना शामिल है।

तंबाकू विनिर्माण कारखाने

2841. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली तंबाकू विनिर्माण इकाइयों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कारखानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) में तंबाकू बनाने वाली दो फैक्ट्रियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने की रिपोर्ट है। डीपीसीसी द्वारा एक मामले में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अंतर्गत बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं जिबकि दूसरे मामले में फैक्ट्री बंद करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जानवरों पर अत्याचार को रोकना

2842. श्री महाबल मिश्रा:
श्री एस.एम. रामासुब्बू:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जानवरों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने पालतू जनवारों के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया है और उन्हें वांछनीय जीवन स्तर प्रदान करने हेतु दुकान मालिकों को निदेश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जानवरों पर अत्याचार की घटनाओं, यदि कोई हों, पर कार्रवाई पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (यथा संशोधित) के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुशल श्रम की पहचान करना

2843. श्री अधलराव पाटिल शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों की दक्षता की पहचान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेडों में नए कौशल को ग्रहण करने या मौजूदा कौशल का विकास करने तथा लाभप्रद रोजगार पाने के लिए कोई योजना स्वीकृत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबद्ध आईटीआई और आईटीसी को उक्त योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निजी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वालों को अधिक भागीदारी देन और असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के कौशल को प्रमाणित करने के लिए कोई तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के कौशलों को देश में मई, 2007 से कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना के तहत उनके कौशलों के प्रमाणीकरण द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने मई, 2007 में कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना को अनुमोदन दे दिया है एवं प्रारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत, युवा देश भर में स्थित पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) से प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न व्यवसायों में नए कौशल प्रापत कर सकते हैं अथवा अपने विद्यमान कौशलों का उन्नयन कर सकते हैं। उनके द्वारा प्राप्त कौशल का मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकन निकायों द्वारा किया जाता है तथा सफल व्यक्तियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इस समय, युवा अपने लाभप्रद रोजगार हेतु अर्थव्यवस्था के 60 क्षेत्रों के तहत 1386 मॉडयूल्स में प्रशिक्षण पा सकते हैं।

(घ) और (ङ) एनसीवीटी से संबंद्ध आईटीआईज एवं आईटीसीज योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) के रूप में पंजीकृत किए जा सकते हैं वीटीपीज का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्य वर्ष भर किया जाता है।

(च) और (छ) वीटीपीज के चयन का तंत्र पहले ही से मौजूद है। राज्य सरकारें नियमित रूप से प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निजी संस्थानों/संगठनों से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं।

[हिन्दी]

चमड़े से बने उत्पादों का निर्यात

2844. श्री हरीश चौधरीः
श्री इज्यराज सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चमड़े से बने उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) चमड़े से बने उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान चर्म उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

उत्पादन

मद	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10
तैयार चमड़ा	हजार नग	28248	27840	26300
चर्म फुटवियर भारतीय किस्म (आईपीपी)	हजार जोड़ी	6592	6819	8031
चर्म फुटवियर भारतीय किस्त (एसएसआई)	जहार जोड़ी	192815	202331	210658
चर्म फुटवियर पाश्चात्य किस्म	हजार जोड़ी	20471	19893	19457
शू अपर्स	हजार जोड़ी	10344	9334	9580
चर्म परिधान	मिलियन रुपए	2856	3409	3719
चर्म वस्तुएं	मिलियन रुपए	561	519	653

(स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट)

निर्यात

	2008-09	2009-10	2010-11
निर्यात मिलियन अम. डॉलर में	3599.46	3404.57	3844.86

(स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस)

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यातों में गिरावट वैश्विक संकट के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आई थी।

(ग) सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात क्षमता के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन, पर्यावरण प्रबंधन, मानव संसाधन विकास आदि में इस क्षेत्र की वृद्धि के संवर्धन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना के दौरान 1251.29 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) कार्यान्वित कर रही है। निर्यातों के संवर्धन हेतु भारती सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 में चर्म क्षेत्र को एक फोकस क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है, जिसमें अन्य बातों अलावा (क) निर्णायक निविष्टियों के आयात हेतु पूर्ववर्ती वर्ष में निर्यात प्राप्ति के एफओबी मूल्य के 3% की सीमा तक शुल्क मुक्त आयात की अनुमति (ख) फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित चर्म उत्पादों एवं फुटवियर हेतु 4% शुल्क ऋण स्क्रिप और तैयार चमड़े हेतु 2% शुल्क ऋण स्क्रिप (ग) मशीनों के आयात को सुकर बनाने हेतु शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ईपीसीजी) (घ) पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अंतर्गत चर्म क्षेत्र (तैयार चमड़ा क्षेत्र को छोड़कर) में दर्जा धारकों हेतु दर्जाधारक प्रोत्साहन स्क्रिप स्कीम के अंतर्गत 1% शुल्क ऋण स्क्रिप जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 के दौरान चर्म उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

श्रम की कमी

2845. श्री यशवीर सिंहः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यान्वियन के कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में श्रम की भारी कमी हो रही है;

(ख) क्या फिक्की ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कारण उद्योगों में श्रम की कमी पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय उद्योग पर प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सबंध में क्या कदम उठाए गए?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में किसी ग्रामीण परिवार जिसके सदस्य स्वेच्छा से अकुशल श्रम वाला कार्य करने के लिए तैयार हों, को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी द्वारा लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। यह किसी को भी अपनी रुचि के कोई अन्य आजीविका साधनों को अपनाने से नहीं रोकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.08.2011 की स्थिति के अनुसार समग्र देश के रोजगार कार्यालयों में 39.9 मिलियन रोजगार चाहने वालों, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हो, पंजीकृत थे।

(ख) और (ग) अगस्त एवं सितंबर, 2011 के महीनों के दौरान सदस्य एसोसिएशनों तथा वैयक्तिक कंपनियों को परिचालित की गई एक लघु प्रश्नावली के आधार पर एफआईसीसीआई ने सूचित किया है कि भारतीय उद्योग के सदस्य श्रम की उपलब्धता से संबंधित गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं; कि उनके कामगारों ने अधिक वेतन की मांग आरंभ कर दी है और यह कि कामगारों की कमी के कारण पुष्ट आदेशों को पूरा करने के संबंध में कंपनियों ने पहले ही मुश्किलों का सामना करना आरंभ कर दिया है। यह भी सूचित किया गया है कि कंपनियां निम्नलिखित कदमों द्वारा श्रम की कमी के प्रभाव को न्यूनतम करने के प्रयास कर रही हैं:

- भर्ती कैम्पों का आयोजन एवं भाग लेना
- बेरोजगार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देना और उन्हें कंपनी के लिए रखना
- भर्ती किए गए नए व्यक्तियों को बेहतर लाभ एवं कार्य वातावरण प्रस्तुत करना
- 'उपस्थिति बोनस योजना' जैसी प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ करना
- शिफ्टों के समय में बढ़ोत्तरी करना
- बृहतर मैकेनाइजेशन की ओर उन्मुख होना

[हिन्दी]

एसईजेड का प्रभाव

2846. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों से लाभांवित हो रहे ग्रामीण और कृषि उद्योगों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) क्या एसईजेड में ग्रामीण और कृषि उद्योग सरकार के लिए समुचित राजस्व जुटा पाने में समर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों से विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा जुटाये गये कुल राजस्व का प्रतिशत क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) कृषि क्षेत्र के एसईजेडों की स्थापना हेतु कुल छह प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें से पाँच को अधिसूचित कर दिया गया है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों द्वारा बहु-उत्पाद एसईजेडों में स्थापित कुछेक इकाइयाँ पहले से निर्यात कर रही हैं।

(ख) और (ग) एसईजेड इकाइयों द्वारा उत्पादन की शुरूआत से 5 वर्ष की अवधि के लिए संचयी रूप से परिकलनीय सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय प्राप्त करना अपेक्षित है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी इकाईयों के उत्पादों हेतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) स्वीकृति से भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है।

(घ) और (ङ) हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त निविष्टियों और एसईजेड स्कीम के कार्यचालन के आधार पर एसईजेड परियोजनाओं के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रचालन को सुकर बनाने के लिए समय-समय पर एसईजेड नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

बेरोजगारी का अनुमान लगाना

2847. श्री उदयनराजे भोंसले:
श्री भोला सिंह:

क्या **श्रम ओर रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई रजिस्टर बनाया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या क्या है;

(ग) देश में बेरोजगारी दर का अनुमान लगाने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(घ) क्या सरकार के पास सर्वेक्षण अविध को एक वर्ष से घटा कर छह महीने करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या प्रायः देश में बेरोजगारी के स्तर के संकेतक के रूप में ली जाती है।

(ख) 30.09.2011 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या ग्रामीण एवं शहरी दोनों को मिलाकर 401.02 लाख थी।

(ग) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर, बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति आधार तथा चालू दैनिक स्थिति आधार पर अनुमानित की जाती है।

(घ) और (ङ) रोजगार तथा बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत श्रम ब्यूरो ने 2009-2010 की अवधि के लिए देश में 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 300 जिलों में रोजगार तथा बेरोजगारी पर प्रथम वार्षिक परिवार सर्वेक्षण किया है। रोजगार तथा बेरोजगारी पर वर्ष 2010-11 के लिए दूसरा परिवार सर्वेक्षण प्रगति पर है।

ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग

2848. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बीओटी माध्यम के अंतर्गत एनएचडीपी चरण तीन के अधीन ओडिशा राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जिसके सुधार का कार्य एनएचएआई को दिया है, के खण्डों का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य के लिए कनसेशनायर को संलग्न किया गया है;

(ख) क्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान सड़क के रख-रखाव के लिए कनसेशनायर जिम्मेदार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर लुहराचटी-सम्बलपुर, रेमुली-राजामुन्डा और चण्डीखोल से तालचर की खराब स्थिति को ध्यान में मिलया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रियायत प्राप्त करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रारा सं.	खंड (लंबाई)	स्थिति
215	पानिकोइली-रिमूली (163 किमी)	रियायत करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
215	रिमूली-रॉक्सी-राजमुंडा (96 किमी)	रियायत करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
6	सम्बलपुर-बारागढ़-ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा (88 किमी)	रियायत करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। नियत तारीख 14.11.2011
203	भुनवेश्वर-पुरी (59 किमी)	रियायत करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
42	कटक-अंगुल (96 किमी)	कार्य सौंपा गया। रियायत करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाते हैं।
200	चंडीखोल-दुबरी-तलचर (132.50 किमी)	कार्य अभी सौंपा नहीं गया है।

(ख) जी हां। कार्यक्रम के दौरान सड़क के अनुरक्षण के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी होता है।

(ग) और (घ) खंडों के अनुसार के लिए रियायतग्राही स्थिति नियत तारीख के बाद ही उत्तरदायी होता है। नियत तारीख घोषित किए जाने के लिए 80% भूमि सौंपा जाना एक पूर्व-शर्त है। इसीलिए रियायतग्राही, खंडों का अनुरक्षण शुरू नहीं कर सका। तथापि, सड़कों को यातायात अनुकूल स्थिति में बनाए रखने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान रारा-215 के पानिकोइली-रिमूली खंड पर 81.50 लाख रु. रारा-200 के चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड पर 66 लाख रु. अनुरक्षण कार्य के लिए और रारा-6 के सम्बलपुर-बारागढ़-ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा खंड पर जीरा पुल की मरम्मत के लिए 282.50 लाख रु. संस्वीकृत किए गए हैं।

ग्लोबल वार्मिंग

2849. श्री एस.के. राघवनः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण पारिस्थितिकी सिकुड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इसके कारण कपास, मक्का और स्ट्राबेरी आदि जैसी फसलें और छोटे जानवर और पक्षी प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मानव और पशुओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी पैन्ल (आईपीसीसी), 2007 की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में पारिप्रणाली अवसंरचना तथा प्रकार्य में भारी परिवर्तन होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भी कृषिगत फसलों, बागवानी, वनों, पशुधन, मात्स्यिकी, आदि पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2004 में एक अनुसंधान कार्यक्रम चलाया। इस अध्ययन से पता चलता है कि तापमान में वृद्धि का प्रभाव फसलों, बागवानी, जल संसाधनों, पशुधन और मात्स्यिकी पर पड़ेगा।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित "क्लाइमेट चेन्ज एंड इंडिया : 4×4 असेसमेंट-अ सेक्टोरल एंड रीजनल एनालिसिस फॉर 2030स" शीर्षक की एक अध्ययन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मानवों में मलेरिया के फैलने में वृद्धि होगी और नए क्षेत्रों में फैलने की आशंका है। इस मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन पहले से ही जारी है। वाहक जनित रोगों, श्वसन संबंधी रोगों और वायु प्रदूषकों तथा आंखों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी अध्ययन करने हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में टास्क फोर्स समूहों का गठन किया गया है।

आरएसबीवाई

2850. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री उदयनराजे भोंसले:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है जिन्हें प्रीमियम धनराशि का भुगतान नहीं करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आरएसबीवाई कार्ड के दुरुपयोग की कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का दुरुपयोग किया गया है तथा सरकार द्वारा ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) अनेक अस्पतालों में अनियमितताओं से संबधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। योजना पर इसके गंभीर प्रभाव के मद्देनजर, मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त एक केन्द्रीय दल ने इन शिकायतों और आरएसबीवाई के समग्र निष्पादन की जांच करने के लिए इन राज्यों का दौरा किया। जैसा कि राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा सूचित किया गया है, 158 अस्पताल पैनल से हटा दिए गए हैं चूंकि उन्हें कदाचार/अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया। उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(क) लाभग्राहियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना।

(ख) बीमा कंपनियों को सलाह जारी की गयी है।

(ग) अस्पतालों और बीमा कंपनियों की कारगर निगरानी सहज बनाने हेतु आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।

जीआरईएफ में भर्ती

2851. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) में समूह 'क' कार्मिकों के कुछ अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां तो क्या जीआरईएफ संवर्ग के अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. अधिकारियों को इन अतिरिक्त स्वीकृत पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो जीआरईएफ संवर्ग के अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. अधिकारियों के लिए आरक्षित विभिन्न पदों में से अभी भी रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है और इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। 2006 में सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप जनरल रिजर्व इंजीनियर बल (ग्रेफ) में समूह 'क' कार्मिकों के स्वीकृत पद 654 से बढ़ाकर 980 कर दिए गए थे।

(ख) भारत सरकार की नीति के अनुसार, सीमा सड़क संगठन में भी जनर रिजर्व इंजीनियर बल के लिए प्रवेश स्तर पर समूह 'क' पदों में आरक्षण किया जाता है।

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर बल के समूह 'क' अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के विभिन्न पदों में प्रवेश स्तर पर आज की तारीख में रिक्त पड़े पदों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
(क)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	31	13	36	80
(ख)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (ईएंडएम)	3	6	10	19
(ग)	प्रशासनिक अधिकारी	3	4	9	16

भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समूह 'क' पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा साक्षात्कार लेकर की जाती है। सहायक कार्यपालक इंजीनियरों के रिक्त पदों के प्रति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों के आधार पर, 2010-11 में अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 56 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए थे। वर्ष 2011 के लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों सहित सहायक कार्यपालक इंजीनियर के 90 रिक्त पदों की मांग संघ लोक सेवा आयोग को पहले ही भेज दी गई है। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन

2852. श्री शिवराम गौडाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास विभिन्न विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने के नियमों को सरल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण (प्रभाव) मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है। ऐसी परियोजनाओं को सरल बनाने के लिए समय-समय पर अनेक परिपत्र स्पष्टतः जारी किए गए हैं मौजूदा समय में ईआईए अधिसूचना, 2006 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) हेतु परियोजनाओं पर शीघ्र विचार किए जाने के उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ मूल्य-निर्धारण समितियों (ईएसी) की नियमित बैठकें आयोजित करना।

(ii) टीओआर और ईआईए रिपोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट संहिताओं को तैयार करना।

(iii) परियोजनाओं की स्थिति, बैठकों के कार्यवृत्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों के पत्र आदि को शामिल करते हुए सभी पणधारियों को सूचना देने के लिए वेबसाईट को नियमित रूप से अद्यतन करना।

[हिन्दी]

वन भूमि का विपथन

2853. श्री के.डी. देशमुखः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जन उपयोगी अवसंरचना के सृजन के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जहां अन्य प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) केंद्रीय सरकार ने स्कूल, औषधालय/अस्पताल, विद्युत और दूरसंचार लाइनों, पेयजल, जल/वर्षा जल संचयन, संरचनाओं, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, कौशल कोटि-निर्धारित/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विद्युत सब-स्टेशनों, संचार चौथी और पुलिस स्थापना जैसे संवेदनशील क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात) में पुलिस स्टेशनों/आऊट पोस्टों/सीमा चौकियों/निगरानी टावरों जैसी 11 विशिष्ट श्रेणियों की जन उपयोगी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक मामले में अपेक्षित, 1.00 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रदान किए हैं। यह सामान्य अनुमोदन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश में सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों में लागू हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए मानक और शर्तें विवरण-I में दिये गये हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में जन उपयोगी अवसंरचना के त्वरित सृजन को सुकर बनाने के लिए 3 नवंबर, 2010 को ग्रामीण सड़कों और ऑप्टिकल फाइबर केबलों को भूमिगत बिछाने, टेलीफोन लाइनों और सरकारी विभागों द्वारा पेयजल आपूर्ति 13 विशिष्ट श्रेणियों की जन उपयोगी अवसंरचना के निष्पादन हेतु, प्रत्येक मामले में एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 2.00 हेक्टेयर तक वन भूमि के अपर्वतन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन में छूट प्रदान की है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानक और शर्तें विवरण-II में दी गई हैं।

13 मई, 2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा 60 एलडब्लयू प्रभावित जिलों में सरकारी विभागों द्वारा उपर्युक्त 13 श्रेणियों की जन उपयोगी अवसंरचना के निष्पादन हेतु प्रत्येक मामले में 5.00 हेक्टेयर तक की वन भूमि के अपवर्तन के लिए सामान्य अनुमोदन में और अधिक छूट प्रदान की है। इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानक और शर्तें विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी विभागों द्वारा जन उपयोगी अवसंरचना के सृजन हेतु प्रत्येक मामले में 1.00 हेक्टेयर तक के वन क्षेत्र के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन में निर्धारित किए गए मानदंड और शर्तें।

1. उपर्युक्त-वर्णित विनिर्दिष्ट विकासात्मक कार्यों के लिए अपवर्तित वन भूमि, प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम होना चाहिए।

2. ऐसी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए स्वीकृति, इस शर्त के अध्याधीन होनी चाहिए कि वह आवश्यकता पर आधारित है।

3. भूमि की विधिक स्थिति अपवर्तित रहेगी अर्थात् आरक्षित/सुरक्षित/ग्राम/अवर्गीकृत/वनों की अन्य किस्में/वन, जैसा मामला हो।

4. प्रयोक्ता अभिकरण, राज्य/संघ शासित सरकार को परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र अर्थात् वन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम-6 में यथा प्रदत्त प्रपत्र-ए में प्रस्तुत करेगा।

5. परियोजना में प्रति हेक्टेयर पचास पेड़ों से अधिक पेड़ों की कटाई होनी चाहिए। अपवर्तित वन क्षेत्र हेतु काटे जाने वाले पेड़ों की अधिक संख्या, अनुरूप अनुमत सीमा, अपवर्तित क्षेत्र की सीमा के अनुपात में होगी।

6. यह परियोजना स्थल राष्ट्रीय अथवा वन्यजीव अभ्यारण्य अथवा सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर होनी चाहिए।

7. संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, परियोजना हेतु वन भूमि की आवश्यक न्यूनतम अपेक्षा का मूल्यांकन करेगा, जो प्रत्येक मामले मे एक हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी और इस संबंध में यह प्रमाणित भी किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत किए गए वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमति प्राप्त करेगा।

9. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), ऐसे मामलों के अनुमोदन के संबंध में नियमित रूप से हर माह की 5 तारीख तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए शक्ति के अनुपयोग को केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशिष्ट समयावधि तक अथवा सूचना प्रस्तुत किए जाने तक निलंबित किया जा सकता है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण, परियोजना लागत पर हरित आवरण को बनाए रखने के लिए अपवर्तित भूमि पर गिराये गए पेड़ों की संख्या से दुगनी संख्या में पेड़ों का रोपण करेगा और उनका रख-रखाव करेगा। इस प्रयोजनार्थ पौध रोपण स्थल, राज्य वन विभाग (परियोजना के आस-पास के क्षेत्र में अथवा उसके अंदर) अभिज्ञात किया जाएगा। केवल देशज वन की वृक्ष प्रजातियों को ऐसे रोपण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यदि पेड़ों को अपवर्तित क्षेत्र पर रोपित किया जाता है, तो उन्हें राज्य वन विभाग की अनुमति के बिना काटा नहीं जाएगा। समीपवर्ती क्षेत्र में रोपित पेड़, राज्यवन विभाग संबंधित होंगे।

11. प्रयोक्ता अभिकरण, समीपवर्ती क्षेत्र में वनस्पतिजात/प्राणिजात को किसी भी किस्म की क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे और अतः उन्हें संरक्षित रखने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे।

12. प्रयोक्ता अभिकरण, अपवर्तित वन भूमि के कानून द्वारा यथास्थापित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान करेगा।

13. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मानीटरिंग की शर्त पर होगी।

14. वन भूमि को प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ वन भूमि को उपयोग में नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना भूमि उपयोग में कोई भी अनुमति के बिना भूमि उपयोग में कोई भी परिवर्तन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा। राज्य/संघ शासित प्रदेश के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसे परिवर्तनों के लिए अनुरोध किया जा सकेगा।

15. समय-समय पर राज्य वन विभाग/राज्य सरकार अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वनों के संरक्षण, सुरक्षा और अथवा विकास के हित किसी भी शर्त को लागू कर सकता है।

केंद्रीय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सरकारी विभागों द्वारा जन उपयोगी परियोजनाओं के सृजन हेतु प्रत्येक मामले में 2.00 हेक्टेयर तक के वन क्षेत्र के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन में निर्धारित किए गए मानदंड और शर्तें:

1. 35 सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लयूई) प्रभावित जिलों मे उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों को शामिल करती हुई सार्वजनिक अवसंरचनाओं हेतु "सामान्य अनुमोदनों" में छूट 2.00 हेक्टेयर वन भूमि से अधिक क्षेत्र के लिए नहीं होगी।

2. गृह मंत्रालय द्वारा जैसे और जब भी अभिज्ञात किया जाएगा एलडब्लयूई जिलों को ऐसी छूट का निस्तारण लागू होगा।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 03.01.2005 और 11.09.2009 के पत्र में अंतर्निहित वे सभी अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 1.00 हेक्टेयर वन भूमि से अधिक क्षेत्र को सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया था; अनुप्रयोज्य होगा।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 16.10.2000 और 08.04.2009 के पत्र में अंतर्निहित वे सभी अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 1.00 हेक्टेयर वन भूमि से अधिक क्षेत्र पर ऑप्टिकल फाईबर केबलों की भूमिगत तारों को बिछाने, टेलीफोन लाइनों और पेयजल आपूर्ति के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया था, पर भी अनुप्रयोज्य होंगी।

5. यह सामान्य अनुमोदन दिनांक 31.12.2015 तक मान्य होगा।

विवरण-II

केंद्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई योजना (आईएपी) के कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञत 60 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सरकारी विभागों द्वारा जन उपयोगी अवसंरचना के सृजन हेतु प्रत्येक मामले में 5.00 हेक्टेयर तक की वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन में निर्धारित किए गए मानदंड और शर्तें;

1. यह समेकित कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात केवल 60 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में लागू होगा।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा दिनांक 03.01.2005 और 11.09.2009 के पत्र, जिनमें पर्यावरण एवं वन मंत्री ने सरकारी विभागों द्वारा जन उपयोगी अवसंरचना के सृजन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन प्रदान किया था, द्वारा अनुबद्ध वे सभी निबंधन और शर्ते (क्षतिपूर्ति वनीकरण के सृजन और रख-रखाव से संबधित शर्तों को छोड़कर)।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा दिनांक 16.10.2000 और 08.04.2009 के पत्र, जिनमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ऑप्टिकल फाईबर केबलों की भूमिगत तारों को बिछाने, टेलीफोन लाइनों और पेजजल आपूर्ति लाइनों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अतर्गत सामान्य अनुमोदन प्रदान किया था, द्वारा अनुबद्ध वे सभी निबंधन और शर्ते (क्षतिपूर्ति वनीकरण सृजन और रख-रखाव से संबंधित को छोड़कर)।

4. राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले में यथाप्रयोज्य दरों पर एनपीवी वसूल करेगा और तदर्थ काम्पा को उनकी सूचना और रिकार्ड के लिए इसे स्थानान्तरित करेगा।

5. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए वन (संरक्षण) नियम, 2003 में अनुबद्ध कार्यविधि का पालन करेगी।

6. सुरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के अपवर्तन के लिए तुरंत सामान्य अनुप्रयोज्य, लागू नहीं होगा।

7. प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त हो रही अवधि के लिए छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सामान्य अनुमोदन के अंतर्गत अपवर्तित सभी वन भूमि के ब्यौरों के साथ उल्लिखित प्रयोजन हेतु अपवर्तित वन भूमि के वास्तविक रूप से उपयोगिता की स्थिति की होगी।

8. यह सामान्य अनुमोदन दिनांक 31.12.2015 तक मान्य रहेगा।

[अनुवाद]

तटीय सुरक्षा को खतरा

2854. श्री वैजयंत पांडाः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री संजय भोईः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री समीर भुजबलः
श्री भास्करराव बापूराव पाटिल खतगांवकरः
श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की विशाल समुद्र तट-रेखा समुद्री डकैती और आतंकवादी संगठनों से अभी भी आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों सहित सुभेद्य तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तटीय सुरक्षा योजना चरण-II के अंतर्गत समुद्रतट-रेखा पर निगरानी को तेज करने के लिए तटीय राज्यों के लिए वाले राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कितनी राशि के व्यय किए जाने की संभावना है; और

(च) तटीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) अभी तक कोई विनिर्दिष्ट जानकारी नहीं है। सरकार देश की तटीय सुरक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। पश्चिमी तट सहित तटों पर लगातार सतर्कता एवं निगरानी रखी जानी होती है। इसके लिए नौसेना और तटरक्षक बल दोनों को ही तटीय राज्यों एवं द्वीपीय क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों, उपस्करों, जनशक्ति तथा अवसंरचना के संदर्भ में सुदृढ़ किया गया है। तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए निगरानी तंत्र में सुधार लाना और पहले से अधिक गश्त लगाना शामिल है। द्वीपीय क्षेत्रों समेत तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु अपनाए गए नए दृष्टिकोण की प्रभावकारिता की जांच करने हेतु नौसेना तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य संबंधियों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास संचालित किए जाते हैं। संयुक्त प्रचालन केंद्र और बहु-अभिकरणीय समन्वय तंत्र के गठन के साथ ही आसूचना तंत्र को भी सरल एवं कारगर बनाया गया है। किए गए अन्य उपायों में देश की सम्पूर्ण तटीय सीमा रेखा तथा द्वीपों को कवर करते हुए तटीय रेडार स्टेशनों की एक श्रृंखला की स्थापना शामिल है।

गृह मंत्रालय की तटीय सुरक्षा योजना चरण-II में सभी नौ तटीय राज्यों तथा चार संघ शासित प्रदेशों हेतु अगले पांच वर्षों में लगभग 1,579.91 करोड़ रुपये की लागत से 180 गश्ती नौकाओं के साथ-साथ अन्य परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

2855. श्री माणिकराव होडल्या गावितः
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः
श्री महेश जोशीः
कुमारी सरोज पाण्डेयः
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथः
श्री सुशील कुमार सिंहः
श्री अब्दुल रहमानः
श्री हेमानंद बिसवालः
श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई बावलियाः
श्रीमती इन्ग्रिड मैकलोडः

श्री यशवीर सिंहः
श्री रमेन डेकाः
श्री मोहम्मद असरारुल हकः
श्री नीरज शेखरः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिंचाई, विद्युत, आवास, खनन आदि विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय के पास वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) लंबितता के क्या कारण हैं तथा ये प्रस्ताव परियोजना-वार कब से लंबित हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं अस्वीकृत हुई हैं और इनके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने तथा ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु व्यवहार्य नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/रणनीति प्रस्तावित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) सिंचाई, ताप विद्युत, खनन, भवन और निर्माण परियोजनाएं जिनमें आवासीय और उद्योग शामिल हैं समेत जलविद्युत क्षेत्र को शामिल करते हुए विकासात्मक परियोजनाएं जो वर्तमान समय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हुई हैं, का राज्य और संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाएं, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूर्ण सूचना को नहीं दिए जाने के कारण समय की विभिन्न अवस्थाओं में लंबित पड़ी हुई हैं।

(ग) सिंचाई, ताप विद्युत, खनन, भवन और निर्माण परियोजनाएं जिनमें आवासीय और उद्योग शामिल हैं सहित जलविद्युत क्षेत्र को शामिल करते हुए विकासात्मक परियोजनाएं, जो वर्तमान समय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हुई हैं, का तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य और संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सिंचाई, ताप विद्युत, खनन, भवन और निर्माण परियोजनाओं सहित जलविद्युत क्षेत्र को शामिल करते हुए विकासात्मक परियोजनाओं और उद्योग द्वारा अस्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृतियों का गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य और संघ शासित वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्तावों के त्वरित मूल्य-निर्धारण हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं

(i) विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए विशेषज्ञ मूल्य-निर्धारण समिति की नियमित रूप से बैठकें।

(ii) सभी पणधारियों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाईट पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजनाओं की स्थिति को नियमति रूप से अद्यतन बनाया जाना।

(iii) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईआईए-ईएमपी रिपोर्टों की बेहतर तरह से तैयारी को सुकर बनाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट संहिताएं तैयार की गईं तथा मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

(iv) पूर्ण संगत सूचना से ईआईए-ईएमपी रिपोर्टों की तैयारी में परियोजना प्रस्तावाकों को सुविधा प्रदान करते हुए ईआई अधिसूचना, 2006 पर कई परिपत्र और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया भी एमओईएफ की वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

विवरण-I

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विभिन्न क्षेत्रों की लंबित पड़ी हुई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा (30.11.2011 तक)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	खनन	तापविद्युत	जल विद्युत और सिंचाई	भवन और निर्माण	उद्योग
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				03	

1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	06			03	30
अरुणाचल प्रदेश			03		
असम				12	08
बिहार			01		02
छत्तीसगढ़	11	01			06
दमन और दीव				01	01
दादरा और नगर हवेली				01	01
दिल्ली					
गोवा	01			01	
गुजरात	04	04		01	
हरियाणा	01			155	04
हिमाचल प्रदेश	01		01		01
जम्मू और कश्मीर					01
झारखंड	17	04		03	03
कर्नाटक	08	02	01		25
केरल		02		10	01
मध्य प्रदेश	10	04			07
मणिपुर			01		
महाराष्ट्र	08	03	03		13
मेघालय			01		
ओडिशा	24	04			14
पुडुचेरी					
पंजाब					05

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	32	04			03
सिक्किम					
तमिलनाडु	04	04		143	06
त्रिपुरा				01	
उत्तराखंड	07	01	02		03
उत्तर प्रदेश	24	02			03
पश्चिम बंगाल		01			07
कुल	157	36	13	341	174

विवरण-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदत्त परियोजनाओं का राज्य-वार और राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	खनन	तापविद्युत	जल विद्युत और सिंचाई	भवन और निर्माण	उद्योग
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					
आंध्र प्रदेश	26	01	67	24	196
अरुणाचल प्रदेश		07			04
असम	01		01	08	50
बिहार	03			04	23
छत्तीसगढ़	21	01	43	04	75
चंडीगढ़				07	
दादरा और नगर हवेली					06
दमन और दीव					12

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	01			66	
गोव	01		50	24	10
गुजरात	15		28	07	437
हरियाणा	04	01	02	109	23
हिमाचल प्रदेश		08	02	02	15
जम्मू और कश्मीर		01	02		04
झारखंड	08		49	01	59
कर्नाटक	05	02	55	02	72
केरल				94	05
मध्य प्रदेश	10	03	57	08	39
महाराष्ट्र	27	06	57	112	158
मणिपुर		01			
मेघालय	01	01	01		10
मिजोरम					01
ओडिशा	16	02	140	06	76
पंजाब	04			51	21
पुड्डुचेरी					
राजस्थान	08	01	88	24	54
सिक्किम		04			
तमिलनाडु	26		11	76	73
त्रिपुरा					03
उत्तराखंड	03	04	136	10	34
उत्तर प्रदेश	06	02	02	15	17
पश्चिम बंगाल	05	01	14	01	105
कुल	191	46	646	655	1600

विवरण-III

वर्ष 2008-2010 और चालू वर्ष के दौरान जिन प्रस्तावों को पर्यावरणीय स्वीकृत अस्वीकार की गई थी, उनका ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	खनन	ताप विद्युत
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
आंध्र प्रदेश		
अरुणाचल प्रदेश		
असम		
बिहार		
छत्तीसगढ़	02	
दमन और द्वीप		
दिल्ली		
गोवा	02	
गुजरात	03	
हरियाणा		
हिमाचल प्रदेश		
जम्मू और कश्मीर		
झारखंड	01	
कर्नाटक	02	01
केरल		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र	02	
मेघालय		
ओडिशा		
पुड्डुचेरी		
पंजाब		
राजस्थान	06	
सिक्किम		
तमिलनाडु		
त्रिपुरा		
उत्तराखंड		
उत्तर प्रदेश		
पश्चिम बंगाल		
कुल	18	01

[अनुवाद]

बीड़ी कामगार

2856. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टीः
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीड़ी उद्योग घोर वित्तीय संकट से गुजर रहा है तथा रुग्ण उद्योग घोषित किए जाने के कगार पर है जिससे कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बीड़ी उद्योग को विशेष पैकेज उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में बीड़ी कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(च) देश के अन्य क्षेत्र के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की तुलना में बीड़ी कामगारों के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं कि बीड़ी कामगारों को घोषित न्यूनतम मजदूरी मिले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में बीड़ी उद्योगों के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकार द्वारा बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन तथा सामाजिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए 4 नए अस्पताल तथा 40 औषधालयों स्वीकृत किए हैं। सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का भी विस्तार किया है।

(च) और (छ) बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। राज्य सरकारें बीड़ी कामगारों के लिए यथाघोषित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल मजदूरी (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	130 (प्रति 1000 बीड़ी)
3.	असम	120.00 (1000 बीड़ियों के लिए)
4.	बिहार	159.00 (कुशल बीड़ी कामगार के लिए) 194.00 (उच्च कुशलता वाले बीड़ी कामगार)
5.	छत्तीसगढ़	41.31 (1000 बीड़ियों के लिए) 2613.00 (अकुशल श्रेणी के लिए प्रतिमाह)
8.	गुजरात	171.00 (1000 बीड़ियों के लिए)
9.	झारखंड	97.32 + 5.22 (निगम क्षेत्र में प्रति 100 बीड़ियों के लिए) 92.11 + 4.94 (जिला मुख्यालय में प्रति 1000 बीड़ियों के लिए) 89.50 + 4.80 (जिला नगरपालिका क्षेत्र में प्रति 1000 बीड़ियों के लिए)
10.	कर्नाटक	74.62 (प्रति 1000 बीड़ी)
11.	केरल	128 (प्रति 900 बीड़ी)
12.	मध्य प्रदेश	45.64 (प्रति 1000 बीड़ी)
13.	महाराष्ट्र	41.00 + 51.30 विशेष भत्ता. (1000 बीड़ियों के लिए) क्षेत्र-I 39.00 + 51.30 विशेष भत्ता. (1000 बीड़ियों के लिए) क्षेत्र-II
14.	ओडिशा	63.68 (1000 बीड़ियों के लिए)

1	2	3
15.	राजस्थान	101.93 (1000 बीड़ियों के लिए)
16.	त्रिपुरा	65.00 (1000 बीड़ियों के लिए)
17.	तमिलनाडु	95.00 (1000 जदी बीड़ियों के लिए) 94.80 (1000 सादी बीड़ियों के लिए)
18.	उत्तर प्रदेश	60.00 (प्रति 1000 बीड़ी)
19.	पश्चिम बंगाल कोलकाता	151.53 (1000 बीड़ियों के लिए)
	हावड़ा एवं हुगली	136.41 (1000 बीड़ियों के लिए)
	अन्य जिले	123.97 (1000 बीड़ियों के लिए)

[हिन्दी]

निजी प्लेसमेंट एजेंसियां

2857. श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कार्य कर रही पंजीकृत और अपंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या कोई प्लेसमेंट एजेसियां भ्रामक विज्ञापन देकर नौकरी खोजने वालों को ठग रही हैं और उनका शोषण पर रही हैं;

(ग) संदेहास्पद निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रसार को रोकने तथा ऐसे नकली विज्ञापनों के लिए प्रकाशक और प्रसारक को जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक राष्ट्रीय रोजगार नीति का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) निजी प्लेसमेंट एजेंसियों से संबंधित आंकड़ों का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

(ख) इस संबंध में मीडिया के कुछ भागों से रिपोर्टे सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ग) प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत लाइसेंस प्राप्त ओवरसीज भर्ती एजेंसियों (निजी प्लेसमेंट एजेंसियां) के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अपंजीकृत भर्ती एजेन्टों के मामले में, संबंधित राज्यों के संगत विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों को मामले अग्रेषित कर दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों हेतु निजी प्लेसमेंट एजेंसियों एवं आकर्षक/भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए 31.10.2011 को त्रिपक्षीय समिति का भी गठन किया गया है। उक्त समिति की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 11.11.2011 को आयोजित की गई।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की गति तेज करने के लिए एवं खासकर असंगठित क्षेत्र में उत्पादकता, औसत अर्जन के संदर्भ में रोजगार गुणवत्ता में सुधार तथा कामगारों के संरक्षण के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंतर्गत मैक्रो आर्थिक नीति, क्षेत्रीय नीति, श्रम नीति, अति लघु तथा लघु उद्यमों, कौशल विकास, महिलाओं एवं अन्य साधनहीन कामगार संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया है तथा रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु उपाय सुझाए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय

2858. श्री भक्त चरण दासः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-5 पर बेहतर समन्वय के लिए भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है तथा उक्त जलमार्ग के कार्यान्वयन के लिए निधि आबंटित कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (ग) ब्रह्मणी-खटसुआ-धम्रा नदी प्रणाली के तलचर धम्रा जलखण्ड के साथ-साथ पूर्वी तट नहर का जियोनखली-चरबातिया जलखण्ड, मताई नदी का चरबतिया धम्रा जलखण्ड और महानदी डेल्टा नदियों का मंगलगढ़ी-पारादीप जलखण्ड 588 कि.मी. की कुल लम्बाई को नवंबर, 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के रूप में घोषित किया गया था। फिर भी, 11वीं पंचवर्षीया योजना अवधि के लिए इस जलमार्ग के विकास हेतु कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है और योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहित सरकारी निजी भीगीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत इस जलमार्ग के वाणिज्यक रूप से व्यवहार्य जलखंडों के विकास की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए। इस जलमार्ग के जलखंडों (अर्थात ब्रहमणी-खरसुआ-धम्रा नदी प्रणाली, मताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों) के हिस्सेदारों से हुई बैठक में, और हिस्सों से अधिक वाणिज्यिक रूप में व्यवहार्य जलखंडों को चुना गया था। उसके बाद एडीबी तकनीकी सहायता के अंतर्गत भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) और पीपीपी पायलेट परियोजना पहल के लिए उनकी योजना के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में आईडब्ल्यूएआई द्वारा उनसे सक्रियता से संपर्क कायम किया जा रहा है।

ओडिशा में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक कार्यालय खुल जाने से, राष्ट्रीय जलमार्ग-5 में विकास-कार्य के शुरु होने के संभावित समय पर उपयुक्त समय बद्ध आधार पर एक उपयुक्त स्थान पर विचार किया जाएगा।

भूमिहीन कृषि श्रमिक

2859. श्री एल. राजगोपालः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असंगठित और कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमिहीन कृषि श्रमिकों सहित असंगठित के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी बनाई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं की क्या उपलब्धि रही है तथा लाभ पाने वाले कुल कृषि श्रमिकों की आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को कृषि मजदूरी को बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) वर्तमान में कृषि क्षेत्र के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। तथापि, कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध ा कराने हेतु सरकार ने असंगठित कामगार सामाकि सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियम किया है यह अधिनियम जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य प्रसुति सुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण तथा असंगठित कामगारों हेतु सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य कोई लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था करता है।

(ख) और (ग) सरकार ने कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए हाल ही में निम्नलिखित पहलें की हैं।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) के लिए 01.10.2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैश स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने वाली यह योजना 01.04.2008 से प्रावधान में आयी। 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार 2.54 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

18-59 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता कवर उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 02.10.2007 से "आम आदमी बीमा योजना" प्रारंभ की। 31.07.2011 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत 1.78 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था करती है तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विगत तीन वर्ष में राष्ट्रीय व्यवस्था बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत

लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार को खेती मजदूरी को बढ़ाने से संबंधित कोई विशिष्ट सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

आरएसबीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शामिल क्षेत्र	जारी किए स्मार्ट कार्ड			
		2008-2009	2009-2010	2010-11	2011-12 (30.11.2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	15,711	39,615
2.	असम	-	81,565	2,04,465	2,04,548
3.	बिहार	5,57,002	20,38,909	51,01,901	64,24,884
4.	चंडीगढ़	3,627	5,407	4,913	4,913
5.	छत्तीसगढ़	-	9,27,672	12,30,378	15,48,408
6.	दिल्ली	41,990	2,18,055	1,13,608	1,44,518
7.	गोवा	1,679	3,505	योजना रोक दी है।	
8.	गुजरात	6,70,517	6,82,354	19,19,086	15,71,617
9.	हरियाणा	4,01,587	6,82,354	6,21,741	6,15,809
10.	हिमाचल प्रदेश	78,370	115828	2,37,946	2,35,131
11.	झारखंड	1,01,219	4,34762	13,29,254	12,26,124
12.	कर्नाटक	-	36,971	1,57,405	1,51,828
13.	केरल	7,03,570	11,73,388	17,96,315	17,48,471
14.	महाराष्ट्र	1,35,804	14,40,407	15,16,687	20,04,333
15.	मणिपुर	-	-	18,259	10,000
16.	मेघालय	-	22,579	59,055	61,947

1	2	3	4	5	6
17.	मिजोरम			15,240	43,256
18..	नागालैंड	7,645	39,301	39,290	77,557
19.	ओडिशा	-	3,41,653	4,33,079	4,28,069
20.	पंजाब	76,528	1,69,306	1,93,541	2,21,444
21.	राजस्थान	1,20,123	योजना रोक दी है		
22,	तमिलनाडु	57,925	1,49,520		योजना रोक दी है
23.	त्रिपुरा	-	1,45,780	2,58,402	2,58,402
24.	उत्तर प्रदेश	8,34,871	42,96,865	42,33,626	40,29,958
25.	उत्तराखंड	50,071	53,940	3,35,424	3,38,879
26.	पश्चिम बंगाल	1,19,327	8,02,974	35,27,137	40,62,836
	कुल	39,61,855	1,38,65,338	2,33,62,463	2,54,52,547

विवरण-II

31.7.2011 की स्थिति के अनुसार आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत राज्यवार कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कवर किए गए
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	5,000
2.	आंध्र प्रदेश	72,92,606
3.	महाराष्ट्र	16,21,671
4.	गुजरात	8,60,053
5.	चंडीगढ़	1,297
6.	जम्मू और कश्मीर	91,740
7.	मध्य प्रदेश	13,98,376
8.	बिहार	19,21,604
9.	झारखंड	53,231
10.	कर्नाटक	7,45,843
11.	केरल	3,93,160
12.	उत्तर प्रदेश	22,34,849
13.	छत्तीसगढ़	3,34,696
14.	पश्चिम बंगाल	6,62,987
15.	पुडुचेरी	1,48,452
16.	पंजाब	19,013
17.	असम	46,904
	कुल	1,78,31,482

विवरण-III

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	919230	919230	971709
2.	बिहार	2133678	2369656	2341267
3.	छत्तीसगढ़	490120	513829	530193
4.	गोवा	2687	2734	2734
5.	गुजरात	79661	238550	298519
6.	हरियाणा	130306	137666	130306
7.	हिमाचल प्रदेश	85637	91440	90619
8.	जम्मू और कश्मीर	123557	129000	129000
9.	झारखंड	643003	676003	650145
10.	कर्नाटक	821969	834405	782538
11.	केरल	141956	176064	185316
12.	मध्य प्रदेश	931434	1056881	1166199
13.	महाराष्ट्र	1001636	1086027	1072113
14.	ओडिशा	643400	643400	1193176
15.	पंजाब	166689	159292	159792
16.	राजस्थान	494179	480040	574828
17.	राजस्थान	988761	919069	1014172
18.	तमिलनाडु	2941120	3274780	3274780
19.	उत्तर प्रदेश	148687	168221	191168

1	2	3	4	5
20.	पश्चिम बंगाल	1039041	1252795	1271631
21.	अरुणाचल प्रदेश	14500	17500	छवज ।अंपसंइसम
22.	असम	628949	628949	598965
23.	मणिपुर	72514	72514	50714
24.	मेघालय	32952	44586	48112
25.	मिजोरम	23747	23747	23747
26.	नागालैण्ड	28053	40462	40462
27.	सिक्किम	18879	18916	15169
28.	त्रिपुरा	136592	136592	136592
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	702	861	1063
30.	चंडीगढ़	4049	4357	4094
31.	दादरा और नगर हवेली	6956	944	944
32.	दमन एवं दीव	630	125	130
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	121974	194150	94000
34.	लक्षद्वीप	36	36	36
35.	पुडुचेरी	3356	20757	15523
	कुल	15020640	16333578	17059756

[हिन्दी]

एन.एच.-59 ए

2860. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59ए (इंदौर से बेतूल) को परिवहन योग्य बनाने के लिए की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59ए पर 115.65 किमी. की संकलित लंबाई में चार विकास कार्य प्रगति पर हैं। ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

परियोजना का नाम	लंबाई किमी. में	2011-12 के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्रगति (% में)
किमी 42 से 77 और किमी 124 से 126 तक 2 लेन में चौड़ीकरण	38.65	55
किमी 147.181 से 191.201 तक ज्यामितीय सुधार सहित 2 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सीडी कार्यों का निर्माण/पुनर्निर्माण	44	45
किमी 129 से 147 तक चौड़ीकरण कार्य	15	100
किमी 201 से 215 तक चौड़ीकरण कार्य	14	80

[अनुवाद]

एशियाई शेरों का संरक्षण

2861. श्रीमती दर्शना जरदोशः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में एशियाई शेरों की रक्षा और संरक्षण से संबंधित किसी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त शेरों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार ने 262.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए 'वृहत्तर गिर क्षेत्र, गुजरात में एशियाई शेर के दीर्घावधि सरंक्षण का समेकन' शीर्षक से एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव योजना आयोग को इसके अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया था। योजना आयोग ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुपालन में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। योजना अयोग ने इस परियोजना की सहायता हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध नहीं करायी और मंत्रालय को यह सलाह दी कि इसे 'वन्यजीव पर्यावासों' का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए आबंटित बजट में से ही सहायता दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने इस स्कीम के अंतर्गत निधियों को कमी के बावजूद परियोजना के प्रथम वर्ष के दौरान प्रस्तावित कुछ कार्यकलापों को शुरु करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को 675.541 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की थी।

(ङ) देश में शेरों को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैः

1. वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल करके उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अधिनियम की अनुसूची-I में शेर को शामिल किया गया है।

2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित करके उसे वन्यजीव से संबंधित अपराधों के विरुद्ध और अधिक सख्त बनाया गया है।

3. वृहत्तर गिर की संकल्पना अपनाई गई है और शेर के संरक्षण हेतु शेर के लिए अतिरिक्त अनुकूल वास-स्थल तैयार किए जा रहे हैं।

4. गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर अभयारण्य के अतिरिक्त, शेर के लिए सुरक्षित नेटवर्क को व्यापक बनाने के लिए गिरनार, पनिया और मिटियाला वनों को अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

नदियों में प्रदूषण

2862. श्री मंगनीलाल मंडलः
योगी आदित्यनाथः
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथः
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्री समीर भुजबलः
श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री जगदीश सिंह राणाः
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न नदियों की सफाई के लिए विभिन्न एजेंसियों को अभी तक प्रदान की गई निधियों का, नदी-वार एजेंसी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख नदियों की सफाई के लिए नदी-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई और खर्च की गई;

(ग) ऐसी नदियों के नाम क्या हैं जिनके प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है और जिनके प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, और इसके, नदी-वार और राज्य-वार, क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श दिया है और इस प्रयोजन हेतु जन जागरुकता अभियान चलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए सरकार का आगे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना वर्तमान में 39 नदियां समेत 20 राज्यों में फैली हैं। अब तक योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को 3901.33 करोड़ रुप की धनराशि प्रदान की गई है तथा 4418 एमएलडी की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान एनआरसीपी हेतु 2065 करोड़ रु. की धनराशि का आबंटन किया गया है, जिसमें से सितम्बर, 2011 तक केन्द्र सरकार द्वारा 1660.10 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रयण बोर्ड 353 नदियों को शामिल करते हुए 980 स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कोलिफार्मस के रूप में नदियों की जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कर रहा है। सीपीसीबी द्वारा 150 प्रदूषित नदी खंड अभिज्ञात किए गए हैं।

प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा की गई स्वतंत्र मॉनीटरिंग के आधार पर, एनआरसीपी के तहत शुरु किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों से पहले की जल गुणवत्ता की तुलना में मुख्य नदियों की बीओडी मूल्यों के संबंध में जल गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। उदाहरणस्वरूप, प्रमुख मॉनीटरिंग स्टेशनों पर वर्ष 1986 में गंगा नदी की जल गुणवत्ता के संबंध में बीओडी मूल्य की रेंज 1.7 से 15.5 मि.ग्रा./लि. की तुलना में वर्ष 2011 में बीओडी मूल्य की रेंज 1.4 से 5.3 मि.ग्रा. प्रति लि. पाई गई। तथापि, गंगा नदी के पास कुछ स्थानों पर फीकल कोलिफार्मस के संबंध में जीवाणु संदूषण के स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक दर्ज किए गए।

ताजेवाला से हरियाणा मे पल्ला तक यमुना के खंड की जल गुणवत्ता निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। तथापि दिल्ली के आस-पास नदी के खंड (वजीराबाद बांध के अनुप्रवाह से ओखला बांध के उजान तक) तथा उत्तर प्रदेश के भाग बीओडी के संबंध में मानकों पर पूरे नहीं उतरते। यमुना की जल गुणवत्ता अपेक्षित सुधार नहीं दर्शाती जिसका कारण मलजल शोधन क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच गहरा अंतराल तथा नदी में ताजे पानी की कमी है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग और जागरुकता बढ़ाने में युवाओं सामाजिक कार्य-कर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करें। केन्द्र सरकार ने आयोजना की ईकाई के रूप में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए नदी बेसिन सहित गंगा नदी के संरक्षण और प्रभावी प्रदूषण उपशमन को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) स्थापित किया है। एनजीआरबीए के तहत अब तक 2589 करोड़ रु. की स्कीमें मंजूर की गई हैं।

नदी संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का एक अनवरत और सामुहिक प्रयास है। जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, लघु और मध्यम कस्बों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम जैसी अन्य केन्द्रीय स्कीमों के साथ-साथ राज्य क्षेत्र स्कीमों के तहत मलजल प्रबंधन और निपटान हेतु सिविक अवसंरचना के सृजन जैसी नदी संरक्षण परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12) (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान राज्य द्वारा जारी केन्द्रीय निधि और किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण	नदी	जारी की गई निधियां	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	- जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग - हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं मलजल बोर्ड - एपी पर्यटन निगम लिमिटेड	गोदावरी और मूसी	130.23	194.01
2.	बिहार	- बिहार राज्य परिषद	गंगा	35.37	
3.	दिल्ली	- दिल्ली जल बोर्ड - दिल्ली नगर निगम	दिल्ली	240.51	409.68
4.	गोवा	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग	मंडोवी	.0.70	2.57
5.	गुजरात	- अहमदाबाद नगर निगम	साबरमती	2.13	0.62
6.	हरियाणा	- जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग	यमुना	42.95	47.22
7.	झारखंड	- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण	दामोदर, गंगा और स्वर्ण रेखा	0.00	
8.	कर्नाटक	- कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड - कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	भद्रा, तुंग-भद्रा, कावेरी, तुंगा और पेन्नार	5.96	3.91
9.	केरल	- केरल जल प्राधिकरण	पम्बा	2.00	1.37
10.	मध्य प्रदेश	- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग - पर्यावरण आयोजना एवं समन्वयन	बेतवा, ताप्ती, वेनगंगा खान, नर्मदा, श्रिपा, बिहड़, चम्बल और मंदाकिनी	11.00	7.20
11.	महाराष्ट्र	- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण - नासिक नगर निगम	कृष्णा, गोदावरी, तापी और पंचगंगा	24.76	18.13

1	2	3	4	5	6
12.	नागालैंड	- नागालैंड सरकार	दिफु और धनसी	0.00	
13.	उड़ीसा	- उड़ीसा जल आपूर्ति एवं सीवेरज बोर्ड	ब्रहमणी और महानदी	28.50	24.10
14.	पंजाब	- पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	सतलुज और व्यास	137.58	85.77
15.	राजस्थान	- जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग	चम्बल	40.00	22.41
16.	सिक्किम	- जल सुरक्षा एवं जल स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग	रानीचु	60.23	67.39
17.	तमिलनाडु	- चैन्नई महानगर जलआपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड - तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड - आयुक्त नगर निगम प्रशासन	कावेरी, आड़चर, कुवाम, वेन्नार, और तम्मबा रानी	31.02	135.49
18.	उत्तर प्रदेश	- उत्तर प्रदेश जल निगम	यमुना, गंगा और गोमती	506.96	618.38
19.	उत्तराखंड	- उत्तराखंड पेयजल निगम	गंगा		47.34
20.	पश्चिम बंगाल	- कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण - सीईटीपी हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	गंगा, दामोदर और महानंदा	304.51	157.84
	कुल			1660.10	1843.43

बुनकरों की दशा

2863. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री सुरेश काशीनाथ तवारेः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अपनी सोचनीय दशा के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकर आत्महत्या कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए आयोग का गठन किया है;

(ग) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बुनकरों की संख्या और ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सिकुड़ते हथकरघा बाजार और इसकी कई इकाइयों के बंद होने के कगार पर पहुंचने के कारण रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में गांवों से शहरों की ओर पलायन करने वाले बुनकरों की दशा पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बुनकरों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) किसी भी राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बुनकरों द्वारा शोचनीय दशा के कारण आत्महत्या किए जाने की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठत।

(ग) तृतीय अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2009-10 के अनुसार, 27.8 लाख कामगार परिवार हैं, जिनमें से 15.85 लाख हथकरघा कामगार परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत सरकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के माध्यम से क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए आवश्यकता आधारित मध्यस्थता के लिए उनकी कल्याण संबंधी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना के दौरान 5 योजनागत स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इनमें से दो योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। पांच योजनाएं इस प्रकार हैं:-

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना
2. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
3. विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना
4. मिल गेट कीमत योजना
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2009-10 के अनुसार, देश में 43.32 लाख हथकरघा कामगार हैं जिनमें से 36.33 लाख कामगार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6.98 लाख कामगार शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हथकरघा वस्त्र के उत्पादन और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में गत दो वर्षो में वृद्धि देखी गई हैं जो हथकरघा क्षेत्र की सकारात्मक उन्नति को दर्शाता है।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर

2864. श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री महेश जोशीः
श्री यशवंत लागुरीः
श्री लालचन्द कटारियाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न महानगरों में विशेषकर दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में हाल ही में स्मॉग वायु प्रदूषण के कारण हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर महानगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिल्ली सहित 35 मेट्रो शहरों में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत सल्फर डाइआक्साइड (SO_2) नाइट्रोजन डाइआक्साईड (NO_2) और PM_{10} (10 माइक्रोन से कम आकार के विविक्त कण) के संदर्भ परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान मेट्रो शहरों के लिए SO_2, NO_2 और PM_{10} की वार्षिक औसत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) धूप वाले, गर्म और सूखी जलवायु वाले शहरों में धूप-कोहरा (स्मॉग) अधिक सामान्य है वाहनों के अधिक संख्या में होने और कोयला आधरित ताप-विद्युत संयंत्रों के कारण होने वाला वायु प्रदूषण, अन्य बातों के साथ-साथ यह 'इनवर्जन' नामक मौसम की प्रक्रिया से संबंधित है जो अक्सर दिल्ली में शीत ऋतु में होता है।

(घ) सरकार ने विशेष रूप से मेट्रो शहरों वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 12 शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बी.एस. के अनुपालन की सवारी वाहन करें, ऑटो फ्यून नीति के अनुसार स्वच्छतर ईंधन की आपूर्ति उद्योग में उत्सर्जन मानकों का सख्त अनुपालन, उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रणधीन (पीयूसी) प्रमाणपत्र प्रणाली सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाना उपलब्धता के अनुसार मेट्रो आदि में सार्वजनिक यातायात के लिए गैसीय ईंधन शामिल हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के लिए मेट्रो शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता रुझान (प्रति घन मीटर माइक्रोग्राम में सांद्रण)

शहर के नाम	2008			2009			2010		
	SO_2	NO_2	PM_{10}	SO_2	NO_2	PM_{10}	SO_2	NO_2	PM_{10}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आगरा	9	10	184	6	21	185	9	11	156
अहमदाबाद	12	20	80	16	21	95	16	21	96
इलाहाबाद	8	35	128	बीडीएल	24	160	5	24	218
अमृतसर	15	36	-	15	35	190	14	36	218
आसनसोल	9	74	135	9	62	163	8	66	140
बैंगलौर	15	40	90	16	40	122	15	31	94
भोपाल	7	15	93	7	18	115	7	15	116
चैन्नई	6	9	48	9	17	70	9	15	59
कोम्यबटूर	5	28	55	6	29	74	6	28	75
धनबाद	19	44	131	17*	41*	164	15	38	112
दिल्ली	5	45	198	6	49	243	5	55	259
फरीदाबाद	13	25	139	15	23	154	18	31	163
हैदराबाद	6	27	87	5	22	80	5	25	81
जयपुर	6	34	112	6	36	151	6	39	171
जबलपुर	बीडीएल	25	136	बीडीएल	24	136	बीडीएल	24	107
जमशेदपुर	37	51	172	36	49	172	36	48	154
इंदौर	9	17	174	9*	17*	183*	14	18	120
कानपुर	7	23	209	8	31	211	7	34	208
कोच्चि	5	19	40	बीडीएल	12	40	4	11	36
लकाता	9	58	148	16	56	187	11	62	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लखनऊ	8	35	186	8	36	197	8	34	204
लुधियाना	10	39	251	9	37	254	9	32	229
मदुरै	10	23	41	10	25	42	11	25	47
मेरठ	10	42	115	8*	43*	118*	8	48	170
मुंबई	9	42	132	6	42	109	4	21	94
नागपुर	8	32	98	6	30	99	7	29	86
नासिक	30	25	80	23	29	89	22	34	79
पटना	7	39	120	5	37	146	7	36	165
पुणे	22	38	99	23	40	82	26	36	65
राजकोट	10	13	89	11	15	105	14	18	97
सूरत	16	23	81	19	26	91	18	25	77
बड़ोदरा	11	21	57	16	30	86	17	29	94
वाराणसी	16	19	106	17	20	125	18*	20*	-
विजयवाड़ा	5	26	91	5	14	80	6	13	98
विशाखापट्टनम	10	31	87	13	32	97	7	16	69

स्रोतः के.प्र.नि.बो./रा.प्र.नि.बो/प्र.नि.का/एनईआरआई द्वारा यथा सूचित डाटा

टिप्पणीः डाटा उपलब्ध नहीं है। बीडीएल पता लगाने की सीमा से नीचे (अर्थात् SO_2 के लिए 4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम और NO के लिए प्रति घन 9 माइक्रोग्राम से कम) आगरा का डाटा, ताजमहल के संवेदनशील क्षेत्र का है। मासिक समरी शीट/पर्यावरणीय डाटा बैंक यथा सूचित डाटा/हार्ड कॉपी आज की तारीख तक उपलब्ध। *वार्षिक औसत के लिए डाटा अपर्याप्त है। वर्ष 2010 के लिए डाटा, आज की तारीख तक उपलब्ध डाटा की औसत है। आवासीय क्षेत्रों (वार्षिक औसत) हेतु राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड SO_2 के लिए = प्रतिघन मीटर 50 माइक्रोग्राम NO_2 = प्रति घन मीटर 40 माइक्रोग्राम और PM_{10} = प्रति घन मीटर 60 माइक्रोग्राम।

[हिन्दी]

सेरामिक उद्योग

2865. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न गैस वितरण कंपनियों की ओर से वहनीय दर पर गैस उपलब्ध न होने के कारण कई सेरामिक उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी कंपनियां प्रभावित हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) गैस की आपूर्ति के अभाव से प्रभावित हुई कंपनियों का ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता।

(ग) सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं

I. नई खोज लाइसेंस नीति (एनईएलपी) दौरों के जरिए घरेलू खोज और उत्पादन कार्यकलापों का तीव्रीकरण;

II. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ई एंड पी कार्यकलाप;

III. विभिन्न देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात; और

IV. पारदेशीय पाइपलाइनों, नामतः तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन और ईरान पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) पाइपलाइन।

[अनुवाद]

'पंपा कार्य योजना'

2866. श्री लालू भाई बाबूभाई पटेलः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सबरीमाला विकास परियोजनाओं को पंपा कार्य योजना (पीएपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के साथ जोड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सबरीमाला उत्सव के सुचारू कार्यकरण के लिए धनराशि जारी करने सहित कोई मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (च) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत पंबा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए पंबा कार्य योजना (पीएपी) अनुमोदित की है। सबरीमाला मास्टर प्लान, राज्य सरकार का एक अलग कार्यक्रम है।

पंबा कार्य योजना को 18.45 करोड़ रु. की धनराशि हेत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी आधार पर मई, 2003 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में केन्द्रीय हिस्सेदारी 12.92 करोड़ रु. और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 5.53 करोड़ रु. है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2.78 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। स्नान घाट, सामुदायिक शौचालय के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जन सहभागिता के लिए पीएपी पर राज्य द्वारा कुल 7.68 करोड़ रु. व्यय किए जाने की सूचना दी गई है।

[हिन्दी]

यमुना नदी की सफाई

2867. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री हमदुल्लाह सईदः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार यमुना की सफाई पर कितना व्यय गया है;

(ख) इस संबंध में क्या उपलब्धि अर्जित की गयी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पहुंचने पर यमुना का जल अत्यधिक दूषित हो जाता है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है/करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (छ) यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या से निपटने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार, 1993 से जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण, जापान सरकार की सहायता से चरणबद्ध रूप में यमुना कार्य योजना (वाईएपी) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों पर अब तक 1272.74 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में 38 सीवेज शोधन संयंत्रों सहित कुल 286 स्कीमें पूरी की गई हैं और 753.25 मिलियन लीटर प्रति दिन की सीवेज शोधन क्षमता विकसित की गई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) विभिन्न स्थानों पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता की नियमित रूप से मानीटरिंग करता है। हरियाणा में ताजेवाला से पल्ला तक यमुना नदी क्षेत्र में जल गुणवत्ता निर्धारित सीमाओं के भीतर पाई गई है। तथापि दिल्ली के आस-पास (वजीराबाद बांध के अधो प्रवाह से ओखला बांध के ऊर्ध्व प्रवाह तक) और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों का नदी क्षेत्र जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संदर्भ में मानकों को पूरा नहीं करता है। सीवेज शोधन क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर होने और नदी में ताजे पानी की कमी के कारण यमुना की जल गुणवत्ता में वांछित सुधार दिखाई नहीं दिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यमुना के दिल्ली क्षेत्र में, जिसमें नदी पर अधिकतम प्रदूषण भार पड़ता है केवल उपचारित बहिःस्राव ही बहाया जाता है, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने तीन मुख्य नालों नामतः नजफगढ़, शाहदरा और उसके सहायक नाले के किनारे इंटरसेप्टर सीवर बिछाने, सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि, नालों का अवरोधन, ट्रंक सीवर की मरम्मत, बिना सीवर वाली कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज बिछाने ओर बाह्य/भीतरी सीवरों की गाद निकालने के लिए स्कीमें तैयार की हैं। शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा इंटरसेप्टर सीवर परियोजना 1357 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई है।

यमुना कार्य योजना चरण-III के अंतर्गत उपलब्ध शोधन क्षमता की अधिकतम उपयोगिता के लिए क्षतिग्रस्त ट्रंक सीवरों को पुनःस्थापित करना, दिल्ली के तीन कैचमेंट क्षेत्रों नामतः ओखला, कोंडली और रिठाला में सीवेज शोधन संयंत्रों का पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण, यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार के लिए ओखला में 136 एमएलडी क्षमता वाले पुराने एसटीपी के स्थान पर नवीनतम एसटीपी का निर्माण और उसे तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाओं से सुसज्जित करना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित/वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण

2868. श्री श्रीपाद येसो नाईकः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री गणेश सिंहः
श्री मकनसिंह सोलंकीः
श्री रूद्रमाधव रायः
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित/वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों/राज्यों से गुजरने वाली सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई नीति/कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों/राज्यों को सड़क संपर्क सुधारने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत कार्य और राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त क्षेत्रों/राज्यों में चल रही/विलंबित और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यवार निर्माण की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय हुआ है;

(च) क्या ऐसे क्षेत्रों/राज्यों में अब तक केवल 20 प्रतिशत सड़कों का ही निर्माण किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने आठ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में 7300 करोड़ रुपए की लागत से 5477 किमी लंबाई में सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान एक भी कार्य संस्वीकृत नहीं किया गया। गत दो वर्ष के दौरान संस्वीकृत कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) चल रही परियोजनाओं, विलंबित परियोजनाओं (धीमी गति से चलने वाली) और संस्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। परियोजना के आकार के आधार पर परियोजनाओं को पूरा करने की अविध 12 से 36 माह के बीच भिन्न-भिन्न होती है।

(ङ) वर्ष 2008-2009 के दौरान, सड़क बिल्कुल भी नहीं बनाई गई और कोई व्यय नहीं हुआ। गत दो वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान बनाई गई सड़कों और उन पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) अभी तक 730 किमी लंबाई में कार्य पूरा किया गया है।

(छ) छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में ठेकेदारों द्वारा कार्यों में बहुत कम रूचि दिखाई गई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ठेकेदारोंकी अधिक से अधिक प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए योग्यता मानदंडों में छूट प्रदान की गई है। ये कार्य, कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-I

गत दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत कार्य

राज्य	2009-2010			2010-2011		
	संख्या	लंबाई किमी में	लागत करोड़ रुपए में	संख्या	लंबाई किमी में	लागत करोड़ रुपये में
आंध्र प्रदेश	15	356	416	14	264	685
बिहार	23	335	270	18	339	347
छत्तीसगढ़	26	971	1168	17	848	1222
झारखंड	10	414	569	4	77	87
मध्य प्रदेश	4	126	100	2	111	96
महाराष्ट्र	17	266	288	10	122	327
ओडिशा	5	324	479	9	290	470
उत्तर प्रदेश	1	14	14	1	52	28

विवरण-II

चल रही, विलंबित और लंबित परियोजनाएं

राज्य	चल रही परियोजनाएं			विलंबित परियोजनाएं			लंबित परियोजनाएं		
	संख्या	लंबाई किमी में	लागत करोड़ रु. में	संख्या	लंबाई किमी में	लागत रुपये में	संख्या	लंबाई किमी में	लागत रुपये में
आंध्र प्रदेश	23	547	795	4	62	66	0	0	0
बिहार	35	606	555	4	61	52	0	0	0
छत्तीसगढ़	29	1230	1400	2	19	16	4	130	214
झारखंड	10	378	527	0	0	0	10	269	282
मध्य प्रदेश	5	144	118	2	34	34	0	0	0
महाराष्ट्र	23	368	614	3	15	24	1	0	156
ओडिशा	13	615	904	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	67	42	2	67	42	0	0	0

विवरण-III

बनाई गई सड़कों और उन पर किए गए राज्य-वार व्यय

राज्य	2009-2010		2010-2011		2011-2012	
	बनाई गई सड़क की लंबाई किमी में	व्यय करोड़ रुपए में	बनाई गई सड़क की लंबाई किमी में	व्यय करोड़ रुपए में	बनाई गई सड़क की लंबाई किमी में	व्यय करोड़ रुपए में
आंध्र प्रदेश	0	0	77	125	124	87
बिहार	0	0	49	170	137	109
छत्तीसगढ़	0	0	34	163	68	109
झारखंड	0	0	0	40	6	36
मध्य प्रदेश	0	0	9	19	14	11
महाराष्ट्र	0	5	66	86	99	67
ओडिशा	0	0	0	103	31	48
उत्तर प्रदेश	0	0	16	13	0	8

यूएसएफडीए शिष्टमंडल का दौरा

2869. श्री पी. कुमारः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य खाद्य और औषध प्रशासन (यूएसएफडीए) ने अमेरिका के बाजारों हेतु बनाए गए उत्पादों के लिए 'वेटेरिनरी ड्रग रेसेड्यूज के भारतीय ओवरऑल कन्ट्रोल का आकलन करने के लिए जलकृषि विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निरीक्षण भारतीय निर्यातकों द्वारा 'श्रीम्प शिपमेंट' में अधिक बढ़ोत्तरी के कारण सादर्न श्रीम्प अलायंस द्वारा व्यक्त गहरी चिंता के मद्देनजर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यूएसएफडीए की टीम ने अपना आकलन पूरा कर लिया है तथा अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यूएसएफडीए दल के अधिकारियों ने जलकृषि उत्पादों में कीमोथेराप्यूटिक अपशिष्ट पर नियंत्रण हेतु सरकार तथा समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्ताओं और जलकृषि उत्पादकों द्वारा अपनाए गए उपायों के आकलन हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 2010 से 7 मई, 2010 तक भारत का दौरा किया था।

(घ) और (ङ) मिशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 28 फरवरी, 2011 को भिजवाई थी और इस रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि भारत का कीमोथेराप्यूटिक अपशिष्ट नियंत्रण प्रयोगशाला परीक्षणों पर केन्द्रित है और खाद्य सुरक्षा हेतु अलग से कोई प्रशिक्षण तथा जलकृषि अण्डजशालाओं, आहार एवं फार्मों हेतु कोई निरीक्षण कार्यक्रम अथवा स्कीम नहीं है। यूएसएफडीए ने निम्नलिखित सुझाव दिए थेः-

- सर्वोत्तम जलकृषि पद्धतियों (जीएपी) अथवा सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों (बीएमपी), खाद्य सुरक्षा हेतु निवारक

उपायों के बारे में सरकार, उद्योग जगत तथा अन्य पक्षकारों को प्रशिक्षण देना;

- इन निवारक उपायों के बारे में अण्डजशालाओं, नर्सरियों तथा ग्रोआऊट तालाब में काम करने वाले कृषकों एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण देना;
- प्रयुक्त सभी प्रोबायोटिक पदार्थों रसायनों तथा प्रतिजैविक पदार्थों का रिकार्ड मंगाना;
- अण्डजशालाओं नर्सरियों तथा ग्रोआऊट तालाबों की निगरानी अथवा निरीक्षण करना;
- आहार विनिर्माताओं का पंजीयन तथा निरीक्षण करना, जिसमें घरेलू तौर पर उत्पादित और आयातित आहार दोनों हेतु सत्यापन परीक्षण कार्यक्रम शामिल है।

यूएसएफडीए के सुझाव के अनुसार एम्पीडा ने जलकृषि कृषकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लाभार्थ सर्वोत्तम जलकृषि पद्धतियों के बारे में अप्रैल, 2011 के दौरान चार केन्द्रों अर्थात गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रशिक्षकों अर्थात एम्पीडा, राज्य मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों, अग्रणी हैचरी प्रचालकों और कृषकों, विभिन्न क्षेत्रों के मात्स्यिकी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों हेतु चार प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित/आयोजित किए थे।

राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाना

2870. श्री एस.आर. जेयदुरईः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सुरक्षा उद्देश्य से विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थान

2871. श्री सुवेन्दु अधिकारीः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थान के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बुजुर्ग अभिभावकों तथा ग्रैण्ड पैरेण्ट्स के प्रति उनके बच्चों द्वारा किए गए अन्याय के प्रति चिंतित है; और

(घ) यदि हां, तो इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को बाध्यकारी और न्यायाधिकरणों के माध्यम से वाद योग्य बनाता है और रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामलों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए भी व्यवस्था करता है और वरिष्ठ नागरिकों को अकेला छोड़ने के संबंध में दंडात्मक प्रावधान है।

इस अधिनियम को व्यक्तिगत/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाना है। अभी तक, 23 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को लागू कर दिया है।

ईपीएफ अंशदान का बकाया

2872. श्री प्रहलाद जोशीः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में यह आदेश दिया है कि ईपीएफ अंशदान की कर्मचारियों की बकाया राशि परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों की परिसंपत्तियों पर होने वाला पहला प्रभार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की विभिन्न कंपनियों के लाखों कर्मचारियों के लाभ के लिए इस मुद्दे पर कोई संशोधित सरकारी आदेश अथवा अधिसूचना जारी की है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम एसके फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ओएल एवं अन्य के मामले में अपने दिनांक 8.11.2010 के आदेश में एसएलपी (सिविल) संख्या 7642,7644,7645 और 4646/2011 में कंपनी अधिनियम की धारा 529, 529-क तथा 530 सुरक्षित क्रेडिटर्स सहित परिसमापनाधीन कंपनी की परिसंपत्तियों पर अन्य समस्त देशों की तुलना में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बकायों की प्राथमिकता को बरकरार रखा है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि बकायों की प्राथमिकता कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों में मौजूद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी पर बाध्यकारी है और इसके लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद

2873. श्री बलीराम जाधवः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) से दस सी-17 बोईंग ग्लोबमास्टर-III तथा छह सी-130 जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक एयरक्राफ्ट पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या बोइंग कंपनी ने आस्ट्रेलिया एयर फोर्स को ग्लोबमास्टर-III एयरक्राफ्ट इससे कम मूल्य पर आपूर्ति की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके वायुसेना में शामिल किए जाने की समय-सीमा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय वायुसेना के लिए दस सी-17 ग्लोबमास्टर विमान के साथ-साथ छह सी-130-जे विमान, इसके संबद्ध उपकरणों के साथ खरीदने के लिए अमरीकी सरकार के साथ प्रस्ताव एवं स्वीकृति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी-17 विमान की अधिप्राप्ति की अनुमानित लागत 4.116 बिलियन अमरीकी डॉलर है जबकि सी-130-जे 30 विमान की अधिप्राप्ति की लागत 962.4 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

(घ) और (ङ) किसी विमान की लागत उसकी विशिष्टियों, आकार और उस पर लगाए गए उपकरणों पर निर्भर करती है। भारत को जिस लागत पर विमान की आपूर्ति की जा रही है, वह संयुक्त राज्य अमरीका की वायुसेना एवं इसके मित्र देशों को आपूर्ति किए जा रहे सी-17 विमान की लागत के अनुरूप है।

(च) सभी दस सी-17 विमानों तथा उनके संबद्ध उपकरणों के जून, 2013 और जून 2015 के बीच भारतीय वायुसेना को सुपुर्द कर दिए जाने की संभावना है।

सी-130 जे-30 विमान को फरवरी, 2011 में सेवा में शामिल करना शुरू हुआ तथा अब तक भारतीय वायुसेना में पांच विमान शामिल किए जा चुके हैं। छठे विमान को दिसम्बर 2011 के अंत तक शामिल किए जाने की योजना है।

असंगठित क्षेत्र के कामगार

2874. श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारीः**
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मीः
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंहः**
श्री धनंजय सिंहः
श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः
श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में संगठित और असंगठित क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति संगठित क्षेत्र के कामगारों की तुलना में अधिक दयनीय है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने ईपीएफ और ईएसआईसी, ग्रेच्युटी एण्ड पेंशन चिकित्सा सुविधा आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन योजनाओं से राज्य-वार कितने कामगारों को लाभ हुआ/लाभ होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2004-05 में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिकों की कुल संख्या 459 मिलियन थी। कुल कार्य बल के लगभग 433 मिलियन (लगभग 94%) असंगठित क्षेत्र में लगे हैं तथा 26 मिलियन संगठित क्षेत्र हैं। संगठित एवं असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या विवरण संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य प्रसूति लाभों, वृद्धावस्था संरक्षण तथा असंगठित कामगारों हेतु सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य कोई लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था करता है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) के लिए 01.10.2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की। परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने वाली यह योजना 01.04.2008 से प्रचालन में आयी। 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार 2.54 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

18-59 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता के लिए बीमा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 02.10.2007 से "आम आदमी बीमा योजना" प्रारम्भ की। 31.07.2011 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत 1.78 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था करती है तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न अन्य रोजगार सृजन/सामाजिक सुरक्षा स्कीमों यथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, हथकरघा कामगार समग्र कल्याण योजना, हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना, कुशल कारीगरों को पेंशन, मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना तथा नई पेंशन योजना (स्वावलंबन योजना) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सरकार ने बीड़ी कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याण निधि का गठन किया है। इनमें स्वास्थ्य देख-रेख, आवासीय सहायता, बच्चों को शिक्षा तथा समूह बीमा आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम उपदान के लाभों को असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

संगठित एवं असंगठित कामगारों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

(लगभग करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.20	3.84	4.04

1	2	3	4	5
2.	असम	0.11	1.00	1.11
3.	बिहार	0.05	2.76	2.81
4.	गुजरात	0.16	2.35	2.51
5.	हरियाणा	0.05	0.87	0.92
6.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.30	0.33
7.	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.43	0.45
8.	कर्नाटक	0.19	2.54	2.73
9.	केरल	0.11	1.37	1.48
10.	मध्य प्रदेश	0.10	2.72	2.82
11.	महाराष्ट्र	0.34	4.47	4.81
12.	ओडिशा	0.08	1.71	1.79
13.	पंजाब	0.08	1.03	1.11
14.	राजस्थान	0.12	2.57	2.69
15.	तमिलनाडु	0.23	2.90	3.13
16.	उत्तर प्रदेश	0.21	6.42	6.63
17.	पश्चिम बंगाल	0.20	3.15	3.35
18.	झारखंड	0.10	0.11	0.21
19.	छत्तीसगढ़	0.03	1.05	1.08
20.	उत्तराखंड	0.03	0.38	0.41
21.	अन्य राज्य	0.16	1.33	1.49
	योग	2.60	43.30	45.90

स्रोतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का वर्ष 2004-05 का रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण

रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई), रो.प्र.म.नि., श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

[अनुवाद]

डोलोमाइट और लाइमस्टोन की लिफ्टिंग

2875. श्री इन्दर सिंह नामधारीः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कच्चा माल प्रभाग (आरएडी) ने गढवा जिला (झारखंड) में स्थित भवंतपुर लाइमस्टेान माइन्स के साथ सेल के उद्योगों के लिए प्रतिमाह डोलोमाइट के सात टेक लिफ्ट करने के लिए वर्ष 2002 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सेल ने उक्त अवधि के दौरान निजी खान मालिकों से भी उपर्युक्त पदार्थों की खरीद की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड (सेल) की सूचना के अनुसार वर्ष 2002 के दौरान ऐसा कोई त्रिपक्षीय समझौता नहीं किया गया।

(ख) तथापि, झारखंड के तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री ने विभिन्न अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सेल के संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भावनाथपुर और तुलसीदामर स्थित सेल की निजी खानों पर प्रचालन जारी रहेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। सेल के संयंत्रों की लाईमस्टोन की औसतन आवश्यकता लगभग 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है और डोलोमाईट की औसतन आवश्यकता लगभग 3.5 एमटीपीए है। चूंकि, सेल की निजी खानें सेल के संयंत्रों की मात्रा व गुणवत्ता संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए निम्न सिलिका लाईमस्टोन और डोलोमाईट की कुछ मात्रा को निविदा के जरिए सरकारी कंपनियों के साथ-साथ निजी कंपनियों से प्राप्त किया जाता है।

सेना हेतु अल्ट्रा लाइट होविट्जर गन

2876. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री सोनवणे प्रताप नारायणरावः
श्रीमती मेनका गांधीः
श्री ताराचंद भगोराः
श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमेरिका के बीएई सिस्टम जो कि अब बोफोर्स का मालिक है से अल्ट्रा लाइट होविटजर एम-777 की खरीद सेना के अस्त्रागार निदेशालय द्वारा बनाए गए अस्त्रागार प्रोफाइल पर आधारित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह खरीद एकल स्रोत आधार पर है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त गन फील्ड ट्रायल में सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि इसके बावजूद भी हाल में इसे खरीदा जा रहा है जैसा कि हाल में बताया गया है;

(घ) क्या गनों की फील्ड वेल्यूशन ट्रायल रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज था; और

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट के लीक होने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में ऐसी रिपोर्टें लीक न हों, इस हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) अल्ट्रा लाइट होविट्जर सेना के तोपखाना निदेशालय द्वारा तैया किए गए आर्टिलरी प्रोफाइल 2027 में शामिल किए गए उपस्करों में से एक उपस्कर है।

(ख) मैसर्स एस टी काइनेटिक्स, सिंगापुर से एकल विक्रेता आधार पर की जाने वाली यह अधिप्राप्ति न्यायाधीन है। इस उपस्कर को अमरीकी सरकार के माध्यम (एफएमएस मार्ग) से अधिप्राप्त करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) अल्ट्रा लाइट होविट्जर के फील्ड मूल्यांकन में तीन भाग होते हैं, अर्थात् प्रयोक्ता परीक्षण, डीजीक्यूए पीरक्षण और रखरखाव संबंधी परीक्षण। अमरीकी सरकार के माध्यम से अधिप्राप्त की जाने के लिए प्रस्तावित तोप के इनमें से केवल प्रयोक्ता परीक्षण पूरे हुए हैं। इस तोप के कार्य निष्पादन को सभी तीनों परीक्षण रिपोर्टो के मूल्यांकन के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) फील्ड परीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के चार पृष्ठ सेना मुख्यालय को एक अज्ञात लिफाफे में प्राप्त हुए थे। इस मामले की जांच की जा रही है। वर्गीकृत दस्तावेजों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत अनुदेश मौजूद हैं। इस संबंध में यदि कोई उल्लंघन हो तो संगत नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में प्रदूषण स्तर

2877. श्री गुरूदास दासगुप्तः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक यातायात में सीएनजी की शुरूआत के बाद नियंत्रण में आया प्रदूषण का स्तर दिल्ली में हाल ही में बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल और डीजल के कारण डीजल वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है जो कि प्रदूषण स्तर के बढ़ने का मुख्य कारण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सल्फर डाइआक्साइड (एसओ$_2$), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओ$_2$), धूलकण (पीएम$_{10}$) तथा कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ) के बारे में दिल्ली में छह स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है। वार्षिक औसत आंकड़े (1997-2010) दर्शाते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी का रुझान दिखाई दिया है। और एनओ$_2$ की सांद्रता (2002) तक स्थिर थी और 2002 से 2010 तक इसमें वृद्धि का रूझान दिखाई दिया है। तथापि, 2001 से 2005 तक पीएम 10 की सांद्रता घटती-बढ़ती रही थी और वर्ष 2006 से 2010 तक इसमें वृद्धि (144 μg/एम^2 से 249 μg/एम^3) का रूझाई दिखाई दिया है। इसके अतिरिक्त, 2002 से 2010 तक कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में पर्याप्त कमी आई है।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वाहनों की संख्या में तीव्र सहित कई कारक सामूहिक रूप से प्रदूषण में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। दिल्ली में वाहनीय प्रदूषण में वृद्धि का मुख्य कारण डीजल वाहनों सहित वाहनों की कुल संख्या में 34.24 लाख (2002) से 69.31 लाख (2011) उल्लेखनीय वृद्धि होना है। यह भी सूचना मिली है कि पेट्रोल और डीजल में मूल्य का अंतर (वर्ष 2008 से 35% तक) होने से लोग पेट्रोल वाहनों की बजाय डीजल वाहन खरीद को बढ़ावा दे रहे हैं।

(ग) दिल्ली में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) वर्ष 2010 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारत स्टेज (बीएस)-V उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।

(ii) अक्तूबर, 2004 से प्रयोग किए जा रहे वाहनों के उत्सर्जन विनियमित करने के लिए कठोर उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।

(iii) अब दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग हो रहा है।

(iv) वर्ष 2010 से डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) मानक संशोधित किए गए हैं और उन्हें कठोर बनाया गया है।

(v) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने लिए फीडर बसों सहित दिल्ली मेट्रो लाइन का उन्नयन।

(vi) उद्योगों को दिल्ली में नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र से बाहर हटाया जाना शुरू किए गया है।

[हिन्दी]

विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र

2878. श्री राकेश सचानः
श्री एन.एस.वी. चित्तनः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री विट्ठलभाई हंसराज भाई रादड़ियाः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में हस्तशिल्प के कुछ विपणन और सेवा विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में वर्तमान में विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के कार्यालय के अंतर्गत चल रहे विपणन और सेवा विस्तार केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) हस्तशिल्प के संवर्धन से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा हस्तशिल्प विकास निगम को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात सहित देश में पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) देश के विभिन्न भागों में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अंतर्गत 62 हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, मानव संसाधन विकास स्कीम और अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत अभी तक विभिन्न हस्तशिल्प, विकास निगमों को 8.32 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति के कारीगारों की काफी बड़ी संख्या को शामिल करते हुए कारीगरों के लाभार्थ गुजरात राज्य सहित देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए स्कीमें हैं चयनित शिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); विपणन सहायता एवं सेवाएं; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास और हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम।

[अनुवाद]

कोटा पाबंदी से हटाया जाना

2879. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश और अन्य देशों से वस्त्रों के प्रशुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोटा की पाबंदी को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश सहित अन्य देशों से कितनी मात्रा में वस्त्रों का आयात किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न देशों से मुक्त व्यापार को खोलने से घरेलू परिधानों/कपड़ा विनिर्माताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अधिसूचना सं. 99/2011-कस्टम्स, दिनांक 9 नवंबर, 2011 द्वारा बांग्लादेश, भूटान, मालद्वीप, नेपाल और अफगानिस्तार सहित दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) के कम विकसित सदस्य देशों (एलडीसी) से वस्त्र मदों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। वस्त्र मदों के शुल्क मुक्त आयात के बाद बांग्लादेश एवं अन्य देशों से आयातित कपड़ों की मात्रा का आकलन करना जल्दबाजी होगी।

(ग) और (घ) विभिन्न मुक्त व्यापार करार हस्ताक्षरित करते समय लगाये गये अनुमान के अनुसार विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार का घरेलू परिधान/फैब्रिक विनिर्माताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत और अन्य देशों के बीच टैरिपा रियायतों के आदान प्रदान से इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप भारत को आर्थिक लाभ होगा। करारों में नकारात्मक सूची, संरक्षण शुल्क लगाना और रुल्स ऑफ ओरिजिन की अवधारणा जैसे घरेलू वस्त्र उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के लिए आयात में अचानक तेजी का समाधान करने के वास्ते द्विपक्षीय संरक्षण तंत्र के लिए भी प्रावधान है।

(ङ) सरकार ने केन्द्रीय बजट 2011-12 में तथा विदेश व्यापार नीति 2009-14 की योजनाओं के माध्यम से अनेक निर्यात संवर्धन उपाय लागू किए हैं जिनमें फोकस मार्किट स्कीम और फोक्स प्रोडक्ट स्कीम के तहत प्रोत्साहन; वस्त्र उत्पादों के लिए मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम की कवरेज में वृद्धि करना और मार्केट फोकस प्रोडक्ट स्कीम आदि का विस्तार करना शामिल है।

अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजनाएं

2880. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु लागू की गई योजनाओं का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य कर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये योजनाएं सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही हैं सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए गुजरात सहित देश में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है:-

❖ **शैक्षिक विकास की योजनाएं**

- "अस्वच्छ" व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों के लिए)
- अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- "उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा" के लिए छात्रवृत्ति
- राष्ट्रीय समुद्रपारीय अध्येतावृत्ति
- राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
- योग्यता का उन्नयन
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
- अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग

❖ **आर्थिक विकास की योजनाएं**

- अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
- हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना

निम्नलिखित से रियायती दर पर ऋणः-

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)

(ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

(iii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसीज)

❖ **अन्य योजनाएं**

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन संबंधी योजना
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता
- डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

(ख) और (ग) वर्ष 2010-11 के और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजनाओं के अंतर्गत 3325.00 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक व्यय 3327.12 करोड़ रुपए था। वर्ष 2011-12 के लिए बजट प्राक्कलन 4051.00 करोड़ रुपए है तथा 02.12.2011 तक व्यय 2396.24 करोड़ रुपए है।

(घ) मंत्रालय इन योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग (i) राज्यों के फील्ड दौरों, (ii) तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक रिपोर्टों, (iii) उपयोग प्रमाण पत्रों, और (iv) राज्यों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक के माध्यम से कर रहा है।

पीपीपी के अंतर्गत सड़कें

2881. श्री अर्जुन रायः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु स्वीकृत/जारी/आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क निर्माण परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान सुपुर्दगी की सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) विधि के अंतर्गत शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा तथा इसी अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए सौंपे गए ठेकों का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, वृक्ष काटने, प्रतिपूरक वानिकीकरण आदि जैसे निर्माण-पूर्व कार्यों पर व्यय की जिम्मेदारी इस योजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है जबकि निर्माण एवं अनुरक्षण व्यय, रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाता है। पीपीपी परियोजनाएं सौंपने के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, रियायतें, पीपीपी की दो विधियों अर्थात् निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) (पथकर) और निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) (वार्षिकी) के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। सुपुर्दगी की बीओटी (पथकर) विधि के अंतर्गत रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करते समय व्यय वहन करता है। सुपुर्दगी की बीओटी (वार्षिकी) विधि के अंतर्गत पथकर का संग्रहण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जबकि रियायतग्राही को रियायत अवधि के दौरान एकमुश्त छमाही वार्षिकी राशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में, 4/6 लेन बनाने पर औसत निर्माण लागत 9-12 करोड़ रुपए/किमी आती है जिसमें से निर्माण-पूर्व कार्यों की लागत 1.25-1.50 करोड़ रुपए/किमी आती है।

विवरण

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी विधि के अंतर्गत शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी में)	पूर्ण की गई लंबाई (किमी में)	वित्त पोषण	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य सौंपने की तिथि	वर्तमान स्थिति	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008-09									
1.	कुडप्पा-मैदुकुर-कुरनूल	18	188.752	4.9	बीओटी	1585	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आंध्र प्रदेश
2.	बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	2	4.4	4.4	बीओटी	340	जून-2008	पूर्ण	दिल्ली (2.7)/ हरियाणा (1.7)
3.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन खंड	6	132.9	34	बीओटी	1509.1	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
4.	वडक्कनचेरी-त्रिशुर खंड	47	30	0	बीओटी	617	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
5.	पुणे शोलापुर	9	110.05	55	बीओटी	1110	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
6.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	3	60	31	बीओटी	940	जनवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा-धुले	3	98	70	बीओटी	835	जनवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
8.	चैन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक 4 लेन का नया उत्थापित मार्ग	4	19	0	बीओटी	1655	जनवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
2009-10									
9.	हैदराबाद-यदगिरि	202	35.65	22.68	बीओटी	388	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आंध्र प्रदेश
10.	हैदराबाद-विजयवाड़ा	9	181.63	104.448	बीओटी	1740	मई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आंध्र प्रदेश
11.	अरमूर-कडलूर-येल्लारेड्डी	7	59	44.675	बीओटी	390.56	मई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आंध्र प्रदेश
12.	पटना-मुजफ्फरपुर	19 व 77	63	14	वार्षिकी	671.3	नवंबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
13.	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	4ए	69	0	बीओटी	471	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गोवा
14.	कांडला-मुंदड़ा पत्तन	8ए	71.4	0	बीओटी	953.88	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
15.	गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा को 4 लेन का बनाया जाना	59	87.285	0	बीओटी	785.5	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
16.	अहमदाबाद-गोधरा	59	117.6	0	बीओटी	1008.5	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
17.	समखियाली-गांधीधाम	8ए	56.16	0	बीओटी	805.39	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
18.	पानीपत-रोहतक	71ए	80.858	0	बीओटी	807	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा
19.	रोहतक-बावल	71	82.553	17.216	बीओटी	650	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	हजारीबाग-रांची	33	75	28	वार्षिकी	625.07	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड
21.	बीजापुर-हुगुंड खंड	136	97.22	74.56	बीओटी	748	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
22.	हैदराबाद-बंगलौर खंड	7	22.12	0	बीओटी	680	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
23.	कुंडापुर-सुरतकल और मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	17	90	12.81	बीओटी	671	नवंबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
24.	हुगुंड-होस्पेट	13	97.89	36.02	बीओटी	946	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
25.	कुन्नूर वेंगलेम कुट्टीपुरम	17	81.5	0	बीओटी	1312	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
26.	कुन्नूर वेंगलेम कुट्टीपुरम	17	83.2	0	बीओटी	1366	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
27.	चरथलई-ओचिरा	47	83.6	0	बीओटी	1535	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
28.	इंदौर-देवास	3	45.05	0	बीओटी	325	मार्च-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
29.	इंदौर-झाबुआ गुजरात/मध्य प्रदेश	59	155.15	47.5	बीओटी	1175	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
30.	पुणे शोलापुर पैकेज-II	9	105	0	बीओटी	835	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
31.	तालेगांव-अमरावती	6	67.8	0	बीओटी	567	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
32.	पुणे-सतारा	4	140.35	0	बीओटी	1724.55	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
33.	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक	7	95	49	बीओटी	1170.52	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	अमृतसर-पठानकोट	15	106	10.63	बीओटी	705	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	पंजाब
35.	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	8	82	51.5	बीओटी	795	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
36.	जयपुर-रींगस	11	54	10.6	बीओटी	267.81	अक्तूबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
37.	जयपुर-टोंक-देवली	12	150	34	बीओटी	792.06	अक्तूबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
38.	चेंगापल्ली से कोयम्बतूर बाइपास और कोयम्बतूर बाइपास के छोर से तमिलनाडु/केरल सीमा तक	47	54.83	22	बीओटी	852	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
39.	कृष्णागिरि-वालजापेट खंड	46	148.3	0	बीओटी	1250	मार्च-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
40.	मुरादाबाद-बरेली	24	121	25	बीओटी	1267	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
41.	गाजियाबाद-अलीगढ़	91	126	1	बीओटी	1141	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
42.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार	58, 72	80	0	बीओटी	754	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश [21]/ उत्तराखंड [59]
43.	हरिद्वार-देहरादून	72	39	0	वार्षिकी	478	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तराखंड
44.	रायगंज-डलकोला	34	50	0	बीओटी	580.43	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
45.	फरक्का-रायगंज	34	103	0	बीओटी	1078.84	फरवरी-2010	कार्यान्वयन अधीन	पश्चिम बंगाल
46.	बरहमपुर-परक्का	34	103	0	बीओटी	998.79	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010-11									
47.	नैंल्लूर-चिल्कालूरिपेट	5	183.52	0	बीओटी	1535	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	आंध्र प्रदेश
48.	पटना-बख्तियारपुर	30	50.6	0	बीओटी	574	दिसम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
49.	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	77	86	2.5	वार्षिकी	511.54	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
50.	खगड़िया-पूर्णिया	31	140	0	वार्षिकी	664	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
51.	मोतिहारी-रक्सौल	28ए	68.79	0	बीओटी	375.09	जनवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
52.	फारबिसगंज-जोगवानी	57ए	9.258	0	वार्षिकी	73.55	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
53.	छपरा-हाजीपुर	19	65	0	वार्षिकी	575	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
54.	मोकामा-मुंगेर	90	69.27	9	वार्षिकी	351.54	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
55.	गोपालगंज-छपरा	85	92	0	वार्षिकी	325	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
56.	वाराणसी-औरंगाबाद	2	192.4	0	बीओटी	2848	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार [135]/ उत्तर प्रदेश [57.4]
57.	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	17	139	0	बीओटी	1872	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गोवा
58.	रारा-8डी का जैतपुर-सोमनाथ खंड	8डी	123.45	0	बीओटी	828	सितम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
59.	दिल्ली-आगरा	2	179.5	0	बीओटी	1928.22	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा [74]/ उत्तर प्रदेश [105.5]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	श्रीनगर से बनिहाल	1ए	67.76	0	वार्षिकी	1100.7	सितम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
61.	जम्मू-उधमपुर	1ए	65	0	वार्षिकी	1813.76	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
62.	काजीगुंड-बनिहाल	1ए	15.25	0	वार्षिकी	1987	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
63.	चेनानी-नसरी	1ए	12	0	वार्षिकी	2159	मई-2010	कार्यान्वयन अधीन	जम्मू कश्मीर
64.	बरही-हजारीबाग	33	41.314	0	बीओटी	398	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड
65.	रांची-रारगांव-जमशेदपुर	33	163.5	0	वार्षिकी	1479	मार्च-2011	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड
66.	देवीहल्ली-हासन	48	77.23	0	बीओटी	453	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
67.	चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास	4	114	0	बीओटी	839	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
68.	बेलगाम-धारवाड़	4	80	5.96	बीओटी	480	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
69.	बेलगाम-खानपुर खंड (किमी 0.00 से किमी 30.00) खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा (किमी 30.00 से 84.120)	4ए	81.89	0	बीओटी	359	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
70.	कर्नाटक/केरल सीमा-कुन्नूर खंड	17	126.6	0	बीओटी	1157.16	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
71.	भोपाल-सांची	86 विस्तार	53.78	0	वार्षिकी	209	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
72.	नागपुर-बेतूल	69	176.3	0	वार्षिकी	2498.76	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश [120]/ महाराष्ट्र [56.3]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	पनवेल-इंदापुर	17	84	0	बीओटी	942.69	अक्तूबर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
74.	शिलांग बाइपास	40 व 44	50	0	वार्षिकी	226	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मेघालय
75.	जोरबाट-बारापानी	40	61.8	0	वार्षिकी	536	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मेघालय
76.	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	6	88	0	बीओटी	909	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
77.	रिमूली-रौक्सी-राजमुंडा	215	96	0	बीओटी	586	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
78.	चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर	5	67	0	बीओटी	1047	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
79.	भुवनेश्वर-पुरी	203	67	0	बीओटी	500.29	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
80.	लुधियाना-तलवंडी खंड	95	78	0	बीओटी	479	दिसम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	पंजाब
81.	रींगस-सीकर	11	43.887	0	वार्षिकी	333.51	मार्च-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
82.	देवली-कोटा	12	83	0	बीओटी	593	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
83.	डिंडीगुल-पेरिगुलम-थेनी-कुमली	220	134	0	वार्षिकी	485	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
84.	होसूर-कृष्णागिरि	7	59.87	0	बीओटी	535	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
85.	त्रिची-करईकुडी और त्रिची बाइपास	210 व 67	110.372	0	वार्षिकी	374	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
86.	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै	205	124.7	0	बीओटी	571	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु [61.47] आंध्र प्रदेश [63.23]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	आगरा-अलीगढ़	93	79	0	बीओटी	250.5	नवम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
88.	कानपुर-कबरई	86	123	0	बीओटी	373.47	नवम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
89.	रायबरेली से इलाहाबाद	24बी	119	0	बीओटी	291.36	दिसम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
90.	अलीगढ़-कानपुर	91	268	0	बीओटी	723.68	दिसम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
91.	बरेली-सीतापुर	24	151.2	0	बीओटी	1046	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
92.	बारासात-कृष्णानगर	34	84	0	वार्षिकी	867	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
93.	कृष्णानगर-बरहमपुर	34	78	0	वार्षिकी	702.16	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
94.	दनकुनी-खड़गपुर खंड	6	111.4	0	बीओटी	1396.18	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
2011-12									
95.	पटना-बक्सर	30 व 84	124.85	0	बीओटी	1129.11	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
96.	मुजफ्फरपुर-बरौनी	28	107.56	0	बीओटी	356.4	अक्तूबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
97.	ओडिशा/ छत्तीसगढ़ सीमा -औरंग खंड	6	150.4	0	बीओटी	1232	अगस्त-2011	कार्यान्वयन के अधीन	छत्तीसगढ़
98.	रायपुर-बिलासपुर	200	126.53	0	बीओटी	1216.03	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	छत्तीसगढ़
99.	अहमदाबाद से बडोदरा खंड	8	102.3	0	बीओटी	2125.24	अप्रैल-2011	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
100.	रोहतक-जींद	71	48..6	0	बीओटी	283.25	अक्तूबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा
101.	बरवा अड्डा से पानागढ़	2	122.88	0	बीओटी	1665	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड [43] /पश्चिम बंगाल [79.88]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	होसपेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा	63	95.44	0	बीओटी	910.08	अक्तूबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
103.	होसपेट-चित्रदुर्ग	13	120.03	0	बीओटी	1033.66	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
104.	महा/कर्नाटक सीमा से सांगारेड्डी	9	145	0	बीओटी	1266.6	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
105.	जबलपुर से लखनादोन	7	80.82	0	बीओटी	776.76	जुलाई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
106.	शिवपुरी-देवास	3	330.21	0	बीओटी	2815	सितंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
107.	ग्वालियर-शिवपुरी	3	125.03	0	बीओटी	1055	सितंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
108.	जबलपुर-कटनी-रीवा खंड	7	225.686	0	बीओटी	1895.45	अगस्त-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
109.	नागपुर-वेनगंगा पुल	6	45.43	0	बीओटी	484.19	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
110.	पानीकोयली-रिमोली	215	163	0	बीओटी	1410	अगस्त-2011	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
111.	कटक-अंगुल	42	112	0	बीओटी	1123.69	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
112.	अंगुल-सम्बलपुर	42	153	0	बीओटी	1220.32	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
113.	कोटा-झालावाड़	12	88.09	0	बीओटी	530.01	अप्रैल-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
114.	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	14	244.12	0	बीओटी	2388	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
115.	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद	79ए, 79, 76 व 8	555.5	0	बीओटी	5387.3	सितंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान [434.5]/ गुजरात [121]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	कृष्णागिरि-टिंडीवनम	66	176.51	0	वार्षिकी	624	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
117.	लखनऊ-सुल्तानपुर	56	125.9	0	बीओटी	1043.51	अक्तूबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
118.	मेरठ-बुलंदशहर	235	66.482	0	बीओटी	508.57	सितंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
119.	लखनऊ-रायबरेली	24बी	70	0	वार्षिकी	635.9	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
120.	इटावा-चकेरी	2	160.2	0	बीओटी	1573	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
121.	आगरा-इटावा बाइपास	2	124.52	0	बीओटी	1207	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
122.	रामपुर-काठगोदाम	87	93.23	0	बीओटी	754	नवंबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तराखंड

[अनुवाद]

ग्लेशियरों का पिघलना

2882. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान (इसरो) ने इस पर कोई अध्ययन करवाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अध्ययन किया है जिससे यह पता चला है कि अधिकांश हिमालयी ग्लेशियर पिघलने के दौर से गुज रहे हैं, तो एक विश्वव्यापी घटना है। ग्लेशियरों का पिघलना ग्लेशियरों के आकार एवं अन्य कारणों से परिवर्तन की प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रिया का एक भाग है।

(ग) और (घ) सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) तैयार की है जिसे 30 जून, 2008 को शुरू किया गया था। एनएपीसीसी में हिमालयी पारिप्रणाली को सतत रूप से बनाए रखने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ हिमालयी ग्लेशियरों पर नजर रखने और उसकी मानीटरिंग करने के लिए व्यवस्था सुदृढ़ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, देश में व्यापक ग्लेशियर अनुसंधान शुरू करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून में हिमालयी ग्लेशियर विज्ञान पर एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है। सरकार ने हिमालयी पारि-प्रणाली (जी-शी) को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां विकसित की हैं जिन्हें हिमालयी क्षेत्र के सभी राज्यों के साथ शेयर किया गया है।

(ङ) और (च) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (आईएसआरओ) के अंतर्गत स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एनएसी), अहमदाबाद ने भारत

सरकार की वित्तीय सहायता से मार्च, 2005 में 'बर्फ और ग्लेशियर अध्ययन' शीर्षक से एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में उपग्रह आधारित मैपिंग का प्रयोग करते हुए बर्फ आवरण और ग्लेशियर फैलाव की सूची तैयार की गई थी। इस अध्ययन के अंतर्गत 2767 ग्लेशियरों की मानीटरिंग की गई थी जिसमें से 2184 ग्लेशियर घट रहे हैं, 435 बढ़ रहे हैं और 148 ग्लेशियरों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है।

नदियों के किनारों का सौन्दर्यीकरण

2883. श्री पूर्णमासी रामः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में गंगा नदी के किनारों विशेषकर उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर के घाटों के सौन्द्रयीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) सरकार और लोगों को इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) गंगा नदी के किनारे नदी तटाग्र विकास/स्नान घाटों का विकास, मंत्रालय की गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम के अभिज्ञात घटकों में से एक है।

गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 'बृजघाट, गढ़मुक्तेश्वर में स्नान घाट का निर्माण' नामक एक स्कीम को मंजूरी दी गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को 104.83 लाख रु. की धनराशि जारी की गई थी। यह स्कीम जून, 2009 में पूरी हो गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत बृजघाट में गंगा नदी के दाएं किनारे पर महिलाओं के लिए एक चेंजिंग रूप सहित 79 मीटर लंबे स्नान घाट का निर्माण किया गया है।

एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 191.63 करोड़ रु. की कुल लागत से गंगा के किनारे के विभिन्न शहरों में नदी तटाग्र विकास/स्नान घाटों के विकास से संबंधित 22 स्कीमों को मंजूरी दी गई है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन से स्नान घाट क्षेत्र में और उसके चारों ओर पर्यावरणीय दशाओं तथा सौंदर्य में सुधार होगा तथा नदी तटाग्र के साथ-साथ शहरी कार्यकलापों के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी और जिसके परिणामस्वरूप नदी तटाग्र स्वच्छ रहेंगे।

[हिन्दी]

वन्य जीवों का संरक्षण

2884. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में शेर, चीता, भालू आदि जैसे जानवरों के संरक्षण हेतु सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पहले से ही प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शैक्षिक संस्थानों में जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से वन्यजीव जंतुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए जनजागरूकता उत्पन्न करने में लगा हुआ है।

शेर, तेंदुआ और भालू सहित वन्यजीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जनजागरूकता हेतु सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों के संरक्षण निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) शेरों के संरक्षण जिसमें जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए गुजरात राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) मंत्रालय ने मानव जाति की सुरक्षा और तेंदुओं के संरक्षण हेतु लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मानव तेंदुआ भिड़ंत प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(iii) पर्यावरण, वनों और वन्यजीव सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विशेष कार्यक्रम जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस और वन्यजीव सप्ताह आदि का आयोजन किया जाता है।

(iv) जागरूकता कार्यक्रमों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

वायु सेना की क्षमता

2885. श्री मनीष तिवारीः
श्री पी.सी. चाकोः
श्री धनंजय सिंहः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय वायुसेना के लिए 126 मीडियम मल्टी-रोल कम्बाट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) की वर्तमान खरीद हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है तथा क्या इस राशि को और बढ़ाकर इसमें संशोधन किया जाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सभी इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा आरंभ में पेश किए गए अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई बेड़े और चीनी वायु सेना के हवाई बेड़े की तुलना में एमएमआरसीए/लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट (एलसीए) की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस समय भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में कुल कितने स्क्वाड्रन हैं तथा गत दस वर्षों में इसकी क्या स्थिति रही है तथा जैसा कि तय किया गया था क्या वर्ष 2022 की समाप्ति तक स्क्वाड्रनों की कुल संख्या 42 हो जाएगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है;

(ङ) क्या वर्ष 2012 के अंत तक एलसीए तेजस अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जैसा कि हाल में पता चला है कि अटैक हेलीकॉप्टरों सहित कुल हेलीकॉप्टरों के बेड़े में से अधिकांश अपना निर्धारित उड़ान कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तथा पिछले कई वर्षों से आईएएफ अपने बेड़े में एक भी हेलीकॉप्टर को शामिल करने में असमर्थ रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में परिवहन बेड़े और हेलीकॉप्टर बेड़े के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए इनका अधिग्रहण किया जाना अभी बाकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 29 जून, 2007 को 42,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 126 मध्यम बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमानों की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी थी। यह प्रस्ताव फिलहाल संविदा वार्ता के स्तर पर है और अधिप्राप्ति की अंतिम लागत का पता संविदा वार्ता के पूरा तथा संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही चल पाएगा।

(ख) ऑफसेट प्रस्तावों का मूल्यांकन रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2006 के अनुसार किया गया है और ये रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निहित ऑफसेट दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय ऑफसेट पैटर्न के साथ रक्षा उत्पादों अथवा सेवाओं की सीधी खरीद अथवा प्रत्यक्ष निवेश से जुड़े हैं।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक क्षमताओं की समीक्षा उनके सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त बने रहना सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर की जाती है। इस बारे में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ङ) हेलिकॉप्टर बेड़े के एक बड़े भाग के पास उपयोगी शेष जीवनकाल बचा हुआ है जिसका लाभप्रद उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न कार्यों हेतु मौजूदा बेड़े का उन्नयन करने तथा नए हेलिकॉप्टरों को शामिल करने दोनों के लिए कदम उठाए गए हैं। मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टरों की मैसर्स रोसोबोर्नएक्सपोर्ट, रूस से और उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर की मैसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अधिप्राप्ति करने हेतु संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(छ) भारतीय वायुसेना परिवहन और हेलिकॉप्टर बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है। इसमें सी-130जे-30 परिवहन विमान, सी-17 भारी परिवहन विमान, मध्यम परिवहन विमान तथा विभिन्न परिवहन सर्वेक्षण एवं निगरानी और संक्रियात्मक कार्यों हेतु हेलिकॉप्टरों को शामिल किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

निर्यात में कमी

2886. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारीः**
श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री उदय सिंहः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सकल निर्यात और आयात पर डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य के अवमूल्यन के कारण हुए प्रभाव का ब्यौरा क्या है तथा इस अवधि के दौरान आयात-निर्यात कितना है;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय तथा निर्यात नीति के कारण आयात में कमी आई है जिसकी अन्य देशों और विश्व व्यापार संगठन ने एक जैसी आलोचना की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) प्रमुख और आवश्यक वस्तुओं के आयात की रक्षा के लिए सुझाए गए उपाय, यदि कोई हों तो ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रम आधारित क्षेत्रों से निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के निर्यात एवं आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

अवधि	निर्यात	आयात	रु./अमरीकी डॉलर
2008-09	185295.36	303696.25	45.9
2009-10	178751.43	288372.88	47.4
2010-11	251135.89	369769.13	45.6

दुर्लभ मुद्रा की तुलना में रुपए के अवमूल्यन से निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है जबकि आयात अपेक्षाकृत महंगे हो जाते हैं। इस तथ्य कि पिछले तीन वर्षों में रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है, के मद्देनजर निर्यातों और आयातों पर कोई असामान्य प्रभाव प्रतीत नहीं होता है।

(ख) से (घ) डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के कारण भारत ने ऐसे कोई उपाय नहीं किए हैं जो उसके दायित्वों के अनुरूप न हों। रक्षोपाय डब्ल्यूटीओ के अनुरूप हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सरकार द्वारा किए गए ऐसे उपायों के कारण आयातों में गिरावट आई है।

(ङ) सरकार ने श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वीकेजीयूवाई, फोकस उत्पाद स्कीम के तहत निःशुल्क क्रेडिट देने और अपैरेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करने जैसे अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। निर्यात उत्कृष्टता के शहरों को भी अधिसूचित किया गया है जिनमें निर्यात संवर्धन परियोजनाओं, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवाओं हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों से रेल संपर्क

2887. श्री देवराज सिंह पटेलः
श्री शिवराज भैयाः
श्री वीरेन्द्र कुमारः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बिहार में पटना से बोध गया और पटना से नालंदा के बीच कुछ धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) संघ सरकार, राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सड़क-संपर्क को सुगम बनाने के लिए "अंतर्राज्यीय सड़क-संपर्क योजनाओं" के अंतर्गत राज्यीय सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए तथा महत्वपूर्ण विपणन केन्द्र, आर्थिक परिक्षेत्र, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र, पर्यटक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र और ऐसे ही स्थानों जहां महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं, को सीधे जोड़ने वाली अथवा इनकी तरफ जाने वाली सड़कों के लिए "आर्थिक महत्व की योजनाओं" के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतर्राज्यीय सड़क-संपर्क की परियोजनाओं को संघ सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है जबकि आर्थिक महत्व की परियोजनाओं को संघ सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के 50% तक वित्तपोषित किया जाता है और शेष 50% खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है।

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12$	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	185.74	175.65	198.50	104.35	223.88	208.22	249.75	24.43
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6.07	0.00	41.28	41.28	15.00	0.00

$31.10.2011 तक

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एक रैंक-एक पेंशन

2888. डॉ. राजन सुशांतः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रत्येक क्रमिक वेतन आयोग से सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए पूर्व के पेंशनभोगियों और उनके कनिष्ठ सहकर्मियों की पेंशन में अंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक रैंक-एक पेंशन की मांग संबंधी प्रस्ताव पर पुनः विचार करने और इसे भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई मांग के अनुरूप लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे और इसके परिणामस्वरूप कितना वित्तीय भार आएगा; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) और (ख) जरूरी नहीं है। पूर्व के पेंशन भोगियों के पेंशन में वर्षों से अनेक सुधार किए जा रहे हैं। जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है, प्रत्येक क्रमिक वेतन आयोग की सिफारिश से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में सुधार किया गया है। छठे वेतन आयोग ने अंतर को कम करने के लिए पूर्व के पेंशन भोगियों के लिए फिटमेंट फॉर्मूला और संशोधित समानता की सिफारिश की है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) से (ङ) पेंशन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सशस्त्र बलों के कार्मिकों की पेंशन में काफी सुधार किया गया है। मंत्री समूह ने वर्ष 2005 में अफसर रैंक से नीचे के कर्मिकों के पेंशन लाभ में सुधार किया था। 'एक रैंक एक पेंशन' और अन्य संबंधित मामलों को देखने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय की सिफारिश से जून 2009 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति ने अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशन प्राप्त अफसरों के पेंशन लाभों में पर्याप्त सुधार लाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये www.pcdapension.aic.in पर उपलब्ध हैं।

राज्यों को निधियों का आबंटन

2889. श्री चंदूलाल साहूः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार सहित राज्य सरकारों से वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और मद्य तथा नशे की लत को रोकने संबंधी योजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कुछ राशि अभी जारी की जानी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, हां। वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम की योजना तथा मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान की राज्य-वार धनराशि दर्शाने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निधियों की निर्मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित राज्य सरकार सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर संगत योजना के मानकों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा प्रस्तावों की सभी दृष्टिकोण से पूर्णता के अध्यधीन अनुदान निर्मुक्ति के लिए कार्रवाई की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना और मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपए में)	
		वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना	मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता योजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1291.05	297.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.49	25.96
3.	असम	284.19	84.92
4.	बिहार	9.37	257.56
5.	छत्तीसगढ़	18.81	40.87
6.	गोवा	0	16.39
7.	गुजरात	0	78.7
8.	हरियाणा	160.23	216.13
9.	हिमाचल प्रदेश	10.11	30.05
10.	जम्मू और कश्मीर	0	23.13
11.	झारखंड	0	1.4
12.	कर्नाटक	642.97	691.37
13.	केरल	21.07	524
14.	मध्य प्रदेश	29.45	171.58
15.	महाराष्ट्र	196.04	984.6
16.	मणिपुर	379.63	411.15
17.	मेघालय	0	175.26
18.	मिजोरम	5.17	128.27
19.	नागालैंड	0	122.56
20.	ओड़िशा	979.61	641.14
21.	पंजाब	43.34	408.12
22.	राजस्थान	39.03	249.07
23.	सिक्किम	0	21.47
24.	तमिलनाडु	733.47	601.47
25.	त्रिपुरा	28.9	35.67
26.	उत्तर प्रदेश	246.08	583.67
27.	उत्तराखंड	17.55	112.43
28.	पश्चिम बंगाल	609.71	213.84
29.	चंडीगढ़	0	0.77
30.	दिल्ली	64.15	151.86
	कुल	5811.69	7300.61

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम

2890. प्रो. रामशंकरः
श्री अब्दुल रहमानः
श्री कुलदीप बिश्नोईः
श्री घनश्याम अनुरागीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्माण गतिविधियों, बाईपासों, पुलों आदि के नहीं होने के कारण देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के रुक जाने (ट्रैफिक जाम) की समस्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन ट्रैफिक जामों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 8 पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग-वार, कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के दिल्ली-आगरा खंड के दोनों ओर अवैध निर्माण मौजूद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम के कारण भीड़भाड़ हो जाती है और वाहनों की गति घट जाती है इसलिए इसकी वजह से सामान्यतः सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के दिल्ली-आगरा खंड के दोनों ओर कतिपय अनधिकृत निर्माण मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 'राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002' के अनुसरण में अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

मधुमक्खियों का संरक्षण

2891. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मधुमक्खियां पर्यावरण से विलुप्त होने की कगार पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मधुमक्खियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि जंगल में मधुमक्खियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तथापि, यह पाया गया है कि जंगल में मधुमक्खियों की संख्या में कमी कई कारकों जैसे कि वनों का अनाच्छादन, भू-मण्डलीय उष्णता, दावानल, मक्खियों के अनुकूल वनस्पतिजात की कमी, कीटनाशकों का उपयोग इत्यादि के कारण आई है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पक्षियों और मधुमक्खियों पर मोबाइल टावरों के प्रभाव पर गठित विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट भी मोबाईल टावरों के द्वारा मधुमक्खियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दर्शाती हैं।

(ग) कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, मधुमक्खी कल्चर और शहद निकालने का प्रयोग एक बागवानी कार्य के रूप में किया गया है। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत देश में मधुमक्खी के वैज्ञानिक रूप से रख-रखाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य कलापों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) स्थापित किया है। इस मिशन के अंतर्गत, वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी के रख-रखाव को बढ़ावा देने के लिए 'मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण में सहायता' एक महत्वपूर्ण घटक है।

जहां तक जंगल में मधुमक्खियों की सुरक्षा का संबंध है, मधुमक्खियों सहित वन्यजीव के अन्य पर्यावासों और सुरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा हेतु विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

लौह-अयस्क उत्पादन पर पर्यावरण-प्रभाव मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट

2892. श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री उदय सिंहः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यावरणिकक-प्रभाव मूल्यांकन संबंधी एक रिपोर्ट में कर्नाटक के बेल्लारी जिले से लौह-अयस्क का उत्पादन कम करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी अपील करने की विशेष अनुमति (सिविल) सं. 7366-7367/2010 इत्यादि में अपने आदेश दिनांक 5 अगस्त 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ सहयोग में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआइ) द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मेक्रो लेवल ईआईए अध्ययन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ परामर्श में आईसीएफआरई द्वारा निर्धारित ऐसे ही अन्य भू-सम्पत्ति विशेषज्ञ अध्ययन शुरू किए गए जाएं। आईसीएफआरई, देहरादून ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले को मेक्रो लेवल पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है।

सतर्कता निगरानी-रडारों हेतु अनुबंध

2893. श्री बाल कुमार पटेलः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने 22 सतर्कता निगरानी रडार उपकरणों (एस.आर.ई.) की आपूर्ति हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) से अनुबंध किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अनुबंध पर सरकार द्वारा रक्षा खरीद प्रक्रिया की विशेष व्यवस्था के तहत हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बी.ई.एल. ने संबद्ध कार्यों/सेवाओं को पूरा करने के पश्चात एम.आर.ई. की आपूर्ति कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के.एंटनी): (क) 22 एसआरई रडारों की अधिप्राप्ति हेतु मैं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 870.44 करोड़ रु. की लागत पर 27 सितंबर, 2007 को एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संविदा में इन रडारों को प्रचालित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना सृजित किया जाना शामिल था।

(ख) और (ग) यह अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति की 'बनाओ' श्रेणी के अंतर्गत थी।

(घ) और (ङ) सभी 22 रडार सुपुर्द किए जा चुके हैं तथा चार रडार कार्य सेवाएं पूरी कर लिए जाने के उपरांत चालू कर दिए गए हैं। शेष स्थलों के लिए कार्य सेवाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

नौसेना के लिए जल-थल दोनों स्थानों पर कार्य करने वाला विमान

2894. श्री प्रबोध पांडाः
श्री नवजोत सिंह सिद्धूः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल में प्राप्त खबर के अनुसार जापान सरकार ने भारतीय नौसेना को जल और थल दोनों स्थानों पर बहुआयामी भूमिका निभाने वाला (एम्फिबियस) विमान बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाद में देश में ही इसके विनिर्माण हेतु तकनीक-अंतरण (टी.ओ.टी.) की भी पेशकश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

2895. श्री सुरेश काशीनाथ तवारेः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) देश में इस्पात की मूल्यवृद्धि रोकने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस्पात की कीमतों में यह वृद्धि और उत्पादन में कमी लौह-अयस्क का अवैध निर्यात किए जाने के कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो लौह-अयस्क के कुल अवैध निर्यात तथा इससे घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति में आने वाली सापेक्षिक कमी का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) अप्रैल से जुलाई, 2008 के दौरान घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतें सर्वाधिक ऊंचाई पर थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में इस्पात मदों की कीमतों में घरेलू बाजार की परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची सामग्री की कीमतों में मूवमेंट के अनुरूप ही उतार-चढ़ाव होता रहा है। एक विवरण संलग्न है जिसमें घरेलू बाजार में इस्पात की वस्तुओं की प्रतिनिधि श्रेणी के संबंध में त्रैमासिक मूल्यों की प्रवृत्ति दी गई है।

(ग) देश में इस्पात की कीमतें अनियंत्रित हैं और इनका निर्धारण मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों में मूवमेंट, कच्ची सामग्री की लागत और अन्य आदान लागतों जैसी बाजार की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग उत्पादकों द्वारा परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग उत्पादकों द्वार किया जाता है। घरेलू बाजार में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार में आपूर्ति की स्थिति को स्थाई बनाए रखने के लिए और देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने विभिन्न वित्तीय उपाय किए हैं। ये इस प्रकार हैं:

(i) कोककर कोयला जैसी कच्ची सामग्री और स्टील मेल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क शून्य है।

(ii) लौह अयस्क के सभी ग्रेडों और प्रकारों (पैलेट को छोड़कर) के निर्यात पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है।

(iii) इस्पात मदों पर आयात शुल्क 5 से 10 प्रतिशत है।

(घ) से (च) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान देश में उत्पादित लौह अयस्क की मात्रा, देश से निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा और देश में उत्पादित लौह अयस्क में से निर्यातित लौह अयस्क का प्रतिशत निम्नानुसार है

(मात्राः मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादित लौह अयस्क@	निर्यातित लौह अयस्क#	उत्पादित लौह अयस्क में से निर्यात का प्रतिशत
2008-09	212.96	105.86	49.7%
2009-10	218.64	117.37	53.7%
2010-11 (आंकलित)	208.11	97.66	46.9%

@स्रोत आईबीएम, खान मंत्रालय

#स्रोत एमएमटीसी, वाणिज्य विभाग

वर्ष 2010-11 के दौरान लौह अयस्क की कुल घरेलू खपत (निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों सहित) अनुमानतः 111.4 मिलियन टन थी। देश में लौह अयस्क का उतपादन घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग की लौह अयस्क की खपत के लगभग दोगुना है और इसलिए देश में इस्पात क्षेत्र की लौह अयस्क की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है। हालांकि, इस्पात मंत्रालय का मत है कि एक गैर-नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन होने के नाते लौह अयस्क को घरेलू इस्पात उद्योग में लंबे समय तक उपयोग किए जाने के लिए इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में लौह अयस्क संसाधनों का संरक्षण लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अथवा इसे नियंत्रित करके नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उपयुक्त वित्तीय उपाय करके हासिल किया जाना चाहिए। फिलहाल लौह अयस्क के सभी ग्रेडों और प्रकारों (पैलेटों को छोड़कर) पर 20 प्रतिशत यथामूल्य निर्यात शुल्क लगाया गया है।

विवरण

जून, 2008 से सितंबर, 2011 के दौरान दिल्ली के बाजार में खुदरे इस्पात की कीमतों की स्थिति

माह	हॉट रोल्ड क्वॉयल्स 2.0 एमएम	टीएमटी 10 एमएम	कच्चा लोहा
जनू, 2008	50045	47451	32900
सितंबर, 2008	45327	41934	36000
दिसंबर, 2008	36498	36565	24500
अप्रैल, 2009	34450	34262	22000
जून, 2009	34289	35479	23200
सितंबर, 2009	35653	32818	24500
दिसंबर, 2009	35310	32290	22500
मार्च, 2010	36240	35100	24800
जून, 2010	44660	39210	28000
सितंबर, 2010	43320	36350	24800
दिसंबर, 2010	44840	36930	28000
मार्च, 2011	45540	41990	32000
जून, 2011	43330	43220	32300
सितंबर, 2011	43210	43870	36200

*परिवहन, कर और शुल्कों सहित दिल्ली के बाजार में सांकेतिक कीमतें

(स्रोतः जेपीसी)

भूमण्डलीय तापवृद्धि

2896. श्री राकेश सिंहः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल की रिपोर्ट में भारत को उन देशों के बीच तीसरा स्थान दिया गया है जिन्हें भूमंडलीय तापवृद्धि के लिए जिम्मेदार माना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) कार्बन डाइ-ऑक्साइड सूचना विश्लेषण केंद्र (सीडीआईएसी), यूएसए ने संयुक्त राष्ट्र हेतु वर्ष 2008 के लिए

सीमेंट उत्पादकों और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित कार्बन डाइ-ऑक्साइड पर आंकड़े एकत्रित किए हैं तथा वार्षिक कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन आंकड़ों के आधार पर भारत का वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है।

(ग) से (ङ) यद्यपि, भारत न्यूनीकरण प्रतिबद्धताओं हेतु कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की कार्यनीति को रेखांकित करने हेतु 30 जून, 2008 को एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की गई थी। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, संवृद्ध ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली को बनाए रखना, हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन पर नीतिगत ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में 8 मिशन शामिल हैं।

इन मिशनों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने नाभिकीय, जलीय और नवीकरणीय स्रोतों सहित प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों और ईंधनों के उपयुक्त मिश्रण, ऊर्जा मूल्य-निर्धारण, प्रदूषण उपशमन, वनीकरण, जन परिवहन, के माध्यम से सतत विकास के लिए भारत की नीतियों का समर्थन करना है, इसके बावजूद निर्माण की तुलना में गहन सेवा क्षेत्रों की कम ऊर्जा की विभेदक बढ़ी वृद्धि दरों के परिणाम, सापेक्षिक रूप से ग्रीन हाउस गैस बिनाइन ग्रोथ के रूप में परिणत होते हैं।

[अनुवाद]

चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

2897. श्री मोहम्मद असरारुल हकः
श्री भूपेन्द्र सिंहः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चार लेन वाले राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में दिक्कतें पेश आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन्हें हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश की चार-लेनीकरण वाली परियोजना में कोई अनियमितताएं देखी गई हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित निर्मित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ठेकेदारों के अल्प निष्पादन, वन/वन्यजीव/रेलवे से स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं, भूमि अधिग्रहण में विलंब आदि के कारण कार्यान्वयन में प्रगति प्रभावित हुई है।

अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलंब को न्यूनतन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैः पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करना, विशेष भूमि अधिग्रहण इकाईयों की स्थापना करना, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण आदि मुद्दों से जुड़ी अड़चनों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्चाधिकार-प्राप्त समितियों का गठन करना। इसके अतिरिक्त, विलंबित परियोजनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्यालय में तथा फील्ड इकाईयों में इनकी आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है।

(ङ) से (छ) मध्य प्रदेश में रारा-25 (झांसी-शिवपुरी खंड) पर सिंध पुल के डैक स्लैब में कुछ क्षति की सूचना वर्ष 2010-11 में मिली थी। इस मामले की जांच, यूनिवर्सिटी इंजीनियरी कॉलेज, कोटा से कराई गई थी। इस दोष का पता, दोष देयता अवधि के समाप्त होने के बाद चला; तथापि, इसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर कर दी गई। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यू-II (एमपी-2) पैकेज अर्थात् रारा-25 को किमी 15 से किमी 50 तक चार लेन का बनाए जाने में अनियमितताओं के एक मामले की सूचना भी मिली थी। मामले की जांच चल रही है।

विवरण

चार लेन के बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा
(30.11.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7, 9, 18, 202 और 205
2.	अरुणाचल प्रदेश	52ए
3.	असम	31, 31सी, 36, 37 और 54
4.	बिहार	19, 28, 30, 57, 77 और 84
5.	छत्तीसगढ़	6 और 200
6.	गोवा	4ए और 17
7.	गुजरात	6, 8ए, 8डी, 8ई, 15 और 59
8.	हरियाणा	10, 22, 71 और 71ए
9.	हिमाचल प्रदेश	1ए और 22
10.	जम्मू और कश्मीर	1ए
11.	झारखंड	33
12.	कर्नाटक	4, 4ए, 9, 13, 17, 48, 63 और 206
13.	केरल	17 और 47सी
14.	मध्य प्रदेश	3, 7, 26, 26बी, 59, 69, 69ए, 75 और 86
15.	महाराष्ट्र	3, 6, 7, 9, 17 26बी और 69
16.	मेघालय	40 और 44
17.	ओडिशा	5, 6, 42, 203, और 215
18.	पंजाब	1ए, 15, 21, 22 और 95
19.	राजस्थान	3, 8, 11, 12, 14, 15, 76, 79 और 79ए
20.	तमिलनाडु	4, 7ए, 45, 45बी 47, 49, 66, 67, 68 और 205
21.	उत्तराखंड	58, 72, 73 और 87
22.	उत्तर प्रदेश	2, 3, 24, 24बी 25, 26, 28, 56, 56।, 56बी, 58, 75, 91 और 235
23.	पश्चिम बंगाल	6, 31, 31सी, 34 और 41

[हिन्दी]

वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि

2898. श्री हरि मांझीः
श्री पी.आर. नटराजनः
श्री सतपाल महाराजः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
कुमारी सरोज पाण्डेयः
श्री ए. सम्पतः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय राष्ट्रीय वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के कई राज्यों में उक्त राष्ट्रीय वन क्षेत्र कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो वनाच्छादन के क्षेत्रफल में कमी की वार्षिक दर कितनी है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कराए गए द्विवार्षिक आकलन के आधार पर, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के अनुसार देश का कुल वनाच्छादन 690,899 वर्ग कि.मी. है। वनाच्छादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 2005 में वनाच्छादन के गत आकलन की तुलना में देश के कुल वनाच्छादन में 728 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है। तथापि, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में वनाच्छादन घटा है।

(ग) भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2009 के अनुसार, वनाच्छादन में नागालैंड राज्य (201 वर्ग कि.मी.) आंध्र प्रदेश (129 वर्ग कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (119 वर्ग कि.मी.), त्रिपुरा (100 वर्ग कि.मी.), असम (66 वर्ग कि.मी.) और छत्तीसगढ़ (59 वर्ग कि.मी.) में शुद्ध कमी आई है।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में अवक्रमित वनों और उसके आस-पास के क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम (एनएपी) कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के एक विकेंद्रीकृत कार्यतंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम को प्रारंभ करने से मार्च, 2011 तक, पूरे देश में 1.74 मिलियन क्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्यों हेतु 2547.36 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2007-08 से 2010-11), वृक्षारोपण हेतु एनएपी के तहत राज्यों को 1366.72 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। 2011-12 के दौरान, 31 अक्तूबर, 2011 तक वृक्षारोपण कार्यों को शुरू करने हेतु 104.89 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

विवरण

भारत के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

राज्य/संघ शासित	भौगोलिक क्षेत्र	वनाच्छादन				जीए का %	वनाच्छादन में परिवर्तन	झाड़ी वाले वन
		अति सघन वनवन	मध्यम रूप से सघन वन	खुले वन क्षेत्र	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	275,069	820	24,757	19,525	45,102	16.40	-129	10,372
अरुणाचल प्रदेश	83,743	20,858	31,556	14,939	67,353	80.43	-119	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	78,438	1,461	11,558	14,673	27,692	35.30	-66	179
बिहार	94163	231	3,248	3,325	6,804	7.23	-3	134
छत्तीसगढ़	135,191	4,162	35,038	16,670	55,870	41.33	-59	107
दिल्ली	1,483	7	50	120	177	11.94	0	1
गोवा	3,702	511	624	1,016	2,151	58.10	-5	1
गुजरात	196,022	376	5,249	8,995	14,620	7.46	16	1,463
हरियाणा	44,212	27	463	1,104	1,594	3.61	-10	145
हिमाचल प्रदेश	55,673	3,224	6,383	5,061	14,668	26.35	2	327
जम्मू और कश्मीर	222,236	4,298	8,977	9,411	22,686	10.21	-3	2,036
झारखंड	79,714	2,590	9,899	10,405	22,894	28.72	172	683
कर्नाटक	191,791	1,777	20,181	14,232	36,190	18.87	-10	3,176
केरल	38,863	1,443	9,410	6,471	17,324	44.58	40	58
मध्य प्रदेश	308,245	6,647	35,007	36,046	77,700	25.21	-39	6,401
महाराष्ट्र	307,713	8,739	20,834	21,077	50,650	16.46	-11	4,157
मणिपुर	22,327	701	5,474	11,105	17,280	77.40	328	1
मेघालय	22,429	410	9,501	7,410	17,321	77.23	116	211
मिजोरम	21,081	134	6,251	12,855	19,240	91.27	640	1
नागालैंड	16,579	1,274	4,897	7,293	13,464	81.21	-201	2
ओडिशा	155,707	7,073	21,394	20,388	48,855	31.38	100	4,852
पंजाब	50,362	0	733	931	1,664	3.30	4	20
राजस्थान	342,239	72	4,450	11,514	16,036	4.69	24	4,347
सिक्किम	7,096	500	2,161	696	3,357	47.31	0	356
तमिलनाडु	130,058	2,926	10,216	10,196	23,338	17.94	24	1,206
त्रिपुरा	10,486	111	4,770	3,192	8,073	76.99	-100	75
उत्तर प्रदेश	240,928	1,626	4,563	8,152	14,341	5.95	-5	745
उत्तराखंड	53,483	4,762	14,165	5,568	24,495	45,80	2	271
पश्चिम बंगाल	88,752	2,987	4,644	5,363	12,664	14.64	24	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,762	2,405	495	6,662	80.76	-1	53
चंडीगढ़	114	1	10	6	17	14.91	0	1
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	42.97	-5	1
दमन और दीव	112	0	1	5	6	5.04	0	3
लक्षद्वीप	32	0	16	10	26	82.75	0	0
पुडुचेरी	480	0	13	31	44	9.14	2	0
कुल योग	3,287,263	83,510	319,012	288,277	690,899	21.02	728	41,525

शुल्क आयोग

2899. श्री दत्ता मेघेः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर शुल्क आयोग को सुदृढ़ करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रारूप क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

असंगठित क्षेत्र हेतु लोक भविष्य निधि

2900. श्री राधा मोहन सिंहः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक किन-किन राज्यों में असंगठित क्षेत्र के लिए लोक भविष्य निधि योजना नहीं शुरू की गई है;

(ख) बिहार राज्य सहित देश में कितने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय कार्य कर रहे हैं और भविष्य में कितने कार्यालय स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना से विगत दो वर्षों के दौरान अब तक असंगठित क्षेत्र के जितने कर्मकार लाभान्वित हुए उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) असंगठित क्षेत्र के लिए लोक भविष्य (पीपीएफ) योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बिहार राज्य सहित देश में कुल 258 कार्यालय हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 धारा 16 में शामिल उपबंधों के अध्यधीन 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। जो प्रतिष्ठान सांविधिक रूप से कवर करने योग्य नहीं हैं उन्हें स्वैच्छिक आधार पर कवर किया जा सकता है यदि अधिकतर कर्मचारी एवं नियोक्ता ऐसा चाहते हों। कवर करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि वह प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र में आता है अथवा असंगठित क्षेत्र में। अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत कवर असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या का अलग से विवरण नहीं रखा जाता है। 6,60,546 प्रतिष्ठानों में 6,15,88,670 सदस्यों की कुल संख्या (असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित) कर्मचारी भविष्य निधि लाभार्थियों के रूप में नामांकित है।

रक्षा सेवाओं में भर्ती

2901. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रक्षा सेवाओं में समानुपातिक भर्ती की नीति के तहत पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती का प्रावधान अपनाने से हिमाचल प्रदेश

जैसे विभिन्न राज्यों, जहां भू-भाग की स्थिति कठिन है, ऐसे युवाओं की भर्ती-संख्या घटी है;

(ख) क्या सरकार को उक्त नीति में संशोधन करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि पर्वतीय राज्यों के युवाओं को महत्व मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्र

2902. डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः
श्री घनश्याम अनुरागीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ क्षेत्रों को पर्यावरणिक दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है अथवा करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार-ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैष्णों देवी तीर्थस्थान, जो कि पर्यावरणिक दृष्टि से नाजुक क्षेत्र में स्थित है, के निकट खनन हेतु मंजूरी प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निम्नलिखित पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र अधिसूचित किए हैं:

(i) मेथरन (महाराष्ट्र)

(ii) महाबलेश्वर-पंचगनी (महाराष्ट्र)

(iii) मुरुद जनजीरा (महाराष्ट्र)

(iv) धानु तालुका (महाराष्ट्र)

(v) दून घाटी (उत्तराखंड)

(vi) ताज ट्रेपेजियम (उत्तर प्रदेश)

(vii) नुमालीगढ़ (असम)

(viii) माउंट आबू (राजस्थान)

(ix) अरावली (हरियाणा और राजस्थान)

(x) सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा) के आस-पास पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र

(xi) डांडी (गुजरात)

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25 पर घटिया निर्माण

2903. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटिया दर्जे के निर्माण के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश के झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25 सहित जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25 झांसी-कानपुर खंड के संबंध में हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनके निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

विवरण

प्राप्त शिकायतें और इनके निवारण के लिए की गई कार्रवाई

क्रमांक	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई और उसका ब्यौरा
1.	बिहार	2	संबंधित कार्य निष्पादक एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई है।
2.	गुजरात	1	संबंधित कार्य निष्पादक एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई है।
3.	राजस्थान	1	संबंधित कार्य निष्पादक एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई है।
4.	उत्तर प्रदेश	1	संबंधित कार्य निष्पादक एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई है।

[अनुवाद]

सरकारी/निजी क्षेत्रों के कर्मचारी

2904. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री भूदेव चौधरीः
श्री नरहरि महतोः
श्री नृपेन्द्रनाथ रायः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र और निजी-क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्तावधि के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत पुरुषकर्मियों की संख्या घटी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) जी, हां। श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत एकत्रित सूचना के अनुसार, सार्वजनिक एवं निजी संगठित क्षेत्रों में नियोजित महिलाओं की कुल संख्या में 2006-07 से 2009-10 के दौरान निम्नानुसार वृद्धि हुई हैः-

सार्वजनिक और निजी संगठित क्षेत्रों में महिला रोजगार (लाख में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
सार्वजनिक क्षेत्र	30.18	30.40	30.91	31.96
निजी क्षेत्र	22.94	24.72	24.89	26.63

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार सूचना कार्यक्रम के तहत एकत्रित सूचना के अनुसार, सार्वजनिक एवं निजी संगठित क्षेत्र में संयुक्त रूप से नियोजित पुरुषों की कुल संख्या जो कि 2006-07 में 219.64 लाख थी वह 2009-10 में बढ़कर 228.49 लाख हो गई है।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यावरण संबंधी मानकों का उल्लंघन

2905. श्री रामकिशुनः
श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के लिए पर्यावरण संबंधी कतिपय मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे किन-किन उद्योगों को चिन्हित किया गया है जो प्रदूषण फैला रहे है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उद्योगों द्वारा मानकों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) उद्योगों के अत्यंत प्रदूषक श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाईयों को प्राथमिकता देने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ऐसी इकाईयों की 17 श्रेणियों को अभिज्ञात किया है जिससे उर्वरक संयंत्र, सौर उफर्जा संयंत्र, चीनी उद्योग, डिस्टीलरी, सीमेंट संयंत्र आदि शामिल है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अंतर्गत अत्यंत प्रदूषक उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया है ये शर्ते पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ-साथ सीपीसीबी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

(ग) उपर्युक्त पर्यावरणीय मानकों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण कमेटियों (पीसीसी) द्वारा लागू किए जाते हैं। सीपीसीबी, पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत इन उद्योगों की 17 श्रेणियों का औचक निरीक्षण भी करता है। ऐसे, कुल 2609 अत्यंत प्रदूषक उद्योग हैं, जिनमें से 347 उद्योगों में इन मानकों का पालन नहीं किया है। अत्यंत प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों की स्थिति को दर्शाती हुई सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की उपधारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत सीपीसीबी संबंधित एसपीसीबी को निर्देश जारी करता है। सीपीसीबी ने गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न एसपीसीबी और पीसीसी को ऐसे 101 निर्देश जारी किए हैं इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देश जारी किया है।

(च) भारत सरकार सीपीसीबी के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करती है। सरकार ने चयनित उद्योगों में लगातार स्टैक उत्सर्जन मॉनीटरन का कार्य भी शुरू किया है।

विवरण

अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	अनुपालन	गैर-अनुपालन**	बंद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	असम	20	4	0	24
2.	आंध्र प्रदेश	352	67	31	450
3.	बिहार	17	0	0	17
4.	छत्तीसगढ़	70	5	0	75
5.	गोवा	16	1	0	17
6.	गुजरात	142	53	60	255
7.	हरियाणा	68	10	4	82

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	14	0	3	17
9.	जम्मू और कश्मीर	7	0	3	10
10.	झारखंड	22	0	5	27
11.	कर्नाटक	119	9	12	140
12.	केरल	24	8	17	49
13.	मध्य प्रदेश	42	18	5	65
14.	महाराष्ट्र	237	8	69	314
15.	मेघालय	9	2	0	11
16.	मिजोरम	1	0	0	1
17.	ओडिशा	38	7	8	53
18.	पंजाब	57	13	20	90
19.	राजस्थान	82	30	26	138
20.	तमिलनाडु	215	9	9	233
21.	त्रिपुरा	8	1	0	9
22.	उत्तराखंड	21	17	2	40
23.	उत्तर प्रदेश	281	71	38	390
24.	पश्चिम बंगाल	54	10	21	85
25.	चंडीगढ़	0	0	0	0
26.	दमन	2	0	0	2
27.	दिल्ली	2	0	3	5
28.	पुडुचरी	4	2	3	9
29.	सिक्किम	0	0	0	0
30.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
31.	मणिपुर	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	1924	345	339	2608

*राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से अद्यतन स्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अतः उपर्युक्त स्थिति को दिसंबर, 2010 तक प्रभाग में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए।

*गैर-अनुपालनः बहिस्राव शोधन संयंत्र/उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों सहित उद्योग लगाए गए परंतु गत मॉनीटरन के दौरान विनिर्दिष्ट मानकों के कुछ मानदण्डों के साथ अनुपालन नहीं करते पाए गए।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 और 35

2906. डॉ. काकोली घोष दस्तिदारः
श्री अधीर चौधरीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजामार्ग सं. 34 और 35 की सड़कें बहुत संकीर्ण और खस्ता हाल हैं और यहां बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की मरम्मत/चौड़ीकरण/पक्का करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 की मरम्मत हेतु वर्ष 2009-10 में निधि-आबंटन को वर्ष 2008-09 की तुलना में घटा दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित राशि/किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) रारा-34 के किमी 31 से किमी 452.700 (डलखोला) खंड को पांच पैकेजों में बीओटी (पथकर)/(वार्षिकी) आधार पर सौंपा गया है। रारा-34 को चार लेन का बनाए जाने का कार्य, पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। जहां तक रारा-34 की मरम्मत का संबंध है तो मंत्रालय द्वारा चालू वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। जहां तक रारा-35 का संबंध है तो कैरिजवे चौड़ाई अधिकतर मध्यम लेन की है। रारा-35 को 4-लेन का बनाए जाने का कार्य, एनएचडीपी-III में शामिल किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने का कार्य शुरू किया गया था लेकिन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी कार्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि प्रस्तावित बाइपास सरेखण की 14.6 किमी लंबाई पर स्थानीय लोगों द्वारा, सर्वेक्षण किए जाने में व्यवधान डाला गया। बाद में अशोक नगर-हाबरा और बनगांव नामक दो स्थानों पर बाइपास सहित मौजूदा सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया। इस स्थान का सर्वेक्षण भी स्थानीय लोगों ने नहीं करने दिया। मौजूदा सरेखण को अपनाते हुए वैकल्पिक तरीके का अध्ययन किया जा रहा है। मौजूदा कैरिजवे में रारा-35 के किमी 3.0 के चौड़ीकरण के लिए 2011-12 की वार्षिक योजना में 3.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आबंटन नहीं किया जाता है। अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधि का आबंटन, सड़क की अवस्था और उसकी आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। रारा-34 पर विगत तीन वर्षों के दौरान अनुरक्षण के लिए किया गया व्यय निम्नलिखित हैः-

वर्ष	अनुरक्षण के लिए किया गया व्यय (करोड़ रुपये)
2008-09	94.93 करोड़ रु.
2009-10	22.34 करोड़ रु.
2010-11	13.97 करोड़ रु.

वर्ष 2008-09 में मरम्मत की गई सड़क, वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में दोष उत्तरदायित्व अवधि में थी और वह अच्छी अवस्था में भी थी। इसलिए बाद के वर्षों में कम राशि व्यय की गई।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम हेतु धनराशि

2907. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में क्षतिग्रस्त वनों को पुनः हरा-भरा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान इस हेतु वन विकास अभिकरणों (एफडीए) को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का वन आधार संरचना के विकास और संरक्षण के लिए इस वास्ते पर्याप्त धनराशि जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के विभिन्न राज्यों द्वारा वनरोपण कार्यक्रम हेतु किए गए आबंटन का समुचित उपयोग न किए जाने के उदाहरण सामने आए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कार्यक्रम में मध्य-अवधि मूल्यांकन के साथ-साथ कार्यान्वित करने वाले राज्यों और अन्य पणधारियों की प्रतिपुष्टि पर आधारित राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम (एनएपी) के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के स्कीम प्रशासन को और अधिक विकेन्द्रीकृत करने, संस्थागत व्यवस्थाओं को संशोधित करने, निधि प्रवाह को सरल करने और कार्यक्रम की सुपुर्दगी के संवर्धन को देखते हुए दो नए घटकों को शामिल करने पर वांछनीय विचार किया गया था। वर्ष 2009 में एनएपी के संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) और वर्तमान वर्ष के दौरान एनएपी स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, "वन प्रबंधन स्कीम की तीव्रीकरण" नाम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में वन संसाधनों का विकास और संरक्षण हेतु अवसंरचना का सृजन करना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2011-12) के दौरान कर्नाटक राज्य सहित राज्यों को जारी किए गए निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नोटिस में लाया गया है कि वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत गोवा राज्य को प्रदत्त निधियों को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। अब, राज्य सरकार ने व्ययित राशियां वापस कर दी हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान (2008-09) से 2010-11 और वर्तमान वर्ष 2011-12, 30.11.2011 तक) जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य		जारी की गई निधि (करोड़ रुपयों में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.54	11.03	10.48	7.60
2.	बिहार	6.48	7.74	5.48	2.63
3.	छत्तीसगढ़	25.66	25.12	33.25	9.06

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	0.00	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	25.75	24.44	29.43	8.42
6.	हरियाणा	20.14	20.57	24.20	6.12
7.	हिमाचल प्रदेश	6.72	3.59	3.45	3.50
8.	जम्मू और कश्मीर	8.47	9.81	3.99	0.00
9.	झारखंड	26.32	21.06	8.73	0.00
10.	कर्नाटक	15.46	11.95	8.12	3.40
11.	केरल	9.45	4.02	7.54	1.95
12.	मध्य प्रदेश	22.55	22.53	30.39	2.18
13.	महाराष्ट्र	21.87	20.53	16.17	7.78
14.	ओडिशा	21.63	8.82	11.20	3.15
15.	पंजाब	3.30	3.01	0	0.00
16.	राजस्थान	7.32	10.67	4.94	4.39
17.	तमिलनाडु	8.86	7.98	7.21	3.08
18.	उत्तर प्रदेश	30.80	30.20	21.33	8.11
19.	उत्तराखंड	9.24	7.00	4.47	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	9.06	3.11	4.12	2.58
	कुल (अन्य राज्य)	290.62	253.17	234.50	73.95
21.	अरुणाचल प्रदेश	3.25	2.37	5.52	0.00
22.	असम	9.78	14.48	6.08	0.00
23.	मणिपुर	9.51	5.93	10.37	4.92
24.	मेघालय	4.69	2.21	8.79	0.00
25.	मिजोरम	13.61	17.27	12.21	6.57
26.	नागालैंड	6.64	10.67	10.11	4.16
27.	सिक्किम	6.63	8.86	11.99	4.25
28.	त्रिपुरा	0.89	3.20	10.43	6.68
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	55.00	65.00	75.49	26.58
	कुल योग	345.62	318.17	309.99	100.53

विवरण-II

वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12 के दौरान जारी की गई निधि
1	2	3
	अन्य राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	
2.	बिहार	
3.	छत्तीसगढ़	4.30
4.	गोवा	0.00
5.	गुजरात	1.84
6.	हरियाणा	0.56
7.	हिमाचल प्रदेश	2.47
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00
9.	झारखंड	2.70
10.	कर्नाटक	2.72
11.	केरल	1.36
12.	मध्य प्रदेश	5.22
13.	महाराष्ट्र	3.73
14.	ओडिशा	1.33
15.	पंजाब	0.00
16.	राजस्थान	1.61
17.	तमिलनाडु	2.46
18.	उत्तर प्रदेश	1.40
19.	उत्तराखंड	2.30
20.	पश्चिम बंगाल	0.51
	कुल	34.51
	पूर्वोत्तर और सिक्किम	
1.	असम	2.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	मणिपुर	1.59
4.	मेघालय	1.61
5.	मिजोरम	1.01
6.	नागालैंड	0.00
7.	सिक्किम	1.07
8.	त्रिपुरा	0.35
	कुल	8.09
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.31
2.	चंडीगढ़	0.34
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00
4.	दमण और दीव	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00
6.	नई दिल्ली	0.00
7.	पुडुचेरी	0.00
	कुल	0.65
	कुल योग	43.25

[हिन्दी]

पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन

2908. श्रीमती भावना पाटील गवलीः
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में भवन-निर्माण के दौरान पर्यावरण-कानूनों का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली सहित देश में सर्वत्र पर्यावरण-कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) और (ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार 20,000 वर्ग कि.मी. से अधिक निर्मित क्षेत्र समेत भवनों के निर्माण सहित परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है। यह अधिसूचना इन परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु विस्तृत प्रक्रिया और राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) तथा श्रेणी 'ख' परियोजनाओं पर विचार करने हेतु राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का प्रावधान करता है। यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए समान रूप से लागू होती हैं।

(ग) देश में पर्यावरणीय विधियों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परियोजनाओं का निरीक्षण और मानीटरिंग, पर्यावरणीय अनुपालन स्थिति रिपोर्ट लगाने हेतु समर्पित वेबसाईट के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा छमाही अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति शामिल हैं। उल्लंघन के मामले पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों तथा नवंबर, 2010 में मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार भी निपटाए जाते हैं।

[अनुवाद]

वन्य जीव अभयारण्य

2909. श्री एम.आई. शानवासः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के वन्य जीव अभयारण्यों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) से (घ) भारत सरकार अनुसूचित जनजाति और वन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और वन्य जीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत तथा "बाघ परियोजना और "वन्य जीवों का एकीकृत विकास" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों से बाहर परिवारों के स्वैच्छिक पुनः स्थापन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

"बाघ परियोजना" और "वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संरक्षित क्षेत्रों से परिवारों का स्वैच्छिक पुनः स्थापन हेतु जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।"

विवरण

'बाघ परियोजना' और 'वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' (आईडीडब्ल्यूएच) के नाम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संरक्षित क्षेत्रों से परिवारों के स्वैच्छिक पुनःस्थापन के लिए जारी निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैंः-

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व परियोजना के तहत जारी की गई राशि का विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1	मानस बाघ रिजर्व, असम	646.0945	-	-	-
2.	अचानकमार बाघ रिजर्व, छत्तीसगढ़	-	1000.00	1229.19	-

1	2	3	4	5	6
3.	नागरहोल/बांदीपुर बाघ रिजर्व, कर्नाटक	-	-	784.40	-
4.	बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	1580.00	-	2000.00	-
5.	कान्हा बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	1390.00	3.12	140.00	-
6.	सतपुड़ा बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	1024.49	1035.00	-	-
7.	पन्ना बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	1824.63	-	-	-
8.	दम्पा बाघ रिजर्व, मिजोरम	-	2043.00	-	-
9.	सिमली बाघ रिजर्व, ओडिशा	350.00	-	610.00	-
10.	रणथम्भौर बाघ रिजर्व, राजस्थान	464.00	10400.00	-	-
11.	सरिस्का बाघ रिजर्व, तमिलनाडु	1879.50	-	1860.00	-
12.	मुडुमलाई बाघ रिजर्व, महाराष्ट्र	100.00	-	200.00	-
13.	मेलघाट बाघ रिजर्व, महाराष्ट्र	-	-	1886.528	-
14.	तादोबा-अन्धेरी बाघ रिजर्व, महाराष्ट्र	-	-	288.73	-
	उप-योग	9258.7145	14481.12	8998.848	-
ख.	**संरक्षित क्षेत्रों के नाम (गैर बाघ रिजर्व) और वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरे**				
15.	बरनावापरा अभयारण्य, छत्तीसगढ़	-	540.00	-	-
16.	मालाबर वन्य जीव अभयारण्य, केरल	-	-	30.00	-
17.	वयन्द वन्य जीव अभयारण्य, केरल	-	-	-	350.00
18.	थारन्गटलेग वन्य जीव अभयारण्य, मिजोरम	-	-	488.00	-
	उप-योग	-	540.00	518.00	350.00
	कुल योग	9258.7145	15021.12	9516.848	350.00

[हिन्दी]

कच्ची सामग्री का आयात व निर्यात

2910. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री प्रदीप माझीः
कुमारी सरोज पाण्डेयः
श्री इज्यराज सिंहः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कुछ उद्योगों हेतु कच्ची सामग्री की आपूर्ति आयात के माध्यम से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कच्ची सामग्री व खनिजों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितनी लागत का निर्यात/आयात किया गया;

(ग) घरेलू उद्योगों को उक्त कच्ची सामग्री और खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किए गए उक्त प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा इनका क्या परिणाम हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) देश में आयात तब किए जाते हैं जब देश में या तो इसकी कमी हो अथवा घरेलू बाजार में उच्च कीमतें हों। इसके अलावा घरेलू उद्योग निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु शुल्क मुक्त आधार पर अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती तथा उपस्करों का आयात कर सकता है। अधिकतर कच्ची सामग्री का आयात मुक्त है। आयातित और निर्यातित कच्ची सामग्री सहित वस्तुओं का ब्यौरा सीडी में डीजीसीआई सण्ड एस.के. प्रकाशन अर्थात "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकडे" भाग-I (निर्यात) और भाग-II (आयात) में उपलब्ध हैं, जिसे डीजीसीआई एण्ड एस. द्वारा नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजा जाता है।

[अनुवाद]

तटरक्षक केंद्र

2911. श्री एस. सेम्मलई: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में नए तटरक्षक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक कार्यशील किया जाएगा; और

(घ) तटरक्षक बल को मजबूत करने के लिए इनमें कर्मी संख्या बताने सहित अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी हां। सरकार पहले ही ग्यारह नए तटरक्षक केंद्रों की स्थापना किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रों की संख्या
1.	गुजरात	एक
2.	महाराष्ट्र	एक
3.	तमिलनाडु	एक
4.	आंध्र प्रदेश	दो
5.	ओडिशा	एक
6.	पश्चिम बंगाल	दो
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	दो
8.	लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप समूह	एक

इन केंद्रों को अवसंरचना, परिसम्पत्तियों तथा जनशक्ति का प्रावधान किए जाने पर चालू कर दिया जाएगा।

(घ) हाल ही में तटरक्षक बल को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, ग्यारह नए तटरक्षक बल केंद्र, नए एयर केंद्र तथा एयर इन्क्लेव अनुमोदित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए पोत, विमान तथा हेलिकॉप्टरों सहित अतिरिक्त प्लेटफार्म भी स्वीकृत किए हैं। जनशक्ति क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। सरकार तटरक्षक बल को हमारी तटीय सुरक्षा की एक सशक्त शाखा बनाने के लिए कटिबद्ध है।

कर्मचारी लोक भविष्य निधि कार्यालयों का खोला जाना

2912. श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेलः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर दिल्ली जैसे शहरों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों के खोलने तथा कार्य करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इन मानकों का सख्ती से पालन हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें निर्धारित मामलों का पालन नहीं हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या औद्योगिक कामगारों को सुविधा प्रदान करने तथा प्रशासनिक परंपरा बढ़ाने के लिहाज से सरकार का कर्मचारी लोक भविष्य निधि संगठन के छोटे कार्यालय खोलने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अनुमोदन से प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार जोनल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं। उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) तथा सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए मानक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निर्धारित किए गए थे तथा कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की 4.12.1998 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किए गए थे। एसआरओ तथा सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए ये मानक जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत के लिए हैं क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हैं।

(ख) और (ग) कार्यालयों को खोलने के लिए प्रस्तावों की मानकों के अनुसार जांच की जाती है। कुछ मामलों में अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानकों में छूट दी जाती है। विगत पांच से छः वर्षो के ऐसे एसआरओ येलाहंका, तुंकुर, भरूच, इलाहाबाद, नागरकोइल, मैसूर रोड, उडुप्पी, करीमनगर, सिडिपेट, सागर, शिमोगा एवं क्योंझार हैं।

(घ) और (ङ) एसआरओ, सेवा केन्द्रों तथा जिला केन्द्रों को खोलने के लिए सेवा स्तर, कार्यभार तथा प्रवर्तन स्तर मापदण्डों के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मानकों की समीक्षा की जा रही है। नए मानकों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

नए जलपोत-मरम्मत यार्ड

2913. श्री के.पी. धनपालनः क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोच्चि में एक नए जलपोत-मरम्मत यार्ड की शुरुआत करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित यार्ड के निर्माण और प्रचालन की प्रविधि क्या रहेगी?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) कोचीन पत्तन न्यास, मट्टानचेरी घाट के 45 एकड़ के पूर्वी भूमि क्षेत्र में विलिंग्डन द्वीप में एक पोत मरम्मत सुविधा स्थापित किए जाने की योजना बना रहा है।

(ख) और (ग) विलिंग्डन द्वीप में पोत मरम्मत सुविधा, 30 वर्ष की अवधि के लिए बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो (बीओटी) के आधार पर एक सरकारी निजी भागीदारी परियोजना के रूप में स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

बुनकरों के लिए विशेष क्षेत्र

2914. श्री दारा सिंह चौहानः क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बुनकर बहुल अंचल में बुनकरों हेतु एक विशेष क्षेत्र बनाने का विचार कर रही है ताकि बुनकरों से उनका बुना वस्त्र आसानी से प्राप्त करके देश में विक्रय किया जा सके और विभिन्न देशों को निर्यात किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बुनकरों व उनके परिवारजनों को शिक्षा प्रदान करने तथा चिकित्सोपचार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि धागा बनाने वाली कंपनियां धागे की कीमत को लगातार बढ़ाती जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा धागे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय समूचे देश में हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके निम्नलिखित संघटक हैं यथा (i) स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका उद्देश्य बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ कई प्रकार की बीमारियों के लिए बुनकरों और सम्बद्ध कामगारों को व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख सहायता मुहैया कराना है। इस योजना में बीमित व्यक्ति के लिए दवाइयों, प्रसव लाभ, शिशु देखभाल, चश्में इत्यादि की वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अनुमति है तथा साथ ही इसमें सभी पूर्व-विद्यमान बीमारियां भी शामिल हैं; तथा (ii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक व दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में तथा पूर्ण अथवा आंशिक विकलांगता

के मामले में हथकरघा बुनकरों को बीमा कवर मुहैया कराना है। इस योजना में 2010-11 में हथकरघा बुनकरों के 1.55 लाख बच्चों तथा 2011-12 में अब तक करीब 60,000 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह मंत्रालय हथकरघा क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए पाँच भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान भी संचालित करता है।

(ङ) और (च) सरकार धागे की कीमतों में वृद्धि से अवगत है। तथापि, ये कीमतें विदेशी बाजारों में कीमतों में अचानक हुई वृद्धि, सूती धागे के निर्यात इत्यादि के कारण बढ़ी है। सूती धागे की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने कपास और सूती धागे के निर्यातकों नियंत्रित किया है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में कमी हुई है और सूती धागे की उपलब्धता बढ़ी है।

युवाओं को सैन्य/एन.सी.सी. प्रशिक्षण

2915. श्री भूदेव चौधरीः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्रीमती ज्योति धुर्वेः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को संसद सदस्यों सहित विभिन्न वर्गों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि देश में एन.सी.सी. संगठन को मजबूत करने के लिहाज से सभी छात्र/छात्राओं के लिए एन.सी.सी/सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है;

(घ) क्या लोक सेवा परीक्षकों में एन.सी.सी. कैडेटों को बोनस अंक देने की प्रथा खत्म कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कैडेटों का उत्साह बढ़ाने तथा युवाओं को रक्षा सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से कैडेटों को रोजगार में विशेष सुविधाएं देने या अन्य प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) कैडेटों की पंजीकृत संख्या 1241327 कैडेट है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, एन सी सी प्रशिक्षण पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्यक्रम है और प्रत्येक स्कूल/कालेज के लिए यह स्वैच्छिक है। सभी छात्रों के लिए एन सी सी/सेना प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना वर्तमान में, सरकार के विचाराधीन नहीं है। स्कूलों और कालेजों में एन सी सी और तत्पश्चात प्रादेशिक सेना के माध्यम से युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए मूलभूत सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अवसर पहले से ही उपलब्ध है। होम स्काउटों, होम गार्डों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, अर्द्ध सैनिक बलों, ग्राम रक्षा समितियों आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत बड़ी संख्या में सिविलियन भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

(घ) रक्षा मंत्रालयों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में एन.सी.सी. कैडेटों को बोनस अंक प्रदान किये जाते हैं।

(ङ) एन सी सी 'सी' प्रमाण पत्र धारकों को सरकार सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण प्रदान करती है और अर्द्ध सैनिक संगठनों में अंकों का कुछ अधिभार प्रदान किया जाता है। एन सी सी 'सी' प्रमाण पत्र धारकों के लिए प्रतिवर्ष आई एम ए, देहरादून में 64 रिक्तियां, अफसर प्रशिक्षण आकदमी (ओ टी ए) चैन्ने में 100 रिक्तिया, नौसेना अकादमी, एजीमाला में 12 रिक्तियां तथा वायु सेना अकादमी, दुंडीगाल में 10 रिक्तियां आरक्षित हैं।

इसके अलावा, ओ टी ए चेन्नै, नौसेना अकेडमी, एजीमाला और वायु सेना एकेडमी दुंडीगाल, में प्रवेश के लिए एन सी सी के 'सी' प्रमाण पत्र धारकों को लिखित परीक्षा से छूट दी गई है। रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए कैडेटों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें विभिन्न एन सी सी शिविरों के दौरान समूह चर्चाओं का आयोजन, ए एस बी पास करने की क्षमता वाले कैडेटों की पहचान करना, अफसर प्रशिक्षण अकेडमी (ओ टी ए) कैम्पटी में एस एस बी कोचिंग पाठ्यक्रम में सीटों में वृद्धि करना, ओ टी ए, ग्वालियर द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की बारंबारता में वृद्धि करना और एसोसिएट एन सी सी अफसरों (ए एन ओ) के लिए एस एस बी पाठ्यक्रम के संबंध में अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

[अनुवाद]

आर्द्र भूमि में जलीय खर-पतवार की वृद्धि

2916. श्रीमती मेनका गांधीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि केरल के आर्द्र भूमि में कम्बोबा खर-पतवार में तेजी से वृद्धि के कारण केरल में नदी प्रणाली गंभीर खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां। दिनांक 27 मई, 2011 के हिन्दू समाचार पत्र के अनुसार फैनवार्ट पौधे के रूप में ज्ञात कबोम्बा खर-पतवार स्थिर जल में नहरों एवं कीचड़ वाले मैदानों के साथ तेजी से फैल रहा है और यह पम्बा नदी प्रणाली को गहरे संकट में डाल रहा है। तथापि, इस खर-पतवार के फैलने से संबंधित कोई परिपोषी साक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) विशेष रूप से, नदी प्रणाली को प्रभावित करते हुए केरल के आर्द्र भूमियों में कबोम्बा खर-पतवार की वृद्धि पर सरकार द्वारा कोई अलग अध्ययन नहीं कराए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय ने संरक्षण हेतु केरल की पांच आर्द्र भूमियों को अभिज्ञात किया है जिसके अंतर्गत विभिन्न संरक्षण गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें सामान्य रूप से जलीय खर-पतवारों पर नियंत्रण शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयला खनन की स्वीकृति

2917. श्री मधुसूदन यादवः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन संस्वीकृत छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन क्षेत्र के कोयला खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) हसदेव अरंड वन क्षेत्र के कोयला खनन परियोजनाओं से संबंधित वन सलाहकार समिति की सिफारिशों का ब्यौरा परियोजना-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के विपरीत कुछ परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और शेष परियोजनाओं को कब तक संस्वीकृत किए जाने की संम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन क्षेत्र में खनन के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु आठ प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। वन स्वीकृतियों हेतु इन प्रस्तावों पर वन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है जो कि संस्तुति निकाय है और यह मंत्रालय एफएसी की सिफारिश पर विचारोपरांत निर्णय लेता है। एफएसी ने इस क्षेत्र में चोटिया I और II नामक एक परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश की थी। मंत्रालय ने इस परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमोदन दे दिया है और इस क्षेत्र में तारा, पारस और "पारसा पूर्व और केइंटा बसन" नामक अन्य तीन परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पितुरिया गिधुमरि, 'नकिया I और II मोरगा और मदनपुर दक्षिण कोयला ब्लॉकों से संबंधित शेष चार प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्वीकृति मात्र चोटिया I और II ब्लॉक को दी गई है।

(घ) इन प्रस्तावों को वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर आधारित हैं:

(i) तारा, पारसा पूर्व और केइंटा बेसिन के कोयला खण्ड, हसदेव-अरंड वन क्षेत्र के सीमान्त में स्थित हैं।

(ii) ये कोयला खण्ड अत्यंत-महत्वपूर्ण ताप विद्युत केन्द्रों से संबद्ध है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, ग्लोबल वार्मिंग हेतु चिंताओं का निराकरण करने हेतु देश के लिए आवश्यक है।

(iii) परियोजना प्रस्तावकों ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की चिंताओं का निराकरण करने के लिए खनन योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं और वन्य जीव संरक्षण के लिए चिंताओं का निराकरण, सु-निर्मित और सु-निष्पादित वन्य जीव प्रबंधन योजना के माध्यम से किया जाएगा।

(iv) विद्युत उत्पादन के लिए क्षमता अभिवृद्धि के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पन्न गति को सतत करने की आवश्यकता से उजागर हो रहे व्यापक विकासात्मक चित्र ने इन परियोजना को मंजूरी देने को आवश्यक बनाया है।

इस मंत्रालय में वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति के लिए हसदेव-अरंड वन क्षेत्र में पड़ने वाला कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूल

2918. श्री रामसिंह राठवाः
श्री गोपाल सिंह शेखावतः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में कार्यरत सैनिक स्कूलों की राज्य-वार और स्थान-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित/मानदंड/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न श्रेणियों को क्या छूट प्रदान की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) इस समय देश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 24 सैनिक स्कूल हैं। उनकी राज्य-वार अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) किसी ऐसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाती है जो राज्यों के कैडेटों को छात्रवृत्तियां देने के अलावा आधारभूत अवसंरचना, उपस्कर और सुविधाओं के सृजन तथा रख-रखाव के लिए निधि की व्यवस्था करने के साथ-साथ भूमि की व्यवस्था करने के लिए भी सहमत होती है। इसके लिए राज्य सरकार को एक करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने अपेक्षित होते हैं।

जहां तक नए सैनिक स्कूल खोलने का संबंध है, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से क्रमशः सम्बलपुर, सागर तथा चितूर जिलों में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय के अफसरों द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात इन राज्यों में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकारों से भूमि का अंतरण, आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण तथा करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) सैनिक स्कूलों में लड़कों को कक्षा VI और कक्षा IX में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता-सूची का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाता है। प्रत्येक सैनिक स्कूल में 67% सीटें उस राज्य के लड़कों के लिए आरक्षित होती हैं जिसमें वह सैनिक स्कूल अवस्थित है। कुल सीटों का 15% अनुसूचित जाति तथा 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होती हैं। भूतपूर्व सैनिकों सहित सैन्य कार्मिकों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों तथा रक्षा सैन्य कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए प्रत्येक विषय में 25% अंक तथा कुल मिलाकर 40% अंक न्यूनतम अर्हकता अंक होते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में, उपर्युक्त न्यूनतम अर्हक शैक्षिक मानकों में छूट दी गई है और उनका प्रवेश उनकी अलग-अलग श्रेणियों में परस्पर योग्यता-क्रम के आधार पर होता है।

छूट का दूसरा लाभ कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है। उन्हें भी उसी प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है और उन्हें योग्यता क्रम के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना केवल अर्हकता अंक (प्रत्येक विषय में 25% और कुल मिलाकर 40% अंक) ही लाने होते हैं। कर्मचारियों के बच्चों की कुल संख्या स्कूल में छात्रों की कुल संख्या के 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विवरण

सैनिक स्कूल की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	राज्य	सैनिक स्कूल का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	सैनिक स्कूल कोरूकोंडा
2.	असम	सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा
3.	बिहार	1. सैनिक स्कूल गोपालगंज
		2. सैनिक स्कूल नालंदा
4.	छत्तीसगढ़	सैनिक स्कूल, अंबिकापुर
5.	गुजरात	सैनिक स्कूल बालचढ़ी
6.	हरियाणा	1. सैनिक स्कूल कुंजपुरा
		2. सैनिक स्कूल रेवाड़ी

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा
8.	जम्मू और कश्मीर	सैनिक स्कूल नगरोटा
9.	झारखंड	सैनिक स्कूल तिलैया
10.	कर्नाटक	1. सैनिक स्कूल बीजापुर
		2. सैनिक स्कूल कोडागु
11.	केरल	सैनिक स्कूल काजाकूटम
12.	मध्य प्रदेश	सैनिक स्कूल रीवा
13.	महाराष्ट्र	सैनिक स्कूल, सतारा
14.	मणिपुर	सैनिक स्कूल इम्फाल
15.	नागालैंड	सैनिक स्कूल पुंगलवा
16.	ओडिशा	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर
17.	पंजाब	सैनिक स्कूल कपूरथला
18.	राजस्थान	सैनिक स्कूल चितौड़गढ़
19.	तमिलनाडु	सैनिक स्कूल अमरावतीनगर
20.	उत्तराखंड	सैनिक स्कूल घोड़ाखाल
21.	पश्चिम बंगाल	सैनिक स्कूल पुरूलिया

[हिन्दी]

कामगारों को रोजगार

2919. श्रीमती मीना सिंहः
श्री जगदीश सिंह राणाः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौतों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में निजी कर्मचारियों को सभी श्रेणियों के कल्याण की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का एक प्रस्ताव है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) समझौता ज्ञापन का प्रारूप जिन क्षेत्रों में सहयोग पर बल देता हैं उनमें (i) कौशल विकास, (ii) युवा रोजगार, (iii) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा (iv) खान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।

(ग) संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र के कामगारों को मुख्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किया गया है। सरकार अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को लाभान्वित करने तथा सशक्त बनाने हेतु विभिन्न नए उपाय कर रही है जिनमें श्रम कल्याण

निधि तथा असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को पुरः स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो गरीबी रेखा से नीचे अनौपचारिक क्षेत्र के परिवारों को नकद रहित स्वास्थ्य कवर प्रदान करते हुए देश भर में यह योजना सफलतापूर्वक चला रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, फेरी वालों, बीड़ी कामगारों तथा मनरेगा लाभार्थियों तक किया गया है। सरकार ने आम आदमी बीमा योजना की शुरूआत मृत्यु एवं अशक्तता बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से की है। पात्रता के मानदंडों को संशोधित करते हुए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार किया गया है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कुछ श्रेणियों जैसे बीड़ी, सिने तथा गैर-कोयला खान कामगारों के लिए कल्याण निधियों का गठन किया है।

(घ) तदनुसार, वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कुल नियोजन 45.9 करोड़ है। जिसमें से 43.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में तथा 2.6 करोड़ संगठित क्षेत्र में थे। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम लाभार्थियों की संख्या 554.84 लाख है तथा कर्मचारी भविष्य निधि के लाभार्थियों की संख्या 587.96 लाख है। स्मार्ट कार्ड प्रयोक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कवरेज 30.11.2011 तक लगभग 25.45 मिलियन हो गया है। 31.08.2011 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम	31.08.2011 तक जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	33,851
2.	असम	2,04,548
3.	बिहार	58,18,191
4.	चंडीगढ़	4,913
5.	छत्तीसगढ़	15,23,833
6.	दिल्ली	1,44,518
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	18,20,241
9.	हरियाणा	6,15,364
10.	हिमाचल प्रदेश	2,37,946
11.	झारखण्ड	14,12,081
12.	कर्नाटक	1,57,405
13.	केरल	17,48,471
14.	महाराष्ट्र	17,96,515
15.	मणिपुर	18,259
16.	मेघालय	61,947
17.	मिजोरम	19,670
18.	नागालैंड	78,154
19.	ओडिशा	4,17,285
20.	पंजाब	2,20,316
21.	तमिलनाडु	0
22.	त्रिपुरा	2,58,402
23.	उत्तर प्रदेश	35,40,941
24.	उत्तराखण्ड	3,26,568
25.	पश्चिम बंगाल	38,04,791
	कुल	2,42,64,210

[अनुवाद]

झीलों और नदियों में प्रदूषण

2920. श्री किशनभाई वी. पटेलः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़े शहर विभिन्न नदियों और झीलों के प्रमुख प्रदूषक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रमुख शहरों की पहचान किए जाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इस प्रकार की नदियों/झीलों के लिए संरक्षण की कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अधीन प्रदूषण कम करने हेतु संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की प्रत्येक परियोजनाओं के अधीन राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गई हैं और उपयोग की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 498 श्रेणी-I नगरों और 410 श्रेणी-II शहरों में अपशिष्ट जल उत्सर्जन लगभग 38000 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) आंकलित किया गया है। इसमें विभिन्न नदियों और झीलों पर स्थित नगर और शहर शामिल हैं। इसके लिए उपलब्ध शोधन क्षमता मात्र लगभग 12000 एमएलडी है। इस अंतराल को कम करने के लिए 26000 एमएलडी की अतिरिक्त मलजल शोधन क्षमता की आवश्यकता है। नदियों के साथ लगे शहरों से अशोधित अपशिष्ट जल का प्रवाह, नदियों और झीलों में प्रदूषण भारों का प्रमुख स्रोत है।

(घ) नदियों का संरक्षण, केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास है। मलजल प्रबंधन और निपटान के लिए अवसंरचना का सृजन, राज्य स्कीमों के अंतर्गत के साथ-साथ राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन और लघु तथा मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम जैसी अन्य केंद्रीय स्कीमों के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है।

केंद्र सरकार, नदी और झील संरक्षण में राज्य सरकारों के प्रयासों का संपूरण कर रही है। केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) वर्तमान में 39 नदियों को कवर करती है जो कि 20 राज्यों के 190 शहरों में फैली हुई हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में अपरिष्कृत मलजल का अवरोधन और विपथन, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 4418 मिलियन लीटर प्रतिदिन की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। देश के शहरी और अर्थ-शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। एनएलसीपी के अंतर्गत 14 राज्यों में 61 झीलों के लिए संरक्षण कार्यों को अनुमोदित किया गया है और अभी तक 23 झीलों में संरक्षण कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं।

वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना की शुरुआत के साथ प्रारंभ किए गए प्रयासों के पुनर्नवीकरण के लिए केंद्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक अधिकार संपन्न प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) गठित किया। इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि 'मिशन स्वच्छ गंगा' के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2020 तक गंगा नदी में कोई अशोधित नगरीय मलजल और औद्योगिक बहिःस्राव न बहाया जाए। गंगा नदी के प्रदूषण के उपशमन के लिए 7000 करोड़ रुपए की आकलित लागत पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक परियोजना अप्रैल, 2011 में अनुमोदित की गई है।

(ङ) और (च) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंजूर किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों, जारी की गई निधियों और किए गए व्यय के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (सितंबर, 2011 तक) के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं, जारी की गई केंद्रीय निधि और किए गए व्यय

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर की गई परियोजनाएं	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा किए गए व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश		62.27	128.77

1	2	3	4	5
2.	बिहार	441.85	35.37	
3.	दिल्ली	309.83	225.64	409.68
4.	गोवा			2.57
5.	गुजरात		1.88	0.62
6.	हरियाणा	11.82	39.80	42.69
7.	झारखंड			
8.	कर्नाटक		3.21	0.95
9.	केरल		1.00	
10.	मध्य प्रदेश	6.20	4.25	4.63
11.	महाराष्ट्र	76.73	19.55	4.67
12.	नागालैंड			
13.	ओडिशा		21.44	9.82
14.	पंजाब	244.05	93.28	53.06
15.	राजस्थान	149.59	40.00	22.41
16.	सिक्किम	86.40	55.44	59.34
17.	तमिलनाडु	26.74	12.62	32.56
18.	उत्तर प्रदेश	1377.72	469.30	568.33
19.	उत्तराखंड	151.30	52.32	45.62
20.	पश्चिम बंगाल	704.74	280.81	134.46
	पश्चिम बंगाल	3586.97	1418.18	1520.88

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	गत तीन वर्षो के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में मंजूर की गई परियोजनाएं	गत तीन वर्षो के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4.30	1.90
2.	जम्मू और कश्मीर		98.78

1	2	3	4
3.	महाराष्ट्र	4.32	7.27
4.	तमिलनाडु		
5.	कर्नाटक	13.37	11.34
6.	उत्तराखंड		6.40
7.	राजस्थान	133.94	28.44
8.	पश्चिम बंगाल	37.51	5.30
9.	त्रिपुरा		
10.	केरल		
11.	ओडिशा		1.00
12.	उत्तर प्रदेश	124.32	22.43
13.	मध्य प्रदेश		0.80
14.	नागालैंड	25.83	5.81
	कुल	343.59	189.47

[हिन्दी]

लौह मिश्रधातु संयंत्रों की स्थापना

2921. श्री जफर अली नकवीः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण की उत्तर प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर लौह मिश्रधातु संयंत्रों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय कोल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के पुनर्गठन के लिए विशेष उद्देश्य वाहन सृजित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित राज्यों से प्राप्त इस्पात संबंधी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में स्थित 100,000 टन फेरो एलोय क्षमता की महाराष्ट्र इलेक्ट्रोमेल्ट लिमिटेड (एमईएल) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक सहायक कंपनी थी। इसका अब 1.4.2010 से सेल के साथ विलय कर दिया गया है और इसे चन्द्रपुर फेरो एलॉय प्लांट (सीएफपी) के रूप में नया नाम दिया गया है। सीएफपी का सेल के साथ विलय होने से प्रत्याशा है कि संबंधित निवेश और यूनिट का विकास सेल की फेरो-एलॉय की आवश्यकता के अनुरूप होगा।

इसके अतिरिक्त गांव नंदिनी, भिलाई, (छत्तीसगढ़) में हाई कार्बन फैरो मैंगनीज और सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए एक फैरो एलॉय प्लांट की स्थापना हेतु सेल और मॉयल ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः सेल एंड मॉयल फैरो एलॉय प्रा.लि. का गठन किया है।

विदेशों में कोयला कंपनियों, कोयला खानों और कोयला परिसंपत्तियों/ब्लाकों के अधिग्रहण के उद्देश्य से भारत सरकार के

अनुमोदन के साथ इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल), एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई है। आईसीवीएल की प्रवर्तक कंपनियां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), एनएमडीसी लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड हैं। मुख्यतया आईसीवीएल की प्रवर्तक कंपनियों की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन परिसंपत्तियों से उत्पादित होने वाले कोयले का भारत में आयात किए जाने का इरादा है। विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में इस्पात मंत्रालय को सूचित किया है कि एनटीपीसी लिमिटेड को संयुक्त उद्यम से अलग होने की अनुमति दे दी जाए। विद्युत मंत्रालय का प्रस्ताव वर्तमान में जांचाधीन है। एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम से अलग होने की स्थिति में आईसीवीएल की पुनर्संरचना आवश्यक हो सकती है।

(ग) और (घ) चूंकि, स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका केवल एक सुविधादाता के रूप में है इसलिए राज्यों से प्राप्त इस्पात से जुड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति लंबित रहने का प्रश्न नहीं उठता।

सीएसडी कैंटीनों में असैनिक

2922. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में असैनिक कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन्हें भुगतान की जा रही दैनिक मजदूरी इस संबंध में निर्धारित नियमों और आदेशों के अनुसार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) जी, हां। सशस्त्र बलों की यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों (यू आर सी) में लगभग 6300 सिविलियन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों के सिविलियन कर्मचारियों की सेवाओं की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम सेना मुख्यालय द्वारा वर्ष 2003 में जारी किए जा चुके हैं। उक्त कर्मचारियों को समय समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महात्मा गांधी सेतु

2923. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बिहार में पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण को अपने हाथों में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह निर्णय लिया गया;

(ग) इसकी मरम्मत के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस पर आज की तिथि एक कितनी राशि व्यय की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने किए गए मरम्मत के कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पुल के निर्माण में तकनीकी त्रुटि के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) उक्त पुल के निर्माण में देरी के कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2249 (अ) दिनांक 28.09.2011 के तहत महात्मा गांधी सेतु (एमजी सेतु) सहित पटना-हाजीपुर खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया है। तथापि, वर्तमान में, इस पुल का अनुरक्षण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विस्तृत अध्ययन/जांच-पड़ताल के पश्चात् व्यापक पुनरुद्धार कार्य शुरू करेगा।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अल्प-कालिक और दीर्घकालिक पुनरुद्धार सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ परामर्शदाता नियुक्त किया है। विस्तृत रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर, एमजी सेतु के लिए आगे के पुनर्वास उपाय शुरू किए जाएंगे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) इस खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग घोषित किए जाने से पहले इस पुल का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। निर्माण में गुणवत्ता के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

सामाजिक कल्याण योजनाएं

2924. श्री आधि शंकरः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में कार्यान्वित की जा रही समाज कल्याण योजनाओं के नाम और उनकी संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) केन्द्र सरकार इस संबंध में व्यय पर किस तरीके से नियंत्रण करती है;

(ग) क्या तटीय/पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई नई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह योजना किस तरीके से कार्यान्वित की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु राज्य सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं नीचे दी गई हैं:

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

(i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(iii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

(क) अनुसूचित जाति बालकों के लिए छात्रावास

(ख) अनुसूचित जाति बालिकाओं के लिए छात्रावास

(iv) अनुसूचित जाति विकास निगम

(v) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

(vi) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(vii) अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(viii) अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(ix) अन्य पिछड़ा वर्ग बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं

(i) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान

(iii) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों सहित कमजोर वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा संबंध

(iv) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन

(v) मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना

(vi) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान

(vii) यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता

(viii) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

(ix) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना

(x) मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग के रोकथाम की योजनाएं

(xi) वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

उक्त योजनाएं राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31.10.2011 तक) के दौरान उल्लिखित योजनाओं के लिए तमिलनाडु में विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों हेतु मंत्रालय द्वारा 764.87 करोड़ रुपए की सीमा तक निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

(ख) मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग निम्नलिखित विधियों से सुनिश्चित करता है:

(i) किसी वर्ष के दौरान कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए अनुदानों की नई और उत्तरवर्ती निर्मुक्तियां केवल पूर्ववर्ती वर्षों के अनुदानों, जो देय हो गए हैं के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर ही की जाती है;

(ii) मंत्रालय के अधिकारियों के उनके राज्यों के दौरों के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा;

(iii) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों की भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मानीटर किए जाने की उम्मीद है;

(iv) मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग चैक करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों के माध्यम से समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययनों को भी प्रायोजित करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एनईएएमए की स्थापना

2925. श्री बृजभूषण शरण सिंहः
डॉ. क्रुपारानी किल्लीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण (एनईएएमए) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहल की गयी है और इस उद्देश्य के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने एनईएएमए की स्थापना की दिशा में विश्व बैंक या अन्य ऐसी ही एजेंसी के साथ मिलकर कार्य करने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) यह मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और तटीय क्षेत्र प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और व्यावसायिक बनाने के लिए क्षेत्र सुविज्ञता, प्रौद्योगिकी कौशल और क्षेत्र आउटरीच के साथ राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण (एनईएएमए) को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इस प्राधिकारण को स्थापित करने संबंधी ब्यौरो और समय-अनुसूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

मजदूरी में असमानता

2926. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः
श्री हमदुल्लाह सईदः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रम में मजदूरी में असमानता अभी भी मौजूद है और समान कार्य के लिए समान मजदूरी के प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या नैमित्तिक गैर-कृषि कामगार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर उनकी मजदूरी के संदर्भ में असंगठित कामगारों के हितों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में प्रचालित न्यूनतम मजदूरी की दरों में असमानता के मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक और कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता और स्थानीय परिस्थितियों में अंतर हैं। असमानता को कम करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) ने वर्ष 1991 में राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी दिनांक 01.04.2011 से 115/- रुपये प्रतिदिन है। राष्ट्रीय सतही स्तर की मजदूरी एक गैर-सांविधिक उपाय है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन अनुसूचित नियमों (गैर-कृषि), जहां कुशल कामगारों हेतु मजदूरी राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कम है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन, जो मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, का श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और राज्यों के आवधिक दौरे के माध्यम से नियमित रूप से अनुपालन किया जाता है। राज्य सरकारों को नियमित रूप से यह सलाह दी जाती है कि अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी कम से कम राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी, जो वर्तमान में 115 रुपये है, के बराबर निर्धारित तथा संशोधित की जाए।

विवरण

राज्यवार अनुसूचित नियोजन (गैर कृषि) जहां अकुशल कामगारों के लिए मदजूरी की न्यूतनम दरें एनएफएलएमडब्ल्यू से कम हैं

(रु. प्रति दिन)

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन	श्रेणी	जोन	न्यूनतम मजदूरी
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	मेस्टा यूज्ड ट्विन मिल्स इस्टेबलिश्मेंट	अकुशल		103.25
2.	घरेलू कामगार			100.00
	असम			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन	अकुशल		100.00
	हिमाचल प्रदेश			
1.	अगरबत्ती बनाने का उद्योग	अकुशल		100.00
	हिमाचल प्रदेश			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन	अकुशल		110.00
	जम्मू और कश्मीर			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन	अकुशल		दव.वव
	कर्नाटक			
1.	घरेलू कामगार			111.83
2.	शहर और गांव पंचायत इस्टेबलिश्मेंट			111.92
	महाराष्ट्र			
1.	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग (एसईईपीजेड)	अकुशल		101.25

1	2	3	4	5
2.	स्थानीय प्राधिकारी	अकुशल		109.69
3.	बीड़ी निर्माण मैन्युफैक्ट्री सहित तम्बाकू	अकुशल	I	98.18
		अकुशल	II	95.65
	मेघालय			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन			100.00
	नागालैंड			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन			80.00
	ओडिशा			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन			90.00
	सिक्किम			
1.	सभी अनुसूचित नियोजन	अकुशल		100.00
	तमिलनाडु			
1.	कोचिंग अकादमी			94.84
2.	अतिशबाजी विनिर्माण			99.92
3.	माचिस विनिर्माण			113.58
4.	विद्युतकरघा उद्योग			88.29
5.	चर्म शोधन और चमड़ा	वाचमैन		108.28
6.	सुवासित और चबाने वाला तम्बाकू			112.58
	त्रिपुरा			
1.	मैकेनिकल कार्यशाला		अकुशल	98.08
2	पैट्रोल पम्प		अकुशल	81.54
			अर्द्धकुशल	86.54
			कुशल	104.23

1	2	3	4	5
3.	सार्वजनिक मोटर परिवहन		पीयन/अन्य श्रेणी-IV	70.85
			टाईम कीपर	75.77
			मेल रनर	91.46
			बुकिंग लिपिक	90.65
			निरीक्षक/टिकल	93.65
			मुख्य लिपिक/लेखाकार	100.77
			सहायक/हैंडीमेन/क्लीनर मध्यम/हल्के/वाहन	86.38
			सहायक/हैंडीमैन/क्लीनर (भारी वाहन)	105.00
			संवाहक	108.12
4.	चावल मिल्स		हैलरमैन/मशीनमैन	98.08
5.	दुकान और प्रतिष्ठान		अकुशल	96.15
			अर्द्धकुशल	105.50
6.	बीड़ी उद्योग (1000 बीड़ी लपेटना)			65.00
7.	निजी अध्ययन संस्थान/कोचिंग स्कूल		**वरिष्ठ बैसिक/उच्च/उच्चतर**	
			दफ्तरी/हैल्पर/समूह घ	65.77
			लिपिकीय स्टाफ/अध्यापक	103.85
			प्राथमिक (श्रेणी V तक)	
			दफ्तरी/हैल्पर/रिक्शा चालक	65.77
			लिपिकीय स्टाफ	86.54
			अध्यापक	90.00
			नर्सरी/प्री-नर्सरी	
			दफ्तरी/हैल्पर/रिक्शा चालक	65.77
			लिपिकीय स्टाफ	86.54
			अध्यापक	86.54

1	2	3	4	5
8.	सफाई कर्मचारी			85.00
	उत्तराखंड			
1.	खांडसारी			101.73
2.	ऊनी कंबल बनाने वाले प्रतिष्ठान			101.73
3.	धुलाई अथवा टायलेट साबुन अथवा सिलिकेट अथवा साबुन पाउडर अथवा डिटर्जेंट विनिर्माण			101.73
1.	रासायनिक उद्योग			100.00
2.	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग			100.00
3.	सामान्य इंजीनियरिंग और फेब्रीकेशन			111.00
4.	तेल मिल्स			100.00
5.	हाथ से बना कागज उद्योग			100.00
6.	मशीन निर्मित कागज			100.00
7.	प्लास्टिक उद्योग			100.00
8.	मुद्रणालय			100.00
9.	चावल मिल्स, आटा मिल्स और दाल मिल्स			100.00
10.	सुरक्षा गार्ड्स			111.54
11.	दुकान और प्रतिष्ठान			100.00
12.	अस्पताल और नर्सिंग होम्स			109.50
13.	होटल और रेस्टरां			107.65

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28क

2927. श्रीमती अवश्वमेध देवीः क्या **सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28क अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए सुधार/मरम्मत के कार्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए कितनी निधियां जारी/आबंटित की गयी हैं;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार से भारत-नेपाल सीमा के नजदीक के क्षेत्रों में प्रचालनिक और रणनीतिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और विकास एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 18.35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और चालू वर्ष के दौरान 2.57 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मैला ढोने पर प्रतिबंध

2928. श्री कैलाश जोशीः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर किस वर्ष में प्रतिबंध लगा दिया गया था;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सिर पर मैला ढोने की प्रथा को इसके अनुसार समाप्त नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढोने के कार्य से लोगों को मुक्त कराने के लिए वैकल्पिक रोजगार दिए जाने पर विचार किया था; और

(घ) क्या सरकार इस स्थिति से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने पर विचार कर रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शैचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993', अधिनियमित किया गया था जो अन्य बातों के साथ-साथ, सफाई कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।

(ख) 23 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को अपनाया है। शेष पांच राज्यों में से दो राज्यों अर्थात् मणिपुर और मिजोरम ने सूचित किया है कि उनके राज्य में कोई शुष्क शौचालय नहीं है तथा तीन राज्यों अर्थात् राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर ने अपने स्वयं के विधायन पारित कर लिए है। तथापि, हाथ से मैला साफ करने की कतिपय घटनाएं इस मंत्रालय की जानकारी में आयी हैं जिन्हें सत्यापन और शेष हाथ से मैला साफ करने वालों के पुनर्वास के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) हाथ से मैला साफ करने वालों और उनके आश्रितों का वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मैला साफ करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) जनवरी, 2007 में आरम्भ की गई थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हाथ से मैला साफ करने वालों के पुनर्वास संबंधी रोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत 1,18,474 हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों को पुनर्वासित किया गया था, उनमें से 78,941 लाभार्थी ऋण के लिए पात्र तथा इच्छुक पाए गए, जिन्हें ऋण तथा पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई ताकि वे वैकल्पिक स्वरोजगार उद्यम आरम्भ करने में समर्थ हो सकें।

[अनुवाद]

एमईएस का कार्यकरण

2929. श्री दीपा दासमुंशीः
श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेलः
श्रीमती जे. शांताः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) द्वारा निष्पादित तथा आगामी पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित प्रमुख/दीर्घकालीन परियोनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या एमईएस मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में कमियों की वजह से परियोजनाओं की आयोजना और निष्पादन के संबंध में कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने एमईएस के कार्यकरण को देखने के लिए एक समिति नामतः जाफ समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) द्वारा निष्पादित प्रमुख/दीर्घकालीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। अनुमानित लागत के साथ चल रही परियोजनाओं और अगले पांच वर्षों में निष्पादित दिए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) संगठन के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के साथ आधारभूत परियोजनाओं की योजना बनाने और उनका निष्पादन करने में कोई कठिनाई नहीं है। तथापि, स्थापना और नियमों और प्रक्रियाओं की व्याख्या के संबंध में कुछ मुद्दें हैं जिनका निवारण किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही उठता। तथापि, सरकार ने सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के कार्यकरण को देखने के लिए 2001 में जाफा समिति का गठन किया है।

(ङ) जाफा समिति और इसकी सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

स्वीकृत बड़े निर्माण कार्यों की सूची (सेना)
(दक्षिण कमान)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	राशि करोड़ में
1	2	3
1.	पुलगांव में बैलेंस स्टोरेज एकोमोडेशन का प्रावधन	51.66 19.9.07
2.	जोधपुर में एमएच के लिए ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	38.38 9.2.08
3	संबद्ध अवसंरचना सहित 3xएमएजीएच और 3xईएसएच टाइप ए के निर्माण का प्रावधन	26.85 20.7.09
4.	सीएमई पुणे में एनबीसीपी की फैकल्टी के लिए ओटीएम एकोमोडेशन हेतु जैव एवं रासायनिक प्रयोगशाला का प्रावधान	20.61 30.10.09
5.	एमएचल भोपाल के लिए टैक और ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	65.16 30.11.09
6.	स्मैश एएमएन और संबद्ध अवसंरचना के लिए 5xईएसएच का प्रावधान	31.47 29.12.09
7.	जालिपा में ब्रिगेड मुख्यालय के लिए ओटीएम एकोमोडेशन और प्रशासनिक ब्लॉक का प्रावधान	23.26 08.1.10
8.	जैसलमेर में डिवीजन हैडक्वाटर के लिए ओटीएम एकोमोडेशन और प्रशासनिक ब्लॉक का प्रावधान	24.91 08.1.10

1	2	3
9.	जैसलमेर में मेडिकल रेजिमेंट के लिए केएलपी एकोमोडेशन का निर्माण	28.20 08.1.10
10.	जैसलमेर में एफएमएन एएमएन डम्प का प्रावधान	53.79 9.3.10
11.	जालिपा में एफएमएन एएमएन डम्प का प्रावधान	24.49 3.10
12.	भुज में एफएमएन एएमएन डम्प का प्रावधान	26.66 31.3.10
13.	जैसलमेर में दीर्घावधिक जलापूर्ति का प्रावधान	308.58 19.3.10
14.	जसाई में 12 एमएजी और 01x ईएसएच और संबद्ध अवसंरचना सहित ट्रावर्स का प्रावधान	49.79 2.7.10
15.	एक सशस्त्र रेजिमेंट के लिए केएलपी एकोमोडेशन का निर्माण	40.41 08.7.10
16.	एमएच पणजी के लिए ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	42.72 22.6.10
17.	एडी रेजिमेंट कलिना (चरण-I) के लिए एडी रेजिमेंट हेतु डीईएफआई ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	25.23 19.7.10
18.	अवसंरचना सहित पिनाका के लिए 3xएमएजी (450 एमटी) का प्रावधान	20.73 20.1.11
19.	अवसंरचना सहित पिनाका के लिए 3xएमएजी (450 एमटी) का प्रावधान	38.75 7.2.11
20.	जैसलमेर में 12 रेपिड सिग्नल रेजिमेंट के लिए ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान (चरण-1)	20.46 01.2.11
	(दक्षिण पश्चिम कमान)	
1.	एमएच सूरतगढ़ का प्रावधान	45.86 जून 07
2.	ब'पुर में 20 टाइप ईएसएचम (चरण-II)	35.31 31.3.07

1	2	3
3.	हैडक्वाटर एसडब्ल्यूसी के लिए ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान (चरण-I)	68.21 31.3.08
4.	पीएचईडी से डब्ल्यू/एस	14.66 19.3.09
5.	कानासर में 27 एएमएन सीओवाई में होल्डिंग एएमएन के लिए स्पेशल एएमएन स्मर्च हेतु 4xएमएजी/ईएसएच(टी) (450 एमटी) का प्रावधान	21.08 मार्च, 09
6.	लालगढ़ जाट्टन में 24 एफएडी में एएमएन की स्पेशल एएमएन स्मर्च होल्डिंग के लिए 5xएमएजी/ईएसएच (450 एमजे) का प्रावधान	24.23 मार्च, 09
7.	एलजीजे (24 एफएडी) में एएमएन की होल्डिंग के लिए स्पेशल एएमएन पिनाका हेतु 05 एमयूजी ईएसएच का प्रावधान	24.66 मार्च, 09
8.	जयपुर में 250 बैडिड हॉस्पिटल एमएच का प्रावधान	34.00 27.10.10
9.	हिसार में सशस्त्र रेजिमेंट IV के लिए ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	23.08 31.3.10
10.	कानासार में 06xएमएजी ईएसएच का प्रावधान	23.65 23.3.11
11.	सूरतगढ़ में जलापूर्ति का प्रावधान	23.91 22.3.11
12.	एलजीजे में 24 एफएडी में यूएनएचडी 1.1 के लिए 08xएमएजी का निर्माण	30.90 22.3.11
	(मध्य कमान)	
1.	टीआरसी टीम और एकेडेमिक	23.97 अक्टूबर 06
2.	फतेहगढ़ में आरसी चरण-II के लिए ओटीएम एकोमोडेशन	24.66 दिसम्बर 07
3.	एमएच महू के लिए ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	21.68 जुलाई 07
4.	गोपालपुर में जीओएस में एएओ सेंटर एंड रिकाडुर्स (चरण-II) के लिए ओटीएम एकामोडेशन का प्रावधान	26.09 फरवरी 08

1	2	3
5.	एमएच देहरादून के लिए टैक और ओटीएम एकोमोडेशन का प्रावधान	90.39 मार्च 09
6.	बीईजीआरसी रूड़की में 2एनओ टीबी के लिए ओटीएम एकोमोडेशन	25.82 फरवरी 10
7.	लैन्सडाउन में जीआरआरसी चरण-III के लिए केएलपी एकोमोडेशन	39.23 अप्रैल 10
	(पश्चिम कमान)	
1.	चंडीमंदिर में जल आपूर्ति (चरण-III) को बढ़ाना	20.83 17.12.07
2.	दिल्ली में 60 इफैंट्री बिग्रेड के महराम नगर में इफैंट्री बटालियन-III के लिए ओटीएम एकोमोडेशन	20.44 31.03.08
3.	दिल्ली में 21 सिग्नल ग्रुप (चरण-I) के लिए ओटीएम एकोमोडेशन	27.89 19.03.08
4.	आर्मी अस्पताल के लिए कार्डियोथोरेसिक केन्द्र	55.99 19.3.08
5.	एडी डप्पर में यूएनएचडी 1.2 एएमएन के भण्डारण के लिए 22 टाइप 'ए' शेड्स का प्रावधान	78.33 22.06.10
6.	दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का केएलपी	23.84 29.3.10
7.	अम्बाला में इंजीनियर बिग्रेड रेजिमेंट (चरण-II) के लिए एकोमोडेशन का प्रावधान	32.94 29.3.11
8.	पटियाला में चिकित्सा रेजिमेंट (चरण-II) के लिए एकोमोडेशन का प्रावधान	21.03 22.3.11
9.	दिल्ली कैंट स्थित शौकर विहार में 2 एमजीडी जल की आपूर्ति का प्रावधान	21.22 22.03.11
	(उत्तर कमान)	
1.	उद्यमपुर में एनसीके लिए नए बहुमंजिला आधुनिक अस्पताल परिसर तथा सम्बद्ध आवास का निर्माण	210.211 05.06
2.	डोडा में नए अस्पताल के लिए तकनीकी तथा ओटीएम आवास का प्रावधान	33.52 05.06

1	2	3
3.	31 एपी, लामायन में एमएजी (450 एमटी) और डब्ल्यू पी शैड (100 एमटी) कैप का निर्माण	12.79 05.06
4.	लेह में ब्रेवो इंजीनियर रेजिमेंट (चरण-I) के लिए ओटीएम आवास का प्रावधान	32.82 09.10
5.	बीबी कैंटोनमेंट में इंफैंट्री बिग्रेड चरण-II के लिए आवास	24.86 09.10
6.	लेह में अल्फा इंजीनियर रेजिमेंट (चरण-I) के लिए ओटीएम तकनीकी तथा ओटीएम आवास का प्रावधान	33.08 09.10
7.	एमएच कारगिल के लिए तकनीकी तथा ओटीएम आवास का प्रावधान	20६39 09.10
8.	लेह में 14 सीई और आर (चरण-I) के लिए ओटीएम आवास का प्रावधान	22.79 09.10
9.	कुम्बाथांग में 8 एमटीएन डिवीजन आर्डनेंस यूनिट (चरण-I) के लिए आवास और ओटीएम आवास का प्रावधान	93.65 10.11
10.	लेह स्थित लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर में केएलपी (चरण-III) का प्रावधान	33.95 10.11
	(पूर्व कमान)	
1.	एडी पानागढ़ में 10xएमजी (450 एमटी) 15xटाइप ए शेड्स (450 एमटी) आधारभूत ढांचे का निर्माण और वाटरपाइप लाइन को बदलना	58.83 मार्च 04
2.	नारंगी स्थित 15 एफएडी में 5x टाइप 'ए' शेड्स (450 एमटी) 4xटाइप बी शेड्स (450 एमटी) 1xएमजी 100 एमटी और संबद्ध अवसंरचना	23.12 मार्च 05
3.	नारंगी स्थित 15 एफएडी में 1xटाइप 'ए' ईएसएच (450 एमटी) 1xएमएजी 200 एमटी 2x100 एमजी 100 एमटी, 7xएमएजी 50 अवसंरचना	23.73 मार्च 07
4.	गंगटोक में 178 एमएचल के लिए ओटीएम आवास	23.65 जुलाई 07
5.	बेंगाडुब्बी में सहायक भवनों सहित अस्पताल भवन	98.12 मार्च 08
6.	सुकना में 33 सीओएसआर के लिए ओटीएम आवास	21.73 जुलाई 08

1	2	3
7.	एनसीबी डायमंड हार्बर कोलकाता में स्थायी नेवल एसएबी स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा	23.26 मार्च 09
8.	155 बीएच अस्पताल (चरण-II) के लिए ओटीएम आवास	35.42 नवम्बर 09
9.	कोलकाता में कमान अस्पताल के लिए तकनीकी आवास	40.46 जनवरी 10
10.	मुख्यालय पूर्वी कमान के लिए भूमिगत कमान और सेंट्रल सेंटर सहित डीईएफआई ओटीएम आवास	44.77 मार्च 10
11.	मिस्सामारी में स्थित यूएवी के लिए तकनीकी आधारभूत ढांचे का निर्माण	21.26 मार्च 10

प्रमुख कार्यों की सूची

(वायुसेना)

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	वायुसेना स्टेशन, महाराजपुर स्थित पीटीटी तथा सहायक कार्यों को विस्तार प्रदान करना तथा उन्हें सुसज्जित करना।	62.88
2.	वायुसेना स्टेशन, बरेली स्थित सुखोई-30 एमके। हेतु तकनीकी फिल्टर के लिए प्रोविजनल मॉडर्न हैंगर सहित	26.10
3.	वायुसेना स्टेशन, बलेरी स्थित अतिरिक्त सुखोई-30 एमके । स्क्वाड्रन के प्रतिष्ठापन के लिए कार्य सेवाओं का प्रावधान।	31.21
4.	बरेली में परिवहन विमान की पार्किंग के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक सहित टरमेक के प्रावधान हेतु कार्य सेवाएं।	21.58
5.	वायुसेना स्टेशन, महाराजपुर स्थित एडब्ल्यूडब्ल्यूएसीएस हेतु अपेक्षित विमान के लिए हैंगर तथा अन्य आधारभूत संरचना संबंधी टरमेक विमान हैंगर अनैक्सर के प्रावधान हेतु कार्य सेवाएं।	101.76
6.	वायुसेना स्टेशन, आगरा स्थित रनवे का विस्तार/पुनरूद्धार।	25.72
7.	वायुसेना स्टेशन, आगरा स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	56.92
8.	वायुसेना स्टेशन, बामरोली स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	61.12

1	2	3
9.	एएफए हैदराबाद स्थित सुरक्षा संबंधी आधारभूत संरचना का प्रावधान।	27.97
10.	वायुसेना स्टेशन, सुल्लूर स्थित रनवे के पुनरूद्धार का विस्तार।	39.28
11.	वायुसेना स्टेशन, तंजावुर में पेरीमीटर वॉल, सड़क और सुरक्षा संबंधी प्रकाश हेतु कार्य सेवाएं।	32.47
12.	एएसटीई बैंगलोर में अतिरिक्त हैंगर के निर्माण हेतु कार्य सेवाएं।	24.86
13.	वायुसेना स्टेशन, कोयम्बटूर स्थित 6 एएफएच तथा एसएचओ के लिए पीटी-एसीसीएन के निर्माण हेतु कार्य सेवाएं।	25.89
14.	वायुसेना स्टेशन, तंजावुर स्थित रनवे तथा संबद्ध कार्य के विस्तार/पुनःनिर्माण के लिए कार्य सेवाएं।	140.64
15.	वायुसेना स्टेशन, तम्बाराम स्थित आरडब्ल्यू 05/23 और 12/30, टैक्सी तथा अन्य संबद्ध कार्यों के लिए कार्य सेवाएं।	81.43
16.	बेलगाम स्थित 1000 प्रशिक्षुओं के एसीसीएन के लिए कार्य सेवाओं का प्रावधान	28.57
17.	02/20 रनवे के आरडब्ल्यू तथा टैक्सी ट्रैक का पुनरूद्धार।	41.68
18.	406 वायुसेना स्टेशन, बीदर स्थित वायु कार्मिकों के लिए 373 पूर्व फैब्रिकेटिड आवास इकाई का प्रावधान।	25.99
19.	वायुसेना स्टेशन, जामनगर में आरसीसी सुरक्षा दीवार का प्रावधान।	29.29
20.	वायुसेना स्टेशन, जोधपुर में पेरीमीटर दीवारों का प्रावधान।	22.99
21.	वायुसेना स्टेशन, जोधपुर स्थित 116 एचयू स्थित एएलएच के लिए हैंगर, टरमेक तथा अन्य आधारभूत संरचना का प्रावधान।	20.024
22.	वायुसेना स्टेशन, जोधपुर स्थित मुख्य रनवे के पुनरूद्धार हेतु कार्य सेवाएं।	89.29
23.	वायुसेना स्टेशन, पुणे स्थित रक्षा हथियार भण्डारण क्षेत्र के प्रावधान हेतु कार्य सेवाएं	23.41
24.	वायुसेना स्टेशन, चिलौदा स्थित एचक्यू एसडब्ल्यूएसी हेतु प्रशासन और तकनीकी एसीसीएन का प्रावधान।	69.29
25.	वायुसेना स्टेशन, उत्तरलई स्थित डब्ल्यूडब्ल्यूआर वायु अस्त्र-शस्त्र भण्डार के लिए अतिरिक्त एसीसीएन का निर्माण तथा सहायक आधारभूत संरचना का प्रावधान।	26.25
26.	पुणे स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	43.24

1	2	3
27.	वायुसेना स्टेशन, भुज स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	83.32
28.	वायुसेना स्टेशन, जैसलमेर स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	96.38
29.	वायुसेना स्टेशन, पुणे स्थित केके रेंज में अतिरिक्त आधारभूत संरचना के लिए कार्यसेवाएं।	37.43
30.	जैसलमेर स्थित 15 वायुसेना अस्पतालों का प्रावधान।	34.09
31.	28 एडी वायुसेना स्टेशन में 5 शेडों का प्रावधान।	20.49
32.	एसी हैंगर का पुनरूद्धार, न्यू बे की स्थापना तथा 11 बीआरडी वायुसेना स्थित मिग-27 उन्नयन परियोजना हेतु तकनीकी उपस्कर का प्रावधान।	31.08
33.	अम्बाला स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	57.65
34.	हलवारा स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	98.79
35.	वायुसेना स्टेशन, आदमपुर में डिस्पोजल का निपटान, लिंक टैक्सी ट्रैक को विस्तृत करना तथा एसजीए को ओआरए में परिवर्तित करना।	22.47
36.	वायुसेना स्टेशन, आदमपरु में मिग-29 उन्नयन की आधारभूत संरचना का प्रावधान।	22.88
37.	वायुसेना स्टेशन, पालम (चरण-I) के वायु मुख्यालय कमान स्क्वाड्र के नए वीवीआईपी विमान हेतु हैंगर का निमार्ण।	27.05
38	वायुसेना स्टेशन, पालम स्थित नए वीवीआईपी हेलिकॉप्टर के प्रतिष्ठापन हेतु आधारभूत संरचना का प्रावधान।	40.06
39.	वायुसेना स्टेशन, हलवारा स्थित वायु अस्त्र-शस्त्र भण्डार तथा विस्फोटक डिवाइस के भण्डारण एसीसीएन का प्रावधान।	1006.47
40.	वायुसेना स्टेशन, भिसियाना स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	30.22
41.	10 डब्ल्यूजी स्थित सुरक्षा वॉल संबंधी आधारभूत संरचना का सुधार।	27.04
42.	14 डब्ल्यूजी स्थित सुखोई-30 एमके के एक स्क्वाड्रन के प्रतिष्ठान हेतु कार्यसेवाओं की आवश्यकता।	23.86 (पैरा 35 वर्क्स)
43.	10 डब्ल्यूजी वायुसेना स्थित रनवे विस्तार के पुनरूद्धार हेतु कार्य सेवाएं।	108.78
44.	11 डब्ल्यूजी स्थित वायुसेना स्टेशन, तेजपुर में रनवे का पुनरूद्धार।	49.54
45.	5 डब्ल्यूजी स्थित एमएलएच के प्रतिष्ठापन हेतु 157 एचयू के गठन के लिए आधारभूत संरचना आवश्यकता।	87.71

1	2	3
46.	वायुसेना स्टेशन, लेह स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	34.44
47.	1 डब्ल्यूजी वायुसेना स्थित एसजीए को ओआरए 40 के विशिष्टीकरण में परिवर्तित करने संबंधी प्रावधान।	22.44
48.	1 डब्ल्यूजी स्थित एमएलएच के प्रतिष्ठापन हेतु आधारभूत संरचना आवश्यकता के लिए कार्य सेवाओं का प्रावधान।	91.52
49.	1 डब्ल्यूजी वायुसेना स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	56.07
50.	वायुसेना स्टेशन, आदमपुर स्थित रनवे का पुनरूद्धार।	37.49
51.	वायुसेना स्टेशन, कार निकोबार स्थित 37 डब्ल्यूजी के ओटीएम एसीसीएन का प्रावधान।	23.62
52.	वायुसेना स्टेशन, कार निकोबार स्थित रेव जोनल योजना में यथा संस्तुत नई सड़कों का प्रावधान।	24.33
53.	वायुसेना स्टेशन, कार निकोबार स्थित 37 डब्ल्यूजी में रनवे के पुनरूद्धार में सुधार।	151.98

प्रमुख स्वीकृत कार्यों की सूची (नौसेना)

क्र.सं.	विषय	राशि
1.	एझीमाला, केरल स्थित नौसेना अकादमी परियोजना स्थित कैडेट मैस तथा एसीसीएन का प्रावधान (निविदा सं. 1) ।	36.27 करोड़ रु.
2.	एझीमाला, केरल में परेड ग्राउंड, पीटी परिसर, एथलेटिक टीम, स्वीमिंग पूल, कवर्ड पीटी एंड ड्रिल शेड्स आदि का प्रावधान (निविदा सं. 4)।	32.43
3.	एनएपी एझीमाला स्थित सिविलियनों और नौसैनिकों के लिए आधुनिक आवास का प्रावधान (निविदा सं. 5) ।	58.23
4.	एझीमाला स्थित नौसेना अकादमी के लिए अधिकारी स्तर के नौसैनिकों तथा डीएससी कार्मिकों के लिए आवासीय परिसर में अफसर मैस तथा संस्थान, नौसैनिक तथा सिविलियन सामुदायिक हॉल आदि का प्रावधान (निविदा सं. 8)।	43.56
5.	पैरा 35 एसडब्ल्यूपी न्यू ओटीएम एडब्ल्यूपी/2005-06: आईएनएस डेगा स्थित यूएच-3 एच (आईएनएस-350) के लिए हैंगर स्क्वाड्रन भवन का प्रावधान ।	20.00 करोड़ रु.
6.	सीई (1) (एन) कलिंगा : भीमुनिपटनम में एनएडी (V) का पुनःस्थापन ।	18.62 करोड़ रु.

विवरण-II

पाइप लाइन में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	पूर्वोत्तर में सेना अवसंरचना का विकास	7374
2.	पूर्वोत्तर में वायुसेना अवसंरचना का विकास	1753
3.	ओटीए गया वेओटीएम आवास हेतु निर्माण	251
4.	46 सैन्य अस्पतालों का आधुनिकीकरण	8100
5.	गोलाबारूद के लिए भंडारण सुविधा का उन्नयन	18450
6.	उत्तरी बोर्डो के साथ क्षमता विकास	24312
7.	आगरा और जबलपुर में केंद्रीय आयुध डिपों का उन्नयन	750
8.	विवाहितों के लिए आवास परियोजना (चरण-)	12000
9.	आयुध निर्माणियों के पिनाका राकेट लाउंचर के लिए भंडारण का उन्नयन	455
10.	वार्षिक वृहत निर्माण-कार्य कार्यक्रम	5000
11.	विवाहितों के लिए आवास से भिन्न निर्माण	11000
12.	उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में निवासों का निर्माण	6000

प्रमुख निर्माण कार्यों की सूची (सेना)

(दक्षिणी कमान)

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	पोखरन, नचना और खेताली के लिए दीर्घकालीक जलापूर्ति योजना के लिए प्रावधान	79.20 16.9.11
2.	आंध में तीसरी इंफे. बटालियन के लिए आवास प्रावधान	26.28 19.9.11
3.	पी/ओ जैसलमेर में दूसरी इफे. बटा. के लिए आवास	20.43 26.5.11

1	2	3
4.	बीएफएफआर (चरण-I) में प्रशिक्षण और प्रशासन अवसंरचना	97.30
5.	एक मेडिकल रेजिमंट (चरण-II) के लिए ओटीएम आवास के लिए प्रावधान	30.06
6.	एआरएफ जैसलमेर के लिए प्रावधान	29.45
7	रायरू में अतिरिक्त रेल सुविधाओं का सृजन	48.46
8	246 आर्मड वर्कशाप के लिए केएलपी आवास	28.00
9.	बानार में 881 एमएसएल रेजी. के लिए ओटीएम आवास	81.62
10.	जोधपुर में सैन्य अस्पताल के लिए तकनीकी आवास	26.06
11.	सागौर में ओटीएम आवास के एलपी चरण-III के लिए प्रावधान	22.80
12.	त्रिवेंद्रम में इफें. बटा. के लिए ओटीएम आवास	21.58
13.	त्रिवेंद्रम मेंदूसरी इंफे. बटा. के लिए ओटीएम आवास हेतु प्रावधान	20.43
14.	एक प्रशि. कॉय के लिए उनके आनुषंगिकों सहित केएलपी चरण-II स्थायी ओटीएम आवास	34.55
	(दक्षिण-पश्चिमी कमान)	
1.	हिसार में 1 कोर जोन वर्कशाप के लिए ओटीएम निवास हेतु प्रावधान	22.84
2.	नवारू में 1xइंफे. बटा. (चरण-III) आवास हेतु प्रावधान	21.94
3.	बीकानेर में 228 आर्मड वर्कशाप के लिए ओटीएम आवास हेतु प्रावधान	20.40
4.	भटिंडा में एसाल्ट इंजी. रेजीमेंट के लिए ओटीएम आवास हेतु प्रावधान	23.24
5.	सतरोड़ रेलवे स्टेशन में एआरएफ का सृजन	32.9.
6.	मुख्यालय एस डब्ल्यूसी (चरण-II) के लिए ओटीएम हेतु प्रावधान	30.10
	(पश्चिमी कमान)	
1.	लालटिक्कू खंड ममुन के उत्तर में आर्मड बटा. के लिए ओटीएम निवास	23.63
2.	फिरोजपुर में इंफे. बटा. के लिए ओटीएम निवास	24.09
	(मध्य कमान)	
1.	लखनऊ में न. मिल प्रशि. शाखा के लिए ओटीएम आवास हेतु प्रावधान	26.09

1	2	3
2.	मेरठ में इंजी. रेजी. के लिए ओटीएम आवास का प्रावधान	32.85
3.	मेरठ में मेस और एमटी गोकुलपुर के बाद लिंक 1x सिगनल रेजी. (सीईआरएस 3xबीडीजी एसवीजी कॉय) हेतु ओटीएम प्रावधान	28.53
4.	मेरठ में 9 डब्ल्यू एफ डिव के लिए पी/ओ. एफएम एन गोला-बारूद डिपों का निर्माण	25.69
5.	मऊ में गोलाबारूद डिपों का निर्माण	28.15
6.	रांची में आर्मड रेजी. चरण-III के लिए ओटीएम आवास	23.75
7.	पहाड़पुर मिल. स्टे. के लिए सुरक्षा दीवार	21.50
8.	जबलपुर में एसटीसी के लिए केएलपी चरण-II का निर्माण	25.51
9.	देहरादून में पहली आर्टि. रेजी. चरण-II के लिए ओटीएम आवास	27.75
10.	क्लेमेंट टाऊन में 314 एफडी अस्पताल तथा 20 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए ओटीएम आवास	27.08
11.	रूड़की में बीईजी तथा केंद्र में विशेष प्रशिक्षण बटा. हेतु ओटीएम आवास	30.00
12.	बरेली में जीएलए में 216 जेसीओ विद्यार्थियों के लिए एकल आवास के तीन ब्लॉक	20.00
	(उत्तरी कमान)	
1.	चेसतंग में 31एपी में पिनाका गोला बारूद तथा सहयोजित अवसंरचना के लिए 8x ईएसएच (450 एमटी) का निर्माण	27.60
2.	लेह कुंबातंग, कासु और पासतापुर के क्षेत्र में 14 कोर में 1.5 एसडब्ल्यू सोलर फोटो वोलेक का प्रावधान	33.00
3.	कसी में डोगरा फोल्ट (चरण-II) में इंफे. बटा. के लिए ओटीएम आवास का प्रावधान	26.00
4.	बीबी केंट में एएससी कंपनी (आपूर्ति) के लिए केएलपी आवास का प्रावधान	23.76
5.	कयसी में इफे. बटा. (चरण-II) के लिए ओटीएम आवास का प्रावधान	20.00
	(पूर्वी कमान)	
1.	बीएच बराकपूर के लिए तक. तथा ओटीएम आवास	38.00
2.	पानागढ़ में एआरएफ में 200 वेगन के लिए स्टेबलिंग सुविधा	35.00
3.	ट्रांजिट केंप कोलकाता	21.10

1	2	3
4.	जोरहाटा में 21 पैरा (एसएफ तथा 534 एफआरआई) के लिए डेफी ओटीएम आवास	46.11
5.	रंगापहाड़ में मुख्यालय 3 कोर (चरण-I) के लिए केएलपी आवास का निर्माण	21.21
6.	सुकना में पिनाका रेजि. के लिए ओटीएम आवास	23.85
7.	लियमारमोंग में मुख्यालय माऊंट डिवी. के लिए ओटीएम आवास	20.00
8.	सुकना में कोर मुख्यालय काम्पलेक्स के लिए ओटीएम आवास	24.43

प्रमुख निर्माण-कार्यों की सूची (नौसेना)

1. 29.81 करोड़ रु. हेतु मुंबई (वि.का) एचओडब्ल्यू एनसीके लिए ओपीएस सुविधाओं तथा कमान पोस्ट हेतु प्रावधान
2. 20.39 करोड़ रु. हेतु कैम्पबेल खाड़ी में समुद्र परियोजना के लिए केएलपी रोड सुरक्षा दीवार, तकनीकी/समबद्ध सेवाओं के लिए प्रावधान
3. 23.26 करोड़ रु. हेतु एनसीबी, डायमंड हार्बर कोलकाता में स्थायी नौसेना एस.एस.बी स्थापित करने हेतु अवसंरचना के लिए प्रावधान
4. 20.21 करोड़ रु. हेतु मार्कोस (पूर्व), भा.नौ.पो. कलिंग, विजाग में कवर्ड वर्कशाप स्टेशन हेतु प्रावधान
5. 21.50 करोड़ रु. हेतु कोलावा मुंबई में अफसर, विवाहित आवास को गिराना तथा नए ढंग से निर्माण
6. 26.86 करोड़ रु. हेतु सीआईएएल, निदुमबेस्सरी में हैगर, डिस्पर्सल, टैक्सी ट्रैक, कार्यालय आवास तथा पहुंच मार्ग हेतु प्रावधान

विवरण-III

जाफा समिति और इसकी सिफारिशों के ब्यौरे

सरकार ने रक्षा मंत्रालय में गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और एमईएस संगठनों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव श्री वी.एस. जाफा के नेतृत्व में 2001 में जाफा समिति का गठन किया। समिति का संगठन निम्नानुसार हैः-

(क)	श्री वी.एस. जाफा सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार	-	अध्यक्ष
(ख)	सीओएस द्वारा नामित किया जाने वाला मेजर जनरल के पद का अफसर	-	सदस्य
(ग)	श्री सी.आर. महापात्रा संयुक्त सचिव (एस)	-	सदस्य
(घ)	श्री तरसेम लाल, अति. वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
(ङ)	श्री बी.बी. ठाकुर, उप सचिव (सी+एमाईएस)	-	सदस्य सचिव

एमईएस (सैन्य अभियंता सेवाएं) के संबंध में जाफा समिति की सिफारिशें

सिफारिश सं. 1: दक्ष कार्य सेवाओं के लिए एमईएस की क्षमता को उन्नत बनाना तथा प्रस्तावित रक्षा कार्य प्रक्रिया पर विचार करना।

सिफारिश सं. 2: रक्षा प्राक्कलनों से भुगतान की जाने वाली सभी परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित रक्षा कार्य प्रक्रिया (डीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

सिफारिश सं. 3: रख-रखाव से परियोजना कार्य को अलग करना और एजीई (परियोजना), जीई (परियोजना) अथवा सीई (परियोजना) की केंद्रित परियेाजना यूनिटों की स्थापना करना, जहां कहीं भी परियोजना की लागत इसे तर्क संगत ठहराती है।

सिफारिश सं. 4: पूर्णरूपेण निधिकरण हेतु आश्वासन मिलने तथा तैयारी कार्य के पूरा हाने के बाद परियोजनाओं की सिफारिश करना।

सिफारिश सं. 5 : बहुत बड़ी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाएं दो वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

सिफारिश सं. 6 : कम बजट की परियोजनाओं और छोटे-मोटे कार्यों को मंजूरी की तारीख वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

सिफारिश सं. 7 : सभी लंबित और बकाया बचे कार्यों को पूर्ण निधिकरण हेतु आश्वासन के साथ अगले दो वर्षों में पूरा करने के लिए समीक्षा करना तथा उनकी प्राथमिकता तय करना।

सिफारिश सं. 8 : लम्बित अथवा आगे ले गए कार्यों के लिए आंशिक निधिकरण का प्रावधान नहीं करना।

सिफारिश सं. 9 : ऐसे लम्बित और आगे ले गए कार्यों को बंधक विमोचन के अधिकार से वंचित करना जिनके अगले तीन वर्षों में निधिकरण की संभावना नहीं है। यदि किसी मोचन निषेध कार्य को पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता तो उनके लिए नए सिरे से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना और पूर्ण निधिकरण का प्रावधान करना।

सिफारिश सं. 10 : परियोजना कार्यों के लिए कार्यकारी नियुक्तियों से अभ्यर्थियों की निरन्तरता सुनिश्चित होनी चाहिए।

सिफारिश सं. 11 : अफसरों और कमांडरों को कार्य प्रक्रियाओं और एमईएस विनियमों के बारे में भलीभांति परिचित होना चाहिए ताकि एमईएस के कार्यकरण की सीमा को समझा जा सके।

सिफारिश सं. 12 : रख-रखाव सेवाओं की पुनर्संरचना करना एवं उन्हें सुदृढ़ बनाना।

(i) रख-रखाव कार्य को परियोजना कार्य से अलग करना।

(ii) सीडब्ल्यूई का नियोजन प्राथमिक रूप से जीई (रख-रखाव) के पर्यवेक्षण के लिए तथा इस कार्य के सभी पहलुओं के पर्यवेक्षण के लिए किया जाए।

(iv) जीई को पहल से अधिक सुविधाएं एवं शक्तियां प्रदान करना।

(v) जहां व्यवहार्य हो, रख-रखाव सेवाओं का आउटसोर्स करना।

सिफारिश सं. 13 : रख-रखाव के लिए प्रावधान की गई निधियों (3000 करोड़ रु.) का बेहतर इस्तेमाल आवश्यक है। 1000 करोड़ रु. से अधिक टैरिफ अर्थात् जल और बिजली के बिलों के भुगतान पर खर्च किया जाता है।

(i) मीटर लगाए जाएं और विद्युत की मुफ्त आपूर्ति की सीमा को सभी भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जाए।

(ii) यूजर अधिभारों का उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाए।

(iii) एमईएस स्थापना की लागतों में कमी की जाए।

(iv) रखा-रखाव सेवाओं और ई/एम स्थापनाओं के कार्यों को जहां से व्यवहार्य हो, आउटसोर्स किया जाए।

सिफारिश सं. 14 : रख-रखाव सेवाओं के पुनरूद्धार के लिए एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव किया गया है जिसका परीक्षण एक वर्ष के लिए एक सीडब्ल्यूई द्वारा किया जाएगा। इस अनुभव के आधार पर एमईएस में इसे लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा।

सिफारिश सं. 15 : विशिष्ट कार्यों के डिजाइन और निर्माण में कोर क्षमता का विकास करना और निर्माण में कोर क्षमता का विकास करना। जहां कहीं भी व्यवहार्य हो आयोजना और डिजाइन को आउटसोर्स करना और अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए बाहर की आरे से नेटवर्किंग व्यवस्थाओं का विकास करना।

सिफारिश सं. 16 : कंप्यूटरों/आईटी के प्रयोग की ओर क्रमशः आगे बढ़ना। तदनुसार सभी स्तरों पर एमईएस स्थापनाओं की लागत में कमी लाना। कंप्यूटरीकृत और आईटी आधारित संचार को प्रयोग के तौर पर एक कमान में लागू किया जाए और इसके समायोजन के बाद, इसका अन्य एमईएस विरचनाओं में समयबद्ध तरीके से विस्तार किया जाए।

सिफारिश सं. 17 : एमईएस (सीडब्ल्यूई अथवा उच्चतर) में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त सेवा अफसरों को कम से कम दो वर्षों के लिए जीई/एजीई स्तर पर कार्य किया होना चाहिए।

सिफारिश सं. 18 : स्नातकोत्तर स्तर पर कार्य संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित सेवा अफसरों की एमईएस में बड़ी संख्या में तैनाती की जानी चाहिए।

सिफारिश सं. 19 : इंजीनियरी कोर में कार्य शाखा का सृजन ताकि विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और 5 वर्ष के भीतर अधिकाधिक रूप से 15% सेवा संवर्ग के लक्ष्य को सातत्यता प्रदान की जा सके।

सिफारिश सं. 20 : ईएनसी, डिप्टी ई-एन-सी, डीजीडब्ल्यू, डीजी (पर्स) और एडीजी (प्रणाली एवं प्रशिक्षण) के पदों को छोड़कर सभी

वरिष्ठ पद सेना अफसरों और सिविलियन अफसरों के बीच परस्पर परिवर्तनीय होंगे (देखें खण्ड III, अध्याय 11, खण्ड IV)।

सिफारिश सं. 21 : सेना अफसरों और सिविलियन अफसरों के बीच तालमेल एवं परस्पर संपर्क के अभाव का तत्काल समाधान आवश्यक है और एमईएस के प्रबंधन को सहभागिता के माध्यम से काम करना चाहिए (देखें खण्ड III, अध्याय 10, खण्ड II)।

सिफारिश सं. 22 : सभी वरिष्ठ पदों और प्रत्येक स्तर पर कार्यकारी और स्टाफ, दोनों की, उनकी संबंधित अधिकृत शक्ति के अनुपात में सेना और सिविलियन अफसरों में भागीदारी की जाए।

सिफारिश सं. 23 : स्टाफ कार्य के लिए कार्यकरण स्तरों को कम करना ताकि कागजातों को अनुमोदन होने से पहले दो से अधिक स्तरों से होकर न गुजरना पड़े।

सिफारिश सं. 24 : मुख्यालय विरचनाओं-ई-इन-सी, कमान और क्षेत्रीय सीई से जूनियर स्टाफ को कम करना।

सिफारिश सं. 25 : समूह 'क' और 'ख' में पर्यवेक्षकों का संवर्ग इंजीनियरों के साथ आमेलित किया जाए।

सिफारिश सं. 26 : 12 वर्ष की सेवा के बाद और 24 वर्ष पश्चात ईई के बराबर सुनिश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त जेई को अतिरिक्त दायित्व प्रदान किया जाए।

सिफारिश सं. 27 : इंजीनियरिंग डिग्रीधारी जेई को स्क्रीनिंग बोर्ड के पश्चात 8 वर्ष बाद एई के रूप में पदोन्नत किया जाए।

सिफारिश सं. 28 : बी/एस संवर्ग और प्रशासन संवर्ग में 25% तक सीधी भर्ती की सिफारिश की जाती है।

सिफारिश सं. 29 :

(क) आईआईटी डिग्री धारकों को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। आईआईटी प्रशिक्षण प्राप्त लोग उच्च स्तर की दक्षता वाले कार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ख) जेसीओ की सीधी प्रविष्टि योजना को नियमित आधार पर चालू करने की सिफारिश की गई है। सब मेजर को अधिकतम चार वर्ष तक वर्तमान शर्त को एमईएस जेसीओ के लिए हटा दिया जाना चाहिए।

सिफारिश सं. 30 : सभी श्रेणियों के कार्मिकों के लिए एमईएस की प्राधिकृत संख्या 91,161 की जाए। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सीमा के भीतर कार्यभार के आधार पर वास्तविक तैनाती सुनिश्चित की जाए। भर्ती पर रोक इस संख्या पर लागू नहीं होनी चाहिए।

सिफारिश सं. 31 : गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं लेकिन गुणवत्ता का निरीक्षण केवल कार्यपालक जीई/एजीई द्वारा ही होना चाहिए तथा उच्च सोपानकों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जीई/एजीई की जिम्मेदारी को कम कर देगा। इसमें सीई/सीडब्ल्यूई तथा अन्य एडीजी (टीई) संगठन के अधिकारी शामिल नहीं होंगे।

सिफारिश सं. 32 : सिविलियन कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा विकास को कारगर बनाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अध्याय 12 खंड III में सुझाव दिए गए हैं, इसमें निम्नलिखित हैं:

(i) इंजीनियर ऑफीसर्स वर्क प्रोसिडियूर (ईओडब्ल्यूपी) पाठ्यक्रम की अवधि को 6 सप्ताह से बढ़ाकर 12 सप्ताह किया जाना।

(ii) कुछ अतिरिक्त तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना।

(iii) एमईएस ऑफीसर्स के लिए पृथक प्रशिक्षण संस्थान।

(iv) औद्योगिक कार्मिकों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन।

सिफारिश सं. 33 : अनुशासनिक मामलों को निपटाने में अधिक समय लगता है। रिपोर्ट के अध्याय 13 खण्ड III में ऐसे मामलों को सरल तथा कारगर ढंग से निपटाने के लिए सुझाव दिए गए हैं, वे हैं:-

(i) प्रारंभिक जांच प्रक्रिया तथा अनुशासनिक प्रक्रिया की कार्यवाही के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन।

(ii) प्रशासनिक तथा उपचारात्मक पद्धति तथा विशेष पद्धति को प्रारंभ करना जिससे कि अनुशासनिक प्रक्रिया में होने वाले विलंब को कम किया जा सके।

(iii) अधिकारियों (चेन ऑफ कमांड) आदि को अनुशासनिक शक्तियां देना।

सिफारिश सं. 34 : एमईएस के कार्मिकों को प्रोत्साहन तथा नैतिक बल काफी कम है तथा यह उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणता से परिलक्षित होता है। इस संबंध में अध्याय-14 खंड III में सिफारिश की गई है जो इस प्रकार है:

(i) एसीपी योजना आदि का कार्यान्वयन।

(ii) डिप्लोमाधारी सहायक इंजीनियरों की कार्यपालक इंजीनियरों में पदोन्नति के लिए प्रावधान हेतु आईडीएसई नियम 1991 में संशोधन।

(iii) एमईएस की समूह 'क' सेवाओं को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम में शामिल करना।

(iv) कार्यपालक नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए इंजीनियरी कोर से सेना अधिकारियों के लिए आंशिक निर्माण शाखा का सृजन।

(v) महत्वपूर्ण कार्यपालक स्टाफ और नियुक्ति में सिविलियन अधिकारियों की तैनाती स्टाफ नियुक्ति तथा नीतिगत मामलों को तैयार करने में उनकी भागीदारी।

(vi) जुलाई, 89 के एसआरओ-19ई के उपबंधों की समीक्षा तथा सेनाओं और सिविलियन अधिकारियों की संख्या के अनुपात में उनके बीच सीई स्तर तथा उससे ऊपर के पदों का वितरण।

(vii) सैन्य तथा सिविलियन अधिकारियों के बीच असमानताओं को दूर करना जैसे नियुक्ति, संबंधित वरिष्ठता में समानता, पदनामों में परिवर्तन।

(viii) सिविलियन अधिकारियों के संबंध में एसीआर प्रारूप की समीक्षा जिसके अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने के केवल दो स्तर होने चाहिए।

सिफारिश सं. 35 : अपर महानिदेशक ईएसपी के बदले में मेजर जनरल के रैंक में डिप्टी-ई-इन-सी का एक नया पद उपलब्ध कराया जाए। अपर महानिदेशक के पद को बाद में समाप्त किया जा सकता है। उन्हें सतर्कता का प्रभार भी दिया जा सकता है। (जाफा समिति रिपोर्ट के खंड III, अध्याय-11, सेक्शन-IV, पैरा III का संदर्भ लें)।

सिफारिश सं. 36 : कुछ पुनर्गठन के साथ सभी निदेशालय बने रह सकते हैं। डीडीजी (डिजाइन) तथा मुख्य वास्तुविद के पास केवल नीतिगत मामले रखें जाएं। उनके कार्य को एडीजी (सीएण्डसी) को दिया जाए (खंड-III, अध्याय-8, अनुभाग II, पृष्ठ 24-25)। मुख्य विषय हैं:

(क) ई-इन-सी की शाखा में किसी विशिष्ट कार्य के लिए कोई डिजाइन संबंधी कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) डीडीजीडब्ल्यू (डिजाइन) के उपनिदेशालय को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

(ग) ई-इन-सी शाखा में केवल एक प्रमुख वास्तुविद को रखा तथा दूसरे प्रमुख वास्तुविद को एडीजी (डीएण्डसी) में तैनात किया जाए।

सिफारिश सं. 37 : डीजी (कार्मिक) को अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने चाहिए। यह मौजूदा एडीजीई (कार्मिक) के कार्यभार से लेकर होना चाहिए। (खंड-III, अध्याय-8, सेक्शन-II, पृष्ठ 15-17 का संदर्भ लें)।

सिफारिश सं. 38 : प्रमुख निर्माण परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए डीजी परियोजना का एक नया कार्यालय उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इस कार्यालय को नौसेना अकादमी परियोजना भी सौंपी जाए। किसी सीई (पी) सहित परियोजना सी बर्ड के तटीय (ऑनसोर) कार्यो को भी इस संगठन को सौंपा जाना चाहिए। (खंड-III, अध्याय-8, सेक्शन-II, पृष्ठ 28-29 का संदर्भ लें)।

सिफारिश सं. 39 : एडीजी (ओएफएण्डडीआरडीओ) के कार्यालय को समाप्त किया जाए तथा एडीजी को या तो एडीजी (टीई) अथवा डीजी (परियोजना) के रूप में पुनः तैनात किया जाए (खंड-III, अध्याय-8,, सेक्शन-II, पृष्ठ-29 का संदर्भ लें)।

सिफारिश सं. 40 : विशिष्ट डिजाइन कार्य (मैरिन वर्क्स, पेवमेन्टस, पीएचई आदि) के लिए विशेष प्रकोष्ठ करके एडीजी (डिजाइन एवं परामर्श) के कार्यालय को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। विशेषता के विकास हेतु अधिकारियों की निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। अतिरिक्त महानिदेशक को उनकी स्थिति के अनुसार अतिरिक्त जिम्मेदारियां नियत की जाएं। परामर्श व प्रशिक्षण के प्रकायों को उनकी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ा जाए (खंड-III, अध्याय-8, धारा-II, पृष्ठ-30)

सिफारिश सं. 41 : औद्योगिक स्टाफ के कार्मिक प्रबंधन, कार्य योजना अभिकल्पन एवं संविदा, स्टोर अधिप्राप्ति, ई/एम योजना एवं निरीक्षण के क्षेत्र में जिम्मेदारियां सीई (जोन) को दी जाए। अधीनस्थ जनशक्ति से संबंधित प्रकार्यो व संविदागत मामलों से जुड़े कुछ कार्य और ई/एम मामलों की अंतर सेवा/अंतर-विभागीय संयोजन को प्रतिधारित किया जाए क्योंकि केन्द्रीकृत रूप से इनसे अच्छी तरह निपटा जा सकेगा।

सिफारिश सं. 42 : नौसेना और वायुसेना कमानों से सम्बद्ध सी ई (जोन) को चीफ इंजीनियर कमान और इस प्रकार पदनामित के प्रकार्य प्रत्यायोजित किए जाएं। इसमें वायु सेना और नौसेना

कमानों के साथ सीई के कार्य का उन्नयन शामिल नहीं होगा। (खंड-III, अध्याय-8, धारा-III, पृष्ठ-35-38)

सिफारिश सं. 43 : सीई (जोन) के पास 100 करोड़ रु. के कार्य हेतु एक कोर स्थापना होगी। (खंड-III, अध्याय-8, धारा-IV, पृष्ठ-46-48)

सिफारिश सं. 44 : सीई (परियोजना) बड़ी परियोजनाओं हेतु संस्वीकृति दे सकते हैं। उनके पास कोई सीडब्ल्यूई नहीं होंगे और सीधे जीईके साथ कार्य करेंगे (खंड-III, अध्याय-8, धारा-IV)

सिफारिश सं. 45 : सभी सीडब्ल्यूई परियोजनाएं विघटित की जाए। परियोजना कार्य जहां से सीई(जोन) अथवा सीई (परियोजना) द्वारा पर्यवेक्षित किया जाए।

सिफारिश सं. 46 : सीडब्ल्यूई अनुरक्षण कार्य के निरीक्षण कार्य को आगे जारी रखें और जीई (अनुरक्षण) का पर्यवेक्षण करे। जीई (अनुरक्षण) से कुछ कार्य सीडब्ल्यूई (अनुरक्षण) को स्थानांतरित किया जाए।

सिफारिश सं. 47 से 50 :

(i) अनुरक्षण और परियोजना कार्य के लिए अलग एजीई/जीई उपलब्ध कराए जाएं।

(ii) जीई (परियोजना) की स्टाफ सहायता कम हो जाएगी।

(iii) जीई (अनुरक्षण) को संतोषजनक सेवा और उनकी उत्पादकता में सुधार हेतु उनको सक्षम बनाने के लिए वृहत सुविधाएं व शक्तियां दी जाएं।

(iv) कार्यभार पर आधारित अनुरक्षण और परियोजना हेतु अलग से स्वतंत्र एजीई उपलब्ध कराए जाएं।

सिफारिश सं. 51 : ई-इन-सी कार्यालय में डीडीसीडब्ल्यू (एफ) व डीडीजीडब्ल्यू(एन) अब से वायुसेना व नौसेना मुख्यालय के साथ एक एकीकृत तरीके से करेंगे व कार्य सेवाओं का तकनीकी नियंत्रण ई-इन-सी के कार्यालय में डीजी(डब्ल्यू) के साथ बना रहेगा। वायुसेना व नौसेना मुख्यालय पर तैनात संपर्क स्टाफ को बदला जाए। एनएचक्यु और वायुसेना मुख्यालय क्रमशः डीडीजीडब्ल्यू(एन) और डीडीजीडब्ल्यू(एएफ) की रिपोर्टिंग चैन के अंतर्गत आएंगे। (खंड-III, अध्याय-8, सेक्शन-II, पैरा 21-24)

सिफारिश सं. 52-54 :

(i) डीजीएनपी विजाग और डीजीएन पी, मुंबई के कार्यालयों में अब से एमईएस पर लागू नियमानुसार कार्य करने वाला स्टाफ दिया जाए। कार्य सेवाएं संशोधित डीडब्ल्यूपी का अनुसरण करेगी।

(ii) कार्य करने वाला स्टाफ डीजीएनपी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करेगा और तकनीकी नियंत्रण क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी नौसेना कमानों के चीफ इंजीनियर का होगा।

(iii) क्योंकि डीजीएनपी विजाग व मुंबई के कार्य में आंशिक रूप से कमी आई है तो रक्षा मंत्रालय इनकी स्थापना की पुनरीक्षा करेगा।

सिफारिश सं. 55 : डीजीसी बर्ड के स्टाफ को एक सीई(पी) प्रदान की जा सकती है तथा ऑन-शोर कार्यों के लिए वर्क्स सेवाएं संशोधित डीडब्ल्यू पी का अनुसरण कर सकता है।

सिफारिश सं. 56 : सीसीई संगठन केवल ऐसे कार्यो, जिन्हें एम ईएसकेसीई (आरएंडडी) द्वारा नहीं किया जा सकता, को सम्पन्न किया जाना चाहिए । सीसीई संशोधित डीडब्ल्यूपी का अनुसरण कर सकता है।

सिफारिश सं. 57 : रडार संचार परियोजना कार्यालय की वर्क्स सेवाएं पूरी हाने वाली हैं तथा रक्षा मंत्रालय इस यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। यदि आवश्यक है, एक छोटा सम्पर्क कार्यालय मुहैया करवाया जा सकता है।

सिफारिश सं. 58 : स्टाफ के मापदंड (खंड-III, अध्याय (सेक्शन) II, पृष्ठ 170)

विवरण-IV

जाफा समिति की जरूरतों के कार्यान्वयन की स्थिति

जाफा समिति द्वारा एमईएस के संबंध में की गई 58 सिफारिशें एमईएस स्थापना एवं मैनपावर, पूंजीगत परियोजनाएं तथा रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण एवं कैडर पुनरीक्षा, जनशक्ति नीति, प्रशिक्षण और विकास, अनुशासन अभिप्रेरणा और साहस आदि की विस्तृत पुनरीक्षा से संबंधित हैं। इन सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशें भर्ती, कैडर संरचना आदि पर नीतिगत मामलों से संबंधित है जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग आदि जैसी अन्य एजेंसियों से परामर्श तथा सहमति शामिल है। समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक सिफारिश रक्षा कार्य कार्यविधि का संशोधन से संबंधित है जिसको पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और जून, 2007 में आदेश जारी किए गए हैं। अन्य सिफारिशें सेना मुख्यालयों के परामर्श के जांचाधीन हैं।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं का मूल्यांकन

2930. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अधीन निधियां प्राप्त करने के लिए संस्थाओं/न्यासों और संगठनों के मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यों में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें दी जाने वाली निधियों की राशि कितनी है;

(घ) क्या सभी संस्थाओं ने इन निधियों का समुचित रूप से उपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) मंत्रालय, अपनी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और केन्द्र सरकार के संस्थानों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से, जो भी उचित हो, अपने लक्ष्य समूहों अर्थात (i) अनुसूचित जाति (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iii) विकलांगजन (iv) वरिष्ठ नागरिक और (v) मद्यपान और मादक द्रव्य दुरुपयोग पीड़ितों के सशक्तिकरण के लिए निधियां प्रदान करता है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इन अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अपनी योजनाओं के अनुश्रवण के लिए एक समान ढांचा तैयार किया है।

मंत्रालय राज्य सरकार की सहायता अनुदान समितियों की सिफारिशों के आधार पर योजनाओं के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टो की शर्त पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करता है। ऐसे संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान की प्रयोज्यता का अनुश्रवण (i) संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण (ii) मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों और (iii) मंत्रालय के अधिकारियों जब भी वे दौरे पर जाते हैं, के माध्यम से किया जाता है।

मंत्रालय समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की समुचित प्रयोज्यता की जांच की जाती है।

मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आयोजित वार्षिक बैठकों में की जाती है।

(ग) राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों और गत तीन वर्षों के दौरान उनहें जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन अभिकरणों के नाम	प्रस्तावित
1.	राज्य सरकार/राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरण	7218.65
2.	मंत्रालय नियंत्रणाधीन शीर्ष निगम	704.25
3.	मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान और स्वायत्त निकाय	223.61
4.	अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान आदि	424.64
5.	गैर-सरकारी संगठन	420.34

(घ) और (ङ) वर्ष के दौरान कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुदान की नवीन/बाद की निर्मुक्ति गत संस्वीकृत अनुदानों के बारे में प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही की जाती है।

इटावा से ग्वालियर तक सड़क

2931. श्री प्रेमदासः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इटावा से मध्य प्रदेश में ग्वालियर तक बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को चार-लेन में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक चार-लेन में बदले जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) मंत्रालय में सड़क दुर्घटनाओं संबंधी आंकड़ों का संकलन एशिया प्रशान्त संबंधी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एशिया प्रशान्त सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना के अनुरूप तैयार किए गए फॉर्मेट में किया जाता है। इस फॉर्मेट में सड़क दुर्घटनाओं के विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) पथकर पद्धति से डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर मध्य प्रदेश में रारा-92 के 107.5 किमी लंबे ग्वालियर-भिंड खंड को पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन बनाए जाने की एनएचडीपी चरण-पअए परियोजना का कार्यान्वयन, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। कार्य सौंप दिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्वालियर, महगांव और भिंड नगरों के शहरी उप-खंडों में 10.5 किमी सविराम (कुल) लंबाई में चार लेन बनाए जाने सहित इस परियोजना को पेव्ड शोल्डर के साथ के दो लेन मानक से विकसित किया जाना है। 14 वर्ष की रियायत अवधि के लिए मौजूदा कार्य-व्याप्ति पर्याप्त है और इस समय 4 लेन अपेक्षित नहीं है।

इटावा से ग्वालियर तक की सड़क के उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले खंड को चार लेन का बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गढ़वाल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

2932. श्री सतपाल महाराजः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार कार्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए निधि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और यातायात के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में सड़कों को शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

2933. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य राजमार्ग सं. 4 (अंकलेश्वर-बरहानपुर) को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्यीय राजमार्ग-4 (अंकलेश्वर-बुरहानपुर) को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा समय-समय पर की जाती है।

[हिन्दी]

सैनिकों की वर्दी

2934. श्री ए.टी. नाना पाटीलः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सैनिकों को खाना तथा वर्दी, जूते आदि जैसे वर्दी की सामग्रियां मुफ्त दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एककों में इन सामग्रियों की बिक्री के लिए निजी किट स्टोर खोले गए हैं और सैनिकों को इसे भुगतान आधार पर खरीदना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों को जीवन चक्र संकल्पना के आधार पर खाने की मदें तथा 41 वर्दी की सामग्री और निजी किट की मदें निशुल्क जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) 11 निजी किट स्टोर चुने हुए स्थानों पर खोले गए हैं और ये यूनिटों में नहीं हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये प्रारम्भिक तौर पर सेना के ऐसे अफसरों के लिए है जो वर्दी की मदें निःशुल्क प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

विवरण

निजी किट स्टोरों (पी के एस) का ब्यौरा

क्र.सं.	पी के एस के नाम
1.	पी के एस दिल्ली
2.	पी के एस उधमपुर
3.	पी के एस भटिंडा
4.	पी के एस कोलकाता
5.	पी के एस पुणे
6.	पी के एस सिकन्दराबाद
7.	पी के एस श्रीनगर
8.	पी के एस बंगदुबी
9.	पी के एस तेजपुर
10.	पी के एस जोधपुर
11.	पी के एस जम्मू

[अनुवाद]

दृष्टिविहीन बच्चों के लिए विद्यालय

2935. श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में दृष्टिविहीन बच्चों के लिए कार्यरत विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के साथ-साथ इन स्कूलों को भी निधियां प्रदान की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) देश में राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे दृष्टिविहीन बच्चों के लिए विद्यालयों के बारे में इस मंत्रालय द्वारा ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को दृष्टिविहीनों के लिए विद्यालयों सहित विभिन्न परियोजनाएं संचालित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। डीडीआरएस के अंतर्गत सहायता दिए गए ऐसे विद्यालयों की राज्य-वार संख्या निर्दिष्ट करने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दृष्टिविहीन बच्चों के लिए कार्यरत विद्यालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	बिहार	5
3.	चंडीगढ़	1
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दिल्ली	5
6.	गुजरात	1
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1

1	2	3
9.	कर्नाटक	12
10.	मध्य प्रदेश	3
13.	महाराष्ट्र	2
12.	मिजोरम	1
13.	ओडिशा	7
14.	पंजाब	2
15.	राजस्थान	3
16.	तमिलनाडु	4
17.	उत्तर प्रदेश	3
18.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	65

बीड़ी और कृषि श्रमिकों को मजदूरी

2936. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बीड़ी कामगारों और कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में अंतर है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों के बीच मजदूरी के अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों और कर कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े बीड़ी विनिर्माताओं की पहचान के लिए नियत वर्तमान मानदंड को बदल कर बीड़ी क्षेत्र को और अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार बीड़ी कामगारों के रिटायर होने के बाद उनके लिए वित्तीय तथा चिकित्सा सहायता के अभाव से अवगत है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण/पुनरीक्षण तथा समीक्षा के लिए समुचित सरकारें हैं। तथापि, बीड़ी कामगार सिर्फ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आते हैं और उनकी मजदूरी का निर्धारण उजरती दर के आधार पर किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बीड़ी कामगारों तथा कृषि श्रमिकों की मजूदरी दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ख) यद्यपि सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दरों में कोई समानता नहीं है, सरकार ने महसूस किया है कि एकसमान सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता है जिससे कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। तद्नुसार, राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना ग्रामीण श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय आयोग की वर्ष 1991 की सिफारिशों की आधार पर प्रस्तुत की गई थीं। राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा दर 01.04.2011 से 115/- रुपये प्रति दिवस है।

(ग) वर्तमान में बीड़ी विनिर्माताओं की पहचान के लिए मौजूदा नियम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्तमान में सरकार बीड़ी कामगारों के लिए अनेक कल्याण योजनाओं का प्रचालन कर रही है। वास्तव में, इन योजनाओं पर होने वाला खर्च बीड़ी से संग्रहित उपकर से काफी अधिक है। हाल ही में सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए 4 नए अस्पतालों तथा 40 औषधालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार बीड़ी कामगारों तक करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बीड़ी कामगारों हेतु मजदूरी की न्यूनतम दरें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल मजदूरी (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	72.35 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)

1	2		3
2.	असम		100.00 प्रतिदिन
3.	अरुणाचल प्रदेश	(क्षेत्र-I)	134.62 प्रतिदिन
		(क्षेत्र-II)	153.85 प्रतिदिन
4.	बिहार		144.00 प्रतिदिन
5.	छत्तीसगढ़		129.23 प्रतिदिन
			41.31 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
6.	दादरा एवं नगर हवेली		147.60
7.	दमन एवं दीव		143.60 प्रतिदिन
8.	गुजरात	(क्षेत्र-I)	171.90 प्रतिदिन
		(क्षेत्र-II)	171.40 प्रतिदिन
9.	झारखंड		89.50 प्रतिदिन
10.	कर्नाटक		74.62 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
11.	केरल		138.04 प्रतिदिन
12.	मध्य प्रदेश		129.22 प्रतिदिन
			60.60 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
13.	महाराष्ट्र	(क्षेत्र-I)	97.30 प्रतिदिन (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
		(क्षेत्र-II)	95.30 प्रतिदिन (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
14.	उड़ीसा		90.00 प्रतिदिन
15.	राजस्थान		152.35 प्रतिदिन
			96.43 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
16.	त्रिपुरा		5.00 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
17.	तमिलनाडु		58.07 प्रतिदिन
			1.68 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)
18.	उत्तर प्रदेश		19.23 प्रतिदिन
19.	पश्चिम बंगाल		54.72 प्रतिदिन
			65.82 (1000 बीड़ियां लपटने के लिए)

विवरण-II

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि कामगारों की विभिन्न श्रेणियों हेतु मजदूरी की न्यूनतम दरें

(रुपये प्रतिदिन)

क्र.सं.	समुचित सरकारें	श्रेणी	1.10.2011 की स्थिति के अनुसार वी.डी.ए. के साथ कृषि कामगारों हेतु न्यूनतम मजूदरी
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	अकुशल	156.00-175.00
		अर्द्ध-कुशल	161.00-191.00
		कुशल	176.00-208.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	न्यूनतम	112.00
		उच्चतम	261.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	अकुशल	134.62-153.85
		कुशल	146.15-165.38
3.	असम	अकुशल	100.00
		अर्द्ध-कुशल	110.00
		कुशल	120.00
4.	बिहार		120.00
5.	छत्तीसगढ़	अकुशल	104.60
6.	गोवा	अकुशल	157.00
7.	गुजरात		100.00
8.	हरियाणा	अकुशल	173.19
		अर्द्ध-कुशल	178.19-183.19
		कुशल	188.19-193.19

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	अकुशल	110.00
10.	जम्मू और कश्मीर	अकुशल	110.00
		अर्द्ध-कुशल	150.00
		कुशल	200.00
11.	झारखंड	अकुशल	127.00
		अर्द्ध-कुशल	140.00
		कुशल	180.00
12.	कर्नाटक		145.58
13.	केरल	हल्के कार्य के लिए	150.00
		भारी कार्य के लिए	200.00
14.	मध्य प्रदेश	अकुशल	119.00
15.	महाराष्ट्र	जोन-I	120.00
		जोन-II	110.00
		जोन-III	105.00
		जोन-IV	100.00
16.	मणिपुर	अकुशल	122.10
		अर्द्ध-कुशल	129.97
		कुशल	132.60
17.	मेघालय	अकुशल	100.00
		अद्ध-कुशल	120.00
		कुशल	140.00
18.	मिजोरम	अकुशल	132.00
		अर्द्ध-कुशल	148.00
		कुशल	184.00-235.00

1	2	3	4
19.	नागालैंड	अकुशल	80.00
		अर्द्ध-कुशल	90.00
		कुशल	100.00
20.	ओडिशा	अकुशल	90.00
		अर्द्ध-कुशल	103.00
		कुशल	116.00
21.	पंजाब	भोजन के साथ	138.29
		बिना भोजन	153.81
22.	राजस्थान	अकुशल	135.00
		अर्द्ध-कुशल	145.00
		कुशल	155.00
23.	तमिलनाडु	महिला कामगार (5 घंटे)	85.00
		पुरुष कामगार (6 घंटे)	100.00
24.	त्रिपुरा		100.00
25.	उत्तर प्रदेश	अकुशल	100.00
26.	उत्तराखंड		121.65
27.	पश्चिम बंगाल	अकुशल भोजन सहित	102.50
		अकुशल बिना भोजन	112.50
		कुशल	120.50
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अकुशल	196.00-207.00
		अर्द्ध-कुशल	208.00-216.00
		कुशल	221.00-238.00
29.	चंडीगढ़	अकुशल	219.93
		अर्द्ध-कुशल	225.00-228.85
		कुशल	236.54-245.19

1	2	3	4
30.	दादरा और नगर हवेली	अकुशल	147.60
		अर्द्ध-कुशल	154.10
		कुशल	160.60
31.	दिल्ली	अकुशल	234.00
		अर्द्ध-कुशल	259.00
		कुशल	285.00
32.	पुडुचेरी		
	(i) कराइकल	6 घंटे के लिए हल्का कार्य	100.00
		भारी कार्य	150.00
	(ii) पुडुचेरी	हल्का कार्य 6	100.00
		भारी कार्य	150.00
	(iii) माहे	8 घंटों के लिए पुरुषों हेतु भारी कार्य	160.00
		8 घंटों के लिए महिलाओं हेतु भारी कार्य	120.00
	(iv) यनम	6 घंटों के लिए हल्का कार्य	100.00
		5 घंटों के लिए खेत जोतना	100.00

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-23

2937. श्री सुदर्शन भगतः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर रांची से गुमला खंड पर नागफनी (कोयल नदी) और बेडो पर बनाए जा रहे पुलों के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) आज की तारीख तक कितने ठेकेदारों को उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने का दायित्व दिया गया है; और

(घ) कितने ठेकेदारों पर उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) रारा-23 के किमी 77 पर कोयल नदी पर नागफनी पुल के निर्माण का कार्य 31.01.2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रारा-23 के किमी 37 पर बेडो पुल के निर्माण का कार्य 10.01.2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) नागफनी पुल के निर्माण का कार्य प्रथम ठेकेदार मैं. संतोष कुमार सिंह, रांची को सौंपा गया था, तथापि, चूंकि वह निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में असफल रहा, इसलिए, उसका ठेका समाप्त कर दिया गया और शेष कार्य, प्रथम ठेकेदार मैं. संतोष

कुमार सिंह के जोखिम और लागत पर अन्य ठेकेदार मैं. के. के. नरसरिया, गुमला को सौंप दिया गया है। बेडो पुल का कार्य मैं. पवन कुमार भगत, रांची को सौंपा गया है।

(घ) एक ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

पौधरोपण

2938. श्री हेमानंद बिसवालः
श्री हरीश चौधरीः
श्री इज्यराज सिंहः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पौधरोपण करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राजमार्गों के लिए निर्माण परियोजनाओं के कारण राज्य-वार कितने वृक्ष काटे गए/उनका रोपण किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) और (ख) केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित सड़क परियोजनाओं के निर्माण/उन्नयन के लिए अपेक्षित वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय एक शर्त रखती है कि मार्ग के किनारे तथा केंद्रीय भाग पर सजावटी पौधरोपण किए जाएं।

(ग) देश में राजमार्गों के लिए निर्माण परियोजनाओं के दौरान काटे गए/रोपण किए गए वृक्षों की कुल संख्या के राज्य-वार ब्यौरे सामान्यतया केंद्र सरकार स्तर पर संकलित नहीं किए जाते हैं और ऐसे ब्यौरे संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 102

2939. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-102 (छपरा से मुजफ्फरपुर) पर सरइया में बया नदी पर पुल की खस्ता हालत और उसके तंग होने के कारण प्रतिदिन यातायात अवरुद्ध होने की समस्या का सामना वहां की जनता को करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल को चौड़ा करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या उस राजमार्ग पर सरइया के अलावा अनेक तंग पुल हैं और रेवा में सड़क भी कम चौड़ी है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अम्बारा, बाखरा, मानिकपुर, सरइया, पोखरेयरा, करजा, मदवन आदि में राजमार्ग पर गड्ढे हैं जिसके कारण वहां यातायात की समस्याएं होती हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस क्षेत्र में पक्की सड़क बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग-102 पर सरइया और अन्य पुलों पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए तथा उसी सड़क पर गड्ढों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी)ः (क) सरैया के निकट, बया नदी पर पुल का कैरिजवे 3.0 मी और पुल की लंबाई 50.0 मी. है। यह एक पुराना, चिनाई वाला मेहराबदार पुल है। दिनांक 25.11.2011 को पुल से गुजरता हुआ एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उससे पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सभी भारी वाहनों को अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है और हल्के वाहन इसी पुल से होकर गुजर रहे हैं।

(ख) और (ग) 2.94 करोड़ रु. की लागत पर, नवीन उच्च स्तर संबलीकृत कंक्रीट पुल के निर्माण के लिए प्राक्कलन प्राप्त हो गया है। चूंकि प्राक्कलन पुरानी दर-सूची पर आधारित था इसलिए सी ई (एन एच) से चालू दर-सूची पर आधारित संशोधित प्राक्कलन भेजने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय के पटना स्थित अधिकारी से भी सी ई (एन एच) द्वारा किए गए प्रावधान की पर्याप्तता की जांच करने के लिए मौका-मुआयना करने का अनुरोध किया गया है। संशोधित प्राक्कलन प्राप्त होते ही प्राक्कलन संस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(घ) जी हां। रारा सं. 102 के किमी 12, 46, 50, 52, 61, 63 और 74 पर सात तंग पुल हैं।

(ङ) उल्लिखित स्थानों पर गड्ढे थे जिनकी मरम्मत कर दी गई है।

(च) सरैया पुल के चौड़ीकरण के लिए प्राक्कलन प्राप्त हो गया है और मंत्रालय में उस पर कार्रवाई की जा रही है। रारा 102 को, पेव्ड शोल्डर सुविधा सहित दो-लेन में सुधार के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजा चरण-IV में शामिल किया गया है। इस संबंध में साध्यता अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पेव्ड शोल्डर सहित दो-लेन में चौड़ीकरण किए जाने के बाद वहां यातायात की भीड़भाड़ नहीं होगी। अन्य कमजोर और तंग पुलों का भी, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ, पुनः निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/उन्नयन

2940. श्री शिवराज भैयाः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री एस.आर. जेयदुरईः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री गोविन्द्र प्रसाद मिश्रः
श्री समीर भुजबलः
श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्री गणेश सिंहः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः
श्री राकेश सिंहः
श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः
श्री सज्जन वर्माः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/उन्नयन के लिए नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषरूप से बिहार और दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजमार्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना और गैर-योजना शीर्षों के अंतर्गत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) आंध्र प्रदेश सहित अब तक स्वीकृत प्रस्तावों/पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है और इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सहित जारी की गई/आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/उन्नयन के संबंध में विलंबित और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुरुप निर्माण कार्यों को यातायात की सघनता, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर शुरु किया जाता है।

समय-समय पर राजमार्गों के उन्नयन का कार्य भी यातायात की सघनता, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप शुरू किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 47,054 किमी लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत विकसित/उन्नत किए जाने का कार्यक्रम है। अन्य अनुमोदित मुख्य कार्यक्रमों में शामिल हैं अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत लगभग 6,418 किमी लंबी सड़कों को (रारा की 3,513 किमी लंबाई और राज्यीय सड़कों एवं अन्य सड़कों की 2,905 किमी लंबाई) मुख्यतः 2 लेन रारा मानक में विकसित किया जाना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत लगभग 6,418 किमी लंबी सड़कों को (रारा की 3,513 किमी लंबाई और राज्यीय सड़कों एवं अन्य सड़कों की 2,905 किमी लंबाई) मुख्यतः 2 लेन रारा मानक में विकसित किया जाना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 5,477 किमी लंबी सड़कों को (रारा की 1,126 किमी लंबाई और राज्यीय सड़कों की 4,351 किमी लंबाई) मुख्यतः 2 लेन मानक में विकसित किया जाना। इन कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य को वार्षिक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत भी किया जाता है।

(ख) एनएचडीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए समग्र लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैंः-

वर्ष	लक्ष्य (किमी)	उपलब्धियां (किमी)
2008-09	3,519	2,205
2009-10	3,165	2,693
2010-11	2,500	1,780
2011-12	2,500	823*

*अक्टूबर 2011 तक की स्थिति के अनुसार

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक दर्द में और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी की गई लंबाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं।

अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आयोजना और आयोजना-भिन्न शीर्षों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और पूरे किए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संकलित किया जा रहा है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए आबंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) कार्यान्वयनाधीन और निर्धारित समय से पीछे चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

ये परियोजनाएं ठेकेदार के अल्प निष्पादन, वन/वन्य जीव/रेलवे स्वीकृति प्राप्त किए जाने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या और भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण विलंबित हुई है।

परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वारा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सघन अनुवीक्षण किए जाने हेतु मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण कार्य आदि में तेजी लाने के लिए उपाय किए गए हैं।

परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और अनुवीक्षण विभिन्न स्तरों पर किया जाता है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा

(लंबाई किमी में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	225.18	315.75	98.61	119.64
2.	असम	10.00	130.71	152.6	56.40
3.	बिहार	86.00	169.26	103.91	62.88
4.	छत्तीसगढ़	...	79.30	42.70	1.37

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	4.60	0.40	10.60	7.10
6.	गुजरात	189.89	75.56	93.92	34.12
7.	हरियाणा	59.70	78.00	138.5	25.77
8.	हिमाचल प्रदेश	0.45	0.45	8.84	0.33
9.	जम्मू और कश्मीर	9.70	67.80	9.92	6.48
10.	झारखंड	3.59	3.12	19.36	9.00
11.	कर्नाटक	85.51	179.71	109.00	88.01
12.	केरल	25.00	19.90	20.20	...
13.	मध्य प्रदेश	148.03	277.67	139.61	60.04
14.	महाराष्ट्र	144.68	136.55	217.24	86.22
15.	ओडिशा	27.81	33.99	37.03	5.85
16.	पंजाब	58.20	95.09	127.22	19.57
17.	राजस्थान	263.97	39.40	56.40	100.69
18.	तमिलनाडु	572.07	461.09	201.58	66.60
19.	उत्तर प्रदेश	266.56	473.93	181.63	65.14
20.	पश्चिम बंगाल	22.00	55.543	16.15	7.12

*अक्टूबर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियों और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन				व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	192.97	348.39	254.77	167.99	196.38	348.39	254.77	55.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	88.25	206.29	177.64	231.43	87.65	206.29	177.64	50.33
4.	बिहार	104.02	245.45	199.15	225.54	95.02	245.45	199.15	87.77
5.	चंडीगढ़	3.39	2.95	8.81	6.00	3.39	2.95	8.81	0.00
6.	छत्तीसगढ़	67.42	79.65	53.53	98.05	65.74	79.65	53.53	15.75
7.	दिल्ली	15.80	17.21	52.58	8.00	15.80	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	34.39	33.16	30.14	8.00	34.39	33.16	30.14	3.05
9.	गुजरात	102.33	150.26	11.60	124.96	101.06	150.26	111.60	58.02
10.	हरियाणा	103.23	152.16	143.69	81.00	103.23	152.16	143.69	70.13
11.	हिमाचल प्रदेश	76.21	80.46	95.72	136.26	76.21	80.46	95.72	44.98
12.	झारखंड	96.41	117.90	112.70	105.00	96.41	117.90	112.70	31.12
13.	कर्नाटक	215.30	305.43	276.65	343.31	214.91	305.42	276.65	134.34
14.	केरल	72.53	141.23	109.00	173.82	73.20	141.23	109.00	64.56
15.	मध्य प्रदेश	110.14	150.16	134.24	96.69	98.35	150.16	134.24	46.77
16.	महाराष्ट्र	195.18	326.18	265.53	286.52	196.87	326.18	265.53	90.31
17.	मणिपुर	23.77	19.65	63.88	78.28	23.65	19.65	63.88	9.89
18.	मेघालय	51.60	61.54	79.08	70.55	50.77	61.54	79.08	18.87
19.	मिजोरम	13.55	5.52	24.23	60.00	13.55	5.52	24.23	6.10
20.	नागालैंड	30.60	30.46	26.94	54.00	30.60	30.46	26.94	11.22
21.	ओडिशा	209.55	333.70	230.71	313.28	208.84	333.70	230.71	124.97
22.	पुदुचेरी	2.95	9.22	3.93	5.00	2.95	9.22	3.93	3.07
23.	पंजाब	156.77	188.49	115.00	129.11	156.77	188.49	115.00	63.55
24.	राजस्थान	214.35	140.24	147.31	183.08	216.54	140.23	147.31	61.94
25.	तमिलनाडु	133.77	168.40	182.13	188.96	131.96	168.40	182.13	62.21
26.	उत्तर प्रदेश	223.51	433.21	452.55	359.21	222.20	433.21	452.55	108.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तराखंड	112.40	160.91	130.83	141.46	112.29	160.91	130.83	18.38
28.	पश्चिम बंगाल	95.30	147.00	120.61	210.00	95.30	147.00	120.61	70.92
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1.89	5.00	0.00	0.00	1.89	2.13
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण$	12,566.47	11,744.70	17,918.94	28,412.90	10,497.21	9,017.96	12,563.94	7,356.05
31.	सीमा सड़क संगठन$	650.00	756.00	760.00	700.00	645.80	723.49	714.31	203.37
32.	अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम$	1,000.00	1,200.00	1,500.00	1,600.00	643.72	658.55	1,004.81	693.32
33.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों के विकास का विशेष कार्यक्रम$	0.00	125.00	750.00	1,200.00	0.00	5.00	718.05	394.75

*अक्टूबर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार

$भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित निधियों और किए गए व्यय का /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य/संघ	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12*	
		आबंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	83.25	97.70	56.25	63.89	67.06	64.13	53.68	18.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.82	0.02	0.91	2.73	26.53	27.07	21.41	0.00
3.	असम	40.20	40.47	78.85	67.19	111.36	99.04	46.07	22.25
4.	बिहार	44.50	38.02	69.51	50.92	93.84	79.06	70.07	28.25
5.	चंडीगढ	0.68	0.08	0.75	0.67	0.66	0.31	0.68	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	छत्तीसगढ	27.26	27.76	33.40	31.94	22.66	22.66	23.24	5.66
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
8.	गोवा	5.01	4.61	5.35	4.93	4.85	1.66	10.58	0.73
9.	गुजरात	42.04	41.92	43.03	41.68	82.74	82.21	62.41	50.06
10.	हरियाणा	19.64	19.79	18.97	18.61	30.06	28.15	16.47	13.22
11.	हिमाचल प्रदेश	18.84	20.94	31.37	26.43	22.25	21.69	24.79	16.27
12.	झारखण्ड	20.38	18.56	28.97	18.23	33.20	32.92	17.08	1.79
13.	कर्नाटक	71.24	67.04	64.76	66.98	77.61	61.43	42.82	1.90
14.	केरल	21.75	30.12	28.50	60.45	52.08	41.88	24.85	1.90
15.	मध्य प्रदेश	48.66	50.37	57.15	59.53	45.39	43.30	19.09	5.67
16.	महाराष्ट्र	62.92	53.04	66.98	65.38	104.40	99.50	82.98	48.44
17.	मणिपुर	10.24	9.72	7.24	7.61	18.68	17.46	16.61	0.04
18.	मेघालय	17.53	17.41	14.78	17.79	48.92	44.93	27.18	6.32
19.	मिजोरम	9.20	7.40	3.58	2.22	39.69	37.44	18.23	2.81
20.	नागालैंड	10.78	12.45	12.50	10.72	14.57	12.77	14.80	9.66
21.	ओडिशा	52.56	61.88	59.50	61.83	80.77	80.77	34.00	12.90
22.	पुडुचेरी	1.10	1.47	1.63	0.89	3.46	80.77	34.00	12.90
23.	पंजाब	25.58	27.47	23.00	26.86	21.38	16.13	19.36	11.84
24.	राजस्थान	72.35	75.06	76.53	48.39	85.72	77.30	65.16	31.01
25.	तमिलनाडु	49.40	46.15	36.62	41.21	54.36	53.90	38.16	21.72
26.	उत्तर प्रदेश	55.22	61.04	73.93	84.83	97.50	97.11	99.68	44.71
27.	उत्तराखंड	21.87	20.86	25.31	23.70	57.65	54.75	22.89	17.72
28.	पश्चिम बंगाल	31.49	21.69	27.15	36.70	57.65	54.75	22.89	7.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	4.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण$	70.00	70.00	87.94	87.94	617.65	617.65	30.00	30.00
31.	सीमा सड़क संगठन'	26.35	21.68	24.00	23.73	65.00	44.50	44.00	22.23

*अक्तूबर 2011 तक की स्थिति के अनुसार

$भारतीय राष्ट ्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को राज्य-वार आबंटन नही किया जाता है।

विवरण-IV

कार्यान्वयन के अधीन और समय-सीमा के पीछे चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	समय-सीमा से पीछे चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	19
3.	बिहार	20
4.	छत्तीसगढ़	15
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	3
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और कश्मीर	5
9.	झारखंड	16
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	13
13.	महाराष्ट्र	12
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	1
17.	ओडिशा	11
18.	पंजाब	4
19.	राजस्थान	4
20.	तमिलनाडु	7
21.	उत्तराखंड	4
22.	उत्तर प्रदेश	20
23.	पश्चिम बंगाल	7

[अनुवाद]

जापान के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास

2941. श्री ताराचन्द भगोराः
श्री सुरेश अंगड़ी

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2012 में जापान के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अभ्यास के लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) इस अभ्यास से जापान के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को किस प्रकार मजबूती मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) फिलहाल 2012 में जापान के साथ संयुक्त अभ्यास किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कारखानों में समयोपरि घंटे

2942. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री खगेन दास:
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वर्गों से कामगारों को अनुमत्य समयोपरि भत्ता में वृद्धि करने या शिफ्ट्स की संख्या में वृद्धि करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई तथा इस संबंध में संगत विधानों में किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी ओर से कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत ग्राह्य समयोपरि भत्ता को बढ़ाने जाने के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, श्रमिक संघों में से एक ने 6 घंटे की पाली का सुझाव दिया था जो कुछ देशों में व्याप्त प्रतिदिन चार पालियों के बराबर है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

2943. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री खगेन दास:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ राज्य सड़कों को नये राष्ट्रीय राजामार्गों के रूप में घोषित करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए कितने नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं तथा शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूर/अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सड़क-संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है। सरकार को उक्त अवधि के दौरान लगभग 64,091 किमी लंबाई की सड़कों/राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों/राज्यीय सड़कों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का अद्यतन ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लंबाई किमी. में
1	2		3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर-अत्माकुर-बडवेल-मेदुकुर-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330

1	2	3	4
		3. *हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4. गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5. कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6. हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395
		7. *काकीनाड़ा-द्वारपुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरापेटा-खम्माम-सूर्यापेटा	310
		8. राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटुरू-भूपालपटनम	400
		9. कूरनूल--अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10. कोडेड-मिरयालागुडा-देवाराकोंठा-तंदूर-चिंचोली	240
		11. बैल्लारी-अदोली-रायचूट-महबूबनगर-जदचेरला	200
		12. कलिंगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120
		13. सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चमेरला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटगिरि-एरपेडु-रेनिगुंटा	725
		14. अंकापल्ली-अनादपुरम	50
		15. कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70
		16. कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल	290
		17. अनंतपुर-उर्वाकोंठा-बेल्लारी	78
		18. पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क	117
		19. कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20. ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंठा सड़क	146.17
		21. *गुंटूर-विनूकोंठा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ओंक-ताड़ापत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
		22. आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरुतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू	630
		23. निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ओंक-ताडपत्री-धर्मावरम-कादूर	625
		24. कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी	353
		25. विशाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनमचिंतापल्ली-सिलेरू-उप्पेरसिलेरू-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूरू	238

1	2	3	4
		26. विशाखापटनम-पेंदुर्थी-श्रृगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-उड़ीसा-राज्य सीमा	126
		27. निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	108
		28. राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भ्रदाचलम, चरला, वेंकटपुरम	293
		29. गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम, कोडाड	390
		30. कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रयचूर-मंत्रालयम-अदोनी-अलूरू-उर्वाकोंठा-अनंतपुरम	580
		31. टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडपपा	208
		32. गूडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	356
		33. पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	133
		34. संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगौर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	367
		35. पमारू-चल्ला पल्ली सड़क	27
		36. संगारेड्डी-नांदेड-अकोला	141
		37. हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	156
		38. तिरूपति-नायडूपेटा सड़क	59
		39. हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	132.26
		40. कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	187
		41. मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24
		42. श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	31.60
		43. विशाखापटनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	9.0
		44. विशाखापटनम जिले में विशाखापटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	12.50
		45. विशाखापटनम जिले में गंगावरम पोर्ट से रारा-5 (रारा सं. 16) तक	3.80
		46. काकिंदा से राजनगरम (एडबी) नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा सं. 16) तक	55.80

1	2	3	4
		47. मछलीपट्टनम पत्तन से हनमन जंक्शन (नई रारा सं. 16) तक	60.14
		48. नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क	94.09
		49. वाडरेचु पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक सड़क का उन्नयन	44.73
		50. ओंगोले से कोठपटनम	17.17
		51. कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	19.25
		52. गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक	33.20
		उप-जोड़	11161.89
II.	अरुणाचल प्रदेश	1. खोंसा-हुकंजूरी-नहरकटिया-तिनसुकिया रोड	99
		2. चांगलांक-मरघेरिटा रोड	44
		3. बामे-किकाबाली-अकाजन रोड	114
		4. सगली मेंगियो-दीद-जीरो रोड	200
		5. नामपोंग-मोटोंग्सा-देबान-नामचिक-जगुन	110
		उप-जोड़	567
III.	असम	1. धोदर अली	250
		2. श्रीरामपुर-धाबुरी सड़क	77
		उप-जोड़	327
IV.	बिहार	1. दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क	-
		2. रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3. सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4. सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11
		5. सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज-गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6. मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर	56
		7. मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8. मुजफ्फर-कटरा-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9. झापा-मीनापुर-श्योहर	47

1	2	3		4
		10.	दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशेसवर अस्थान	65
		11.	दरभंगा-बहेड़ा-सिंधिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया बरिरपुर-बेगुसराय	110
		12.	हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछवाड़ा	75
		13.	मांझी-दरौली-गुथनी	55
		14.	गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15.	मिरवा-कुचईकोट	70
		16.	दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-बरहरिया-गोपालगंज	47
		17.	मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18.	सिवान-पैगम्बरपुर	52
		19.	चपरा-खैडा-सलेमपुर	70
		20.	मांझी-बरौली-सरपाड़ा	115
		21.	बेतिया-चंपतिया-नरकतियागंज-थोरी	70
		22.	सीतामड़ी-रिगा-धैंग-बैरगनिया	31
		23.	अमौर-बायसी-बहादुरगंज	56
		24.	आरा-सासाराम रोड	97
		25.	भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26.	बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)	155
		27.	बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवधर	175
		28.	शेखपुरा-लखीसराय-जमुई	63
		29.	सुलतानगंज-देवधर	110
		30.	भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31.	घोघा-बाराहट	84
		32.	जमुई लक्ष्मीपुर खड़कपुर बरियारपुर	59
		33.	अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34.	गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35.	बाराहट-पंजवाड़ा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36.	मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37.	बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान	35

1	2		3	4
		38.	सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39.	पहाड़ी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40.	मगध मेडिकल कॉलेज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद	70
		41.	वजीरगंज (रार 82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा	60
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी.टी. रोड (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43.	विश्वनाथपुर चौक-कोईली-नानपुर-खडकबसंत-जाले	35
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला	53
		45.	रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
			उप-जोड़	2949
V.	छत्तीसगढ़	1.	बिलासपुर से पिंडारिया, पोंदी, क्वार्धा, राजनंदगांव, अंतागढ़, नारायणपुर, बरसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बैलाडिला, चिंतलनाड, मारियागुंडा से भद्रचलम	684
		2.	गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कणकेर-दुधवा-सिहावा-बरदूला-मैनपुर से खरियार रोड (ओडिशा)	234
		3.	अम्बिकापुर से वाडराफनगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा सं. 130 का विस्तार	111
		4.	रायपुर से बालोडबाजार-कस्डोल-भाटगांव-सारंगढ़-सरिया-सोहेला रोड (ओडिशा)	
VI.	दादरा और नगर हवेली	1.	दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर	190
		2.	वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क	50
		3.	गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से तलसारी तक सड़क खंड, वाया महाराष्ट्र में सुत्राकर	33
			उप-जोड़	273
VII.	दमन और दीव	1.	रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रासिंग से प्रारंभ होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते धारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात) तक	29
			उप जोड़	29
VIII.	गुजरात	1.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वारका	340

1	2	3		4
		2.	भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		3.	वदोदरा-पोर-सिनोर-तरंग-व्यास-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क	245
		4.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165
		5.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		6.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150
		7.	राजपिपला-वापी सड़क	339
		8.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		9.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा 8 को जोड़ते हुए	135
		10.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		11.	भावनगर-कर्जन सड़क	210
		12.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क	05.50
		13.	जामनगर-बेडी पोट रोड	04.20
		14.	त्राप्ज-अलंग पोर्ट रोड	08.00
		15.	ज्खाऊ पोर्ट रोड	13.00
		16.	गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड	170
		17.	हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-ऊंचा सड़क	120
		18.	अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		19.	पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		20.	भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		21.	भाभर-देवदार-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		22.	भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		23.	चितरोड-रापड-धोलावीरा सड़क	120
		24.	सुईगम-सिधादा सड़क	40
		25.	जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		26.	राजकोट-अमरेली सड़क	72
		27.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धासा-अमरेली सड़क	180
		28.	वदोदरा-दभोई छोटाउदयपुर सड़क	125
		29.	भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	90.00
		30.	हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रहा-अम्बाजी से आयु गुजरात सीमा सड़क	130

1	2		3	4
		31.	जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क	440
		32.	गणदेवी-वंसदा-वाघई-अहवा-चिंचली से गुजरात सीमा तक	120
		33.	वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		34.	गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क	200
		35.	ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		36.	वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		37.	वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		38.	बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130
		39.	वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक	30.00
		40.	सरखेज-साणंद-वीरमगांव से मालिया के निकट रारा सं. 8ए तक	186
		41.	हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		42.	शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	506
		43.	वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक	125
		44.	गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	220
		45.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	200
			तटवर्ती सड़कें:	
		46.	नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		47.	नालिया-द्वारका	340
		48.	भावनगर-वातामन-पडारा से रारा 8 पर कारजन	200
			उप-जोड़	6857.50
IX.	गोवा	1.	कारसवाड़ा-बिचोलिम-साखली-सुरला-उसगाव-खांदेपार	45
		2.	सांकेलिम-केरी-चोरलेम	35
		3.	मडगाव-पडोदा-केपेम-कुरकोरेम-सेवोरडेम-धरबंदोरा	40
		4.	मोपा-बिचोलिम-सांकलेम-उसगाव	-
		5.	कुर्ती से बोरिम	4
		6.	असनोरा से डोडामार्ग	10
			उप जोड़	134

1	2		3	4
X.	हरियाणा	1.	अम्बाला कैंट (रारा) से साहा (सारा 73)	15
		2.	साहा (रारा 73) से शाहबाद (रारा 1)	16
		3.	अकलाना (रारा 65) सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रार 71)	29.40
		4.	रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच	2.60
		5.	गुड़गांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रार-8 और रारा-10 के बीच)	-
		6.	रोहतक-भिवानी-लोहानी-पिलानी-राजागढ़ (रारा-10 और रारा-65 के बीच)	-
		7.	सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	-
		8.	कैथल-जींद-मुंडल (रारा 65 और रारा 10 के बीच)	-
		9.	बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुतली (रार 10 और रारा 8 के बीच)	-
		10.	कैथल (तितरम मोड)- जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)	-
		11.	कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए)	-
			उप-जोड	63.00
XI.	हिमाचल प्रदेश	1.	होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड	180.00
		2.	यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00
		3.	कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड	207.50
		4.	स्पप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैज सड़क	120.00
		5.	चंडीगढ़ (पीजीआई)-बड्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		6.	सैंज-लूरी-बंजार-औट (बागीतार) सड़क	97.00
	*क.सं. 10 पर मोटे अक्षरों में अंकित खंड	7.	तारादेवी (शिमला-जुब्बारहट्टी-कुनीहर-रामशह-नालागढ़-घनौली (एसएच सं. 6) (हि.प्र. सीमा) सड़क	106.00
	पुनर्सरेखित भाग है	8.	भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		9.	हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00
		10.	ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर	111.80
		11.	स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तट्टापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00
		12.	किश्तवाड़ (जेएंडके) मंडी (हि.प्र.)	-

1	2		3	4
		13.	सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवलसर-नरचोवा-जयदेवी-टाटापानी-धल्ली	-
		14.	भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर	142
		15.	किरतपुर-नांगल-भाखडा-थनकलान-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंझियार-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड	250
		16.	धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-टाटापानी-धल्ली	180
		17.	नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड	115
			उप-जोड	2481.90
XII.	जम्मू और कश्मीर	1.	मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड	164
		2.	टुनेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरवाह-डोडा से जुडने वालारारा-1बी	212
		3.	सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड	38
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड	138
		5.	बारामुला-रफियाबाद-कुपवाडा-तंगधार रोड	126
		6.	कारगी-जंशेकर रोड	234
		7.	डोडा और अनंतांग जिलों में पुल डोडा एग्जिट (पुल डोडा) देसा-गई-कपरन-वेरोमन-रोड	
		8.	जवाहर टनल एग्जिट (इमोह) वेरिनाग-अचबल-मट्टन-पहलगांव रोड	
			उप-जोड	912
XIII.	झारखंड	1.	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
		2.	चक्रधपुर-जरईकेला-पंपोश सड़क	140.35
		3.	दुमरी-गिरिदिह-माधुपुर-सरत-देवघर (एसएच-14)	153
		4.	देवघर-चौपा मोड-जरमुंडी-जामा-लाकड़ापहाड़ी (एसएच-15)	62
		5.	एसएच 16 पर हंसदिहा-नोनीहाट-लाकड़ापहाड़ी-दुमका-शिकारीपाडा-सुरीचुहा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा (एसएच-17 का भाग)	95
		6.	एसएच-3 (रारा 23 कामदारा पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा 75 विस्तार)-अरकी-रारा 33 पर तामर)	125
		7.	एसएच-16 (देघर (मोहनपुर)-चौपा मोड-हंसदिहा-गोड्डा-महागामा-महरमा-रारार 80 पर साहेबगंज)	139
			उप-जोड़	1024.55
XIV.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायापटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप	187
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर	612

1	2		3	4
		3.	रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुंडलुपेट सड़क	249
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी. पुरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलुर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा	194
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	385
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कानायकनाहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपटना	679
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूर मालावल्ली सड़क	140
		9.	बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद	144
		10.	बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	336
		11.	चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	250
		12.	पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा-हुबली-बागलकोट-हुमनाबाद	665
		13.	मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45
		14.	गिनिगेरे (कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क	167
		15.	कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क	140
		16.	आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 एक	115
		17.	जेवारगी-बेल्लारी-हतीगुडुर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-सिरिगुप्पा	248
		18.	डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	82
		19.	कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	245
		20.	औड़द-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटरकरवादीन महाराष्ट्र	480
		21.	हेबसुर-धारवाड़-नानगरम-पणजी सड़क	95
		22.	बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानपुर	130
		23.	बंगलौर-रारा-7 (सोमनदेनपाल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक	80

1	2	3		4
		24.	कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं. 64	190
		25.	बेलगांव-बागलकोट-हुनुन्ड सड़क	165
		26.	कोप्पाला-जेवारगी सड़क	215
		27.	नवलकुंड-कुश्तागी सड़क	97
		28.	मानदवाडी-एय.डी. कोटे-जयुपर-कोल्लेगल-सलेम सड़क	197
		29.	वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिहर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105	109
		30.	टाडस-मुडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकारीपुरा-सिमोगा	186
		31.	कुमटा-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी	240
		32.	नंजनगुडु-कामराजनगर	38
		33.	रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्नैनी	151
		34.	कलपेट्टा-मनंतवाडी-कुट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क	180
		35.	देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.कास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क	96
			उप-जोड़	8020
XV.	केरल	1.	तिरुर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
		2.	तिरुवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पौकून्नम-पलई-थोडुपुझा-मुवतुपुझा	246
		3.	चलकुडी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची	70
		4.	कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजालकुडा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरुतुरुथी-शोरपुन-पट्टाम्बी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73)	181
		5.	कोझिकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी)- गुडलूर-ऊटी (60 किमी)	97.7
		6.	वाडकरा-नादपुरम-कुट्टीयाडी-थोट्टीपालम-पाकरमतलम-तरुवन्ना-नालमिम्मली-मानतवड़ी-काट्टीकुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर	90.95
		7.	केरल में तलसेरी (रारा-17)-कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरुपट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टा-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा 212)	54
		8.	तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी	124
			उप-जोड़	1027.65

1	2		3	4
XVI.	मध्य प्रदेश	1.	हरई-लोलिया-मामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशपुर (शापुर-खंडवा को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खरगांव-जुलवानिया	462.00
		2.	जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा	222.00
		3.	भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक	344.00
		4.	दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्	430.00
			उप-जोड़	1458.00
XVII.	महाराष्ट्र	1.	तटवर्ती सड़क	733.87
		2.	अकोला-नांदेड-दुगुलूर-रायचूर	
		3.	कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड-नांदेड-यंतोडल-वर्धा-नागपुर	457.00
		4.	धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1	190
		5.	वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जिंतूर औंध वासमथ नांदेड बिलौली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2	620
		6.	श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3	77
		7.	इन्दौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरुर पुणे रोहा मुरुद एमएसएच-5	610
		8.	रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ वारंगा नांदेड लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-7	870
		9.	अकोला हिंगोली नांदेड नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7	258
		10.	गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगरतेम्भूरनी मंगलवेध उमडी बोबलाद से राज्यीय सीमा एमएसएच-8	644
		11.	नागपुर उमरेर मुल गोदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9	359
		12.	नांदेड मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10	419
		13.	राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11	240
		14.	घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालन्त मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12	522

1	2		3	4
		15.	मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13	223
		16.	बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14	429
		17.	बानकोट मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुरे पंदरपुर एमएसएच-15	317
		18.	जेएनपीटी से एस.एच. 54 (किमी 6,400 से किमी 14,550) का गावन फाटा खंड	8
		19.	आमरा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 6/200)	6
		20.	अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4	243
		21.	मिसिंग लिंग (एसएच-106) जयगड से रारा-17 (एनएचओ कार्याक्रम के अंतर्गत*)	43
		22.	अहमदनगर-बीड-परभानी सड़क से विद्यमान एमएसएच-3 तक सड़क	287
		23.	एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क	30
		24.	नागर बीड-नांदेड़ लिंक	20
			उप-जोड़	7585.870
XVIII.	मेघालय	1.	फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क	334
		2.	अगिया-मेधिपाड़ा-फुलवाबरी-बारेंगापाड़ा सड़क	224
			उप-जोड़	558
XIX.	मणिपुर	1.	चुड़ाचांदरपुर से तुइवई वाया सिंघाट-सिंगजावल सड़क	163
		2.	कांगपोकपी से तर्मेगलोंग वाया तमेई	120
		3.	बिसनपुर से होंफलोंग वाया रेंगपांग खोंगशांग, तमेंगलांग और तौसेम	-
		4.	तदुबी-उखरूल वाया पौमाता ब्लॉक मुख्यालय तुंहजोय, फैबुंग ब्लॉक मुख्यालय तोल्लोई	115
			उप-जोड़	398
XX.	मिजोरम	1.	कीतम से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क	179
		2.	लांगतलाई-म्यांमार सड़क	-
			उप-जोड़	179
XXI.	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2.	नागालैंड में हाफलौंग-माहुर-लायके-नागालैंड में कोहिमा	182
		3.	नागालैंड में त्वेनसांग-असम में नागिनी मोरा-शिवसागर (सिमुलगुड़ी)	265
		4.	मोकुकचुंग और चारे के बीच सड़क जो रारा 61 को रारा 155 से जोड़ती हैं	8
		5.	त्वेनसांग से तुली वाया मोन-तिजित	308
		6.	दीमापुर से किफिरे	256
			उप-जोड़	725

1	2		3	4
XXII.	ओडिशा	1.	कटक-पारादीप	82.00
		2.	सम्बलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3.	जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4.	फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5.	बरहमपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6.	काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क	92.50
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क	40.49
		8.	करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा	37.00
		9.	राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10.	कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क	31.00
		11.	जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12.	ढेंकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13.	जयपोर-मल्कानगिरि-मोतु सड़क	323.00
		14.	माधपुर-केराडा-संरगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागाडा	292.6
			उप-जोड़	1877.47
XXIII.	पुदुचेरी	1.	करईकल-नेंदुनगदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क	
		2.	करईकल-पेरालम-मईलादुतुरई-सिरकाली सड़क	
		3.	करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क	
		4.	सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक	
		5.	चेन्नै से पुडुचेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
XXIV.	पंजाब	1.	एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	-
		2.	एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होश्यिारपुर	-
		3.	तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड) तक गुरु गोबिंद सिंह मार्ग	2480
			उप-जोड़	2480

1	2		3	4
XXV.	राजस्थान	1.	बूंदी (रारा-12)-बिजोलिया-लदपुरा-भीलवाडा-गंगापुर-राजसमंद (रारा-8)	210
		2.	पाली-देसुरी-वाया नाडोल	93
		3.	लंबिया-रास-व्यावर-बडनोर-असिंद-मंडल (रारा-76)	148
		4.	मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाई माधोपुरा-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)	332
		5.	मवली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौसिंग-कुम्भलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)	130
		6.	रतलाम-बांसवाडा-सगवाडा-डूंगरपुर-खैरवाडा-कोटरा-स्वरूपगंज (रारा-14) सड़क	310
		7.	जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)	366
		8.	मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड़ा-सलुमबेर-डूंगरपुर-बिचिवाड़ा (रारा-8)	226
		9.	श्री गंगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहार-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-अजीतगढ़-शहपुरा (रारा-8)	474
		10.	फतेहपुर (रारा-11)-झुंझुनू-चिड़ाया-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा) नारनौल-नमोल वाड़ी (रारा-8)	164
		11.	भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)	301
		12.	कोसी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर (रारा-3)	139
		13.	स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवान-बलोतरा(रारा-112)-फलोदी	343
		14.	मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		15.	नसीराबाद-देवली सड़क	95
		16.	कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		17.	स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़-रोड	147
		18.	फलोदी-नागोर-रोड	140
		19.	श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर	115
		20.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		21.	गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाड़मेर	306
		22.	नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	176
		23.	किरकी चौकी-भिण्डर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर	146

1	2		3	4
		24.	होडल-पुनहाना-महारतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		25.	रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु	171
		26.	सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)	681
		27.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधौपुर	248
		28.	बाड़मेर (रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाडा-मंडलगढ़	446
		29.	जयपुर (रारा-12)-दिग्गली-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)	123
		30.	पाली-उदयपुर रोड	-
		31.	गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67	45
		32.	भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, शेष एसएच-1)	15
		33.	बाघेर से तीनधार वाया मंडावर	16
			उप-जोड़	5744
XXVI.	सिक्किम	1.	नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	-
		2.	सिंगधम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी	-
		3.	रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली	-
		4.	रानीपुल और रोराथंग से गुजते हुए पाकयोंग	-
		5.	रानीपुल से बुरतुक तक प्रस्तावित वैकल्पिक राजमार्ग	23
		6.	ताशी व्यू प्वाइंट से हनुमान टोक और नथुला से आगे तक इंदिरा बाइपास-वेस्ट	64
			उप-जोड़	87
XXVII.	तमिलनाडु	1.	सती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 82)	52.80
		2.	अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क	99.60
		3.	त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		4.	करुईवुडी-डिंडीगुल सड़क	86
		5.	तिरूचिरापल्ली-लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्टुमन्नागडी-चिदंबरम	140.00
		6.	तंजावूर-अदनाक्कोट्टई-पुडुकोट्टई	60.00
		7.	डिंडिगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क	120.40

1	2		3	4
		8.	कुडलोर-चित्तूर सड़क	203
			उप-जोड़	839.20
XXVIII.	त्रिपुरा**		कुकीताल से सबरुम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-जनतबाड़ी-सिल्चर-रुपईचारी	310
XXIX.	उत्तर प्रदेश**	1.	कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2.	सिरसागंज-करहल-किशनी-विधुना-धौबेपुर सड़क	161.53
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4.	जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
		6.	लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		7.	लखनऊ-बांदा	148.52
		8.	पीलीभीत:बरेली-बदायूं-कासंगज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		9.	पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क	128
		10.	दिल्ली-यमुनोत्री सड़क	206
		11.	फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क	20.725
		12.	सीतापुर-बहराईच-बलरामपुर-महाराजगंज-पंडरोना सड़क	449.50
			उप-जोड़	2094.813
XXX.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुन-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
		2.	बाडवाला से जुडू (हरबरतपुर-बाडकोट बैंड)	18
		3.	बौखल-घुरदौरी-देवप्रयाग	49
			उप-जोड़	773
XXXI.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक	102
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगला देश सीमा) तक	390.90

1	2		3	4
		3.	राधामोनी (रारा 41 पर)-पांसकुरा-घातल-आरामबांग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरेग्राम (रारा 34 पर)	275
		4.	नंदकुमार-दीघा-चांदनेश्वर (एसएच-4)	91
		5.	गजोले-बुनियादपुर-ओस्तीराम-त्रिमोहिनी-हिल्ली	100
		6.	नयाग्राम (उड़ीसा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुडा-दुर्गपुर (एसएच-9)-पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)	327
			उप-जोड़	1285.90
			जोड़	62239.743

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा

2008-09

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	229	अरुणाचल प्रदेश में तवांग से शुरू होकर बोमडिला, नेचीपू, सेपा, सगली, जिरो, दपोरिजो, अलौंग से गुजरते हुए पालीघाट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	1090
अरुणाचल प्रदेश	रारा 50 बी का विस्तार	अरुणाचल प्रदेश में महादेवपुर से शुरू होकर नमचिक, चांग्लांग, खोन्सा ओर कनुबारी से गुजरते हुए असम में डिब्रूगढ़ के समीप बोगीबील पुल के पहुंच मार्गों पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	450
अरुणाचल प्रदेश	रारा 37 का विस्तार	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 का असम में सेखोवाघाट के समीप इसके अंतिम सिरे से अरुणालच प्रदेश में रोइंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक विस्तार किया गया है	60
तमिलनाडु	रारा-226 का विस्तार	तमिलनाडु में पेराम्बलूर से शुरू होकर पेराली, कीलापलूर, अरियालूर, कुन्नाम, तिरुवैयारू, कांडीयूर को जोड़ते हुए तंजावुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 226 से मिलने वाला राजमार्ग	85
तमिलनाडु	230	तमिलनाडु में मदुरै से शुरू होकर तिरुपुवनम, पूवांधी, शिवगंगा, कलैयरकोयल, तिरुवदनै को जोड़ते हुए टोंडी पोर्ट टाउन में समाप्त होने वाला राजमार्ग	82
पश्चिम बंगाल	रारा-2बी का विस्तार	पश्चिम बंगाल में बोलपुर से शुरू होकर प्रांतिक, मयूरेश्वर को जोड़ते हुए मोल्लारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के जंक्शन पर होने वाला राजमार्ग	54

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	20ए	हिमाचल प्रदेश में रारा 20 के जंक्शन पर नगरोता से प्रारंभ होकर रानीताल, देहरा को जोड़ते हुए और रारा 70 के जंक्शन पर मुबारिकपुर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	91
हिमाचल प्रदेश	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	109
उत्तराखंड	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	51
उत्तर प्रदेश	231	उत्तर प्रदेश में रायबरेली में प्रारंभ होकर सलोन, प्रतापगढ़, मछलीशहर को जोड़ते हुए जौनपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	169
	232	उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर (टांडा) से प्रारंभ, होकर सुलतानपुर, अमेठी, रायबरेली, लालगंज, फतेहपुर को जोड़ते हुए बांदा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	305
	232ए	उत्तर प्रदेश में उन्नाव से प्रारंभ होकर लालगंज (रारा 232 का जंक्शन) में समाप्त होने वाला राजमार्ग	68
	233	उत्तर प्रदेश में भारत/नेपाल सीमा (लुम्बिनी को जोड़ते हुए) से प्रारंभ होकर, नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बंसी, बस्ती, टांडा, आजमगढ़ में गुजरते हुए वाराणसी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	292
	235	उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रारंभ होकर हापुड, गुलावठी को जोड़ते हुए बुलंदशहर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	66
आंध्र प्रदेश	18ए	आंध्र प्रदेश में पुतलापट्टु से प्रारंभ होकर तिरूपति में समाप्त होने वाला राजमार्ग	42
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	234	कर्नाटक में मंगलौर से प्रारंभ होकर बेल्टानगडी, मुदीगेरे, बेलूर, हुलियार, सीरा, मधुगिरि, चिंतामणि जो जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में वेंगटगिरि कोटा से होते हुए तमिलनाडु में पेरणामपेट, गुडियापट्टम, काटपाडी, वेल्लौर, पुष्पगिरि, पोलुर से गुजरने वाला और तिरूवनामलाई-विल्लुपरुम में समाप्त होने वाला राजामार्ग	780
		2009-10	
दिल्ली/हरियाणा	236	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महरौली से प्रारंभ होकर अंधेरिया मोड़-छतरपुर टी प्वाइंट जो जोड़ते हुए हरियाणा में रारा-8 पर गुड़गांव में समाप्त होने वाला राजमार्ग	13.45

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	69ए	मध्य प्रदेश में विद्यमान रारा-69 पर मुल्तई से प्रारंभ होकर चिखली, दुनावा, छिंदवाड़ा, चौरई को जोड़ते हुए और रारा-7 पर शिवनी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	154.21
मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	26बी	मध्य प्रदेश में विद्यमान 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होकर अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सिवनेर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	मध्य प्रदेश में 202.593 महाराष्ट्र में 15.17

2010-2011

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी)
		कोई नहीं	

2011-2012 [3 अगस्त, 2011]

राज्य	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	पुरानी रारा संख्या
राजस्थान और उत्तर प्रदेश	123	राजस्थान में धौलपुर में रारा 23 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राजस्थान में सेपउ को, उत्तर प्रदेश में सरैंधी को, राजस्थान में घटोली, रूपवास, खनुआवा (खनुआ) को जोड़ते हुए ऊंचा नंगला में समाप्त होने वाला राजमार्ग	3ए
राजस्थान	148डी	राजस्थान राज्य में भीम में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा 48 पर परसौली, गुलाबपुरा को, शाहपुरा, जहाजपुरा, हिंडोली, नैनवा को जोड़ते हुए रारा-552 पर उनियारा में समाप्त होने वाला राजामर्ग	116ए
राजस्थान और गुजरात	रारा 58 का विस्तार	राजस्थान राज्य में उदयपुर से प्रारंभ होकर कुमदल, नया खेडा, झाडोल, सोम, नालवा दैया को जोड़ते हुए गुजरात में ईदर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	76उ
राजस्थान	458	राजस्थान राज्य में लाडनू में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लांबिया, जैतरन, रायपुर को जोड़ते हुए रारा 58 पर भीम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	65ए
राजस्थान	758	राजस्थान राज्य में राजसमंद में रारा-58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गंगापुर, भीलवाड़ा को जोड़ते हुए लाडपुरा में रारा 27 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	76बी

भारत को सबसे तरजीही देश का दर्जा

2944. श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः
श्री खगेन दासः
श्री सी. राजेन्द्रनः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री एल. राजगोपालः
श्री प्रबोध पांडाः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सबसे तरजीही देश का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों एवं सचिवों के स्तर पर चर्चा किये गये व्यापार मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) भारत और पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (एसएएफटीए) और प्रीफेरेंशियल ट्रेड अरेन्जमेंट (पीटीए) के अंतर्गत देश-वार किस सीमा तक अपने दायित्वों का क्रियान्वयन किया है तथा दोनों देशों के बीच मद-वार आयातों एवं निर्यातों की वर्तमान मात्रा का भारतीय रुपये में ब्यौरा क्या है; और

(घ) नकारात्मक सूची में काट-छांट करने तथा नॉन-टैरिफ बैरियर्स हटाने सहित दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सुचारू बनाने एवं उनका संवर्धन करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पाकिस्तान की मंत्रीमंडल बैठक में लिया गया निर्णय जिसे पाकिस्तान सरकार द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 2011 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सूचित किया गया था, यह है कि "(पाकिस्तान) मंत्रिमंडल ने अपने वाणिज्य मंत्रालय को संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिदेश दिया है, जिससे परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) के सिद्धांत को इसकी सच्ची भावना से लागू किया जा सकेगा।"

(ख) नई दिल्ली में दिनांक 28.9.2011 को आयोजित और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक के दौरान मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि दोनों देशों के बीच पूर्णत सामान्यीकृत वाणिज्यिक संबंधों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ और दक्षिण एशिया में समृद्धि के संर्वधन हेतु मित्रता, विश्वास और आपसी समझ के सेतु का निर्माण होगा। दोनों वाणिज्य मंत्रियों ने अपने वाणिज्य सचिवों को द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण का कार्य पूरे उत्साह के साथ करने का अधिदेश दिया था। वे इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्ट) के कार्य ढांचे के भीतर अधिमानी व्यापार संबंधों की उच्च महत्वाकांक्षा के लिए सहयोग करेंगे। उन्होंने साफ्टा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा व्यापार के उदारीकरण हेतु भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए संयुक्त एवं सहयोगात्मक प्रयासों को संतोष के साथ नोट किया। वे सहमत हुए थे कि साफ्टा के अंतर्गत वचनबद्ध सभी परस्पर दायित्व पूरी निष्ठा के साथ कार्यान्वित किये जाएंगे।

भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिवों के बीच वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित वार्ता का छठा दौर नई दिल्ली में 14-15 नवम्बर, 2011 को आयोजित किया गया था। उपर्युक्त विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति हुई हैः

(i) दोनों पक्ष तीन वर्षो के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को 2. 7 बिलियन अम. डा. प्रतिवर्ष के वर्तमान स्तर से दुगुना करके लगभग 6 बिलियन अम. डा. तक लाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं।

(ii) इस वार्ता के सहमत कार्यवृन्त में एमएफएन का दर्जा प्रदान करने के संबंध में पाकिस्तान की वैचारिक स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती हैः

"व्यापारिक संबंधों को पूर्ण रूप से सामान्य बनाने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले चरण में पाकिस्तान वर्तमान सकारात्मक सूची दृष्टिकोण से नकारात्मक सूची की ओर बढ़ेगा। इस नकारात्मक सूची को तैयार करने संबंधी परामर्श प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। एक लघु नकारात्मक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और फरवरी, 2012 तक इसका अनुसमर्थन किया जाएगा। तत्पश्चात नकारात्मक सूची में उल्लिखित मदों को छोड़कर भारत से अन्य सभी मदों का पाकिस्तान को निर्यात मुक्त रूप से किया जाएगा। दूसरे चरण में, नकारात्मक सूची को समाप्त कर दिया जाएगा। इस समाप्ति की समय सीमा की घोषणा फरवरी 2012 में इस सूची को अधिसूचित करते समय की जाएगी और आशा की जाती है कि समाप्ति की प्रक्रिया वर्ष 2012 के अन्त तक पूरी कर ली जाएगी।"

नकारात्मक सूची को पूरी तरह समाप्त किए जाने के साथ ही पाकिस्तान द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र का पूरा दर्जा प्रदान करने की संक्रमण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

(iii) भारतीय पक्ष सीमेंट, वस्त्र, फल एवं सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं और शल्य चिकित्सा उपकरणों के आयात हेतु गैर-टैरिफ बाधाओं के संबंध में पाकिस्तान द्वारा उठाए गये मुद्दों का समाधान करने पर सहमत हुआ है।

(iv) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए है कि व्यावसायिकों के लिए वर्तमान वीजा प्रणाली व्यापार के त्वरित विस्तार में एक महत्वपूर्ण बाधा है। यह नोट किया गया था कि पाकिस्तान का गृह मंत्रालय और भारत का गृह मंत्रालय ऐसी पारस्परिक व्यवस्थाएं स्थापित करने के व्यापक समझौते पर हुए थे जिससे व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए वीजा प्रावधानों का अत्यधिक उदारीकरण होगा।

(v) दोनों पक्ष पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने तथा विद्युत व्यापार हेतु अवसंरचना स्थापित करने के लिए एक व्यापक समझौते पर पहुंचे हैं।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अलग अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) नहीं है।

साफ्टा दायित्वों के रूप में दोनों देश वस्तुओं की संवेदनशील सूची (एसएल) रखते हैं जिनका आयात एमएफएन सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। वर्तमान में भारत के पास ऐसी 868 टैरिफ लाइनों की संवेदनशील सूची है जिनके पाकिस्तान से एमएफएन टैरिफ दरों पर आयात की अनुमति है। इन 868 एसएल मदों के अतिरिक्त पाकिस्तान और श्रीलंका से साफ्टा संबंधी आयातों के लिए भारत का अधिकतम टैरिफ स्तर 11% है। यह अधिकतम टैरिफ दिनांक 1 जनवरी 2012 से घटाकर 8% और 1 जनवरी 2013 से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास 936 टैरिफ लाइनों की संवदेनशील सूची है। तथापि पाकिस्तान के वर्तमान आयात नियंत्रण आदेश के कारण उसके द्वारा भारत के लिए इन सभी टैरिफ लाइनों हेतु एमएफएन सिद्धांतों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए साफ्टा दायित्वों को भी वर्तमान में पूरा नहीं किया जा रहा है।

पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान पाकिस्तान को निर्यात तथा वहां से आयात का वस्तु-वार और भारतीय रुपए में मूल्य के साथ ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वार्ताओं के छठे दौर के दौरान पक्षों ने अपने-अपने वाणिज्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों को साफ्टा के अंतर्गत अधिमानी व्यापार व्यवस्थाओं में सुधार करने लाने के लिए कार्य करने हेतु मुख्य वार्ताकारों के रूप में नामित किया था। उपर्युक्त (ख) और (ग) के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सरल एवं कारगर बनाने तथा उसे प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट कदम भी उठाए गए हैं।

विवरण

पाकिस्तान को निर्यात

मूल्य करोड़ रु. में
(अ) अनंतिम

क्र.सं.	वस्तु	अप्रैल-मार्च 2010	अप्रैल-मार्च 2011 (अ)	प्रतिशत वृद्धि देशः पाकिस्तान आईआर
1	2	3	4	5
1.	चीनी	5.34	2.944.70	55.046.26
2.	अपशिष्ट सहित अपरिष्कृत कपास	1,083.82	1,748.68	61.34
3.	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स मेडअप्स	2,044.10	1,089.34	-46.71
4.	रंजक/मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन	1,240.41	1,049.64	-15.38
5.	औषधि, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	361.07	326.31	-9.63

1	2	3	4	5
6.	अन्य वस्तुएं	133.25	309.19	132.03
7.	दालें	92.35	270.23	192.61
8.	मसालें	99.28	241.72	143.48
9.	तेल खाद्य	415.68	235.83	-43.27
10.	अकार्बनिक/कार्बनक/कृषि रसायन	202.08	230.31	13.97
11.	फुटवियर को छोड़कर रबड़ विनिर्मित उत्पाद	164.95	210.46	27.59
12.	धातु विनिर्मितियां	97.55	193.75	98.62
13.	मशीनें एवं उपकरण	138.12	168.63	22.09
14.	प्लास्टिक एवं लिनोलियन उत्पाद	187.77	150.84	-19.67
15.	पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद)	38.07	133.69	251.18
16.	अपशिष्ट रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	82.79	131.73	59.11
17.	लौह मिश्रधातु	77.25	111.82	44.74
18.	चाय	91.62	106.76	16.52
19.	मूंगफली	64.33	90.03	39.95
20.	कपास यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	50.36	78.10	55.08
21.	सौन्दर्य प्रसाधन/प्रसाधन सामग्री आदि	84.20	72.99	-13.31
22.	अन्य खाद्यान्न	51.97	69.96	34.62
23.	फलों/सब्जियों के बीज	41.26	64.72	56.84
24.	ताजी सब्जियां	183.07	58.38	-68.11
25.	अलौह धातुएं	67.49	51.85	-23.17
26.	मानव निर्मित स्टैपल फाइबर	33.54	48.64	45.01
27.	अन्य अयस्क एवं खजिन	29.61	39.67	33.98
28.	कुक्कुट प्रसंस्कृत मदें	9.52	30.25	217.67
29.	विविध प्रसंस्कृत खनिज	36.05	24.78	-31.28

1	2	3	4	5
30.	प्रसंस्कृत खनिज	24.97	24.35	-2.49
31.	ताजे फल	6.85	23.26	239.35
32.	मांस एवं विनिर्मितियां	19.55	22.05	12.78
33.	कागज/काष्ठ उत्पाद	30.63	20.12	-34.32
34.	पेंट्स/इनेमल्स/वार्निशेज आदि	18.99	20.11	5.90
35.	दुग्ध उत्पाद	3.13	19.38	519.84
36.	लौह एवं इस्पात बार/रॉड आदि	34.54	17.20	-50.21
37.	प्राथमिक एवं अर्ध-परिष्कृत लौह एवं इस्पात	40.91	16.57	-59.50
38.	ग्वारगम खाद्य	6.13	11.81	92.68
39.	चपड़ा	8.50	11.03	29.87
40.	रत्न एवं आभूषण	12.82	8.92	-30.40
41.	चावल-बासमती	ट.रव	7.43	7.010.43
42.	खेल-कूद सामग्री	2.47	6.97	1 82.20
43.	इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	13.51	3.65	-72.99
44.	कांच/कांच की सामग्री/सेरामिक्स/रिफ्रैक्टर्स/सीमेंट	4.02	3.61	-10.24
45.	ऊनी यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	7.73	3.22	-58.30
46.	चावल (बासमती से इतर)	0.01	2.68	39,947.76
47.	प्रसंस्कृत सब्जियां	0.16	2.31	1ए384.69
48.	प्रसंस्कृत चर्म	0.77	2.17	179.98
49.	सहायक सामग्री सहित आरएमजी सूती	1.55	1.72	11.56
50.	अपशिष्ट इंजीनियरी मदें	2.32	1.48	-36.43
51.	परिवहन उपस्कर	1.09	1.35	23.91
52.	विनिर्मित तम्बाकू		1.32	
53.	मशीन उपकरण	1.26	0.93	-26.ो

1	2	3	4	5
54.	काजू	1.80	0.85	-52.92
55.	अरण्डी का तेल	0.54	0.53	-0.99
56.	उत्पाद को छोड़कर एल्यूमीनियम	0.45	0.52	14.86
57.	तिलहन	0.40	0.44	10.40
58.	आरएमजी रेशम	1.65	0.33	-80.20
59.	अन्य जूट विनिर्मितियां	0.03	0.30	901.67
60.	अन्य वस्त्र सामग्री के आरएमजी	0.46	0.30	-34.85
61.	प्राकृतिक रेशम यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	0.35	0.18	-49.16
62.	चर्म फुटवियर	0.98	0.18	-82.20
63.	आरएमजी मानव निर्मित फाइबर	0.83	0.17	-80.05
64.	रबड़/कैनवस आदि के फुटवियर	0.03	0.11	230.56
65.	प्रसंस्कृत फल एवं जूस	-1.29	0.10	-92.30
66.	पुष्पोत्पाद	ट.37	0.08	-78.50
67.	कॉयर एवं कॉयर विनिर्मितियां	0.05	0.05	-9.02
68.	चर्म फुटवियर संघटक	0.00	0.05	1.148.65
69.	हस्तनिर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	0.07	0.04	-41.31
70.	हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर)	0.58	0.04	-93.91
71.	फर्शाच्छादन को छोड़कर जूट विनिर्मितियां	0.37	0.01	-97.18
72.	वास्तविक रूप में कम्प्यूटर साफ्टवेयर		0.00	
73.	चर्म वस्तुएं	0.51	0.00	-99.55
74.	अभ्रक	-	0.00	
75.	कोयला	0.25		
76.	लौह अयस्क			
77.	चर्म परिधान			

1	2	3	4	5
78.	समुद्री उत्पादक	0.00		
79.	कॉफी	0.01		
80.	स्पिरिट एवं पेय	1.02		
81.	रामतिल	0.01		
82.	जूट के फर्शाच्छादन			
83.	रेशम अपशिष्ट	0.00		
84.	आरएमजी ऊनी	0.04		
85.	परियोजना वस्तुएं	0.01		
	कुल	7,461.02	10,520.92	41.01

आंकड़ों का स्रोतः डीजीसीआईएस, कोलकाता

मूल्य करोड़ रुपए में
(अ) अनंतिम

पाकिस्तान से आयात

क्र.सं.	वस्तु	अप्रैल-मार्च 2010	अप्रैल-मार्च 2011 (अ)	प्रतिशत वृद्धि देशः पाकिस्तान
1	2	3	4	5
1.	काजू गिरी को छोड़कर फल एवं मेवें	219.90	288.34	31.12
2.	पेट्रोलियम अपरिष्कृत एव उत्पाद	45.52	245.57	439.53
3.	अन्य वस्तुएं	90.09	171.74	90.64
4.	सीमेंट	193.63	166.41	-14.06
5.	कार्बनिक रसायन	227.99	149.28	-34.52
6.	अलौह धातुएं	81.92	100.29	22.42
7.	कपास यार्न एवं फैब्रिक्स	160.57	88.30	-45.01
8.	अकार्बनिक रसायन	46.91	51.83	10.49
9.	धात्विकृत अयस्क एवं धातु छीलन	41.48	42.76	3.08
10.	अपरिष्कृत ऊन	18.63	42.19	126.53

1	2	3	4	5
11.	चर्म	38.60	40.96	6.12
12.	कृत्रिम रेजिन्स, प्लास्टिक सामग्री आदि	15.04	20.94	39.24
13.	अन्य अपरिष्कृत खजिन	8.26	12.38	49.95
14.	पल्प एवं अपशिष्ट कागज		11.91	
15.	सिलेसिलाये परिधान (बुने हुए एवं निटेड)	3.27	8.22	151.74
16.	नियत वनस्पति तेल (खाद्य)		7.42	
17.	इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	4.63	6.67	44.23
18.	मसालें	12.96	6.36	-50.90
19.	अन्य टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप, वस्तुएं	12.92	5.96	-53.89
20.	दालें	13.03	5.47	-58.03
21.	रसायन सामग्री एवं उत्पाद	0.19	5.25	2.620.79
22.	इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर व्यावसायिक उपकरण	5.84	5.11	-12.40
23.	इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक को छोड़कर मशीनें	0.81	4.93	511.99
24.	मानव निर्मित फिलामेन्ट/स्पन यार्न (अपशिष्ट सहित)	3.93	4.02	2.34
25.	लौह एवं इस्पात	0.02	3.94	21.695.03
26.	मोती को छोड़कर गैर-धातु खजिन विनिर्मितियां	10.84	3.52	-67.52
27.	ऊनी एवं सूती रैग्स आदि	-2.45	2.65	8.06
28.	परिवहन उपस्कर	0.43	1.97	359.15
29.	तिलहन	21.64	1.80	-91.69
30.	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	0.20	1.79	798.39
31.	पेपर बोर्ड एवं विनिर्मितियां	0.58	1.46	152.79
32.	अपरिष्कृत खालें एवं छालें	0.66	1.43	116.42
33.	धातु विनिर्मितियां	0.50	1.36	170.57
34.	कृत्रिम एवं पुनः प्राप्त रबड़		1.08	

1	2	3	4	5
35.	मेडअप वस्त्र मदें	3.67	1.03	-72.09
36.	मशीन उपकरण	0.13	0.73	453.09
37.	मोती, कीमती, बेशकीमती नगीने	1.52	0.72	-52.70
38.	मुद्रित पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं आदि	0.62	0.72	16.23
39.	एसेंशियल तेल एवं प्रसाधन विनिर्मितियां	0.17	0.40	138.10
40.	इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर विद्युत मशीनें	0.18	0.38	105.30
41.	रंजक, टैनिंग, रंगाई सामग्री	0.71	0.27	-62.62
42.	प्राकृतिक रबड़		0.24	
43.	अपरिष्कृत उर्वरक	0.14	0.14	4.89
44.	खाद्यान्न विनिर्मितियां	0.02	0.09	396.26
45.	औषधीय एवं भेषज उत्पाद	0.03	0.08	181.38
46.	कृत्रिम एवं रीजैनरेटिड फाइबर		0.04	
47.	विनिर्मित उर्वरक	0.05	0.03	-35.40
48.	रेशम यार्न एवं फैब्रिक्स	0.11	0.03	-72.68
49.	कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स आदि		0.02	
50.	अपरिष्कृत कपासः कॉम्ब्ड/अनकॉम्ब्ड/अपशिष्ट	13.65		
51.	प्राथमिक इस्पात, पिटवा लौहा आधारित मदें			
52.	वास्तविक रूप में कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0.20		
	कुल	1,304-62	1,518.27	16.38

आंकड़ों का स्रोतः डीजीसीआईएस, कोलकाता

चाय निर्यात में गिरावट

2945. डॉ. संजीव गणेश नाईकः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री नवजोत सिंह सिद्धूः

श्री के. सुगुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस वर्ष जनवरी-जुलाई की अवधि के दौरान चाय के निर्यात में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार और देश-वार भारत से निर्यात की गई कुल चाय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में चाय उद्योग के संबंध में कुछ चाय उत्पादक देशों के साथ कड़ी स्पर्धा का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याा है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चाय उद्योग को सहायता प्रदान करने तथा देश के चाय निर्यात को और बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। जनवरी से जुलाई, 2011 के दौरान भारत से चाय का निर्यात, वर्ष 2010 की इसी अवधि के दौरान 107.30 मिलियन किग्रा. की तुलना में 89.82 मिलियन किग्रा. का हुआ था। निर्यातों में गिरावट मुख्यतः अफगानिस्तान, मिस्र और मध्यपूर्व के कुछेक देशों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आई तथापि निर्यातों की अंतिम मात्रा की जानकारी वर्तमान कैलेण्डर वर्ष समाप्त होने पर ज्ञात होगी पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों और चालू वर्ष के और भारत से चाय के कुछ निर्यातों का वर्षवार और देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। चाय का निर्यात करने वाले श्रीलंका और केन्या जैसे प्रमुख देशों की तुलना में भारत में स्थिति सर्वथा भिन्न है। विश्व में चाय की सर्वाधिक खपत वाला देश होने और घरेलू मांग उत्पादन की 80% होने के कारण निर्यात योग्य अधिशेष वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। श्रीलंका और केन्या में घरेलू मांग 3-5% से भी कम है और उनकी चाय का 95-97% निर्यात किया जाता है।

(ङ) 11वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत सरकार संवर्धनात्मक अभियानों को सहायता, क्रेता-विक्रेता बैठकों, चाय आस्वादन सत्रों, व्यापार मेलों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और निर्यातकों को प्रोत्साहनों के माध्यम से चाय के निर्यातों का संवर्धन कर रही है। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए चाय की मांग बढ़ाने हेतु आगामी 5 वर्षों के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रत्येक में पांच कार्यकलापों के साथ ब्राण्ड इंडिया के संवर्धन हेतु 5-5-5 दृष्टिकोण की शुरूआत की गई है।

विवरण

देशों के नाम	भारत से चाय का निर्यात (मिलियन किग्राम में)			
	2008	2009	2010	2011 (जनवरी से जुलाई)
1	2	3	4	5
रूस गणराज्य	40.44	46.34	36.66	20.20
कजाकिस्तान	11.33	9.43	10.25	6.14
युक्रेन	1.56	1.63	1.67	1.09
उजबेकिस्तान	0.08	0.02	.	0.02
अन्य सीआईएस	0.61	0.42	0.42	0.24
कुल सीआईएस	54.02	57.84	49.00	27.69
युनाइटेड किंगडम	19.30	16.72	14.82	4.98
नीदरलैण्ड	2.58	2.57	3.39	1.25
जर्मनी	4.33	4	4.39	2.34

1	2	3	4	5
आयरलैंड	1.48	1.44	1.74	0.43
पोलैण्ड	3.45	3.27	3.30	1.70
यूएसए	9.55	9.21	10.32	5.87
कनाडा	1.52	2.44	2.12	0.60
यूएई	24.80	19.42	18.50	7.08
ईरान	15.90	11.53	13.43	7.23
इराक	5.11	16.59	5.96	0.16
सऊदी अरब	3.40	2.85	2.69	1.09
मिस्र अरब गणराज्य	15.04	5.58	5.62	2.10
तुर्की	0.11	0.01	0.040	0.06
अफगानिस्तान	10.74	13.4	7.96	0.22
सिंगापुर	0.32	0.37	0.25	0.11
श्रीलंका	5.57	4.03	4.01	1.98
केन्या	2.06	1.84	4.78	1.33
जापान	2.71	3.01	3.05	0.99
पाकिस्तान	7.67	7.51	18.87	10.57
ऑस्ट्रेलिया	4.91	4.6	4.23	2.21
अन्य देश	8.55	9.67	14.82	9.83
कुल	203.12	197.90	193.29	89.82

[हिन्दी]

टैक्सटाइल पार्क

2946. डॉ. संजय सिंहः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मौजूदा इंटिग्रेटिड टैक्सटाइल पार्कों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति और उनकी वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) इंटीग्रेटिड टैक्सटाइल पार्क योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार टेक्सटाइल/अप्रैल पार्कों की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए/स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा कितनी निधियां आवंटित की गई;

(ग) क्या इन पार्कों की स्थापना सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन पार्कों में उत्पादित किये जाने वाले संभावित उत्पादों का ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने रोजगार का सृजन किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

2947. श्री ए.के.एस. विजयनः
श्री अनंत कुमारः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण या मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार या नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसी अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये; और

(घ) कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा उनके लंबित होने के क्या कारण हैं तथा इन लंबित प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सड़क-संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है। सरकार को उक्त अवधि के दौरान लगभग 64,091 किमी लंबाई की सड़कों/राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों/राज्जीय सड़कों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का अद्यतन ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लंबाई किमी. में
1	2		3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर-अल्माकुर-बडवेल-मेदुकुर-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		3.	*हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4.	गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5.	कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395

1	2	3		4
		7.	*काकीनाड़ा-द्वारपुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरापेटा-खम्माम-सूर्यापेटा	310
		8.	*राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटुरू-भूपालपटनम	400
		9.	कूरनूल--अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10.	कोडेड-मिरयालागुडा-देवाराकोंठा-तंदूर-चिंचोली	240
		11.	बैल्लारी-अदोली-रायचूट-महबूबनगर-जदचेरला	200
		12.	कलिंगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120
		13.	*सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चमेरला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटगिरि-एरपेडु-रेनिगुंटा	725
		14.	अंकापल्ली-अनाद्पुरम	50
		15.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70
		16.	कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल	290
		17.	अनंतपुर-उर्वाकोंठा-बेलारी	78
		18.	पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क	117
		19.	कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20.	ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंठा सड़क	146.17
		21.	*गुंटूर-विनूकोंठा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ओंक-ताड़पत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
		22.	*आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरुतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू	630
		23.	निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ओंक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर	625
		24.	कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी	353
		25.	विशाखापट्नम-तल्लापलम-नरसीपटनम चिंतापल्ली-सिलेरू-उप्पेरसिलेरू-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूरू	238
		26.	विशाखापटनम-पेंदुर्थी-श्रुगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-उड़ीसा-राज्य सीमा	126
		27.	निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	108
		28.	राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भ्रदाचलम, चरला, वेंकटपुरम	293

1	2	3	4
		29. गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम, कोडाड	390
		30. कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रयचूर-मंत्रालयम-अदोनी-अलूरू-उर्वाकोंठा-अनंतपुरम	580
		31. टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडपपा	208
		32. गूडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	356
		33. पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	133
		34. संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगौर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	367
		35. पमारू-चल्ला पल्ली सड़क	27
		36. संगारेड्डी-नांदेड-अकोला	141
		37. हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	156
		38. तिरूपति-नायडूपेटा सड़क	59
		39. हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	132.26
		40. कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	187
		41. मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24
		42. श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	31.60
		43. विशाखापटनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	9.0
		44. विशाखापटनम जिले में विशाखापटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	12.50
		45. विशाखापटनम जिले में गंगावरम पोर्ट से रारा-5 (रारा सं. 16) तक	3.80
		46. काकिंदा से राजनगरम (एडबी) नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा सं. 16) तक	55.80
		47. मछलीपट्टनम पत्तन से हनमन जंक्शन (नई रारा सं. 16) तक	60.14
		48. नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क	94.09
		49. वाडरेचु पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक सड़क का उन्नयन	44.73

1	2		3	4
		50.	औगोले से कोठपटनम	17.17
		51.	कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	19.25
		52.	गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक	33.20
			उप-जोड़	11161.89
II.	अरुणाचल प्रदेश	1.	खोंसा-हुकंजूरी-नहरकटिया-तिनसुकिया रोड	99
		2.	चांगलांक-मरघेरिटा रोड	44
		3.	बामे-किकाबाली-अकाजन रोड	114
		4.	सगली मेंगियो-दीद-जीरो रोड	200
		5.	नामपोंग-मोटोंग्सा-देबान-नामचिक-जगुन	110
			उप-जोड़	567
III.	असम	1.	धोदर अली	250
		2.	श्रीरामपुर-धाबुरी सड़क	77
			उप-जोड़	327
IV.	बिहार	1.	दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क	-
		2.	रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3.	सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4.	सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11
		5.	सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज-गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6.	मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर	56
		7.	मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8.	क्थोतसा-कटरा-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9.	झापा-मीनापुर-श्योहर	47
		10.	दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशेसवर अस्थान	65
		11.	दरभंगा-बहेड़ा-सिंधिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया बरिरपुर-बेगुसराय	110
		12.	हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछवाड़ा	75
		13.	मांझी-दरौली-गुथनी	55

1	2	3		4
		14.	गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15.	मिरवा-कुचईकोट	70
		16.	दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-बरहरिया-गोपालगंज	47
		17.	मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18.	सिवान-पैगम्बरपुर	52
		19.	चपरा-खैडा-सलेमपुर	70
		20.	मांझी-बरौली-सरपाड़ा	115
		21.	बेतिया-चंपतिया-नरकतियागंज-थोरी	70
		22.	सीतामड़ी-रिगा-धैंग-बैरगनिया	31
		23.	अमौर-बायसी-बहादुरगंज	56
		24.	आरा-सासाराम रोड	97
		25.	भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26.	बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)	155
		27.	बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवधर	175
		28.	शेखपुरा-लखीसराय-जमुई	63
		29.	सुलतानगंज-देवधर	110
		30.	भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31.	घोघा-बाराहट	84
		32.	जमुई लक्ष्मीपुर खडगपुर बरियारपुर	59
		33.	अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34.	गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35.	बाराहट-पंजवाड़ा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36.	मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37.	बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान	35
		38.	सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39.	पहाड़ी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40.	मगध मेडिकल कॉलेज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद	70

1	2		3	4
		41.	वजीरगंज (रार 82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा	60
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी.टी. रोड (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43.	विश्वनाथपुर चौक-कोईली-नानपुर-खडकबसंत-जाले	35
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला	53
		45.	रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
			उप-जोड़	2949
V.	छत्तीसगढ़	1.	बिलासपुर से पिंडारिया, पोंदी, क्वार्धा, राजनंदगांव, अंतागढ़, नारायणपुर, बरसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बैलाडिला, चिंतलनाड, मारियागुंडा से भद्रचलम	684
		2.	गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कणकेर-दुधवा-सिहावा-बरदूला-मैनपुर से खरियार रोड (ओडिशा)	234
		3.	अम्बिकापुर से वाडराफनगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा सं. 130 का विस्तार	111
		4.	रायपुर से बालोडबाजार-कस्डोल-भाटगांव-सारंगढ़-सरिया-सोहेला रोड (ओडिशा)	
VI.	दादरा और नगर हवेली	1.	दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर	190
		2.	वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क	50
		3.	गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से महाराष्ट्र में सुत्राकर से तलसारी तक सड़क खंड, वाया	33
			उप-जोड़	273
VII.	दमन और दीव	1.	रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रासिंग से प्रारंभ होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते धारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात) तक	29
			उप जोड़	29
VIII.	गुजरात	1.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वारका	340
		2.	भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		3.	वदोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यास-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क	245
		4.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165

1	2	3		4
		5.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		6.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150
		7.	राजपिपला-वापी सड़क	339
		8.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		9.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा 8 को जोड़ते हुए	135
		10.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		11.	भावनगर-कर्जन सड़क	210
		12.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क	05.50
		13.	जामनगर-बेडी पोट रोड	04.20
		14.	त्राप्ज-अलंग पोर्ट रोड	08.00
		15.	ज्खाऊ पोर्ट रोड	13.00
		16.	गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड	170
		17.	हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-ऊंचा सड़क	120
		18.	अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		19.	पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		20.	भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		21.	भाभर-देवदार-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		22.	भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		23.	चितरोड-रापड-धोलावीरा सड़क	120
		24.	सुईगम-सिधादा सड़क	40
		25.	जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		26.	राजकोट-अमरेली सड़क	72
		27.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धासा-अमरेली सड़क	180
		28.	वदोदरा-दभोई छोटाउदयपुर सड़क	125
		29.	भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	90.00
		30.	हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रहा-अम्बाजी से आयु गुजरात सीमा सड़क	130
		31.	जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क	440

1	2		3	4
		32.	गणदेवी-वंसदा-वाघई-अहवा-चिंचली से गुजरात सीमा तक	120
		33.	वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		34.	गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क	200
		35.	ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		36.	वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		37.	वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		38.	बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130
		39.	वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक	30.00
		40.	सरखेज-साणंद-वीरमगांव से मालिया के निकट रारा सं. 8ए तक	186
		41.	हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		42.	शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	506
		43.	वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक	125
		44.	गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	220
		45.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	200
			तटवर्ती सड़कें:	
		46.	नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		47.	नालिया-द्वारका	340
		48.	रारा 8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कारजन	200
			उप-जोड़	6857.50
IX.	गोवा	1.	कारसवाड़ा-बिचोलिम-साखली-सुरला-उसगाव-खांदेपार	45
		2.	सांकेलिम-केरी-चोरलेम	35
		3.	मडगाव-पडोदा-केपेम-कुरकोरेम-सेवोरडेम-धरबंदोरा	40
		4.	मोपा-बिचोलिम-सांकलेम-उसगाव	-
		5.	कुर्ती से बोरिम	4
		6.	असनोरा से डोडामार्ग	10
			उप जोड़	134
X.	हरियाणा	1.	अम्बाला कैंट (रारा) से साहा (सारा 73)	15
		2.	साहा (रारा 73) से शाहबाद (रारा 1)	16

1	2		3	4
		3.	अकलाना (रारा 65) सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रार 71)	29.40
		4.	रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच	2.60
		5.	गुड़गांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रार-8 और रारा-10 के बीच)	-
		6.	रोहतक-भिवानी-लोहानी-पिलानी-राजागढ़ (रारा-10 और रारा-65 के बीच)	-
		7.	सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	-
		8.	कैथल-जींद-मुंडल (रारा 65 और रारा 10 के बीच)	-
		9.	बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुतली (रार 10 और रारा 8 के बीच)	-
		10.	कैथल (तितरम मोड)- जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)	-
		11.	कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए)	-
			उप-जोड	63.00
XI.	हिमाचल प्रदेश	1.	होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड	180.00
		2.	यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00
		3.	कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड	207.50
		4.	स्पप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैज सड़क	120.00
		5.	चंडीगढ़ (पीजीआई)-बड्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		6.	सैंज-लूरी-बंजार-औट (बागीतार) सड़क	97.00
	*क.सं. 10 पर बोल्ड खंड	7.	तारादेवी (शिमला-जुब्बारहट्टी-कुनीहर-रामशह-नालागढ़-घनौली (एसएच सं. 6) (हि.प्र. सीमा) सड़क	106.00
	पुनर्सरेखित भाग है	8.	भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		9.	हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00
		10.	ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर	111.80
		11.	स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तट्टापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00
		12.	किश्तवाड़ (जेएंडके) (हि.प्र.)	-
		13.	सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवलसर-नरचोवा-जयदेवी-टाटापानी-धल्ली	-

1	2		3	4
		14.	भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर	142
		15.	किरतपुर-नांगल-भाक्डा-थनकलान-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंझियार-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड	250
		16.	धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-टाटापानी-धल्ली	180
		17.	नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड	115
			उप-जोड	2481.90
XII.	जम्मू और कश्मीर	1.	मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड	164
		2.	टुनेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरवाह-डोडा से जुडने वालारारा-1बी	212
		3.	सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड	38
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड	138
		5.	बारामुला-रफियाबाद-कुपवाडा-तंगधार रोड	126
		6.	कारगील-जंशेकर रोड	234
		7.	डोडा और अनंतांग जिलों में पुल डोडा एग्जिट (पुल डोडा) देसा-गई-कपरन-वेरोमन-रोड	-
		8.	जवाहर टनल एग्जिट (इमोह) वेरिनाग-अचबल-मट्टन-पहलगांव रोड	-
			उप-जोड	912
XIII.	झारखंड	1.	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
		2.	चक्रधपुर-जरईकेला-पंपोश सड़क	140.35
		3.	दुमरी-गिरिदिह-माधुपुर-सरत-देवघर (एसएच-14)	153
		4.	देवघर-चौपा मोड-जरमुंडी-जामा-लाकड़ापहाड़ी (एसएच-15)	62
		5.	एसएच 16 पर हंसदिहा-नोनीहाट-लाकड़ापहाड़ी-दुमका-शिकारीपाडा-सुरीचुहा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा (एसएच-17 का भाग)	95
		6.	एसएच-3 (रारा 23 कामदारा पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा 75 विस्तार)-अरकी-रारा 33 पर तामर)	125
		7.	एसएच-16 (देघर (मोहनपुर)-चौपा मोड-हंसदिहा-गोड्डा-महागामा-महरमा-रारार 80 पर साहेबगंज)	139
			उप-जोड़	1024.55
XIV.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायापटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप	187
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर	612

1	2		3	4
		3.	रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुंडलुपेट सड़क	249
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी. पुरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलुर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा	194
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	385
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कानायकनाहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपटना	679
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूर मालावल्ली सड़क	140
		9.	बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद	144
		10.	बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	336
		11.	चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	250
		12.	पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा-हुबली-बागलकोट-हुमनाबाद	665
		13.	मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45
		14.	गिनिगेरे (कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क	167
		15.	कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क	140
		16.	आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 एक	115
		17.	जेवारगी-बेल्लारी-हतीगुडुर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-सिरिगुप्पा	248
		18.	डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	82
		19.	कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	245
		20.	औड़द-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटरकरवादीन महाराष्ट्र	480
		21.	हेबसुर-धारवाड़-नानगरम-पणजी सड़क	95
		22.	बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानपुर	130
		23.	बंगलौर-रारा-7 (सोमनदेनपाल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक	80

1	2	3		4
		24.	कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं. 64	190
		25.	बेलगांव-बागलकोट-हुनुन्ड सड़क	165
		26.	कोप्पाला-जेवारगी सड़क	215
		27.	नवलकुंड-कुश्तागी सड़क	97
		28.	मानदवाडी-एय.डी. कोटे-जयुपर-कोल्लेगल-सलेम सड़क	197
		29.	वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिहर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105	109
		30.	टाडस-मुडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकारीपुरा-सिमोगा	186
		31.	कुमटा-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी	240
		32.	नंजनगुडु-कामराजनगर	38
		33.	रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्नैनी	159
		34.	कलपेट्टा-मनंतवाडी-कुट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क	180
		35.	देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.कास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क	93
			उप-जोड़	8020
XV.	केरल	1.	तिरुर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
		2.	तिरुवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पौकून्नम-पलई-थोडुपुझा-मुवतुपुझा	246
		3.	चलकुडी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची	70
		4.	कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजालकुडा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरुतुरुथी-शोरपुन-पट्टाम्बी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73)	181
		5.	कोझिकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी)- गुडलूर-ऊटी (60 किमी)	97.7
		6.	वाडकरा-नादपुरम-कुट्टीयाडी-थोट्टीपालम-पाकरमतलम-तरुवन्ना-नालमिम्मली-मानतवड़ी-काट्टीकुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर	90.95
		7.	केरल में तलसेरी (रारा-17)-कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरुपट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टा-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा 212)	54
		8.	तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी	124
			उप-जोड़	1027.65

1	2		3	4
XVI.	मध्य प्रदेश	1.	हरई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशापुर (शापुर-खंडवा को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खरगांव-जुलवानिया	462.00
		2.	जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा	222.00
		3.	भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक	344.00
		4.	दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्	430.00
			उप-जोड़	1458.00
XVII.	महाराष्ट्र	1.	तटवर्ती सड़क	733.87
		2.	अकोला-नांदेड-दुगुलूर-रायचूर	
		3.	कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड-नांदेड-यंतोडल-वर्धा-नागपुर	457.00
		4.	धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1	190
		5.	वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जितूर औंध वासमथ नांदेड बिलौली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2	620
		6.	श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3	77
		7.	इन्दौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरुर पुणे रोहा मुरुद एमएसएच-5	610
		8.	रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ वारंगा नांदेड लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-7	870
		9.	अकोला हिंगोली नांदेड नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7	258
		10.	गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगरतेम्भूरनी मंगलवेध उमडी बोबलाद से राज्यीय सीमा एमएसएच-8	644
		11.	नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9	359
		12.	नांदेड मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10	419
		13.	राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11	240
		14.	घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालन्त मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12	522

1	2		3	4
		15.	मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13	223
		16.	बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14	429
		17.	बानकोट मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुरे पंदरपुर एमएसएच-15	317
		18.	जेएनपीटी से एस.एच. 54 (किमी 6,400 से किमी 14,550) का गावन फाटा खंड	8
		19.	आमरा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 6/200)	6
		20.	अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4	243
		21.	मिसिंग लिंक (एसएच-106) जयगड से रारा-17 (एनएचओ कार्यक्रम के अंतर्गत*)	43
		22.	अहमदनगर-बीड-परभनी सड़क से विद्यमान एमएसएच-3 तक सड़क	287
		23.	एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क	30
		24.	नागर बीड-नांदेड़ लिंक	20
			उप-जोड़	7585.870
XVIII.	मेघालय	1.	फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क	334
		2.	अगिया-मेधिपाड़ा-फुलवाबरी-बारेंगापाड़ा सड़क	224
			उप-जोड़	558
XIX.	मणिपुर	1.	चुड़ाचांदरपुर से तुइवई वाया सिंघाट-सिंगजावल सड़क	163
		2.	कांगपोकपी से तर्मेगलोंग वाया तमेई	120
		3.	बिसनपुर से हॉफलोंग वाया रेंगपांग खोंगशांग, तमेंगलांग और तौसेम	-
		4.	तदुबी-उखरूल वाया पौमाता ब्लॉक मुख्यालय तुंहजोय, फैबुंग ब्लॉक मुख्यालय तोल्लोई	115
			उप-जोड़	398
XX.	मिजोरम	1.	कीतम से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क	179
		2.	लांगतलाई-म्यांमार सड़क	-
			उप-जोड़	179
XXI.	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2.	नागालैंड में हाफलौंग-माहुर-लायके-नागालैंड में कोहिमा	182
		3.	नागालैंड में त्वेनसांग-असम में नांगिनी मोरा-शिवसागर (सिमुलगुड़ी)	265
		4.	मोकुकचुंग और चारे के बीच सड़क जो रारा 61 को रारा 155 से जोड़ती हैं	8
		5.	त्वेनसांग से तुली वाया मोन-तिजित	308
		6.	दीमापुर से किफिरे	256
			उप-जोड़	725

1	2		3	4
XXII.	ओडिशा	1.	कटक-पारादीप	82.00
		2.	सम्बलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3.	जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4.	फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5.	बरहमपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6.	काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क	92.50
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क	40.49
		8.	करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा	37.00
		9.	राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10.	कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क	31.00
		11.	जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12.	ढेंकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13.	जयपोर-मल्कानगिरि-मोतु सड़क	323.00
		14.	माधपुर-केराडा-संरगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागाडा	292.6
			उप-जोड़	1877.47
XXIII.	पुदुचेरी	1.	करईकल-नेंदुनगदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क	
		2.	करईकल-पेरालम-मईलादुतुरई-सिरकाली सड़क	
		3.	करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क	
		4.	सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक	
		5.	चेन्नै से पुडुचेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
XXIV.	पंजाब	1.	एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	-
		2.	एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होश्यिारपुर	-
		3.	तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड) तक गुरु गोबिंद सिंह मार्ग	2480
			उप-जोड़	2480

1	2		3	4
XXV.	राजस्थान	1.	बूंदी (रारा-12)-बिजोलिया-लदपुरा-भीलवाडा-गंगापुर-राजसमंद (रारा-8)	50
		2.	पाली-देसुरी-वाया नाडोल	93
		3.	लंबिया-रास-व्यावर-बडनोर-असिंद-मंडल (रारा-76)	148
		4.	मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाई माधोपुरा-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)	332
		5.	मवली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौसिंग-कुम्भलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)	130
		6.	रतलाम-बांसवाडा-सगवाडा-डूंगरपुर-खैरवाडा-कोटरा-स्वरूपगंज (रारा-14) सड़क	310
		7.	जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)	366
		8.	मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड़ा-सलुमबेर-डूंगरपुर-बिचिवाड़ा (रारा-8)	226
		9.	श्री गंगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहार-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-अजीतगढ़-शहपुरा (रारा-8)	474
		10.	फतेहपुर (रारा-11)-झुंझुनू-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा) नारनौल-नमोल वाड़ी (रारा-8)	164
		11.	भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)	301
		12.	कोसी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर (रारा-3)	139
		13.	स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवान-बलोतरा(रारा-112)-फलोदी	343
		14.	मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		15.	नसीराबाद-देवली सड़क	95
		16.	कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		17.	स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़-रोड	147
		18.	फलोदी-नागोर-रोड	140
		19.	श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर	115
		20.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		21.	गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाड़मेर	306
		22.	नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	176

1	2	3		4
		23.	किरकी चौकी-भिण्डर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर	146
		24.	होडल-पुनहाना-महारतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		25.	रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु	171
		26.	सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)	681
		27.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधौपुर	248
		28.	बाड़मेर (रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाडा-मंडलगढ़	446
		29.	जयपुर (रारा-12)-दिग्गली-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)	123
		30.	पाली-उदयपुर रोड	-
		31.	गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67	45
		32.	भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, शेष एसएच-1)	15
		33.	बाघेर से तीनधार वाया मंडावर	16
			उप-जोड़	5744
XXVI.	सिक्किम	1.	नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	-
		2.	सिंगधम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी	-
		3.	रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली	-
		4.	रानीपुल और रोराथंग से गुजते हुए पाकयोंग	-
		5.	रानीपुल से बुरतुक तक प्रस्तावित वैकल्पिक राजमार्ग	23
		6.	ताशी व्यू प्वाइंट से हनुमान टोक और नथुला से आगे तक इंदिरा बाइपास-वेस्ट	64
			उप-जोड़	87
XXVII.	तमिलनाडु	1.	सती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 82)	52.80
		2.	अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क	99.60
		3.	त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		4.	करुईवुडी-डिंडीगुल सड़क	86
		5.	तिरूचिरापल्ली-लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्टुमन्नागडी-चिदंबरम	140.00
		6.	तंजावूर-अदनाक्कोट्टई-पुडुकोट्टई	60.00

1	2		3	4
		7.	डिंडिगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क	120.40
		8.	कुडलोर-चित्तूर सड़क	203
			उप-जोड़	839.20
XXVIII.	त्रिपुरा**		कुकीताल से सबरुम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-जनतबाड़ी-सिल्चर-रुपईचारी	310
XXIX.	उत्तर प्रदेश**	1.	कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2.	सिरसागंज-करहल-किशनी-विधुना-धौबेपुर सड़क	161.53
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4.	जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
		6.	लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		7.	लखनऊ-बांदा	148.52
		8.	पीलीभीत:बरेली-बदायूं-कासंगज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		9.	पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क	128
		10.	दिल्ली-यमनोत्री सड़क	206
		11.	फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क	20.725
		12.	सीतापुर-बहराईच-बलरामपुर-महाराजगंज-पंडरोना सड़क	449.50
			उप-जोड़	2094.813
XXX.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुन-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
		2.	बाडवाला से जुडू (हरबरतपुर-बाडकोट बैंड)	18
		3.	बौखल-घुरदौरी-देवप्रयाग	49
			उप-जोड़	773
XXXI.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक	102

1	2	3		4
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगलादेश सीमा) तक	390.90
		3.	राधामोनी (रारा 41 पर)-पांसकुरा-घातल-आरामबांग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरेग्राम (रारा 34 पर)	275
		4.	नंदकुमार-दीघा-चांदनेश्वर (एसएच-4)	91
		5.	गजोले-बुनियाद्पुर-ओस्तीराम-त्रिमोहिनी-हिल्ली	100
		6.	नयाग्राम (उड़ीसा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुडा-दुर्गपुर (एसएच-9)-पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)	327
			उप-जोड़	1285.90
			जोड़	62239.743

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा

2008-09

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	229	अरुणाचल प्रदेश में तवांग से शुरू होकर बोमडिला, नेचीपू, सेपा, सगली, जिरो, दपोरिजो, अलौंग से गुजरते हुए पालीघाट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	1090
अरुणाचल प्रदेश	रारा 50 बी का विस्तार	अरुणाचल प्रदेश में महादेवपुर से शुरू होकर नमचिक, चांग्लांग, खोन्सा और कनुबारी से गुजरते हुए असम में डिब्रूगढ़ के समीप बोगीबील पुल के पहुंच मार्गों पर समाप्त होने वाल राजमार्ग	450
अरुणाचल प्रदेश	रारा 37 का विस्तार	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 का असम में सेखोवाघाट के समीप इसके अंतिम सिरे से अरुणाचल प्रदेश में रोइंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक विस्तार किया गया है	60
तमिलनाडु	रारा-226 का विस्तार	तमिलनाडु में पेराम्बलूर से शुरू होकर पेराली, कीलापलूर, अरियालूर, कुन्नाम, तिरुवैयारू, कांडीयूर को जोड़ते हुए तंजावुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 226 से मिलने वाला राजमार्ग	85
तमिलनाडु	230	तमिलनाडु में मदुरै से शुरू होकर तिरुपुवनम, पूवांधी, शिवगंगा, कलैयरकोयल, तिरुवदनै को जोड़ते हुए टोंडी पोर्ट टाउन में समाप्त होने वाला राजमार्ग	82

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	रारा-2बी का विस्तार	पश्चिम बंगाल में बोलपुर से शुरू होकर प्रांतिक, मयूरेश्वर को जोड़ते हुए मोल्लारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के जंक्शन पर होने वाला राजमार्ग	54
हिमाचल प्रदेश	20ए	हिमाचल प्रदेश में रारा 20 के जंक्शन पर नगरोता से प्रारंभ होकर रानीताल, देहरा को जोड़ते हुए और रारा 70 के जंक्शन पर मुबारिकपुर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	91
हिमाचल प्रदेश	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	109
उत्तराखंड	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	51
उत्तर प्रदेश	231	उत्तर प्रदेश में रायबरेली में प्रारंभ होकर सलोन, प्रतापगढ़, मछलीशहर को जोड़ते हुए जौनपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	169
	232	उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर (टांडा) से प्रारंभ, होकर सुलतानपुर, अमेठी, रायबरेली, लालगंज, फतेहपुर को जोड़ते हुए बांदा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	305
	232ए	उत्तर प्रदेश में उन्नाव से प्रारंभ होकर लालगंज (रारा 232 का जंक्शन) में समाप्त होने वाला राजमार्ग	68
	233	उत्तर प्रदेश में भारत/नेपाल सीमा (लुम्बिनी को जोड़ते हुए) से प्रारंभ होकर, नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बंसी, बस्ती, टांडा, आजमगढ़ में गुजरते हुए वाराणसी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	292
	235	उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रारंभ होकर हापुड, गुलावठी को जोड़ते हुए बुलंदशहर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	66
आंध्र प्रदेश	18ए	आंध्र प्रदेश में पुतलापट्टु से प्रारंभ होकर तिरूपति में समाप्त होने वाला राजमार्ग	42
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	234	कर्नाटक में मंगलौर से प्रारंभ होकर बेल्टानगडी, मुदीगेरे, बेलूर, हुलियार, सीरा, मधुगिरि, चिंतामणि जो जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में वेंगटगिरि कोटा से होते हुए तमिलनाडु में पेरणामपेट, गुडियापट्टम, काटपाडी, वेल्लौर, पुष्पगिरि, पोलुर से गुजरने वाला और तिरूवनामलाई-विल्लुपुरम में समाप्त होने वाला राजामार्ग	780

1	2	3	4
		2009-10	
दिल्ली/हरियाणा	236	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महरौली से प्रारंभ होकर अंधेरिया मोड़-छतरपुर टी प्वाइंट जो जोड़ते हुए हरियाणा में रारा-8 पर गुड़गांव में समाप्त होने वाला राजमार्ग	13.45
मध्य प्रदेश	69ए	मध्य प्रदेश में विद्यमान रारा-69 पर मुल्तई से प्रारंभ होकर चिखली, दुनावा, छिंदवाड़ा, चौरई को जोड़ते हुए और रारा-7 पर शिवनी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	154.21
मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	26बी	मध्य प्रदेश में विद्यमान 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होकर अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सिवनेर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	मध्य प्रदेश में 202.593 महाराष्ट्र में 15.17

2010-2011

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी)
		कोई नहीं	

2011-2012 [3 अगस्त, 2011]

राज्य	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	पुरानी रारा संख्या
राजस्थान और उत्तर प्रदेश	123	राजस्थान में धौलपुर में रारा 23 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राजस्थान में सेपउ को, उत्तर प्रदेश में सरेंधी को, राजस्थान में घटोली, रूपवास, खनुआवा (खनुआ) को जोड़ते हुए ऊंचा नंगला में समाप्त होने वाला राजमार्ग	3ए
राजस्थान	148डी	राजस्थान राज्य में भीम में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा 48 पर परसौली, गुलाबपुरा को, शाहपुरा, जहाजपुरा, हिंडोली, नैनवा को जोड़ते हुए रारा-552 पर उनियारा में समाप्त होने वाला राजामार्ग	116ए
राजस्थान और गुजरात	रारा 58 का विस्तार	राजस्थान राज्य में उदयपुर से प्रारंभ होकर कुमदल, नया खेडा, झाडोल, सोम, नालवा दैया को जोड़ते हुए गुजरात में ईदर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	76ए
राजस्थान	458	राजस्थान राज्य में लाडनू में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खाटू, डेगाना, मेइता सिटी, लांबिया, जैतरन, रायपुर को जोड़ते हुए रारा 58 पर भीम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	65ए
राजस्थान	758	राजस्थान राज्य में राजसमंद में रारा-58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गंगापुर, भीलवाड़ा को जोड़ते हुए लाडपुरा में रारा 27 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	76बी

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों हेतु रक्षित अयस्क खानें

2948. श्री कपिल मुनि करवारियाः
श्री रामसुन्दर दासः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अनेक निजी/सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के पास अपनी रक्षित लौह अयस्क खानें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन की लागत उन संयंत्रों की तुलना में अधिक है जिनके पास रक्षित लौह अयस्क खानें हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), जिसके पास बोकारो (झारखंड) दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), राउरकेला (ओडिशा), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल), भिलाई (छत्तीसगढ़) में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं, और टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर (झारखंड) लौह अयस्क की अपनी आवश्यकता के एक बड़े भाग को अपनी स्वयं की कैप्टिव खानों से पूरा करते हैं। सभी अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक या तो आंशिक रूप से अपनी आवश्यकता कैप्टिव स्रोतों से पूरी करते हैं या लौह अयस्क की पूरी आवश्यकता बाजार से प्राप्त करते हैं।

(ग) इस्पात की उत्पादन लागत कच्चे माल, ढुलाई लागत, प्रौद्योगिकी, जनशक्ति, ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तथापि, लोहा और इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क एक प्रमुख कच्चा माल होने के कारण प्रमुख इस्पात उत्पादकों, जिनके पास कैप्टिव लौह अयस्क खानें हैं को इस्पात की उत्पादन लागत पर संगत लाभ होता है।

(घ) खान मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की सलाह से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन पट्टे के आधार पर लौह अयस्क खानों का आबंटन किया जाता है। अतः जब कभी कैप्टिव लौह अयस्क खानों के आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं तब उनकी जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए खान मंत्रालय को सिफारिश की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

2949. श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री नित्यानंद प्रधानः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रति दिन 20 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर मध्य प्रदेश में कुल कितनी निधियां आबंटित की गईं तथा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा क्या उपलब्धि प्राप्त हुई;

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की कार्य योजना क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं का पुनर्गठन करने हेतु निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या किये जाने का विचार है; और

(छ) ओडिशा से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित विजयवाड़ा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 2009-10 से लक्षित और पूरी की गई लंबाई इस प्रकार हैः

(लंबाई किमी में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से इतर	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	3165.00	2693.00	2458.50	2315.19
2010-11	2500.00	1780.00	2467.93	2156.74
2011-12	2500.00	822.85*	2254.00@	768.38*

*अक्टूबर, 2011 तक @अनंतिम

पूरी की गई लंबाई, पूरा करने के लिए उपलब्ध कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 में केवल 1234 किमी और वर्ष 2008-09 में 643 किमी कार्य सौंपा। पूर्व वर्षों में सौंपे गए कार्य की इस तुलनात्मक रूप से कम मात्रा के परिणामस्वरूप उत्तरवर्ती वर्षों में पूरा करने के लिए कम लंबाई उपलब्ध रही और लक्ष्य/संपूर्णता दर भी कम रही।

(ग) लक्ष्यों को योजनावार निर्धारित किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्मित लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण विकास के लिए आबंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

(घ) वित्तीय सीमाओं की वजह से, मंत्रालय, वित्तीय न्यूनता को दूर करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि का सहारा ले रहा है जिसमें निर्माण पर व्यय, निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ओडिशा में विजयवाड़ा-रांची मार्ग की लंबाई 1219 किमी है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 239 किमी और राज्यीय सड़कों की लंबाई 980 किमी है। सरकार ने ओडिशा में राज्यीय सड़कों की 600 किमी लंबाई को दो लेन में विकसित करने की एक योजना अनुमोदित की है, जिसमें से 338.00 करोड़ रु. की लागत से 199 किमी लंबाई की तीन परियोजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन अनुमोदित किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्मित लंबाई का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई (किमी में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्टूबर 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	263.18	423.83	247.81	21.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	16.43	32.00	5.74

1	2	3	4	5	6
3.	असम	88.42	229.70	268.41	47.64
4.	बिहार	131.50	241.51	219.91	49.00
5.	छत्तीसगढ़	147.09	188.87	99.30	22.00
6.	दिल्ली	6.40	2.90	29.80	0.50
7.	गुजरात	238.54	163.48	112.82	41.60
8.	हरियाणा	122.99	169.23	173.80	27.00
9.	हिमाचल प्रदेश	67.92	28.34	61.84	36.73
10.	जम्मू और कश्मीर	176.93	221.07	125.82	45.37
11.	झारखंड	68.59	88.12	113.36	11.00
12.	कर्नाटक	166.51	323.71	291.00	47.00
13.	केरल	49.65	14.20	36.50	16.75
14.	मध्य प्रदेश	295.36	190.85	343.84	77.07
15.	महाराष्ट्र	265.36	190.85	343.84	77.07
16.	मणिपुर	19.65	14.20	36.50	16.75
17.	मिजोरम	32.61	18.63	1.85	11.90
18.	नागालैंड	57.00	74.00	67.98	16.00
19.	ओडिशा	132.11	293.99	238.03	70.80
20.	पंजाब	151.67	185.86	134.69	18.90
21.	राजस्थान	710.97	185.86	134.69	18.90
22.	तमिलनाडु	602.27	513.19	265.43	27.70
23.	त्रिपुरा	9.14	5.46	14.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	377.56	721.93	523.63	63.00
25.	उत्तराखंड	140.52	24.50	41.16	19.63
26.	पश्चिम बंगाल	104.00	158.84	91.15	36.00

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित और खर्च की गई निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन				व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^ (अक्टूबर, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	192.97	348.39	254.77	167.99	196.38	348.39	254.77	55.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
3.	असम	88.25	206.29	177.64	231.43	87.65	206.29	177.64	50.33
4.	बिहार	104.02	245.45	199.15	225.54	95.02	245.45	199.15	87.77
5.	चंडीगढ़	3.39	2.95	8.81	6.00	3.39	2.95	8.81	0.00
6.	छत्तीसगढ़	67.42	79.65	53.53	98.05	65.74	79.65	53.53	15.75
7.	दिल्ली	15.80	17.21	52.58	8.00	15.80	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	34.39	33.16	30.14	8.00	15.80	17.21	52.58	5.70
9.	गुजरात	102.33	150.16	111.60	124.96	101.06	150.26	111.60	58.02
10.	हरियाणा	103.23	152.16	143.69	81.00	103.23	152.16	143.69	70.13
11.	हिमाचल प्रदेश	76.21	80.46	95.72	136.26	76.21	80.46	95.72	44.98
12.	झारखंड	96.41	117.90	112.70	105.00	96.41	117.90	112.70	31.12
13.	कर्नाटक	215.30	305.43	276.65	343.31	214.91	305.42	276.65	134.34
14.	केरल	72.53	141.23	109.00	173.82	73.20	141.23	109.00	64.56
15.	मध्य प्रदेश	110.14	150.16	134.24	96.69	98.35	105.16	134.24	46.77
16.	महाराष्ट्र	195.18	326.18	265.53	286.52	196.87	326.18	265.53	90.31
17.	मणिपुर	23.77	19.54	68.88	78.28	23.65	19.65	63.88	9.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मेघालय	51.60	61.54	79.08	70.55	50.77	61.54	79.08	18.87
19.	मिजोरम	13.55	5.52	24.23	60.00	13.55	5.52	24.23	6.10
20.	नागालैंड	30.60	30.46	26.94	54.00	30.60	30.46	26.94	11.22
21.	ओडिशा	209.55	333.70	230.71	313.28	208.84	333.70	230.71	124.97
22.	पुदुचेरी	2.95	9.22	3.93	5.00	2.95	9.22	3.93	3.07
23.	पंजाब	156.77	188.49	115.00	129.11	156.77	188.49	115.00	63.55
24.	राजस्थान	214.35	140.24	147.31	183.08	216.54	140.23	147.31	61.94
25.	तमिलनाडु	133.77	168.40	182.13	188.96	131.96	168.40	182.13	62.21
26.	उत्तर प्रदेश	223.51	433.21	452.55	359.21	222.20	433.21	425.55	108.72
27.	उत्तराखंड	112.40	160.91	130.83	141.46	112.29	160.91	130.83	18.38
28.	पश्चिम बंगाल	95.30	147.00	120.61	210.00	95.30	147.00	120.61	70.92
29.	अंड. और निको. द्वीपसमूह*	0.00	0.00	1.89	5.00	0.00	0.00	1.89	2.13
30.	भा.रा.रा प्रा.*	12566.47	11744.70	17918.94	28412.90	10497.21	9017.96	1256.94	7356.05
	सी.स.सं.	650.00	756.00	760.00	700.00	645.80	723.49	714.31	203.37
	एसएआरडीपीएनई*	1000.00	1200.00	1500.00	1600.00	643.72	658.55	1004.81	693.32
	एलडब्ल्यूई*	0.00	125.00	750.00	1200.00	0.00	5.00	718.05	394.75

*राज्य-वार आवंटन नही किए जाते।

^अनंतिम

वृद्ध आश्रम

2950. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री निशिकांत दुबेः
डॉ. किरोड़ीलाल मीणाः
श्री आधि शंकरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वृद्ध आश्रमों के निर्माण/अनुरक्षण हेतु क्या मानदण्ड/दिशा निर्देश अपनाए जा रहे हैं;

(ख) इन वृद्ध आश्रमों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने वृद्ध आश्रमों की स्थापना हुई तथा लाभग्राहियों की संख्या कितनी रही;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को नये वृद्ध आश्रमों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनायें तथा विचाराधीन परियोजनायें तथा उन लंबित प्रस्तावों जिन्हें स्वीकृत किये जाने की संभावना है सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं हेतु राज्य-वार राज्य सरकारों को कितनी निधियां प्रदान की गईं या प्रदान किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस समय, वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

मंत्रालय की वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों की सहायता अनुदान समितियों की अनुशंसा के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों इत्यादि को वृद्धाश्रमों के संचालन और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों के मामले में, उन्हें सहायता हेतु पात्र होने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाली पंजीकृत सोसाइटियां होनी चाहिए।

(ख) वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत, वर्ष 2008-09 से सहायता प्रदत्त वृद्धाश्रमों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इन आश्रमों के प्रत्येक के लिए 25 सहवासियों के लिए स्वीकृत किया गया है।

(ग) योजना के अंतर्गत, वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सहायता प्रदत्त वृद्धाश्रमों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	91
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	15
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	दिल्ली	1
7.	हरियाणा	6
8.	कर्नाटक	40
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	मणिपुर	19
12.	पंजाब	5
13.	महाराष्ट्र	15
14.	ओडिशा	50
15.	राजस्थान	5
16.	तमिलनाडु	46
17.	त्रिपुरा	0
18.	उत्तर प्रदेश	17
19.	उत्तराखंड	2
20.	पश्चिम बंगाल	26

[अनुवाद]

व्यापार घाटे में वृद्धि

2951. चौधरी लाल सिंहः
श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्रीमती रमा देवीः
श्री धनंजय सिंहः
श्री सुरेश अंगड़ीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश के व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान वस्तु-वार, मूल्य-वार और देश-वार आयात एवं निर्यात के निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है; और

(ङ) गिरती निर्यात वृद्धि दर तथा बढ़ते व्यापार घाटे की प्रवृत्ति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए व्यापार घाटा का विवरण निम्नलिखित है

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में

वर्ष	व्यापार घाटा
2008-09	118
2009-10	110
2010-11	119
2011-12 (अप्रैल-अक्तूबर)	94

(अनंतिम)

विशेषकर विकसित देशों में वैश्विक मंदी एवं आर्थिक मंदी जिससे मांग में कमी हुई है, व्यापार घाटा का एक प्रमुख कारण है।

(ग) आयात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वित्त वर्ष 2009, वित्त वर्ष 2011 एवं वित्त वर्ष 2012 के लिए निर्यात लक्ष्य क्रमशः 175, 200 तथा 300 बिलियन अमरीकी डॉलर हैं। वित्त वर्ष 2010 के कोई लक्ष्य निर्धरित नहीं है। वित्त वर्ष 2009, वित्त वर्ष 2010, वित्त वर्ष 2011 तथा वित्त वर्ष 2012 (अप्रैल-अक्टूबर) (अनंतिम) के दौरान निस्पादित निर्यात क्रमशः 185, 179, 251 तथा 180 बिलियन अमरीकी डा. है। वस्तु-वार तथा देश-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (अप्रैल-जुलाई) के लिए व्यापार घाटा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन को बढ़ावा देने तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए बजट 2009-10 एवं 2010-11 में की गई घोषणा; विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में; उसके बाद जनवरी/मार्च 2010 में; 23 अगस्त, 2010 को जारी एफटीपी के वार्षिक परिशिष्ट में; तथा फरवरी 2011 में किए गए घोषणा सहित प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में सरकार तथा भारतीय रिर्जव बैंक के द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। विभिन्न निर्यात बाजारों में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने तथा हमारे बाजारों एवं उत्पादों में विविधता लाने के लिए स्कीमों अर्थात फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम तथा विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

विवरण

मूल्य मिलियन अमरीकी डा. में

देश	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-12 (जुलाई 11 तक (अनंतिम)
1	2	3	4	5
नीदरलैण्ड	4433.74	4267.56	5898.74	3149.97
यूएसए				
श्रीलंका डीएसआर				
सिंगापुर	790.07	1137.60	3163.40	4854.82

1	2	3	4	5
बांग्लादेश पीआर	2184.76	2179.11	3159.64	851.01
बहामास	-38.14	883.30	2168.61	1100.66
केन्या	1279.93	1373.07	2164.00	725.88
पाकिस्तान आईआर	1069.71	1297.38	2001.11	306.34
तुर्की	-87.55	-64.44	1936.69	1081.75
यूके	777.21	1759.72	1743.74	445.63
नेपाल	1074.11	1080.70	1691.00	754.83
संयुक्त अरब अमीरात	686.23	4471.30	1595.94	1496.03
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	1329.99	1317.14	1594.66	427.59
फ्रांस	-1611.62	-372.34	1363.38	101.69
तंजानिया गणराज्य	860.77	682.43	1170.37	656.57
स्पेन	1514.35	933.73	1069.26	638.78
हांगकांग	203.11	3153.51	914.25	-721.44
मिस्र एआरपी	-421.47	-288.48	903.36	-464.85
मॉरीसस	992.43	442.54	785.05	423.08
इजराइल	-631.86	83.53	776.24	511.67
माल्टा	94.95	696.74	709.65	186.82
तिमोर लेस्टे	0.67	1.21	544.37	0.00
मोजाम्बिक	395.50	289.62	503.70	204.50
घाना	365.22	243.51	498.60	168.24
सीरिया	206.58	200.74	487.42	206.68
फिलिपीन्स	489.00	435.70	453.35	253.25
पुर्तगाल	383.52	303.51	446.90	112.39
ब्राजील	1465.47	-1023.68	421.92	804.89

1	2	3	4	5
जिबूती	356.30	264.67	366.23	354.64
इटली	-603.61	-461.81	295.28	373.64
पोलैण्ड	252.33	33.84	290.39	54.32
युगांडा	198.46	193.55	284.70	133.36
बहरीन दीपसमूह	-1156.30	-252.65	270.93	432.84
ऑस्ट्रिया	-210.97	-536.63	270.07	234.67
पेरू	38.37	137.71	268.04	-17.42
अफगानिस्तान टीआईएस	267.99	338.36	265.75	186.68
ग्रीस	808.94	298.67	265.45	373.13
इथियोपिया	236.62	235.08	242.69	143.38
डेनमार्क	106.21	-11.95	221.52	34.40
कोरिया डीपीआरपी	880-46	413.67	189.76	94.61
रोमानिया	157.18	105.46	180.34	-46.49
सोमानिया	64.14	13.32	163.19	42.28
लेबनान	119.55	124.55	154.19	64.45
जिब्राल्टर	9.44	647.94	137.50	68.31
टोगो	8.18	94.14	112.11	51.39
बेनिन	91.77	97.92	111.00	157.62
जिम्बाब्वे	45.22	27.60	101.90	47.76
स्लोवेनिया	85.52	74.44	92.00	52.95
जाम्बिया	-100.97	-13.88	79.76	32.08
आइसलैण्ड	9.23	7.11	79.67	31.05
मलावी	82.30	-22.40	78.14	74.26
मालदीव	123.94	76.23	75.28	40.77

1	2	3	4	5
उरूग्वे	50.82	32.29	73.06	64.10
ग्वाटेमाला	78.47	81.41	70.84	50.47
माली	30.12	38.38	70.30	34.15
क्रोएशिया	70.06	62.79	69.74	55.62
डोमिनिक गणतंत्र	41.48	45.70	64.25	41.00
होण्डरास	65.31	20.19	59.16	25.33
हैती	42.67	31.69	58.93	17.69
कम्बोडिया	44.18	40.49	55.90	29.57
मेडागास्कर	231.89	66.68	51.63	9.36
सियरा लियोन	41.65	32.99	48.35	29.17
नीदरलैण्ड एण्टिल	17.27	28.70	47.87	11.16
बुर्किना फासो	8.22	30.32	39.97	22.23
उजबेकिस्तान	-25.21	24.06	38.84	-6.26
पराग्वे	38.42	31.83	36.96	17.10
नाइजर	25.81	37.65	36.41	59.88
रवाण्डा	26.98	26.19	33.71	14.76
पुर्तो रिको	55.83	74.38	33.15	27.79
मॉरीतेनिया	31.28	29.04	30.61	13.59
जॉर्जिया	55.92	45.56	30.43	0.91
कजाकिस्तान	-27.35	-18.37	29.46	39.25
गाम्बिया	2.05	8.05	29.14	2.25
निकारागुआ	20.09	22.85	27.69	16.20
क्यूबा	35.87	21.72	25.50	11.86
लाइबेरिया	-115.89	10.53	25.13	32.32

1	2	3	4	5
नामीबिया	89.39	21.19	24.50	15.49
फिजी द्वीपसमूह	89.71	25.35	24.35	12.13
इरीट्रिया	10.39	29.17	23.87	2.69
साइप्रस	91.76	32.72	21.97	8.85
सेशल्स	96.24	18.45	21.86	12.70
जमेका	21.38	20.20	21.54	8.12
किर्गिस्तान	21.89	26.20	21.16	9.99
सर्बिया एवं मोन्टेंगरो संघ	0.79	6.98	19.89	0.00
आयरलैण्ड	210.71	-4.25	19.52	-8.97
रीयूनियन	12.84	18.83	19.11	6.34
एल सल्वाडोर	10.94	8.00	18.24	7.50
बुल्गारिया	12.55	18.26	18.17	-22.17
मंगोलिया	-2.49	6.72	17.17	6.40
तुर्कमेनिस्तान	29.30	26.15	16.41	7.86
लेसोथो	34.20	13.84	16.18	4.47
बुरूण्डी	13.35	11.91	16.12	6.91
टोकेलाउ द्वीपसमूह	0.02	-0.01	14.93	0.00
सेनेगल	71.46	48.33	14.18	121.52
लाओ पीडीआरपी	8.47	3.12	13.84	-21.27
अरमेनिया	17.20	15.52	12.56	4.45
बेलीज	2.78	2.10	12.51	8.32
सूरीनाम	12.26	14.79	11.84	1.45
अल्बानिया	11.96	8.24	11.46	87.07
चाड	12.54	0.00	11.33	13.56

1	2	3	4	5
इक्विटल गिनी	6.22	261.43	11.05	6.67
न्यू केलेडोनिया	6.27	0.48	9.59	19.62
बोलीविया	2.31	6.41	8.96	4.84
बोत्सवाना	4.46	15.12	7.93	19.61
मॉलदोवा	-0.37	5.49	7.70	2.89
मेसेडोनिया	9.83	19.65	7.13	2.95
एस्टोनिया	33.76	4.02	6.61	14.91
ग्वाडेलूप	1.45	3.55	6.47	3.13
गुयाना	1.52	7.98	6.09	-3.08
बारबाडोस	3.80	4.10	5.33	2.29
मार्टीनीक	43.89	5.55	5.02	1.87
एफआर गुआना	30.72	1.67	3.30	-0.49
मध्य अफीका गणराज्य	-0.03	4.53	2.49	0.57
वनवातु गणराज्य	-1.95	2.27	2.29	0.96
सेंट लुसिया	-24.51	0.68	2.19	0.17
डॉमिनिका	2.09	2.48	2.11	0.57
गुआम	0.47	0.58	1.74	0.72
समोआ	0.64	1.40	1.40	0.91
मकाओ	5.24	40.22	1.21	0.15
क्रिसमस द्वीप समूह	-0.41	-4.92	1.14	0.00
एफआर पालिनेशिया	1.20	0.81	1.00	0.67
ग्रेनाडा	0.38	0.57	1.00	0.37
साओटोम	0.92	1.17	0.95	-9755.53
सोलोमन द्वीपसमूह	0.37	-0.20	0.93	-1.98

1	2	3	4	5
बरमुडा	-63.27	0.63	0.86	0.44
वर्जिन द्वीप समूह	-0.21	1.74	0.83	0.36
सेंटकिट एनए	0.71	1.44	0.74	0.15
माइक्रोनेशिया	0.08	0.17	0.63	0.18
नॉस्फो द्वीपसमूह	-0.45	-0.70	0.60	-0.04
पनामा सी जेड	0.95	-26.28	0.56	0.03
टोन्गा	0.12	0.49	0.50	0.24
मोंटसेरात	0.19	0.13	0.47	0.01
हर्ड मैक्डोनाल्ड	-0.03	0.00	0.45	0.00
सेंट विनसेंट	-6.20	-0.68	0.41	0.11
पिटकेर्यन द्वीपसमूह	0.03	0.00	0.27	0.00
अण्डोरा	0.80	0.20	0.26	0.00
केमन द्वीपसमूह	0.43	-0.67	0.25	0.36
कोमोरोस	25.21	8.61	0.25	3.17
अंग्युला	0.08	0.05	0.16	0.04
कनारी द्वीपसमूह	0.00	0.06	0.14	0.00
प्रशांत द्वीपसमूह	0.00	0.04	0.13	0.00
टुवालु	6.54	0.16	0.12	0.00
सेंट हेलेना	0.18	0.07	0.10	0.00
अंटार्टिका	-0.04	0.03	0.09	0.89
एन. मैरीआना द्वीपसमूह	0.36	0.28	0.08	0.00
वॉलिस एफ द्वीपसमूह	0.14	0.16	0.07	0.10
अमेरी समोआ	-0.11	0.27	0.05	0.89

1	2	3	4	5
सेंट पियर	-0.02	0.05	0.05	0.00
ग्रीनलैण्ड	0.08	0.21	0.02	0.02
पलाऊ	0.22	0.00	0.02	0.01
निऊ द्वीपसमूह	0.01	0.06	0.01	0.00
चैनल द्वीपसमूह	0.05	0.00	0.00	0.02
न्युट्रल जोन	0.01	0.00	0.00	0.03
सहारवी ए. डी.एम. गणराज्य	0.06	7.29	0.00	0.00
एफआरएस एन्ट टीआर	0.00	0.00	0.01	0.00
टर्कस सी द्वीपसमूह	-1.04	1.70	0.03	0.03
कुक द्वीपसमूह	0.13	0.03	0.04	0.00
लिचेन्स्टीन	4.84	0.02	0.06	0.22
किरीबाती गणराज्य	1.96	0.33	0.33	0.17
अरूबा	1.86	-48	0.55	-08
बीआर वर्जिन द्वीपसमूह	34.45	81.41	0.68	0.74
मोनाको	0.02	0.58	0.72	1.55
मार्शल द्वीपसमूह	-0.05	0.06	1.16	0.58
फॉकलैण्ड द्वीपसमूह	-0.85	-0.73	-1.31	-1.35
कॉन्गो डी गणराज्य	-101.80	-134.59	-1.58	0.72
केप वर्डी द्वीपसमूह	0.06	0.59	-1.64	-0.40
नाउरू गणराज्य	-27.95	-15.64	-3.94	-4.92
तजाकिस्तान	-0.76	-1.14	-5.25	5.26
फैरो द्वीपसमूह	0.04	0.08	-6.61	0.10
एण्टीगा	2.91	1.44	-14.75	0.30

1	2	3	4	5
बोस्निया-हर्जेगोविना	4.12	2.21	-16.26	-8.16
गिनी	-210.25	-240.89	-16.91	48.55
लक्समबर्ग	-13.27	-29.07	-17.98	- -14.02
त्रिनिडाड	235.92	91.47	-19.85	-92.96
कैमरून	61.49	-60.16	-20.03	70.58
स्वाजीलैण्ड	1.90	-12.75	-22.61	0.48
भूटान	-40.64	-34.25	-25.57	0.15
स्लोवाक गणराज्य	-10.18	-4.54	-31.25	-1.70
ट्यूनिसिया	-388.70	-39.28	-32.07	46.00
कोस्टारिका	-38.88	-61.39	-34.39	-38.97
लिथुआनिया	-512.41	-6.30	-43.67	-27.12
इक्वाडोर	92.97	22.73	-43.87	60.39
कोकोस द्वीपसमूह	-0.05	-0.01	-47.96	-0.01
गिनी बिसाउ	-68.97	-181.01	-56.41	-41.77
पनामा गणराज्य	-12.42	-288.26	-70.63	56.11
लात्विया	-68.94	-107.77	-92.63	-41.24
सुडान	69.54	-13ए94	-111.41	286.93
हंगरी	249.35	74.73	-125.24	-43.21
कोटे डी आइवरी	-226.85	-175.84	-156.58	-35.87
अजरबैजान	-160.82	-254.92	-166.88	-22323
बेलारूस	-243.16	-394.28	-169.97	-1.32
पापुआ न्यूगिनी	-209.78	-82.98	-195.63	-7.40
ब्रुनेई	-379.88	-404.21	-208.88	'03.61

1	2	3	4	5
मेक्सिको	-1065.58	-452.79	-250.14	-431.57
गेबोन	-153.47	155.56	268.26	-9.86
कांगो पी गणराज्य	-277.47	-349.वव	-296.37	177.70
कोलंबिया	352.78	35.06	301ए54	175.67
जॉर्डन	-1344.74	577.81	334.86	-254.46
न्यूजीलैण्ड	-235.12	244.04	431.21	-190.12
चेक गणराज्य	-308.57	384.69	-468.36	155.78
मोरक्को	-705. 30	611.04	500.26	337.46
युक्रेन	-1137.43	1304.49	594.82	460.94
अर्जेन्टिना	-147.06	402ए25	624.53	279.12
कनाडा	-1094.24	974ए58	668.69	145.98
म्यांमार	-707.33	1081ए83	683.25	17.89
अल्जीरिया	-399.49	421.13	749.30	194.03
नॉर्वे	-727.06	678.44	784.47	42.24
लीबिया	-555.93	-400.66	832.98	4.98
चिली	-1110.43	842.06	1000.31	476.88
स्वीडन	-1385.81	1113.51	1003.70	545.18
यमन गणराज्य	32.68	848.16	1229.53	80.49
फिनलैण्ड	-954.75	802.30	1404.50	565.63
थाईलैण्ड	-765.51	1191.36	1479.29	729.85
ताईवान	-1364.49	735.32	1489.06	594.61
अविनिर्दिष्ट	-3092.99	3176.88	-1939.02	445.33
रूस	-3231.94	2586.10	2020.42	603.63

1	2	3	4	5
बेल्जियम	1296.45	2259.94	2313.61	-644.19
मलेशिया	3764.81	2341.37	2566.60	1585.77
ओमान	-426.42	2466.96	2850.37	1124.30
दक्षिण अफ्रीका	-3533.30	3616-00	3155.53	1365.86
जापान	-4860.57	3104.64	3440.80	1766.37
इंडोनेशिया	-4106.52	5593.30	3673. 30	1702.23
अंगोला	-1015.80	3607.72	4429.14	1806.85
वेनेजुएला	-4032.54	2701.80	5040.10	2110.66
जर्मनी	-5617.48	4905.29	5132.53	1896.51
कोरिया गणराज्य	-4724.49	5155.02	6334.92	1184.54
कतर	-2824.54	-4111.55	6438.10	3641.57
ईरान	-9842.76	9687.68	8185.75	2628.81
इराक	-7272.51	3549.80	8269.65	6696.32
कुवैत	-8796.24	7467.04	8354.16	3167.22
नाइजीरिया	-7371.09	5879.23	8528.63	3443.29
ऑस्ट्रेलिया	-9658.75	11022.41	9071.97	4504.16
सऊदी अरब	-14862.36	13190.57	15158.09	2419.06
चीन गणराज्य	-23143.52	19206.14	23863.91	12543.19
स्विट्जरलैण्ड	-11100.26	141व9.04	24124.44	10964.23
पूर्वी तिमोर	-0.00	0.00	0.00	1.10
कुल जोड़	-118400.95	109621.45	118633.24	46807.09

[हिन्दी]

रक्षा उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण

2952. श्री सज्जन वर्माः
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रक्षा उद्देश्यों हेतु मंत्रालय द्वारा कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त पड़ी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में रक्षा भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कब किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्यों में आयुध कारखाना, सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या रक्षा सेवाओं में इन राज्यों के आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रावधान किये गये हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कामकाजी बच्चों हेतु शिक्षा

2953. डॉ. पी. वेणुगोपालः
राजकुमारी रत्ना सिंहः
डॉ. संजय सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कामकाजी बच्चों के लिये शिक्षा को एक अधिकार बनाने हेतु बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप कोई बाल श्रम निवारण कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कामकाजी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु विचार किया है और इस बारे में कोई प्रयास किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने क्या सफलता प्राप्त की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बालश्रम से संबंधित कानूनों को कड़ाई से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या नये कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। योजना के अंतर्गत, काम से हटा लिए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए जाने से पूर्व, ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को उनके मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत 325304 बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए गए हैं।

(च) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिषिद्ध है। सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों-जो अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकारें हैं, द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद

2954. श्री के. सुधाकरणः
श्री आर. थामराईसेलवनः
श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री पी. लिंगमः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1.3 लाख लोग मारे गये हैं जिससे जान और माल की भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को कम करके आधी करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एनएसआरसी) की रिपोर्ट जारी की है जिसमें सिफारिशें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं सिफारिशें क्या हैं तथा विशेषकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मोटर-वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करने तथा शराब पीकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों के उल्लंघन हेतु शास्ति में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंधाधुंध एवं शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा संकलित भारत में सड़क दुर्घटनाएं (उपलब्ध नवीनतम आंकड़े) के अनुसार, भारत में वर्ष 2009 के दौरान 1,25,660 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की दिनांक 25.03.2011 को हुई पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार, सड़क सुरक्षा के चार घटकों अर्थात् (i) शिक्षा, (ii) प्रवर्तन, (iii) इंजीनियरी (सड़क एवं वाहन) और (iv) आपातकालीन परिचर्या से संबंधित पांच अलग-अलग कार्य समूहों का गठन, देश में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इन कार्य समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर काम चल रहा है।

(ङ) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007 जिसे राज्य सभा में मई, 2007 में पेश किया गया था, में शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध और अन्य यातायात उल्लंघनों के लिए बढ़ी हुई जुर्माना राशियों का प्रावधान है।

(च) मोटर यान अधिनियम, 1988 के विभिन्न उपबंधों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है। इस मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने का कारावास अथवा जुर्माना लगाए जाने अथवा दोनों का प्रावधान है, को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं। राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे से शराब विक्रेताओं को हटाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर विद्यमान शराब विक्रेताओं के लाइसेंसों का नवीनीकरण न करने की सलाह दी गई है।

कारगो परिवहन को बढ़ावा देना

2955. श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री वैजयंत पांडाः

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या द इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) ने देश में कारगो परिवहन को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ प्रोत्साहन देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व के कुछ देशों ने घरेलू जहाज स्वामियों से कारगो रिजर्व करने की कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को बेहतरी के स्तर पर लाने में सहायता करने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम से भारत के निर्यात-आयात (एग्ज़िमा) व्यापार में भारतीय पताकाओं से युक्त जलयानों के लिए कार्गो समर्थन और आरक्षण हेतु नीतिगत उपायों की मांग के साथ एक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैंः

(i) केवल भारतीय पताका वाले जलयानों के लिए समुद्र मार्ग से जाने वाले भारत के एग्ज़िम कार्गो के 33.33% का आरक्षण

(ii) कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस, थर्मल कोयले, कोकिंग कोयले, उर्वरक, लौह अयस्क के संबंध में भारतीय पताका वाली कंपनियों को 5-7 वर्षों के लंबी अवधि के चार्टर (एलएनजी के संबंध में चार्टर अवधि 20-25 वर्षों की होगी)।

(ग) और (घ) प्रमुख औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय टनभार को सुदृढ़ बनाए जाने की दृष्टि से सभी राष्ट्रीय कार्गो के वहन के लिए राष्ट्रीय पताका वाले जलयानों के लिए कार्गो आरक्षण की एक सक्रिय नीति का अनुसरण किया है।

(ङ) और (च) जी, हां सरकार ने नौवहन क्षेत्र के लिए वर्ष 2004 में टनभार कर प्रणाली लागू की है। भारतीय नौवहन उद्योग को पहले मना करने के अधिकार के माध्यम से कार्गो समर्थन उपलब्ध करवाया गया है कि सरकार के स्वामित्व वाले/नियंत्रित कार्गो के लिए एफओबी (फ्रीऑन बोर्ड) की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा, निजी तौर पर कार्गो के संचलन के लिए जलयानों की चार्टरिंग को भारतीय पताका वाले जलयानों की

उपलब्धता को देखते हुए नौवहन महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाता है। इन उपायों को भारतीय नौवहन उद्योग के समर्थन में जारी रखे जाने की संभावना है।

पावरलूम उद्योग

2956. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री माणिकराव होडल्या गावितः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ः
श्री भास्कराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कपास एवं सूम के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण स्पिनिंग मिल्स एवं पावरलूम उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कपास एवं सूत को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कपास एवं सूत दोनों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कब तक लाये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) कपास एवं सूत के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का ब्यौरा निम्नानुसार है।

कपास मूल्यः

पिछले कपास मौसम अर्थात 2010-11 (अक्तूबर 2010 से सितम्बर 2011) में अप्रैल 2011 तक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के मूल्य में व्यापक उतार-चढ़ाव रहा है। पिछले कपास मौसम में कुछ प्रसिद्ध लिंट कपास की किस्मों के संबंध में घरेलू मूल्य नीचे दिए गए हैं:-

लिंट कपास की औसत स्थानिक दर (रु./क्वि.)

माह	जे-37	एलआरए-5166	एच-4/एमईसीएच-1 कपास मौसम 2010-11	एस-4/एस-6	डीसीएच-32
अक्तूबर	10236	10854	11135	11389	13301
नवम्बर	11389	11586	11980	12345	14511
दिसम्बर	11136	11108	11220	11727	14595
जनवरी	12056	12099	12469	12597	17673
फरवरी	15287	15072	15442	15671	22876
मार्च	16702	15651	16297	16790	23328
अप्रैल	16073	14371	15137	16128	22405
मई	12649	10013	11401	12991	20210
जून	11019	8957	10481	11658	18486
जुलाई	9078	7822	8655	9439	16415
अगस्त	9561	8674	9230	10004	15601
सितम्बर	10731	9762	10329	11097	15145

अप्रैल 2011 से इस रुख में बदलाव आया और जुलाई 2011 तक मूल्यों में कमी होती है रही, किन्तु अगस्त 2011 और सितम्बर 2011 में मूल्यों में पुनः बढ़ोतरी हो गई। पहले कमी का रुख स्पिनर्स और निर्यातकों से मांग न होने के कारण था। स्पिनिंग उद्योग, सूत के मूल्यों में गिरावट के रुख की तुलना में उच्च कपास लागत के कारण प्रविकूल रूप से प्रभावित था। मिलें उच्च लागत की कपास से उत्पादित सूत की बिक्री में हानि उठाने के लिए बाध्य थे।

पिछले वर्ष की तुलना में जे-34, एस-4/एस-6 और डीसीएच-32 के मूल्यों में क्रमशः 14.39%, 8.21% और 0.60% के लगभग कमी हुई है। प्रासंगिक ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

किस्म	अक्तूबर 2010 से 20 नवम्बर 2011 के माह में लिंट कपास की औसत स्थानिक दर (रु./क्वि.)		
	2010-11	2011-2	% अंतर
जे-34	10813	9257	14.39
एच-4/एमईसीएच-1	11585	-	-
एस-4/एस-6	11881	10906	(-) 8.21
बन्नी ब्रह्मा	-	10871	-
डीसीएच-32	13906	13822	(-) 0.60

सूत मूल्यः

कपास सूत के मूल्यों में अक्तूबर 2010 से नवम्बर 2010 (माह-वार) तक के दौरान उतार-चढ़ाव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो यह दर्शाता है कि सभी किस्मों अर्थात हैंक, कोन और हौजरी में कपास सूत मूल्य में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव था जिसने विविंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कपास सूत मूल्यों का संचलन (सभी वस्त्र सहित)

(रु./कि.ग्रा.)

काउंट	अक्तू.-10	नव.-10	दिस.-10	जन.-11	फर.-11	मार्च-11	अप्रैल-11	मई-11	जून-11	जुलाई-11	अग.-11	सित-11	अक्तू.-11	नव.-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
हैंक														
20का के	161	192	194	196	217	219	227	227	216	185	148	144	144	144
30का के	181	216	225	228	249	251	259	257	243	212	166	163	163	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40का के	214	247	255	258	279	280	279	273	258	219	172	169	169	169
60का सी	259	292	300	303	324	325	324	316	299	257	205	204	204	204
60का सी	275	308	320	324	345	347	346	338	320	277	244	244	244	244
80का सी	366	399	411	415	436	438	445	438	421	379	334	334	334	334
100का सी	411	444	457	461	482	486	493	486	468	424	396	393	393	393
कोन														
20का के	121	127	121	130	139	145	152	124	109	105	114	119	118	123
30का के	171	183	180	189	198	204	211	183	165	153	138	143	141	144
40का के	200	208	202	211	221	228	235	207	189	177	153	158	156	159
60का के	235	248	245	254	263	269	276	248	223	210	176	181	181	186
60का सी	242	256	254	263	272	278	285	257	232	219	196	201	202	208
80का सी	279	287	283	291										
हौजरी														
20का के	169	196	197	197	216	233	230	203	161	145	141	166	175	175
30का के	189	216	217	217	236	253	250	223	181	166	162	187	196	196
40का के	203	230	231	231	250	267	264	237	195	179	173	198	207	207
40का के	209	237	242	242	261	278	275	248	206	191	184	209	218	218

स्रोतः आर.ओ., कोयम्बटूर

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु लक्ष्य

2957. श्री जितेन्द्र सिंह मलिकः
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टीः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री एंटो एंटोनीः
श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः
श्री रूद्रमाधव रायः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश नीति की अद्यतन व्यापक समीक्षा में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु खोले गए/प्रतिबंधित नये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या लक्ष्य यदि कोई हो प्राप्त किये गये;

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सेक्टर-वार देश-वार और राज्य-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है तथा उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार नागर विमानन/निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों और मल्टी ब्रांड रिटेल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल 2008 से सितम्बर 2011 तक क्षेत्रवार वित्तीय वर्षवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी अंतर्वाह दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अप्रैल 2008 से सितम्बर 2011 तक देशवार (वित्तीय वर्षवार) एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यथा सूचित अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2011 तक (वित्तीय वर्षवार) एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार है तथा इसे पूर्ण रूप से राज्य वार अन्तर्वाहों के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि एक राज्य में मुख्यालय रखने वाली कम्पनियों के एक से अधिक राज्य आते हैं शीर्ष दस क्षेत्रों (वित्तीय वर्ष वार) जिन्होंने अप्रैल 2008 से सितम्बर 2011 तक अधिकतम एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह आकृष्ट किए हैं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी समेकित प्र.वि नि. नीति-2011 के परिपत्र 2 के पैरा 6.2.9 में यथानिहित मौजूदा में यथा निहित मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन वायु परिवहन सेवाओं जिनमें घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइंस गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं हेलिकॉप्टर और समुद्री हवाई सेवाएं शामिल हैं में एफडीआई की अनुमति है।

वायु परिवहन सेवाओं की विभिन्न गतिविधियों में अनुमत एफडीआई का स्तर नीचे दिए अनुसार हैं:

	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई/इक्विटी की अधिकतम सीमा का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
(1)	अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं/ घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलांइस	49 प्रतिशत एफडीआई (अनिवासी भारतीयों के लिए 100 प्रतिशत)	स्वतः
(2)	गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं	74 प्रतिशत एफडीआई अनिवासी भारतीयों के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वतःमार्ग 49 प्रतिशत से आगे और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
(3)	हेलिकॉप्टर सेवाएं/समुद्री हवाई जहाज सेवाएं जिनके लिए महानिदेशक नागर विमानन का अनुमोदन नागर विमानन का अनुमोदन आवश्यक है।	100 प्रतिशत	स्वतः

सरकार ने कुछ विनिर्दिष्ट शर्तो के तहत मल्टी सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। लेकिन विभिन्न अंशधारकों के बीच व्यापक सहमति तैयार करने की दृष्टि से यह निर्णय स्थापित किया गया है।

विवरण-I

अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2011 तक क्षेत्र-वार (वित्तीय वर्ष-वार) एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

(राशि रुपए करोड़ एवं मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2008-09 (अप्रैल-मार्च)		2009-10 (अप्रैल-मार्च)		2010-11 (अप्रैल-मार्च)		2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)		कुल	
		रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	धातुकर्मी उद्योग	4,125.56	959.94	1999.30	419.88	5,023.34	1,098.14	6,356.05	1,398.60	17,561.25	3,876.55
2.	खनन	161.09	34.16	829.92	174.40	357.401	79.51	588.72	131.49	1.937.16	419.56
3.	विद्युत	4,033.47	907.66	6,138.32	1241.79	5,796.22	127.77	5,657.30	1,253.66	21625.31	4,704.87
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	602.88	125.88	2,872.41	622.52	977.71	214.40	667.46	148.32	5,120.46	1,111.12
5.	कोयला उत्पाद	1.07	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35	4.59
6.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	1,633.36	349.29	1296.90	265.53	2543.14	556.43	646.27	144.02	6,119.68	1,315.27
7.	बॉयलर तथा भाप जेनेरेटिंग संयंत्र	0.00	0.00	18.48	3.96	2.87	0.63	0.00	0.00	21.35	4.59
8.	(विद्युत जनरेटर के अलावा) प्राइम मूवर्स	341.51	74.88	182.99	39.50	758.13	166.44	435.55	96.29	1,718.18	377.12
9.	विद्युत उपकरण	1931.46	417.35	3,484.32	728.27	698.85	153.90	1.570.99	348.72	7,685.63	1,648.25
10.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	6,740.41	1,543.34	4,126.76	870.86	3,5511.24	779.81	1.957.94	432.92	16,376.34	3,627.93
11.	इलेक्ट्रानिक्स	659.25	147.51	246.73	52.14	274.75	59.72	696.76	156.73	1,877.49	416.10
12.	दूरसंचार	11,684.81	2,548.63	12,269.66	2,539.26	7,542.04	1,664.50	8.534.18	1,901.35	40.030.70	8,653.75
13.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडीया सहित)	3,378.28	735.04	2,340.55	490.83	1,887.17	412.11	1,133.28	250.51	8,739.27	1,888.56
14.	आटोमोबाइल उद्योग	5,218.03	1,150.03	5,892.61	1,236.27	5,864.18	1,299.41	2,384.96	530.61	19,359.78	4,216.32
15.	वायु परिवहन(एयर फ्रेट सहित)	281.79	61.37	111.47	23.73	620.83	136.60	94.89	21.10	1,108.95	242.80
16.	समुद्री परिवहन	231.35	50.21	1,343.58	284.85	1370.27	300.51	431.53	96.93	3,376.73	732.49
17.	पतन	2,019.87	493.15	304.61	65.41	49.84	10.92	0.01	0.00	2,374.33	569.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	77.41	18.01	160.27	34.34	318.50	70.66	114.48	114.48	670.65	148.49
19.	अद्यौगिक मशीनरी	514.31	110.54	1,594.83	341.88	2,109.07	467.92	1,548.93	345.67	5,767.14	1,266.01
20.	मशीन औजार	206.45	45.66	640.06	133.83	53.01	11.63	145.89	32.27	1,045.40	223.39
21.	कृषि मशीनरी	22.43	5.57	8.70	1.88	2.21	0.49	9.30	2.07	42.65	10.01
22.	अर्थ मूविंग मशीनरी	10.80	2.27	75.69	15.62	8.12	1.77	57.52	12.83	152.13	32.49
23.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनिरिंग उद्योग	653.43	142.31	725.18	149.59	493.96	108.67	5,386.79	1,20079	7,241.29	1,601.36
24.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	53.66	12.63	371.28	78.98	115.14	25.12	68.58	15.29	608.66	132.01
25.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	352.03	75.42	789.51	167.35	146.66	32.22	171.80	37.96	1,460.00	312.96
26.	औद्योगिक उपकरण	83.65	17.48	36.85	7.61	115.55	25.48	17.79	3.99	253.84	54.56
27.	वैज्ञानिक उपकरण	3.56	0.83	0.01	0.00	11.16	2.49	12.43	2.77	27.16	6.09
28.	गणिकीय सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
29.	उर्वरक	623.96	133.75	38.46	8.20	83.77	18.18	10.95	2.44	757.15	162.58
31.	रसायन(उर्वरकों के अलावा)	2,950.68	651.22	1,726.24	365.94	1,811.53	398.28	2,416.95	533.48	8,905.40	1,948.93
32.	डाई स्टफ	5.62	1.17	19.53	4.02	24.25	5.37	0.00	0.00	49.39	10.56
33.	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	810.12	181.61	1,006.29	213.08	961.09	209.38	13,851.59	3,085.90	16,629.09	3,689.97
34.	वस्त्र(रंजक मुद्रण सहित)	756.52	157.52	714.82	150.27	588.95	129.65	242.43	53.55	2,302.71	491.00
35.	कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित)	1,181.59	272.51	76.39	16.42	30.15	6.53	0.81	0.18	1,288.94	295.64
36.	चीनी	22.68	5.01	0.48	0.10	0.79	0.17	19.95	4.44	43.90	9.73
37.	किण्वन उद्योग	628.42	144.70	536.70	112.02	262.28	57.71	113.34	25.07	1,540.74	339.51
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	455.59	102.71	1,314.2	278.89	858.03	188.67	320.19	70.15	2.948.05	640.41
39.	वनस्पति तेल तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	196.13	42.88	338.09	69.74	267.35	58.07	120.70	27.18	922.27	197.87
40.	साबुन कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	105.94	22.03	117.27	24.58	463.98	102.90	332.77	70.48	1,019.96	219.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	रबड़ की वस्तुएं	400.71	84.88	114.62	24.12	78.71	17.21	556.59	118.87	1,150.63	245.08
42.	चमड़ा चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	15.56	3.32	23.71	5.06	42.10	9.26	24.69	5.51	106.06	23.015
43.	ग्लु तथा जिलेटिन	0.00	0.00	1.26	0.27	0.04	0.01	0.02	0.00	1.32	0.28
44.	कांच	103.86	23.16	13.28	2.83	35.48	7.60	62.51	13.94	215.15	47.52
45.	सिरेमिक	850.44	198.43	33.60	7.21	54.06	12.00	45.22	9.87	983.33	227.51
46.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3,143.53	724.80	159.07	33.80	2,911.03	637.68	355.70	77.47	6,569.33	1,473.75
47.	काष्ठ उत्पाद	55.75	11.27	30.62	6.54	7.19	1.58	36.21	8.05	129.78	27.44
48.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	3.66	17.44	3.66
49.	परामर्श सेवाएं	1,211.47	256.59	1,623.57	341.31	1,257.69	274.84	970.51	215.33	5,063.24	1,088.08
50.	सेवा क्षेत्र	28,691.79	6,183.48	19,944.85	4,176.21	15,053.94	3.296.00	14,660.64	3,250.90	78,351.22	16,906.68
51.	अस्पताल तथा नैनादिक केन्द्र	1,019.96	239.71	639.26	135.57	1,177.33	256.00	433.50	94.03	3,270.04	725.30
52.	शिक्षा	1,033.36	214.52	300.50	63.35	173.24	37.94	192.50	42.44	1,699.61	358.25
53.	होटल तथा पर्यटन	2,098.23	463.92	3,509.69	739.62	1,405.15	308.05	2,250.28	500.98	9,319.99	2,198.90
54.	व्यापार	2,761.01	639.72	3,509.69	739.62	2,251.84	498.27	1,45271	321.30	9,975.24	2,198.90
55.	खुदरा व्यापार(एकल ब्रांड)	20.45	4.00	47.52	10.28	116.53	25.84	11.49	2.57	196.00	42.70
56.	कृषि सेवा	24.61	5.35	5,922.29	1,222.22	202.60	43.90	203.12	44.49	6,352.62	1,315.95
57.	हीरे सोने के आभूषण	388.46	83.50	145.59	31.08	89.36	19.59	114.27	24.87	737.68	159.05
58.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय कॉफी और रबड़)	175,00	37.08	37.60	8.15	14.40	3.12	16.87	3.76	243.88	52.11
59.	पुस्तकों का मुद्रण (लियो प्रिंटिग उद्योग सहित)	141.12	31.61	337.65	70.51	168.42	36.63	123.58	27.28	770.77	166.02
60.	कयर	0.00	0.00	1.19	0.25	0.46	0.10	0.00	0.00	1.65	0.35
61.	निर्माण कार्यकलाप	8,666.57	1,996.67	13.483.54	2,855.33	4,978.75	1,103.02	3,912.80	868.86	31,041.66	6,823.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कांपलेक्स, आदि	12,758.81	2,833.55	14,127.29	2,935.37	5,600.31	1,226.60	2,043.36	453.30	34.429.87	7,448.82
63.	विविध उद्योग	6,691.46	1,549.70	5.407.13	1,147.66	6,864.44	1,487.00	2,638.42	586.13	21,601.44	4,77049
	कुल	123,024.88	27,330.82	123,119.65	25,834.41	88,530.24	19,429.29	86,271.45	19,136.84	42,946.22	91,731.35

विवरण-II

अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2011 तक देश-वार (वित्तीय वर्ष-वार) एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

(राशि रुपए करोड़ एवं मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2008-09 (अप्रैल-मार्च)		2009-10 (अप्रैल-मार्च)		2010-11 (अप्रैल-मार्च)		2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)		कुल	
		रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अफगानिस्तान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03	0.12	0.03
2.	आस्ट्रेलिया	328.49	72.60	774.92	166.29	110.22	24.26	111.56	24.81	1,325.18	287.96
3.	आस्ट्रिया	74.92	15.80	114.09	24.01	205.72	44.95	52.21	11.60	446.94	96.36
4.	बहमास	10.27	2.40	29.14	6.16	19.79	4.32	14.91	3.32	74.11	16.19
5.	बहरीन	1.78	0.39	8.09	1.72	0.85	0.19	0.02	0.00	74.11	16.19
6.	अर्जेन्टीना	0.00	0.00	0.02	0.00	46.21	10.15	0.00	0.00	46.23	10.15
7.	बेल्जियम	458.34	99.57	177.89	37.56	168.40	37.28	412.15	87.87	1,216.78	262.28
8.	बेलारूस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	बरमुडा	123.15	28.18	53.31	11.07	8.87	1.97	1.19	0.26	186.51	41.48
10.	ब्राजील	2.41	0.60	5.16	1.11	7.85	1.75	31.06	7.00	46.48	10.46
11.	बुल्गारिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.14	0.00	0.00	0.67	0.14
12.	कनाडा	382.05	84.97	293.27	61.64	154.66	33.66	34.50	7.71	864.48	187.97
13.	केयमेनद्वीप समूह	161.45	37.06	321.63	69.05	258.80	55.94	230.94	49.90	972.82	211.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	चैनलद्वीप समूह	12.99	3.00	6.75	1.40	1.26	0.27	6.91	1.53	27.90	6.21
15.	चीन	32.38	6.71	199.99	41.36	7.03	1.56	121.68	26.46	361.09	76.08
16.	क्रोएशिया	0.00	0.00	2.45	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.09
17.	चेक गणराज्य	69.49	16.21	1.93	0.40	0.03	0.01	0.50	0.11	71.95	16.73
18.	साइप्रस	5,982.83	1,287.47	7,727.58	1,626.57	4,170.67	913.10	2,880.35	629.10	20,761.42	4,456.25
19.	डेनमार्क	59.50	13.29	180.22	38.20	289.72	64.08	71.47	15.67	600.91	131.24
20.	एस्टोनिया	0.32	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.06
21.	फिनलैण्ड	315.57	62.46	241.19	50.28	101.59	22.39	195.65	43.45	853.99	178.58
22.	चिली	7.60	1.83	337.22	71.25	129.99	28.64	141.51	31.59	616.32	133.31
23.	फ्रांस	2,098.05	466.64	1,436.83	302.53	3,348.63	734.22	1,751.34	391.75	8,634.85	1,895.15
24.	ग्रीस	0.01	0.00	4.29	0.91	1.18	0.26	0.95	0.21	6.42	1.38
25.	जर्मनी	2,749.73	629.22	2,980.04	626.14	907.88	199.74	5,863.87	1,306.04	12,522.49	550.72
26.	हांगकांग	622.41	140.21	654.24	136.46	787.82	173.10	458.02	100.95	2,522.49	550.72
27.	हंगरी	0.00	0.00	40.75	8.75	4.07	0.92	0.60	0.13	45.43	9.80
28.	इण्डोनेशिया	24.06	5.93	2,637.5	570.25	4.67	1.03	1.51	0.32	2,667.28	577.53
29.	आयरलैण्ड	25.06	5.42	127.10	27.22	148.42	32.99	31.26	6.95	331.84	72.58
30.	आइल ऑफ मैन	1.98	0.47	0.00	0.00	11.40	2.51	0.91	0.20	14.29	3.18
31.	इजराइल	5.60	1.19	130.83	28.45	6.46	1.41	3.25	0.72	146.14	31.77
32.	इटली	1,481.51	363.01	1,064.17	225.33	510.95	112.75	495.85	101.54	3,516.50	802.63
33.	लिचटैन्सटीन	0.00	0.00	3.15	0.76	3.50	0.78	0.00	0.00	7.00	1.53
34.	जापान	1,888.56	404.80	5,670.40	1,183.40	7,073.69	1,564.36	8,236.57	1,823.08	22,869.22	4,975.63
35.	कजाकिस्तान	53.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.53
36.	कोरिया (उत्तरी)	2.03	0.43	18.62	3.79	5.48	1.18	50.31	10.63	76.45	16.02
37.	लेबनान	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
38.	कोरिया (दक्षिण)	494.92	114.64	778.68	166.68	600.89	131.35	336.92	75.04	2,211.41	487.91
39.	कुवैत	0.69	0.14	40.73	8.46	5.91	1.30	0.76	0.17	48.09	10.07
40.	लातिविया	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	लगजेम्बर्ग	133.51	30.20	198.28	42.17	806.22	179.02	206.07	45.00	1,344.09	296.38
42.	मलेशिया	420.34	89.43	183.85	38.21	183.26	40.39	50.35	11.17	837.80	179.19
43.	मॉरीशस	50,899.31	11,229.26	49,633.37	10,375.56	31,854.78	6,987.15	29,105.63	6,463.42	161,493.09	35,055.39
44.	मैक्सिको	0.01	0.00	0.11	0.02	48.74	10.58	0.00	0.00	48.86	10.61
45.	मालदीव	0.00	0.00	1.85	0.40	9.18	2.02	0.00	0.00	11.03	2.41
46.	नेपाल	0.49	0.12	8.24	1.73	0.00	0.00	0.04	0.01	8.77	1.86
47.	नीदरलैंड	3,921.52	883.19	4,282.67	899.03	5,501.23	1,213.40	3,727.73	824.65	17,433.16	3,820.27
48.	सेंट किट्स एंड नेविस	61.57	13.89	0.00	0.00	2.11	0.45	0.00	0.00	63.68	14.34
49.	न्यूजीलैण्ड	37.77	9.22	61.06	13.18	6.85	1.53	1.19	0.27	106.86	24.19
50.	नाइजीरिया	10.34	2.14	4.95	1.02	0.51	0.11	13.21	2.87	29.00	6.15
51.	नार्वे	12.21	2.86	66.47	14.20	63.55	13.93	76.89	17.15	219.11	48.14
52.	ओमान	33.55	7.69	11.73	2.45	1,246.49	267.82	24.96	5.56	1,316.73	283.52
53.	पनामा	8.34	1.91	53.37	11.12	41.71	9.12	4.49	1.00	107.92	23.14
54.	फिलीपीन्स	0.17	0.03	0.92	0.20	2.27	0.50	1.11	0.24	4.46	0.97
55.	पोलैण्ड	0.22	0.05	188.91	40.05	1.29	0.28	0.05	0.01	190.46	40.39
56.	पुर्तगाल	3.22	0.73	9.95	2.12	6.04	1.33	7.66	1.71	26.87	5.89
57.	कतर	0.00	0.00	0.71	0.16	5.40	1.17	0.43	0.10	6.55	1.42
58.	रोमानिया	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	1.28	0.29	2.27	0.50
59.	रूस	1,489.58	306.33	35.49	7.61	436.60	93.39	0.65	0.14	1,962.32	407.47
60.	सउदी अरब	2.85	0.67	64.06	13.29	17.70	3.84	0.08	0.02	84.69	17.82
61.	सिंगापुर	15,726.67	3,454.05	11,294.82	2,379.18	7,729.66	1,705.11	14,403.48	3,211.03	49,154.63	10,749.36
62.	स्कॉटलैंण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
63.	दक्षिण अफ्रीका	18.28	4.09	158.79	33.27	0.94	0.21	1.26	0.28	179.28	37.84
64.	स्लोवाकिया	0.00	0.00	0.14	0.03	3.50	0.79	0.00	0.00	3.64	0.82
65.	स्पेन	1,203.70	281.89	586.19	124.20	1,056.40	230,14.6	16.80	135.36	3,463.09	771.59
66.	श्रीलंका	17.86	3.87	3.81	0.80	15.78	3.48	22.60	5.08	60.06	13.23
67.	स्वीडन	263.22	56.86	1,171.81	242.51	176.70	39.05	71.35	15.93	1,682.45	354.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	स्वीटजरलैण्ड	790.95	170.16	489.26	102.49	4,103.95	895.08	706.96	152.06	6,091.13	1,319.79
69.	ताइवान	15.97	3.80	78.32	16.16	30.07	6.55	59.32	13.10	183.68	39.61
70.	थाईलैण्ड	11.34	2.44	163.90	35.10	22.18	4.94	26.30	5.65	223.73	48.13
71.	तुर्की	3.08	0.72	31.51	6.78	158.3	34.90	26.86	6.00	219.82	48.40
72.	यू.ए.ई.	1,133.33	257.05	3,016.82	628.93	1,569.18	340.54	642.35	139.93	6,361.68	1,366.45
73.	यू.के.	3,840.41	863.97	3,094.15	657.37	3,434.20	754.94	11,391.26	2,535.85	21,760.02	4,812.14
74.	यू.एस.ए.	8,001.78	1,801.98	9,230.43	1,943.46	5,352.67	1,170.27	2,582.95	570.24	25,167.83	5,485.96
75.	यूक्रेन	0.00	0.00	0.01	0.00	1.60	0.36	0.08	0.02	1.68	0.38
76.	वेनेजुएला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.	उरुग्वे	2.24	0.53	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.58
78.	ब्रिटिश वर्जिनिया	548.39	127.56	978.05	206.26	471.42	102.46	200.03	44.30	2,197.89	480.56
79.	वेस्टइन्डीज	44.01	10.28	117.64	24.97	2.49	0.53	0.00	0.00	164.14	35.77
80.	माल्टा	0.00	0.00	12.53	2.75	0.85	0.18	2.37	0.53	15.75	3.46
81.	ईरान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.07	0.00	0.00	0.31	0.07
82.	मस्कट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83.	तंजानिया	1.73	0.43	2.06	0.44	1.99	0.42	0.00	0.00	5.78	1.29
84.	जार्जिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.	जिब्राल्टर	5.87	1.38	0.65	0.14	0.15	0.03	1.36	0.28	8.03	1.83
86.	सूडान	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.24	0.05
87.	जॉर्डन	4.51	0.92	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.97
88.	वियतनाम	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.07	0.01	0.11	0.02
89.	आइसलैंड	9.42	1.90	0.50	0.10	0.00	0.00	0.03	0.01	9.95	2.01
90.	केन्या	4.89	1.12	18.95	4.05	13.24	2.97	0.00	0.00	37.09	8.14
91.	मिश्र	0.00	0.00	0.99	0.21	1.20	0.26	0.00	0.00	2.17	0.47
92.	यमन	1.55	0.33	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.38
93.	मोनाको	0.00	0.00	1.32	0.29	2.36	0.51	0.00	0.00	3.68	0.79
94.	लाइबेरिया	0.00	0.00	0.25	0.05	6.45	1.42	0.00	0.00	6.70	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.	सेंट विन्सेन्ट	28.63	6.67	0.48	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12	6.77
96.	गेर्स्नी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.00	0.00	0.14	0.03
97.	जाम्बिया	0.20	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.04
98.	मोरक्को	0.00	0.00	28.42	6.08	0.00	0.00	550.17	115.50	578.59	121.58
99.	कोलंबिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.07	0.00	0.00	0.31	0.07
100.	ब्रिटिश आइल्स	3.16	0.74	36.88	7.73	139.5	30.59	200.63	44.94	380.23	84.00
101.	वनौतू	3.42	0.70	0.34	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.78
102.	वर्जिन आइलैंड	8.27	1.69	16.83	3.70	2.67	0.59	14.74	3.25	42.51	9.24
103.	युगांडा	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04
104.	सेशेल्स	3.49	0.87	67.44	13.91	5.09	1.11	1.19	0.26	77.21	16.16
105.	पश्चिमी अफ्रीका	0.39	0.10	0.00	0.00	2.00	0.44	0.00	0.00	2.39	0.53
106.	फिजी द्वीप समूहगण	7.88	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	1.84
107.	पूर्वी अफ्रीका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
108.	जिबोटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109.	कांगो (डीआर)	0.44	0.11	0.00	0.00	0.45	0.10	1.00	0.23	1.89	0.43
110.	किरगिस्तान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
111.	मंगोलिया	0.00	0.00	0.27	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.06
112.	टोगोलेसि गण.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.22	0.00	0.00	0.99	0.22
113.	गुयाना	0.00	0.00	3.52	0.76	1.08	0.24	0.00	0.00	4.60	1.00
114.	ईराक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.19	0.01	0.00	0.85	0.19
115.	बोलीविया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
116.	बेलीज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	5.24	23.62	5.24
117.	एन आर आई (व्यक्तिगत निवेशक)	7,314.18	1,603.82	1,691.96	354.75	1,074.75	241.23	0.00	0.00	10,080.90	2,199.80
118.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	9,499.07	2,216.07	9,954.37	2,077.56	3,808.46	830.49	0.00	0.00	23,261.90	5,124.12
	कुल योग	123,024.88	27,330.82	123,119.65	25,834.41	88,530.24	19,429.29	86,271.45	19,136.84	420,946.22	91,731.35

विवरण III

अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2011 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यथासूचित, (वित्तीय वर्ष-वार) एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (राज्यों को शामिल करते हुए)

(एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह करोड़ रु.व मि. यूएस डॉलर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	शामिल किए गए राज्य	2008-09 (अप्रैल-मार्च)		2009-10 (अप्रैल-मार्च)		2010-11 (अप्रैल-मार्च)		2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)		कुल	
			रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर	रुपए	अमेरिकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	5,405.70	1,237.81	5,710.05	1,202.74	5,753.27	1,262.38	2,181.94	482.71	19,050.96	4,185.65
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	176.47	41.54	50.93	10.89	36.50	8.11	2.92	0.64	266.82	61.18
3.	पटना	बिहार, झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	5.46	0.23	0.05	25.03	5.51
4.	अहमदाबाद	गुजरात	12,747.46	2,825.76	3,876.30	807.00	3,294.12	724.19	3,437.80	746.97	23,355.68	5,103.92
5.	बंगलौर	कर्नाटक	9,143.39	2,026.38	4,852.22	1,029.21	6,133.32	1,332.10	3,989.55	888.65	24,118.47	5,276.34
6.	कोची	केरल, लक्ष्यदीप	355.22	81.87	606.48	127.97	167.16	36.81	1,360.99	292.15	2,489.85	538.80
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	209.36	44.47	254.56	54.22	2,092.69	450.97	398.42	88.60	2,955.03	638.27
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली द्वीपसमूह	57,065.76	12,430.57	39,408.89	8,249.18	27,668.81	6,096.94	30,429.91	6,744.63	154,573.37	33,521.32
9.	भुवनेश्वर	ओडिशा	42.39	8.68	701.76	148.93	67.61	14.69	113.98	25.60	925.74	197.90
10.	जयपुर	राजस्थान	1,656.12	342.86	148.74	31.10	230.30	50.95	52.72	11.79	2,087.89	436.70
11.	चैन्नई	तमिलनाडु, पांडेचेरी	7,756.73	1,724.14	3,653.25	773.80	6,115.38	1,351.91	3,579.89	799.50	21,105.25	4,649.35
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.00	226.85	48.25	513.60	112.31	551.99	123.13	1,292.44	283.69
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,089.46	489.17	531.25	115.32	426.42	94.59	1,432.76	320.11	4,479.89	1,019.18
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश										
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कुछ भाग										
16.	पणजी	गोवा										
17.	बताए नहीं किए गए क्षेत्र		18,300.26	4,180.90	15,056.00	3,148.30	20,554.03	4,493.09	14,603.27	3,240.84	68,513.57	15,063.13
	कुल योग		123,024.88	27,330.82	123,119.65	25,834.41	88,530.24	19,429.29	86,271.45	19,136.84	420,946.22	91,731.35

उपर्युक्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का वर्गीकरण, आरबीआई मंबई द्वारा प्रस्तुत किए गए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय-वार अंतर्वाहों के अनुसार किया गया है।

विवरण-IV

अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक शीर्ष10 क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाहों की राशि		कुल अंतर्वाहों का %
		(रूपए करोड़ में)	(मिलियन अमेरिकी डालर में)	
1.	सेवा क्षेत्र	28,691.79	6,183.48	22.62
2.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कांपलेक्स, आदि	12,758.91	2.833.55	10.37
3.	दूरसंचार	11,684.81	2,548.63	9.33
4.	निर्माण कार्यकलाप	8,666.67	1,996.67	7.31
5.	कप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	6,740.41	1.543.34	5.65
6.	आटोमोबाइल उद्योग	5,218.03	1,150,03	4.21
7.	धातुकर्मी उद्योग	4,152.56	959.94	3.51
8.	विद्युत	4,033.47	907.66	3.32
9.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	3,378.28	735.04	2.69
10.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3,143.53	724.80	2.65
	कुल योग	88,468.36	19,583.14	

अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक शीर्ष 10 क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.स.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाहों की राशि		कुल अंतर्वाहों का%
		(रुपए करोड़ में)	(मिलियन अमेरिकी डालर में)	
1	2	3	4	5
1.	सेवा क्षेत्र	19,944.85	4,176.21	16.17
2.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कांपलेक्स आदि)	14,027.29	2,935.37	11.36
3.	निर्माण कार्यकलाप	13,483.54	2,855.33	11.05
4.	दूरसंचार	12,269.66	2,539.26	9.83

1	2	3	4	5
5.	विद्युत	6,138.32	1,271.79	4.92
6.	आटोमोबाइल उद्योग	5,892.61	1,236.27	4.79
7.	कृषि सेवा	5,922.29	1,222.22	4.73
8.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	4,126.76	871.86	3.37
9.	होटल तथा पर्यटन	3,566.32	753.02	2.91
10.	व्यापार	3,509.69	739.62	2.86
	कुल योग	88,881.33	18,600.95	

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक शीर्ष 10 क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाहों की राशि		कुल अंतर्वाहों का %
		(रुपए करोड़ में)	(मिलियन अमेरिकी डालर में)	
1.	सेवा क्षेत्र	15,053.94	3,296.09	16.96
2.	दूरसंचार	7,542.04	1,664.50	8.57
3.	विद्युत	5,864.18	1,299.41	6.69
4.	ऑटोमोबाइल उद्योग	5,796.22	1,271.77	6.55
5.	आवास और स्थावर संपदा(सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कांपलेक्स) आदि	5.600.31	1.226.60	6.31
6.	निर्माण कार्यकलाप	4,978.75	1,103.02	5.68
7.	धातुकर्म उद्योग	5,023.34	1,098.14	5.65
8.	कप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	3,551.24	779.81	4.01
9.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	2,911.03	637.68	3.28
10.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	2,543.14	556.43	2.86
	कुल योग	58,864.19	12,933.45	

अप्रैल 2011 से सितंबर 2011 तक शीर्ष क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाहों की राशि		कुल अंतर्वाहों का %
		(रुपए करोड़ में)	(मिलियन अमेरिकी डालर में)	
1	2	3	4	5
1.	सेवा क्षेत्र	14,660.64	3,250.90	16.99
2.	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	13,851.59	3,085.90	16.13
3.	दूरसंचार	8,534.18	1,901.35	9.94
4.	धातुकर्म उद्योग	6,386.05	1,398.60	7.31
5.	विद्युत	5,657.30	1,253.66	6.55
6.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	5,657.30	1,200.79	6.27
7.	निर्माण कार्यकलाप	3,912.80	868.86	4.54
8.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	2,416.95	533.48	2.79
9.	ऑटोमोबाइल उद्योग	2,416.95	533.48	2.79
10.	होटल तथा पर्यटन	2,250.28	500.98	2.62
	कुल योग	65,441.47	14,525.13	

[हिन्दी]

एनटीसी मिलों में घटता उत्पादन

2958. श्री जयवंत गंगाराम आवलेः
श्री नवजोत सिंह सिद्धूः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मिलों का आधुनिकीकरण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के अधीन चल रही विभिन्न कपड़ा मिलों के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इन मिलों का वस्त्र मिल-वार कुल उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार की योजना एनटीसी मिलों की गैर-प्रचालित संपत्ति/अतिरिक्त भूमि की बिक्री करने तथा इससे होने वाली आय का उपयोग इन मिलों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण करने की है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष एवं चालू-वर्ष के दौरान बेची गई संपित्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से दादर मुंबई में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक का निर्माण करने हेतु एनटीसी भूमि के निशुल्क अंतरण किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)

द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार एनटीसी की 18 इकाइयों का आधुनिकीकरण किया गया है; मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किये जाने के कारण उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के लिए पुनरुद्धार योजना में अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार को वित्त पोषित करने के लिए एनटीसी की बेशी संपत्तियों की बिक्री की परिकल्पना की गई है।

(घ) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बेची गई संपत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) चूंकि एनटीसी, बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना, जिसे बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना है, का कार्यान्वयन कर रहा है, सरकार चैत्यभमि के लिए 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अनुरोध पर प्रीमियम चार्ज किए बिना अधिक एफएसआई के माध्यम से पर्याप्त राहत के अध्यधीन लैंड यूज में बदलाव की अनुमति पर विचार कर सकती है।

विवरण

वर्ष वार बेची गई बेची परिसंपत्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	मिल का नाम	2009-10 क्षेत्रफल एकड़ में	2010-11 क्षेत्रफल एकड़ में
1.	अहमदाबाद न्यू टेकसटाइल्स मिल्स	11.19	
2.	मधुसूदन मिल्स	6.81	
3.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	4.68	
4.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स (टैक्सी स्टैंड के बाहर)		1.47
5.	पोद्दार प्रोसेस हाऊस		2.39
6.	भारत टेक्सटाइल मिल्स		8.38
7.	न्यू मन्चौक टेक्सटाइल मिल्स		8.21
8.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स		15.08
	कुल	22.68	35.53

अन्तरराज्यिक प्रवासी अधिनियम

2959. डॉ. भोला सिंहः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अनेक लोग बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं जिससे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन संशोधन को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) इन स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित संशोधित अधिनियम में किस सीमा तक सम्मिलित किया है; और

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं जिससे पलायन रोका जा सके?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में प्रवास करने का अधिकार है। तथापि, सरकार विषादग्रस्त प्रवजन को रोकने का प्रयास करती रही है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य किसी ऐसे ग्रामीण परिवार, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के मजदूरी-नियोजन की गारंटी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रोजी-रोटी की सुरक्षा का संवर्धन करना है। इस अधिनियम के अनुसार, आवेदक आवेदन करते समय जिस गांव में रहता है उससे पांच किलोमीटर के दायरे में रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसे दायरे से बाहर रोजगार प्रदान किया जाता है तो वह ब्लॉक की सीमा में प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को 10% अतिरिक्त मजदूरी की अदायगी की जाएगी। वस्तुतः परिवार द्वारा मांग करने पर स्थानीय रोजगार प्रदान करने से विषादस्त प्रवास का उपशमन होता है।

(ख) से (च) प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ते, विस्थापन भत्ते की अदायगी, रिहायशी आवास, चिकित्सा सुविधाओं और संरक्षात्मक वस्त्रों आदि का प्रावधान है।

दिनांक 20-21 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों पर, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1979 के उपबंध की जांच करने हेतु एक विपक्षीय दल का गठन किया गया था। इस दल ने इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की जांच की और प्रवासी कामगारों को पेश आ रही समस्याओं, इस अधिनियम के विद्यमान उपबंधों, प्रवर्तन तंत्र, अधिनियम के कार्यान्वयन में समस्याओं आदि की समीक्षा की। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट को दिनांक 23-24 नवम्बर, 2010 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष रख दिया गया है। तथापि, इस संदर्भ में, अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे लैगिक दृष्टि से निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संसद में एक संशोधन प्रारंभिक रूप से विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अनुतट व्यापार संबंधी कानून

2960. श्री पी.टी. थामसः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री डी.बी. चन्द्रे गोडाः

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार केरल में वल्लापरदम इन्टरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के सुचारु कार्यकरण हेतु मौजूदा अनुतट व्यापार संबंधी कानून में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा अब तक की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) अनुतट यात्रा पद्धति का कार्यान्वयन, सरकार के जांचाधीन है।

(ख) जी, हां।

(घ) जैसा ऊपर दिए गए उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित है, अनुतट यात्रा पद्धति का कार्यान्वयन, सरकार के जांचाधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु लक्ष्य

2961. श्री सोनवणे प्रताप नारायण रावः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री पूर्णमासी रामः
श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचएआई) ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वेक्षण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर धीमी गति से निर्माण के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता को बनाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(च) यदि हां, तो क्या निर्माण कंपनियों द्वारा इन मानदण्डों का पालन किया जा रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रयुक्त सामग्री के सैम्पल का ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष क्या रहे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के लिए तय लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	लक्ष्य किमी. में	उपलब्धि किमी. में
2008-09	3519	2205
2009-10	3165	2693
2010-11	2500	1780
2011-12	2500	823 (अक्तूबर, 2011 तक)

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति मुख्यतः भूमि अधिग्रहण में विलंब के अलावा कतिपय ठेकेदारों के अल्प निष्पादन, वन/वन्य जीव/रेलवे स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की वजह से प्रभावित हुई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। भूमि अधिग्रहण और जनोपयोगी सुविधओं के स्थानांतरण में तेजी लाने के लिए उपाय किए गए हैं। लक्ष्यों की उपलब्धि की गहन मॉनीटरिंग की जा रही है। परियोजनाओं की मुख्यालय स्तर पर एवं फील्ड यूनिट स्तर पर आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ङ) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों/मंत्रालय के विनिर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए गुणवत्ता आश्वासन योजना, ठेकेदार/रियायतग्राही और पर्यवेक्षण परामर्शदाता द्वारा तैयार की जाती है जिसका अनुपालन कार्यानिष्पादन के दौरान किया जाता है। पर्यवेक्षण परामर्शदाता/स्वतंत्र इंजीनियर, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करते हैं।

(च) और (छ) आवधिक स्थल निरीक्षणों के दौरान, यदि सामग्री/अथवा कार्य में कोई अनुपयुक्त/घटिया गुणवत्ता ध्यान में आती है तो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के मानकों और विनिर्देशों के अनुसार ठीक करवाया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

2962. श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्रीमती जे शांता:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिन सड़कों को चार/छह लेनों वाली सड़कों में बदला जा रहा है, उनकी निर्माण अवधि के दौरान सड़कों के रख-रखाव के संबंध में किसी नीति का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (दिल्ली-जयपुर) और कर्नाटक में सड़कों का रख-रखाव किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या हाल ही में वर्षा के कारण टूटे राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कर्नाटक को कोई विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों जहां 4/6 लेन बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, के लिए विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण, ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा ठेका/रियायत करार के अंतर्गत अपने दायित्व के भाग के तौर पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) रारा-8 के दिल्ली-जयपुर खंड और कर्नाटक में अन्य रारा खंडों जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रियायतें सौंपी गई हैं, का अनुरक्षण, निर्धारित मानदंडों और रियायत करार में विनिर्दिष्ट शर्तो के अनुसार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निधियों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, हाल में आई बाढ़, वर्षा आदि के कारण हुई क्षति के अस्थायी पुनरूद्धार के लिए 1.88 करोड़ रुपए की राशि, कर्नाटक राज्य को वर्ष 2011-12 (बजट प्राक्कलन) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 0.25 करोड़ रुपए की धनराशि, कर्नाटक राज्य लोक निर्माण विभाग के हुबली राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग को रारा-4ए के बेलगांव-गोवा/कर्नाटक सीमा खंड जो हाल में हुई वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, में न्यूनतम मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए जारी की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु निधियां का आबंटन

2693. श्री पी.के बिजू:
श्री एस.आर. जेयदुरईः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता आवश्यकता को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार, राज्य सरकारों द्वारा कितने आबंटन का अनुरोध किया गया तथा वास्तविक रूप से कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-वार, उनकी लम्बाई-वार और राज्य-वार राज्य सरकारों ने अपने स्रोतों/वार्षिक बजट से कितना व्यय किया;

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु राज्यों का पर्याप्त निधियां प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समय-सारणी के अनुसार शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि राज्य सरकारों (राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से), सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को उनके विकास और अनुरक्षण के लिए उक्त एजेंसियों को सौंपा जाता है।

मंत्रालय की नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुर्पुदगी के लिए कार्रवाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किए जाते समय शुरू कर दी जाती है। उस समय तक इन राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण राज्य पीडब्ल्यूडी/बीआरओ द्वारा इस प्रकार से किया जाता है कि यातायात के आवागमन में कोई कठिनाई न हो। इस अवधि के दौरान घिसाई वाली ऊपरी सतह का नवीकरण, सड़क गुणता सुधार, सड़क के निर्धारित चक्र और अवस्था संबंधी आवश्कयताओं को पूरा किए जाने और पुलियां, नालों के निर्माण, पेवमेंट के सुदृढ़ीकरण आदि जैसे अन्य सुधारात्मक कार्य (जो कि यातायात के सुरक्षित आवागमन के लिए अपेक्षित होते हैं और जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड सौंपे जाने से पूर्व पूरा किया जा सकता है) भी संस्वीकृत किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल न किए गए अन्य खंडों का अनुरक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए निधि की उपलब्धता, क्षति की मात्रा, परस्पर प्राथमिकता अनुरूप संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों के संबंध में, जहां 4/6 लेन बनाए जाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयनधीन

है, मौजूदा सड़कों का अनुरक्षण ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा ठेके/रियायत करार के अंतर्गत उनके दायित्वों के एक भाग के रूप में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए उन खंडों के संबंध के जहां 4/6 लेन बनाए जाने का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण, सीधे ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के पूरे हो गए खंडों का अनुरक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण (एम एंड आर) ठेकों के माध्यम से और निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण आधार पर विकसित किए जा रहे खंडों का अनुरक्षण, रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा नियुक्त रियायतग्राही, राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकसित खंडों के प्रचालन और अनुरक्षण को प्रचालन-अनुरक्षण-हस्तांतरण आधार पर निजी क्षेत्र की सहभागिता से करा कर उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने की एक नीतिगत पहल की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाने वाला आयोजना भिन्न आबंटन, मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वास्तविक अपेक्षा का लगभग 40% होता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए प्राक्कलित अपेक्षित निधि और इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए वास्तविक आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	आकलित आवश्यक निधि	प्रदत्त आबंटन
1	2	3
2004-05	2,480.00	745.56
2005-06	2,480.00	868.10
2006-07	2,480.00	814.38
2007-08	2,280.00	1,001.68
2008-09	2,500.00	974.32
2009-10	2,500.00	1,059.10
2010-11	2,800.00	1,989.46
2011-12	2,800.00	1,027.25

1,000.10 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन 2010-11 के दौरान संशोधित प्राक्कलन चरण में उपलब्ध कराया गया था।

इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधि के आबंटन में वृद्धि किए जाने के मुद्दे को समय-समय पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। वित्त मंत्रालय, वर्ष 2011-12 के संशोधित प्राक्कलन चरण पर 300 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आवधिक आकलन, कार्यपालक एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उनकी स्थिति के आंकलन के आधार पर और यातायात घनत्व तथा कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के कार्य विगत तीन वर्षों के दौरान निधि की उपलब्धता और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के अनुरूप किए गए।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों/वार्षिक बजट में से किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, छत्तीसगढ़, मणिपुर और ओडिशा जैसे राज्यों से संबंधित सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार उनको यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए कार्य निधि की उपलब्धता, यातायात घनत्व और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों को तदनुसार आबंटन भी उपलब्ध संसाधनों में से किए जाते हैं।

हाल ही के आकलन के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधि की किसी कमी की परिकल्पना नहीं है।

इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधि के आबंटन में वृद्धि किए जाने के मुद्दे को समय-समय पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। वित्त मंत्रालय, वर्ष 2011-12 के संशोधित प्राक्कलन चरण पर 300 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सघन अनुवीक्षण किए जाने हेतु मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण आदि में तेजी लाने के उपाय किए गए हैं।

परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और अनुवीक्षण विभिन्न स्तरों पर किया जाता है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित निधियां और किया गया व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2018-11		2011-12*	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	83.25	97.70	56.25	63.89	67.06	64.13	53.68	18.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.82	0.02	0.91	2.73	26.53	27.07	21.41	0.00
3.	असम	40.20	40.47	78.85	67.19	111.36	99.04	46.07	22.25
4.	बिहार	44.50	38.02	69.51	50.92	93.84	79.06	70.42	28.35
5.	चंडीगढ़	0.68	0.80	0.75	0.67	0.66	0.31	0.68	0.34
6.	छत्तीसगढ़	27.26	27.76	33.40	31.94	22.66	22.66	23.24	5.66
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
8.	गोवा	5.01	4.61	5.35	4.93	4.85	1.66	10.58	0.73
9.	गुजरात	42.04	41.92	43.03	41.68	82.74	82.21	62.41	50.06
10.	हरियाणा	19.64	19.79	18.97	18.61	30.06	28.15	16.47	13.22
11.	हिमाचल प्रदेश	18.84	20.94	31.37	26.43	22.25	21.69	24.79	16.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	झारखंड	20.38	18.56	28.97	18.23	33.20	32.92	17.08	1.79
13.	कर्नाटक	71.24	67.04	64.76	66.98	77.61	61.43	42.82	24.32
14.	केरल	21.75	30.12	28.50	60.45	52.08	41.88	24.85	1.90
15.	मध्य प्रदेश	48.66	50.37	57.15	59.53	45.39	43.30	19.09	5.67
16.	महाराष्ट्र	62.92	53.04	66.98	65.38	104.40	99.50	82.98	48.44
17.	मणिपुर	10.24	9.72	7.24	7.61	18.68	17.46	16.61	0.04
18.	मेघालय	17.53	17.41	14.78	17.79	48.92	44.93	27.18	6.32
19.	मिजोरम	9.20	7.40	3.58	2.22	39.69	37.44	18.23	2.81
20.	नागालैंड	10.78	12.55	12.30	10.72	14.57	12.77	14.80	9.66
21.	ओडिशा	52.56	61.88	59.50	61.83	80.77	80.77	34.00	12.90
22.	पुडुचेरी	1.10	1.47	1.63	0.89	3.46	1.64	1.27	0.00
23.	पंजाब	25.58	27.47	23.00	26.86	21.38	16.13	19.36	11.84
24.	राजस्थान	72.35	75.06	76.53	48.39	85.72	77.30	65.16	31.01
25.	तमिलनाडु	49.40	46.55	32.62	41.21	54.36	53.90	38.16	21.72
26.	उत्तर प्रदेश	55.22	61.04	73.93	84.83	97.50	97.11	99.68	44.71
27.	उत्तराखंड	21.87	20.86	25.31	23.40	73.59	59.46	52.12	17.72
28.	पश्चिम बंगाल	31.49	21.69	27.15	36.70	57.65	54.75	22.89	7.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	4.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00
30.	भा.रा.रा.प्रा.@	70.00	70.00	87.94	87.94	617.65	617.65	30.00	30.00
31.	सीमा सड़क संगठन	26.35	21.68	24.00	23.73	65.00	44.50	44.00	22.23

*अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार।

@भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा संगठन को राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते।

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/वार्षिक बजट से राज्य-वार किया व्यय

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	रारा सं.	लंबाई किमी.	(राशि करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	2008-09	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंड	364.59	162.05
		2009-10		297.66	171.78
		2010-11		516.16	217.86
		2011-12$		14.87	58.99
2.	गोवा	2008-09	4ए, 17, 17ए और 17बी	242.62	6.85
		2009-10	4ए, 17, 17ए और 17बी	242.62	8.50
		2010-11	4ए, 17, 17ए और 17बी	242.62	15.84
		2011-12$	4ए, 17, 17ए और 17बी	242.62	8.55
3.	झारखंड	2008-09	33	12.00	0.44
		2009-10	-	-	-
		2010-11	-	-	-
		2011-12$	23, 31, 32, 33, 75, 80 और 98	504.00	10.63
4.	कर्नाटक	2008-09	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंड		27.29
		2009-10			6.19
		2010-11			16.39
		2011-12$			
5.	मध्य प्रदेश	2008-09	3, 7, 12, 12ए, 27, 59, 59ए, 69, 75.86 और 92	573.00	47.70
		2009-10			13.16
		2010-11			4.16
		2011-12$			

1	2	3	4	5	6
6.	तमिलनाडु	2008-09	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंड	100.10	7.97
		2009-10		59.60	8.25
		2010-11		100.60	11.98
		2011-12$		72.62	5.38
7.	उत्तर प्रदेश	2008-09	3, 11, 24ए, 56.91 और 93 24 और 24ए	6.06	
		2009-10			0.10
		2010-11			
		2011-12$			
8.	उत्तराखंड	2008-09	58 और 125		0.60
		2009-10			
		2010-11	74, 87, 94, 119, 121 और 123		12.66
		2011-12$	74		1.49

$-नवंबर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार।

प्रमुख पत्तनों पर कारगो हैन्डलिंग

2964. श्री धनंजय सिंहः
श्री एस. अलागिरीः
श्री हरिन पाठकः
श्री एस. सेम्मलईः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश के प्रमुख पत्तनों पर पत्तन-वार मौजूदा कारगो हैन्डलिंग क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) पत्तनों में अवसंरचना विकास का ब्यौरा क्या है तथा इन पत्तनों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध मौजूदा सड़क अवसंरचना की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या भारतीय पत्तनों की मौजूदा कारगो हैन्डलिंग क्षमता और इन पत्तनों तक पहुंचने हेतु उपलब्ध अवसंरचना विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है; और

(घ) पत्तन-वार, प्रमुख पोतों पर कारगो हैन्डलिंग क्षमता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए तथा इन पत्तनों तक पहुंचने हेतु मौजूदा सड़क अवसंरचना में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पत्तनवार, गत तीन वर्षों की अवधि में देश में कार्गो सम्भलाई क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पत्तन में अवसंरचना विकास एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अनुसार कुछ पत्तनों में सड़क संयोजकता और आंतरिक सड़कों के सुधार के साथ करीब 69 परियोजनाएं और 1867.18 मिलियन टन की क्षमता वर्धन के लिए 18 परियोजनाएं अनुमोदित हैं जिसके लिए यह कार्य आधार औपचारिकताएं इत्यादि पूरी होने के बाद जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इन पत्तनों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध मौजूदा सड़क अवसंरचना की क्षमता वर्तमान में पर्याप्त है।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी महापत्तनों में कार्गो सम्भलाई क्षमता संवर्ध के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- नए घाट/टर्मिनलों का निर्माण
- घाटों के लिए विभिन्न विस्तार/उन्नयन परियोजनाएं
- नई और आधुनिक उपकरणों को लगाना
- कार्गो सम्भलाई उपकरणों का उच्चतर क्षमता के द्वारा उन्नयन/प्रतिस्थापन
- कार्गो सम्भलाई प्राचलन का मशीनीकरण
- पत्तन प्राचलन में स्वचालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कम्प्यूटर सहायता प्राप्त प्रणाली
- जलयानों की सुचारु संचालन के लिए जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) का लगाना
- वेब आधारित पोर्ट कम्यूनिटी सिस्टम का कार्यान्वयन

वर्तमान में देश में सभी महापत्तनों के पास सड़क और रेल संयोजकता है। रेल और सड़क संयोकता परियोजनाओं को मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (एन.एच.ए.आई.) और रेलवे द्वारा कार्यान्वयन किया जा है, क्रमशः बी.ओ.टी. आधार पर और विशेष उद्देश्य वाहनों के निर्माण के द्वारा जिसमें पत्तन इक्टयूटी हो सकता है। अनेक बार, पत्तनों के पास सड़क और रेलवे संयोजकता परियोजनाओं के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान बनाया है।

विवरण

महापत्तनों में कार्गो सम्भलाई क्षमता
(पिछले तीन वर्ष)

(मिलियन टन में)

महापत्तन	2010-11	2009-10	2008-09
कोलकाता	16.35	15.90	15.76
हल्दिया	50.70	46.70	46.70
पारादीप	76.50	76.50	71.00
विशाखापट्टनम	64.93	62.27	62.23
इन्दौर	31.00	16.00	16.00
चेन्नई	79.72	71.32	55.75
तूतीकोरिन	27.04	23.72	22.81
कोचीन	40.98	30.37	28.37
नव मंगलूर	45.57	44.20	44.20
मुरगांव	41.90	37.05	33.05
मुम्बई	44.53	43.70	43.70
जे.एन.पी.टी.	64.00	64.00	57.96
कांडला	86.91	85.00	77.24
कुल	670.13	616.73	574.77

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल करना

2965. डॉ. बलीरामः
योगी आदित्यनाथः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों विशेषकर केरल में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सूची में और जातियों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को ओबीसी की सूची में कुछ नई जातियों को शामिल करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को ओबीसी की सूची में कुछ जातियों को शामिल किए जाने के अलावा अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार और जाति-वार ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डॉ. नैपोलियन): (क) से (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अंतर्गत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नागरिकों के किसी वर्ग के एक पिछड़ा वर्ग के रूप में समावेशन के लिए अनुरोधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। इस अधिनियम की धारा 9(1) का पाठ निम्नानुसार हैः

> "9(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नागरिकों के किसी वर्ग के एक पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचियों में समावेशन के लिए अनुरोधों की जांच करेगा और इन सूचियों में किसी पिछड़ा वर्ग के अधिसमावेशन अथवा अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनेगा तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देगा जिसे वह उपयुक्त समझे।"

जातियों/समुदायों का समावेशन एक सतत प्रक्रिया है तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केन्द्र सरकार के लिए इस संबंध में समय-समय पर सलाह देता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों के पूर्ण प्रस्तावों के ब्यौरे जो अनुमोदित क्रिया-विधियों के अनुसार प्रक्रियाधीन हैं, विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य सरकारों के पूर्ण प्रस्ताव जो अनुमोदित क्रिया-विधि के अनुसार प्रक्रिया में है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय
1	2
बिहार	1. तांती (ततवा)
	2. कानू
छत्तीसगढ़	3. महरा, महारा
	4. चिक गंडा, चिक, चीक
	5. औधेलिया, अधोलिया, अधोरिया, अधौलिया
हिमाचल प्रदेश	6. तरखान
कर्नाटक	7. बोवी (गैर-बेस्ता), कल्लूवड्डार, मन्नूड्डार, बन्दी वड्डार
केरल	8. पुल्लुवन
	9. थाचर (बढ़ई से अलग)
	10. मडिगा
	11. कोप्पलन
	12. पेरुवन्नन
मध्य प्रदेश	13. दहिया
	14. सखवार

1	2
ओडिशा	15. अमाता, अमाथ
	16. बाजिया
	17. बूनापानो
	18. जग्गीली, जग्ली
	19. चिक, चिक बडाईक
	20. तियार, तियोर
	21. सितुरिया
	22. अधेरी केला, सिन्दूरिया केला
	23. गौंडिया केला
	24. पाना वैश्नब, पानो वैश्नब
	25. कालन्दी, क़ालन्दी वैश्नब, कलिन्दी, वैश्नब
	26. कांड्रा बैश्नब, कांड्रा बैश्नब
	27. बौरी बैश्नब
	28. धोबा बैश्नब
	29. गोखा बैश्नब, गोकाह बैश्नब
	30. केसुरिया
	31. भिना, तुला भिना
	32. मेहंतर, मेहेन्तर
	33. सित्ता
	34. गौडिया केला
	35. अधूरिया डोंब, अधूरिया डोम
	36. रजक, रजाका
	37. बेत्रा
	38. खिटिया
	39. जयन्तारा पानो, जेना पानो
	40. पौंड्रा, पोड
	41. खाडल, खोडल, खडोला
त्रिपुरा	42. चमार-रविदास, चमार रोहिदास
	43. धोबी
	44. झालो मालो
उत्तराखंड	45. नामसूद्र, पोड, पौंड्रा, माझी

[अनुवाद]

वायु सेना में दुर्घटनाएं

2966. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री के.पी. धनपालनः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः
श्री उदयनराजे भौंसलेः
श्री राम सिंह कस्वांः
श्री जितेन्द्र सिंह मलिकः
कुमारी मीनाक्षी नटराजनः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त हुए विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों विशेषरूप से मिग-21 सीरिज और हेलीकाप्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विमान चालकों/व्यक्तियों सहित जान और माल का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति की गई;

(ग) जांच में प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण पाए गए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या हाल ही में पायलटों की अनुभवहीनता दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताया गया;

(ङ) यदि हां, तो चालकों के विमान उड़ाने के कौशल में सुधार करने और इस उद्देश्य के लिए अग्रिम जेट प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की है; और

(छ) क्या सरकार का विचार मिग-21 विमान की सेवाएं समाप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11 तक) तथा मौजूदा वर्ष 2011-12 (03.12.2011 तक) में भारतीय वायुसेना के 30 लड़ाकू विमान (मिग-21 श्रृंखला के 16 विमानों सहित) और 10 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में 13 पायलटों सहित 26 रक्षा कार्मिकों की मृत्यु हो गयी। इसके अलावा 06 सिविलियन भी मारे गए। जान और माल की हानि के लिए मुआवजा मौजूदा सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक तथा तकनीकी दोष थे। भारतीय वायुसेना के प्रत्येक विमान की दुर्घटना के कारण का पता चल सके और तदनुसार भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय वायुसेना में पायलटों को अनुभवहीन होना विमान दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से नहीं है। फिर भी, सरकार ने, मानवीय चूक की वजह से दुर्घअनाएं रोकने के लिए, पायलटों को प्रशिक्षित करने हेतु उपाय किए हैं। इन उपायों में प्रक्रियाओं और आपातकालीन कार्रवाई के लिए सिमुलेटरों का वर्धित प्रयोग, मिशन के आपातिक पहलुओं पर अतिरिक्त जोर देते हुए केंद्रित एवं वास्तविक प्रशिक्षण, कर्मी संसाधन प्रबंधन तथा प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन की शुरुआत ताकि सुरक्षित मिशन उड़ाने की जा सकें, विमानन मनोविज्ञान पाठ्यक्रम तथा वायुकर्मियों के शुरूआती प्रशिक्षण में वैमानिकी सुरक्षा पाठ्यक्रमों की शुरूआत शामिल हैं।

(च) भारतीय वायुसेना द्वारा एक बहु-आयामी अध्ययन दल का गठन किया गया है।

(छ) विमानों को चरणबद्ध ढंग से सेवा से हटाए जाने का निर्णय, बहुत से कारकों, जिनमें विमानों के शेष उपयोगिता काल तथा संक्रियात्मक दृष्टिकोण शामिल है, के आधार पर लिया जाता है तथा सरकार द्वारा इसकी समीक्षा समय-समय पर की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

सड़क सुरक्षा कार्यक्रम

2967. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में आयोजित सड़क और यातायात प्रबंधन सम्मेलन का ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ख) क्या सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो बिहार सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा कुछ समाधान किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के पहले 48 घंटों में उपचार के लिए व्यय को वहन करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) मंत्रालय, अन्य संगठनों के सहयोग से समय-समय पर सड़क सुरक्षा पर सम्मेलन, सेमिनार आदि आयोजित करता है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों ने ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने, एंबुलेंस/क्रेन/सड़क सुरक्षा उपकरण आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता हेतु इस मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं और मंत्रालय उन पर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार करता है। जहां तक बिहार और आंध्र प्रदेश से प्रस्तावों का संबंध है तो बिहार सरकार ने औरंगाबाद में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और आंध्र प्रदेश सरकार ने नालगोंडा जिले, कृष्णा जिले और विशाखापट्टनम में एक-एक ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

स्थापित करने के लिए तीन प्रस्ताव भेजे हैं। जहां बिहार सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है वहीं आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विजयवाड़ा के लिए एक ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है जो कि पहले ही पूरा हो चुका है और कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय द्वारा, सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों के पहले 48 घंटों में किए गए उपचार पर आने वाले व्यय को वहन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

लौह अयस्क का निर्यात

2968. डॉ. एम. तम्बिदुरईः
श्री यशवंत लागुरीः
श्री हरीश चौधरीः
श्री रवनीत सिंहः
श्री पी.के. बिजूः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में लौह अयस्क का कितना उत्पादन हुआ, इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या लौह अयस्क का निर्यात इसके घटते भंडार, उच्च मांग और देश में इसकी खपत तथा इसकी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद ही किया जाता है;

(ग) क्या विभिन्न देशों के साथ किए गए करारों के कारण सरकार का यह दायित्व है कि अगले दो वर्षों के दौरान लौह अयस्क का निर्यात किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव घरेलू को बचाने के उद्देश्य से लौह अयस्क की निर्यात नीति पर पुनः विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का कुल लौह अयस्क उत्पादन, निर्यात तथा विदेशी विनियमय अर्जन निम्नलिखित हैं:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)	निर्यात	
		मात्रा मिलियन टन	मूल्यः करोड़ रुपए
2008-09	215.44*	105.87	34036.67
2009-10	218.55*	117.37	41794.85
2010-11	208.00*	97.66*	उपलब्ध नहीं

(ख) जी, हां। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन सदा से ही घरेलू इस्पात उद्योग के उपभोग करने की क्षमता से अधिक रहा है। भारत मुख्य रूप से लौह अयस्क फाइन्स का निर्यात कर रहा है जो सीमित सिन्टरिंग एवं पेलेटीजेशन क्षमता के कारण घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) से (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र

2969. श्री नीरज शेखरः
श्री यशवीर सिंहः
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार भवन निर्माताओं/निजी रिटेलरों को रक्षा भूमि की बिक्री के लिए सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रीनगर में निजी पक्षों को रक्षा भूमि की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में कथित रूप से अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले में प्रत्यक्ष रूप से कौन-कौन से अधिकारी शामिल पाए गए तथा इस संबंध में कथित रूप से किन-किन पक्षों/व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस घटना की जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षो के दौरान रक्षा भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में श्रीनगर के अलावा, कोई अन्य मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। इस मामले में प्राथमिक जांच करने के बाद, यह पाया गया कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में प्रथम दृष्ट्या अनियमितताएं रहीं हैं जिसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। मामले की गहनता से जांच करने तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार ने जांच-कार्य केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बाल श्रम

2970. श्रीमती प्रिया दत्तः
श्री यशवीर सिंहः
श्री नीरज शेखरः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में आयोजित प्रगति मैदान, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सैंकड़ों बाल श्रमिकों को नियोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में बाल श्रमिकों के पुनर्वास और उसे ठीक से लागू करने के लिए क्या दीर्घावधि योजनाएं शुरू की गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करते समय किसी भी बच्चे को नियोजित नहीं करता है।

(ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनिम, 1986 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, जो अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अपने संबंधित क्षेत्रों में समुचित सरकार हैं, द्वारा सौंपी गयी आवधिक रिपोर्टो के माध्यम से सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का अनुवीक्षण करती है। सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, कार्य से हटाये गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध करायी जाती हैं।

पथकर संग्रहण

2971. डॉ. रतन सिंह अजनालाः
डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार द्वारा संगृहीत पथकर का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन राष्ट्रीय राजमार्गों जिन पर मरम्मत चल रही है अथवा जो विस्तार योजना के अंतर्गत हैं, उन पर सेवाओं में सुधार होने तक आने जाने वालों से पथकर संग्रहण को निलंबित करने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय पथकर प्रभार को कितने समय तक निलंबित रखने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) सभी परियोजनाओं (सार्वजनिक वित्त पोषित, बीओटी/एसपीवी) से पिछले तीन वर्ष में और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2011 तक) के दौरान प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष में से और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार संग्रहीत पथकर (अक्टूबर, 2011 तक)

क्र.सं.	राज्य	फीस संग्रहण (लाख रु. में)			
		2008-09	2009-2010	2010-11	2011-12 (अक्टूबर तक)
1.	आंध्र प्रदेश	37474.83	55454.43	70366.13	48287.17
2.	बिहार	5104.63	6009.10	6414.18	4735.98
3.	गुजरात	24712.44	59770.80	80238.58	51422.88
4.	हरियाणा	36287.51	31826.43	39921.92	18732.46
5.	झारखंड	4831.88	4704.12	5459.75	3517.07
6.	कर्नाटक	17641.84	18757.50	29279.74	22332.93
7.	केरल	0.00	0.00	0.00	263.56
8.	महाराष्ट्र	24949.11	40114.71	63007.52	41826.23
9.	मध्य प्रदेश	1929.11	6433.21	10250.87	11362.38
10.	ओडिशा	3413.90	7343.45	10486.22	6283.42
11.	पंजाब	7008.31	13123.53	16719.28	10486.90
12.	राजस्थान	44803.33	75216.77	90853.03	58738.80
13.	तमिलनाडु	19239.31	43462.30	71415.80	49963.85
14.	उत्तर प्रदेश	15679.97	21742.10	25172.94	19692.77
15.	पश्चिम बंगाल	16764.45	19286.19	22038.85	12888.35
16.	छत्तीसगढ़	2216.58	2512.30	2666.49	1789.37
	कुल	262057.20	405756.95	544291.28	362324.12

विवरण-II

2000-2001 से 2011-12 के दौरान राजमार्गों पर स्थायी पुल शुल्क निधि के लिए पथकर संग्रहण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-2001 के दौरान पथकर संग्रहण	2001-2002 के दौरान पथकर संग्रहण	2002-2003 के दौरान पथकर संग्रहण	2003-2004 के दौरान पथकर संग्रहण	2004-2005 के दौरान पथकर संग्रहण	2005-2006 के दौरान पथकर संग्रहण	2006-2007 के दौरान पथकर संग्रहण	2007-2008 के दौरान पथकर संग्रहण	2008-2009 के दौरान पथकर संग्रहण	2009-2010 के दौरान पथकर संग्रहण	2010-2011 के दौरान पथकर संग्रहण	2011-2012 के दौरान 31/10/2011 तक पथकर संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1063.52	556.97	386.29	385.04	451.06	480.43	504.25	439.80	463.55	326.38	206.98	94.33
2.	असम	111.37	157.17	153.01	194.25	93.61	129.22	101.81	102.00	185.79	193.25	171.16	151.91
3.	बिहार	971.50	1196.49	948.91	991.66	1145.44	828.15	917.67	708.03	546.76	976.43	600.78	840.95
4.	छत्तीसगढ़	28.67	88.58	147.81	133.97	173.58	232.59	238.94	371.81	250.39	413.97	622.27	388.97
5.	गोवा	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	1395.17	854.89	653.03	566.71	566.85	405.72	336.55	301.87	223.90	274.87	218.30	132.35
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	7.74
9.	कर्नाटक	309.53	318.11	320.54	386.89	364.11	430.24	459.61	396.46	455.37	477.73	515.91	257.50
10.	केरल	372.66	386.60	408.87	306.53	411.36	516.72	486.74	590.09	740.49	919.52	888.50	390.21
11.	महाराष्ट्र	606.22	1413.41	675.08	751.31	499.5	709.64	905.02	788.20	1246.91	895.53	1168.72	542.91
12.	मध्य प्रदेश	284.39	499.06	1386.70	1196.87	1582.82	944.39	1348.30	1770.55	1713	2343.06	464.76	3438
13.	मेघालय	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	2.60	3.10	9.26	6.38	5.16	3.84	15.73	5.39	5.50	0.00	4.00	4.05
15.	ओडिशा	205.92	227.95	249.15	106.18	114.96	122.18	164.01	188.58	206.71	219.93	249.63	134.04
16.	पंजाब	301.78	279.67	13.15	72.09	175.15	176.99	202.48	225.07	91.28	203.82	53.99	0.00
17.	राजस्थान	442.23	341.20	459.58	434.84	472.63	290.54	313.79	405.55	489.11	622.63	650.76	392.14
18.	तमिलनाडु	185.52	183.27	123.68	55.24	21.59	49.83	44.03	17.40	35.45	18.64	10.83	14.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	उत्तर प्रदेश	1128.68	1334.39	1366.03	946.6	962.45	950.31	1017.41	1004.68	1036.83	1190.16	1110.85	540.14
20.	उत्तराखंड	0.00	175.13	111.66	147.37	69.36	154.18	182.79	223.08	235.48	298.01	330.80	205.77
	कुल	7449.76	8017.98	7412.75	6681.93	7109.63	6424.97	7239.13	7538.56	7926.52	9373.93	7313.61	4131.78

[हिन्दी]

विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों हेतु धनराशि

2972. श्री गणेश सिंहः
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा मुहैया करायी जा रही धनराशि बेहद कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त धनराशि को बढ़ाने का है;

(घ) क्या अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए वार्षिक प्रावधानगत आय सीमा अन्य समुदायों के लिए निर्धारित आय सीमा से बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों हेतु आय सीमा बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) 2011-12 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बजट आबंटन निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	योजना	बजट आबंटन (करोड़ रुपए)
1.	अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	50.00
2.	अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	535.00

वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को उपलब्ध कराए गए सकल बजटीय सहायता के आधार पर, आयोग मंत्रालयों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयवार वार्षिक योजना आबंटन करता है। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाएं वर्ष के दौरान मंत्रालय को आबंटित निधियों के आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) मौजूदा आय सीमा निम्नानुसार हैः

श्रेणी	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
अनुसूचित जातियां		माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों में आय 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं
अल्पसंख्यक	1.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं	2.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं
अन्य पिछड़ा वर्ग	माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 44,500/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं	माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं

(क) और (छ) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आय सीमा को 1.7.2011 से संशोधित करके 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। तथापि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आय सीमा में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

ईएसआईसी लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड

2973. श्री गोपाल सिंह शेखावतः
डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान सहित देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अन्तर्गत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर ईएसआईसी लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी ईएसआईसी लाभार्थियों को ऐसे कार्ड कब तक जारी/मुहैया कराये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) 31 मार्च, 2011 के स्थिति के अनुसार, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या 1,55,30,049 है, जिसमें राजस्थान के श्रमिक भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2011 के स्थिति के अनुसार, राजस्थान में कवर किए गए श्रमिकों की कुल संख्या 5,06,126 है।

(ख) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) "पहचान कार्डस" नामक दो स्मार्ट कार्डो का, एक बीमित व्यक्ति (आईपी) और दूसरा उसके आश्रित परिवार के लिए एक सेट जारी कर रहा है।

(ग) मॉड्यूल पहचान के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों (आईपीस) को स्मार्ट कार्डों का एक सेट जारी करना, भारत में कहीं भी, किसी भी समय चिकित्सकीय उपचार प्रदान करने हेतु बीमित व्यक्तियों तथा लाभार्थियों की पहचान, अधिप्रमाणन और सत्यापन के मुद्दे से संबंधित है।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को कार्डों का जारी किया जाना अनवरत प्रक्रिया है चूंकि नये सदस्य नियोजन के माध्यम से योजना में लगातार शामिल होते रहते हैं। 30.11.2011 तक लगभग 80 लाख लाभार्थी नामांकित किए गए हैं। शेष बीमित व्यक्तियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चह रही है।

(ङ) पहचान कार्ड के लिए, कोई अलग लागत अनुमान नहीं है चूंकि यह परियोजना पंचदीप का एक उप-घटक है।

[अनुवाद]

दालों का आयात

2974. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दालों और तिलहनों के आयात को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक दालों और तिलहनों के आयात हेतु सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा किए गए समझौतों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न दालों और तिलहनों का उपक्रम-वार उतराई प्रभार (लैंडिंग कास्ट) क्या है; और

(ङ) उन देशों के पीएसयू-वार नाम क्या हैं जिनसे दालों और तिलहनों के लिए समझौते किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) दालों एवं तिलहनों (बीज गुणवत्ता से इतर) के लिए आयात नीति तंत्र 'मुक्त' है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा दालों के आयात के लिए की गई संविदा नीचे तालिका में दी गई है; ऐसे आयातों के प्रमुख स्रोत हैं; ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, म्यांमार और अमेरिका। किसी भी पीएसयू द्वारा तिलहनों के आयात के लिए कोई संविदा नहीं की गई थी। निर्यात के देश, समयावधि और भारत में आयात के पत्तन के आधार पर खेप-दर-खेप उतराई लागत अलग-अलग होती है।

चालू वित्त वर्ष में पीएसयू द्वारा आयात हेतु की गई संविदा में दाल की मात्रा

पीएसयू का नाम	दालें (मात्रा मी.टन में)
एसटीसी	106000
एसटीसी	11000
एमएमटीसी	58660
पीईसी	179660

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में बदलना

2975. श्रीमती रमा देवीः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भगवानपुर-सरैया-मोतीपुर-वृंदावन-शिवहर रोड और मुंबई और औरंगाबाद खंड के बीच के राज्य राजमार्ग को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मार्ग तथा राज्य राजमार्ग को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी)ः (क) से (ग) भगवानपुर-सरैया-मोतीपुर-वृंदावन-शिवहर रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक मुंबई और आरंगाबाद के बीच राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का संबंध है, मुंबई से नासिक तक सड़क पहले से ही विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3 है और महाराष्ट्र सरकार के नासिक से औरंगाबाद तक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषण सड़क-संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

[अनुवाद]

रबड़ पार्कों की स्थापना

2976. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार केरल के पठानापुरम में नये रबड़ पार्क की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया)ः (क) और (ख) पठानापुरम में रबड़ पार्क की स्थापना का प्रस्ताव 12वीं योजना प्रस्ताव में इस समय शामिल नहीं है क्योंकि रबड़ पार्क की स्थापना सिर्फ इसकी संभाव्यता की जांच के लिए विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बाद ही की जा सकती है।

निर्यात तथा एफआईआई अन्तरप्रवाह के बीच अंतर

2977. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वर्ष में भारत से निर्यात तथा एफआईआई अंतरप्रवाह के संबंध में कंपनियों तथा विदेशी संस्थागत निवेशों की अधिकारिक रिपोर्ट और उठाए गए आंकड़ों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इतने बड़े अंतर के कारण क्या हैं;

(ग) क्या निर्यातों तथा विदेशी अंतरप्रवाह की प्रकृति और प्रकारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सरकार द्वारा आंकड़ों का कोई विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया)ः (क) और (घ) पण्य निर्यात एवं आयात को भुगतान संतुलन में चालू खाता व्यापार के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। एफआईआई अंतर्प्रवाह को भुगतान संतुलन में पूंजीगत खाता व्यापार के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। अतः यद्यपि ये दोनों भुगतान संतुलन के घटक हैं तथापि किसी भी प्रकार से तुलनीय नहीं हैं। तत्वतः एफआईआई अंतर्प्रवाह (जो निवेश के स्वरूप में है) और निर्यात (जो पण्य व्यापार का एक भाग है) के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। समग्र वर्ष 2010-11 तथा अप्रैल-अक्तूबर 2011 के लिए भारत को निर्यातों तथा निवल एफआईआई अंतर्प्रवाहों का विवरण निम्नानुसार हैः

मूल्य मिलि अम. डॉ. में

	2010-11	2011-12 (अप्रैल-अक्तबूर)
भारत के कुल निर्यात	251136	179777
निवल एफआईआई अंतर्प्रवाह		
(क) इक्विटी खंड में निवल अंतर्प्रवाह	24295	918
(ख) ऋण खंड में निवल अंतर्प्रवाह	7931	1758
कुल ((क)+(ख))	32226	2676

निर्यात आंकड़ों के खण्डवार संघटन तथा भौगोलिक विस्तार को समझन के लिए समय-समय पर उनका विश्लेषण किया जाता है।

मछुआरों को सहायता

2978. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी विपत्ति के समय अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा के निकट गहरे समुद्र में तटरक्षकों द्वारा भारतीय मछुआरों को कोई सहायता मुहैया करायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात के उन मछुआरों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तटरक्षकों द्वारा इस प्रकार की सहायता मुहैया करायी गयी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पड़ोसी देशों की पकड़ से तटरक्षकों द्वारा छुड़ाए गए ऐसे मछुआरों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी हां, भारतीय तटरक्षक बल भारतीय मछुआरों को समुद्र में विपत्ति के समय सहायता प्रदान करता है।

(ख) विपत्ति में फंसे मछुआरों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एम.आर.सी.सी.)/समुद्री बचाव उप-केन्द्र (एम.आर.एस.सी.) बचाव अभियान का समन्वय करता है। इसके बाद तटरक्षक बल संक्रिया केंद्र या तो समुद्र में पहले से ही मौजूद यूनिट को वहां भेजता है अथवा खोज और बचाव अभियान के लिए सबसे नजदीक स्थित तटरक्षक बल क्षेत्र से जहाज को ले जाता है। तटरक्षक बल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्री (आई.एस.एन.) को भी सक्रिय करता है जिससे विपत्ति में फंसे जहाज को सहायता पहुंचाने के लिए पास से होकर गुजरने वाले किसी भी व्यापारिक जहाज को सचेत किया जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गुजरात के मछुआरों को प्रदान की गई खोज और बचाव सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	खोज और बचाव संक्रियाओं की संख्या	बचाए गए व्यक्तियों की संख्या
2009	26	48
2010	12	76
2011	20	66

(घ) भारतीय तटरक्षक बल भारतीय समुद्र में मछुआरों को उचित सुरक्षा प्रदान करता है। आई.एम.बी.एल. के समीप, यह लगातार चौकसी रखता है और भारतीय मछुआरों को पकड़ने के प्रयासों को विफल कर देता है अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2011 में गुजरात के 22 मछुआरों सहित 06 भारतीय मत्स्य बोटों को पकड़े जाने से बचाया गया था।

कार्मिकों हेतु पुनर्वास प्रशिक्षण

2979. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त के बाद नागरिक जीवन में पुनर्वास हेतु उनके लिए परामर्श/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाओं ने ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने में सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) सरकार सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों, जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसरों एवं अन्य रैंकों के पूर्व सैनिकों की सिविल जीवन में पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सार्थक वृत्तिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है।

(ख) प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (ङ) जी, हां। भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा, उनके द्वारा प्रशिक्षित भूतपूर्व सैन्य-कर्मियों के लिए कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाता है। चूंकि प्रशिक्षण एक सतत रूप से चलने वली प्रक्रिया है, अतः प्रशिक्षणार्थियों एवं परिवेश से प्राप्त सूचना (फीडबैक) के आधार पर पाठ्यक्रम के बीच में सुधार किए जाते हैं।

विवरण

अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा चलाए जाने वाले पुनर्वास प्रशिक्षण

अफसरों का प्रशिक्षण

1. अफसरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(क) सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम

(i) कारपोरेट एवं औद्योगिक सुरक्षा, संरक्षा एवं आसूचना पाठ्यमक्रम

(ii) सुरक्षा, सर्वेक्षण एवं लेखापरीक्षा और जोखिम विश्लेषण

(ख) प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसे कि

(i) भारतीय प्रबंधन संस्थानों एवं अन्य 'ए' ग्रेड, बी-स्कूलों में 24 सप्ताह का प्रबंधन पाठ्यक्रम

(ii) रिटेल, उद्यमशीलता, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि पर मॉड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रम

(ग) अन्य पाठ्यक्रम जैसे कि

(i) सीपीएल/एटीपीएल के लिए कोचिंग

(ii) सीफेरिंग

(iii) स्वतंत्र निर्देशक पाठ्यक्रम

जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंकों का प्रशिक्षण

2. जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(क) सुरक्षा एवं अग्नि संरक्षा पाठ्यक्रम

(i) सहायक सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम

(ii) अग्नि एवं औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन

(iii) राष्ट्रीय अग्नि महाविद्यालय में उप अग्नि ऑफीसर पाठ्यक्रम

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम

(i) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत

(ii) एक्स-रे/ईसीजी तकनीशियन एवं ओटी सहायक

(iii) उन्नत वेल्डिंग

(iv) जेसीबी प्रचालक

(v) एसी रेफ्रिजरेशन

(vi) सिफेरिंग

(ग) प्रबंधन पाठ्यक्रम

(i) प्रख्यात संस्थानों में 24 सप्ताह का प्रबंधन पाठ्यक्रम

(ii) रिटेल, व्यापार, परियोजना, उद्यमशीलता, बीमा, यात्रा एवं पर्यटन, आपूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन इत्यादि पर मॉड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रम

(घ) आईटी एवं कंप्यूटर पाठ्यक्रम

(i) डीओइसीसी 'ओ' स्तरीय पाठ्यक्रम

(ii) कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण

(iii) कंप्यूटर नेटवर्किंग

(iv) डेस्कटॉप प्रकाशन

(v) बुक कीपिंग एवं अकाउन्टेंसी प्रयुक्त टैली

(vi) माइक्रोसाफ्ट प्रमाणित वृत्तिका एवं समाधान प्रदाता (एमसीपी एवं एमसीएसपी)

[हिन्दी]

रावघाट परियोजना

2980. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र हेतु संदर्शी लौह अयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई रावघाट परियोजना के कार्य-निष्पादन में सुरक्षा कारणों से कठिनाइयां सामने आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा किस कार्य योजना का प्रस्ताव किया गया है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते रावघाट में खानों एवं रेलवे लाइन के विकास में विलंब हो रहा है। इससे पेड़ काटने संबंधी क्रियाकलापों और खान के विकास करने और रेलवे लाइन का निर्माण करने संबंधी कदम उठाने पर प्रभाव पड़ा है। पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यकता पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में उपयुक्त प्राधिकरण के साथ कई बार कार्रवाई की गई है। रावघाट खान का शीघ्र विकास पूर्णतः रावघाट में पेड़ काटने संबंधी कार्य पुनः शुरू करने पर निर्भर करता है और इस्पात मंत्रालय इस मामले को सरकार के संबंधित प्राधिकरण के साथ उठा रहा है ताकि वनारोपण और अन्य संबंधित कार्य शीघ्र किए जा सके।

कारगिल युद्ध के दौरान भूमि का अधिग्रहण

2981. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट राजस्थान के गांवों में कारगिल युद्ध के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सेना द्वारा कृषकों की भूमि/घरों को अधिगृहीत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अधिग्रहण किए गए हैं;

(ग) कारगिल युद्ध के बाद अधिगृहीत भूमि तथा घरों के अधिग्रहण के बदले प्रदत्त मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित राज्य से मुआवजे के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निःशक्तता अधिकारों पर विधान

2982. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारा पुराने निःशक्तता अधिनिमय को बदलने के लिए कोई नया और व्यापक निःशक्तता अधिकार विधायन ला रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों तथा विदेशी नागरिकों के साथ हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में प्राप्त हुए विभिन्न सुझावों का अध्ययन करने और मौजूद अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार अभिसमय के अनुरूप एक नया मसौदा विधायन तैयार करने के लिए विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करके 30.4.2010 को एक समिति गठित की गई थी। समिति ने विकलांगजन संगठनों, विकलांगता क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसायटी संगठनों सहित विभिन्न पणधारकों के साथ 13 बैठकें और परामर्श किए। राज्य स्तर की परामर्श बैठकें पूर्वोत्तर टिप्पणियां लीं जा सकें। इसके अतिरिक्त, कानूनी विशेषज्ञों से 8 और 10 अप्रैल, 2011 को अलग से परामर्श किया गया। समिति ने 30.6.2011 को मसौदा विधायन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

बेरोजगार श्रमिक

2983. श्री ए. वेंकटरामी रेड्डीः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कर्नाटक के बेल्लारी में लाखों श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई पुनर्वास योजना की तैयारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रखा जाएगा।

भारत-जिम्बाम्वे व्यापार

2984. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत-जिम्बाम्वे द्विपक्षीय व्यापार समझौता को त्वरित गति प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिम्बाब्वे में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए निवेश की क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं मई, 1981 में भरत एवं जिम्बाब्वे की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार करार पहले से ही लागू है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1960 से 8 दिसम्बर, 2011 तक जिम्बाब्वे में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियों में भारतीय पक्षकारों द्वारा किए गए कुल समुद्र पारीय प्रत्यक्ष निवेश (क्षेत्र-वार) निम्नलिखित हैः

क्षेत्र	मिलियन अम. डॉलर में
वित्तीय, बीमा, भू-सम्पदा तथा व्यवसाय सेवाएं	0.02
विनिर्माण	1.32
कृषि, आखेट, वानिकी एवं मात्यिस्की	0.02
कुल जोड़	1.36

दुबई ऋण समस्या का प्रभाव

2985. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी क्षेत्रों में भारत से कुल निर्यात और आयात पर दुबई ऋण समस्या के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समस्या के परिणामस्वरूप निर्यातकों को भारी क्षति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार पर दुबई ऋण संकट का कोई विशेष प्रभाव प्रतीत नहीं हो रहा है। वर्ष 2009-10 में 1,55,328 करोड़ रु. की तुलना में खाड़ी क्षेत्र को भारत के निर्यात वर्ष 2010-11 में बढ़कर 2,15,835 करोड़ रु. हो गए थे। इसी प्रकार, खाड़ी क्षेत्र से कुल आयात वर्ष 2009-10 में 3,40,197 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2010-11 में बढ़कर 4,37,795 करोड़ रु. हो गए थे।

(ख) से (घ) अतः इस संकट के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों को कोई बढ़ा नुकसान नहीं हुआ है।

सस्ती वस्तुओं का आयात

2986. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ती वस्तुओं के आयात का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की वस्तुओं के आयात पर प्रमात्रात्मक प्रतिबंध तथा पाटनरोधी उपाय लगाने के लिए संगत कानून में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) अन्य देशों को वस्तु निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापार पद्धतियों का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग हेतु व्यापार रक्षोपाय उपलब्ध हैं। देश में किसी उत्पाद के सामान्य मूल्य से कम पर उसका आयात किए जाने की स्थिति में यदि घरेलू उद्योग को उससे क्षति पहुंचती है तो उस स्थिति में घरेलू उद्योग पाटनरोधी-शुल्क के अधिरोपण हेतु वाणिज्य विभाग में पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) से आवेदन कर सकता है।

(ग) और (घ) रक्षोपाय के रूप में मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करने के लिए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 को अगस्त 2010 में पहले ही संशोधित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ एक नई धारा 9(क) जोड़ी गई है। पाटनरोधी उपाय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क और 9 ख के अंतर्गत शामिल हैं।

काजू का निर्यात

2987. श्री एस. अलागिरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू के उत्पादन की तुलना में इसका निर्यात कम होने के कारण क्या हैं;

(ख) विदेशों में काजू की मांग यदि कोई है, तो उसका पता लगाने के लिए किए गए आंकलन का ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे काजू के उत्पादन और काजू गिरियों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(मात्राः मी.टन में)

2008-09		2009-10		2010-11	
उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात
6,95,000	1,09,522	6,13,000	1,17,991	6,53,000	91,559

स्रोतः सीईपीसीआई

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निर्यातों में गिरावट अमेरीका में आर्थिक मंदी, भारतीय रुपए में आई मजबूती और हमारे प्रतिस्पर्धी देश वियतनाम में मुद्रा के अवमूल्यन, उत्पादन की अत्यधिक लागत, मांग में कमी और वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम रहने के कारण आई थीं।

(ख) प्रमुख आयातक देश अमेरीका, यूएसई, नीदरलैंड, जापान, सऊदी अरब, फ्रांस आदि हैं। विगत में अमेरीका एवं जापान में मांग और प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए भारतयी काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) द्वारा बाजार अध्ययन किए गए थे। कृषि उत्पादों का निर्यात अधिशेष की उपलब्धता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, गुणवत्ता मानकों तथा कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता सहित अनेक कारकों पर निर्भर रहता है।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देना एक निरंतर चलने वली प्रक्रिया है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और निर्यात विकास प्राधिकरणों आदि की योजना स्कीमों के अंतर्गत उपायों तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से कदम उठा रही है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं अर्थात बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल (एमएआई), निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता वाले नगर आदि। इस प्रयोजनार्थ व्यापार शिष्टमण्डलों को विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 13 और 48

2988. श्री नलिन कुमार कटीलः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 को बी सी रोड से उप्पिननगेड़ी तक और राष्ट्रीय राजमार्ग सं 13 को मंगलोर से केरल तक चौड़ा करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 पर हासन से उप्पिननगड़ी होकर बी सी रोड तक और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-13 पर मंगलौर से करकला होकर शिमोगा तक का विकास कार्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किया गया है। रारा-48 का बी सी रोड से हासन तक चौड़ीकरण करने के लिए साध्यता अध्ययन किए जाने और रारा-13 का मंगलौर से शिमोगा तक चौड़ीकरण करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) चूंकि साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम चल रहा है इसलिए अनुमोदन हेतु समय-सीमा इंगित करना अभी जल्दबाजी करना होगा।

आरा मिल की दक्षता में सुधार

2989. श्री विष्णु पद रायः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 19 जनवरी, 2010 को मुख्य सचिव तथा संसद सदस्यों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के चाथम आरा मिल के संयुक्त दौरे के दौरान प्रधान मुख्य वन आरक्षी ने आरा मिल की दक्षता में सुधार करने के लिए चालू वर्ष के दौरान अनेक उपकरणों/मशीनों/कल पुर्जों को खरीदने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मशीने खरीदी गई थीं या नहीं;

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) इस संबंध में आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, हां। गैंट्री शेड, शोधन संयंत्र, इलेक्ट्रीकल ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन (ईओटी क्रेन), प्लेनिंग मशीन की मरम्मत/प्रतिस्थापन किए जाने के साथ-साथ एक 60 "ऊर्ध्वाधर आरा मशीन का प्रापण प्रस्तावित था।

(ग) थिकनेस प्लेनर मशीन, मल्टी-एड्जर मशीन, डीजल जेनरेटर सेट, फायर-फायरिंग उपस्करों आदि जैसी कुछ मशीनरी और उपस्कर का प्रापण किया गया था। गैंट्री शेड का नवीकरण किया गया था।

(घ) 60" वर्टिकल हेड रिग आरा मशीन के प्रामण के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने निविदा आमंत्रित किए हैं। पहले अवसर पर कोई मान्य निविदा प्राप्त नहीं हुआ था। इसका निविदा पुनः मांगा गया था परंतु निविदाओं का मूल्यांकन किए जाने से पहले ही अंडमान और निकोबार प्रशासन ने निर्णय लिया कि खण्डशः आधार पर मशीनरी और उपस्कर का प्रापण करने के स्थान पर पर्यावरण एवं वन विभाग को एक परामर्शदाता को नियुक्त करने के द्वारा तैयार की गई चाथम आरा मिल के लिए आधुनिकीकरण योजना तैयार करनी चाहिए। विभाग ने आधुनिकीकरण योजना तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रित किए और निविदाएं दिनांक 25.08.2011 को खोले गए थे परंतु किसी ने भी निविदा में भाग नहीं लिया। अतः, इसका प्रापण नहीं किया जा सका क्योंकि सामान्य वित्तीय नियमों आदि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भी पूर्ण नहीं किया गया है।

(ङ) वर्ष 2011-12 हेतु योजना बजट में चाथम आरा मिल के लिए मशीनरी और उपस्करों के प्रापण हेतु 70.00 लाख रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

इस्पात प्रसंस्करण संयंत्र

2990. श्री देवजी एम. पटेलः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने पिछले तीन वर्षो के दौरान देश के विभिन्न भागों में इस्पात प्रसंस्करण ईकाइयां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में राजस्थान के जिला सिरोही में एक इकाई सहित देश भर में इस प्रकार की ईकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बिहार (बोतिया, महनार और गया), मध्य प्रदेश (होशंगाबाद, उज्जैन और ग्वालियर), असम (गुवाहाटी), उत्तर प्रदेश (लखीमपुर), जम्मू व कश्मीर (श्रीनगर) और हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) में दस इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों (एसपीयू) की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

सेल ने बेतिया और कांगड़ा में एसपीयू स्थापित करने हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बोतिया में एसपीयू स्थापित करने हेतु एकीकृत ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रदान करने पर परियोजना का प्रचालन किया जाएगा। कांगड़ा में एसपीयू के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल कार्य और उपस्करों के उत्थापन का कार्य प्रगति पर है। मार्च, 2012 तक ट्रायल्स रन शुरू किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) उपरोक्त के अतिरिक्त संयुक्त उद्यम के जरिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सेल द्वारा एक एसपीयू स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान के सिरोही जिले में एसपीयू स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपराह्न 12.00½ बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली के 100 वर्ष पूरे होना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, जैसा कि आप सबको विदित है आज राष्ट्र देश की राजधानी को कलकत्ता से बदलर दिल्ली घोषित करने की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की नयी राजधानी घोषित किया गया था।

आज दिल्ली देश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महानागर बनाकर उभरा है। दिल्ली विश्व में न केवल सबसे अधिक हरी-भरी राजधानियों में से एक है अपितु वह विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं और कई ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जानी जाती है।

यह सभा राजधानी दिल्ली के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के सभी नागरिकों को बधाई देती देती हूं तथा उनकी सम्पन्नता और उनके चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर होने पर अपनी शुभकामनायें देती हूं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। श्री ए.के.एंटनी

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 346 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों को भतों का संदाय) नियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 6(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्वाचन (प्रक्रिया) नियम, 2011 जो 4 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5465/15/11]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जून, 2011 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 100वें सत्र में आईएलओ डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन (सी-186) तथा डोमेस्टिक वर्कर्स रिकमेंडेशन (आर-201) के बारे में अंगीकृत विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5466/15/11]

(2) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों, जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2532(अ) में प्रकाशित हुई थीं, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5467/15/11]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदया, श्री जी.के. वासन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) एन्नौर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा)

(दो) एन्नौर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5468/15/11]

(ख) (एक) सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5469/15/11]

(ग) (एक) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5470/15/11]

(2) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सीमेंन्स प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5471/15/11]

(3) (एक) वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरीन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(एक) वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरीन के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5472/15/11]

(4) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5473/15/11]

(5) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5474/15/11]

(6) (एक) मुर्मूगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगांव पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5475/15/11]

(7) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, परादीप के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5476/15/11]

(8) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5477/15/11]

(9) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5478/15/11]

(10) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 9 की उपधारा (1क) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (सीमेन्स कल्याण शुल्क का उद्ग्रहण) संशोधन नियम, 2011 जो 30 अगस्त, 2011

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 2044 (अ) जो 6 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय वर्गीकरण सोसाइटियां को शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिसूचित किया गया है।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5479/15/11]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 679 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5480/15/11]

(2) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5481/15/11]

(3) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5482/15/11]

(4) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5483/15/11]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): महोदया, मैं श्रीमती जयंती नटराजन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5484/15/11]

(3) (एक) सेन्ट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5485/15/11]

(5) (एक) पद्मजा नायडु हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडु हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5486/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदया, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5487/15/11]

(2) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5488/15/11]

(3) (एक) शैलक एण्ड फारैस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (शैफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलक एण्ड फारैस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (शैफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) शैलक एण्ड फारैस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (शैफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5489/15/11]

(4) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5490/15/11]

(5) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5491/15/11]

(6) (एक) भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5492/15/11]

(7) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (ईईपीसी इंडिया), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (ईईपीसी इंडिया), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5493/15/11]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5494/15/11]

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5495/15/11]

(ग) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5496/15/11]

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5496/15/11]

(घ) (एक) कैपिक्सिल लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कैपिक्सिल लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5497/15/11]

(ङ) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (प्लेक्सकोंसिल), मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (प्लेक्सकोंसिल), मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5498/15/11]

(च) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (कैमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (कैमेक्सिल), मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5499/15/11]

(छ) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5500/15/11]

(9) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अंतर्गत मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 2011 जो 15 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 811(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5501/15/11]

(10) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2020(अ) जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें 1 सितम्बर, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे भारत में उत्पादित समस्त रबड़ पर उपकर के रूप में प्रति किलो रबड़ पर 2 रुपये मात्र की दरन से उत्पादन शुल्क उद्गृहित किया जाएगा, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5502/15/11]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमेशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमेशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5503/15/11]

(2) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ज प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ज प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5504/15/11]

(3) (एक) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5505/15/11]

(4) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5506/15/11]

(5) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5507/15/11]

(6) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5508/15/11]

(7) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5509/15/11]

(8) (एक) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 5510/15/11]

(10) (एक) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5511/15/11]

(11) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5512/15/11]

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5513/15/11]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5514/15/11]

(ख) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5515/15/11]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5516/15/11]

(2) (एक) हिमाचल माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5517/16/11]

(3) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5518/16/11]

(4) (एक) जवाहर इंस्टिस्ट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिस्ट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5519/16/11]

(5) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 09(अ) जो 24 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 65 का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5520/16/11]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): महोदया, मैं, श्री जितिन प्रसाद की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) का.आ. 1264(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2561(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1072(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 25

नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3007(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चार) का.आ. 1737(अ) जो 20 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 314(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) का.आ. 2567(अ) जो 19 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1918(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अक्तबूर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2656(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 2805(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2628(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अंर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2837(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2678(अ) जो 28 अक्तबूर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2906(अ) जो 8 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी-आरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाहर) का.आ. 2648(अ) जो 26 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2639(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2871(अ) जो 30 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2277(अ) जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालंगज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1033(अ) जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1498(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दानकुनी-कोलाघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1031(अ) जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1032(अ) जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1524(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1359(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1030(अ) जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1558(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2814(अ) में कतिपय संशोधित किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 1199(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1568(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1564(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1573(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (मुजफ्फरपुर-बरौनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए जिला भूमि अर्जन अधिकारी, बेगुसराय को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ. 1363(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2656(अ) में कतिपय संशोधन किए हैं।

(उनतीस) का.आ. 1365(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (राड़गांव-जमशेदपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 5521/15/11]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशानल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5522/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दी ऑर्थोपीडिकली हैंडिकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दी ऑर्थोपीडिकली हैंडिकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5523/15/11]

(5) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दी फिजीकली हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दी फिजीकली हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5524/15/11]

अपराह्न 12.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

31वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित एचएमटी इकाइयों की रूग्णता के कारण श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): महोदया, आपकी अनुमति से मैं, लोक सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को जारी किए गए निदेश के अनुसार श्रम संबंधी स्थायी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में सन्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

समिति का चालीसवां प्रतिवेदन एचएमटी इकाइयों की रुग्णता के कारण कामगारों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से संबंधित है जिसे 25.02.2009 को सभा पटल पर रखा गया था। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति को 12.07.2010 को प्रस्तुत की थी, जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया है।

माननीय सदस्यों को परिचालित मेरे वक्तव्य के अनुबंध में चालीसवें प्रतिवेदन में सन्निहित समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शायी गई है। मैं सदन का महत्वपूर्ण समय इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़ने के लिए नहीं लेना चाहूंगा।

मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाये।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 5525/15/11]

सरकारी विधेयक पुरःस्थापित

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 12.07 बजे

(एक) खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011*

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा): मैं संघ के नियंत्रणाधीन खानों और खनिजों के वैज्ञानिक विकास और विनियमन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है कि संघ के नियंत्रणाधीन खानों और खनिजों के वैज्ञानिक विकास और विनियमन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेलः मैं विधेयक पुरःस्थापित करता** हूं।

अपराह्न 12.07¼ बजे

(दो) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

गृह राज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन): महोदया, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदंबरम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं। अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है कि

"आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रनः मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

(तीन) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक 2011*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): अपने वरिष्ठ सहयोग श्री प्रणव मुखर्जी की और से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है किः

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणाः मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.07¾ बजे

(चार) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): महोदया, आज दिल्ली की राजधानी बनने के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज इस विधेयक को पुरःस्थापित करना उपयुक्त है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 12.12.2011 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 12.12.2011 में प्रकाशित।

इसलिए, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री कमलनाथः मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, श्री कमलनाथ जी ने मुझसे मद संख्या 16 के तत्काल पश्चात मद संख्या 20 आरंभ करने का अनुरोध किया है। मेरे विचार से सभा इससे सहमत होगी।

अब मद संख्या 20 माननीय मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं प्रस्ताव करता हूंः-

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2014 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने वाले विधेयक तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाए।"

महोदया, दिल्ली विशेष विधि उपबंध अधिनियम, 2006 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कतिपय रूप के अनाधिकृत कार्यो को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने तथा सरकारी एजेंसियों को मानदंडों नीति दिशानिर्देशों और व्यवहार्य कार्य-नीतियों तथा उनके व्यवस्थित कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया था।

इसका बाद के विधान द्वारा अनुपालन किया गया है। ऐसा बनाया गया। पिछला विधान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2001 बनाया गया था जो कि 31 दिसंबर, 2011 से प्रभावी नहीं रहेगा।

दिल्ली की जनसंख्या में गत दशक में 30 लाख की वृद्धि हुई हैं और 1991-2001 के दशक में 44 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार गत 20 वर्षो में कुल वृद्धि वर्ष 1950 की जनसंख्या के 100 प्रतिशत से अधिक रही है। दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित दिल्ली के मास्टर प्लान एमपीडी, 2021 ने जमीनी हकीकत के आधार पर उत्पन्न ऐसे आशोधनों और शुदियों हेतु प्रति पांच वर्षो में इसकी समीक्षा और संशोधन का प्रावधान किया है।

एमपीडी 2021 की समीक्षा पहले ही आरंभ हो चुकी है और उसके कारण मौजूदा दिशा-निर्देशों में आवश्यक आशोधनों की आशा है। संशोधित एमपीडी में न केवल अनाधिकृत कालोनियां, गांव, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र सम्मिलित होंगे बल्कि पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी संरचना लागू करना सभी चीन होगा कि जमीनी स्तर पर इसके निर्बाध कार्यान्वयन को सरल बनाने के अतिरिक्त मास्टर प्लान के संशोधन होने तक जनता को किसी कठिनाई में न डाले जाए।

अध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2014 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने वाला विधेयक उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाये।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली को देश की राजधानी बने सौ साल हो रहे हैं और आज ही सरकार नेशनल कैपिटल दिल्ली के एक्सटैंशन के लिए आई है। मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बनता है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। दिल्ली के लिए पिछले साल ही एक साल का एक्सटैंशन लिया गया था और आज फिर से तीन साल का एक्सटैंशन लिया जा रहा है। जबकि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। खुद मंत्री जी का बयान आया कि आफिस के रूम्स में बैठकर मास्टर प्लान बना है। दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में दिल्ली डैवलपमैन्ट अथारिटी ने यह वायदा किया था कि हम दो लाख घर बनायेंगे।

इस तरह से पिछले छः सालों में करीब 12 लाख घर बनने चाहिए थे, लेकिन वे घर नहीं बने। सरकार इस बारे में कोई नीति नहीं बनाती है, बल्कि सरकार यह इजाजत देती है कि लोग अनअथोराइज बस जाएं और बाद में हम अनअथोराइज्ड कालोनीज को अथोराइज करने के लिए यहां पर चर्चा करें। दिल्ली में जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए आपने यूपीए चेयरपर्सन से सर्टीफिकेट भी बंटवा दिये। उसमें वे सब कालोनजी भी आ गईं, लेकिन आज तक उन्हें अथोराइज नहीं किया गया। संसद में हर बार इस पर चर्चा होती है और सरकार हड़बड़ी में आती है। हम आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिल्ली पूरे हिन्दुस्तान का दिल है और दिल्ली में जो लोग आते हैं, उनके बारे में गालिब ने कहा था कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली में जो लोग आते हैं, वे झोंपड़-पट्टी और झुग्गियों में रहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने उन लोगों को प्लाट्स दिये थे। लेकिन यूपीए सरकार के आने के बाद आपने झोंपड़-पट्टी के एक भी आदमी को प्लाट नहीं दिया। दिल्ली में आज सिर्फ वायदे किये जा रहे हैं। जब-जब चुनाव आते हैं, सरकार कोई न कोई वायदा यहां के लोगों से करती है और लोग उस वायदे पर भरोसा भी कर लेते हैं और शायद चुनाव में इन्हें उसका कोई फायदा भी हो जाता हो। लेकिन फिर उसके बाद सरकार हड़बड़ी में आती है। मेरा आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली में जो अनअथोराज्ड कालोनियां हैं, उन्हें अथोराइज करने के बारे में आपने जो घोषणाएं की हैं, क्या वे घोषणाएं सही हैं तथा सरकार द्वारा लोगों को बुलाकर जो पट्टे दिये गये हैं, क्या वे सही है? दिल्ली के लिए डीडीए ने वायदा किया था कि गरीब लोगों के लिए दो लाख मकान बनायेंगे। डीडीए द्वारा बनाये गये एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स आज करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं। दिल्ली में किसानों से कौड़ियों के भाव पर जमीनें ली जा रही हैं और दिल्ली डैवलपमैन्ट अथारिटी उसे करोड़ों रुपये में बेच रही है। आज दो सौ तीन सौ गज का प्लाट करोड़ों रुपये में बिकता है। आज दिल्ली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। दिल्ली में जो 20-25 परसैन्ट आबादी अनअथोराज्ड कालोनियों में रहती है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

महोदया, दिल्ली में जो लुटियन जोन है, जिसकी आपने भी प्रशंसा की है कि यह बहुत खूबसूरत है, दिल्ली हम सबकी राजधानी है। हम सब तथा पूरे देश के लोग इस पर गर्व करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली के लुटियन जोन से बाहर जाते हैं तो बदहाली पाते हैं। क्या वहां मंत्री जी ने जाकर दिल्ली का हाल देखा है? आज आप बिजवासन, नजफगढ़, ककरौला या झड़ौदा चले जाइये, इन सब जगहों से ज्यादा अच्छी सड़कें आज आपको बिहार में देखने को मिलेंगी, जबकि दिल्ली में वैसी सड़कें नहीं हैं।

मैडम, मेरा आपके जरिये सरकार से अनुरोध है कि जो रीलोकेशन की जाती है, जो गरीब लोग झोंपड़-पट्टियों में रह रहे हैं, क्या उनके लिए उस स्कीम को आगे बढ़ाने की कोई योजना है? दिल्ली के अंदर जो आबादी बढ़ रही है, क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली के अंदर जान-बूझ कर किसी योजना के तहत, इसके पीछे भ्रष्टाचार की कोई बू आती है। क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर डीडीए मकान नहीं बना रहा है और लोग दिल्ली में मकान न लेकर गाजियाबाद जा रहे हैं। नोएडा और गुड़गांव को बढ़ाने की बात हो रही है। दिल्ली के लोग ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण, मैट्रो से यात्रा करते हैं और वहां जाकर रहते हैं। जब आपने दिल्ली के किसानों से औने-पौने दामों में जमीन ली हैं तब भी दिल्ली के लोगों को मकान क्यों नसीब नहीं हैं? अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए आपने जो घोषणाएं की थीं, क्या आप उनको पूरा करेंगे? दिल्ली के अंदर अनाधिकृत कॉलोनियों को जो प्रमाण-पत्र बांटे गए हैं, क्या वे सही हैं?

दिल्ली के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर डीडीए ने एक विज्ञापन निकाला है। जिसमें बताया गया है कि डीडीए के 54 साल पूरे हो गए हैं और यह बताया है कि 54 साल में डीडीए ने 10 लाख 90 हजार 229 मकान बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डीडीए कम मकान क्यों बना रहा है? इसके पीछे कहीं आस-पास के बिल्डरों का दबाव तो नहीं है कि दिल्ली में वाल्यूम नहीं बढ़े ताकि लोग दूर जा कर बसने को मजबूर हों और दिल्ली इतनी महंगी हो जाए कि आम आदमी दिल्ली में रहने का सपना भी न देख पाए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि गरीब लोगों के लिए जो प्लॉट देंगे उसके लिए कोई स्कीम लाने वाले हैं। फारसी में यह कहा जाता था कि "हनोज दिल्ली दूर अस्त। आज आम आदमी यह कह रहा है कि दिल्ली दूर अस्त"। मतलब सौ साल के बाद भी दिल्ली दूर है। दिल्ली में काम करने वाले लोग यहां रह नहीं सकते हैं। वे बॉर्डर पार कर के बाहर जा कर रहे हैं। आप जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, वह जल्दबाजी में न लाएं। विपक्ष की हमारी नेता ने आपको पहले ही कह दिया है कि आप जो बिल ले कर आएं हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि हड़बड़ी में इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यह सिर्फ अमीरों का शहर बन कर न रह जाए। यहां आम आदमी और गरीबों के रहने के लिए जमीन मुहैया कराने की स्कीम को लागू करना चाहिए। जब मास्टर प्लान बना है तो आपके बयान के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले सीलिंग करवाते हैं, फिर सीलिंग को तुड़वाने के लिए संसद में आते हैं। उस मास्टर प्लान का मतलब क्या है? अनाधिकृत कॉलोनियों के बनते वक्त आप कोई कदम नहीं उठाते हैं। जो अनाधिकृत कॉलोनियां पास की गई हैं, उनको आज तक इम्प्लिमेंट नहीं किया है। लोगों को यह यकीन हो गया है कि दिल्ली में सरकार तो कुछ नहीं करेगी, डीडीए कुछ करेगा नहीं इसलिए लोग खुद ही दिल्ली में मकान बनाते हैं क्योंकि सरकार अनुमति नहीं देती है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज दिल्ली के सौ साल पूरे हो रहे हैं, तो मंत्री जी को दिल्ली के लोगों को तोहफा देना चाहिए। यह कहना चाहिए कि हम दिल्ली के बारे में चिंता करेंगे। आप लोग पिछले 6 सालों से जो गफलत की नींद सो रहे हैं उससे जागेंगे और आम आदमी की पहुंच में दिल्ली होगी। इस बिल का समर्थन करते हुए फिर से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के लोगों की चिंता कीजिए।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): اسپیکر صاحب، دہلی کو ملک کی راجدھانی بنے ہوئے سو سال ہو رہے ہیں اور آج ہی سرکار نیشنل کیپٹل دہلی کے ایکسٹینشن کے لئے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہلی کا جو ماسٹر پلان بنتا ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ دہلی کے لئے پچھلے سال ہی ایک سال کا ایکسٹینشن لیا گیا تھا اور آج پھر سے تین سال کا ایکسٹینشن لیا جا رہا ہے۔ جبکہ دہلی کا جو ماسٹر پلان بنا ہے، اس میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ خود منتری جی کا بیان آیا کہ آفس کے روم میں بیٹھ کر ماسٹر پلان بنا ہے۔ دہلی میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن پچھلے کئی سالوں میں دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دو لاکھ گھر بنائیں گے۔ اس طرح سے پچھلے چھ سالوں میں قریب بارہ لاکھ گھر بننے چاہئے تھے، لیکن وہ گھر نہیں بنے۔ سرکار اس بارے میں کوئی پالیسی نہیں بناتی ہے، بلکہ سرکار یہ اجازت دیتی ہے کہ لوگ ان اتھارائزڈ بس جائیں۔ ان اتھارائزڈ کالونیز کو اتھارائز کرنے کے لئے یہاں پر بحث کریں۔ دہلی میں جو غیر قانونی کالونیز ہیں انہیں ریگولرائز کرنے کے لئے آپ نے یو۔ پی۔ اے۔ چیر پرسن سے سرٹیفکیٹ بھی بنوا دئے۔ اس میں وہ سب کالونیز بھی آ گئی لیکن آج تک انہیں اتھارائز نہیں کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ہر بار اس پر بحث ہوتی ہے اور سرکار ہڑبڑی میں آتی ہے۔ ہم آپ کے ذریعے منتری جی سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ دہلی پورے ہندوستان کا دل ہے اور دہلی میں جو لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں غالب صاحب نے کہا تھا کہ 'کون جائے غالب دہلی کی گلیاں چھوڑ کر'۔ دہلی میں جو لوگ آتے ہیں وہ جھوپڑ پٹی اور جھگیوں میں رہتے ہیں۔ جناب اٹل بہاری باجپئی جی کی سرکار نے ان لوگوں کو پلاٹس دئے تھے۔ لیکن یو۔ پی۔ اے۔ سرکار کے آنے کے بعد آپ نے جھوپڑ پٹی کے ایک بھی آدمی کو پلاٹ نہیں دیا۔ دہلی میں آج صرف وعدے کئے جا رہے ہیں۔ جب جب چناؤ آتے ہیں سرکار کوئی نہ کوئی وعدہ یہاں کے لوگوں سے کرتی ہے اور لوگ اس وعدے پر بھروسہ بھی کر لیتے ہیں اور شاید چناؤ میں ان کو اس کا کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہو، لیکن پھر اس کے بعد سرکار ہڑبڑی میں آتی ہے۔ میری آپ کے ذریعہ منتری جی سے گزارش ہے کہ دہلی میں جو غیر قانونی کالونیاں ہیں انہیں قانونی درجہ دئے جانے کے بارے میں آپ نے جو اعلان کئے ہیں کیا وہ سچی ہیں اور سرکار کے ذریعے لوگوں کو بلا کر جو پٹے دئے گئے ہیں، کیا وہ سچی ہیں؟ دہلی کے لئے ڈی۔ ڈی۔ اے۔ نے وعدہ کیا تھا کہ غریب لوگوں کے لئے دو لاکھ مکان بنائیں گے۔ ڈی۔ ڈی۔ اے۔ کے ذریعے ایم۔ آئی۔ جی۔ اور ایل۔ آئی۔ جی۔ فلیٹس آج کروڑوں میں بک رہے ہیں۔ دہلی میں کسانوں سے کوڑیوں کے بھاؤ پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسے کروڑوں میں بیچ رہی ہے۔ آج دو سو۔ تین سو گز کا پلاٹ کروڑوں میں بکتا ہے۔ آج دہلی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ دہلی میں جو 25-20 فیصد آبادی ان اتھارائزڈ کالونی میں رہتی ہے سرکار کو ان کی مدد کرنی چاہئے۔

محترمہ، دہلی میں جو تین زون ہیں جس کی آپ نے بھی تعریف کی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، دہلی ہم سب کی راجدھانی ہے۔ ہم سب اور پورے ملک کے لوگ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم تین زون سے باہر جاتے ہیں تو بد حالی پاتے ہیں۔ کیا وہاں منتری جی نے جا کر حال دیکھا ہے آج آپ بجواسن، نجف گڑھ، کگرولہ یا جھروڈہ چلے جائے ان سب جگہوں سے زیادہ اچھی سڑکیں آج آپ کو بہار میں ملیں گی۔ جبکہ دہلی میں ویسی سڑکیں نہیں ہیں۔

میڈم، میری آپ کے ذریعے سرکار سے گزارش ہے کہ جو ریلوکیشن کی جاتی ہے جو غریب لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں کیا ان کے لئے اس اسکیم کو آگے بڑھانے کی کوئی اسکیم ہے؟

دہلی کے اندر جو آبادی بڑھ رہی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دہلی کے اندر جان بوجھ کر کسی یوجنا کے تحت، اس کے پیچھے بھرشٹاچار کی بو آتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دہلی کے اندر ڈی۔ ڈی۔ اے۔ مکان نہیں بنا رہی ہے۔ اور لوگ دہلی میں مکان نہ لے کر غازی آباد جا رہے ہیں نوئیڈا اور گڑگاؤں کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ دہلی کے لوگ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے میٹرو سے سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر رہتے ہیں۔ جب آپ نے دہلی کے کسانوں سے اونے۔ پونے داموں میں زمین لی ہے تب بھی دہلی کو لوگوں کو مکان کیوں نصیب نہیں ہیں؟ غیر قانونی کالونیوں کے لئے آپ نے جو گھوشنائیں کی تھی، کیا آپ ان کو پورا کریں گے؟ دہلی کے اندر غیر قانونی کالونیوں کو جو سرٹیفکیٹ بانٹے گئے ہیں کیا وہ سچی ہیں؟

دہلی کے سو سال پورے ہونے کے موقع پر ڈی۔ ڈی۔ اے۔ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ نکالا ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈی۔ ڈی۔ اے۔ کے 54 سال پورے ہو گئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ 54 سال میں ڈی۔ ڈی۔ اے۔ نے 10 لاکھ 90 ہزار 229 مکان بنائے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈی۔ ڈی۔ اے۔ کم مکان کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کہیں آس پاس کے بلڈروں کا دباؤ تو نہیں ہے کہ دہلی میں وولیوم نہیں بڑھے تاکہ لوگ دور جا کر بسنے کو مجبور ہو جائیں۔ اور دہلی اتنی مہنگی ہو جائے کہ کہ عام آدمی دہلی میں رہنے کا خواب تک نہ دیکھ پائے۔ میری آپ کے ذریعے منتری جی سے گزارش ہے کہ اس بات کی گھوشنا کریں کہ غریب لوگوں کے لئے آپ جو پلاٹ دیں گے اس کے لئے کوئی اسکیم لانے والے ہیں۔ فارسی میں یہ کہا جاتا تھا کہ 'ہنوز دہلی دور است'۔ آج عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دہلی دور است۔ مطلب سو سال کے بعد بھی دہلی دور ہے۔ دہلی میں کام کرنے والے لوگ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ وہ بارڈر پار کر کے باہر جا کر رہتے ہیں۔ آپ جو اسکیم لیکر آ رہے ہیں، وہ جلد بازی میں نہ لائیں۔ اپوزیشن کی ہماری نیتا نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ جو بل لے کر آئے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہڑبڑی میں اس پر کوئی کام نہیں ہونا چاہئے۔ یہ راشٹر کی راجدھانی شیتر ہے، یہ صرف امیروں کا شہر بن کر نہ رہ جائے۔ یہاں عام آدمی اور غریبوں کے رہنے کے لئے زمین مہیا کرانے کی اسکیم کو لاگو کرانا چاہئے۔ جب ماسٹر پلان بنا ہے تو آپ کے بیان کے بعد اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ پہلے سیلنگ کرواتے ہیں پھر سیلنگ کو تڑوانے کے لئے پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ اس ماسٹر پلان کا مطلب کیا ہے؟

غیر قانونی کالونیوں کے بنتے وقت آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ جو غیر قانونی کالونیاں پاس کی گئی ہیں، ان کو آج تک آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ دہلی میں سرکار تو کچھ کرے گی نہیں، ڈی۔ ڈی۔ اے۔ کچھ کرے گا نہیں اس لئے لوگ خود ہی دہلی میں مکان بناتے ہیں کیونکہ سرکار اجازت نہیں دیتی ہے۔

اس لئے میری آپ کے ذریعے گزارش ہے کہ آج دہلی کے سو سال پورے ہو رہے ہیں تو منتری جی کو دہلی کے لوگوں کو تحفہ دینا چاہئے۔ یہ کہنا چاہئے کہ ہم دہلی کے بارے میں فکرمند ہیں۔ آپ لوگ پچھلے 6 سالوں سے جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اس سے جاگیں گے اور عام آدمی کی پہنچ میں دہلی ہوگا۔ اس بل کی تائید کرتے ہوئے سپورٹ کرتے ہوئے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ دہلی کے لوگوں کی فکر کیجئے۔۔۔۔ شکریہ

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, हम दिल्ली के प्रतिनिधियों के लिए आज एक विशेष आनंद का दिन है। आज दिल्ली शहर को देश की राजधानी बने पूरे सौ वर्ष हो गए हैं। मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि देश के नागरिकों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं एक बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि जब सन् 2007 में दिल्ली का मास्टर प्लॉन बना था और उस समय एक बड़ी भयानक स्थिति दिल्ली में फैली हुई थी जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से दिल्ली में सीलिंग और तोड़-फोड़ का एक मंजर चल रहा था। भारत सरकार जो दिल्ली की जमीन पर और उसकी प्लॉनिंग पर काबिज है, उसने दिल्ली के मास्टर प्लॉन को नोटिफाई किया था।

इस मास्टर प्लान के नोटिफाई होने के तुरन्त बाद, क्योंकि उस समय कई चीजें चल रही थीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहते हैं इन इट् विजडम, इस पूरे मास्टर प्लान को अपना लिया और कहा कि जब तक हम इस मास्टर प्लान को क्लियर नहीं करेंगे, दिल्ली में मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नहीं होगा। पहला मुद्दा, जो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी आप पांच या छह साल में रिवीजन करें, लेकिन यह जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या दिल्ली का मास्टर प्लान इस समय क्रियान्वित है या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी नजर रखे है या नहीं और क्या सुप्रीम कोर्ट एक शहरी मास्टर प्लान को बनाने के लिए काम्पिटेंट है? इस मुद्दे पर हमें सफाई चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज से देश के पूरे शहरों का मास्टर प्लान बनायेगा तो अलग बात है, नहीं तो भारत सरकार का इसमें क्या रोल है?

महोदया, इसमें एक और अजीब चीज है, जब सीलिंग और डिमॉलिशन का नजरिया चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मानीटरिंग कमेटी बनायी। मानीटरिंग कमेटी इसलिए बनायी थी कि उसे तमाम अधिकारियों पर भरोसा नहीं था कि हम जो सीलिंग या डिमॉलिशन के ऑर्डर देंगे, ये उसे सही रूप में करेंगे। इसलिए तीन या चार लोगों को दिल्ली का बादशाह बना दिया गया। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से सुनें कि शायद ही हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसे कोई बादशाह बने होंगे। ये तीन-चार मानीटरिंग कमेटी के ऐसे सदस्य हैं, जो अपने साथ अधिकारियों को हुजूम लेकर चाहे जिस भी कालोनी में चले जायें, जिस बिल्डिंग पर अंगुली उठाकर कह दें कि यह गलत है, अधिकारी कुछ भी कहते रह जायें, वह बिल्डिंग सील होगी या टूटेगी। मजे की बात यह है कि उसके बाद रोता-बिलखता वह इंसान उसी कमेटी के सामने जाकर कई बार गुजारिश करता है कि मेरी बिल्डिंग अनऑथराइज नहीं है, गलत नहीं है और अगर वे चाहते हैं तो उसे डी-सील कर देते हैं और चाहते हैं तो डी-सील नहीं करते। मैं सबसे पहला तो यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बिल्डिंग सील होने के बात डी-सील हो जाती है, 50 परसेंट के करीब ऐसी बिल्डिंगे डी-सील हुई हैं तो किस रूल और किस पावर के अन्दर वही मानीटरिंग कमेटी पहले तो उसे सील करती है और डिमॉलिश करती है? ये तीन या चार लोग सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण के अन्दर इस पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल बनाये हुए हैं।

महोदया, मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि कभी आप एमसीडी कमिश्नर से, डीडीए के वाइस चेयरमैन से और अन्य अधिकारियों से पूछिये कि किस बर्ताव से यह मानीटरिंग कमेटी दिल्ली में सील करती है और लोग रोते-बिलखते रह जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। मेरा पहला तो आपसे आग्रह यह है कि सरकार के पास जितनी भी ताकत हो सुप्रीम कोर्ट से बात करें, इस मानीटरिंग कमेटी के अस्तित्व को समाप्त करें, मास्टर प्लान के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहें कि अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमें दीजिये। आप उस क्षेत्र में घुसे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आपकी काम्पिटेंट नहीं है और कम से कम भारत सरकार उस मास्टर प्लान को क्रियान्वित करे।

महोदया, एक और बात आती है, जिसे शाहनवाज जी ने आनी बात में नहीं कहा, लेकिन अगर आज सौ साल हमारी राजधानी को हुए हैं तो सौ साल हमें पूरा राष्ट्र का दर्जा मिले हुए भी हो गये हैं, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चाहे हमारी सरकार रही हो। यह इस संसद की या भारत सरकार की कुछ अजीब मंशा है कि बाकी राज्यों को तो आप ताकत देते चले जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के दौर में देते चले जा रहे हैं, स्टेट्री ऑर्गनाइजेशन कमीशन बनाते रहते हैं, दिल्ली को जरा सा भी ज्यादा अधिकार देने में न जाने क्यों यह संसद या भारत सरकार हिचकती है? यहां डीडीए है, जो यहां प्लानिंग करती है या घर बनाती है, वह दिल्ली सरकार के तहत नहीं है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के तहत नहीं है। आज शाहनवाज जी सड़कों के बारे में बात कर रहे थे, वे यह बात बताना भूल गये कि जिन चार इलाकों की सड़कें उन्होंने बतायीं थीं, वे एमसीडी की सड़कें हैं, जिस पर उनकी सरकार काबिज है और इसलिए वहां की सड़कों का यह हाल है, लेकिन वह बात अलग है, कई बार चीजें कन्वीनिएंस में भूल जाते हैं। अगर आपको सड़क भी बनानी हो तो सबसे पहले डीडीए से परमीशन लीजिये, डीडीए को दिल्ली में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। जब तक आप यहां की महत्त्वपूर्ण या मूलभूत चीजों को यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के अन्दर नहीं देते हैं तो किस तरह से आपको लगेगा कि एक राजधानी या एक राज्य अपने अंदर की चीज कर सके? सड़क आप बनाइये तो ट्रैफिक भारत सरकार के अन्दर है, स्लम्स की रीहैबिलिटेशन आपके पास है तो स्लम्स के लिए जमीन देना डीडीए के अन्दर है। यहां एक अजब सी व्यवस्था बना रखी है। मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा, तीन या चार दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने भी जवाब देते हुए कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मसले पर हम आपस में चर्चा करेंगे।

महोदया, हमेशा यहां केवल एक आश्वासन रह जाता है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ने पिछले सात-आठ साल में शायद कोई मीटिंग भी बुलाई होगी कि दिल्ली को किस तरह से राज्य का दर्जा दिया जाये? मैं सबसे आग्रह करुंगा क्योंकि इसमें सब बराबर हैं, जब आप लोग इधर थे तो आपने भी इसे गंभीरता से कंसीडर नहीं किया, हम लोग इधर आये तो हम लोग भी इसे गंभीरता से कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों को यह पता चल जाये कि वे आधे दर्जे के साथ आगे जिन्दगी जियेंगे तो उस हिसाब से

हम उनके लिए इन्तजाम करें। ऐसा न हो तो यह पता चले कि कुछ तो दिल्ली के नागरिकों को अपनी सरकार चलाने के लिए व्यवस्था की जाये।

एक-दो छोटी-छोटी बातें, जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। एक खास बात अनएथोराइज्ड कॉलोनीज की शाहनवाज खां साहब ने बतायी है। शाहनवाज जी मैं आपको भी उसकी प्रक्रिया बता देता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): मैं खां नहीं हूं।

श्री संदीप दीक्षितः सॉरी-सॉरी।

अध्यक्ष महोदयाः आप मुझे संबोधित कीजिए, गलतियां नहीं होंगी।

श्री सन्दीप दीक्षितः मैडम, नाम में गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

मैडम, दिल्ली में करीबन 15 सौ अनएथोराइज्ड कालोनीज बनी हुई हैं। प्रक्रिया की गई और तीन साल पहले अनएथोराइज्ड कालोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दिया गया। यह इसलिए दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था कि हमारी अनाधिकृत कालोनी में न सड़कें बन सकती हैं, न बिजली के कनैक्शन दिए जा सकते हैं, न सीवैज के कनैक्शन दिए जा सकते हैं और न पीने के पानी की सुविधा की जा सकती है। एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दिए। नक्शे बुलवाए गए वहां के लोगों के द्वारा और उसके बाद उसमें से करीब 90 प्रतिशत, डेढ़-दो सौ कालोनियां छोड़कर बाकी सभी में पानी, बिजली, सीवैज की सुविधा करायी गई। आज जो प्रोसैस चल रहा है, इसको एथोराइज करने का, इसमें फाइनल प्रौसेस में जो रूल है कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कार्पोरेशन उन कालोनियों की जो दिल्ली सरकार उसके पास भेजती है, उसका फाइनल नक्शा तैयार करके, वह दिल्ली सरकार को भेजेगी और व एथोराइज होंगे। शायद शाहनवाज जी को यह नहीं मालूम है कि नौ सौ कालोनीज म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को भेज दी गई हैं और पिछले डेढ़ साल में इनके म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को टाइम मिला है केवल डेढ़ सौ का नक्शा पास करने का। अपनी सरकार को कह दीजिए 15 सौ के नक्शे पास कर दे, भारत सरकार उन 15 सौ कालोनियों को एथोराइज कर देगी। यह कहना कि भारत सरकार नहीं कर रही है। भारत सरकार तैयार है। आपके लोग एमसीडी पर काबिज है। डेढ़ सौ की जगह 15 सौ कर दीजिए, कल सारी की सारी एथोराइज हो जाएंगी, कोई इसे नहीं रोक रहा है।

मैं आखिर में बात कहने से पहले अपनी एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत से सांसद यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के सांसद यहां बैठे हैं। आपसे एक छोटी सी अपील है कि दिल्ली में बहुत सी जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। मेरा एरिया, यमुना पार का एरिया पहले मेरठ के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 1947 के बाद उस एरिया को काटकर के, चाहे जो कारण रहा हो, दिल्ली से जोड़ दिया गया। यमुना जी और उसके आस-पास का जो तमाम इलाका था, क्योंकि दिल्ली छोटा राज्य था, एक यूनियन टैरीटरी थी, प्रबंधन के कारण यूपी इरीगेशन की बहुत सी जमीन यूपी सरकार को दे दी गई और उस पर काम चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे से यह लोग फ्लड का काम करते हैं। लेकिन आज उस हजारों हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता दिल्ली को अपनी जरूरतों के लिए है। हमें स्कूल्स बनाने हैं तो यूपी इरीगेशन की परमीशन लेनी पड़ती है। मेरा केवल आग्रह यह है कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार कई बार उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर चुकी है कि आप अपनी इरीगेशन की व्यवस्था से जुड़ी हुई जमीन का इस्तेमाल कर लें, बाकी की जमीन दिल्ली को हमारे काम के लिए हस्तांतरित कर दें। मैं कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इसको अन्यथा न लें। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम दो सौ एकड़ जमीन है, जिसे नोएडा एथॉरिटी ने जेपी को दे दिया है। जेपी की जगह उस जमीन को हमारे स्कूलों और अस्पतालों के लिए दें। मैं कोई वैसा कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई भी आपका कारण होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, कृपया सीट पर बैठिए। श्री सन्दीप दीक्षित के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षितः यह तो हमारी जमीन है। दारा सिंह जी, इसमें आप क्या लेना चाहते हैं, आप जानो और भारत सरकार जाने। यह दिल्ली की जमीन है। हमारे स्कूलों और अस्पतालों के लिए जमीन है। हमारे पावर में वह जमीन पड़ती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः आप मुझे संबोधित कीजिए। श्री सन्दीप दीक्षित के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षितः मैडम, मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि यह किसी एक सरकार की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप इस तरफ संबोधित कीजिए।

श्री सन्दीप दीक्षितः मैडम, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार होती है, उसका यही रवैया होता है। हमारे यहां की जमीन है, यदि वह हमारे इस्तेमाल में आ जाए, नहीं आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बारे में भी मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो तमाम जमीन दिल्ली में पड़ी हैं, इसके लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार को बुलाए और किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल करे। हमें जो जमीन की कमी पड़ रही है पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हमें उम्मीद मिले। ...*(व्यवधान)* मैडम, मैं पहले ही कह रहा था कि इसे अन्यथा न लें।

अध्यक्ष महोदयाः आप मुझे संबोधित कीजिए। *[अनुवाद]* श्री सन्दीप दीक्षित के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षितः इन्हें जेपी के नाम पर कोई बात अन्यथा क्यों लग जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा था, मैं तो केवल अपनी बात को दर्शाना चाह रहा था। यह दिल्ली की जमीन है, जो उसे मिलनी चाहिए।

मैडम, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा और शाहनवाज जी मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहूंगा। मैं अपनी बात जोरदार तरीके से शहरी विकास मंत्री जी से कहूंगा कि आपने जो यह डीडीए नाम का यहां जानवर खड़ा कर रखा है। मैं जानबूझकर यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। पूरे हिन्दुस्तान में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस के मकान बन रहे हैं। डीडीए से पूछ लीजिए, पिछले चार-पांच साल में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस का एक भी मकान डीडीए ने दिल्ली में नहीं बनाया है।

आप भारत सरकार से डी.डी.ए. को दिल्ली सरकार में भेजने की बात करें तो आपको हजारों एक्सक्यूज मिल जाते हैं कि यह क्यों नहीं हो सकता। वही डी.डी.ए. जो दिल्ली डेवलमेंट ऑथोरिटी है, आज मजाक में उसको दिल्ली डिस्ट्रक्शन ऑथोरिटी के नाम से जाना जाता है। शाहनवाज जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। डी.डी.ए. ने एक भी मकान नहीं बनाए। फिर भी डी.डी.ए. को भारत सरकार के अंदर रखने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं मालूम है। सारे कंस्ट्रक्शन को वह रोक कर रखता है। अगर आपको कोई जमीन चाहिए तो उसमें डी.डी.ए. को दिक्कत आती है। मैंने आज सवेरे पढ़ा कि मंत्री जी ने डी.डी.ए. से आग्रह किया कि उद्योगों के लिए जमीनें दीजिए। आप सरकार हैं। आप सरकार हैं कि डी.डी.ए. सरकार है? आपको डी.डी.ए. से आग्रह नहीं करना चाहिए। आपको आदेश करना चाहिए कि अगर उद्योगों के लिए दिल्ली को जमीन की जरूरत है तो यह दी जाए। यह पूरी मानसिकता ही गलत है। जो चार अधिकारी डी.डी.ए. में बैठे हैं, और डी.डी.ए. का जो वाइस चेयरमैन है, क्या वह तय करेगा कि आपको उद्योगों के लिए जमीन चाहिए? फिर आप क्या करेंगे? आप दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के सिरमौर हैं। हम लोग दिल्ली से चुन कर आते हैं। डी.डी.ए. और ऐसी संस्थाओं की मानसिकता ही ऐसी हो गयी है कि दिल्ली पर कुण्डली मारकर ये लोग बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे संसद में हमें समर्थन मिलेगा क्योंकि दिल्ली किसी की नहीं है। यह पूरे हिन्दुस्तान की है और हम सब चाहते हैं कि इसका विकास बेहतर तरीके से हो।

महोदया, मैं शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे न केवल इस बिल को पास कराएं बल्कि मास्टर प्लान को फाइनल करें। दिल्ली की जो व्यवस्था है इसको चलाने के लिए, जो भी सरकार आएगी, उसको इस व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था चाहिए होगी। इसलिए आप दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों को ज्यादा अधिकार देने की बात को ज्यादा गंभीरता से सोचें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया है। ...*(व्यवधान)* जैसा कि सर्वाविदित है कि 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली बनी। आज 12 दिसम्बर, 2011 हो गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आपके पीछे माननीय सदस्य क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमारः दिल्ली को राजधानी बने एक सौ वर्ष पूरे होने के लिए मैं पूरे सदन सहित दिल्ली के सभी वासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सम्मानित मित्र शाहनवाज जी और संदीप दीक्षित जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां तक देखा गया है और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है। दिल्ली किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। दिल्ली में बाहरी लोग आए। उन्होंने यहां का निर्माण किया, यहां की सुरक्षा का काम किया। अगर देखा जाए तो दिल्ली के निर्माण और सुरक्षा में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों ने दिल्ली के निर्माण और इसकी सुरक्षा को लेकर अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसमें खपा दिया। कभी-कभी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग यहां आते हैं तो उनको जब यह कहा जाता है कि ये लोग गंदगी पैदा करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। यह टिप्पणी हम लोगों को बहुत कलंकित करती है और इससे बहुत दुख होता है। मैं चाहूंगा इस प्रकार की टिप्पणी आइन्दा से बिल्कुल बन्द होनी चाहिए।

अभी एक और बिल आया था। वह एन.डी.एम.सी. का बिल था, उस समय भी मैंने यह कहा था कि माननीय मंत्री जी दिल्ली को थोड़ा न आंकें। इसे टेरिटोरियल यूनियन का दर्जा न देकर अगर

पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए तो मेरे ख्याल से दिल्ली का और विकास हो सकता है। मैं इसके लिए पुरजोर सिफारिश करता हूं।

अभी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी विकास योजना की बात कही गयी है। दिल्ली तो ऐसे ही विकसित है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, लेकिन मेरे इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी विकास योजना में आज तक पैसा बहुत धीमी गति से गया है। इलाहाबाद का हाल बहुत बुरा है। सीवर लाइनें वहां खोद दी गयी और कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कुम्भ मेला आने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी विकास योजना में जो पैसा आप अन्य जगहों पर दे रहे हैं, उसको समय से दीजिए ताकि वहां पर विकास हो सके।

दिल्ली को ल्यूटिएन्स जोन घोषित किया गया था। इसे अंग्रेजों ने बनाया था। इलाहाबाद ने देश को सात-सात प्रधानमंत्री दिए हैं। इसलिए वहां विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिल्ली के ल्यूटिएन्स जोन के आप बाहर जाएंगे तो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहां पर अनाधिकृत कॉलोनियों के अलावा सीवर लाइन्स और सड़कों की व्यवस्था इतनी बदतर है कि वहां जाने का मन नहीं करता।

वहां तमाम लोगों के मित्र, सहयोगी, पड़ोसी एवं रिश्तेदार रहते हैं। हम वहां पर जाकर देखते हैं, मंत्री जी, वहां की हालत बहुत खराब है। जैसे आपका लुटियन जोन दिल्ली का है, उसी प्रकार से दिल्ली के आउटर साइड में एनसीआर की तमाम जगह हैं, उनका भी डेवलपमेंट करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः शैलेन्द्र कुमार जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी जो आपने यमुना के किनारे कॉमन वेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के रुकने के लिए एक कालोनी बनाई है, उसकी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं चाहूंगा कि आप उसका अलॉटमेंट करें, हमारे बहुत से सम्मानित संसद सदस्य वहां फ्लेट लेने के लिए इच्छुक हैं। अगर वहां इन्हें सुविधा दे दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत उत्तम होगा।

इन्हीं बातों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं दिल से आधार व्यक्त करता हूं। मैं दूरस्थ दक्षिण से आए व्यक्ति के रूप में, आप की अनुमति से दिल्ली के शताब्दी वर्ष के दौरान दिल्ली को सलाम करना चाहूंगा।

दिल्ली के बारे में मजाक में कहा जाता है कि दिल्ली हर किसी का शहर है परंतु यह नो मैन्सलैंड है। लोग रोजगार की तलाश में, अपने जीवन को सुरक्षित करने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए आजीविका अर्जित करने दिल्ली आ रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या हम प्रतिवर्ष अथवा प्रत्येक पांच वर्षों में लक्ष्य बिंदु को बदल रहे हैं। आप यह हममें से किसी से भी अधिक बेहतर जानते हैं कि दिल्ली रहने के लिए सुरक्षित थी। दिल्ली में रहने का आनंद था परंतु यह 30 वर्ष पहले की बात है। अब, यहां पानी उपलब्ध नहीं है, हमारे पास निवास की सुविधाएं नहीं हैं। मैं सीवेज सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं। न केवल आम आदमी और गरीब व्यक्ति परंतु यहां इस सम्मानित सभा में बैठे हुए संसद सदस्य भी काफी कष्ट उठाते हैं। हमें दिल्ली के बड़े अधिकारियों के रहमों-करम पर रहना पड़ता है। हर कोई जानता है कि जब वह दिल्ली आता है, दिल्ली में रहता है और दिल्ली में कार्य करता है तो भ्रष्टाचार क्या होता है।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री ए. सम्पतः मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। यह अति महत्वपूर्ण विधेयक है, परंतु मैं जो कह रहा हूं वह भी अति महत्वपूर्ण है।

हम सभी को राष्ट्रमंडल खेलों की सफलता पर गर्व है। यह रिकार्ड रहा है कि दस लाख से अधिक व्यक्ति विभिन्न राज्यों से दिल्ली में रोजगार पाने के लिए आए हैं। परंतु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अथवा संबद्ध विभागों के पास इनके बारे में कोई आंकड़े हैं-कि वे कहां से आए हैं, उनमें से कितने वापस गए हैं, वे कहां रह रहे हैं? इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। सिर्फ अंदाजा और अनुमान की तरह है। थोड़ा अधिक अनुमान लगाना एस्टिमेट्स के बराबर हैं। यही हो रहा है।

यदि आलोचना नहीं की गई हैं तो आरोप लगाए गए हैं कि गरीबों और झुग्गियों में रह रहे लोगों की सहायता करने के नाम पर हम बड़े औद्योगिक घरानों, धनी और धनाढ़य लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को नियमित कर रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। मेरा विन्रम अनुरोध है कि कानून से केवल धनी और धनाढ़य लोगों को ही सुविधा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि गरीबों का संरक्षण करना भी सरकार का कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ए. सम्पतः हम सभी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर गर्व है। हमें इस राजधानी शहर पर गर्व है। परंतु ऐसे में, हमें दया आती है कि इस सर्दी में भी हम देखते हैं कि सैंकड़ों परिवार अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ हमारे सामने भीख मांग रहे हैं और उनके पास कपड़े और रहने की कोई जगह नहीं होती है।

हमारी इन लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। हमें उन लोगों को जवाब देना होगा क्योंकि वे इस राष्ट्र के लोग हैं।

मेरी राय है कि यह कानूनों की कमी के कारण नहीं है, यह कानूनों के कारगर नहीं होने के कारण नहीं है बल्कि इसलिए कि हमारी इन विधानों अथवा कानूनों के कार्यान्वियनो में रूचि नहीं है। अब तक हम इस देश में बनाए गए कानूनों की अनदेखी करते रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अभिसमय की भी अनदेखी कर रहे हैं जिसके हम सदस्य हैं।

मैं यही सब कहना चाहता हूं। मैं इस कानून का सम्मान करता हूं। मैं इस विधान की तात्कालिकता जानता हूं। मैं इस विधेयक में विसंगतियों में सुधार करने में भी आपकी सहायता चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, आप मुझे कृपया अनुमति दीजिए कि मैं यहां से अपनी बात संक्षेप में रख सकूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः जहां पर आपकी सीट है, वहीं से बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंहः सीट खोजनी पड़ेगी, कहां गई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः हां, वहीं जाइये। जहां सीट है, वहीं जाइये।

श्री विजय बहादुर सिंहः अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। ...*(व्यवधान)* मैं बोल रहा हूं, जरा सुनिये।

मैं आज नेशनल कैपीटल टैरीटरी ऑफ दिल्ली के बिल पर दो बातें बोलना चाहता हूं। करीब 40-50 साल से मैं दिल्ली आ रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था तो यहां खुश्चेच साहब और बुल्गानिन साहब आये थे तब मैं पहली बार यहां प्रदर्शनी में आया था, तब से दिल्ली रोज खोदी जा रही है, रोज बनाई जा रही है। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूं। अब रीसेंटली एम.सी.डी. और डी.डी.ए. में एक परमानेंट कोल्ड वार चल रही है और यह कोल्ड वार चल रही है और यह कोल्ड वार खत्म नहीं होगी। जब किसी की रैस्पोंसिबिलिटी होती है तो वह कहता है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सैण्ट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। यह बालीबॉल और बास्केटबॉल कब तक चलेगी? इसका एक विराम और इसका एक एक्सपर्ट सोल्यूशन होना चाहिए।

दूसरी चीज, अगर सही में विचार करें तो उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को 7-7 प्रधानमंत्री दिये हैं और जब हमने प्रधानमंत्री नहीं दिये तो पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ा गई तो फिर प्रधानमंत्री हम लोग देंगे, चाहे वह मेल हो, चाहे फीमेल हो। हम फिर प्रधानमंत्री देंगे। ...*(व्यवधान)* मेरा कहना यह है कि जैसे ...*(व्यवधान)* सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप विषय पर आइये और चेयर को सम्बोधित करके विषय पर बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंहः मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। जब-जब यज्ञ होता है तो...* विघ्न डालते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ये अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स निकाल दीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंहः लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि 50 लाख से ज्यादा ...*(व्यवधान)* यह अनपार्लियामेंटरी वर्ड नहीं है, आप उसकी बैकग्राउंड देखिये।

अध्यक्ष महोदयाः आप चेयर को सम्बोधित करिये और दिल्ली पर बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंहः 50 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के निवासी यहां आते हैं और यहां रहते हैं। अगर आप सही में आकलन करें तो आपने उन्हें क्या दिया, उसमें बिहार के लोग भी है? कॉमनवैल्थ गेम्स में रातों-रात उनको भगा दिया गया। क्या कोई व्यापक योजना उनके रहने और ठहरने की बनाई गई? अगर आपको हमारी लैंड या उत्तर प्रदेश की लैंड से परेशानी है, आप उसको मैनेज नहीं करते तो उसे वापस दे दीजिए और अगर नहीं तो देख लीजिए कि इस समय दिल्ली में और एन.सी.आर. में नोएडा और ग्रेटर नोडा *[अनुवाद]* बेहतरीन जगहों में से एक है। *[हिन्दी]* हम लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहां पर एयरपोर्ट बनने दीजिए, लेकिन कुछ राजनैतिक कारणों से वह ठंडे बस्ते में चला जा रहा है।

दूसरी चीज मैं यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत लोग आते हैं और वे यहां 10-10 साल से कार्य कर रहे हैं। उनको एस.सी. एस.टी. का सर्टिफिकेट उनके जायज कागजों से भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह देश की

---

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजधानी है तो उसी तरह उतार चित्त से इतना ट्रांसपेरेंट एक्ट बनाइये कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब समाप्त करिये।

श्री विजय बहादुर सिंहः जिससे कि दिल्ली में सही में पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो सके और अगर यह नहीं होगा तो एक समय आयेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आएंगे, वे अपना प्रधानमंत्री लाएंगे, तब दिल्ली की दशा ठीक होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात आपका समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक पर चर्चा के लिए खड़ा हूं जो आज पुरःस्थापित किया गया है और जिस पर इस समय तत्काल हम चर्चा कर रहे हैं तथा यथासंभव हम इसे पारित भी कर पाएंगे। इस विधेयक में 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्पष्ट रूप से पारिभाषित किया गया है जो वास्तव में उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को ध्यान में रखकर पुरःस्थापित किया गया था। कुछ अंशकालिक या वार्षिक संशोधन किए गए ये जो इस सभा द्वारा या दूसरी सभा द्वारा या संसद की दोनों सभाओं द्वारा इन्हें स्वीकृत किया गया था। वस्तुतः, आपने 100 वर्ष पूरा अर्थात् 11 दिसम्बर 1911 से होने के बारे में उल्लेख किया है। जब इस जगह यहां दरबार लगा था, उस समय मैंने समाचार पत्रों में जो पढ़ा था कि यह बंगाल के लिए या इस्टर्न इंडिया के लिए हानि तथा दिल्ली के लिए लाभ था।

आज देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में आम चर्चा है कि यदि बिहार का विकास होता है, बिहार समृद्ध होता है तो यह देश के लिए नुकसान का विषय होगा क्योंकि पंजाब या कश्मीर घाटी या मुंबई या दिल्ली में जो कुछ भी विकास हुआ है वह बिहार से विशेषज्ञों के निर्यात के कारण हुआ है। यदि नीतीश के नेतृत्व और शासन में बिहार का विकास होता है तो यह देश के लिए नुकसान का काम होगा। ये दो विरोधाभाषी विचारधाराएं हैं कि क्या कलकत्ता का नुकसान दिल्ली के लिए लाभ था, या राष्ट्र के नुकसान से बिहार को फायदा होगा। यह एक अलग विषय है और एक अलग मुद्दा है जिस पर बाद में चर्चा हो सकती है।

लेकिन जब यहां विजय बहादुर सिंह जी अपनी सीट खोज रहे थे तो मुझे उस समय याद दिलाया गया कि बहुत सालों पहले प्राचीन काल में अर्थात् पौराणिक काल में, राजधानी के स्थान के निर्धारण के बारे में व्यास देव ने महाभारत में चर्चा की थी। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी। लेकिन एक समय में पांडवों द्वारा राज्य के बंटवारे के बाद राजधानी को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। यमुना के पूर्व में उन्हें एक बंजर भूमि दी गई। यमुना का वह पूर्वी भाग बाद में इतना विकसित हुआ कि इससे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई और यह भाग काफी सम्पन्न हो गया। इसे वर्णावर्त नाम दिया गया। यही भाग दुर्योधन सहित सभी कौरवों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया जिसके कारण अंततः कुरूक्षेत्र का युद्ध हुआ।

आज जब मैं श्री विजय बहादुर सिंह की बात सुन रहा था वे नोयडा और ग्रेटर नोयडा की चर्चा कर रहे थे। यहां 'सिटी' की अवधारणा को समझना होगा। मैं 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' को पढ़ रहा था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं हरियाणा की बात भी कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयाः आप चेयर को संबोधित करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हम उनकी मदद कर रहे हैं, गुडगांव भी है।

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री भर्तृहरि महताबः आज हमें शहरी क्षेत्रों को देखना है। शहरी क्षेत्र का जितना विकास हो रहा है, राष्ट्र उतना ही सम्पन्न हो रहा है। जहां कहीं भी शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है, उसे देश में भी सम्पन्नता आई है। इस संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में वृद्धि होनी चाहिए लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में संतुलन बनाए रखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण लोग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं उन्हें उनके लिए उन सहायक तंत्रों से रहित न किया जाए जो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हैं। उस संदर्भ में, मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद है जिसे मेरी दादी सुनाया करती थी।

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

उस कहानी के अनुसार, एक शहर एक बूढ़ी औरत के समान है जो अपनी ओर सदैव युवा लोगों को आकर्षित करती है। और शहर सदैव युवाओं को और मेधावी युवाओं को आकर्षित करती है और ये युवा और मेधावी लोग ग्रामीण क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र युवा बल से वंचित हो गया है। यह शहरों तक सीमित हो गए हैं और शहरों का विकास करना है। लेकिन जब शहर का विकास हो रहा है, पर्याप्त समर्थन तंत्र भी बनाया जाना चाहिए और इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि आपके पास 2021 तक के लिए मास्टर प्लान है। सरकारी तंत्र समर्थन से कहे आई.आई.टी. भी सर्वे कर रहे हैं। हमारे पास अगामी बीस वर्ष या अगले 50 वर्ष को ध्यान में रखते हुए कोई योजना क्यों नहीं है। हमारे पास शहरी नवीकरण मिशन है जो दस से पंद्रह वर्षों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। इसलिए, इन पच्चीस वर्षों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक इस अर्थ में व्यापक है कि आप पांच वर्ष अर्थात 2014 तक को ध्यान में रख रहे हैं और आपके पास 2021 तक के लिए मास्टर प्लान है। आप 2050 के बारे में तीस वर्ष को ध्यान में रखकर सोचें जिससे कि आप उन क्षेत्रों को जान सकते हैं जिनका आप विकास करने जा रहे हैं।

मुझे बीस वर्ष पूर्व की बात याद है, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने हमें कुछ परियोजनाएं दिखायी थी और उन्होंने कहा था कि ये मेट्रो परियोजनाएं होगी। उस समय कई मीडिया के लोगों ने भी इसकी हंसी उड़ाई थी कि क्या यह हमारी राजधानी में संभव हो पाएगा। लेकिन यह बीस या पच्चीस वर्ष पुरानी बात है जो तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने हमें दिखाया था लेकिन आज यह यथार्थ साबित हुई है। इसलिए अगले तीस वर्षों को ध्यान में रखकर हमें मास्टर प्लान विकसित करना होगा और तदनुसार इन सभी पहलुओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह हर वर्ष का विस्तार क्यों दिया जा रहा है? इसमें न्यायालय की कोई बाध्यता नहीं या जैसा कि आज आप के पास 2014 तक के लिए तीन वर्ष की बाध्यता है। इसी प्रकार फार्म हाउस विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं जहां और सभी विकास चलते रहते हैं और विस्तार कार्य भी चलता रहता है, के संदर्भ में विचार करने के लिए बेहतर कानून क्यों नहीं लाया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदयाः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताबः मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अतिक्रमण केवल स्लम बस्ती में रहने वाले, लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है न ही झुग्गी झोपड़ियों से होता है बल्कि कई अन्य लोगों द्वारा भी किया जाता है। दिल्ली में जब कभी भी आप बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि भूस्वामियों दिल्ली के संपत्ति मालिकों के द्वारा भी अतिक्रमण किया जाता है और इनकी भी जांच किए जाने की जरूरत है और इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए जो सम्पन्न लोगों तथा कथित धनवान लोगों या मध्यम वर्ग के धनी लोगों और धनवान लोगों जो दिल्ली के निवासी हैं, के द्वारा किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण)ः हम कोई खास तैयारी कर के नहीं आए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यह पूजी हुई भूमि है। कृष्ण भगवान जी का महाभारत* और छप्पन कोटि यदुवंशी-शक का युद्ध यहीं हुआ। दिल्ली में देश भर के लोग आते हैं। खास कर बिहारी और यूपी से लोग आते हैं तो भागो, भागो...। देश को बिहार और उत्तर प्रदेश ने क्या नहीं दिया है? देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी हुए उत्तर प्रदेश से देश को प्रधान मंत्री मिले। देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत के जितने होनहार लोग हैं, यहां हर तरह के लोग रहते हैं। दिल्ली में साधारण लोग नहीं रहते हैं जो देश का हवा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं तो यह मामूली बात नहीं है। दिल्ली को सजाइए और बढ़िया से सजाइए। शीला दीक्षित जी ने महिला होते हुए प्रयास किया है। उन्होंने बिहारियों को यहां स्थान दिया है और वह स्वीकार कर रही हैं।

वे बिहार और उत्तर प्रदेश की अहमियत को स्वीकार कर रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाइए और देश के गांवों को छोड़ दीजिएगा, तो फिर बात अच्छी नहीं बनती। बिहार ने हमें देश के एक महान् नेता जगजीवन बाबू दिए। वे जिस भवन में रहते थे, जहां हम उनसे मिलने जाते थे, मैं इनका मन और मिजाज देखता हूं, सब लोगों ने लड़कर जो स्मारक बनाया है, ये उस मकान का किराया भी चार्ज करते हैं। यह बहुत गंदी, बुरी बात है, इसे खत्म करना चाहिए। इसे बिहार और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इन चीजों को मन और मिजाज से हटाइए।

दिल्ली में जितनी कालोनियों के बारे में बोला जा रहा है, एनडीएमसी आदि के बारे में माननीय सदस्यों ने जो बताया, यह सब मकड़ी जाल है। कैसे शोषण किया जाये, दोहन किया जाए, कैसे घूसखोरी की जाए। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एनडीएमसी और डीडीए को अन्ना जी के हवाले कर दिया जाए। वे इसके भ्रष्टाचार को देखें। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सीमित नहीं है, यह गाजियाबाद से नोएडा तक चला गया है, फिर जयपुर तक चला जाएगा। इस समूची जगह का मिलान हो गया है। दिल्ली को विकसित करने के बारे में मुख्य मंत्री जी पर प्रैशर है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन बीजेपी वाले शीला दीक्षित जी को स्थिर नहीं रहने देना

चाहते, समय-समय पर उपद्रव मचाते रहते हैं। ...*(व्यवधान)* उन्हें काम करने देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री लालू प्रसाद जी की बात के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसादः जब बिहार और यूपी को दिल्ली में बैठे हुए लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो वे यह भूल जाते हैं कि जिस दिन हम चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, क्या तब बिजली आएगी। जो ट्रांसमिशन लाइन है, देश में सब जगह से बिजली आ रही है, लोग लिफ्ट में अप, डाउन हो रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, यह बिहार के गांवों के लिए पैदा नहीं हो रही है, दिल्ली के लिए हो रही है। सारी बिजली यहां आ रही है। ठीक है, यहां बिजली रहनी भी चाहिए। अगर बिजली नहीं रहेगी, और लोग लिफ्ट में फंसेगे तो फंसे ही रह जाएंगे। ...*(व्यवधान)* दिल्ली वासियों को फुल-फ्लैज्ड, हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा काम यह है कि दिल्ली को फुल दर्जा दीजिए, पूरा इंतजाम कीजिए, क्योंकि जो हमारी मां यमुना है, वह कृष्ण के पैर को पखारने के लिए लालायित थी। आज हम लोगों ने यमुना की क्या हालत बनाकर रखी है। ...*(व्यवधान)* पूरा नाला बनाकर रख दिया है। हजारों, करोड़ रुपये खर्च हुए। चाहे हठ कीजिए, हम मथुरा भी गए थे, हमने काफी अपवित्र करके रखा हुआ है। हमें सब काम छोड़कर यमुना की सफाई करनी चाहिए, मां यमुना को गंदगी से मुक्त करना चाहिए। वह अमृत जल है। गंगा के जल से दिल्ली को पीने का पानी मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी ने ठीक कहा कि गुडगांव बढ़िया, डेकोरेटेड शहर बन रहा है, लेकिन नीचे पानी नहीं है। अंडरग्राउंड पानी खारा है। मंत्री जी, इस सारे इंतजाम में लगना चाहिए। आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रदेश बन रहा है। माननीय मायावती जी ने प्रपोज किया है। वह बनेगा या नहीं, हम सब समझते हैं। ...*(व्यवधान)* हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। शीला जी के पुत्र अभी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी यहां तक सटा हुआ है। यूपी तो छाती पर चढ़ा हुआ है। यहां से लेकर बिहार तक चले जाइए। हम लोग ही हैं। ...*(व्यवधान)* नेपाल को छोड़िए। किशनगंज से शुरु कीजिए, यूपी, यूपी, बिहार दोनों में हम लोग एक दीवा में चढ़े हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

मैडम, हम वही बात कर रहे हैं। अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पर प्रैशर है, इसलिए काम करने देना चाहिए। शीला दीक्षित जी काम भी कर रही हैं। निश्चित रूप से बिहारियों को, बिहार के हजारों-लाखों मजदूर, यूपी के मजदूर मारे-मारे फिरते हैं, उनके लिए शैल्टर, आवास, होस्टल्स, क्योंकि वहां से महिलाएं और पुरुष आते हैं, आदि का इंतजाम करना चाहिए। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का इंतजाम और हर तरह की संस्था का इंतजाम करना चाहिए। यदि आगे से ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम युद्ध शुरू करेंगे। माननीय स्वर्गीय जगजीवन बाबू जी के नाम पर उन्हें डिमॉरलाइज करने के लिए आपने जो चार्ज किया है, उस समय के चार्जेज को तुरन्त वापिस कीजिए, नहीं तो ... *(व्यवधान)* अगर नहीं हुआ तो आगे से हम एक भी बिल पास नहीं करने देंगे।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): अध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं। मैं उनके सुझाव, विचार और टिप्पणियों का भी स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी चुनौती शहरीकरण की है। दिल्ली उसका सबसे मुख्य कारण है। दिल्ली में जो बढ़ती हुई आबादी है, केवल यही चिंता की बात नहीं है। परन्तु साथ-साथ देश की विभिन्न नगर पालिकाएं, नगर निगम, महा नगर निगम हैं, जो शहरीकरण की रफ्तार है, वह बढ़ती जा रही है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में आबादी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू आदि में आबादी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में हमारी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम और महा नगर निगम में आबादी बढ़ रही है। अब जैसा भी विकास हो, उस विकास के साथ कुछ बोझ भी आता है और सबसे बड़ा बोझ शहरीकरण का होता है। इसलिए केन्द्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम की योजना छः साल पहले स्वीकृत की थी। जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, उसे केन्द्र से सहायता मिले। राज्यों को उससे सहायता मिले, यह एक पहला प्रयास था। मैं स्वीकार करता हूं कि पहले प्रयास में कुछ कमी या खामी होगी, क्योंकि यह पहली दफा लागू की गयी थी। अब जो जेएनएनयूआरएम योजना है, उसका यह अन्तिम साल है। हम जेएनएनयूआरएम-टू उसके दूसरे भाग को लागू करने की एक योजना बना रहे हैं। आपके सुझाव हों, हमारे साथियों के सुझाव हों या राज्यों के सुझाव हों कि जो कमी या खामी है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जाये और अपने देश के छोटे, बहुत छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरों को सुधारने का प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि मास्टर प्लान में कमी, खामी है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैंने ओपनली यह बात कही है, क्योंकि जब भी मास्टर प्लान बनता है, उसकी शुरुआत होती है, जब तक उसका समापन होता है, यानी मास्टर प्लान तैयार हो जाता है, वह बहुत पुराना हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराना मास्टर प्लान है, इसलिए एक नये मास्टर प्लान की आवश्यकता है। इस दफा हमारा यह प्रयास है,

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए मैंने सदन से एक साल का समय न मांगकर तीन साल का समय मांगा है, ताकि एक सही मास्टर प्लान बने। ऐसा मास्टर प्लान जो सब कुछ सम्मिलित कर ले। आज आवश्यकता केवल दिल्ली के मुख्य जगहों की नहीं है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां हमारे गल्ले के गोडाउन्स हैं। हमारी बहुत सारी वेयरहाउसिंग हैं चाहे वे केमिकल्स की हों या पेपर्स की हों। इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाये, क्योंकि आज दिल्ली कोई कृषि क्षेत्र नहीं रहा। हम दिल्ली में बहुत सारी जमीन को देखकर कहते हैं कि यह एग्रीकल्चरल लैंड है। परन्तु यहां कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड है? आज राजधानी दिल्ली जो एक बहुत छोटा सा राज्य है, उसका एग्रीकल्चर के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी, जिक्र किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स का। माननीय सदस्यों को याद होगा कि एशियन गेम्स वर्ष 1982 में हुए थे, उस समय बहुत सारे मजदूर दिल्ली में काम करने के लिए आए थे, स्टेडियम बनाने के लिए आए थे, उनमें से 90 प्रतिशत वापस नहीं गए। झुग्गी-झोंपडियां उस समय से दिल्ली में उत्पन्न होनी शुरु हुई और आज तक, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, बहुत सारा लेबर जो आता है, बहुत से लोग जो काम करने जाते हैं, वे वापस नहीं जाते हैं। आज जो आर्थिक गतिविधि है, सभी जगह मैगनेट आर्थिक गतिविधि होती है, जहां आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, वहां लोग पहुंचते हैं। आज हमारे छोटे-बड़े शहरों में जो बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि है, यह ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्राम पंचायत से, हमारे खेतों से लोगों को वहां विस्थापित करती है, तो यह बात केवल दिल्ली की नहीं है। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं और सहमत भी हैं कि इसका हमें कोई उपाय ढूंढना होगा।

जहां तक दिल्ली में अनअथराइज्ड कालोनीज के रेगुलराइजेशन की बात है, मैं सोचता हूं कि पूरे देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में दिल्ली ही एक शहर है जहां अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, रेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, अनरेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, टू-बी-रेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं। इनकी सीमा बांधनी है। इनकी सीमा बांधना, इनको कैसे विस्थापित किया जाए, इनके लिए क्या उपाय ढूंढे जाएं अगर उसी जमीन में हमें उनके लिए आवास बनाने हैं, आवास योजना लानी है। अगर उस काम में दो साल का समय लगेगा, तो उस समय तक उनको कहां हटाया जाए। फिर जब हटाने की बात करते हैं, तो दूसरी जगह के लोग कोर्ट चले जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी कठिनाइयां है। यह बात भी सच है, कुछ माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया, कि यहां अन्य एजेंसीज भी है एमसीडी है, डीडीए है, दिल्ली सरकार है और डेल्ही अर्बन आर्ट्स कमीशन भी है। इन चार-पांच एजेंसीज में जिस प्रकार का समन्वय होना चाहिए, वैसा सही समन्वय नहीं बन पाता है, यह बात सही है। इसका भी प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार इनमें कोऑर्डिनेशन किया जाए क्योंकि जब तक अनअथराइज्ड कालोनीज की सही सीमा नहीं बनेगी, काम पूरा नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत से आवेदन आते हैं कि किसी अनअथराइज्ड कालोनीज की सीमा गलत बनी है, एक बार जब सीमा बन जाए और हम उसको एप्रूव कर दें, तो कुछ लोग रह जाएंगे और फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से इस प्रयास पर हम लगे हैं और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आवास योजना आज अमीरों की न हो, बल्कि सबसे गरीब वर्ग की हो, जो हमारे इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स हैं, उनकी हो। डीडीए ने लक्ष्य बनाया है और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि तीस हजार मकानों पर काम चल रहा है, तीस हजार और लिए जाने हैं। हम एक लाख मकान इकोनोमिकलीवीकर सेक्शन्स के लिए बनाएंगे। ये भी कम रह जाएंगे, इसलिए यह प्रयास किया जाएगा कि इसको एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया जाए। आज दिल्ली को राजधानी बने हुए 100 साल पूरे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली एक सुन्दर नगर हो, सुन्दर महानगर हो, तो जब तक इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए मकान नहीं बन पाएंगे, नई झुग्गी-झोंपड़ियां और बनेंगी, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए डीडीए को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप सब काम छोड दो, आप कोई बड़े मकान, एचआईजी या एमआईजी के चक्कर में मत पड़िए, डीडीए का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मकान बनाए जाएं। यही हमारा प्रयास है।

मास्टर प्लान के परिवर्तन की, संशोधन की शुरुआत हो गयी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक कमेटी है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? मास्टर प्लान डीडीए बनाती है, यह कभी-कभी ऑफिसेज में बन जाता है, जमीनी स्थिति उसमें नहीं आ पाती है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक समिति बनाई है और हमने डीडीए में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे वह सही बन पाए। मैं स्वागत करूंगा आप सभी माननीय सदस्यों का कि आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास भी दिल्ली के बहुत सारे लोग आते हैं, सुझाव लाते हैं, आप उनसे सुझाव मंगवाइए और वह सुझाव आप मुझे भेजिए। मैंने एक अपेक्स कमेटी बनाई है। जब डीडीए मास्टर प्लान बना लेती है, तब यह मंत्रालय के पास आता है और यह बात भी सही है कि मंत्रालय के पास इसे देखने का कोई तंत्र नहीं है कि यह सही है या नहीं। इसलिए मैंने एक एपेक्स कमेटी बनाई है, जो इसकी फाइनल जांच करेगी। हम उस समय इसे इंटरनैट पर डालेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि यह केवल आफिस में नहीं बनी है, खुलकर, आप सबकी भागीदारी से बनी है। सब लोग चाहते हैं कि छूट मिल सकती है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो सम्भव है, वह किया जाए।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या मास्टर प्लान लागू

है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है इसलिए कोई रोक नहीं है। आज के दिन में मास्टर प्लान लागू है। यहां पर मानिटरिंग कमेटी की बात भी हुई। इसकी कई शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। मुझे विश्वास है कि सदन जब यह बिल पास करेगा तो जो यह समस्या है कि चार सदस्य मानिटरिंग कमेटी में आ जाएं और शिकायत करें कि यह गलत है या वह सही है, इस तरह भय का जो वातावरण दिल्ली में पैदा हुआ है, वह सदन की सहमति से और कानून से खत्म हो जाएगा तथा लोगों को राहत मिलेगी।

जहां तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, इस पर कई जगह बातचीत हुई है। आप सबने जो इस बारे में सुझाव दिए हैं और विचार प्रकट किए हैं, मैं गृह मंत्री जी तक उन्हें पहुंचा दूंगा। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत साल पहले दिल्ली को राज्य का थोड़ा सा दर्जा दिया गया था।

श्री मुलायम सिंह यादवः दिल्ली सुंदर बने, आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। लेकिन यह नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां पर गंदगी, बदबू और उससे पैदा होती बहुत सी बीमारियां हैं। इसके लिए आपकी सरकार या दूसरी अन्य सरकार कोई भी नीति बना ले, हमने भी बनाई थी और काम शुरु किया था, लेकिन बात नहीं बनी। उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। जो नालियों की गंदगी है उसके लिए आप एक सीवर लाइन बनाने और उसे गांवों में खेतों में डाल दें। वहां पर यह गंदगी जाए, एक तो उससे खेतों में खाद मिलेगी और दूसरे दिल्ली भी साफ और सुंदर रहेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुझाव नहीं है, बल्कि इस बात को डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था और मुझे इस बात का गर्व है। उन्होंने सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान के जितने शहर हैं, वहां की सीवर लाइनों को, शहर की गंदगी सहित इकट्ठा करके नालों द्वारा शहर से 10-12 किलोमीटर दूर जो गांव हैं, उनके खेतों में डाला जाए। इससे खेतों में खाद भी मिलेगी और अन्न भी ज्यादा पैदा होगा। इस तरह की अगर सरकार नीति बनाती है तो हम आपको बधाई देंगे और आपकी सरकार इस काम के लिए अमर हो जाएगी।

श्री कमल नाथः मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं उनके अच्छे सुझाव के लिए। इसे हम जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के दूसरे चरण में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी चाहती है और हमारा लक्ष्य है कि कचरा मुक्त भारत बनाया जाए। लक्ष्य होना तो ठीक है, लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर हम विचार कर रहे हैं। आपका सुझाव अच्छा है कि शहर की गंदगी को सीवर के माध्यम से शहर के बाहर ले जाकर खेतों में डाला जाए।

एक माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की बात की थी, लेकिन यह विषय दिल्ली का है। फिर भी मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह भी ठीक है कि वहां से इस देश को प्रधान मंत्री मिले हैं। यह भी सही है कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक शहर है और जवाहर लाल नेहरु अर्बन रिनुअल मिशन में जो उनके सुझाव हैं, मैं उन पर विचार करुंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): रिव्यू कर लीजिए।

श्री कमल नाथः मैं करुंगा। जहां तक कॉमनवैल्थ गेम्स के विलेज की बात है कि उसमें शेयर अलाट कर दें, उसमें कुछ परेशानी है, क्योंकि उसमें जो अतिरिक्त एरिया बनाया है, वह एक टावर में नहीं है, यह पूरे फुट प्रिंट में है। इसमें जितने फ्लैट्स हैं, उनमें पांच या सात, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, स्केवयर मीटर बड़ा है। एक टावर गलत है तो उसे सील कर सकते थे, लेकिन यह पूरा फुट प्रिंट है। इसकी हम उपराज्यपाल महोदय से चर्चा कर रहे हैं और अपने मंत्रालय में भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्डर को दंडित किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमारः अलाटमेंट की बात मैंने कही थी।

श्री कमल नाथः अलॉटमेंट पर हमने यह सोचा है कि हम पहले 100 फ्लैटों की मार्किट कीमत मिल जाए। आज के माहौल में अलॉटमेंट करना संभव नहीं है। पहले हम 100 फ्लैट ऑक्शन करेंगे और इसमें जो सही मार्किट वैल्यू है, वह सामने आ जाएगी। तब हम इसे शासकीय अधिकारियों को देंगे, अगर वित्त मंत्रालय चाहता है तो हम कहेंगे कि आप पैसे दे दो और ले जाओ। अगर गृह मंत्रालय चाहता है तो हम कहेंगे, पैसे दे दो और ले जाओ।

श्री शैलेन्द्र कुमारः एमपी लोग चाहते हैं।

श्री कमल नाथः अब एमपीज के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है, अगर माननीय स्पीकर ऐसा आदेश देंगी तो इस पर आवश्यक रूप से सोचा जाएगा। ...*(व्यवधान)* मैडम, आज परेशानी अलॉटमेंट की नहीं है, आज परेशानी यह है कि जिन्हें यह अलॉट हो गया, उन्हें पजैशन कैसे दिया जाए। जब उन्हें पजैशन दिया जाएगा, तो माननीय सदस्य के विचार पर सोच-विचार किया जाएगा। माननीय सम्पत जी ने कई सुझाव दिये हैं और एक जो चिट्ठी गयी थी कि *[अनुवाद]* कोई रिकार्ड नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आपने कहा कि मुझ पर इस बात को छोड़ते हैं तो मैं यहा सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इस विषय में हम आपसे और संबंधित विभाग से विचार-विमर्श कर लेंगे।

श्री कमल नाथः अगर आपके ऐसे कोई आदेश आएं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और मुझे मौका मिले, अपने साथियों की कुछ मदद इसमें हो जाए। माननीय सम्पत जी ने कहा था,

[अनुवाद]

उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आने जाने वाले लोगों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। हम देश से आने वाले और दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों का रिकार्ड नहीं रखते हैं। यह कुछ अन्य देशों में किया जा रहा है लेकिन हम इस तरह का कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का रिकार्ड रखना भी वांछनीय है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिये 31 दिसंबर, 2014 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने वाले विधेयक तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र उद्धेशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कमलनाथः मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों यदि सभा सहमत हो तो हम योजनावकाश छोड़ दें।

अनेक माननीय सदस्यः जी, हां।

अपराह्न 01.21 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गयी है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे पर्चियों को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए पर्चियां सभा-पटल पर निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हो गयी होगी। शेष को व्ययगत माना जाएगा।

(एक) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11.07.2011 की अधिसूचना के सीमा क्षेत्र से जल्लीकट्टू को छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्राचीनतम खेल और महोत्सव है जो पिछले कई शताब्दियों से मनाया जा रहा है और हमारे खेलों में यह बहुत लोकप्रिय था। वार्षिक जल्लीकट्टू मदुरै अलंगनाल्लुर और अन्य स्थानों में बहुत प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से पोंगल महोत्सव के मौसम में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू को एक बहादुरी से जुड़ा खेल माना जाता है (तमिलनाडु में इसे बीरा विलाइमट्टू कहा जाता है) अर्थात् तमिलों का बल इस खेल में देखा जाता है। व्यक्ति/पालने वाला सांड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, इसका पीछा करते हैं और कुछ मिनटों के लिए उसकी कंधे को पकड़ लेते हैं और एक बार जब सांड़ उसके नियंत्रण में आ जाता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। विजेता को कुछ विशेष पुरस्कार नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस खेल में सांड़ों को तंग नहीं किया जाता है उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है तथा जोर जर्बदस्ती नहीं की जाती है। जल्लीकट्टू मंदिरों के उत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में भी आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू में हिस्सा लेने वाले सांड़ राज्य अधिकारियों के साथ पंजीकृत रहते हैं और केवल उनकी पूर्वानुमति से ही उन्हें भाग लेने दिया जाता है। राज्य सरकार कोई हिंसा या अप्रिय घटना से बचने के लिए इस खेल में पूरी

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

सुरक्षा और संरक्षण देती है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और पशु कल्याण कार्यकर्ता के पयर्वेक्षक इस आयोजन के समय मौजूद रहते हैं।

तथापि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल में भालू, बंदर, बाघ, तेंदुआ, शेर और सांड़ों के करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित किए जाने या प्रशिक्षित किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित किए जाने का कोई भी प्रयास तमिल लोगों की इच्छाओं और हितों के खिलाफ होगा और यह उनकी धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को चोट पहुंचाएगा और वे केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में सांड़ को शामिल किए जाने का जोरदार विरोध कर रहे हैं।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के करोड़ों लोगों की संवेदनाओं को देखते हुए कुछ कड़े दिशानिर्देशों को जारी करते हुए इस खेल को जारी रखने की अनुमति दी और आयोजकों द्वारा इनका कड़ाई से पालन किया जाता है। यह उपाय पशुओं को किसी भी प्रकार की यातना से बचाएगा।

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं विनम्रतापूर्वक केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि देश के करोड़ों तमिलों की भावनाओं का आदर करते हुए इस खेल के पारम्परिक महत्व को समझते हुए और जल्लीकट्टू को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 11 जुलाई 2011 की अधिसूचना के दायरे से बाहर कर दें।

(दो) सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में वित्तीय औचित्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर): यह देखा गया है कि लगभग सभी-मंत्रालय और सरकार उपक्रम इस तथ्य के आवजूद कि कुछ अधिकारी अगले एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के कगार पर होते हैं, उन्हें अपने अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न अन्य गतिविधियों के लिए भी भेजते हैं। इन अधिकारियों के प्रशिक्षण पर किया गया इतना अधिक व्यय बेकार चला जाता है। ये अधिकारी प्रशिक्षण पाने के बाद निजी कंपनियों में उच्च पदों के लिए पात्र जो जाते हैं। क्या यह कार्यक्रम सरकार के फायदे के लिए है या अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत निजी कंपनियों में नियोजन पाने में मदद करने के लिए है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे सरकारी उपक्रमों और मंत्रालयों से उन अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हों।

[हिन्दी]

(तीन) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कई दशकों से मांग की जा रही है एवं राजस्थान पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वैसे तो राजस्थान में कई भाषाएं बोली जाती हैं जैसे ब्रजभाषा, मालवी, धुध्धारी, मेवाड़ी, हदोती, बागड़ी, एवं शेखावती इत्यादि परंतु राजस्थानी भाषा को लोग अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं। राजस्थान सरकार ने कई साल पूर्व राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा भी की है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक साहित्यों की रचना हुई है और आम कार्यक्रमों एवं सामाजिक समारोहों में राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाता है इस संबंध में भारतीय की स्थानीय भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु मानदंडों का पता लगाने हेतु श्री सीताकांत मोहपात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 2003 में हुआ और इस कमेटी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी। परन्तु तब से अब तक इस पर राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कोई विचार नहीं हो पाया है। खेद की बात है कि इस रिपोर्ट पर विचार कर कोई निर्णय लेने हेतु कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की है जिससे भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के कार्य में कई संशय एवं आशंका पैदा हो गई है।

अतः अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को जल्द जनहित में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जिससे राजस्थान को राजस्थानी भाषा पर गर्व अनुभव हो सके।

(चार) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण के नियमों का पालन किए जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां के 16 जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई है, जो सभी अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने इन जजों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने इन जजों को हटाने के प्रस्ताव को

राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें न तो सेवानिवृत्ति का कारण भेजा गया और न ही इन सभी जजों का सर्विस रिकार्ड भेजा गया।

मैं बताना चाहूंगा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी व डी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था का न होना हे। देश के कुल 18 उच्च न्यायालयों में से 16 उच्च न्यायालय अलग-अलग तरीके से स्वयं के बनाए आरक्षण नियमों का पालन करते हैं। बाकी बचे दो उच्च न्यायालय दिल्ली और मुम्बई जो देश के सर्व प्रमुख हैं, ने पिछले 61 वर्षों से आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया है। आरक्षण को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में असमानता व्याप्त है, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस विषय को मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया गया और न ही विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन सभी से हटकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी उच्च न्यायालयों के कर्मियों एवं जजों को दिए जाने वाला मानदेय भारत के कंसोलिडेटेड फंड से भुगतान किया जाता है। अतः सभी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

मैं माननीय न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्त्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण दिलवाने का कष्ट करें।

(पांच) हरियाणा विशेष रूप से फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को वर्षवार ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु धन का आबंटन किया जाता है, लेकिन हरियाणा राज्य में धन का आवंटन समय पर नहीं होने के कारण कई योजनाएं लंबित पड़ी हैं या पूर्व में जो योजनाएं चल रही हैं, उनका कार्य धनाभाव के कारण संतोषजनक नहीं चल रहा है। हरियाणा राज्य को पिछले दो-तीन वर्षों से इस योजना के अंतर्गत कोई भी धन आवंटन नहीं होने के कारण पूरे राज्य में और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद में पिछले तीन वर्षों में आज तक एक भी किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ आम जनता को धनाभाव के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि हरियाणा राज्य को पिछले तीन वर्षों का लंबित बजट का कोटा तुरन्त जारी किया जाए ताकि हम जनहित में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करवा सके।

(छह) इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस को उज्जैन के रास्ते चलाए जाने और उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आगामी बजट में वित्तीय आबंटन के लिए भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू (उज्जैन): मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में सिंहस्थ महाकुंभ वर्ष 2016 में होना निश्चित हुआ है। सिंहस्थ महाकुंभ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है। महाकुंभ को सफल बनाने हेतु सरकार को अभी से काम शुरु करवाने की आवश्यकता है।

उज्जैन रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने की घोषणा पूर्व रेल बजट में हो चुकी है लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कार्य अविलंब पूर्ण किया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष अमृतसर से धार्मिक नगरी उज्जैन में लाखों श्रद्धालु आते हैं और अमृतसर से उज्जैन के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अगर गाड़ी संख्या 19325/19326 इन्दौर-अमृतसर एक्सप्रेस को वाया उज्जैन होकर चलाया जाए तो अमृतसर का उज्जैन से सीधा जुड़ाव हो जाएगा इससे यात्रियों को काफी लाभ होगा।

मेरा आग्रह है कि महाकुंभ हेतु जो भी राशि केन्द्र को आवंटित करनी है उसको इसी आगामी बजट में शामिल किया जाए ताकि समय से सभी प्रबंध हो सके।

(सात) राजस्थान में किसानों को अफीम लाइसेंस (पट्टा) दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): अफीम नीति केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष में एक बार घोषित की जाती है। गत कुछ वर्षों से नीतिगत निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई बैठक नहीं हुई है। वर्ष 2006-07 के दौरान अति खराब मौसम की स्थिति और ओलावृष्टि के कारण बड़ी मात्रा में अफीम की फसल नष्ट हो गई थी। परंतु इस वर्ष जब नीति बनाई गई थी तो जिन किसानों की वर्ष 2006-07 के दौरान फसल नष्ट हो गई थी उनका इस नीति विवरण में ध्यान नहीं रखा गया था।

सरकार को उन अफीम उत्पादकों की सहायता करने की आवश्यकता है जिनकी वर्ष 2006-07 में फसल नष्ट हो गई थी और उन्हें आगामी वर्ष में अफीम के पेटेंट दिये जायें क्योंकि इस वर्ष वे पट्टे प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं।

(आठ) प्रदूषण के स्तर को न्यूनतम करने में गुजरात राज्य सरकार को उसके प्रयासों में हर संभव सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): देश में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण से हवा, पानी, जमीन तथा ध्वनि के प्रदूषण के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण विस्फोट, अणु विस्फोट से ज्यादा भयानक है। इसे अंकुश में लाना आवश्यक है। गुजरात सरकार ने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु "रुर्बन मॉडेल" का विकास कर रही है एवं पर्यावरण मित्र, प्रदूषण मुक्त औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि गुजरात सरकार के इन प्रयासों में हर प्रकार की सहायता करे।

(नौ) कर्नाटक के बेलगाम जिले में यातायात का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिले के रक्षा विभाग की भूमि बेलगाम जिला प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम): कर्नाटक में बेलगाम नगर बंगलौर के बाद तेजी से विकसित हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ बेलगाम नगर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। परंतु एक छोटा सा भवन/कमरा/स्टाल जिसमें रखा विभाग की कैंटीन है तथा जो अशोक सर्कल जोकि बेलगाम नगर में प्रवेश करने वाली दिशा में पहला सर्कल है के निकट स्थित है वह नगर में सुचारू यातायात के आवागमन के लिए एक बड़ी बाधा है। जिला प्रशासन इस छोटे से क्षेत्र या जोन को जिला प्रशासन को सौंप दिया जाये। बेलगाम में रक्षा और साथ ही विभाग/अधिकारियों से लगातार इस बात का अनुरोध कर रहा है कि इसे गिरा दिया जाए। ताकि इसका अधिग्रहण करके मुक्त यातायात परिचालन के लिये एक बड़े सर्किल का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस कैंटीन को आसपास के क्षेत्र में राज्य सरकार की वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित की जा सकती है।

यह मामला बेलगाम में रक्षा अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा यह उनके पास सहमति के लिये लंबित है। इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह बेलगाम में संबंधित रक्षा प्राधिकारियों को निर्देश दे कि वे इस छोटे भूखंड को जनहित में बेलगाम जिलाप्राधिकारियों को शीघ्र स्थानांतरित करने के लिए बेलगाम के रक्षा प्राधिकारियों को निदेश दें।

[हिन्दी]

(दस) बिहार में चकिया और शिवहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 104 को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-104 के खंड चकिया से शिवहर के बीच 40 किलोमीटर का राजमार्ग दस वर्षों से सिंगल लेन का है और सिंगल लेन का राजमार्ग होने के कारण हुई गंभीर दुर्घटनाएं समय-समय पर होती रहती हैं। उक्त राजमार्ग के इस खंड को छोड़कर बिहार के सभी राजमार्ग के दो लेन हेतु दोहरीकरण के कार्य को मंजूरी मिल गई है। इस मार्ग के बनने से पटना आने जाने के लिए काफी सुविधा मिल सकेगी। इस क्षेत्र में विकास संबंधी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जिसमें सड़क की असुविधा भी एक बड़ा कारण है। मेरी निगाह में चकिया से शिवहर के बीच सड़क को हर लिहाज से चौड़ीकरण कर दो लेनों का करना अति आवश्यक है एवं क्षेत्र के लोग आये दिन इस राजमार्ग सड़क की दयनीय एवं जर्जर हालत का उल्लेख करते हैं। एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 104 खंड चकिया जीरो से शिवहर के बीच 40 किलोमीटर की सड़कों को दो लेन का बनाकर चौड़ीकरण किया जाये।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पिछड़े इलाके में अवस्थित 104 राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड चकिया से शिवहर के बीच दो लेन का राजमार्ग बनाकर चौड़ीकरण किया जाये जिससे इस खंड का यातायात सुगम ढंग से चल सके और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के आस पास के पिछड़े इलाकों को विकास की राह मिल सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र में खाद की भारी कमी है। खेत बुवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खाद की उपलब्धता न होने के कारण किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है तुरंत खादों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में तुरंत खादों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(बारह) उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत यूनिटों के लिए कोयला की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजनाओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जहां बहुत सी विद्युत परियोजनाएं कोयले की कमी के कारण अपनी क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रही हैं तथा नयी परियोजनाएं कोयले के अभाव में शुरु नहीं हो रही हैं। महोदय, कोयले की कमी के कारण प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर असर पड़ा है। यहां तक कि जो पूर्व में केन्द्र सरकार तथा कोयला कंपनियों से जो अनुबंध किये गये थे, सरकार की नयी नीति के कारण कोयले के आवंटन में कमी की जा रही है जो बिल्कुल ही अनुचित है। सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश को उसकी तापीय विद्युत परियोजनाओं एवं जनसंख्या के आधार पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के होगेनाक्कल जलप्रपात को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): होगेनाक्कल फाल्स धर्मापुरी जिले में स्थित है जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसे भारत का नियाग्रा वाटर फाल्स कहा जाता है। अपने औषधीय स्वान और नौकायन के लिए प्रसिद्धी के साथ यह पर्यटन के आकर्षण का प्रमुख स्थान है। इस स्थल में कार्बोनेट की चट्टानों को दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार की सबसे पुरानी और विश्व में सबसे पुरानी चट्टानों में से एक माना जाता है।

होगेनाक्कल जलप्रपात एक सुंदर पिकनिक स्थल है और इसके पानी के बारे में औषधीय गुण होने के बारे में कहा जाता है। होगनक्वकल घने बांसों के बीच स्थित है और इसे पवित्र स्थान स्थल और स्पान्जैसा हेल्थरिजार्ट दोनों ही माना जाता है। होगनकक्कल में नौकायन को भी पर्यटन का एक आकर्षण माना जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा है और यहां अत्यंत सुंदर दृश्य नजर आता है।

यद्यपि इस पर्यटन स्थल को भारत का निमनता फाल्स कहा जाता है तथापि इसे वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाने के लिए अवसंरचना के और विकास की आवश्यकता है। आशय है कि सरकार ने पर्यटन स्थलों का विश्व स्तरीय विकास कार्य शुरू करने के लिए पहचान की है और कर रही है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि होगेनाक्कल को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करे और होगनक्कल को सभी पर्यटन प्रचार अभियान से जोड़े और इसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाये ताकि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए इस जिले की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सके।

(चौदह) देश में व्यापक रूप से पुलिस सुधार उपायों को विकसित और कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): पुलिस सुधार गत 30 वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और हमारे आधे से अधिक राज्यों में पुराना पुलिस अधिनियम 1861 लागू है। दिनांक 22 सितंबर, 2006 को उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सात निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया था जिससे पुलिस सुधार आरंभ करने के लिए व्यवहारिक तंत्र निर्धारित किया था। केवल 17 राज्यों ने गृह मंत्रालय द्वारा तैयार माडल पुलिस अधिनियम के आधार पर विधान प्रस्तुत किये हैं।

मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है कि गत 18 वर्षों के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के 10,94,113 दर्ज मामलों में से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं और इस शिकायतों की संख्या 6,22,635 है। पुलिस का राजनीतिकरण बड़ी चिंता का विषय है और नियमित रूप से यह आरोप लगाए जाते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियां और स्थानांतरण राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं।

स्वायत्तता कार्य के प्रति निष्ठा, जवाबदेही और पुलिस की बेहतर स्थितियों के बिना हम अपने देश में पुलिस से अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने की आशा नहीं कर सकते। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्यों में पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए समुचित उपाय करे।

(पंद्रह) राजस्थान में कालीसिंध और छाबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयला ब्लॉक आबंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2007 में 2 x 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 एवं 2 एवं 2 x 250 मेगावाट छबड़ा सब-क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति हेतु परसा ईस्ट व केन्टे बासन कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इन कोल ब्लॉक्स के "नो गो एरिया" में स्थित होने के कारण इसी पर्यावरण स्वीकृति लंबे समय से अपेक्षित थी। केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय

के इन ब्लॉक्स की पर्यावरण स्वीकृति को इस शर्त पर दी है कि इन कोल ब्लॉक्स से प्राप्त कोयले से सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति की जायेगी। अतः इस कोल ब्लॉक से प्राप्त कोयले की आपूर्ति 2 x 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 व 2 एवं 2 x 250 मेगावाट छबड़ा सब-क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के स्थान पर 2 x 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 ग 600 मेगावाट छबड़ा सुपर-किटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स को की जायेगी। अतः 2 x 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 व 2 एवं 2 x 250 मेगावाट छबड़ा सब-क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है।

राजस्थान सरकार ने 2 x 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 x 660 मेगावाट छबड़ा सुपर-क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स एवं 12वीं योजना के अंतर्गत राज्य क्षेत्र सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति हेतु गो एरिया में स्थित तीन कोल ब्लॉक्स शेरबंद-बेसी एवं भालूमुण्डा, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़) तथा पछवाड़ा साउथ, राजमहल (झारखंड) के आवंटन हेतु को कोयला मंत्रालय में आवेदन किया है। इन तीनों ब्लॉक्स के आवंटन से 2 x 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 x 660 मेगावाट छबड़ा सुपर-क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स एवं 12वीं योजना के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार ने फरवरी, 2009 में बांसवाड़ा में आई.पी.पी. के अंतर्गत (केस-2 टैरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक निविदा) पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु स्वीकृति जारी की है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त, 2010 में इन प्रोजेक्ट्स को दीर्घावधि कोल लिंकेज की स्वीकृति हेतु कोयला मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भी प्रेषित कर दी है। बांसवाड़ा में स्थापित इस प्रोजेक्ट हेतु सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं निष्पादन संबंधी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, किन्तु लांग टर्म कोल लिंकेज/कोल ब्लॉक के आवंटन के अभाव में पावर प्रोजेक्ट डेवलपर का चुनाव केस-2 टेरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले के लॉग टर्म लिंकेज के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय की स्टैडिंग लिंकेज कमेटी (लॉग टर्म) की बैठकें बुलाई जाये।

राज्य क्षेत्र की सूरतगढ़ (यूनिट 7 एवं 8) छबड़ा (यूनिट 5 एवं 6) एवं बांसवाड़ा में आई.पी.पी. की पर्यावरण स्वीकृति के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर दिया गया है। केन्द्र उनकी पर्यावरण स्वीकृति जारी करे।

अतः कोयला मंत्रालय से 2 x 600 मेगावाट कालीसिंघ यूनिट 1 एवं 2 एवं 2 x 250 मेगावाट छबड़ा सब-क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तीन कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जाये। शेरबन्दबेसी, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़) भालूमुण्डा, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़), पछवाड़ा साउथ, राजमहल (झारखंड), बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल आई.पी.पी. के लिए कोयले के लॉग टर्म लिंकेज का आवंटन किया जाये। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कोल ब्लॉक्स/सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स की पर्यावरण की स्वीकृति जारी करे।

अपराह्न $1.2^1/_2$ बजे

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब हम मद संख्या 18 पर चर्चा शुरू करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनाराण मीणा): अध्यक्ष महोदया, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक 2009 का मूल उद्देश्य जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 के साथ संगत बनाना है।

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 15वीं लोकसभा में 31 जुलाई, 2009 को पुरःस्थापित किया गया था। इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति 2009-10 को इसकी जांच करने तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए भेजा गया था।

स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद में 12 मार्च, 2010 को प्रस्तुत किया। स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित सरकार ने जीवन बीमा निगम संशोधन विधेयक, 2009 के संशोधन प्रस्थापित करने का प्रस्ताव किया।

अपराह्न 1.22 बजे

[डॉ. एन. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए]*

जीवन बीमा निगम, (संशोधन) विधेयक, 2009 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव करता है कि जीवन बीमा निगम की न्यूनतम पूंजी को 5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाये ताकि इसे बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के संगत बनाया जाये, जीवन बीमा निगम के एजेंटों के कार्य की शर्तों के संबंध में विनियम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम को सशक्त बनाया जाये तथा जीवन

बीमा निगम के कारोबार के विस्तार के लिए तथा जीवन बीमा निगम की आरक्षित निधि का सृजन करना सुनिश्चित करने तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया जा सके।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, सरकार ने समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों को मान लिया है जिसमें जीवन बीमा निगम की पालिसियों के लिये संप्रभु गारंटी को बनाए रखना सम्मिलित है अपनी कार्यकारी पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य तरह के पूंजी एकत्र करना तथा व्यापक दिशानिर्देशों आदि का अनुसरण करते हुए जीवन बीमा निगम को नई शाखाएं खोलने का अधिकार रखने की अनुमति देना।

मैं आगे यह बताना चाहूंगा कि संशोधन, जैसा कि पृष्ठ 62, पंक्ति 19 पर प्रस्तावित है जो सरकारी गारंटी के क्षेत्र से संबंधित है का स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए छोड़ दिया गया है।

पॉलिसियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी के संबंध में मूल धारा 37, में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात, संप्रभु गारंटी जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, एक परंतु कभी जोड़ा गया है जिसमें जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों के लाभ के लिए निधियों पर प्राप्त लाभांश को अधिकतम करने की सलाह दी गई है। यह स्थायी समिति के परामर्श के अनुसरण में है। तथापि, मूल्यांकन अधिशेष के वितरण से संबंधित खंड 5 के अंतर्गत स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन प्रावधानों को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के उपबंधों के अनुरूप रखा जाना चाहिये जो देश में सभी बीमा कंपनियों पर लागू है। इससे जीवन बीमा के कारोबार के विस्तार की अनुमति भी देगा। सौलवेंसी मार्जिन को मजबूत करने तथा कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा।

इस संशोधन को भविष्य में लागू किया जाएगा और अधिसूचना की तारीख से नई पॉलिसियों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, खंड 8 और 9 (i) में प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा एजेंटों से संबंधित निबंधन और शर्तो से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है तथा जीवन बीमा निगम को केन्द्र सरकार से प्राप्त पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाने का अधिकार होगा। इन संशोधनों से जीवन बीमा निगम को एजेंटो की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं और उनके कल्याण के बारे में ध्यान देने में लचीलापन लायेगा। जो स्थायी समिति की सिफारिशों की भावना के अनुरूप है।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिव कुमार उदासी (हावेरी): महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीवन बीमा निगम संशोधन विधेयक 2009 जीवन बीमा जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक है पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी को भी इस अवसर पर बोलने के लिए अवसर देने, अपने विचार व्यक्त करने तथा इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय इस विधेयक के मूल में जाने से पूर्व मैं बीमा क्षेत्र पर तथा आजादी के बाद देश में यह कैसे अस्तित्व में आया इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। तथा स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 200 निजी कंपनियां भी जो बीमा क्षेत्र में काम कर रही थी लेकिन 1956 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस देश में जीवन बीमा निगम का गठन हुआ। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई 5 करोड़ रुपये की पूंजी से जीवन बीमा निगम ने शुरूआत की और आज यह एक बड़ी और मजबूत संस्था के रूप में विकसित हो गयी है, जिसके पास 7,00,000 करोड़ रुपये की अधिशेष निधि है और जिसके पास 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की सौलवेंसी मार्जिन है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने इस संस्था को कुछ संप्रभु गारंटी प्रदान की है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहना था कि इस संस्था की संप्रभु गारंटी को बनाए रखा गया है। इसका आह्वान नहीं किया गया है। मेरी पार्टी की सोच है कि इसकी संप्रभु गारंटी कभी खत्म नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों की संख्या 26 करोड़ से अधिक है और लगभग 13.5 लाख एजेंट है तथा 1-25 लाख कर्मचारी इस संस्था में काम कर रहे हैं। इसलिए संप्रभु गारंटी को खत्म करने से जीवन बीमा निगम के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिसकी देश की अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक भूमिका है। हमारे देश के विकास में अब तक इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

इसलिए, मेरे अनुरूप जीवन बीमा निगम को सामाजिक भूमिका के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो यह अदा कर रहा है और सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार को इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करना चाहिए जो भारतीय जीवन बीमा निगम की मूल ताकत है। इसलिए, इसे एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता की संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके संकेत चिह्न को सुरक्षा चिह्न के रूप में लिया जाना चाहिए।

महोदय, इसलिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम की तुलना निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियों से नहीं करनी चाहिए जिन्होंने वर्ष 1999 में अधिनियम के संशोधन के बाद बीमा क्षेत्र में आए हैं।

इसलिए सामाजिक दायित्वों और सामाजिक प्रयासों के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम ऐसा कर रही है और इस प्रकार 26 करोड़ लोगों के पास पॉलिसी है जैसाकि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी जीवन बीमा, बीमा पॉलिसी को वर्ष 2007 में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किया गया है। इस देश के वित्त मंत्री ने शिमला में इस पॉलिसी का उद्‌घाटन किया है। यह आम आदमी जीवन बीमा ऐसे परिवारों को बीमा मुहैया करा रहा है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लगभग 13 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और विकास ग्रामीण क्षेत्रों मैं उदाहरण बनने जा रहा है जिसके लिए स्थानीय राज्य सरकारें और भारत सरकार प्रीमियम देने जा रही है। सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे सामाजिक प्रयास को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे मौजूदा स्थिति में कभी बदलाव न लाएं। इन पहलुओं के बारे में मैं अपना मन व्यक्त करना चाहता हूं जिसे विधेयक में शामिल किया गया है।

सबसे पहले मैं विधेयक की धारा 2 के बारे में बोलूंगा जो निगम की पूंजी के बारे में है।

> "निगम की प्रदान इक्विटी पूंजी संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए उचित विनियोजन के बाद उक्त उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत एक सौ करोड़ रुपए की होगी और जिसे केन्द्रीय सरकार ऐसी धनराशि को अधिसूचना के द्वारा बढ़ा सकती है, जैसाकि निर्धारित किया जाये।"

यह बिल्कुल अन्याय है। जैसाकि मैंने पहले कहा कि निगम की 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण शोध सीमा धनराशि है और जज ने कहा है कि प्रत्येक बीमा कंपनी की अपने व्यवसाय के अनुरूप ऋण शोधन सीमा धनराशि प्रदान करनी होती है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अन्याय है। यह स्पष्ट है कि पूंजी में वृद्धि स्वागत योग्य है लेकिन पूंजी में यह वृद्धि भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिदेश हेतु मलहोत्रा समिति की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में की जा रही है। इस प्रकार सरकार का प्रयास कई अन्य मुद्दों की ओर इशारा करता है। जैसे यह मुख्यतः इस बात का संकेत करता है कि सरकार कभी भी इसकी हिस्सेदारी के एक भाग को निजी क्षेत्र को दे सकती है चाहे यह भारतीय हो या विदेशी। इसे एक अधिसूचना के द्वारा ही किया जाता है और ऐसा करके सरकार संसद की संप्रभुता और सर्वोच्चयता को बट्टा लगा रही है।

इसलिए मैं सरकार से इसे केवल 100 करोड़ रुपए नई सीमित करने का अनुरोध करूंगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी में कोई और वृद्धि, जब भी आवश्यक हो, संसद द्वारा किए गए विनियोजन और भारतीय जीवन बीमा निगम को शासित करने वाले मूल अधिनियम में संशोधन लाकर केन्द्र सरकार द्वारा उपबंध किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सीमा को 100 करोड़ रुपए तक सीमित करें और इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

मूल अधिनियम की धारा 18 को प्रभावी बनाने हेतु उपधारा 4 को हटा दिया गया है। यह मामला शाखाएं खोलने के बारे में है। एक बार फिर सरकार इस तर्क के आधार पर कार्य कर रही है कि इरडा के अधिनियम के अनुसार कार्य कर रही है और जो कहना है कि सभी सीमा कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए नई शाखाओं को खोलने की अनुमति केवल भारतीय जीवन निगम तक सीमित की गई थी। अब इरडा के अधिनियम के बाद शाखाएं खोलने के लिए यह शक्ति इरडा को प्राप्त होगी।

जैसाकि मैंने पहले कहा कि इसका सामाजिक प्रमास और विशाल ग्रामीण विकास जो देश में हुआ है, पर ध्यान देना चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार ग्राहकों की संख्या लगभग 20 करोड़ रुपए है और अगले पांच से छह वर्षों में इसकी संख्या 40 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए जोनल कार्यालयों की संख्या को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाएं खोलने की शीघ्र आवश्यकता है।

इस प्रकार उपधारा 4 को हटाने से और विलंब होगा तथा नई शाखाओं और छोटे कार्यालयों की स्वीकृति हेतु सरकारी तंत्र की निगरानी में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उप-धारा 2 और 3 पर उपयुक्त संशोधनों हेतु विचार किया जाना चाहिए और उप-धारा 4 को हटाने का विचार त्याग देना चाहिए।

यहां भी शक्ति छीनी जा रही है तथा अधिनियम किसी विकल्प के बारे में नहीं कहता है कि इसे किसके पास जाना चाहिए। इस प्रकार की स्पष्टता विधेयक में होनी चाहिए। मैं प्रस्तावित संशोधनों में कोई गुण नहीं पाता हूं और भविष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं के विस्तार को सीमित करने में नकारात्मक प्रमाण डाल सकता है।

मूल अधिनियम की धारा 28 पर चर्चा करें तो यह बीमा व्यवसाय से होने वाले अतिरिक्त आय और इसे किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए के बारे में है। इस बारे में मैंने माननीय मंत्रीजी को यह कहते हुए सुना है कि इसे नहीं हटाया गया है। मैं इस मामले के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इसे 95 से घटाकर 90 किया गया है। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री नमो नारायन मीणाः मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि वैलूयेशन अतिरिक्त के वितरण के बारे में खंड 5 की स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि प्रावधान को बीमा अधिनियम, 1939 की धारा 49 के उपबंधों के अनुरूप रखा जाना चाहिए जो देश में सभी बीमा कंपनियों पर लागू होता है। इसका अर्थ है कि यह 95:5 था। अब इसे हम 90:10 पर ला रहे हैं। लेकिन मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संशोधन को उत्तरदायी प्रभाव से लागू किया जाएगा और यह अधिसूचना की तिथि से नई पालिसियों पर लागू होगा। इसका मतलब है अन्य सभी कंपनियों में 90:10 का अनुपात है और हम एलआईसी को इसी प्रतिमान पर लाना चाहते हैं।

श्री शिवकुमार उदासीः आपके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद।

आमतौर पर हो यह रहा है कि 26 करोड़ पॉलिसी धारकों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी खरीदते हैं कि अतिरिक्त लाभांश मूल अधिनियम के अनुसार 95 प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा। अब आप इसे उतरव्यापी प्रभाव से 90 प्रतिशत करने जा रहे हैं। वर्ष 1999 से आज की स्थिति के अनुसार 23 कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया है। आपके संप्रभु गारंटी, आपके 93 प्रतिशत अतिरिक्त लाभांश साझेदारी के बावजूद अब आप अन्य निजी कंपनी के समान अवसर प्रदान करने जा रहे हैं तथा एलआईसी की बाजार की साझेदारी 35 प्रतिशत घट गयी है और यह निजी कंपनियों के पास चली गयी है। जबकि पॉलिसी बेचने में इस विधेयक के लागू होने के बिना उनका 29 प्रतिशत का कारोबार कम हो गया। यदि अब आप ऐसा करेंगे तो अधिकांश लोग निजी व्यावसायियों पर चले जायेंगे। जबकि आप एलआईसी जैसे सरकारी संगठन को हतोत्साहित कर रहे हैं जिसकी सामाजिक जिम्मेदारी है। आप संस्थान का मनोबल गिरा रहे हैं। मैं सरकार से 95 प्रतिशत उत्तरदायी खरीदकर्ता अपनाने का अनुरोध भी करता हूं। यह हमारे दल का विचार है। आप इस पर कृपया विचार कीजिए क्योंकि स्थायी समिति ने भी इस बारे में सिफारिश की है।

तत्पश्चात मैं विधेयक की धारा 37 पर आ रहा हूं। यह कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। माननीय मंत्रीजी ने पहले ही कहा है कि अपनी आरंभिक टिप्पणी में संप्रभु गारंटी को कायम रखी जाएगी। इसलिए मैं इसका प्रतिरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्थायी समिति और अन्य स्टोकधारक जैसे एलआईसी के कर्मचारियों ने इसके लिए कहा था। मैं सरकार को संप्रभु गारंटी को बनाये रखने के लिए बधाई देता हूं। अन्यथा यह भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास को बाधित कर देता।

अब मैं संशोधन विधेयक की अंतिम दो धाराओं, धारा 48 और 249 पर चर्चा करता हूं जो नियम और विनियम बनाने वाली शक्तियों के बारे में हैं। इसमें एजेंटों की संपूर्ण आबादी की सेवा शर्तों की लाईसैंसिंग और नियम इरडा के अधीन रहेंगे। विशेषकर एलआईसी एजेंट बहुत बड़े स्तर पर स्व-नियोजित समूह है जो जीवन बीमा के महत्व का सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप में प्रचार करने में प्रभावशाली रहे हैं। जब मैं बच्चा था तो मैं यह देखा करता था कि जब भी एलआईसी एजेंट मेरे गांव में मेरे घर आता था तो वह पालिसी जोखिम उन्मुख पेशे के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में पालिसा बेचा करता था।

वह पॉलिसी धारकों को एक सेवानिवृत योजना आदि के रूप में पॉलिसी लेने के लिए कहता था। इसलिए इस धारा में संशोधन करके मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के एजेंटों की शक्तियों पर अंकुश लगाने से उनका जीवन यापन प्रभावित होगा। इसलिए मेरा मत है कि एलआईसी एजेंटों की सेवा शर्तों के संबंध में मौजूदा विदित उपबंधों के साथ जारी रखना प्राथमिकता पूर्ण होगा। क्योंकि वे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में है। आपको यह देखना है कि उनका जीवनयापन प्रभावित न हो।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक के बारे में हमारे दल से विचार करें और तदनुसार इसे पारित करें।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मैं जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर लगभग 1000 बीसी से चला आ रहा है। उस वक्त कम्युनिटी इंश्योरेंस के माध्यम से आर्यन लोग अपने राज्य में इंश्योरेंस करते थे। वर्ष 1818 में पहली लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी भारत में शुरू हुई थी। वर्ष 1870 के अन्दर पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी बॉम्बे म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी बनी थी। वर्ष 1947 के अन्दर लगभग 245 लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एवं विदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होकर इसी पार्लियामेंट के माध्यम से बिल बनकर और उनके रेग्युलेशंस बनकर और पांच करोड़ रुपये के कैपिटल से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज इस बिल के अन्दर उन पांच करोड़ रुपये की जगह सौ करोड़ रुपये का जो पेड-अप इक्विटी कैपिटल का प्रावधान है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शिव कुमार उदासी जी ने बोला था कि वह पार्लियामेंट के अन्दर वापस नहीं आयेंगे अगर उसमें सरकार की तरफ से नोटीफिकेशन रहते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि नोटीफिकेशन के बावजूद भी

सभी बजट के अन्दर या डिमांड ऑफ ग्रांट्स के माध्यम से जो भी बढ़ाया जायेगा तो इस सदन के अन्दर हर बार हम लोगों को सूचित किया जायेगा, हम लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। अगर यह पेड-अप इक्विटी सौ करोड़ से ज्यादा भी नोटिफिकेशन के बावजूद आयेगी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज इस देश के अन्दर ऑपरेट हो रही हैं, उनकी भी पेड-अप कैपिटल सौ करोड़ रुपये ही है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी उस लेवल-प्ले के अंदर मौका दिया जाये, यही लॉ आफ दी लैंड के कारण जस्टीफाइड किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के उस सुनहरे इतिहास के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वह पॉलिसी होल्डर का है। जिनके विश्वास के कारण लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का यह बहुत बड़ा इतिहास रहा है। आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। लगभग 13 लाख 17 हजार 416 करोड़ रुपये के करीब इनकी आज की ऐसेट्स बेस है।

महोदय, इसके अन्दर उन एजेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, वे प्रत्येक पॉलिसी होल्डर में एक विश्वास, एक कड़ी बनाते हैं, जिनके माध्यम से वे पॉलिसी होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की उन पॉलिसीज से जुड़ते हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन के कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें एजेंट्स के बारे में, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। जो उनका कमीशन हम पिछले सात साल से घटाते जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि उन एजेंट्स के कमीशन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इस बिल के अन्दर एलआईसी के लाभ में से 95 परसेंट की जगह 90 प्रतिशत तक शेयर होल्डर को दिये जाने का प्रावधान है। 5 प्रतिशत जो एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन को मिलेगा, वह उस संस्था के सशक्तिकरण के लिए होगा और उससे बड़ा जो रिस्क कवरेज उस संस्था के लिए होगा। चूंकि आज के समय में हम लोगों ने देखा है, पहले यूरोपियन मंदी के कारण बड़े से बड़े इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, आज पूरी दुनिया के अन्दर सबसे बड़ा एआईजी इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, उसे भी आखिरकार यू.एस. गवर्नमेंट ने आर्थिक मदद की। वह 5 प्रतिशत जो बफर होगा, वह इंश्योरेंस कंपनी के लिए, एलआईसी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा रहेगा और भविष्य के अन्दर रिस्क कवरेज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो शत-प्रतिशत गारंटी भारत सरकार की तरफ से एलआईसी को दी हुई है, एलआईसी ने कभी भी उसका उपयोग नहीं किया। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय में भी, भूकम्प और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के समय में भी, जब बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें पॉलिसी होल्डर को कम्पेनसेशन देना पड़ा। उसके लिए भी उसका उपयोग नहीं लिया। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वह प्रावधान जिसमें शत-प्रतिशत भारत सरकार की तरफ से पॉलिसी होल्डर को गारंटी देने का था, उसको उन्होंने विड्रा किया है, उस विड्रा करने के पीछे जो मंशा रही है कि भारत सरकार के प्रति पॉलिसी होल्डर का विश्वास बरकरार रहेगा। इस बिल में एलआईसी की शाखा बढ़ाने का अधिकार इरडा को दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि शायद विश्व में सबसे अच्छे रेगुलेटर्स कहीं हैं तो भारत के अंदर हैं। हमने आर्थिक मंदी के समय में भी देखा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी हिन्दुस्तान के अच्छे रेगुलेटर्स के कारण ही हिन्दुस्तान के बैंकों की विश्वसनीयता को मंदी से उबारने में सबसे बड़ा योगदान रेगुलेटर्स का रहा है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर में इरडा के माध्यम से भारत के अंदर दूसरी सभी बीमा कम्पनियों के लिए हैं, वैसे के वैसे एलआईसी के लिए भी होंगे। आज बैंकों में हमारी शाखा खोलने का प्रावधान रेगूलेटर्स के पास है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंकों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक है। यह जो सराहनीय काम भारत सरकार ने किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या इंश्योरेंस से जुड़ी है। आज हिन्दुस्तान में इंश्योरेंस की ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। हमें इस सेक्टर के लिए आने वाले समय में मजबूती से काम करना चाहिए। एक अच्छे बिल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तानी लाइफ इंश्योरेंस करवा सकें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

महोदय, मैं आज इस मौके पर वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर हैं। विशेषकर अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर की लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आज किसी देश और समाज का विकास कहीं से होगा तो वह किसान और मजदूर के माध्यम से होगा। आज देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसान और मजदूर की है। अगर इस देश में 9 प्रतिशत तक की ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, देश को महाशक्ति बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसान और मजदूर का होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान और मजदूर की लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसी न किसी प्रकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कृषि बीमा के संबंध में भी इस मौके पर बोलना चाहता हूं कि कृषि बीमा के तहत कृषक को कुछ छूट देनी चाहिए कि यदि वह मौसम आधारित बीमा करवाना चाहे तो करवाए और क्रॉप कटिंग के आधार पर कराना चाहे तो करवाए। आज किसान क्रेडिट कार्ड का किसानों को किस प्रकार से फायदा मिल रहा है, इस बारे में मैंने दो दफा सदन में मंत्री जी से आग्रह किया था। आज मैं तीसरी दफा भी आग्रह करता हूं कि केसीसी के तहत किसान को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी आप प्राथमिकता से सोचें। आने वाले समय

में एलआईसी एक अच्छा इतिहास रचे। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी के एजेंट, पॉलिसी होल्डर और उसके कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे काम हो सकता है, उनकी मजबूती कैसे हो सकती है, वैसे ही फैसले भारत सरकार की तरफ से होंगे, इसकी आशा मैं भारत सरकार से करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो 21 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने देश में जीवन बीमा कारोबार का संव्यवहार प्रारंभ किया है और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि न्यूनतम पूंजी को पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक अरब रुपए करने का उपबंधन रखा गया है। अगर रकम बढ़ाई जाएगी तो केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा होगी।

सभापति महोदय अगर देखा जाए तो बीमारी हो या प्रसूति या नियोजन, क्षति की दशा में कर्मचारियों को सुविधाएं देने का प्रबंधन इस बिल में किया गया है और राज्य सहकारी सोसायटियों के संवर्द्धन का भी समावेश किया गया है। धारा 37 में पांच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया गया, निरीक्षक की जगह सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बीमाकृत व्यक्ति के स्थान पर कर्मचारी शब्द रखा गया है। दिनांक 15.06.2008 तक 1.25 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं जबकि इस वक्त 54 लाख के ऊपर जारी किए जा चुके हैं। आश्रितों को प्रसुविधाएं देने के प्रयोजन के लिए आयु सीमा विद्यमान अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष किया गया है। वर्ष 2010 के दौरान तेरह प्रतिशत से बढ़ाकर 186285 करोड़ रुपये पहुंचा। पिछले वर्ष यह 164399 करोड़ रुपये था। कर्मचारियों की संख्या घटाकर दो करोड़ 49 लाख 635 कर दी गई है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी सहित निजी क्षेत्रों की 22 कंपनियां जीवन बीमा पॉलिसियां बेचती हैं। रिलायंस लाइफ और एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पूंजी बाजार में उतरना चाहती है। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बीमा एकाउंट ए और बीमा एकाउंट बी, दोनों योजनाओं को एल.आई.सी. निवेशकों को छह प्रतिशत गारंटी रिटर्न देगी।

सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो गरीब हैं, खासकर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या बहुत गरीब हैं, जो बीमा पॉलिसी देने में असमर्थ हैं, उनके जीवन की गारंटी लेने वाली इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। गरीबों के लिए एक योजना चलायी गयी थी। उसमें बहुत-सी सोसायटीज या बहुत-से एनजीओज हैं, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से अभी सही मायने में नहीं आ पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र के जो गरीब, खेतिहर मजदूर, श्रमिक हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि सूक्ष्म धनराशि लेने के बाद उनकी जीवन पॉलिसी या कार्यकाल के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस पर उसको धनराशि मिल जाए। यदि उनकी मृत्यु होती है तो पर्याप्त धनराशि न मिलने के कारण असंगठित क्षेत्र के तमाम ऐसे मजदूर और श्रमिक हैं जिनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता है, भीख मांगने लगता है। यही नहीं, उनके परिवार में तमाम इस प्रकार के अनैतिक कार्यों के कारण उनका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से संगठित क्षेत्रों के लिए जीवन बीमा की धनराशि और पॉलिसी फिक्स की गयी है, उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं, ऐसे लोग जो गरीब हैं, उनके लिए कोई कार्य योजना बने ताकि उनको पूरी तरह से लाभ मिले। मैं ज्यादा कुछ न कहकर इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे जीवन से जुड़े बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक 14वीं लोक सभा में भी पास होने के लिए आया था, लेकिन लोक सभा के स्थगित हो जाने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका। आज सवा सौ करोड़ के भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यूनतम पूंजी पांच करोड़ से बढ़ा कर एक अरब रुपए करना आवश्यक है। जब से जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में 21 प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियां भी कार्यरत है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा कम्पनियों के साथ-साथ बहुत सी ऐसी कम्पनियों की बाढ़ आ गई, जिसमें देश के बहुत से गरीबों ने अपना पैसा लगाया। वे कम्पनियां किस आधार पर बनाई गई थीं, कैसी बनाई गई थीं। देश के कई कोनों से आज भी अखबारों में निकलता है, यह देखने को मिलता है कि बहुत सी जीवन बीमा कम्पनियां आईं, उन्होंने लोगों से पैसा जमा करवाया, उनकी तीन-चार किश्त जमा करने के बाद वे भाग गईं। वे अपना ऑफिस तक उठा कर भाग गईं। मैं विधेयक पर बल देते इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी फर्जी कम्पनियां देश में कैसे आईं, उन्होंने गरीबों का पैसा जमा करवाया और उसके बाद यहां से वे भाग गईं। उन्होंने कैसे नौजवानों का पैसा जमा करवाया और उसके बाद वे भाग गईं। इस पर माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, जीवन बीमा उद्योग कुल प्रीमियर संग्रह सन् 2010 के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ कर 1,86,285 करोड़ रुपए हुआ, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वहीं यह जानकर आश्चर्य होता है कि बीमा कम्पनियों में 18184 कर्मचारियों को घटा दिया गया। हम एक तरफ पांच करोड़ से अपनी न्यूनतम पूंजी बढ़ा करके एक करोड़ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आबादी बढ़ने में हमने कर्मचारियों

को घटाया और केवल कर्मचारियों को ही नहीं घटाया। आखिर कौन से ऐसे कारण हैं, माननीय मंत्री जी इसे देखें कि केवल कर्मचारियों को ही नहीं घटाया, बल्कि 2,73,984 एजेंटों को भी घटा दिया। हम एक तरफ जीवन बीमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी और एजेंटों को निकालते जा रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्राइवेट सैक्टर की जो जीवन बीमा कम्पनियां थीं, उन्होंने भी 62956 कर्मचारियों की कटौती कर दी। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है कि इस देश में जो वंचित एवं पिछड़े लोग हैं, उन्हें अवसर दिया जाए, जिनको एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण प्राप्त हो। इन कर्मचारियों में जो जीवन बीमा निगम की प्राइवेट सैक्टर की और जीवन बीमा निगम के जो कर्मचारी हैं, इसमें एससी एसटी और ओबीसी का कोटा पूरा होता है या नहीं, यह भी एक विचारणीय विषय है, इसे जरूर करना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन बीमा कम्पनी, यानि हम केवल जीवन बीमा करेंगे, फसलों का बीमा नहीं करेंगे। जानवरों का हमारा देश, हमारे देश का काफी किसान फसलों पर आधारित है और उस किसान के फसलों की बीमा के बारे में सरकार और कम्पनियों की तरफ से जो उदासीनता दिखाई जाती है, वह बिलकुल ही निन्दनीय है। निश्चित तौर पर यह किसानों का देश है और किसानों के देश में किसानों की फसलों का बीमा भी रुचि लेकर इन कम्पनियों को करना चाहिए। कभी-कभी प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियां बड़ी-बड़ी चीजों में अपनी रुचि दिखाती हैं। वे दूसरे प्राइवेट सैक्टर में काफी रुचि दिखाती हैं, यह देखना चाहिए कि जिनका आपने राष्ट्रीयकरण किया है, ये सारी कम्पनियां, जो किसान के हित के लिए बीमा है, उस पर रुचि दिखा रही हैं या नहीं। केवल किसान ही नहीं, हमारे देश का काफी आदमी पशुओं पर आधारित है। गांव में जो व्यक्ति रहता है, वह पशुओं पर भी कर्जा लेकर 25-30 हजार की एक भैंस खरीदता है और वह भैंस विभिन्न बीमारियों से मर जाती है। वह आशा लगाए हुए होता कि अमुक भैंस से पैसा मिलेगा तो मैं दूध बेचूंगा और उससे मेरी बेटी की शादी होगी। उससे मैं बीमार की दवा कराऊंगा और अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा।

अपराह्न 2.00 बजे

लेकिन वह भैंस जब मर जाती है तो फिर उसके पास कोई सहारा नहीं रहता।

अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि उसी तरह से देश के मजदूर, जो आज मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, उन मजदूरों की भी अकाल मौत हो जाती है, उधर ये जीवन बीमा कम्पनियां कोई रुचि नहीं दिखाती। मैं चाहता हूं कि उधर भी ये जीवन बीमा कम्पनियां उन मजदूरों पर, जो 40 परसेंट गरीब भारत है, जो इस इंश्योरेंस की बात को नहीं जानता, वहां जाकर उनका भी बीमा करने का काम करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एमेंडमेंट बिल, 1956 में संशोधन के लिए जो बिल पेश किया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में जो इन्होंने आरम्भ में कहा, उस पर मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2009 में इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी में भेजा गया। फिर 2010 में स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ इसे जमा किया और माननीय मंत्री जी स्टेंडिंग कमेटी की मैक्सिमम रिकमेण्डेशंस के साथ 2011 में सदन के सामने आये।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि इस बिल के पास हो जाने से जो कानून बनेगा, उससे कारपोरेट हाउसेज़ की भी जिम्मेदारी सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगी और इस संशोधन को करने से लचीलापन आयेगा। ये बातें माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहीं है। हम इस पर आगे चलेंगे।

मुझे 2-4 बातें कहनी हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन बिल, जो आप लाये हैं, देखने में बहुत सहज और साधारण दिखाई देता है लेकिन इसके संशोधन के बाद जो रूप-रेखा इस देश में बननी है, उससे पता चलता है कि आपकी निगाहें कहीं पर हैं और निशाना कहीं पर है। पूरे बिल को देखने से लगता

अपराह्न 2.03 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुए*]

है कि कारपोरेट हाउसेज की तरफ आपका झुकाव 90 परसेंट हो गया है और इस देश के आम अवाम, जिनको इससे लाभ लेना है, उनके प्रति, उन कर्मचारियों और उन एजेण्टों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी से मुकरने की तैयारी कर रहे हैं, जो आप अपने संशोधन में लाये हैं। माननीय मंत्री जी, इसमें हमारा लोजिक भी है।

1999 में आपने इसमें एक संशोधन कर दिया और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को आपने इसमें प्रवेश दिलाया। जहां तक मेरी जानकारी है, 21 निजी कम्पनियां इस क्षेत्र में आज काम कर रही हैं और पूरी आबादी के पांच से 6 प्रतिशत लोगों को ही आप लाभ पहुंचा पाये हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन का हाल का जो अध्ययन आया है, इस अध्ययन के आधार पर 89.36 मिलियन कृषक परिवारों

में से 43.42 मिलियन कृषक परिवार आज भी कर्जे में दबे हैं, कारण कि उनकी फसल अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि से या अन्य कारणों से बर्बाद होती है, लेकिन आपने इतनी प्राइवेट एजेंसियों को इस क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के बावजूद इन किसानों को, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को इस लाभ से महरूम करने का काम किया है। आज देश में स्थिति भयावह है। किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में रहकर कर्ज में ही मर जाता है। इस दुर्दिन का आपकी जो यह इंश्योरेंस की पॉलिसी है, जो आपने इस देश में व्यवस्था कर रखी है, माननीय मंत्री जी, यह सबसे बड़ा कारण है। बीमे का कारोबार वांछनीय ढंग से विस्तारित इस देश में नहीं है। इसका जो लाभांश है, इसकी जो आमदनी है, वह किसी संपन्न कारोबार से कम नहीं है। किसी कारपोरेट हाउस के कारोबार से कम इसकी आमदनी नहीं है। जहां तक जानकारी है, इसका लाभांश 28 प्रतिशत है। देश के सामान्य वर्ग के लोगों को इसका क्या लाभ मिला, जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तो उस समय इसका उत्तर देना चाहेंगे। आप इसमें एक और संशोधन लाए, इसके कैपिटल को पांच करोड़ से रुपए बढ़ाकर एक अरब रुपए तक ले जाने की बात कही। आप कहां से पूंजी लाएंगे? आप अनुबंध के आधार पर पूंजी की मात्रा बढ़ाएंगे। यह पूंजी कहां से आएगी? यह स्पष्ट है कि बड़े उद्योगपतियों को आप इसमें प्रवेश दिलाना चाहते हैं और कारपोरेट हाउसेज को, उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर इसमें प्रवेश दिलाकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, यह आपकी मंशा है। इस कारपोरेशन में उनका एकाधिकार हो जाए, ऐसी व्यवस्था आपने इस संशोधन के माध्यम से की है।

इसमें एक और संशोधन आपने किया कि जो इसके एजेंट हैं, उनके लिए जो नियम और उपनियम बनेंगे, वह यह कारपोरेशन बनाएगा। यह कारपोरेशन इन एजेंटों के लिए नियम और उपनियम बनायेंगे, ऐसी स्थिति में कारपोरेशन अपने लाभ का ख्याल करेगा या इसमें काम करने वाले लाखों मजदूर लाखों एजेंटों के हित की बात करेगा। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था संशोधन के माध्यम से लाकर आप देश को क्या बताना चाहते हैं? हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि बीमा कंपनियों में आप एजेंट और कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं और दूसरी तरह लाभ की बात कर रहे हैं। किसान, मजदूर को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और वर्ष 2010 में इस सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, आपने 18184 कर्मचारी इस क्षेत्र में कम कर दिए। वर्ष 2010 में इन कर्मचारियों की संख्या घटकर 2 लाख 49 हजार 635 रह गयी, जबकि वर्ष 2009 में उनकी संख्या 2 लाख 67 हजार 819 थी। दूसरी तरफ जो इसके एजेंट हैं, जो इस व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे मजबूत हथियार है, सबसे ताकतवर अस्त्र है, माननीय मंत्री जी जो इसके एजेंट हैं, वर्ष 2010 में इनकी संख्या को घटाकर आपने 27 लाख 10 हजार 301 कर दिया, जबकि वर्ष 2009 में उनकी संख्या 29 लाख 84 हजार 285 थी। एक साल में आप पौने तीन लाख एजेंटों की संख्या घटाते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? आप कर्मचारी घटा रहे हैं, आप इसके एजेंटों की संख्या घटा रहे हैं, इसमें कारपोरेट हाउसेज को घुसा रहे हैं, किसान मजदूर को कोई लाभ नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट रूप से जो आपका यह बिल आया है, कारपोरेट हाउसेज को इस कारपोरेशन में, इस कारोबार में आय कमाने के लिए आपने अच्छा प्रबंधन करके इस देश के साथ बड़ा भारी धोखा करने का आप प्रयास कर रहे हैं।

जो आप संशोधन लाए, इसके पीछे आपका मकसद यह है कि आने वाले समय में जो बवाल मचेगा, कर्मचारियों और एजेंटों की घटती संख्या से जो बवाल मचने वाला है, इसको नियंत्रित करने के लिए आपने पूर्व-प्रबंधन का काम किया है। एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि इस देश में श्रमिकों के लिए जो कानून हैं, इस संशोधन के माध्यम से, जो आप संशोधन कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए जो एजेंट और मजदूर हैं, देश में श्रमिकों के लिए जो कानून आपने बनाया है, क्या वह कानून इनके साथ भी काम करेगा या इनके लिए आप अलग से नियम, उपनियम बनाकर इनके सारे हक को मारकर कारपोरेट हाउसेज के घर को भरना चाहते हैं? यह हम आपसे जानना चाहते हैं।

हमारे मित्र हरीश जी, जो कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने कहा कि 13 लाख करोड़ से ज्यादा के एलआईसी के एसेट्स हैं। अच्छी बात है, आपने सही बात कही, लेकिन इसके जो एजेंट हैं, उनकी कमीशन घट रही है। एजेंट का कमीशन ही नहीं, एजेंट की संख्या भी घटा रहे हैं। कुछ दिन बाद इनकी जो मंशा है, क्योंकि एक साल में इन्होंने ढाई लाख से ज्यादा एजेंटों को कम कर दिया, 18 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को इन्होंने कम कर दिया। माननीय मंत्री जो अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कारपोरेट हाउसेज की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। इस देश में कारपोरेट हाउसेज की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है, उसका एक ही मकसद होता है कि अधिक से अधिक लाभांश कमाया जाए और अधिक से अधिक धन उपार्जित किया जाए। न कि इस देश के लोगों की भलाई के लिए और किसान मजदूरों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। कुल मिला कर इस कारपोरेशन को प्राइवेट पूंजीपति के हाथ में डालने का छद्म प्रयास है, आगे

जो बवाल आए उससे बचने के लिए माननीय मंत्री जी इस बिल को लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन रायः हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। इसके समर्थन करने का सवाल नहीं है। यह जनविरोधी है। इस देश के करोड़ों किसानों और मजदूरों के अहित का भी बिल है। इसके एजेन्टस के अहित का बिल है। सर्वहारा वर्ग के खिलाफ का बिल है। इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम चाहते हैं कि जो जनपक्षीय बिल हो जिसमें देश के 43.42 मिलियन किसान जो कर्ज में दबे हैं उनके कर्ज के निवारण से संबंधित कानून और बिल इस सदन में लाइए ताकि देश की आत्मा जो गांवों में बसती हैं उनका भला हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्री रामपुर): उपाध्यक्ष महोदया, जीवन बीमा निगम हमारे देश का एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इस देश के लोगों का इस संस्थान पर बहुत भरोसा है। मुझे याद है कि जब मैं पांच-छह वर्ष का बच्चा था तो मेरे पिताजी अपने एजेंट को चैक से एलआईसी प्रीमियम का भुगतान करने थे। जब मैंने कमाना शुरू किया तो मैंने वही राह चुनी। जब मेरे बेटे ने हाल ही में कमाना शुरू किया तो उसने भी वही राह चुनी है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस देश के लोगों का इस संस्थान में बहुत भरोसा है।

महोदय, जीवन बीमा निगम भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी प्रबल बीमाकर्ता बना रहा है और यह अपने पूर्व रिकार्ड को तोड़ते हुए विकास की नई राह पर तेजी से बढ़ रहा है। जीवन बीमा निगम ने कई मील के पत्थर तय किए हैं और इसमें जीवन बीमा व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में अप्रत्याशित कार्य-निष्पादन किए हैं। इसी इरादों ने हमारे पूर्वजों को इस देश में बीमा को अस्तित्व में लाने के लिए प्रेरित किया और यथासंभव घंटों में सुरक्षा की ज्योति जलाने के लिए सुरक्षा का यह संदेश पहुंचाने तथा उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने में लोगों की सहायता करने हेतु एलआईसी को प्रेरित किया।

इस पृष्ठभूमि में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या खंड 2 जो मूल धारा 5 में संशोधन करता है कि आवश्यकता है या नहीं। इस सीमा तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब यह कहता है कि ''निगम की संमादत्त साधारण पूंजी संसद द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा किए गए सम्यक् के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गये एक अरब रुपए की होगी।'' इस पंक्ति तक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुश्किल इसके बाद है जब यह आगे कहता है ''....जिसे अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय सरकार उतना बढ़ा सकती है जितनी राशि वह निर्धारित करती है।'' इस वाक्य का क्या अर्थ है? सरकार क्या करना चाहती है? इसे अधिसूचना के द्वारा क्यों तय किया जाए? यदि आप केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार इस धनराशि को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर संशोधनकारी विधान के साथ इसे लाए। इस सभा में पुनः वाद-विवाद हो कि यह वृद्धि क्यों जरूरी है, क्या कोई अन्य वृद्धि आवश्यक है?

हम अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे है कि हम किसी भी प्रकार के विनिवेश के विरुद्ध हैं चाहे आप इसे अधिसूचना के द्वारा लाएं या चाहे आप इसे विधान के द्वारा लाएं। यदि विधान आता है तो हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप अधिसूचना के द्वारा एलआईसी पूंजी की किसी भी धनराशि का विनिवेश कहना चाहते हैं तो हम इसके विरूद्ध हैं। आप किसी गलत तरीके से विनिवेश करने का प्रयास न करें। यह माननीय मंत्री जी से अनुरोध है हमम इस तरह के प्रयास का विरोध कर रहे हैं यदि अतिरिक्त धनराशि की भविष्य में आवश्यकता हो और यदि सरकार इसे प्रदान करना चाहती है तो इसे संसद के द्वारा अनिवार्य विनियोजन के माध्यम से दिया जा सकता है।

मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि हम भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी तरह के विनिवेश, निजीकरण के विरूद्ध है चाहे यह अधिसूचना के द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।

महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा कि सरकार पुनः खंड 5 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 28 में संशोधन करने जा रही है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि केवल उतरव्यापी प्रभाव ही लागू होगा। मैं इस मामले पर अपने आपको उनसे संबद्ध करता हूं। यदि यह निजी बीमा कंपनियों से इसकी तुलना करता है तो लोगों का जो गहरा विश्वास या मैं कहूं कि एक भारी सम्मान एलआईसी के प्रति है वह नष्ट हो जाएगा। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे खंड 28(1) (क) में संशोधन पर पुनर्विचार करें और पूर्व स्थिति को भी बहाल करें। इसे निजी बीमा कंपनियों के तराजू पर न तौलें।

जहां तक खंड 9 का संबंध है, आप मूल धारा 49 में संशोधन करना चाहते हैं। यहां मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि कोई भी नियम लाया जाता है तो इससे मौजूदा कर्मचारियों की कोई भी शर्त प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नई भर्ती प्रणाली और नई शर्तों को लागू किया जाए लेकिन मौजूदा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 'टन' भाग दूसरा कठोर शर्त ला रहा है।

एक दूसरी बात यह है कि एलआईसी एजेंट के माध्यम से नियमनुसार निर्देश दिया जाए। कई वृद्ध व्यक्ति हैं जो निरक्षर है और उनकी जरूरत के लिए एलआईसी नकद का एकमात्र साधन है। एजेंट का यह दायित्व होना चाहिए कि बीमा पॉलिसी का अंतिम लाभ संबंधित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। एलआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके साथ मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

श्री आर. थामराईसेल्वन (धर्मपुरी): महोदय, मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं वास्तव में सरकार की सराहना करता हूं कि मूल अधिनियम, 1956 की धारा 5 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करके निगम की समादत्त पूंजी को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने वाले इस विधेयक को आई। इस समय जीवन बीमा निगम निजी क्षेत्र में बीमा कंपनियों से कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए अपने बीमा व्यवसाय का विस्तार चाहता है।

महोदय, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब सरकार ने निजी कंपनियों को बीमा व्यवसाय में आने की अनुमति दी थी तो हर किसी ने सोचा था कि जीवन बीमा निगम मुश्किल में पड़ जाएगा परंतु आज वास्तविकता यह है कि और अधिक ग्राहक एलआईसी से जुड़ रहे हैं क्योंकि ग्राहक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन निजी कंपनियों द्वारा गुमराह कर बीमा सेवाएं दी जा रही हैं। व्यवसाय पाने के लिए एजेंटों के बीच बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण नई कंपनियों के प्रवेश से गुमराह कर बीमा सेवाएं देने की समस्या गंभीर हो गई है।

एक आम बात यह देखी जाती है कि जीवन बीमा जो ग्राहकों के पास पहुंचते हैं और उन्हें यह कहकर पालिसियां बेचते हैं कि उन्हें केवल सीमित अवधि मान लीजिए पांच वर्षो के लिए भुगतान करना होगा और उन्हें अतिरिक्त बीमा लाभ के साथ 20 वर्षो पश्चात 20 गुणा रकम का आश्वासन देते हैं जबकि वास्तविक भुगतान की अवधि 20 वर्ष है और यह नियमित पालिसी है। इस प्रकार ग्राहक पॉलिसी व्यपगत होने का जोखिम उठाता है।

महोदय, मेरे पास कुछ सूचना है कि पालिसियों को गलत तरीके से बेचने के संबंध में बीमा कंपनी लोकपाल के पास हजारों मामले दाखिल हैं। ये निजी कंपनियां अपने एजेंटो को भारी कमीशन देती हैं और बदले में ये एजेंट गलत और भ्रामक सूचनाएं देकर ग्राहकों को प्रलोभित करते हैं। परंतु इन लोकपालों के पास ऐसी बीमा पालिसियों को गलत तरीके से बेचने के मामलों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार अथवा शक्ति नहीं है। इसलिए, इन लोकपालों के पास निजी बीमा कंपनियों के इन असंतुष्ट ग्राहकों को न्याय दिलाने हेतु ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस अवसर पर सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह बिना किसी देरी के भारतीय जीवन बीमा निगम में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरे ताकि हम एलआईसी के कार्यकरण को सुदृढ़ कर सकें।

महोदय, मैं एलआईसी एजेंटों के सामने आ रही कतिपय समस्याओं को भी सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। एलआईसी एजेंट वार्षिक न्यूनतम व्यसाय सीमा बढ़ाने, बीमा कंपनियों के निजीकरण और एजेंटों को भविष्य निधि और पेंशन जैसे उनके अधिकारों से वंचित करने के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कदम का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने यह मांग भी की है कि जीवन बीमा कंपनी में सभी रिक्त पदों को अविलंब भरा जाना चाहिए। उन्होंने पालिसी धारकों से प्रीमियम वसूल करके, कमीशन घटाकर एजेंटों की आय का अधिकांश भाग लेने वाले प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों की नियुक्ति का भी विरोध किया है।

महोदय, जीवन बीमा एजेंटों की जब्त की गई कमीशन से स्थापित पेंशन कल्याण कोष वह है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के लगभग दस लाख एजेंट सेवानिवृति के बाद के लाभ के रूप में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

एलआईसी ने अपनी स्थापना के 50 वर्षों में 30 लाख एजेंटों को बर्खास्त किया है और उनकी कमीशन की जब्त की राशि सैंकड़ों करोड़ रुपये हो सकती है। यह कमीशन अभी जीवन बीमा निगम कोष में जाती है यद्यपि यह एजेंटों की परिश्रम की कमाई है। एजेंट

यह भी मांग कर रहे हैं कि उनके उपदान संबंधी लाभों को एलआईसी कर्मचारियों के समान किया जाए। वर्तमान में, एक एजेंट एलआईसी कर्मचारियों के 3,50,000 रुपये की तुलना में उपदान संबंधी लाभ के रूप में 1,00,000 रुपये की अधिकतम राशि प्राप्त कर सकता है। वे एजेंटों हेतु आईआरडीए (इरडा) के प्रतिशत मानदंडो में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं। वर्तमान में बीमा एजेंटों के लिए 100 घंटों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। 100 घंटे के निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। स्पष्ट है कि गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए बड़ी संख्या में एजेंट बनाने पर जोर है।

महोदय, मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि वह निजी क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसियों को गलत तरीके से बेचने को रोकने हेतु तंत्र बनाए तथा वार्षिक न्यूनतम व्यवसाय सीमा, बीमा कंपनियों के निजीकरण, एजेंटों को उनके भविष्य निधि और पेंशन जैसे मूल अधिकरों से वंचित नहीं करने, एलआईसी में रिक्त पदों को तत्काल भरने और प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट नियुक्त नहीं करने के इरडा के कदम को रोकने जैसी एलआईसी एजेंटों की शिकायतों का निवारण करे।

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं तथा विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना वक्तव्य पेश किया। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन को मानने के बारे में भी सदन में सूचना दी।

[अनुवाद]

परंतु भारतीय जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक को इस सभा में लाने का मूल कारण क्या है? यदि हम जीवन बीमा निगम के कार्य निष्पादन और राष्ट्रीयकरण की भावना को देखें तो हम पाएंगे कि पूर्ण रूप से समुदाय के लिए और देश के लिए जीवन बीमा निगम का योगदान काफी अधिक रहा है। जीवन बीमा निगम द्वारा क्या निवेश किए गए हैं? मैं आपको जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी और सामाजिक क्षेत्र में निवेश के आंकड़े दे रहा हूं। यह केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए है। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार यह राशि 407,934 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, हम यह देख सकते हैं कि राज्य सरकारों और सरकार द्वारा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियों, आवास और अवसंरचना निवेश, आवास, विद्युत, सिंचाई, जलपूर्ति और जलामकण्यमन, सड़क, पत्तन और पुल, रेलवे, दूरसंचार सहित अन्य क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम ने भारी राशि का अंशदान किया है। 31 मार्च, 2011 तक यह राशि 7,49150 करोड़ रुपये थी। यह वह कुल राशि है जिसका जीवन बीमा निगम ने अंशदान किया है।

मैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं। परंतु हमने देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जीवन बीमा निगम द्वारा योगदान किया गया है। वित्त मंत्रालय और सरकार इससे पूर्णतः अवगत है। सरकार को क्या लाभांश मिल रहा है यह बात भी महत्वपूर्ण है। 31 मार्च तक सरकार को अदा किए गए सरकार के हिस्से का पांच प्रतिशत लाभांश 5 करोड़ रुपये की इक्विटी के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

महोदय, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह इस संशोधन विधेयक को लाने की वास्तविक पृष्ठभूमि है। तत्कालीन सरकार ने मल्होत्रा समिति गठित की जिसने एलआईसी में विनिवेश की सिफारिश की थी। इस समिति ने किस कारण से यह सिफारिश की थी? जब जीवन बीमा निगम पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना अधिक योगदान दे रहा है तो मल्होत्रा समिति द्वारा इस प्रकार की सिफारिश की क्या आवश्यकता है?

इसी प्रकार सरकार द्वारा एलआईसी की वित्तीय सुदृढ़ता की जांच करने हेतु कुछ समय पूर्व एक और समिति गठित की गई थी। यह वित्तीय सुदृढ़ता है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। यह सरकारी दस्तावेज है जिससे मैंने इन सभी आंकड़ों का उल्लेख किया है। परंतु सरकार निजी क्षेत्र से पीछे चल रही है। यह सरकारी क्षेत्र में देश में सब जगह तथाकथित आर्थिक सुधारों के लिए बढ़ रही है। सरकार जीवन बीमा निगम से भी पीछे चल रही है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं?

श्री बंस गोपाल चौधरी: मैं उस पर आ रहा हूं।

प्रासंगिक प्रश्न यही है। स्थायी समिति की ओर से भी सिफारिश की गई है जिसमें मुख्य मुद्दा है और कहा गया है "अधिशेष का 90 प्रतिशत अथवा अधिक आबंटित करे जैसा कि केंद्र सरकार

एलआईसी के जीवन बीमा पालिसी धारकों के लिए अनुमोदन कर सकती है और शेष अधिशेष के ऐसे प्रतिशत को ऋण के रूप में दे सकती है जैसा केंद्र सरकार अनुमोदन करे।"

वे इस प्रकार की सिफारिशें क्यों कर रहे हैं और विधेयक में इस प्रकार की बातें क्यों आ रही हैं, यद्यपि उन्हें स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया है। एलआईसी के माध्यम से बचत दीर्घकालिक निवेश है। लोग निवेश हेतु एलआईसी पर निर्भर हो रहे हैं और वे 20 और 25 वर्षों के लिये निवेश हेतु एलआईसी में जाते हैं। अब, यह बढ़कर 30-40 वर्ष तक भी हो रहा है। एलआईसी के भुगतान की दर क्या है? एलआईसी में मृत्यु वाले दावे के निपटारे 98.5 प्रतिशत हो गए हैं। यह एक विश्व रिकार्ड है। जीवन बीमा निगम का कार्य निष्पादन विश्व रिकार्ड है।

महोदय इससे एलआईसी की क्षमता प्रभावित होगी और यदि वर्तमान अधिनियम के अनुसार एलआईसी से पालिसियां खरीदने वाले पालिसी धारकों को अधिशेष का 95 प्रतिशत देना निश्चित किया जाता है तो जीवन बीमा निगम के मुख्य उद्देश्य पर प्रभाव पड़ेगा। अब, सरकार इस अधिशेष की पद्धति में परिवर्तन करके उस हिस्से को छीनने का बहुत ही अनुचित प्रयास कर रही है जो वास्तव में पालिसी धारकों का है।

महोदय, 26 करोड़ पालिसी धारक प्रभावित होने जा रहे हैं। निकट भविष्य में, 5-10 वर्षों में पालिसी धारकों की संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। मेरा प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम को निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा करने की क्या आवश्यकता है? सरकार विदेशी निवेशकों को बीमा क्षेत्र में लाने का प्रयास क्यों कर रही है? एलआईसी को निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने की क्या आवश्यकता है? इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है।

युवकों, उन एलआईसी एजेंट का रोजगार छिन रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि लाखों लोगों लाखों युवकों के रोजगार छिन रहे हैं। इतने बड़े देश में उनके रोजगार क्यों छिन रहे हैं जबकि रोजगार की अत्यंत कमी है जब हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है और जब विनिर्माण क्षेत्र में गंभीर समस्या है? सरकार बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर रही है परंतु लाखों युवकों के रोजगार छिन चुके हैं। इसलिए मेरा मुद्दा यह है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार इस विधेयक को बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लाई है। इसी कारण सम्पूर्ण स्थायी समिति ने एकमत होकर सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है।

इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करना चाहिए और इसलिए सरकार को बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की भागीदारी पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री तथागत सत्पथीः मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय।

अब यह मान्य तथ्य है कि यह संशोधन घुटने में झटका देने जैसा कार्य है। एक और ऐसा कदम है जो वैश्वीकरण अथवा मुक्त बाजार की दिशा में होकर पूरी तरह से बेचने की दिशा में है। हम निरंतर यह देख रहे हैं कि यह सरकार किस तरह से बीमा क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था के रूप में एलआईसी के दर्जे को कम कर रही है और निजी कंपनियों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के बदले प्रक्रिया में यह ऐसी स्थिति बना रही है जिससे कि निजी कंपनियां उन्नति कर सकें और सफल हो सकें। दयनीय बात यह है कि अधिकांश निजी कंपनियां, मैं कंपनी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा परंतु ये निजी कंपनियां जो भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त कदम की आड़ में भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं। अपने मूल देशों में बदनाम हैं। उनमें से अधिकांश कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और अपने देशों में जनता का विश्वास खो चुकी हैं। परंतु भारत ऐसा देश नजर आता है जहां वे कंपनियां आ सकती हैं और वे जो कुछ भी हमसे कहें हम उसे पूरी तरह से मान लेते हैं। पहले तो सरकार को 37 प्रतिशत वाली स्थिति के बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसे बनाए रखा जाएगा अथवा नहीं। इस समय हम पाते हैं कि इस लंबी अवधि के बावजूद हम कितना भी करना चाहें बीमा और एलआईसी भी आम आदमी और गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं चाहे हम कितना ही करना चाहते हों। बीमा कमोबेश अमीर व्यक्ति अथवा उच्चमध्यम वर्ग के लिए बना हुआ है। गत वर्षों में एलआईसी के भारी विधि के लाभ सरकार को मिले हैं। जहां तक मैं जानता हूं तो यह संभवतः उन कुछ निगमों में से एक अथवा संभवतः एकमात्र ऐसा निगम है जिसने अपनी स्थापना के बाद से अब तक सरकार से ऋण नहीं लिया है, बल्कि वह अपने विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निरंतर सरकार को भुगतान करता रहा है।

मैं भी इससे अवगत हूं कि एलआईसी पंचवर्षीय योजनाओं का वित्तपोषक मान रहा है। माननीय सदस्य भी पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। अतः हम एलआईसी द्वारा किए गए योगदान की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है, जिस प्रकार से एजेंटों का रोजगार छीना जा रहा है उससे निश्चित रूप से इस सभा में हर कोई निराश है कि इस नाजुक आर्थिक स्थिति में जिसका कि देश इस जन-विरोधी सरकार के कारण सामना करने और साथ चलने के लिए बाध्य है, वह निसंदेह दुखद है कि हम लोगों का रोजगार छीन लें और ऐसा प्रतिभाग शैली वाला प्रबंधन न लाएं जहां एलआईसी के कर्मचारी, एजेंट और प्रबंधन इसे पुनः ऐसा प्रगतिशील और सुदृढ़ निगम बनाने हेतु एक साथ कार्य करें जो कि राष्ट्र के विकास में योगदान कर सके।

जैसा हमने देखा कि एलआईसी पहले भी अपने मूलभूत व्यवसाय से अलग कार्य कर चुका है तो उसमें इसने घाटा उठाया है। इस मुद्दे का बार-बार विशेष उल्लेख किया गया है और इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें सरकार का बड़ा स्वार्थ है कि निजी कंपनियां एलआईसी द्वारा छोड़े गए इस व्यवसाय को ले लें। प्रत्येक आर्थिक स्तर पर प्रत्येक भारतीय द्वारा एलआईसी में रखा गया विश्वास आश्चर्यजनक है। परंतु हम इन संशोधनों के द्वारा इस विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम ऐसी स्थिति अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें जनता के मन में इस बारे में अविश्वास होगा जो परिवर्तन यह सरकार लाना चाहती है।

यदि हम वर्ष 2009-10 में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को देखें तो समिति ने अति कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और सरकार के कदम की आलोचना की है। इस बात को समझने के लिए एक पंक्ति का उद्धरण पर्याप्त होगाः

"हम भी यह पाते हैं कि यह जीवन बीमा निगम के अधिशेष की विवरण पद्धति में परिवर्तन करके पालिसी धारकों के बोनस को घटाने का कदम है। हमारा मानना है कि यह पालिसी धारकों के लिए बिल्कुल अनुचित है।"

यह अति विनम्र तरीके से सरकार पर जोरदार बनाया है जिसे मेरे विचार से थोड़ी सी बात अथवा कोई बात के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

इस वर्तमान पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान यह इन संशोधनों के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति की चिंता के बारे में चेतावनी है। जैसा कि कई वक्ताओं ने पूर्व में उल्लेख किया है, मैं किसी संशोधन का सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं और हम इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में कुछ बातों का सुझाव देना चाहूंगा। इरडा द्वारा जैसा कि एजेंटों से संबंधित परीक्षण के लिए की गई सिफारिश में कहा गया है कि ये परीक्षाएं में अंग्रेजी में ली जा रही हैं। मैं सुझाव देता हूं कि मैं माननीय मंत्री इस पर विचार करें-मैं हिन्दी को विकल्प के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं-यहां तक कि राजस्थानी को भी परीक्षण एजेंट के रूप में विचार करना चाहिए यद्यपि मैं हिन्दी को इसके विकल्प के रूप में रखने का सुझाव नहीं दे रहा हूं।

मेरा सुझाव है कि क्षेत्रीय भाषा पर विचार किया जाना चाहिए। यह दुःख की बात है कि सत्ता पक्ष से लेकर अन्य गठबंधन दल भी सभा के सभी वर्ग जन विरोधी नीति या जन विरोधी संशोधन की बात आती है तो बड़े गोपनीय ढंग से इसमें भाग लेते हैं तथा इस एकता निर्माण में भाग लेते हैं। संपूर्ण राष्ट्र के सामने इतनी आसानी से इन कामों को करने के लिए हमें आप सभी को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए तथा हम में से कोई भी इस फुर्तीलापन और वृद्धि को समझ नहीं पाते। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब क्षेत्रीय भाषा में किया जाए।

मैं यह चाहता हूं कि षडयंत्र करने वाली कम्पनियां जो निजी पक्षों के साथ प्रवेश कर रही है, जो अपने देश में बदनाम हो चुकी है, उन्हें रोका जाना चाहिए। इरडा को भारत में कार्य करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सावधान रहना चाहिए।

अंतिम बात जिसे मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि वह फार्म बीमा तथा फार्म बीमा के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को, जिसमें भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तथा नौकरी खोजने के बजाए अपना काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें भी बीमा के अंतर्गत लाया जाए जिससे कि यदि वे इन उद्यमों में असफल हो जाते हैं तो उनके लिए एक सुरक्षा कवच हो। जिस प्रकार से निजी कंपनियां फार्मिंग के क्षेत्र में बीमा प्राप्त कर रही है, हमारे पास एक सेट-अप होना चाहिए जिसमें सरकार फार्म हानिया किसानों के लिए एक संप्रभू गारंटी दे सकें।

श्री नमोनारायन मीणाः मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में गारंटी के बारे में कहा है। श्री गुरुदास दारा गुप्त जी द्वारा तथा कई सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन के उत्तर में मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि और अनेक सदस्यों

ने गारंटी के बारे में कहा है इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि खंड 6 के अंतर्गत सरकार द्वारा गारंटी को मैं अपने पहले के मंतव्य में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। एलआईसी एक्ट, 1956 की धारा 37 के प्रावधान यथावत है और इसमें एक परंतुक जोड़ा गया है जिसमें एलआईसी को सलाह दी गई है कि वह कोषों पर रिटर्न को अधिकतम करने का प्रयास करे जिससे पॉलिसी धारकों को अधिकतम बोनस मिल सके।

जीन बीमा निगम की पॉलिसी को केन्द्र सरकार की गारंटी धारा 37 के अनुरूप यथावत जारी रहेगी। मैंने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है।...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दास गुप्त (घाटल): इस कार्य के लिए सरकारी संशोधन लाना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आपका संशोधन क्या है? आपका वक्तव्य पर्याप्त नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री नमोनारायन मीणा: इस अधिनियम में ही पहले ही दी गई गारंटी जारी रहेगी।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कई वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है और इसका अंशदान 25 करोड़ को पार कर गया है। जब से बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया है, जमा किए गए प्रीमियम के रूप में बाजार के हिस्से में जीवन बीमा निगम को 35 प्रतिशत का नुकसान हुआ है और पॉलिसियों की बिक्री में 29 प्रतिशत की कमी आई है। यह सबसे उपयुक्त समय है कि जीवन बीमा निगम नए क्षेत्रों को शामिल करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास करे। तभी जीवन बीमा निगम एक अग्रणी कंपनी के रूप में उभरेगा।

अब मुझे मुद्दों की चर्चा करने दीजिए। इस विधेयक के माध्यम से पेड-अप इक्वीटी कैपिटल को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने के लिए धारा 5 के अंतर्गत एक प्रावधान को लाया गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार एक बार में ही पेड-अप इक्वीटी कैपिटल को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए क्यों करना चाहती है। मान ले कि सरकार राशि बढ़ाना चाहती है तो इक्वीटी कैपिटल को थोड़ी मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए जिससे इस बाजार में उतार-चढ़ाव से इसे बचाया जा सके। सॉलवेसी मार्जिन के साथ एलआईसी कैपिटल 30,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसका 95 प्रतिशत पूंजी हिस्सा पॉलिसी धारकों का है। इसके अतिरिक्त, उक्त प्रावधान में सरकार द्वारा संसद की बिना अनुमति लिए कैपिटल को और बढ़ाने का फैसला संसद की सर्वोच्चता को करना है। जब कभी और जहां कहीं भी इक्विटी कैपिटल को बढ़ाने की बात आती है तो सरकार को संसद का अनुमोदन लेने में क्या परेशानी आ रही है? मैं समझता हूं कि इस धारा में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि संसद का अनुमोदन पेड-अप इक्विटी और बढ़ाने के लिए प्राप्त किया जा सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं जिससे कि इस प्रकार के कदम से विनिवेश की प्रक्रिया के लिए रास्ता न साफ हो। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस सभा में इस संबंध में एक निश्चित वचनबद्धता की घोषणा करे कि सरकार को कभी भी जीवन बीमा निगम के विनिवेश करने का कोई इरादा नहीं है।

परेशान करने वाला दूसरा पहलू सरप्लस फंड को वर्तमान के 95 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत करना है जैसा कि विधेयक के खंड 5 में पाया गया है अर्थात नई धारा 28 (1) (क) को प्रतिस्थापित करना है। इससे जीवन बीमा के पॉलिसी धारकों को कम रिटर्न प्राप्त होगा।

मैं समझता हूं कि इससे भी जीवन बीमा निगम के संभावित ग्राहकों की संख्या निजी क्षेत्र की कंपनियों के ग्राहकों की तुलना में कम होगी। मैं समझता हूं कि मौजूदा धारा को बनाए रखना अच्छा होगा जिममें 95 प्रतिशत अतिरिक्त वितरण राशि पॉलिसी धारकों के लिए रखने का प्रावधान है।

अब मैं जीवन बीमा निगम एजेंट की बात करता हूं। एलआईसी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में एलआईसी एजेंटों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके समर्पित सेवाओं के बिना एलआईसी उतना विकास नहीं कर पाता जितना किया है। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि मुख्य अधिनियम की धारा 49 में प्रस्तावित संशोधन जैसा कि इस विधेयक में मौजूद है, की भाषा ऐसी हो कि यह एलआईसी एजेंटों के हित के खिलाफ न हो। यह आवश्यक है कि एलआईसी एजेंट जो इस संस्था की रीढ़ की हड्डी है को उचित पारितोषिक दिया जाए और कमीशन शुल्क को बढ़ाया जाए तथा बेहतर सुविधाएं उनको दी जाए जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना भी सम्मिलित हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, जबर्दस्त विरोध के बावजूद इस सभा में जीवन बीमा निगम संशोधन विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया गया। इसलिए उस समय सरकार सभा की भावनाओं को समझ सकती थी और विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया गया है। स्थायी समिति ने प्रस्तावों की जांच की और तदनुसार कुछ सिफारिशें की। हमें कुछ मूल बिंदुओं पर कुछ आपत्तियां है और अंततः सरकार यह बात समझ गई है कि कुछ आपत्तियों को मान लेना चाहिए और संप्रभुता से जुड़ें संशोधनों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

प्रारंभिक टिप्पणियों के मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों को केन्द्र सरकार की गारंटी धारा 37 के अनुरूप यथावत जारी रहेगी। लेकिन यह प्रयास क्यों किया गया है? बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिए रास्ता साफ करने का यह इरादा था। महोदय, जैसा कि जीवन बीमा कारोबार के लिए जीवन बीमा निगम की अग्रगण्य स्थिति के लिए संप्रभु गारंटी अहम बात है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

हमारी दूसरी आपत्ति 95 प्रतिशत को कम करके 90 प्रतिशत करने की बात पर है। वर्तमान स्थिति में राशि का 95 प्रतिशत का वितरण पॉलिसी धारकों के लिए होता है और पांच प्रतिशत सरकार के हिस्से का होता है। इस प्रस्ताव को क्यों समाप्त किया जा रहा है? इसे बदलकर पॉलिसी धारकों के लिए 90 प्रतिशत तथा सरकार के लिए 10 प्रतिशत क्यों किया जा रहा है? प्रत्येक स्थिति में सरकार कहती है कि यह "आम आदमी योजना" है। आप आम आदमी के हिस्से को पांच प्रतिशत कम करके "आम आदमी" को झटका क्यों दे रहे हैं? इसलिए यह गंभीर आपत्ति का विषय है और मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को समझेगी जिससे कि इसे यथावत रखा जा सकें। अर्थात इसे 95 प्रतिशत और पांच प्रतिशत रखा जाएगा।

मेरी तीसरी बात यह है कि इस संशोधन के प्रस्ताव से जीवन बीमा निगम के भावी शाखा नेटवर्क विस्तार को सीमित करके नकारात्मक, प्रभाव पड़ सकता है और इससे निगम के कारोबार में वृद्धि प्रभावित होगी। मंत्री जी को बताना चाहिए क्या इसे सीमित करने के लिए सहमत हो गए है या यह प्रस्ताव यथावत रहेगा और वे इसे स्वीकार करेंगे। इसलिए, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विशेषकर हमें 95 प्रतिशत को कम करके 90 प्रतिशत करने तथा केन्द्र सरकार के हिस्से को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की बात पर विरोध के बजाए आपत्तियां हैं और एलआईसी एजेंटों का क्या होगा? एजेंटों के लाभ के लिए कोई भी कल्याणकारी कदम या कुछ भी लाभप्रद उपाय किया जाना चाहिए।

वे इस क्षेत्र में असली संचालक हैं। हमारे देश में उनकी संख्या 28 लाख से कम नहीं है। मैं समझता हूं कि कम से कम मंत्री महोदय अपने उत्तर में हमारे देश के एलआईसी एजेंटों में उम्मीद करता हूं कि वे उनके लिए कोई कल्याणकारी कदम उठाने जा रहे हैं।

एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी महसूस किया है और मैं भी उनके साथ सहमत हूं कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के नाम पर इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बंद किया जाना चाहिए। वे इस एलआईसी संस्था को निगमित करने तथा निजी क्षेत्र को देने जा रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। सरकार को इसे रोकना चाहिये। जो विशिष्ट प्रस्ताव यहां पर उठाया गया है उस पर सरकार को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आपत्तियां दर्ज करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम का जो कानून आया है, उस पर कई माननीय सदस्यों को हमने सुना। सरकार के मूल विधेयक में है कि पांच करोड़ से सौ करोड़ तक पूंजी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसके बाद पेंचवाला सवाल यह है कि सरकार जब चाहेगी उसे बढ़ा देगी। यह कौन सा कानून है। यानी जब आप अपने हाथ में इस अधिकार का कानून ले रहे हैं कि जब मन में आयेगा तो बढ़ा देंगे तो पांच से सौ का क्या मतलब हुआ। आपने हजार, दो हजार, पांच हजार या दस हजार अभी क्यों नहीं कर लिया। आप अपने हाथ में अधिकार रख रहे हैं। लोगों को कानून बता रहे हैं कि पांच करोड़ से सौ करोड़, जबकि मैं समझता हूं कि उसकी लैंग्वेज देखी जाए कि जब सरकार चाहेगी, तब बाइ नोटिफिकेशन उसे बढ़ा देगी। ऐसा कानून आप ही रखिये। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मनमानी करते रहेंगे, जब मन होगा बढ़ा देंगे और जब मन होगा, घटा देंगे। यह कौन सा कानून हुआ? इसलिए वामपंथी लोग ठीक कहते हैं कि ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं।

महोदय, अभी श्री हरीश चौधरी भाषण कर रहे थे। पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं के समय में भी यह था। लेकिन सन् 1912 में रेगुलेशन से यह कानून आ गया। उसके बाद 1938 में भी हुआ और सन् 1956 में नेशनलाइज होकर 240 प्राइवेट कंपनियों को एकजुट करके इंश्योरेंस का काम चल रहा है। इसमें रंग-बिरंगी बीमा योजनाएं हैं, जिन पर आज सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी 25-26 करोड़ लोग इससे आच्छादित हुए हैं और एजेन्टों की संख्या लगभग तीस लाख है, जिसके बारे में सुनते हैं कि ये लोग घटा रहे हैं, यानी ये लोग चाहते हैं कि इन्हें घटा दिया जाए। पाँच वर्षों में इनका लक्ष्य है कि 25-26 करोड़ से पचास करोड़ लोगों को इससे आच्छादित किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि यदि एजेन्टस घट जायेंगे तो इतने लोगों का आच्छादन कैसे होगा? इसलिए एजेन्ट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। क्योंकि अभी जो 25-26 करोड़ लोगों का आच्छादन है, पांच वर्ष में आप 50-60 करोड़ लोगों का करना चाहते हैं और उसके बाद आप फिर आगे का लक्ष्य बढ़ाकर रखेंगे। हमारे देश के करीब दस करोड़ लोगों के रोजगार गारंटी कानून के कारण बैंक्स में या पोस्ट ऑफिसेज में खाते खुल गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका इंश्योरेंस कब तक होगा? हम जनश्री बीमा योजना के बारे में बहुत सुनते हैं, यह धोखा है। हम जानना चाहते हैं कि उपरोक्त दस करोड़ लोगों में से कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। जो दस करोड़ लोग रोजगार गारंटी कानून के तहत काम कर रहे हैं और जिनके बैंकों और पोस्ट आफिसेज में खाते खुले हैं, उनें से कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है और यदि नहीं हुआ है तो कब तक इंश्योरेंश होगा। आपने जनश्री बीमा योजना बनाई है, जिसमें सौ रुपये भारत सरकार देगी, आप कभी पांच सौ करोड़ रुपये दे देते हैं, कभी हजार करोड़ रुपए दे देते हैं। आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। लेकिन राज्य सरकारों को कहां समझ है और उनके पास पैसा कहां है। जो सौ रुपये प्रति मजदूर देने के लिए तैयार नहीं है, फिर यह काम कैसे होगा। इसलिए जो तमाम गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन सभी मजदूरों का जीवनी बीमा कैसे सुनिश्चित हो, इसका अभी तक क्या प्रबंध हुआ है, क्या प्रगति हुई है।

अपराह्न 3.00 बजे

कितने लोगों का बीमा हुआ है? कब तक सबका बीमा हो जाएगा। रोजगार गारंटी कानून में जितने लोग लगे हुए हैं अनिवार्य जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत उनका कवरेज होना चाहिए। किसान मेहनत कर करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन दीजिए, इज्जत दीजिए, प्रमोशन दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए और सारी मार किसानों पर पड़ रही है। उनकी फसल बीमा योजना में भी ऐसा-ऐसा पेंच लगाया जाता है कि वह भी उनका नहीं मिल पाती है।

अपराह्न 3.01 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

किसानों के लिए बराबर आफत है, बाढ़ है, सुखाड़ है, और सरकार है। सब तरफ से किसारों पर ही आफत है। उनका बीमा कब तक और कैसे होगा?

महोदय, एक बात है कि कुछ-कुछ राशि उनकी भी लगेगी या जमा करते-करते वे मर जाएंगे तो उनका बहुत फायदा होगा। हम सरकार से एक नया प्रावधान करवाना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, जब वह मर जाएगा तो बीमा के प्रावधान के तहत वह सहायता उसके परिवार को मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं मरे, जीवित रह जाए तो उसको घाटा न हो, उसके लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए। ऐसा कौन-सा कानून है कि उसके मरने के बाद फायदा होगा अगर जीवित रह गया तो उसको फायदा नहीं होगा उसका घाटा होगा। इस कानून में सुधार करना चाहिए। भारत सरकार तो सौ रुपया प्रति व्यक्ति जनश्री बीमा योजना में दे रही है और सौ रूपया या तो राज्य सरकार दे या अन्य कोई संगठन दे या वह व्यक्ति अपने आप दे। यह कानून का प्रावधान है। अब उसमें कितनी राज्य सरकारों ने सौ रूपया दिया है, आप उसका हिसाब बताइए? कुछ राज्य सरकारों की मनमानी है कि वह इसे करे या न करे लेकिन इसमें गरीब ही मारा जाएगा। मजदूर को रोटी तो बराबर मिलती नहीं है, वह बेचारा बीमा के लिए कहां से जमा करेगा? उसके लिए क्या प्रावधान हुआ है? जो बड़े आदमी हैं और जो देशी-विदेशी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं वे रंग-बिरंगे इंश्योरेंस ला रहे हैं। गाड़ियों, ट्रकों व बसों के इंश्योरेंस आ रहे हैं। उन सब का उपाय है, चोरी के कागज बना कर उनका पैसा निकाल लिया जाता है। एक्सीडेंट नहीं हुआ थोड़ा धक्का लगा तो संपूर्ण बस के बीमा का पैसा निकाल लिया जाता है। मैं यह सब देख और समझ रहा हूँ।

गरीब आदमी को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। किसान मर जाता है लेकिन उसके परिवार की कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। दिल्ली में हमारे यहां का मजदूर मर जाता है। चार-पांच मंजिल तक सर पर ईंट उठा कर ले जाता है, गिर कर मर जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उसके लिए न कोई जीवन बीमा होता है और न कोई कार्पोरेशन होता है। यह जो 5-6 करोड़ किया गया है, उसको बढ़ाया क्यों नहीं गया है? अपनी मनमानी और अधिकार रख लिया कि जब मन में आएगा तब बढ़ाएंगे, जहां चाहेंगे वहां बढ़ाएंगे। इसका जवाब दें। रोजगार गारंटी कानून में जो गरीब मजदूर काम करता है उसका अनिवार्य बीमा कब तक हो जाएगा? कितने लोगों का हुआ है, कितने राज्य सरकारों ने किया नहीं किया

है, यह सब बताएं। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा की बात है। गरीब आदमी को स्वास्थ्य बीमा के रूप में तीस हजार रुपये मिलेंगे, यह तो आपके वित्त विभाग को देखना है। सभी गरीब आदमियों का स्वास्थ्य बीमा कब तक होगा, कैसे होगा, क्या उपाय किया गया है या राज्य सरकार पर छोड़ दिया है? यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई राज्य सरकार पीछे छूट जाए या उसको समझ में नहीं आए या गरीबोन्मुखी नहीं है, समतामुखी है, किसानोन्मुखी नहीं है, मजदूरोन्मुखी नहीं है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको देखें। किसान, मजदूर गरीब मेहनतकश लोगों का भला कैसे होगा?

महोदय, फसल बीमा वाला कृषि विभाग से संबंधित विषय है, लेकिन सारे मामले का मालिक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये इंश्योरेंस का विधेयक लाये हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर साल देश में दस लाख लोग सड़क हादसों में मरते हैं, उनके इंश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था है? गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया तो कहते हैं कि नम्बर ही नहीं है तो इनका कैसे होगा? वह बेचारा कोर्ट, कचहरी में दौड़ता रहता है। गरीब आदमी जो एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, मोटर साईकिल से, स्कूटर से, बस से, ट्रक से, टैम्पू से, रेल आदि से एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, इन सारे लोगों की संख्या साल में दस लाख है। कुछ देशों की आबादी भी दस लाख नहीं होगी, लेकिन हमारे उतने लोग हर साल एक्सीडेंट्स से मर रहे हैं। उनका तुरन्त भुगतान होना चाहिए, इसके बारे में क्या हो रहा है? किसानों के पास बहुत बड़ी संख्या में जानवर हैं, उनके जीवन-बीमा का कैसे आच्छादन होगा? किसान दस हजार, बीस हजार रुपये की पूंजी लगाकर, बैंक से लोन लेकर गाय, भैंस खरीदते हैं। बीमारी से गाय, भैंस मर जाती हैं तो किसान बेहाल हो जाता है, वह ऋणग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। इन सभी मामलों का उत्तर माननीय मंत्री जी सदन को बतायें कि कैसे किसान, मजदूर और गरीब लोगों का भला होगा? जीवन बीमा की जो ये देशी, विदेशी कंपनियां देश में आ रही हैं, इनसे क्या खतरा है, इनसे सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, इन सबसे कैसे लोगों को सहायता दी जाये, पीड़ित लोगों या पीड़ित परिवारों को इनसे कैसे सहायता मिले, इसका क्या उपाय हो सकता है, इन सब बातों को माननीय मंत्री जी साफ-साफ बतायें, तब बिल पास होगा, नहीं तो हम लोग अड़चन खड़ी कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपने मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम के संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमसे पूर्व वक्ताओं ने सारे विषय को रख दिया है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक भारतवर्ष की जनता का विश्वास लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम पर है। यह विश्वास कोई दो, चार या पांच साल में नहीं बना है, इस विश्वास को बनने में 50 साल लगे हैं। आज अगर देखा जाये तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का जो आगमन इस देश में हो रहा है, वे जिन लोगों का इंससोरेंस करती हैं और इंश्योरेंस करने के बाद उनका ऑफिस बंद हो जाता है, वे चले जाते हैं। वह जो जनता है, जिन्होंने उनसे गलती से इंश्योरेंस करवा लिया या मान लीजिये वे दिग्भ्रमित हो गये, उसके लिए क्या व्यवस्था वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है? साथ ही साथ किसानों के लिए जो बीमा की योजना है, अगर इसे देखा जाये तो भारत में जितने भी किसानों का बीमा हुआ, उनके खेत-खलिहान का बीमा हुआ, कार्यालय में जाते-जाते उनका आधा जीवन समाप्त हो रहा है और तब जाकर उन्हें भुगतान होता है। अगर हम एजेंट्स की बात करें तो लगभग पूरे भारत में 30 लाख एजेंट्स हैं।

यदि पांच व्यक्ति प्रति परिवार भी लगाए जाएं तो लगभग डेढ़ करोड़ लोग होते हैं। इन डेढ़ करोड़ लोगों के बारे में भारत सरकार का क्या चिन्तन है? क्या उनको पैन्शन मिल रही है, क्या जिस प्रकार दूसरी संस्थाओं में प्रोविडेन्ट फंड मिलता है, क्या उस प्रकार से उनको मिलता है? भारतीय जीवन बीमा निगम के जो मृतक आश्रित कर्मचारी हैं, क्या उनको मरने के बाद नौकरी मिली? क्या वे भी आज फटेहाल घूम रहे हैं? आज की तारीख में हमें इस पर सोचना होगा कि जो नरेगा में मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी हमारे यहां झारखंड में बोकारो जिला में नरेगा का एक मजदूर मरा है। आज यदि उसका इंश्योरेंस होता तो शायद उस परिवार को कुछ लाभ मिलता लेकिन सरकार की घोषणाएं होती हैं और वह सरजमीं पर हम कैसे उतारें, इसका चिन्तन नहीं किया जाता हे। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, भारत में लगभग 60 प्रतिशत ठेका मजदूर या किसान मजदूर काम कर रहे हैं। उनके इंश्योरेंस का क्या प्रावधान है? विदेशों से तो इंश्योरैन्स कंपनियां भारत में आ रही हैं, लेकिन क्या भारतीय जीवन बीमा निगम को विदेश के लोग बुलाते हैं? इस पर हमें ब्रेक गाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो सैक्शन 18 है, इसको हटाया नहीं गया है। इसलिए कि आज अगर हम इसको हटाते हैं तो आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको हमें देखना पड़ेगा। चूंकि इसी में जो चौथा नंबर का सैक्शन है, इसको रहने दिया जाए। चूंकि गांवों में, देहातों में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय खुलता है, वहां के लोगों को इसका लाभ मिलता है। उस परिस्थिति में अगर हम इसको हटा देते हैं तो वहां कार्यालय खुलने में कठिनाई आएगी और सबसे बड़ी बात है कि हम पैसा कहां से लाएं। इसमें दिया गया है कि हम जो अमेन्डमैंट कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो बिल

है, इसमें यदि कोई व्यक्ति दो बार अपना प्रीमियम जमा करता है और संयोग से उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें यह सोचना होगा कि मरने के बाद हम उसको क्या लाभ तत्काल दे सकते है। अभी रघुवंश बाबू ने कहा कि मरने के बाद ही लाभ मिलता है। मरने के पहले यदि उसको लाभ मिले तो अच्छा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः बिना मरे भी लाभ मिलना चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः जी हां, बिना मरे भी लाभ मिलना चाहिए। हमारा आपसे आग्रह है कि झारखंड में किसान के खेतों का जो बीमा हुआ है, उसका आज तक लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। उसमें लगभग तीस प्रतिशत लोगों का भुगतान हुआ, बाकी लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन लोगों का भुगतान होना चाहिए और जो सैक्शन 18 है, इसको ओमिट नहीं किया जाए और इस पर भारत सरकार चिन्तन करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): धन्यवाद महोदय। जीवन बीमा निगम एक विशाल वित्तीय संस्था है जिसके संदर्भ में यह संशोधन हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है। यह बहुत मजबूत संस्था है और भारत में लाभ कमाने वाली संस्थाओं में से एक है जिस पर सरकार का नियंत्रण है।

चूंकि लोग सरकारी संस्थाओं में अपना विश्वास दिखाते हैं लेकिन सरकार पर उनका विश्वास नहीं होता जीवन बीमा निगम में भी लोगों का अन्य निजी बीमा कंम्पनियों जैसे टाटा एआईजी बाजाज आलियांज, मेटलाइफ आदि जैसी बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों की तुलना में अत्यधिक विश्वास है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बीमा क्षेत्र में काम करने वाली इन निजी कम्पनियों का कुछ एजेंडा भी होता है जिसके बारे में पॉलिसी धारकों को साफ-साफ नहीं बताया जाता है और अंततः वे इनका शोषण करती हैं। सरकार को अपने दायरे में रहते हुए इन संस्थाओं की गतिविधियों पर अवश्य ही नजर रखनी चाहिए।

जीवन बीमा निगम न केवल बड़े पैमाने पर व उद्योगपत्तियों को ऋण आदि देता है और बड़े उद्यमियों को बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों तथा उच्च आम वर्ग के लोगों को भी ऋण देता है। यह विशेषकर पॉलिसी धारकों या उपभोक्ताओं को यह लाभ देता है बलिक इसके साथ-साथ ही बहुत से जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी यह लाभ देता है जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है और लगभग 30 लाख एलआईसी एजेंट हैं जो वास्तव में जीवन बीमा निगम को सशक्त बनाने और उसके विकास में प्रशंसनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं।

लेकिन मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत नहीं कर सकता। इसका कारण है कि यह सरकार पूर्व की मलहोत्रा समिति और उसके बाद की बनने वाली समितियों के समय से ही, जो इस उच्च संस्था की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए गठित की गई थीं या उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और व्यावसायीकरण की नीति के अनुकरण के बाद विनिवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी और भारत में बीमा के क्षेत्र में निजी कम्पनियों को आमंत्रित करेगी।

कई बार मैंने देखा है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी एजेंट तथा उनके परिवार के सदस्य विरोध प्रदर्शन करते हैं और धरना देते हैं। मैंने भी कई ऐसे प्रदर्शनों में अन्य संसद सदस्यों के साथ भाग लिया है।

मैंने भी विशेषकर कर्मचारी और एजेंटो के आवेदन माननीय वित्त मंत्री को विचारार्थ भेजे हैं। परंतु उनका भविष्य अब भी अधर में है। मैं इस संबंध में इसके दायरे में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे एजेंटों तथा कर्मचारियों के भविष्य को ठीक करे जिनका जीवन संशोधन आदि की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के संबंध में कुछ सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि फसल बीमा हेतु विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों हेतु पश्चिम बंगाल में नितांत आवश्यक है। इसके कारण किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वहां पर वृद्धि हो रही है जैसा कि हमारे देश के अनेक अन्य राज्यों में भी हुआ है।

एलआईसी को कुछ ऐसे क्षेत्र बनाने चाहिए ताकि छात्रों, रोगियों, नए डॉक्टरों, तकनीकी व्यक्तियों को जो अपने-अपने पेशे में मजबूती हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं को वित्तीय लाभ दिये जा सकें। उन्हें अस्पतालों आदि के निर्माण जैसे कार्यों में भी सहायता दी जानी चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा संपत्तियों के बारे में है। एलआईसी करार के माध्यम से पूरे राष्ट्र में गिरवी रखी इन संपत्तियों को बंधक रखता है। परंतु मैंने देखा है कि इनमें से अधिकांश संपत्तियां रख-रखाव न होने के कारण नष्ट हो रही हैं। यह राष्ट्रीय हानि है। इनका समुचित रखरखाव किया जाना चाहिए अन्यथा सामाजिक प्रयोजन जैसे विद्यालयों, अस्पतालों या किसी अन्य प्रयोजन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। परंतु इन राष्ट्रीय संपत्तियों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि इन्हें बंधक रखा गया है।

इसके द्वारा मैं यह नहीं चाहता कि यह संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं एलआईसी कर्मचारियों भारत की जनता और एलआईसी के एजेंटों के लाभ हेतु मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं।

श्री जोस.के. मणि (कोट्टायम): महोदय, एलआईसी मुख्यतः पॉलिसी धारकों को निरंतर अच्छी सेवा प्रदान करने वाला अच्छा निष्पादक है और उन क्षेत्रों में अपनी निधियों का महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है जहां इनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जीवन बीमा क्षेत्र को खोलने के साथ एलआईसी को अब निजी कंपनियों से जबर्दस्त अस्वस्थ और कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा।

मुझे जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 और 49 में संशोधन करने वाले प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति है। ये उपबंध केंद्र सरकार को निगम के एजेंटों की सेवा के निबंधन और शर्तो को निर्धारित करने का अधिकार देते हैं। इस संशोधन द्वारा, केंद्र सरकार की इस शक्ति को इरडा के संपूर्ण पर्यवेक्षण के साथ एलआईसी को दिया जा रहा है। ऐसे परिवर्तन के कारण बीमा एजेंटों को कार्यकरण के एक समान क्षेत्रों में संलग्न अन्य कर्मकारों की बराबरी पर लाने और एलआईसी को अन्य बीमा कंपनियों के समान समझना बताया जा रहा है। परंतु मेरा पुरजोर यह मानना है कि ऐसे संशोधन द्वारा सरकार 14 लाख से अधिक एलआईसी एजेंटों की कार्य संबंधी शर्तो और काम की सुरक्षा पर पूरी तरह से समझौता कर रही है। इन्होंने पूरे देश में बीमा सुरक्षा की अवधारणा का प्रसार करके और लघु बचत को प्रोत्साहित करके राष्ट्र को बड़ी सेवा प्रदान की है परंतु यह संशोधन उन्हें म्युचुअल फंड जैसी अधिक जोखिम वाली निवेश योजनाओं को बेचने वालों के समान रख रहा है।

बीमा अधिनियम में संशोधन के साथ हाल के विनियमों से एजेंटों की कार्य संबंधी शर्तो को और मांग पूर्ण बना दिया है। अब एलआईसी ने अपने एजेंटों से 1 लाख रुपये प्रीमियम प्रतिवर्ष की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना न्यूनतम 12 जीवन बीमा पालिसियों का एनरोलमेंट प्रतिवर्ष और 50 प्रतिशत पालिसियों के प्रतिवर्ष नवीकरण जैसी न्यूनतम आवश्वयकता को पूरा करने के लिए कहा है। ये मांगे प्रथम दृष्ट्या उचित प्रतीत होती हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है और इसका कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोगों की आर्थिक अस्थिरता और सशक्त ग्राहकों पर एजेंटों का सीमित प्रभाव होना है। ऐसे उपायों से 65 प्रतिशत एजेंसियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है।

यदि एजेंटों संबंधी वर्तमान संशोधन पारित हो जाता है तो इससे बीमा एजेंटों की स्थिति को और खराब कर देगा क्योंकि अब तक उन्हें कार्य संबंधी शर्तो पर केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा है। विकसित विश्व के विधानों के अनुरूप यह संशोधन हमारे समाज के लिए समय पूर्व है और यद्यपि इसका इरादा ठीक है इसका निश्चित रूप से एजेंटों पर सोचा समझा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार एलआईसी अधिनियम की भावना को समझते हुए हमें स्थायी समिति की सिफारिशों का समर्थन करना होगा जिन्होंने एजेंटों से संबंधित ऐसे संशोधन के विरूद्ध चेतावनी दी है और एलआईसी एजेंटों को बेहतर व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, उन्हें कार्य में परिपक्व बनाने, पेंशन लाभ सहित कल्याण कोष स्थापित करने के तथा अन्य सुझाव दिए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)**

श्री जोस के. मणिः इसमें मैं एक ओर बात जोड़ना चाहूंगा कि कंपनी द्वारा पालिसियों की प्रत्यक्ष बिक्री को समाप्त करने क्योंकि यह न केवल अनुचित है बल्कि मूलतः अप्रतिस्पर्द्धात्मक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा। यह जीवन बीमा निगम का संशोधन विधेयक है। जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर जब कोई विवाद होता है तो इनके यहां एक कमेटी बनी हुई है और ये मैटर उस कमेटी में भेज देते हैं। फिर उसके साथ एक समझौता करते हैं कि 50 प्रतिशत ले लीजिए, 30 प्रतिशत ले लीजिए, 40 प्रतिशत ले लीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के बाद भी लोग कन्ज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और सैंकड़ों मुकदमें अभी जीवन बीमा निगम और कन्ज्यूमर कोर्ट के बीच में चल रहे हैं। यह बिल टोटैलिटी में आना चाहिए था और जो कन्ज्यूमर कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उनका भी इसमें समावेश करके जो पॉलिसीधारक हैं, उनको भी इसका बेनेफिट देना चाहिए था, वह इस संशोधन विधेयक में नहीं लाया गया है, इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एल.आई.सी. से संबंधित विज्ञापन आते हैं, उसकी कोई समीक्षा नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ विज्ञापन तो बहुत अच्छे हैं जो जीवन भर के लिए प्रभाव डालते हैं। जैसे एक विज्ञापन है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो असर डालते हैं। कुछ अन्य विज्ञापन हैं। जैसे एक शादी वाला विज्ञापन आ रहा है कि कौन-सी लड़की

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

से शादी करोगे? जिसकी तनख्वाह ज्यादा हो, जिसका पिता बहुत पैसे वाला हो तो वे कहते हैं कि आप इंडाउमेंट एल.आई.सी. ले लीजिए और शादी तो उससे करो जिससे प्रेम करो। आप इसकी समीक्षा कीजिए। जो वाकई प्रभाव डालने वाले विज्ञापन हैं, उन्हीं को रखिए और अन्य विज्ञापनों की समीक्षा करके उन्हें हटाइए।

मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक रिमार्क में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही थी, वह इस एक्ट का पार्ट नहीं है। जब भारत सरकार ने दो प्रतिशत सी.एस.आर. करने के निर्देश जारी कर दिये हैं तो वह इस एक्ट का पार्ट बनना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीणाः महोदय, कुल मिलाकर 15 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी सदस्यों के अपने-अपने बहुमूल्य सुझावों और सूचनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों का उत्तर देने से पूर्व मैं भारत में जीवन बीमा निगम के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि अनेक माननीय सदस्यों ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य निष्पादन के बारे में प्रश्न उठाए हैं।

महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी धारकों को उनके जीवन बीमा संरक्षण के मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने और बीमा का और अधिक प्रसार करने के लिए वर्ष 1956 में स्थापना की गई थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों कृपया शांति बनाए रखिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री नमोनारायन मीणाः भारतीय जीवन बीमा निगम निजी क्षेत्र की 23 जीवन बीमा कंपनियों की तुलना में सरकारी स्वामित्व की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है। जीवन बीमा निगम बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के 10 वर्षों बाद भी बीमा बाजार में अग्रणी है। दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार शेयर जारी पालिसियों की संख्या के मामले में 74 प्रतिशत है और इस वर्ष अर्जित प्रीमियम के मामले में 78 प्रतिशत है। दिनांक 31 मार्च 2011 को एलआईसी का कुल निवेश 12.6 लाख करोड़ रुपये है जोकि वर्ष 2010 में भारत के जीडीपी का लगभग 18 प्रतिशत है। 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार एलआईसी ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के 4 लाख करोड़ रुपये निवेश किए हैं, 1.76 लाख करोड़ रुपये राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए और 1.65 लाख करोड़ रुपये विद्युत, सिंचाई, जलापूर्ति, सीवेज पत्तनों, पुलों और सड़कों जैसे आवास अवसंरचना में निवेश किए। वर्ष 2010-11 में एलआईसी ने अपने पॉलिसी धारकों को 49,000 करोड़ रुपये का भुगतान करके 1.76 लाख परिपक्वता दावों का निपटान किया। इन दावों में से 96 प्रतिशत दावों का उत्तर दिनों दिन चेकों से अग्रिम भुगतान किया गया ताकि पालिसी धारकों को अपना पैसा समय पर मिल सके। 2010-11 में एलआईसी ने 8000 करोड़ रुपये का भुगतान करके मृत्यु से संबंधित 7.2 लाख दावों का निपटान किया गया जिनमें से 95 प्रतिशत दावों का निपटारा मृत्यु की सूचना के 15 दिनों के भीतर किया गया था। जीवन बीमा निगम ने इस क्षेत्र में कार्यरत शेष कंपनियों द्वारा 8.9 प्रतिशत की औसत अस्वीकार दर की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान केवल एक प्रतिशत वैयक्तिक मृत्यु दावों को अस्वीकार किया।

महोदय, अब मैं कुछ माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। श्री शिव कुमार उदासी और कई अन्य माननीय सदस्यों ने एलआईसी द्वारा शाखा खोलने की शक्ति के बारे में बात की। इस तथ्य के बारे में कुछ भ्रम प्रतीत होता है कि इस शक्ति को छीना जा रहा है। नहीं। एलआईसी इस संबंध में अधिनियम के अंतर्गत इरडा द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुरूप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लिए जा सकने वाले निर्णयों के अनुसार यथासंभव मंडल कार्यालय और शाखाएं स्थापित करेगी। अतः इरडा की अनुमति इन दोनों मामलों में आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्हें इरडा के द्वारा जारी किए गए मार्ग-निदेशों के अंतर्गत कार्य करना होता है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने ऋण प्रवाह के बारे में पूर्ववर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उस बैठक में उनके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न आए कि कुछ जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई कार्यालय नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने तत्काल आदेश दिया कि कम से कम सभी जिलों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में शाखाएं खोली जाये। इसलिए शक्ति छीनने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री शिव कुमार ने धारा 28 के संबंध में भी एक प्रश्न पूछा। मैं यह पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि वैल्यूऐशन सर्पलस और इसके प्रतिधारण के उपबंध अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से उतरलक्षी प्रभाव से लागू होगा और सभी मौजूदा पॉलिसी धारकों को पालिसी का 95 प्रतिशत लाभ मिलता रहेगा। यह उतरलक्षी प्रभाव से लागू है। अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह नई पॉलिसियों पर लागू होगा ...*(व्यवधान)*

श्री शिव कुमार और डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी पूंजी को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने की बात कही। पूर्ववर्ती जीवन बीमा निगम विधेयक, 2009 में इसे स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। पूंजी में 100 करोड़ से अधिक वृद्धि अधिनियम में संशोधन लाकर संसद द्वारा विनियोग के माध्यम से किया जाना है। इसलिए सरकारी हिस्सेदारी को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है और जीवन बीमा निगम 100 प्रतिशत सरकार के पास रहेगी।

श्री रमाशंकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है। महोदय, मैं इस मुद्दे पर कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है। प्रथम श्रेणी अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जातियों की संख्या 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7.1 प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी में, मंडलीय अधिकारियों में अनुसूचित जाति 15.63 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 6.77 प्रतिशत है। तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति में 17.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 7.78 प्रतिशत है। चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों का आंकड़ा 22.88 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा 16 प्रतिशत की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक है। जहां तक चतुर्थ श्रेणी का संबंध है, यह 53.72 प्रतिशत है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में यह 6.12 प्रतिशत है।

जहां तक संप्रग सरकार की नीति का संबंध है तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की भर्ती की जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बकाया रिक्त नहीं है। कुछ पदों पर यह संख्या अधिक है। यदि इस संबंध में कोई बकाया रिक्त है तो जांच की जाएगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार और डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी गरीब लोगों के लिए बीमा सुविधा की बात कही। मैंने स्पष्ट किया कि एलबीवाई ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए एक योजना है। जन श्री बीमा योजना भी है। जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी गरीबों में कामगारों सहित 45 श्रेणियां हैं। 200 रुपए की वार्षिक बीमा जिसमें से 50 रुपए भारत सरकार द्वारा राज सहायता प्रदान की जाती है, का भुगतान करके इस प्रकार के बीमा धारकों का जीवन सामान्य मृत्यु होने पर 30000 रुपए तक की बीमा सुविधा और दुर्घटनावश मृत्यु या किसी निःशक्तता के लिए 75,000 रुपए की बीमा सुविधा दी जाती है।

जन श्री बीमा योजना के अंतर्गत 2.44 करोड़ परिवार और एएबीवाई के अंतर्गत 1.87 करोड़ परिवारों को बीमा सुविधा प्रदत्त है। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सहित अनेक माननीय सदस्यों ने एलआईसी एजेंटों के मुद्दों को उठाया। एलआईसी एजेंटों की संख्या का निर्धारण एलआईसी द्वारा उनकी व्यावसायिक संभावना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बीमा एजेंटों की संख्या वर्ष 2007-08 के 11.93 लाख से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 13.44 लाख हो गई और यह वर्ष 2009-10 में 14 लाख तक हो गयी है। यह वर्ष 2010-11 में मामली रूप से होकर 13.4 लाख हो गयी है। व्यावसायिक संभावना को देखते हुए वास्तविक संख्या निर्धारित की जाएगी। औसत कमीशन वर्ष 2001 में 57,000 रुपए से बढ़कर वर्ष 2010 में 99,536 रुपए हो गयी है जो लगभग 1 लाख रुपए है।

श्री थामराई सेलवन और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण ने एजेंटों को शामिल करने हेतु लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के मामले को उठाया इस संबंध में सरकार इन स्कीमों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एजेंटों को शामिल करने हेतु लोकपाल को शासित करने वाले नियमों में उपयुक्त परिवर्तन पर गंभीरता से विचार कर रही है। माननीय सदस्य श्री सत्यथी ने एलआईसी के कार्य क्षेत्र को कम करने का प्रश्न उठाया। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि एलआईसी के कार्य क्षेत्र को कम करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को वर्ष 2000 में खोले जाने और देश में 23 निजी क्षेत्र की कंपनियों की उपस्थिति के बावजूद जैसाकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार एलआईसी के पास जारी की गई पालिसियों के संदर्भ में बाजार की हिस्सेदारी का 74 प्रतिशत तथा इस वर्ष संग्रहित प्रीमियम के संदर्भ में 78 प्रतिशत है।

एजेंटों को लाइसेंस के मामले में संबंद्ध में भाषा के बारे में एक प्रश्न उठाया गया। एलआईसी एजेंटों तथा इसके विभिन्न उपबंधों को लाईसैंसीकरण का मामला इस समय एक विनियामक इरडा द्वारा शासित किया जाता हैं। एजेंटों के लिए परीक्षा का आयोजन और प्रशिक्षण सामग्री इरडा द्वारा प्रत्यापित संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। परीक्षा आयोजन संबंधी मामला और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण सामग्री को आनलाइन प्रारूप पर क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजन के लिये इरडा द्वारा प्रदान किया जाएगा। चूंकि इरडा विनियामक है हम आपकी भावनाओं को इस पर विचार करने के लिए इरडा के पास पहुंचा देंगे।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधिसूचना के द्वारा पूंजी बढ़ाने की केन्द्र सरकार की शक्ति को छीन लिया गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण पहले ही दे चुका हूं। लेकिन डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस मामले को उठाया। खंड 5 के अंतर्गत अधिसूचना के द्वारा पूंजी बढ़ाने की केन्द्र सरकार की शक्ति वापस ले ली गई है। *[हिन्दी]* सर यह खत्म हो गया है, विदड्रा कर रखा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद] इस प्रयोजनार्थ विधि द्वारा संसद द्वारा विनियोजन बनाए जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री नमोनारायन मीणाः मुझे पूरा करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान मत डालिए। मंत्री जी के उत्तर के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री नमोनारायन मीणाः इक्विटी पूँजी में 100 करोड़ रुपये से अधिक की अन्य कोई भी बढ़ोतरी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के बाद किया जा सकता है। इसे संसद का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये। महोदया, यह एक सरकारी संशोधन है जिसकी संख्या चार है...*(व्यवधान)** महोदय मैंने श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा लाए गए संशोधन का उत्तर दे दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री महोदया द्वारा दिए गए वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री नमोनारायन मीणाः श्री शिव कुमार श्री हरीश चौधरी, श्री रामशंकर राजभर और श्री अर्जुन राय द्वारा पॉलिसी धारकों के लिए मूल्यांकन अधिशेष राशि को धारण करने का मुद्दा उठाया गया है। श्री वंशगोपाल चौधरी द्वारा एक संशोधन का भी प्रस्ताव लाया गया है।

मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इस संशोधन का उद्देश्य जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 को बीमा अधिनियम, 1938 के अनुरूप बनाना था तथा इसमें सृजित अधिशेष का 90 प्रतिशत का वितरण पॉलिसी धारकों के लिए किया जाना था। इस संशोधन ने जीवन बीमा निगम के लिए आरक्षित शेष का सृजन करना प्रस्तावित है। इसलिए, एक आरक्षित शेष सृजित किया जाएगा।

महोदय, वर्तमान में जीवन बीमा निगम अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर है। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि इस प्रकार आरक्षित कोष का उपयोग केवल बीमा कारोबार ऋण शोधन क्षमता की सीमा का विस्तार करने में तथा निगमित जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाएगा।

वर्तमान में जीवन बीमा निगम समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोष केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

महोदय, तथापि अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि यह संशोधन बीमा अधिनियम, 1938 के अनुरूप है जो अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों पर लागू होता है और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यह संशोधन भविष्य में प्रभावी होगा। इस संशोधन का जीवन बीमा निगम के मौजूदा पॉलिसी धारकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा और अधिसचूना की तिथि से नई पॉलिसियों पर लागू होगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने की अनुशंसा करता हूं।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

धारा 5 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किये गयेः

पृष्ठ 2, पंक्ति1, "5" के स्थान पर, "5. (1)" प्रतिस्थापित करें (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 और 4 के स्थान पर, "इस उद्देश्य के लिये विधि द्वारा" प्रतिस्थापित करें। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 के पश्चात् अंतः स्थापित करें।

"(2) निगम अपनी कार्यपूंजी की ऐसी रकम तक बढ़ाने के प्रयोजन के लिए जो विहित की जाए, बंधपत्र और डिबेंचर या ब्याज वाले अन्य विहित लिखतें जारी और विक्रय कर सकेगा।"। (5)

(श्री नमोनारायन मीणा)

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

धारा 18 का संशोधन

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, के स्थान पर प्रतिस्थापित करें-

'(3)। मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, के स्थान पर प्रतिस्थापित करें।

(3) मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः-

"(4) प्रत्येक जोन में उतने प्रभागीय कार्यालय और शाखाएं स्थापित की जा सकेंगी, जितनी इस संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा विनिश्चत की जाएं।"

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

"कि खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

सभापति महोदयः श्री बंसगोपाल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 12-

'नब्बे' के स्थान पर

'पचानबे' प्रतिस्थापित करें-

सभापति महोदयः अब मैं श्री बंस गोपाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

जो संशोधन के पक्ष में हो वे कृपया हां करें।

कुछ माननीय सदस्यः 'हां'

सभापति महोदयः जो संशोधन के विपक्ष में हैं वे कृपया नहीं करें।

अनेक माननीय सदस्य 'नहीं'

सभापति महोदयः मैं समझता हूं कि विपक्ष में मत ज्यादा है।

कुछ माननीय सदस्यः 'पक्ष में' मत ज्यादा हैं।

सभापति महोदयः उन्होंने मत विभाजन की मांग की है। अब यह संशोधन मत-विभाजन के लिए रखा जाएगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं

अब दीर्घाएं खाली हो गयी है।

प्रश्न यह है-

पृष्ठ 2, पंक्ति 12

"नब्बे" के लिए स्थान पर

"पचानबे" प्रतिस्थापित करें (10)

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन **अपराह्न 03.52 बजे**

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

करूणाकरन, श्री पी.

चौधरी, श्री बंस गोपाल

डोम, डॉ. रामचन्द्र

पांडा, श्री प्रबोध

नटराजन, श्री पी.आर.

बासके, श्री पुलीन बिहारी

मंडल, डॉ. तरूण

मलिक, श्री शक्ति मोहन

राजेश, श्री एम. बी.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

रियान, श्री बाजू बन

लिंगम, श्री पी.

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

ईरींग, श्री निनोंग

*उदासी श्री शिवकुमार

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री रमेश

कुमार श्री शैलेन्द्र

*पर्ची के माध्यम से विपक्ष में मतदान किया।

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

*केपी, श्री महिन्दर सिंह

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोगोई, श्री दीप

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

*चौधरी श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद

जेना, श्री श्रीकांत

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टैगोर, श्री मानिक

ठाकोर, श्री जगदीश

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिवारी, श्री मनीष

*पर्ची के माध्यम से विपक्ष में मतदान किया।

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

*थॉमस, श्री पी.टी.

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

धनपाल, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

*नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

श्री राकेश पाण्डेय

पासवान श्री कमलेश

पुरन्देश्वरी श्रीमती डी.

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

*पर्ची के माध्यम से विपक्ष में मतदान किया।

बासवराज, श्री जी.एस.

बाइते, श्री थांगसो

बापीराजू, श्री के.

बाल्मीकि, श्री कमलेश

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

मंडल, श्री मंगनी लाल

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड श्रीमती इन्ग्रिड

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मैन्या, डॉ. थोकचोम

*मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव श्री ओम प्रकाश

यादव प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजगोपाल, श्री एल.

राठवा, श्री रामसिंह

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री अर्जुन

रुआला, श्री सी. एल.

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

*पर्ची के माध्यम से विपक्ष में मतदान किया।

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शुक्लवैद्य श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

सईद, श्री हमदुल्लाह

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सोलंकी, श्री मकनसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री इस्माइल

सभापति महोदयः शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा है:-

पक्ष में : 17

विपक्ष म : 107

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से अपना मत दर्ज किया: विपक्ष में: 107+ श्री भूदेव चौधरी+श्री मोहिन्द्र सिंह केपी+श्री एम. वीराप्पा मोइली+श्रीमती मीनाक्षी नटराजन+श्री पी.टी. थामस+श्री शिव कुमार उदासी = 113

खंड 5 विधयेक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

धारा 37 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 से 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें

'6 मूल अधिनियम की धारा 37 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परंतु निगम यह प्रयास करेगा कि उसकी निधियां का विनिधान पालिसीधारक को बढ़ा हुआ बोनस सुनिश्चित करने के लिए, उसके द्वारा विरचित कम से कम विनिधान जोखिम वाली आकर्षक स्कीमों में किया जाए, जिससे कि निगम को बाजार में एक प्रमुख अस्तित्व के रूप में अपनी हैसियत बनाए रखते हुए जनसाधारण की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ बनाया जा सके।"

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयः श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा सभा पटल पर रखा गया संशोधन संख्या 11 असंगत हो गया है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 से 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें-

'6 मूल अधिनियम की धारा 37 में निम्नलिखित परंतु क अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"परंतु निगम यह प्रयास करेगा कि उसकी निधियों का विनिधान पालिसीधारक को बढ़ा हुआ बोनस सुनिश्चित करने के लिए, उसके द्वारा विरचित कम से कम विनिधान जोखिम वाली आकर्षक स्कीमों में किया जाए जिससे कि निगम को बाजार में एक प्रमुख अस्तित्व के रूप में अपनी हैसियत बनाए रखते हुए जनसाधनरण की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ बनाया जा सके।"

सभापति महोदयः श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा सभा पटल पर रखा गया संशोधन संख्या 11 असंगत हो गया है।

प्रश्न यह हैः

"कि खंड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

(श्री नमोनारायन मीणा)

खंड 7

धारा 44 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें

"7 मूल अधिनियम की धारा 44 के खंड (ख) में निम्नलिखित परंतु क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात उस तारीख से ही लागू नहीं होगी, जिसको बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2ङ में अंतर्विष्ट उपबंध प्रवृत्त नहीं रहेंगे।"

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

"कि खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

धारा 48 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 और 27 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें:-

'8. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में-

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी लिखते, जो जारी की जाएं और कार्यपूंजी की रकम;"

(ii) खंड (गग) में, दोनों स्थानों पर आने वाले, " और अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया जाएगा।' (9)

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

लघु शीर्षक और प्रारंभ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,

"2009" के लिए स्थान पर

"2011" प्रतिस्थापित करें। (2)

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधिन किया गयाः

पृष्ठ 1 पंक्ति

"सांठवां के स्थान पर

"बासंठवां" प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्यः सभापति महोदय, हम विरोध प्रदर्शित करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.57

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदयः अब दीर्घाएं खोल दी जाएं।

अपराह्न 3.59 बजे

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब हम मद संख्या 19 पर चर्चा करेंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए?

महोदय, चोरों को समाप्त करने, कम करने और पाइप लाइनों की तोड़ फोड़ को रोकने हेतु पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 15 और 16 में संशोधन करने हेतु पेट्रोलियम उद्योग द्वारा आवश्यकता महसूस की गई है ताकि इन्हें अधिक कठोर बनाया जा सके और विधिक प्रवर्तक एजेंसियों को अपराधियों को कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्षम बनाया जा सके।

सभापति महोदयः यदि आप और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री आर.पी.एन. सिंहः जी नहीं महोदय। मैंने विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं चर्चा के बाद बोलूंगा।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 4.00 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 मंत्री जी ने जो पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन विधेयक पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 में किया जा रहा है। इसमें धारा 15 और 16 के स्थान पर सरकार यह संशोधन बिल लाई है। सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में इन पाइपलाइनों द्वारा पेट्रोलियम और गैस का जो परिवहन होता है, उसमें पाइपलाइनों से चोरी करके पेट्रोलियम और गैस निकाली जाती है। इससे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय को काफी नुकसान होता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाने के लिए यह संशोधन

विधेयक पेश किया है। इस बिल के माध्यम से कठोर कानून बन जाएगा, लेकिन कठोर कानून होने के बाद भी क्या यह कानून पाइपलाइनों से गैस और पेट्रोलियम की चोरी रोकने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।

इस बिल में बताया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस को ले जाने के लिए कई भूमिगत पाइपलाइनें संपूर्ण देश में बिछाई गई हैं। ऐसी पाइपलाइनों के नेटवर्क में काफी वृद्धि हुई है। पाइपलाइनों की नियमित गश्त और निरीक्षण के बावजूद गैर सामाजिक तत्वों द्वारा प्रायः पाइपलाइनों की चोरी और उनके ध्वंसन की काफी घटनाएं हो रही हैं। चूंकि कच्चा पेट्रोलियम और इसके उत्पाद परिसंकटमय सामग्री हैं इसलिए ऐसी पाइपलाइनों से उनकी चोरी और छलकाव का गंभीर परिणाम होता है। आपने स्वीकार किया है और बाद में यह भी कहा है कि शिकायत करने के बाद सुरक्षाकर्मियों को धमकाया जाता है और इन शिकायतों की जो एफआईआर होती है, चोरी के मामले दर्ज होते हैं, उनमें भी बाधा पहुंचाई जाती है। देश में इस प्रकार की चोरी करने वालों का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसे तेल माफिया कहा जाता है। देश में जहां पर अभी ऐसी पेट्रोलियम और गैस के परिवहन हेतु गैस के लिए 6554 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है और भविष्य में 4721 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह पेट्रोलियम के लिए आपने 7404 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है और भविष्य में और पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। सरकार की पेट्रोलियम कम्पनीज जैसे ओएनजीसी है, जो विदेशी कम्पनीज द्वारा बाहर से भी पेट्रोलियम लाने के लिए एग्रीमेंट करती है, उसके द्वारा भविष्य में बाहर के देशों से पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम लाने की योजना बनाई जा रही है। इसे सरकार कितनी सुरक्षा दे सकेगी, इस बारे में सरकार ने तैयारी की है, वह काफी हद तक सही है।

हमारे देश में इस तरह की जो पाइपलाइनें बिछी हैं, उनकी सुरक्षा करने और सरकार द्वारा यह कबूल करना कि वे असुरक्षित हैं, सही बात है। भारत में कई जगह पेट्रोलियम पदार्थ और खनिज पदार्थो का उत्पादन होता हे। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थो का उत्पादन नार्थ-ईस्ट में होता हे। वहां देश में कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत होता है। वहां पर आतंकवादी, उग्रवादी संगठनों जैसे उल्फा है, उनके द्वारा कई बार इन पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया जाता है और परिवहन में बाधा डाली जाती है। ऐसे समय में सरकार ने जो कठोर कदम उठाए हैं और कानून बनाने की पहल की है, हम उसका समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया, में सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिकायतकर्ता होते हैं, वे चाहे विभाग के अधिकारी हों या कर्मचारी, उन पर चोरी करने वाले और पाइपलाइनों को क्षति पहुंचाने वाले हमला करते हैं और धमकाते भी हैं। बिल में भी बताया गया है कि ऐसी शिकायतों को दर्ज कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले होते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी इस बिल में जिक्र करना चाहिए था।

मैं महाराष्ट्र की एक घटना का उल्लेख करुंगा। महाराष्ट्र में एक उप-जिलाधिकारी एक पेट्रोल पम्प पर गये थे। वहां वह चोरी के मामले की शिकायत पर गये थे लेकिन तेल माफियाओं ने उस उप-जिलाधिकारी को जिंदा जला दिया। यह घटना आज की नहीं है, ऐसा काफी जगह पर होता है। हर क्षेत्र में गिरोह बनते जा रहे हैं इसलिए सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें कारगर बनाने के लिए कठोर कानून बनाएं लेकिन साथ में जो आधुनिक तकनीक है, उसका भी उपयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। सेंसर, सीसी कैमरे हैं, सेटलाइट है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। देश के कई ऐसे भाग हैं जहां पर आदमी नहीं है, वहां से पाइप लाइन आती होगी। वहां पर अगर चार पुलिस वाले जाएंगे तो उन पर हमला हो सकता है। ऐसी जगहों पर नई तकनीक का उपयोग होना चाहिए। जहां पर पाइप लाइन को काटकर गैस की चोरी हो रही है, तो आधुनिक तकनीक के द्वारा इस चोरी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीसी कैमरों, सेंसर के द्वारा चोरी का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे शिकायत कर्ता की जरूरत भी न पड़े। मैं आपके बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहूंगा कि कर्मचारियों के द्वारा जब शिकायत की जाती है तो पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन गवाह को कोर्ट में जाने से पहले धमकाया जाता है। कोर्ट के द्वारा अपराधियों को सजा मिलने में काफी बाधाएं आती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इन मामलों में आप आधुनिक तकनीकों का उपयोग कीजिए, जिससे गवाह की जरूरत भी न पड़े। उन चोरों कोर्ट में पेश करते समय मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने इस बिल में दिया है कि जितने अपराधी लोग हैं उन अपराधी पर कार्रवाई करने की बात तो आपने कही है, लेकिन मेरा अनुभव है कि कई कर्मचारी और अधिकारी विभाग के इन चोरों और माफिया लोगों से मिले होते हैं। वे लोग जानबूझकर शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए शिकायत न करना भी अपराध माना जाना चाहिए। आपने सजा को बढ़ाकर तीन साल की जगह दस साल किया है और दंडित करने का प्रावधान किया है, यही दंड उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, जो अधिकारी या कर्मचारी इन चोरों और माफिया लोगों के साथ मिलकर अपनी उगाही करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। अगर इस अमेंडमेंट बिल में इन सारी बातों का उल्लेख किया होता तो शायद यह और भी अच्छा होता। आपने इसमें काफी बातें कहीं हैं और धारा 15-16 में जो आपने दिया है कि अपराधियों पर आपने नॉन-कॉग्निजिबल धाराएं लगाकर बेल न मिलने का भी आपने प्रावधान किया है और

यह अच्छी बात है जहां पर तीन वर्ष की सजा थी, एक वर्ष की सजा थी, उसे बढ़ाने के लिए आपने लिखा है। मैं समझता हूं कि देश के कीमती उत्पाद की चोरी रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, इसका सभी लोग समर्थन करेंगे और इसमें हम खाली पुलिस पर ही निर्भर न करें बल्कि पुलिस के सिवाय, हमारे संबंधित विभाग के भी कुछ सुरक्षा बल का निर्माण होना चाहिए। उन्हें भी चोरियां रोकने के लिए अधिक अधिकार देने की जरूरत है। अगर हम पुलिस को मदद करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी न डालेंगे तो आपका बिल अपनी जगह पर रहेगा और देश में तेल माफियाओं पर इसका कोई असर होने के आसार मुझे नहीं दिखते हैं। इस बिल को और भी कारगर बनाने के लिए आपको संबंधित विभाग का एक सुरक्षा बल बनाने की जरूरत है। इस देश के बड़े-बड़े शहरों को गैस सप्लाई करने के लिए और भी पाइप-लाइन आपको बिछानी हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन हैं वहां भी गैस पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछानी है।

देश के अधिकांश भागों में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में उल्फा जैसे संगठनों ने कई बार हमारी पाइप लाइन को क्षति पहुंचाई है। परिवहन को भी क्षति पहुंचाई है। भविष्य में हम जहां नेटवर्क बढ़ाने जा रहे हैं, जहां नक्सली गतिविधियां हैं, वहां हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदया, मैं पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2011 का समर्थन करता हूं।

महोदया, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कच्चे तेल और गैस के लाने हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन का उपबंध करने के लिए अधिनियम किया गया था।

काफी समय से पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइनों में थोड़ी वृद्धि नहीं हुई है परंतु जैसा कि मेरे विद्वान मित्र श्री गंगाराम अहीर ने कहा है कि पूरे देश के विभिन्न भागों में 6500 कि.मी. से अधिक पाईपलाईन बिछायी गई है। देश के विभिन्न भागों में चोरी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा बल असफल रहे हैं। यह सच है कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह वह क्षेत्र है जहां से मैं आता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नक्सलियों, अल्फा, एनएससीएन और अन्य ऐसे ही असामाजिक तत्वों से ग्रस्त है जिसके कारण वहां पर कार्यरत अधिकारियों और पुलिस बलों के लिए इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

महोदया, यह विधेयक पुलिस बलों को सशक्त बनाने के लिए है ताकि ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को कड़ा दंड दिया जा सके। निसंदेह, कुछ कड़े उपाय पहले किए जा चुके हैं।

मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का उल्लेख करना चाहूंगा। जिसने अपनी टिप्पणियां दी थी। मैं दुर्लभतम मामलों में मृत्यु दंड के संबंध में भी उल्लेख करना चाहूंगा।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 के अनुसार यह उपबंध हैं-

> "जब दोष सिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वषो की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडा देश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा।"

यह परिभाषा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वह मूलतः धारा 15(4) में प्रस्तावित कठोर उपबंधों के विरूद्ध नहीं है।

यद्यपि धारा 15(4) में प्रस्तावित नए उपबंध कुख्यात अपराधियों के लिये पर्याप्त कठोरता उपबंधित समिति को निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्ध इन कठोर उपबंधों के दुरूपयोग की संभावना की आशंका रहती है।

धारा 15(4) में प्रस्तावित मृत्यु दंड के संबंध में समिति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354(3) में उपबांधित सुरक्षोपायों और विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर ध्यान देती है, जिससे इस प्रकार कहा गया हैः-

मानव जीवन की गरिमा के लिये वास्तविक और पालनीय चिन्ता इस बात के लिये सहनीय क्षमता पैदा करती है कि कानून के माध्यम से एक व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये केवल उस स्थिति को छोड़कर जब वैकल्पिक उपाय बिना किसी प्रश्न चिन्ह के प्रतिबाधित हो गया हो।

अब, महोदया, ऐसे मामले हैं। मैं अपने दौरों के दौरान देश के अनेक भागों में गया हूं। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य भी हूं और हमें गुजरात के अधिकांश भागों और

बॉम्बे हाई का भी दौरा करने का अवसर मिला। हमने ऐसी दुर्घटनाएं होती हुई देखी। मैं एक संदर्भ देना चाहूंगा। जब हम बॉम्ब हाई गए थे तो हमें एक रिपोर्ट मिली कि कुछ पोतों के मछुआरे अपने जाल लेकर इन पाइपलाइनों के ईद गिर्द घूमते थे, उन्होंने ऐसी गलतियां की थी। पाइपलाइनों के टूटने और तेल रिसने की दो घटनाएं हुई थीं। महोदया, इन मामलों में आप देखेंगे कि यह एक बड़ा खतरनाक है। विशेषरूप से परिस्थिति की और पर्यावरण के लिए परंतु दुर्घटना तो दुर्घटना है। इन मामलों में इस प्रकार का कानून, जैसा कि स्थायी समिति ने कहा है संभवतः न्यायोचित हो। जैसा कि वह कहते हैं "भले ही हजारों अपराधी छूट जाएं परंतु कभी भी एक निर्दोष व्यक्ति को दंड न मिले।" अतः इस संबंध में मुझे यकीन है कि यद्यपि ये अधिनियमित हो जायें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोष किसान चाहे वह पंजाब अथवा हरियाणा अथवा गुजरात में हों प्रभावित न हों। मैं जामनगर गया था जहां रिलायंस कंपनी अपनी लाइनें डाल रही थी। हमने किसानों के साथ यह समस्या देखी थी और निर्दोष व्यक्तियों के साथ यह समस्या देखी थी। ऐसे मामले हैं जहां किसानों अथवा निर्दोष व्यक्तियों द्वारा अनजाने में हुई किसी दुर्घटना के कारण ऐसी चोरी हो गई हो। अतः हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विधेयक में 'करने' या 'न करने वाला प्रावधान करना होगा।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे यहां गुवाहाटी बोगाईगांव और नुमालीगर में ये तेल शोधक कारखाने हैं। जब दिखाई और अन्य तेल क्षेत्रों से पाइपलाइनें इन तेल शोधक कारखानों में आती हैं तो यह अति जोखिमपूर्ण कार्य हो जाता है। यह सच है कि तोड़-फोड़ के भी कई मामले हुए हैं। परंतु, यहां लोगों का और हम सभी का रवैया भी इसमें शामिल है। हमें लोगों को किसानों और साथ ही स्थानीय निवासियों को भी शिक्षित करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा। "नहीं यह देश की संपत्ति है। ये कानून हमारे लिए अच्छे होंगे। यह केवल हमारे लिए ही दुर्घटना नहीं होगी बल्कि यह पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए दुर्घटना होगी क्योंकि यदि यह एक पर्यावरणीय खतरा है।"

गेल, रिलायंस औश्र अन्य कंपनियों की पाइपलाइनें पूरे देश में फैली हुई हैं। न केवल पुलिसबल और सुरक्षाकर्मियों को ही बल्कि इन पाइपलाइनों की देख-रेख करने के लिए नियुक्त किया गया है बल्कि स्थानीय व्यक्तियों को भी स्वयं इससे जुड़ने की आवश्यकता होती है। विधायकों, संसद सदस्यों के रूप में अपने क्षेत्रों में जाकर उन्हें बताना हमारा कर्त्तव्य है कि "राज्य की संपत्ति क्या है? देश की संपत्ति क्या है? हमें भविष्य में इनसे क्या लाभ प्राप्त होंगे? इसी कारण कभी-कभी राज्य कहेंगे कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है और केंद्र कहेगा कि यह अनेक राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः इस प्रकार के मामले भी आएंगे। ऐसे मामलों को केवल तभी हल किया जा सकता है जब के सरकार और राज्य सरकारों के बीच तालमेल हो।

सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का वास्तव में समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि अन्य देखेंगे कि पूर्वोवत अधिनियम की धारा 15 और 16 पाइपलाइनों से चोरी अथवा तोड़-फोड़ के मामलों से निपटने के उपबंधों को निर्धारित करती हैं वे अपराधियों को चोरी अथवा तोड़-फोड़ के अपराध से रोकने के पर्याप्त निवारक उपाय नहीं करते हैं। इसलिए यह अधिनियम बनाना पड़ा।

इस अधिनियम विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पूर्वोवत अधिनियम की धारा 15 की उक्त उपधारा (2) को प्रतिस्थापित किए जाने और धारा में उप धारा (3) और (4) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अन्य बातों के साथ में इसमें निम्नलिखित उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है-

(क) जो कोई जानबूझकर धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन से कोई अनाधिकृत कनेक्शन करता है या करवाता है या हटाता है, नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या विस्थापित करता है या ऐसी पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पाद या खनिज निकालने के लिए कोई युक्ति जानसूझकर विनिष्ट करता है या पाइपलाइन के माध्यम से की गई आपूर्ति को जानबूझकर भंग करता है, वह कठोर कारावास की ऐसी अवधि से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(ख) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष कोई व्यक्ति पुनः किसी उपबंध के अधीन अपराध से सिद्धदोष होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष से कम से कम नहीं होगी लेकिन जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, के कठोर कारावास से दंडनीय होगा; और

(ग) जो कोई यह कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि वह धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन को नुकसान करने वाला या नष्ट करने वाला है, ध्वंश करने के आशय से पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल या गैस के परिवहन में उपयेाग की जाने वाली पाइपलाईन को आग, विस्फोटक पदार्थ या अन्यथा द्वारा नुकसान कारित करता है या इस जानकारी से कि ऐसा कार्य इतना खतरनाक है कि इससे सभी संभाव्यता में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है या ऐसी शारीरिक क्षति होने की संभावना है, जिससे

किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

अब नया उपबंध है जो कहता है कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2), (3), (4) के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जाए। परंतु मेरे विद्वान मित्र बोलते समय इसे गलत समझ बैठे। उन्होंने कहा, यह गैर-संज्ञेय है। परंतु मैं उन्हें बता दूं कि यह असंज्ञेय नहीं है। बल्कि यह संज्ञेय है। एक संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिस पर कोई पुलिस अधिकारी अथवा ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई कर सकता है।

अतः, इन उपबंधों के साथ यह संशोधन इस विधेयक को और सशक्त बना देगा और यह पुलिस बल तथा मजिस्ट्रेटों को अधिक शक्तियां देगा जो पूरे समय अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे तथा राउंड कर रहे होगें।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन कतरा हूं। मैं माननीय मंत्री का वास्तव में धन्यवाद करूंगा क्योंकि इन वह जो यह कड़े उपाय करने जा रहे हैं उनकी सहायता से वह उन अधिकारियों में आत्मविश्वास लाएंगे जो अपनी सेवाओं की उपयोगिता को कार्यान्वित करने जा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे यह विधेयक बहस का मुद्दा नहीं है, इसे ऐसे ही पास करना चाहिए क्योंकि मंत्री जी आज बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। इस बिल में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद और गैस को ले जाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन संपूर्ण देश में बिछाई गई है, यह सर्वविदित है।

जहां तक इसकी सुरक्षा और संरक्षण की बात है, गश्त और निरीक्षण के बावजूद पाइपलाइनों की चोरी और ध्वस्त करने की घटनाएं बराबर मिली हैं। जैसा कि सम्मानित सदस्य अहीर जी ने कहा कि आतंकवादियों की साजिश या विभाग से मिलकर कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। जैसे बिजली की चोरी में अक्सर देखा जाता है कि चोरी तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि विभाग के लोग मिले न हों। इसके लिए आपने कठोर सजा का प्रावधान किया है और मैं समझता हूं कि कठोर दंड देने की आवश्यकता भी हैं, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने इस बिल में तीन और दस के रेश्यो में सजा का प्रावधान किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें आपको जुर्माने का भी प्रावधान करना चाहिए और कम से कम पचास हजार या एक लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। इसलिए आप इस बिल में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान कीजिए।

मैं आपका ध्यान चेन्नई पेट्रो पाइपलाइन परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके रास्ते में पेट्रोल मंत्रालय का रोड़ा है, जैसे तमिलनाडु की मनाली रिफायनरी के लिए कच्चे तेल की पाइप लाइन बिछाने की 126 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पाइप लाइन परियोजना को पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी देने से इनकार किया है। यदि मान लीजिए इसकी शुरुआत हो जाती है और इससे लोगों को फायदा मिलता है तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी इसे मंजूरी दे दें, ताकि वहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके। इससे पहले सदन में जब भी चर्चा हुई है तो मैंने हर बार मांग की है कि जिस तरह से आप पाइप लाइन से गैस की सप्लाई करते हैं, रिफायनरी के अलावा घरों में जलाने वाली जो रसोई गैस की सप्लाई होती है, यदि इसके तहत आप सिलेंडरों की व्यवस्था खत्म करके पाइप लाइन से हर घर में गैस की सप्लाई दे दें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। उससे गैस की चोरी रुक जायेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और तमाम लोगों को इससे सुविधा भी मिलेगी। महानगरों में आपने कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था की है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आने वाले समय में आप रसोई गैस पर जो सब्सिडी देते थे, उसे आप खत्म करने जा रहे हैं। यदि आप यह खत्म करेंगे तो मेरे ख्याल से एक सिलेंडर की कीमत करीब सात सौ रुपये हो जायेगी। हमारा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था न करें, बल्कि हम चाहेंगे कि आप सिलेंडरों की व्यवस्था खत्म करके पाइप लाइन के द्वारा सब घरों में रसोई गैस की सप्लाई की व्यवस्था करा दें तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सात हजार पेट्रोल पम्पों को कंप्यूटराइज करके डिवाइस लगाने जा रहे हैं, यह डिवाइस काफी पम्पों पर लग भी चुकी है। मेरे ख्याल इससे पैट्रोल पम्पों पर जो मिलावट होती है, उसे रोकने में और कम तौलने पर कुछ अंकुश लग सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह सिफारिश भी करना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको मिलने वाले कमीशन का भी ध्यान रखें। यदि उन्हें पर्याप्त कमीशन मिलेगा तो मिलावट और कम पैट्रोल डालने की जो शिकायते हैं, वे बिल्कुल नगण्य हो जायेंगी।

इसके अलावा आपने 2006 से 2011 तक तीन नीति पर तेल वितरण का कार्य किया है। तेल वितरण कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार

हैं, उनका कुप्रबंधन जिम्मेदार है। वर्तमान मंदी के कारण जो महंगाई हुई है, पांच लाख करोड़ रुपये उसके परिणामस्वरूप हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में रुपये का अवमूल्यन हुआ है, हमारे रुपये का मूल्य घटा है, उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप कच्चे तेल की जो खरीद करते हैं, उससे घाटे की संभावना बढ़ गई है और उससे महंगाई बढ़ जाती है।

इसके अलावा आपने 2006 से 2011 तक तीन नीति पर तेल वितरण का कार्य किया है। तेल वितरण कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका कुप्रबंधन जिम्मेदार है। वर्तमान मंदी के कारण जो महंगाई हुई है, पांच लाख करोड़ रुपये उसके परिणामस्वरूप हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में रुपये का अवमूल्यन हुआ है, हमारे रुपये का मूल्य घटा है, उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप कच्चे तेल की जो खरीद करते हैं, उससे घाटे की संभावना बढ़ गई है और उससे महंगाई बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बगल में दादरी है। वहां पर गैस आधारित परियोजना में एक संयंत्र लगाने की बात थी। उस पर इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मेरे ख्याल से पैट्रोलियम मंत्रालय उस थर्मल पावर प्रोजैक्ट को यदि गैस की सप्लाई दे दे तो वहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा और उससे हम केवल उत्तर प्रदेश को ही 24 घण्टे बिजली नहीं दें सकेंगे, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी हम बिजली दे सकते हैं।

अपराह्न 4.29 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज़्मी सारदीन** *पीठासीन हुए*]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी की खूबसूरती और सुंदर वस्त्रों को देखकर भरपूर तरीके से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की सबसे महत्वपूर्ण और घर-घर, गांव-गांव तक व्यवस्था में जुटी हुई पैट्रोलियम खनिज पदार्थ, गैस पाइप लाइन, कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उसमें समय-समय पर कुछ कठिनाइयां और कुछ माफियाओं द्वारा उसका विध्वंसक स्वरूप बनाकर नुकसान पहुंचाने या चोरी करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

महोदय, एक तो नक्सलियों द्वारा ऐसी कठिनाइयां मिलती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ माफियां हैं जिनका उद्देश्य है कि गिरोह बनाकर के संपदा को लूटना या चोरी करना। देश में 65 सौ से ज्यादा पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। उनके रख-रखाव और व्यवस्था के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां हैं।

महोदय, यह देश की व्यवस्था से संबंधित विधेयक है। इसमें चोरी या लूट को रोकने के लिए और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दण्डित करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसमें कठोर दण्ड के प्रावधान होने चाहिए जो उस प्रकार के नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में जो व्यवस्था दी है, उसमें किसी में दस साल की सजा का प्रावधान, कहीं 3-10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए कहीं न कहीं इसे रोकने की तो व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जान-बूझ कर इसमें लिप्त हैं, उनके लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

पुलिस राज्य का विषय होता है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भी कहीं न कहीं कुछ कमियां होती हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज के समय में कुछ तो अपराध में लिप्त लोग हैं जिन्हें सजा मिलनी चाहिए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं जालसाजी से किसी और को फंसाने का प्रावधान भी करते हैं। उधर भी ध्यान जाना चाहिए। कहीं-कहीं विभाग की गड़बड़ियों से भी यह फाल्ट होते रहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जैसे मुंबई हाइवे में ऐसी दुर्घटनाएं हुई, गुजरात में भी हुई हैं, जो कि वहां भी जानबूझ कर नहीं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और देश का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसको कैसे रोका जाए? मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा। जितना नुकसान चोरी से हो रहा है, उसको रोक कर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था करें तो भी हमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। क्योंकि चोरी से हमारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम और कच्चे तेल का हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। इसी सुरक्षा व्यवस्था राज्य का विषय तो है ही साथ ही केन्द्र में भी उसे अपने स्तर से व्यवस्थित किया जा सकता है।

मैं एक बिन्दु के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कहीं-कहीं ऐसे गिरोह होते हैं, जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना और चोरी करना होता हे। अगर कोई शिकायतकर्ता उसकी शिकायत करता है तो उसे भी प्रताड़ित करने या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चोरों और माफियाओं के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस व्यवस्था को रोका जा सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह गांवों से जुड़ी हुई समस्या है। हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। चाहे रसोई गैस के रूप में हो,

गाड़ी की गैस के रूप में या डीजल-पेट्रोल के रूप में हो, अपने कृषि उत्पाद के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि गैस पाइपलाईन से उसकी आपूर्ति हो। अभी महानगरों और छोटे नगरों तक ही इसकी आपूर्ति हो रही है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि छोटे कस्वों और गावों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान बनाए ताकि लोग पेट्रोल पम्पों पर घटतौली से जो डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं, वहां उन्हें मिलावटी सामान न मिलें। उसके लिए भी जो रोक-रुकावट की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है।

महोदय, दुर्घटनाओं के साथ-साथ पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपका यह एक्ट निश्चित रूप से सराहनीय है, हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। जो आपने प्रावधान बनाया है, उसे रोकने के लिए जो दण्ड का प्रावधान बनाया है, जो जुर्माने का प्रावधान बनाया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय तो है, लेकिन उसे रोकने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। उसके लिए और कठोर कानून बनाये जायें और जो जानबूझकर संज्ञेय अपराध करते हैं, जो ऐसे माफिया हैं, जो ऐसे गिरोह हैं, जो ऐसे चोरों के गिरोह हैं, उन पर और अधिक जुर्माना लगे और उनके लिए और अधिक दण्ड का प्रावधान हो ताकि इसे रोका जा सके।

इन्हीं बातों के साथ इस बिल के लिए हम आपका समर्थन करते हैं।

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया हे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। तेल और गैस को लेकर सारी दुनिया में एक माहौल और एक मारकाट की स्थिति है। हमारे देश के अंदर पाइपलाइन को बिछाने के लिए कड़े-कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। हमारे देश के अंदर जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के तहत जितने तेल और जितने गैस ईंधन की आवश्यकता है, सरकार की गलत नीतियों के कारण और या हम कह सकते हैं कि सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाने में अभी तक विफल दिखाई दे रही है। इस सेक्टर को दरअसल एक मजबूत और ठोस पॉलिसी की जरूरत है। हम यह बताना चाहते हैं कि तेल और गैस को लेकर जो कानून आप बना रहे हैं, उन्हें सख्ती से लागू करने के लिए जिन कानूनों का प्रावधान किया गया है, अभी माननीय सदस्य घटतौली की बात कर रहे थे। तेल आवंटन में, गैस के आबंटन में जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन है, मैं दूसरे राज्य के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन बिहार राज्य के बारे में जो हम लोगों के पास जानकारी है और जो हमारे मित्र सांसदों के पास जानकारी उपलब्ध है, एक भी, अभी मैं जो हमारा गिरि जिला मुंगेर है, वहां गैस की एक डीलरशिप निकली, उसमें 12 लाख रुपया लिया गया, मंत्री जी इसे नोट किया जाये। हमारे साथी वैद्यनाथ महतो जी बैठे हुए हैं, पश्चिमी चंपारण के अंदर जितने भी पेट्रोल के और गैस के आबंटन हुए, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है, क्या प्वाइंट बनाया है, क्या उसका मापदंड है, यह देखने का विषय है और यह जांच का विषय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे देखने की कृपा की जाये। जो कानून आप यहां बना रहे हैं और जो घूस देकर के पेट्रोल की, गैस की एजेंसी लेगा, वह पैट्रोल के अंदर केरोसिन की मिलावट, डीजल के अंदर केरोसिन की मिलावट निश्चित रूप से करेगा। माननीय मंत्री जी मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिले में आईओसी की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। वहां की स्थिति क्या है, जहां तक मुझे जानकारी है, बेगुसराय के अंदर जो तेल रिफाइनरी है, उसकी क्षमता छह मिलियन मीट्रिक टन तेल साफ करने की है। उसको उतना क्रूड आइल नहीं मिलने की वजह से वह कंपनी घाटे में जा रही है। वहां 876 की संख्या में स्टाफ है। आप हर तीन-चार महीने बाद वहां के ईडी को बदल देते हैं। एक आदमी आता है, वह कुछ समझ भी नहीं पाता है क्योंकि इतनी बड़ी आइल रिफाइनरी है, जिसका बिहार केसरी श्री कृष्णा सिंह जी द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन आज वह घाटे की शिकार है। हजारों लोगों की रोजी उससे जुड़ी हुई है। वहां पर हम चाहेंगे कि उनको तेल दिया जाए। मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप चार महीने पर ईडी बदलते हैं, लेकिन एक डीजीएम (एच आर) वहां पर है...*(व्यवधान)** वह पिछले पांच साल से वहां जमे हैं और सारे भ्रष्टाचार की गंगोत्री की जड़ जिनको हम कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): नाम नहीं लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः नाम हटा दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मोनाज़िर हसनः जिस ईडी को आप भेजते हैं, वहां हम शिकायत करते हैं कि वहां पर इस तरह के मामले हैं, लेकिन कोई

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपने घर से लाकर ठेकेदारी करवा रहा हो, वहां पर कालाबाजारी करवा रहा हो और बगूसराय तथा बरौनी जैसी आइल रिफाइनरी, जिसको श्रीबाबू जैसे लोगों ने बनाने का काम किया था, आज वह बीमार हालत में दिखाई दे रही है।

महोदय, फर्टिलाइजर किसी समय में बेगूसराय की नाक हुआ करता था और हजारों लोगों की रोजी और रोजगार से जुड़ा हुआ था। मैंने निवेदन किया था कि वहां फर्टिलाइजर प्लांट में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था कराई जाए। मेरी इस संबंध में मंत्री जी श्रीकांत जेना जी से बात हुई और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि मैं फर्टिलाइजर प्लांट को चालू करने का काम करूंगा। पिछले दिनों राम विलास पासवान जी ने उसके जीर्णोद्धार के लिए चुनाव के दिनों में आश्वसन ही सही, लेकिन उसका शिलान्यास करने का काम किया था। उसमें अगर आप पाइपलाइन देते हैं तो बेगुसराय की हंसी-खुशी उस फर्टिलाइजर प्लांट के आने के बाद वापस आ सकती है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बेगूसराय में आईओसी के अंदर एक सेन्ट्रल स्कूल है। इस स्कूल में वहां के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इस स्कूल को हटाने की साजिश चल रही है। उसको रुकवाने की कोशिश की जाए क्योंकि वह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। एक बात यह भी है कि जो सोशल कार्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी होती है, बेगूसराय और बरौनी के अंदर जो आईओसी की फैक्ट्री है, वह कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहां तक निर्वाह कर रही है, वह हम नहीं कह सकते हैं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें जहां तक जानकारी है कि दो प्रतिशत पैसा दस किलोमीटर के रेडियस में खर्च होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है। इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए हम चाहेंगे कि आप बिहार के इस तेल आबंटन में, फर्टिलाइजर में पाइपलाइन के बारे में और आईओसी के बारे में जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान आकृष्ट किया, उसकी तरफ तवज्जों देने का काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): महोदय, मुझे इस पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग) के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य पाइपलाइनों से चोरी और उसकी तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने हेतु वर्ष 1962 के उक्त अधिनियम में संशोधन करना है। यह निःसंदेह स्वागत योग्य कदम और सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह विधेयक और कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था भी करता है। वास्तव में, मुझे कहना चाहिए कि यह काफी समय पहले होना चाहिए था देर आए दुरुस्त आए।

कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों और गैस को पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में पाइपलाइन डाली जा रही हैं। गत कुछ वर्षों से यह भारी कार्य कई गुणा बढ़ गया है। पाइपलाइनों से चोरी और उसकी तोड़फोड़ को रोकने हेतु सरकार के प्रयासों के बावजूद असामाजिक तत्व सरकार से सदैव आगे रहते हैं। अतः पाइपलाइनों से चोरी और उसकी तोड़फोड़ को रोकने हेतु सख्त दंडात्मक कार्रवाई में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि असामाजिक तत्व ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होने से पूर्व दो बार सोचें जिससे राजकोष की हानि होती है।

धारा 5 की उपधारा (2) के तहत पाइपलाइनों को जानबूझकर हटाने, क्षति पहुंचाने अथवा नष्ट करने पर कठोर करावास की सजा जी जाएगी जो कम से कम एक वर्ष की होगी और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मेरा मानना है कि यह असामाजिक तत्वों द्वारा पाइपलाइनों से चोरी और उसकी तोड़फोड़ की घटनाओं की संख्या पर विचार करने पर पर्याप्त नहीं है। अतः मेरा माननीय मंत्री को सुझाव है कि कठोर कारावास तीन वर्ष से कम होना चाहिए परंतु इसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए और उस पर जुर्माना भी लगे।

इस विधेयक की अन्य स्वागत योग्य विशेषता यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 धारा 15 की उप-धाराओं (2), (3) और (4) के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाती है। मेरा पूरा विश्वास कि यह प्रस्ताव पाइपलाइनों से चोरी और उसकी तोड़-फोड़ को रोकने में काफी कारगर सिद्ध होगा।

मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगी कि निगरानी तंत्र की केंद्रीय स्तर पर नियमित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। मैं जानती हूं कि देशभर में पाइपलाइनों के व्यापक नेटवर्क की निगरानी करना कठिन कार्य है। परंतु क्या पाइपलाइनों से चोरी और उनकी तोड़फोड़ को रोकने का कोई तरीका है। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार बड़े पैमाने पर पाइपलाइनों के तोड़ फोड़ और उससे होने वाले तेल की चोरी पर अंकुश लगाने वाले पहलू पर निगरानी करने हेतु विशेष ध्यान दे।

अंत में मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं कि विधेयक के पारित होने से यह एक बड़े निरोधक के रूप में कार्य करेगा और पाइपलाइन से होने वाले तेल की चोरी और तोड़ फोड़ में काफी कमी आएगी और इससे कम से कम देश में पाइपलाइनों से होने वाले तेल की चोरी और तोड़ फोड़ की बढ़ती घटनाओं से बहुत राहत मिलेगी।

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं हांलाकि यह इस संबंध में नहीं है, कृपया पहल करें ताकि हमारे राज्य, पश्चिम बंगाल में यथाशीघ्र पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति हो।

आपका धन्यवाद महोदया मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं यहां 9 मार्च, 2010 को पूर्व मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम यह विधेयक लाना एक स्वागतयोग्य कदम है। यह इस मायने में एक स्वागतयोग्य कदम है कि यह सरकार मंत्रालय और विभाग को पाइपलाइन बिछाने के लिए सशक्त करता है जो हमारे देश की आधारशिला मजबूत करेगी। लेकिन साथ ही मैं समझता हूं कि मेरे वकील मित्र जो इस सभा में आज उपस्थित हैं, इसका समर्थन करेंगे कि हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और मैं सशक्तिकरण के कतिपय पहलुओं पर विचार करूंगा जो इस पर रोशनी डालता है। धारा 2 की उप-धारा (4) में यह कहा गया है किः

"जो कोई यह कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि वह धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन को नुकसान करने वाला या नष्ट करने वाला है, ध्वज करने के आशय से पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल आदि"

यहां इस उपधारा (4) का पूरा आधार प्रकल्पित है। ये धारणा ऐसे लोगों को आतंकित करने की प्रक्रिया है जो निगम या सरकार के विरूद्ध अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का इरादा रखते हैं। इसलिए इस संबंध में मैं समझ सकता हूं कि जब आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, जब अति वामपंथी दल कुछ विध्वंसक कार्रवाई करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि सरकार एहतियाती कदम उठा सकती है। लेकिन वास्तव में में जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। जिस उद्देश्य के लिए इस विधेयक में खंड को अंतर्विष्ट किया गया है। वह सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए है। वास्तव में यह ऐसे लोगों को हतोत्साहित नहीं करता है जो तोड़ फोड़ करना चाहते हैं या जो व्यक्ति तेल की चोरी करना चाहता हैं। देश के कानून का पालन करने वाले लोगों को हमेशा पीड़ित किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को इस पहलू की जांच करनी चाहिए। आप ऐसे लोगों का कैसे विभेक्ष करेंगे जो लोगों की समस्याओं को विधिपूर्वक या लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहेंगे। ऐसे लोगों में वे कैसे विभेद करेंगे कि कौन अलगाववादी गतिविधि में लिप्त है या वामपंथी गतिविधि में लिप्त है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह, मैं कहूंगा कि यह विधेयक ऐसे लोगों के हित में है जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। मैं समझ सकता हूं जब पूर्वोत्तर क्षेत्र या असम में पाइपलाइन बिछाई जाती है जो बिहार और पूर्वोत्तर क्षेत्र जोड़ने वाले संकरे रास्ते या उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है। अलगाववाद इसका एक मुख्य कारण है। लेकिन साथ ही मैं स्थानीय हितों पर भी जोर दूंगा जहां गैस का उत्पादन किया जा रहा है या पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है और यह पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में उन पाइपलाइनों को बिछाया जा रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें कुछ सहायता मिल रही है या कुछ विकास कार्यकलाप हो रहा है। यह यह केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विशेष रूप से भारतीय प्रायद्वीप के तटीय राज्यों में भी बमुश्किल हो रहा है। वे तटीय राज्य भी शायद ही लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। पारादीप पत्तन के मामले को उदाहरण के तौर पर लें।

हाल ही में भारतीय तेल निगम ने पारादीप पत्तन विकसित किया है और एक पाइपलाइन बिछाया गया है। यह पाइपलाइन हल्दिया पत्तन तक बिछाया गया है क्योंकि हल्दिया पत्तन सिमट रहा है। यद्यपि आपके पास तेलशोधक कारखाने हैं, आप इसका उन्नयन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पारादीप में आप बहुत निवेश नहीं कर रहे हैं और आप इसे केवल हल्दिया के लिए पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ रहे हैं। इस संबंध में पारादीप से केवल तेल की ढुलाई की जाएगी। इसकी तुलना में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस पाया गया है। यह गैस उड़ीसा राज्य से गुजरती है और यह देश के अन्य भागों में जाती है। जैसाकि बिहार के हमारे विद्वान मित्र ने अभी उल्लेख किया है जिसका जिक्र रसायन और उर्वरक मंत्री ने कुछ वर्ष पहले मंत्री बनने के बाद उर्वरक संयंत्रों को पुर्नजीवित करने के बारे में कहा था। ताल्चेर एक उर्वरक संयंत्र है जिसे पिछले 15-20 वर्ष पहले बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है। एक समझौता हुआ है जिसे मैं पिछले दो वर्षों से अधिक समय से सुन रहा हूं। ओएनजीसी, फर्टिलाइजस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और कुछ अन्य कंपनियों को इसका हल निकालना है और इसे व्यवहार्य बनाना है ताकि संयंत्र कार्य कर सके। लेकिन चूंकि गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है अथवा गैस पाइपलाइन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तालचेर संयंत्र कार्य नहीं कर पा रहा है। यह एक प्रमुख कारण है। जब आप किसी राज्य से होकर एक गैस पाइपलाइन या पेट्रोलियम पाइपलाइन ले जा रहे हैं तो किसी राज्य को क्या लाभ मिलता है? यह केवल आपको भूमि प्रदान करेगा और राज्य सरकार को उस पाइपलाइन को रक्षा करनी होती है और उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना होता है। इस संबंध में मैं मंत्रीजी से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि सार्वजनिक भागीदारी और राज्य की सहायता के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया जाता है तो उन क्षेत्रों में अशांति की संभावना होती है।

बेशक जैसाकि उल्लेख किया गया है तेल की चोरी और तोड़ फोड़ की घटनाएं होती है और इसे रोकने के लिए कठोर कार्रवाई और दंड की आवश्यकता है। पाइपलाइन का जाल हमारे देश में बड़े पैमाने पर फैल चुका है और आपराधिक तत्वों द्वारा पाइपलाइनों की तोड़ फोड़ और तेल की चोरी की घटनाओं में बार बार तेजी से वृद्धि हो रही है। जब तक स्थानीय हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक केवल एक कानून बना देने से इस प्रकार की तेल की चोरी और तोड़ फोड़ की घटनाओं को आप रहीं रोक सकते हैं। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता में कम से कम चार उप धाराओं को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यहां मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब आप किसी पुलिस अधिकारी के गिरफ्तार करने, जांच करने और अभियोजन चलाने की शक्ति अपने अधिकारियों को दे रहे हैं तो आप इस विशेष कारण के लिए अत्याधिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर डाल दिया जाता है जिसके पास वाहनों, उपकरणों आदि के साथ कच्चा तेल या पेट्रोलियम उत्पाद या गैस पाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति अपराध करता है उसका उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया गया है।

आपने "निगम" का जिक्र कई बार किया है। इस "निगम" का क्या अर्थ है? अनेक तेल कंपनिया हैं। यदि इसका अर्थ सभी कंपनियां है तो यह अलग बात है।

मुझे ओएनजीसी के बारे में भी स्मरण कराया गया है। ओएनसीजी भारत में सरकार की एक सबसे बड़ी लाभकारी कंपनी है। हम सभी जानते है कि देश में तेल और गैस भंडार का पता लगाने में अन्वेषणकर्ता की असमर्थता एक सतत समस्या है। हाल ही में यह समाचार सामने आया और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्रीजी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ओएनजीसी अब अन्य तटों पर जा रही है, दक्षिण चाइना सी जा रही है और गैस तथा तेल का पता लगाने के लिए वियतनाम के साथ कुछ समझौता भी किया है। पता नहीं क्या होगा? एक कंपनी जो हमारे भूगाग में तेल या गैस का पता लगाने में असमर्थ है, विदेशों में प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि वहां पर इसको गैस प्राप्त होने की संभावना अधिक है। मेरी शुभकामना है कि ओएनजीसी को दक्षिणी चीन में गैस या तेल प्राप्त हो। क्योंकि इससे अन्य रूप में भी हमें मदद मिलेगी।

मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार दे सकती है। रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन की सबसे बड़ी सरकारी ऊर्जा कम्पनी, सी.एन.जी.सी, एक व्यापक समझौता तैयार करने के लिए ओएनजीसी का संपर्क किया है जिससे इसे भारत में तेल और गैस परिसंपत्तियों तक इसकी पहुंच हो जाएगी। क्या यह सत्य है? मेरे पास ऐसी सूचना है और अन्य बहुत से सदस्यों के पास भी हो सकती है। यह प्रयास चीन अन्य उद्देश्य के लिए कर रहा है। इसीलिए मैंने दक्षिण चीन सागर और ओ.एन.जी.सी. के पूर्व एशियाई देशों की ओर रूख करने के प्रयास के बारे में उल्लेख किया है लेकिन यहां पर चीन की कम्पनी सी.एन.जी.सी. ने ओएनजीसी से संपर्क किया है। कृपया सभा को बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है? क्या चीनी कंपनियों के साथ, हमारा, विशेषकर ओएनजीसी विदेश निगम का विदेशों में, कोई संयुक्त उद्यम है?

अमेरिकी कंपनी इनर्जी इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी, 2010 में आंकलन किया था कि भारत का प्रमाणित तेल भंडार लगभग 5-6 बिलियन बैरल है।

अपराह्न 5.00 बजे

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यही हमारी मजबूती है और हमारी परिसम्मत्ति है जो हमारे पास है। इसलिए महोदय आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. आर. नटराजन (कोयम्बटूर): महोदय, इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे चुनाव क्षेत्र में विशेष रूप से कोचीन बंगलौर पाइपलाइन पर कार्य शुरू हुआ था। इसका कृषको-केरल के 10 जिलों तथा तमिलनाडु के 10 जिलों के किसानों-ने इसका विरोध किया था। पहले से ही वे भयभीत थे कि गेल उनकी जमीन ले लेगा वे जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे बल्कि केवल वे अपनी इच्छानुसार पाइप डालेंगे।

गेल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उनका कहना है कि वे पाइप लाइन से 10-15 फीट तक की जमीन में कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं।

इस विधेयक में, दण्ड प्रक्रिया संहिता में पुलिस अधिकारियों को और अधिक शक्ति दे रहे हैं। इससे कृषकों और अन्य लोगों के बीच और अधिक भय पैदा होगा। आगे उनका सुझाव है कि पाइप लाइन को कृषि भूमि से लाने के बदले वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यथा संभव स्थानों का उपयोग कर सकते हैं। पहले ही इस मंत्रालय को कई यूनियनों द्वारा सुझाव दिया गया था और मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है।

खंड 16 (क), (ख), (ग) और (घ) के संशोधन में वे भूमि मालिकों के बारे में बात कर रहे हैं। धारा 16 (ख) में कहा गया है।

"जिनके पास से पेट्रोलियम उत्पादो-कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, गैस, औजारों सहित वाहनों आदि जिनका अपराध करने में उपयोग किया गया जब्त होते है या जो उसका मालिक होने का दावा करते हैं।"

इसमें यह कहा गया है "औजारों के मालिक या जमीन के मालिक...।" अतः मैं मंत्रालय से अनुरोध कर रहा हूं कि इस संबंध में कुछ आश्वासन दें। इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिये। अतः इस विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है। वे पहले से ही परेशान हैं कि मंत्रालय के कदमों से कृषकों को अपने जमीन पर खेती करने आदि की अनुमति छिन जाएगी। इन संशोधनों के कारण अब वे और अधिक डर जाएंगे। मंत्रालय द्वारा इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि मालिक को यह साबित करना होगा कि वह दोषी नहीं है। गलत लोग इस मौके का दुरूपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस डर को स्पष्ट करें। इस प्रावधान का पुलिस अधिकारियों द्वारा भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसे स्पष्ट करना होगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): माननीय सभापति जी, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2010 के समर्थन में मैं खड़ा हूं।

इस विधेयक को सदन के सामने रखते हुए मंत्री जी ने जो उद्देश्य और कारण दिये हैं, उनमें मुख्य उद्देश्य उन्होंने यह दिया है कि जो हमारा क्रूड ऑयल, गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जमीन के अन्दर से पाइप लाइन द्वारा जिनका वहन किया जाता है, इसमें चोरी हो रही है या इन पाइप लाइनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है या अलग-अलग जो माफियाज़ हैं, उनकी ओर से या कुछ आतंकवादी गुटों की ओर से इस प्रकार की धमकियां आती हैं और इसलिए हमारा जो कानून है, उसमें कुछ कड़ी सजा के प्रावधान की आवश्यकता है। उसमें आपने यहां पर सुझाव दिया है कि तीन साल से लेकर 10 साल तक का सजा होनी चाहिए। साथ-साथ आपने दंड के बारे में भी कहा है, लेकिन आप कितना दंड लेंगे, कितना जुर्माना लेंगे, यह आपने यहां निश्चित नहीं किया है, लेकिन अधिक से अधिक जुर्माना लेने की आवश्यकता है। एक चिंता भी आपने इसमें जतायी है कि चोरी तो है, लेकिन चोरी के साथ-साथ यदि किसी बुरे उद्देश्य के कारण यदि कोई आतंकवादी गिरोह उसे ध्वस्त करता है, तो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावना है। इसका सीधे आम जनता से संबंध हो सकता है। इसलिए इस संशोधन को करते हुए चोरी को और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं या इस प्रकार के संगीन अपराध यदि जानबूझकर किए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए यह संशोधन विधेयक आप लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं समर्थन करते हुए एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। जो हमारी पाइपलाइन्स हैं, वे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरती हैं, क्योंकि आज भी हमारा देश सत्तर प्रतिशत ग्रामीण है। जब ग्रामीण इलाकों से पाइपलाइंस जाती हैं, तो कई बार हमें दिखायी देता है कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है, कृषि लायक जमीन है, खेती की जमीन है, उस जमीन से पाइपलाइन जाती है। किसान इसमें सहयोग करते हैं। वे इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है, जब हम उनकी जमीन से पाइपलाइन डालते हैं, क्योंकि हम जमीन नहीं खरीदते हैं, केवल उपयोग के लिए उसका अधिकार ले लेते हैं, अर्जन करते हैं उसका उपयोग करने के लिए, लेकिन जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह पाइपलाइन गांव से गुजरती है, तो जिन किसानों के जमीन से यह गुजरती है, उनका भी सहयोग हमें लेने की आवश्यकता है। यदि हम किसानों का सहयोग लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो सकता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिन किसानों के जमीन से पाइपलाइन गुजरती है, उनको सही मुआवजा दिया जाए। सही मुआवजा दिया जाए। सही मुआवजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत कम होता है, क्योंकि बाद में वह जमीन कृषि लायक नहीं रह जाती है। यद्यपि हम उनको कहते हैं कि उसके ऊपर आप बाद में खेती कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कारपोरेशन की पाइपलाइन देखिए, एक बार वहां पाइपलाइन बिछायी जाती है, तो उसके बाद वह जमीन कृषि लायक नहीं रहती है, वह खत्म हो जाती है। एक तो कृषि खत्म हो जाती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार के बड़े पेड़-पौधे आप नहीं लगा सकते हैं या कोई बागवानी करना चाहे तो वह नहीं कर सकते, इसके लिए भी रोक है। इससे किसानों का भारी नुकसान होता है। जिन किसानों की जमीन हम पाइपलाइन के लिए लेते हैं, उनकी नाराजगी सामने आती है। उस नाराजगी के कारण यदि कोई जानबूझकर चोरी भी करता हो, उसे तोड़ता भी हो, तो किसान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यदि आप उसको सही मुआवजा दें, उसके यहां पेड़-पौधे नहीं लगते हैं, तो इसके लिए भी उसको सही मुआवजा मिले तो किसान भी आपको सहयोग करेगा और चोरी कम हो जाएगी। एक तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिन किसानों की जमीन से पाइपलाइन जाती है, उनका मुआवजा बढ़ाया जाए जो पेड़ पौधे हैं, जिनकी कटाई होती है और उसके बाद में वहां नहीं लगा सकते या वहां बागवानी

नहीं कर सकते हैं इसलिए सही मुआवजा किसानों को मिले तो उनका सहयोग हमें मिलेगा।

महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। आप इसका भी प्रावधान करें कि उसकी सुरक्षा को आपको देखना है। यदि इस सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उसी विलेज पंचायत को सौंप दें, जिस गांव से पाइपलाइन गुजर रही है, यदि हम विलेज पंचायत के ऊपर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दें तो कुछ हद तक उस विलेज के बेरोजगार को रोजगार भी मिल सकता है या उसकी समिति बनाइए। जैसे पानी के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने समितियां बनायी हैं, वन विभाग में भी इस प्रकार की समितियां बनी हैं। उसी प्रकार की विलेज की समिति बनें या विलेज पंचायत के ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दें और सालाना यदि कुछ धनराशि हम विलेज पंचायत को दें, जो विलेज के विकास में भी काम आ सकती है और विलेज पंचायत उसकी सुरक्षा भी करेगी, तो निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। जो जानबूझकर आपका नुकसान किया जाता है या तोड़-फोड़ की जाती है, इसमें निश्चित रूप में कमी आएगी। आप सुरक्षा के ऊपर खर्च तो कर रहे हैं, यदि इसकी जिम्मेदारी विलेज पंचायत को सौंपी जाए और विलेज पंचायत को सालाना कोई धनराशि दी जाए तो निश्चित रूप से कुछ रोजगार के अवसर भी उससे हो सकते हैं। उसी धन राशि से उस विलेज पंचायत का विकास भी हो सकता है। इस बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक सोचे। किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाए और सुरक्षा की जिम्मेदारी विलेज पंचायत को सौंपी जाए और उनको सालाना धनराशि दी जाए। मुझे विश्वास है कि जो कानून आप लाने जा रहे हैं वह कानून तो जरूरी है, आप इसको लाइएगा। मैं एक बात और यह कहना चाहूंगा कि केवल कानून लाने से यह मसला हल नहीं होगा। जो कानून हम लाएंगे उसे सख्ती से लागू भी करना चाहिए। सरकार को इसे सख्ती से लागू करने का साहस भी दिखाना चाहिए। यदि हम सही मुआवजा देकर इसमें विलेज पंचायत और किसानों का सहभाग लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप में चोरी कम हो सकती है। सरकार इस की ओर ध्यान दे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस विधेयक के शुरुआत में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश भर में एक प्रचलित मुहावरा है कि "पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल।" अभी जैसे अंग्रेजी पढ़ाई होती है और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बड़े लोग माने जाते हैं उसी तरह से पुराने समय में फारसी पढ़ने वाले लोग बड़े लोग माने जाते थे। उस समय राजभाषा फारसी थी। तेल बेचने का काम सबसे खराब काम माना जाता था। पढ़े फारसी, बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। अभी तेल बेचना उस मंत्रालय के लिए मारा-मारी का काम है। अभी एक भले आदमी मंत्री हैं। शायद, वे बाहर गए हैं। यह जो विधेयक लाया गया है, सरकार ने दावा किया है, सन 1962 में यह कानून बना था। उसके 50 वर्षों के बाद इन्होंने दावा किया कि बहुत भारी धमकियां, आतंकवादी, उग्रवादी हैं, पाइप लाइन में तोड़-फोड़ विध्वंस एवं हेरा-फेरी हो सकती है। तेल एवं गैस पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसे तोड़-फोड़ और ध्वंस न हो इसके पहले हल्का कानून था, वह कम सजा वाला कानून था। वह साफ नहीं था इसलिए अब भारी कानून बना रहे हैं। इसके अंतर्गत अपराध के लिए भारी दंड दिया जाएगा। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि पचास वर्षों में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। तोड़-फोड़ और विध्वंस की कितनी शिकायतें आई हैं? हम यह जानना चाहते हैं। चूंकि आपने दावा किया है कि हम इसे वास्ते कड़ा कानून ला रहे हैं। पचास वर्षों में सरकार के संज्ञान में इस तरह की कितनी बातें आई हैं जिससे आप इस तरह के कानून लाने के लिए उत्साहित हो गए हैं। इसके द्वारा बड़ा भारी दंड देंगे और कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा है कि तेल के पाइप को कोई तोड़ देगा उसमें से कोई तेल की चोरी कर लेगा, कोई पाइप को तोड़ देगा या विध्वंस कर देगा। निरीक्षण अधिकारी गश्ती करते हैं। इनका निरीक्षण अधिकारी गश्ती नहीं करेगा और पाइप पुराना होकर लिक होने लगेगा, तेल की बर्बादी होगी। इसके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है? हम यह जानना चाहते हैं। अगर आतंकवादी दुर्घटना करेगा तो उसके लिए उसको बड़ा भारी दंड मिलेगा। हम लोगों को कहते हैं कि उसे दस वर्ष की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। यह बड़े ही कमजोर मन से किया है लेकिन लिखा है कि दस वर्ष की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी या फांसी तक की सजा हो सकती है। हम सरकार से इस पर सफाई चाहते हैं कि इन्होंने जो दावा किया है कि उसमें गश्ती और निरीक्षण में कमी होने के चलते, गैस या तेल लिक कर जाए, यदि तेल बह रहा है तो गांव के लोग यदि एक-दो बाल्टी उठा कर ले जाएंगे और वे पकड़े जाएंगे तो उनको दस वर्ष की सजा होगी। जिनको गश्ती और निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है उन अफसरों का क्या होगा? उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है कि इनका निरीक्षण और गश्ती कमजोर होगा या नहीं होगा? उसके चलते पाइप लीकेज हो सकती है या नहीं। हम देखते हैं कि पानी बहता रहता है। क्या उसे कोई देखने वाला है? वह पानी है। लोग कहते हैं कि पानी की तरह पैसे बहा रहा है। लेकिन अब जमाना यह है कि पैसे की तरह पानी का संयोजन करो। यह पानी और पैसे का सवाल है। मैं तेल और गैस का सवाल उठा रहा हूं कि तेल और गैस की तीन-चौथाई खपत बाहर से आती है, हम इम्पोर्ट करते हैं। यहां बराबर दाम बढ़ाते जाते हैं, कहते हैं कि एक बैरल तेल के दाम बढ़ गए। इसलिए दस खेप, बीस खेप तुगलक की तरह दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए कानून में कहां प्रावधान है। उसके लिए आप कौन सा आजीवन

कारावास देंगे या दे रहे हैं? यह ठीक है कि अपराधी के लिए कौन कहेगा कि उसे छोड़ दिया जाए, सजा कम की जाए या ज्यादा सजा क्यों दी। लेकिन साफ कानून नहीं है। दंड में दस वर्ष की सजा, आजीवन कारावास और फांसी तक, यह कौन सा कानून हुआ?

एफआईआर कौन करेगा। मान लीजिए किसी ने तेल चुरा लिया तो इनके अधिकारी को कैसे खबर होगी। गांव वाला व्यक्ति खबर देगा तो वह धरा जाएगा। एफआईआर कौन करे? पुलिस वाले अपने अधिकारी को अरैस्ट करने, इनवैस्टीगेशन आदि की पावर दे रहे हैं। तेल बेचते-बेचते और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते-पहुंचाते पुलिस अधिकारी जांच करेगा। यह कौन सा कानून हुआ? आप देखिए, बिल में प्रावधान है। केन्द्र सरकार अपने अफसर को इसकी पावर दे देगी। यह लिखा हुआ है। ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम लाइन टू लाइन पढ़कर इन्हें ठीक करते। यह प्रावधान है। एफआईआर कौन करेगा, कैसे, किसे कहेगा? गांव वाले पकड़वाएंगे। जिस गांव से पाइप लाइन जा रही है, अगर वह अपने आप लीक हो गई तो इन्हें कैसे खबर होगी। इनके गस्ती या निरीक्षण में क्या होता है। इसलिए हमें इस कानून में यह बहुत खतरनाक बात लगती है।

इन्होंने दंड का प्रावधान किया है। इन सभी बातों की सफाई होनी चाहिए। बिल में देखा जाए। उसमें लिखा है जहां शारीरिक क्षति होने की संभावना है या मृत्यु कारित हो सकती है, विस्फोट होने या टूटने से क्षति होने वाली है या हो, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकेगा। यानी ऐसा लिखा है, होगा कुछ नहीं। भयभीतकारी कानून ला रहे हैं। क्या भयभीतकारी कानून से आतंकवादी या उग्रवादी मानेगा? सरकार की क्या सोच है, क्या दर्शन है?

मैं पावर के बारे में पढ़कर सुना देता हूं जिनके अधिकारी को पावर हो जाएगी। हमारा प्रथम सवाल मंत्री जी समझ गये होंगे। दूसरा, गश्ती निरीक्षण में लापरवाही के लिए इन्होंने क्या कानून बनाया है? यह सवाल भी हो गया। यदि इनकी पाइप में लिकेज हो गयी और हमारा गांव वाला व्यक्ति इन्हें खबर करेगा या हल्ला मचायेगा, तो आप उसे कुछ पुरस्कार देंगे या दंड देंगे? इसका क्या प्रावधान है? मान लिया कि इनकी पाइप में कहीं लिकेज हो रही है या वह खराब हो गया और इनका अधिकारी नहीं पहुंचा, तो गांव के व्यक्ति ने हल्ला मचाया कि अरे भई लिकेज है, लिकेज है या चोरी हुई, तो वही पकड़ा जायेगा। उसकी कहां सुरक्षा है? ...*(व्यवधान)* उसी को पकड़ेंगे। उसके लिए कुछ पुरस्कार देने का इंतजाम है या नहीं? इतनी बड़ी पाइप लाइन है, यानी असम से लेकर बरौनी तक पाइप लाइन है, देश भर में सब जगह पाइपलाइन ले जा रहे हैं। अब विदेश से तेल आना है। वह समझौता नहीं हो रहा, नहीं तो ईरान से गैस पाइपलाइन थ्रू पाकिस्तान आदि से सब आने वाला है। इसमें इतना विस्तार नेटवर्किंग हो रहा है पारादीप से, मेहताब जी चले गये, वे भाषण कर रहे थे कि उनका भी हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे। उसके क्या इन्होंने क्या इंतजाम किया है? जो लोग इसकी सूचना देंगे, उसके लिए कुछ पुरस्कार देने का प्रावधान होता, तो हम कहते कि लोग प्रोत्साहित होंगे। उस पर जनता भी निगरानी रखेगी, नहीं तो कोई भी व्यक्ति खबर ही नहीं देने जायेगा और इधर बर्बादी हो जायेगी। यह गैस पाइपलाइन की बात है, जिसे यह एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे। इसके अलावा पेट्रोल, तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बीच में जो हेरा-फेरी होती है, उसके लिए इन्होंने कौन सा कानून बनाया है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, यह विधेयक आधे मन से लाया गया है। उसमें बातें, दावा बहुत ज्यादा किया गया है, लेकिन उसके मुताबिक इन्होंने समाधान नहीं किया है। इन बातों को माननीय मंत्री सदन में साफ करें, क्योंकि यह अहम मामला है। तेल का एक समय था, लेकिन अभी तो तेल के लिए दुनिया भर में मारा-मारी, विश्व युद्ध आदि चल रहा है। आज लोगों के जीवन के लिए तेल और गैस बहुत उपयोगी हो गयी है। उसी से एनर्जी आदि सारा संचालन आदि किया जा रहा है। गाड़ियों की वृद्धि से जान की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी बातें साफ होनी चाहिए। यह विधेयक बहुत संतुलित नहीं है और जो समस्या है, उसके समाधान के लायक नहीं लगता है। यह विधेयक आधे मन से लाया गया है। इन सभी बातों को साफ किया जाये।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के लिए संशोधन किया जा रहा है वह पूरा होगा।

पाइप लाइन के संचालकों के लिए तोड़ फोड़ की घटना चिंता का मुख्य विषय है क्योंकि इससे तेल कंपनियों के लिए कई खतरे पैदा होते हैं। देश में इस समय 53, 189 किलोमीटर कार्यात्मक पाइप लाइनों का जाल बिछा है। देश में 2006 से 2009 के बीच तेल और गैस की चोरी के 311 मामले आए थे और इसके परिणामस्वरूप इस दौरान 14.32 करोड़ रुपये की क्षति हुई। इसलिए यह विधेयक इस दिशा में निश्चितरूप से एक समकारात्मक कदम को दर्शाता है कि तेल कंपनियों ज्यादा सुरक्षित होगी और कारोबार की निरंतरता को बनाए रखा जा सकेगा और चोरी के नकारात्मक प्रभवों जैसे जीवन की क्षति न्यूनतम होगी।

मूल विधेयक के खंड 15, उपखंड (2) में यद्यपि 'इच्छानुसार' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन एक संशोधन नोटिस के माध्यम से माननीय मंत्री अब उपयुक्त स्थानों पर 'इच्छानुसार' शब्द को जोड़ना चाह रहे हैं। इसको और अधिक तर्कपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए 'इच्छानुसार' शब्द के अन्तःस्थापन द्वारा इसके शुद्धिकरण के लिए माननीय मंत्री के प्रयास की मैं सराहना करता हूं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया, के विचारार्थ केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। राजस्व हानि, डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में व्यवधान और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संवर्धन चोटी के नकारात्मक प्रभाव पर विचार करते हुए, मैं समझता हूं कि इस विधेयक में एक प्रावधन और सम्मिलित किया जाए जिसमें तेल और गैस कंपनियों को अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा अनुसंधान को मजबूत करने तथा चोरी रोकने तथा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए विकास सुविधाओं के लिए निर्देश दिया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के विधेयक या संशोधनों से सरकार अकेले ऐसी सारी चीजों को नहीं रोक सकती। तेल और गैस कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

अभी-अभी माननीय सदस्य, श्री महतो और श्री नटराजन ने सुझाव दिया कि गैस पाइपलाइन को रेल लाइन तथा राजमार्गों के साथ-साथ बिछाने की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल तभी हम तोड़ फोड़ या चोरी को कुछ हद तक कम या न्यूनतम कर सकते हैं। इसलिए मंत्री महोदया इन मुझावों को ध्यान में रखें।

मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय तोड़-फोड़ तथा चोरी की घटनाओं को न्यूनतम या कम इन सुझावों पर उचित ध्यान देंगी।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय मैं आप को पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का यह अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

[हिन्दी]

जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसे प्रप्रोज किया है, इसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। *[अनुवाद]* विभिन्न प्रकार की क्षति हैं आंतकवादियों या अतिवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया नुकसान भी है। इस प्रकार के नुकसानों से निपटने का तरीका भिन्न होना चाहिये। वास्तव में उन्होंने जो भी अभी प्रस्ताव रखा है सही है। लेकिन यदि नुकसान माफिया के कारण या लोगों के कारण तथा गैस और खजिन तेल की चोरी से नुकसान हुआ हो।

[हिन्दी]

उसके लिए भी एक तरह से देखना चाहिए। *[अनुवाद]* इसके बाद नुकसान यदि परियोजना के विरुद्ध जन आंदोलन के कारण होता है।

[हिन्दी]

अगर जो भी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होता है, उस वक्त अगर उसको अपोज करने के लिए, अगर कोई पब्लिक अपोजिशन या ग्रीवान्सेंज है, तो प्रोजेक्ट को डिफ्रेंट होना चाहिए। अभी इसके लिए पहले जो प्रपोज किया है, उसमें सब इक्वलाइज कर दिया है। इसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। जिसके गांव से पाइपलाइन जाने का है, जिसकी जमीन से जाने का है, उस तरह से पब्लिक उसको नहींचाहता है, उसका मुआवजा ठीक से नहीं मिलेगा, उस टाइम में जो पब्लिक एजिटेशन होता है, उस टाइम में यह जो प्रपोज किया है, उसके अंदर नहीं आना चाहिए।

अपराह्न 05.27 बजे

[**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी के अनुसार पाइपलाइनों का विनिर्देशन सहित संरक्षा और सुरक्षा की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। संरक्षा और सुरक्षा की सतत निगरानी की जिम्मेदारी मालिकों को होनी चाहिए। *[हिन्दी]* उन सभी चीजों को टाइम टु टाइम इवैल्यूएट करना चाहिए। उसका सैफ्टी एंड सिक्योरिटी की मेंटिनेंस की मॉनिटरिंग और उसकी रिस्पांसिबिल्टी पाइपलाइन्स ओनर्स के पास रहनी चाहिए। आपने जैसा बताया था, अगर उसका लीकेज होगा, तो उसको कॉमन मैन ले लेगा, वह पनिशमेंट में नहीं आना चाहिए। *[अनुवाद]* संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पाइपलाइन मालिकों की होनी चाहिए। *[हिन्दी]* उसके लिए भी प्रॉविजन होना चाहिए। *[अनुवाद]* यदि सही रख रखाव और निगरानी नहीं हो *[हिन्दी]* उसके कारण अगर लीकजेज होता है, उसके लिए कॉमन मैंन पर इन अमेंडमेंट्स को लागू नहीं करना चाहिए। यह भी देखना पड़ेगा। यह अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार ने क्यों सोचा है, इंडिया में अभी तक कितनी इंसिडेंट्स हुई हैं, कितनी डैमेजेज हुआ है, टोटल डैमजेज की कॉस्ट क्या है, ये चीजें भी इसमें मालूम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्वाइंट है कि अगर मान लीजिए *[अनुवाद]* कि अनेक तरह के नुकसान है। *[हिन्दी]* लेकिन डैमेज होने की वजह से जो थर्ड पार्टी लॉस होता है, फार एग्जाम्पल कोई भी विलेजर्स की प्रॉपर्टी लॉस होता है। अगर थर्ड पर्सन का लॉस होता है, उस लॉस को

कवर करने के लिए इसमें प्रोविजन होना चाहिए। पूरे गांव से पाइपलाइन जाती है और खेत में से होकर गुजरती है, तो उसकी वजह से उस गांव की प्रापर्टी या आदमी के लॉस होने का भी खतरा बनता है इसलिए उसका प्रोविजन इसमें होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदानापुर): सभापति महोदय, हम (पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बहुत कम कार्य क्षेत्र हैं। हम पूरे पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र पर चर्चा नहीं कर सकते। यह संशोधन पाइप लाइन का अनधिकृत कनेक्शन का अपराध करने और आपूर्ति बाधित करने के लिए दंड बढ़ाने के बारे में है। सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा है। इसे यहां बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। धारा 15(4) यह प्रस्ताव करता है कि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी पाइप लाइन को क्षति पहुंचाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन सजा या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है। इसे मृत्यु दंड तक भी बढ़ाया जाएगा। मैं इस कठोर कार्रवाई के पक्ष में हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कठोर कार्रवाई के लिए इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यदि इसे बढ़ाया जाता है तो इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय होना चाहिए। इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। यह मेरी पहली बात है।

मेरा दूसरा मुद्दा भी है। विधेयक केन्द्र सरकार के अधिकारियों को गिरफ्तार करने, जांच करने और अभियोजन चलाने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सरकारी अधिकारी इस संबंध में सर्वेसर्वा होगा। सामान्य तौर पर कई मामलों में यह आरोप लगाया जाता है कि अपराध अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया जाता है। अब विधेयक सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करने, जाचं करने और अभियोजन चलाने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। इसलिए दुरूपयोग की समानता है और विभिन्न स्तरों पर सांठ-गांठ की संभावना है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सरकार को इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। पर्याप्त सुरक्षोपाय होना चाहिए ताकि दुरूपयोग न हो।

मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं। विधेयक यह प्रस्ताव करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियुक्त को जमानत पर हिरासत से या उनके निजी मुचलके पर तब-तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध का अवसर न दिया गया है। दुर्घटनावश या गैर-इरादतन कार्रवाई के लिए उत्पीड़न को रोकने के लिए अभियुक्त के अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए जो उपधारा 15 के उपबंधों के अंतर्गत आता है। बेशक यह प्रावधान वहां होना चाहिए और यह सावधानी बरतनी जानी चाहिए।

मुझे दो महत्वपूर्ण बातें कहनी है। सभापति महोदय, आप यह बात पहले कह चुके है और मैं इसका समर्थन करता हूं। यदि कोई नुकसान अनदेखी के कारण और रखा रखाव के अभाव में होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए एक उपबंध होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के कंधे पर सब कुछ डाल देना जो अपराध करता है, पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है।

मेरी पांचवी बात जमीन मैं बिछाई जा रही पाइपों के बारे में है चाहे वह भूमिगत हो या जमीन के सतह पर हो। सामान्य तौर पर पाइपलाइन किसानों की भूमि को क्षति पहुंचा सकती है। किसानों के लिए आपके पास देने को क्या है? बिजली लाइनों के मामले में किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है लेकिन यदि हम रेलवे भूमि पर लाइन बिछाते हैं तो बिजली लाइन बिछाने हेतु भारी धनराशि वसूली जा रही है। तथापि किसानों को इसे हेतु कोई मुआवजा या कुछ और प्रदान नहीं किया गया है। पाइपलाइन के मामले में किसानों को कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता है।

माननीय सदस्य श्री भर्तृहरि महताब ने राज्यों के बारे में इस मुद्दे को उठाया है। यह अच्छी बात है कि परिवहन जो राज्यों में हो रहा है को लाभप्रद बनाया जाना चाहिए और उन्हें कुछ प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन किसानों और ग्रामीण लोगों का क्या होगा? इसलिए इस प्रकार का उपबंध होना चाहिए।

महोदय, मैंने अपना सटीक सुझाव दिया है और मैं समझाता हूं कि माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर के दौरान इंन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

महोदय, मैं आलोचनात्मक रूप से ठंडे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। पाइपलाइनों की नियमित पेट्रोलिंग और निरीक्षण के बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा

चोरी और तोड़ फोड़ की बड़ी संख्या में घटनाएं हमारे देश में जल्दी-जल्दी होती रहती हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। क्योंकि इस अवसर पर यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। क्योंकि इस अवसर पर यह बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक है। तेल हमारे देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। तेल हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई देशों से पेट्रोलियम पदार्थ आयात कर रहे हैं हमारे ऊपर तेल का बोझ भी अधिक है। इसलिए इस तेल के बोझ से बचने के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। हमें तेल की चोरी को रोकना होगा। यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि असामाजिक तत्वों और माफिया समूह को हमारे समाज से समाप्त करना होगा। हम केवल तभी तेल और तेल उत्पादों को बचा सकते हैं। इन असामाजिक तत्वों के लिए हमें बड़े दंड का प्रावधान करना होगा। इस अधिनियम को अब संशोधित कर दिया गया है और इसमें उपधारा (3) और (4) को भी जोड़ा गया है। इसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। कभी-कभी माफिया समूह चौकसी और निगरानी में लगे अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यह गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने से संबंधित है। यह धारा उक्त अधिनियम की धारा 2 या उपधारा (4) और धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तारी से जुड़े हुये किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा।

यह धारा 438 उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब इसमें यह अधिनियम अंतःस्थापित हो।

इन लोगों के लिए जमानत की कोई संभावना नहीं है जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। वे चोरी में लिप्त पाए जाते हैं तथा हमारे पाइपलाइन कनेक्शन को क्षति पहुंचा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश के लिए पेट्रोलियम पदार्थ का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यह माफिया समूह से जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है और उन्हें रोका जाना चाहिए। ऐसे लोगों को और अधिक दंड दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री एस. सेम्मलई ने एक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया कि पाइप लाइन कनेक्शन को राजमार्ग क्षेत्र तथा रेलवे लाइन के साथ-साथ ले जाया जाए। यह सहायक होगी। इससे कृषकों के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। कृषकों के लिए यह सहायक होगी। जब पाइप लाइन को राजमार्गो के क्षेत्र से होकर बिछाया जाएगा, यदि राजमार्ग विभाग द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो इससे असामाजिक तत्वों गतिविधियों से बचने में मदद मिलेगी। असामाजिक तत्वों की सभी गतिविधियों से बचा जा सकता है। और उन्हें रोका जा सकता है तथा इसकी निगरानी की जा सकती है।

अब मुझे एक बात और कहनी है। चेन्नई पेट्रोलियम निगम भी कार्यरत है। यह तेल शोधन का कार्य कर रहा है। यह चेन्नई पत्तन से मनाली तेल शोधक कारखाने तक एक पाइप लाईन कनेक्शन है। इसने एक नया प्रस्ताव दिया है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। मैं माननीय मंत्री से इसकी जांच करने का अनुरोध करूंगा। यह सरकारी लिमिटेड कंपनी है। इसने पोर्ट से रिफायनरी तक एक पाइपलाइन कनेक्शन का प्रस्ताव रखा है। एक नई सड़क नियोजन परियोजना काभी प्रस्ताव है। राजमार्ग विभाग ने सी.पी.सी.एल. को राजमार्ग के किनारे-किनारे पाइप लाइन कनेक्शन बिछाने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने भी अनुमति दे दी है। आगे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अनुमति दे दी है। इसे सभी तरह की अनुमति मिल गई है। तब जब पर्यावरण मंत्रालय की बारी आती है तो यह लंबित नहीं है। यह सरकारी लिमिटेड कंपनी की बहुत ही महत्त्वपूर्ण परियोजना है। यह हमारे देश के लिए सहायक होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में सी.पी.सी.एल. की मदद करें।

भारतीय तेल निगम का एक पाइप लाइन कनेक्शन है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। चेन्नई से मदुरै तक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए एक पाइप लाइन कनेक्शन है। खुदरा केन्द्रों को पेट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। जब हम ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह महंगे पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त चोरी भी होती है। कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाते हैं। इसलिए यह मददगार साबित होगा यदि उसी पाइप लाइन को तिरुनेलवेली तक बढ़ा दिया जाये। चेन्नई से मदुरे तक पाइपलाइन पहले से ही मौजूद है। तिरूनेलवेली जिले के दक्षिणी भाग का केन्द्र है। इस पाइप लाइन से खुदरा दुकानदारों को लाभ होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो लंबित है। इसलिए, कृपया मदुरै से तिरूनेलवेली तक पेट्रोल और डीजल की पाइप लाइन का विस्तार किया जाए।

अब मैं सभा के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक पाइप लाइन लंबित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। काकीनाड़ा से चेन्नई तक एक गैस पाइप लाइन कनेक्शन है। पांच साल पूर्व इसे रिलायंस कंपनी को दिया गया है। इसके साथ गुजरात और तमिलनाडु तूतीकोरीन तक गैस पाइप लाइन पहुंचाने का समझौता किया गया था। कृष्णा बेसिन से उत्पादित गैस पहले से ही गुजरात भेजी गई है। पाइप लाइन को चेन्नई और तूतीकोरीन तक विस्तार करने संबंधी एक समझौता लंबित पड़ा है। यह समझौता अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे

तिरूनेलवेली और तूतीकोरीन तक गैस पाइप लाइन दे दें। केवल तभी यह हमारे क्षेत्र में उद्योगों के विकास तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार में भी मददगार साबित होगा।

अब में अपनी अंतिम बात कहना चाहता हूं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दामों में उतार-चढ़ाव हो रहा हो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमत को कम करने का एक साहसिक कदम उठाया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम की जाती है तभी हमारी सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम की जाती है।

हमारे संप्रग सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पूर्व किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था। पेट्रोलियम की कीमत दो अवसरों पर कम की गई थीं। जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि की गई थी तब पूरे विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया था। जब दो अवसरों पर सरकार ने पेट्रोल की कीमत कम की थीं तो किसी ने भी सरकार की सराहना नहीं की। पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए सरकार की सराहना करने हेतु विपक्षी दलों की आगे आना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्र के विकास के लिए हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यहां नहीं है।

सभापति महोदयः यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबेः जी नहीं, आप कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। मैं कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति की मांग कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और कोई भी कैबिनेट मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, तेल की पाइपलाइन की चोरी इत्यादि पर विधेयक आया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि तेल में खेल है और उस खेल में भी खेल है। क्या आप तेल में जो खेल है, उसको पकड़ने में सक्षम हो सकेंगे? तेल चलता कहां से है? तेल के कुंए से तेल निकलता है या बाहर से आता है और बन्दरगाह पर जहाज से उतरता है। वहां से तेल चलता है और रिफाइनरी में आता है। और रिफाइनरी से डिपो में जाता है डिपो से टैंकर में जाता है और टैंकर से पंप पर जाता है। और पंप से गाड़ी में तेल आता है। अब इतनी जगह तेल को पाइप से लाना और फिर टपकाना, फिर उसे लादना, फिर आगे टपकाना, जितनी बार तेल टपकता है, उतनी बार उस तेल में से छीजन निकलते जाता है। तेल का छीजन केवल चोरी के जरिये या पाइपलाइन के जरिये नहीं है। आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के शिखर से लेकर सतह तक अगर सारे प्रबंधन में लगे हुए अधिकारी ज्यादा नहीं अगर 95 प्रतिशत ईमानदारी के साथ काम करने लगें तो भारत सरकार के केवल इस पैट्रोलियम मंत्रालय से बजट के एक तिहाई से अधिक पैसा प्रणब बाबू को आप दे सकते हैं। बाहर से अगर कोई चोरी करता है, कोई आतंकवादी पाइप से अगर चोरी करता है, उसको तो हम देखते हैं लेकिन विभाग के अंदर जो यह तेल में खेल है, उसको पकड़ने के लिए क्या कहीं कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है।

पाइपलाइन से जब तेल चलता है तब वहां से डिपो में कितनी चोरी होती है? क्या किसी को पता है? डिपो से जब टैंकर में तेल लादा जाता है, उस समय हर टैंकर में तेल कम पड़ता है और वहां से कम तेल पंप पर जाता है और पंप में जो तेल कम पड़ता है, वह उपभोक्ता को जाता है, इसीलिए अंत में जाकर सारा बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। गोलमाल करे कोई और उसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से इसको रोकने की कोई व्यवस्था है? दूसरे, एक चोरी का कारण जो मजबूरी में है कि जो तेल के रोजगार में लगे हुए हैं, माननीय सदस्य ने उठाया था और शैलेन्द्र कुमार जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि जो तेल के रोजगार में लगा हुआ पेट्रोल पंप का डीलर है, चाहे उसका होने वाला टैंकर है, उसका किराया आप बांधे हुए हैं, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो रुपये में प्रतिशत के आधार पर क्यों नहीं बांध देते हैं कि इतना प्रतिशत उसको तेल का कमीशन मिलेगा, इतना प्रतिशत टैंकर का किराया रहेगा। ज्यों ज्यों तेल के दाम बढ़ेंगे, उसका कमीशन भी बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ता जाए लेकिन उसका किराया नहीं बढ़े तो आखिर इस तेल के रोजगार में जो टैंकर वाला लगा है या जो डीलर पंप पर लगा है, वह कहां से इसकी पूर्ति करेगा? वह कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी करता है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल की अगर कहीं मिलावट होती है तो आपने इसे रोकने का उपाय नहीं किया। मिट्टी के तेल का रंग बदल दिया। किसी समय में देख लीजिए, मुझे स्मरण आता है कि इसी सदन में बहस के क्रम में डॉ. लोहिया ने इसी प्रश्न को उठाया था कि मिट्टी के तेल का रंग बदल दो, चीनी का रंग बदल दो। क्योंकि बाजार की चीनी का रंग उजला उसको उजला रंग में मिला दो तब कौन है कालाबाजारी,

की कौन है सफेदबाजारी की कौन पकड़ने वाला है? मिट्टी के तेल का रंग ऐसे बदल दिया जाए कि कितने भी केमिकल्स से साफ करें तो वह साफ नहीं हो। अगर कहीं मिलावट की जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाए। आज मिट्टी के तेल का रंग जरूर बदल दिया गया है, लेकिन केमिकल्स से दो घण्टे में साफ हो जाता है और फिर पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर दी जाती है। आप इसके लिए क्या उपाय निकालेंगे? गीते साहब किसानों के बारे में कह रहे थे। आप जमीन लेते हैं आपका भू-अर्जन कानून अलग हैं और एक भू-अर्जन कानून सदन में आने वाला है। जब वह कानून आएगा तो इसका क्या होगा? आपने किसानों की जमीन में पाइप डाल दिए, जब तक पाइप जमीन में होंगे तब तक उस रिफाइनरी से जो आमदनी होगी, क्या उस आमदनी का निर्धारित प्रतिशत उस किसान को देंगे जिसका प्रावधान नए भू अर्जन कानून में हो रहा है? आपने किसानों की जमीन ले ली, पाइप लगा दिए इसलिए सालाना के हिसाब से कुछ प्रतिशत एक एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता रहना चाहिए। आप उनकी जमीन ले लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं, इससे न उनके बच्चों को रोजगार मिलता है और न ही उचित कीमत मिलती है। आप न उसे आमदनी में हिस्सा देते हैं। वह वहां पेड़ नहीं लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आप किसान के लिए क्या करेंगे, कृपया अपने वक्तव्य में बताएं।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब राष्ट्र सुरक्षा कानून है तो इस कानून की क्या जरूरत है? गलत तरीके से लोगों को पकड़कर कुछ जायज और कुछ नाजायज जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंद कर सकते हैं तो तेल चोरी, करने वाले तेल चोरी में सहयोगी और चोरी का तेल बेचने वालों को एक श्रेणी में रखकर क्या राष्ट्र सुरक्षा कानून उन पर लागू नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इस कानून की क्या उपयोगिता है? क्या इन्हें आप सीधे एक लाइन में डाल नहीं सकते? इसे राष्ट्रीय अपराध में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि तेल और गैस भारत के ही नहीं विश्व की आर्थिक गति का संचालन का सबसे प्रधान केंद्र है। इसी से विश्व की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। तेल और गैस की कोई चोरी करता है, चोरी करवाता है या चोरी से लाकर बेचता है तो तीनों समान अपराधी है। तीनों राष्ट्रद्रोह करते हैं इसलिए इन पर राष्ट्र सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर शिखर दुरुस्त होगा तो सतह अपने आप दुरुस्त होगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से, अगर गंगोत्री से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जल की धारा प्रवाहित होती रहेगी तो बंगाल की खाड़ी तक गंगा की धारा पवित्र बनी रहेगी। अगर गंगोत्री से गंदगी निकलने तो इलाहाबाद, कानपुर में फिल्टर लगाकर गंगा के पानी को कभी साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह कानून तब लागू होगा जब अगर आपके मंत्रालय में शुद्धता आ जाए। तेल विभाग में जितने अधिकारी हैं, उनमें आईओसी या इंडियन ऑयल कारपोरेशन के हों प्रबंधन में शुद्धता आ जाए, आचार-विचार में शुद्धता आ जाए, तब तेल के टपकने को बंद करना चाहेंगे तो तेल का टपकना बंद हो जाएगा। इन्हें तो पकड़ लेंगे लेकिन घर के भेदी को कौन पकड़ेगा? इस कानून को लागू कीजिए कि अगर कोई अधिकारी भी पकड़ा जाए तो उस पर भी यही कानून लागू किया जाए और कठोर दंड दिया जाए। आप इस विधेयक को लाए हैं, अच्छी बात है। आप प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, हम आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे, प्रशंसा जरूर करेंगे। लेकिन एक कानून और है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट। 1984 में इसी संसद से यह कानून पास हुआ था। उस समय मैं राज्य सभा में था, तब यह कानून पास हुआ था। लेकिन आज तक भारत सरकार के द्वारा प्रिवेशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट पर अमल नहीं हो रहा है। यदि एक कानून को ठीक से अमल में लाया जाए तो पचास प्रतिशत नहीं साठ प्रतिशत तक इस तरह के अपराध रुक जायेंगे। लेकिन कानून पर कानून बनाते जाइये, परन्तु कानून कोई समझ में न आये और जो समझने वाला है, वह भी नासमझ हो जाए तो फिर उस कानून का क्या मतलब निकलेगा, कृपया उस पर भी प्रकाश डालिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रेमदास राय (सिक्किम): सभापति महोदय, मैं पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 में भाग लेने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु आपका आभारी हूं।

महोदय इस सम्मानीय सभा के अनेक माननीय सदस्य पहले ही हमारे अधिकारियों के सशिक्तकरण के संबंध में अपनी बात कह चुके हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि जहां तक विधि का संबंध है बहुत कठोर व्यवस्था है जब कोई सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। विशेषकर गैस पाइप लाइन...*(व्यवधान)* महोदय सभा में व्यवस्था लायी जाये।...*(व्यवधान)* महोदय माननीय मंत्री सुन तक नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया शांति बनाए रखें।

श्री प्रेम दास रायः महोदय, सार्वजनिक संपत्ति और तेल पाइप लाइन के संबंध में यह बताना चाहूंगा और मैं पूर्व वक्ता से पूरी

तरह सहमत हूं कि अनेक ऐसे दूसरे अधिनियम हैं जिनके अंतर्गत हम सार्वजनिक संपत्ति पर समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पाइप लाइन के लिए जो इस देश में बिछी है और न केवल पेट्रोलियम के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में भी जैसे ऑप्टिक्ल फाबर केबल और अन्य संचारों में मैं समझता हूं कि एक व्यापक कानून की आवश्यकता है तथा मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एक व्यापक कानून लाया जाएगा।

तथापि मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। जिसे माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगें। इस विशेष विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन को शामिल क्यों नहीं किया गया है? एक वित्तीय ज्ञापन पूरी तरह अनिवार्य है जब हम एक विधेयक को लेते हैं क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि जब आप इसे लागू करते है तो इसकी हमें कितनी कीमत चुकानी होगी और कम तोड़ फोड़ तथा कठोरता के संदर्भ में हम कितना बचाव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि समय-सीमा भी हो जिसमें हम इस बात की निगरानी कर सके तथा बता सकें कि इस विधेयक के कारण हमारी कितनी संपत्ति का बचाव हो पाया है। यदि यह विधेयक उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है तो इस विधेयक की क्या उपयोगिता है? और इस अधिनियम का क्या उपयोग है? इसलिए मैं समझता हूं कि हमें यह करने की आवश्यकता है और इस विधेयक को तैयार करने में तथा वित्तीय ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त ध्यान देना होगा तथा शायद अधीनस्थ विधान पर भी गहरी नजर रखनी होगी।

अपराह्न 05.58 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

महोदय, हम इस विधेयक को भूमि अधिग्रहण, निगरानी से संबंधित समस्याओं, लंबी दूरी से संबंधित समस्याओं के लिहाज से भी देखने का एक कारण है जिसके माध्यम से हम अपने तेल और गैस को यह सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति करते हैं कि लोगों द्वारा कोई तोड़ फोड़ न हो इसे अपनाना चाहते हैं।

लेकिन एक और बात जिसे मैं चिंता के रूप में देखता हूं वह यह है कि जब किसी कतिपय पाइप लाइन में रख-रखाव संबंधी किसी समस्या और कमजोर ज्वाइंट के कारण रिसाव होता है और अचानक भारी मात्रा में तेल का नुकसान होता है तो आस-पास के उन गांवों के लोग स्वभावतः जाएंगे और कुछ मात्रा में तेल लेंगे और कहेंगे कि वे इसे बेच सकते हैं। उन्हें कानून नहीं पता होगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वे इसे कैसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि यह विशेष कानून या अधिनियम के बारे में लोगों तक बड़े पैमाने पर कैसे सूचित किया जायेगा।

मैं समझता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। अनेक सुझाव हैं। मुझे नहीं पता कि कितने छोटे-छोटे सुझावों को मंत्री जी अपनाने जा रहे हैं जो मैंने दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि विधेयक पारित हो जायेगा।

सायं 06.00 बजे

सभापति महोदयः अब 6 बजे चुके हैं। इस विधेयक पर अभी छः वक्ताओं को बोलना है। मंत्रीजी आज ही उत्तर देने जा रहे हैं। इसके बाद हमें 'शून्य काल' के मामले पर भी चर्चा करनी है। मैं समझता हूं कि हम सभा के समय को एक घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः ठीक है कृपया संक्षेप में बोलो श्रीमती पुतुल कुमारी, कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): पेट्रोल और खनिज पाइप-लाईन अधिनियम पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। पैट्रोलियम और खनिज की सुरक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं कि कहीं पाइप-लाईन फट गई और कहीं से तेल की चोरी हो गई। हमें मालूम है कि बहुत बड़ा तेल माफिया देश में काम कर रहा है। कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में कलेक्टर की सरेआम हत्या हो गई यह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कहीं पर असामाजिक तत्वों से तो कहीं पर आतंकवादी संगठनों से धमकियां मिलती रहती हैं। इस विधेयक में सजा के काफी कड़े प्रावधान रखे गए हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं। लेकिन मैं कुछ अलग बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूं।

मैं उस संसदीय समिति की सदस्या हूं, जिसमें इंडस्ट्री को देखा जाता है। पिछले महीने उस समिति की बैठक में हमें रेल की कंपनियों से साक्षात्कार करने का मौका मिला। उसमें उन्होंने बताया कि हमने अपने आर एण्ड डी विभाग में एक ऐसे डिवाइस का निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम कहीं भी तेल का रिसाव होगा या टूट-फूट की जानकारी मिलेगी तो पहले हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी और हम उसे ठीक कर लेंगे। ऐसी प्रणाली विकसित हो गई है और साथ में इस तरह का कड़ा विधेयक भी आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि यह दोहरा नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ अलग बिंदुओं पर बात कर रही हूं। दूसरा बिंदु यह है कि हजारों किलोमीटर रेल-लाइनों के किनारे जो पाइप-लाइनें जाती हैं, वहां सारे जगह पाइन्ट्स खुले होते हैं। आए दिन हमारी आंखों के सामने चोरियां होती रहती हैं।

हमें पता है कि ऐसा दस्ता है जो इस तरह की चोरियों पर कंट्रोल करता है। मेरी मांग यह है कि जो चोर पकड़े जाते हैं, जितना तेल वे चुराते हैं उसका चार गुना मूल्य उनसे वसूला जाए और साथ में सजा का प्रावधान भी किया जाए। लेकिन साथ ही ऐसे दस्तों, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। ये तो छोटी मछलियां हैं, मैं आपका ध्यान बड़ी मछलियों की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी। डिपो से जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है तो इस प्रक्रिया में सैंकड़ों गैलन तेल की चोरी होती है। इसे देखने वाला और रोकने वाला कोई नहीं होता है। यह तेल विभाग के बड़े अधिकारी के संज्ञान में होता है या फिर उनकी मिली-भगत के साथ होता है। टनों गैलन तेल का खेल दिन रात चलता रहता है। उनके खिलाफ कौन सा कदम उठाएंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे? उनको सजा दिलाने का कोई प्रावधान है? अगर वे पकड़े जाते हैं तो आज तक उनको कोई सजा मिली है? रघुवंश प्रसाद जी ने जो बातें कहीं, मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करना चाहूंगी।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इस मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चोरी रोकने के लिए इतना सशक्त बिल लेकर आए हैं। परन्तु जो किसान और काश्तकार, जिसकी जमीन अस्थाई रूप से अधिग्रहित की जा रही है, उसके संदर्भ में मेरी कुछ शंकाएं हैं। उनको मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं। सेक्शन-15 के अंदर खाई या चिन्ह को जानबूझ कर भर देने का प्रावधान है। सभापति महोदय, जो चिन्ह पाइप-लाईन के ऊपर लगते हैं, वे लगभग दो-तीन फुट के पत्थर के चिन्ह लगते हैं। किसान के खेती करते समय या दूसरा कोई कार्य करते समय अगर वह चिन्ह गिर जाता है या नष्ट भी हो जाता है तो उस पर भी वह प्रावधान लगेगा जो उस पाइप-लाईन से चोरी करने वाले पर लगता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काश्तकार किसान अपनी बहूमूल्य जमीन इस काम के लिए देता है, उसके साथ चोर के समकक्ष प्रावधान नहीं रखने चाहिए। लैंड एक्वीजिशन बिल के अंदर जो अस्थायी एक्वीजिशंस के लिए किया गया है, सिर्फ 10 प्रतिशत डीएलसी की रेट दी जाती है।

महोदय, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर काफी बड़ी लैंड एक्वीजिशन अस्थायी रूप से हो चुकी है, सिर्फ 500 रुपये प्रति बीघा की दर से उन्हें पैसा मिल रहा है। प्रति बीघा मतलब 132 बाई 132 फिट और 500 रुपये की क्या कीमत है? जिस जमीन के ऊपर से ये लाइन्स खोदी जाती हैं, हम लोगों की जमीन की जो फर्टिलिटी है, सिर्फ ऊपर के तीन-चार इंच तक उसकी फर्टिलिटी है, उसके बाद वह किसी काम की नहीं रहती है। इसके बाद रेस्टोरेशन का भी प्रावधान है। शायद कहीं भी रेस्टोरेशन नहीं किया जाता है। रेस्टोरेशन का मतलब यह होता है कि जिस तरह से वह जमीन थी, जिस स्थिति के अंदर वह जमीन थी, उसी स्थिति के अंदर वह जमीन रखी जाये, परन्तु कहीं भी ऐसा नहीं होता है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा अस्थायी एक्वीजिशन के अंदर जो टाइम पीरियड है, खातेदारी का अधिकार किसान को देते हैं, जब 99 वर्ष की समय-सीमा तय की हुई होती है, पर इस एक्वीजिशन के लिए कोई भी समय-सीमा नहीं है। किसान के लिए अलग प्रावधान और कंपनियों के लिए अलग प्रावधान, महोदय, यह चीज मंजूर नहीं हो सकती है। जो साइज है, एक फिट की भी पाइपलाइन लगेगी, कहीं तो कंपनी ने दस फिट रखी है, कहीं पन्द्रह फिट रखी है, कहीं बीस फिट रखी हुई है, किसी भी तरह का टैक्निकल मापदंड नहीं है, जिससे इसके साइज को रखा जाये।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात ऑयल लीकेजज की है। वह चाहे किसी भी तरह से हो चाहे चोरी के माध्यम से हो या उसके अंदर टैक्निकल फॉल्ट से लीकेज हो, उससे जो काश्तकार की जमीन खराब होती है, उसका मुआवजे के लिए कोई भी प्रावधान इस लैंड एक्वीजिशन बिल के अंदर नहीं रखा गया है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाडमेर, जैसलमेर के अंदर लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन ओएनजीसी की गयी है। एक भी सिंगल विवाद वहां नहीं हुआ, वहां के किसान बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भटिंडा के लिए भी पाइपलाइन गयी, वहां भी सिंगल विवाद नहीं हुआ। मैं उसे राष्ट्रीय स्तर के लिए कम्पेयर करना चाहता हूं। गुजरात को बहुत मॉडल के रूप में लिया जाता है, पर आज डेढ़ साल से वही ओएनजीसी की पाइपलाइन गुजरात के अंदर लगभग 70 किलोमीटर के करीब रुकी हुई है। दोनों जगह के किसानों के साथ एक जैसी स्थिति है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। किसान के खेत के अंदर जो चोरी होगी तो वह सामान तो किसान के खेत में ही रहेगा। अगर कोई भी चोरी करने के लिए जायेगा तो वह सामान उस खेत के किसान से लेकर जायेगा, जहां से वह पाइपलाइन गुजर रही है। अगर वह सामान किसान के खेत में मिलता है तो वह कानून उस किसान के ऊपर भी लगेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा कानून बनाया, लेकिन यह कानून चोरों के लिए होना चाहिए, उस किसान के लिए यह कानून नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है कि हम लोग किसान को भूल रहे हैं। बिना किसान के और बिना मजदूर के यह विकास हम लोगों के किसी काम का नहीं है। आज अगर कॉरपोरेट के पक्ष की कोई बात होती तो बहुत बड़े एडिटोरियल होते हैं, कई घंटों तक चर्चा होती। आज यह बात किसान के लिए हैं, उसके लिए जो प्रावधान बनाये जायें, उनमें नरमता होनी चाहिए वरना

आने वाले समय में जिस महाशक्ति की कल्पना हम देश के लिए कह रहे हैं, किसान का नजरअंदाज करके हम लोगों को विकास नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): सभापति महोदय, यह विधेयक पाइप लाइन के तकनीकी पक्ष से संबंधित है।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में अपने विचार रखे हैं। लेकिन मैं दो मंत्रालयों कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा उत्पन्न की गई समस्या के बारे में कहना चाहूंगी। कुछ औद्योगिक प्रस्ताव अभी भी खत्म हो जाने की स्थिति में है क्योंकि इन दोनों मंत्रालयों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी अनुमति नहीं दी गई है और वे इन प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दे पाए हैं।

महोदया, भारत सरकार के दो मंत्रालयों के बीच विवाद है। कोरम बोड मिथेन जिसे सीबीएम कहते हैं के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? यह कोयला मंत्रालय है या पेट्रोलियम मंत्रालय है। यह बात अभी तक साफ नहीं है कि कौन सा मंत्रालय यह तय करेगा? चूंकि इन दोनों मंत्रालयों के बीच विवाद है, कोई भी मंत्रालय इस बात से आश्वस्त नहीं है कि इन सभी परियोजनाओं के लिए अनुमति कौन देगा जो अभी भी अनिश्चित स्थिति में पड़ी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि भारत सरकार के दोनों मंत्रालयों के बीच विवाद के कारण कितनी परियोजनाएं विलंबित हुईं।

हमने बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाये हैं। बांग्लादेश में काफी गैस के भंडार हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या संबंधित मंत्रालय या माननीय मंत्री ने बांग्लादेश से गैस आपूर्ति के बारे में कोई कदम उठाया है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने त्रिपुरा में और बांग्लादेश में भी गैस की खोज करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहती हूं।

एक दूसरा मुद्दा भूमि अर्जन से संबंधित है। माननीय मंत्री ने अपनी उत्सुकता व्यक्त की है लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि चूंकि भूमि अर्जन विधेयक स्थायी समिति के पास विचाराधीन है क्या पेट्रोलियम मंत्रालय इस संबंध में पुनः कोई संशोधन करेगा या भूमि अर्जन विधेयक जो स्थायी समिति के पास विचाराधीन है उसकी सिफारिशें के अनुरूप पारित करवायेगा।

चोरी की काफी घटनाएं हो रही हैं। माननीय मंत्री श्री पवन सिंह घाटोवार यहां बैठे हैं। वे इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। डिबूगढ़, दखनतूर से बरौनी के बीच काफी चोरी की घटनाएं होती है। यदि ऐसा है और मंत्रालय, राज्य सरकार के अधिकारियों और तेल आपूर्ति से जुड़े लोगों के बीच कोई सांठ-गांठ नहीं है तो कोई भी चोरी को घटना नहीं हो सकती। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहती हूं कि कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। चोरी करके वे काफी पैसे बना रहे हैं। कुछ लोग काफी धनवान हो गए हैं। इसलिए, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे डिब्बों में भी चोरी की शिकायतें आई है। इसलिए कोई वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए, जिसका विकास आपको करना चाहिए। जिससे कि सीधे पाइप लाईन में या रेलवे वैगनों में कोई चोरी न हो पाए। दूसरा मुद्दा जिस पर मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं वह है दोषपूर्ण घरेलू मिट्टी के तेल के कारण असम में नौगांव, नलबाड़ी, बास्का, बोगाइंगांव कोकराझार और गोपवार जिलों में काफी मौतें हो गई हैं। दोषपूर्ण किरोसीन तेल के कारण बहुत से लोग मर गए और कुछ लोग अभी भी अस्पतालों में पड़े हैं। इसलिए इसका क्या कारण है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने ऐसी दोषपूर्ण किरोसीन तेल की आपूर्ति की? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति जी, पैट्रोल और कच्चे तेल की चोरी के सवाल पर जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने तेल चोरी के सवाल पर सारी बातें रखने की कोशिश की है। जो तेल चोरी हो रहा है, हमारे देश की जनता इसको राष्ट्रीय संपत्ति समझे, आम लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, इस भागीदारी के सवाल पर पूरे तौर पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखने की कोशिश की। मैं भी इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जो तेल चोरी होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पाइपलाइन द्वारा चोरी हो, आतंकवादियों द्वारा जो तेल पर विध्वंस किया जाता है, इस पर आम जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, कैसे जनता उसको रोके, क्योंकि अगर जनता उसको नहीं रोकेगी तो कितनी भी मिलिट्री फोर्स उतार दें, वह चीज रुक नहीं सकती है, उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी जहां से भी आप पाइपलाइन बिछाते हैं, जिस जंगल से लाते हैं, जिस पहाड़ से लाते हैं, वहां की स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी जमीन पर आप पाइपलाइन बिछाते हैं तो उनकी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। वहां की स्थानीय जनता को मुआवजा मिलना चाहिए। वहां की सुरक्षा के लिए गांव की कमेटी बनाकर पूरे तौर पर जनता को इसकी देखरेख सुनिश्चित करनी चाहिए। वहां की स्थानीय जनता को उसमें नौकरी मिलनी चाहिए। उनकी जमीन को उजाड़ दिया जाता है क्योंकि निश्चित तौर पर पाइपलाइन बिछाने के बाद उस जमीन पर खेती

नहीं हो सकती है। पेड़ भी नहीं लगा सकते हैं। वहां की जनता की भागीदारी हो ताकि वह समझ सके कि यह पाइपलाइन मेरी है, तेल मेरा है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमियां हैं। इन कमियों को सुधारना चाहिए। आजकल पैट्रोल की कालाबाजारी प्रतिदिन हो रही है। प्यूजल से प्रति लीटर दस प्रतिशत की कमी से पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है। ठीक इसी प्रकार से डीजल की भी कालाबाजारी होती है। किसानों को इससे भारी नुकसान होता है। पेट्रोल के आबंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसे मंत्रालय देना चाहता है उसी को आबंटित करता है। पेट्रोल विभाग का जो भी पदाधिकारी होता है, उनका इसमें दखल रहता है, जिनको चाहेंगे उसी को आवंटित करता है। जिसे मंत्रालय देना चाहेगा उसी को आवंटित करते है, सही आदमी को पेट्रोल नहीं मिल पाता है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को पेट्रोल पम्प आबंटन हेतु कोई नीति-निर्धारित नहीं की है। यदि की भी है, तो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अधिक से अधिक पेट्रोल पम्प कोटा निर्धारित होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल पम्प से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। लेकिन इसमें गरीबों को कैसे शामिल किया जाए ताकि आम जनता की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की चोरी की रूपरेखा बतायी है, मैं भी चोरी की रूपरेखा बताना चाहता हूं कि तेल में मिलावट होती है, जैसा कि रघुवंश जी ने अपनी बात में रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि जनता, गरीबों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आम जनता इसको राष्ट्रीय पूंजी समझ सके, अपनी पूंजी समझ सके, अपना तेल समझ सके, अपनी सम्पत्ति समझ सके, ताकि कहीं भी यदि तेल चोरी होता है तो जनता उसकी आगे बढ़कर रक्षा कर सके।

[अनुवाद]

श्री आर.पी.एन.सिंहः सभापति महोदय, मैं सभी बीस माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं बहुत खुश हूं कि सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया। मैंने उनके बहुमूल्य सुझावों को लिया है।

[हिन्दी]

तमाम सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इतने सारे सुझाव दिए हैं कि हमें कुछ समय लगेगा हमें इन जवाबों को देने में। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मूल जवाब के बाद हर सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसका कुछ न कुछ जवाब मैं जरूर दे पाऊं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों कच्चे तेल और गैस का पाइप लाइन की माध्यम से ढुलाई सबसे सस्ती सुरक्षित और सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल ढुलाई का साधन है। हाल के दिनों में देश में पाइप लाइन नेटर्वक का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ है। तथापि, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद बहुत ही खतरनाक और अतिज्वलनशील पदार्थ हैं। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद महंगी वस्तु होने के कारण इसकी ढुलाई में किसी प्रकार का रिसाव से केवल कम्पनी को आर्थिक क्षति होगी बल्कि इससे कच्चे तेल तैयार उत्पाद की आपूर्ति में व्यवधान पैदा होगा। उपजाऊ भूमि को क्षति और विवाद की स्थिति में जान-माल की भी क्षति होगी।

चोरी और तोड़-फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए पाइप लाइनों की नियमित गश्ती और निरीक्षण तेल कम्पनियों के गस्ती कर्मी द्वारा की जाती है। पुलिस और स्थानी अधिकारियों से नियमित तालमेल करके राज्य सरकार से भी मदद ली जाती है। पाइप लाइन के किनारे बसने वाले ग्रामीणों और भू-स्वामियों को भी चोरी के प्रयास से उत्पन्न खतरों के प्रति चेतावनी दे दी जाती है। तथापि विभिन्न पाइप लाइनों में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी और तोड़-फोड़ की घटनाएं होती रहती है। यद्यपि चोरी की घटना को संगठित अपराधी गिरोहों द्वारा साधारण रूप से निर्मित प्रौद्योगिक उपयोग करके उच्चतदाब पाइप लाईन को पंक्चर और टैपिंग गैजेट्स लगाकर अंजाम दिया जाता है फिर भी पाइप लाइनों पर टेपिंग उपकरण लगाकर पाइप लाइनों को विस्फोटकों से उड़ाने और तोड़ फोड़ करने के प्रयास हुए है जिससे कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो सकती है। वेल-हेड प्रतिष्ठानों से कच्चे तेल कंडेन्सेट की चोरी करने का भी प्रयास किए जाते हैं। आज की सुरक्षा परिदृश्य में अति ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने वाले उच्चदाब पाइप लाइन की आतंकियों उग्रवादियों द्वारा तोड़-फोड़ जिसके कारण काफी जान-माल की हानि होती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री जी को उत्तर देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री आर.पी.एन. सिंहः मैं आपकी बातें समझ सकता हूं क्योंकि ये टेक्नीकल चीजें हैं और मैं आपको टेक्नीकल बातें बताना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मंत्री जी आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र है। अब आप जारी रख सकते हैं।

श्री आर.पी.एन. सिंहः पेट्रोलियम और खनिज पाइल लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम पाइप लाइन बिछाने हेतु भूमि के उपयोग के लिए अधिग्रहण का उपबंध करता है। तथापि मौजूदा उपबंध अपराधियों पर पर्याप्त रूप से अंकुश नहीं लगाता है। पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 15 और 16 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने हेतु प्रवर्तन प्राधिकारियों हेतु पर्याप्त उपबंध तब तक नहीं करता है, जब तक कि वे चोरी या तोड़ फोड़ की कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़े नहीं जाते हैं।

यहां तक कि किसी व्यक्ति को चोरी के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 380 के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में साक्षियों के अभाव में, दोषी को समय पर दोष सिद्ध सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।

तेल पाइप लाइनों पर तोड़ फोड़ की घटनाएं को रोकने, चोरी को समाप्त करने और कम करने हेतु पेट्रोलियम उद्योग द्वारा कानून को और कठोर बनाने के लिए पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 15 और 16 में संशोधन करने हेतु तथा अपराधियों को कठोर दंड देने के लिये कानून प्रवर्तक एजेंसियों को समर्थ बनाने की जरूरत महसूस की गई है।

अतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अधिनियम की धारा 15 और 16 में संशोधन करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित कियाः-

- कठोर दंड शासन प्रणाली का उपबंध करना;
- पहले अपराध के मामले में कठोर दंड को दस वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और तदंतर अपराध के लिए सजा की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, बशर्ते जहां न्यायालय विनिर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले किसी पर्याप्त और विशेष कारणों हेतु तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए सजा दें।
- तोड़ फोड़, आतंकवादी कृत्यों (संशोधन विधेयक की धारा 15(4) के लिए उम्र कैद, मृत्यु दंड हेतु असाधारण दंड का उपबंध करना। इस प्रावधान के संबंध में इस मामले को अनेक सदस्यों द्वारा उठाया गया है।
- संज्ञान और गैर जमानती बनाया जाना (संशोधन की धारा 16)
- लोक अभियोजक की सुनवाई के बाद ही जमानत दिया जाना (संशोधन विधेयक की धारा 16(घ))
- यह साबित करने के लिए अभियुक्त पर जिम्मेदारी डालना कि उसके परिसर से जब्त किया गया चोरी का उत्पाद उसका नहीं है। (संशोधन विधेयक की धारा 16(29))

जैसाकि आप देख सकते हैं कि इन सभी संशोधनों को चोरी और तोड़ फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है, जिसे अनेक सदस्यगण द्वारा उठाया गया।

[हिन्दी]

तमाम मेम्बरों ने यह पूछा कि पिलफेरेज को रोकने के लिए क्या एक्शन हुआ है? निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहूंगा कि इन तीन सालों में हमारे पास जो आंकड़ें हैं, उनके अनुसार तेल रिफाइनरियों से अभी तक कोई भी पिलफेरेज तीन सालों में नहीं हुआ है। तेल पाइप लाइन के माध्यम से पिलफेरेज के अभी तक 217 केस आए हैं और तेल डिपो से 13 मामले आए हैं। एल. पी.जी. डिपो से कोई पिलफेरेज पिछले तीन सालों में नहीं हुई है। अगर तीन सालों के आंकड़ें देखें जाएं तो पूरे देश में पिलफेरेज के 230 केस देखने का मिले हैं। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो एक्शन लिया है।

[अनुवाद]

चोरी करने के प्रयास पर अंकुश लगाने की कार्रवाई, प्रचालनात्मक मानदंडों की निगरानी, पाइप लाइन बाहव की चौबीसो घंटे निगरानी और एससीएडीए के माध्यम से दबाव, पता लगाने की प्रमुख प्रणाली; पूर्ण रास्ते की वास्तविक निगरानी।

[हिन्दी]

रास्ते में किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। हमारे लाइन पेट्रोलमैन पाइपलाइन की रोजाना आठ किलोमीटर पेट्रोलिंग करते हैं। जो वल्नरेबल स्ट्रेचेज हैं, वहां हम लोग आम गार्ड्स के साथ नाइट पेट्रालिंग करते हैं। हमारे अफसर इंटेसिव पेट्रोलिंग उस रास्ते पर करते हैं जहां लगता है कि ज्यादा पिलफेरेज हो सकता है। हमने विलेज एवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ है।

[अनुवाद]

ग्रामीणों और जानकारी देने वाले लोगों को पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान करना एक ऐसी योजना है, जिसे हमने तैयार किया है,

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीणों को इसके प्रति संवदेनशील बनाना तथा उनके साथ निरंतर संवाद, सीसीटीबी आधारित निगरानी के माध्यम से रिपीटर-कम-कैथोडिक प्रोटेक्शन स्टेशनों की सतत निगरानी, आरओडब्ल्यू के संबंध में तीसरे पक्ष के कार्यकलाप की निगरानी हेतु ओएफजी आधारित निगरानी प्रणाली का प्रायोगिक अभ्यास आयोजित करना; तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से लाइन पेट्रोलमैन और लाइट गार्ड की निगरानी हेतु आवागमन। *[हिन्दी]*

तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी। श्री हंसराज अहीर साहब ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि क्या ये कानून स्ट्रिन्जेंट, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्या ये रोक पाएंगे। *[अनुवाद]* तोड़ फोड़ के मामलों को धारा 15 (4) के अंतर्गत अधिक कठोतरा से निपटा जा रहा है। *[अनुवाद]* हमने जो अमेंडमेंट 15 (4) में किया है। इसे संगठित माफिया या गिरोह से निपटने के लिए शामिल किया गया है। *[हिन्दी]* जो इसमें करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पाइपलाइन की बात होती है, लोगों ने कहा कि यह पानी का पाइपलाइन नहीं है कि आपने छेद किया और पानी निकल गया। ये अंडर ग्राउंड बहुत हाई प्रेशराइज पाइपलाइंस होती हैं, जिनको आसानी से पिलफ्रेज नहीं किया जा सकता है। इसमें बड़े माफिया गेंम्स ऐसे लोग होते हैं, उन्हें रोकने के लिए और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ कानून और सख्त बनाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। नॉर्थ-ईस्ट में उन्होंने बोला कि आपने इमर्जेंसी की वजह से क्या-क्या कानून लिए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने सबसे ज्यादा 230 केसेस जो देखे, वे नॉर्थ-ईस्ट से नहीं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से सबसे ज्यादा पिलफ्रेज के केस हमारे सामने आए हैं। *[अनुवाद]* पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी को रोकने हेतु तेल कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। *[हिन्दी]* मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी चीजें होती हैं। हमने बताया कि लाइन पेट्रोलिंग होती है और हमारे अधिकारी भी देखते हैं। टैक्नोलॉजी के साथ हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और चीजें लाई जाएं ताकि इसमें और भी सशक्त काम हो सके। हमारे नॉर्थ-ईस्ट के श्री निनोंग ईरींग साहब ने पूछा था। ...*(व्यवधान)* मैं बहुत खुश हूं कि हमारे मंत्रालय पर इतने सजेशंस माननीय सदस्यों ने दिए। ईरींग साहब ने डेथ पेनल्टी की बात की कि क्या डेथ पेनल्टी भी इस चीज में आ सकती है। *[अनुवाद]* मृत्यु दंड का प्रावधान धारा 15(4) के अंतर्गत अपराधों हेतु ही किया जाता है जो तोड़ फोड़ से गंभीरता से निपटेगा, लोगों की मौत होने की संभावना रहती है। *[हिन्दी]* मैं, यह किया गया है कि *[अनुवाद]* धारा 15(4) कठोर दंड का उपबंध करता है, जो दस वर्षो से कम नहीं होगा, लेकिन इसे आजीवन उम्र कैद या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। तोड़ फोड़ के केवल वे मामले जिनसे व्यक्ति की मौत हो सकती है, तरह की शारीरिक चोट जिससे किसी व्यक्ति की मौत की संभावना हो सकती है। बिल्कुल विरले मामले *[हिन्दी]* में डेथ सेंटेंस भी रखा गया है। शैलेन्द्र सिंह जी ने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने पूछा कि कितना फाइन होना चाहिए, अगर यह कानून बनता है, किसी पर जो भी फाइन लगेगा, यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना फाइन होना चाहिए। इन्होंने चेन्नई की बात की कि चेन्नई में जो पाइपलाइन चल रही है, वह क्यों नहीं अभी तक हो पाई है, उसे परमीशन क्यों नहीं मिली हे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरेस्ट है, उसने इसे अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है। उनसे हमें जब क्लियरेंस मिलेगी तो उसके सामने जरूर ...*(व्यवधान)* उन्होंने सवाल पूछा है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)* श्री गोरखनाथ पांडेय जी ने *[अनुवाद]* दंड और कठोर होना चाहिए *[हिन्दी]* के बारे में पूछा है। हमने बताया है कि हमने तमाम कानून ऐसे बनाए हैं, जिसमें पेनल्टी बहुत स्ट्रिन्जेंट रही है और आगे भी रहेगी। हमारे हसन साहब ने कुछ व्यक्तिगत बातें बताई हैं, आईओसी के बारे में उनके यहां क्या-क्या तकलीफें हैं। हम उनसे मिल कर इस बारे में बात कर लेंगे, उन्होंने जो अधिकारियों के बारे में टिप्पणियां की हैं, उन पर हम जरूर ख्याल करेंगे। उन पर जरूर एक्शन लेंगे। डॉ. रत्ना डे जी ने जो बात कही है, हम उस पर ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग की बात की है, मॉनिटरिंग की बात हमने स्पष्ट रूप से की है और हम इसे दिखवा रहे हैं। मेहताब साहब ने 15(4) के बारे में बोला कि यह बहुत स्ट्रिन्जेंट है। मैं इनको बताना चाहता हूं,

[अनुवाद]

हमारा 15(4) बहुत कठोर है और इसका लोगों को आतंकित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

वास्तव में यह कानून लोगों का आतंकित करने के लिए नहीं है और यह केवल आंतकवादियों और ऐसे लोगों के लिए है जो पाइप लाइन को तोड़ फोड़ रहे हैं। धारा 15(4) केवल तोड़ फोड़ और आतंकवादी कृत्यों तथा ऐसे कृत्यों के मामलों से निपटने के लिए है जो अत्यंत खतरनाक हैं तथा किसी व्यक्ति की मौत के लिए हर तरह से जिम्मेदार हो सकते हैं या ऐसी शारीरिक चोट जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, वे कठोर दंड के भागीदार होंगे और यह दस वर्षो से अधिक होगी। यह लोगों को आतंकित करने के लिए नहीं है बल्कि लोगों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने से रोकने के लिये है। उन्होंने कई मुद्दों को उठाया है, जिसका पाइप लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत खुशी होगी, यदि वे इसे मुझे लिख कर दें। मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

नटराजन जी ने पॉसिबिलिटी आप मिसयूज़ के बारे में पूछा, उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अनन्त गीते साहब ने और

तमाम सदस्यों ने किसानों की बात की। मैं समझता हूं कि यह बहुत अहम मुद्दा है। किसानों के लिए हम सब आवाज उठाते हैं। हमारे मंत्रालय ने भी हमेशा किसानों की बात की है, जहां तक जमीन की बात है। हरीश चौधरी जी ने भी किसानों की बात की। तमाम और सदस्यों ने भी किसानों की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम किसानों की जमीन लेते हैं तो उस पर रैंट किसानों को देते हैं, जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं और जो भी किसानों का पेड़ अगर उस लाइन पर होते हैं तो उसका भी हम मुआवजा देते हैं। अगर उसमें कोई अनाज या कोई खेती की चीज है, उसका भी हम कम्पेंसेशन देते हैं और दस परसेंट मार्केट वैल्यू के रैंट के लिए हम जमीन लेते हैं। यह मैं समझ सकता हूं कि तमाम सदस्यों को लगता है कि यह बहुत कम है। हमारा मंत्रालय इसको देखेगा, आपके व्यूज को ध्यान में रखेगा और कोशिश करेगा कि किसानों का हक इसमें और ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके।

रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने तमाम पिलफरेजेज के केसेज में बताया। मैंने बताया कि 230 ही केस अभी तक हुए हैं। पुलिस लॉज करेगी और इन्फोर्मेशन जैसे किसानों को और गरीबों को बताया जायेगा, इसके लिए हमारा अवेयरनैस प्रोग्राम है, रिवार्ड प्रोग्राम भी है। मैंने पहले ही संक्षिप्त रूप में बताया था। सेमलाई साहब ने बात की थी *[अनुवाद]* रेलवे और सड़क के किनारे-किनारे पाइप लाईन डालने की बात की थी। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और जहां कहीं संभव होगा, हम लोग ऐसा करेंगे। नागेश्वर रखजी ने मुआवजा पर्याप्त होना चाहिये इसके बारे में बात की थी। *[हिन्दी]* के बारे में बात की थी। मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि मोनेटरिंग होनी चाहिए। पाइपलाइन का वह स्टैप हम ऑलरेडी ले रहे हैं। प्रबोध पाण्डा जी ने डैथ पैनल्टी के बारे में कन्सर्न बताया था। मैंने कहा कि डैथ पेनल्टी रेयरैस्ट ऑफ दि रेयर केसेज में ली जायेगी और *[अनुवाद]* लापरवाही के कारण हानि रखरखाव में लापरवाही इसका भी ख्याल रखा जायेगा। रामा सुब्बू जी ने तमाम चीजों की बात की, चैन्नै की बात की। मैंने पहले ही शैलेन्द्र जी को बताया कि उसके अन्दर एनवायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है। एनवायर्नमेंट क्लियरेंस के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। हुक्मदेव नारायण यादव जी ने अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के बारे में कहा। हमारे मंत्रालय में जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए कानून बना हुआ ही है और कहीं हमें पता चलता है कि अगर हमारे ही कुछ अधिकारी गलत काम कर रहे हैं तो कानून के अन्तर्गत उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर किसी मैम्बर को लगता है कि कोई गलत कार्य कोई अधिकारी कर रहा है तो हमारे मंत्रालय, हमारे दफ्तर पर लाइये, उस पर हम जरूर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे।

पी.डी. रॉय साहब ने फाइनेंशियल मैमोरेण्डम की बात की। यह फाइनेंशियल बिल नहीं है, यह तो चोरी के लिए कठोर कानून के लिए संशोधन के आधार पर था। मिसेज विजया चक्रवर्ती जी ने इस बिल को सपोर्ट किया, उनके सुझावों को भी हमने रखा है। हरीश चौधरी जी ने किसानों की बात की, उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

अन्त में हमारी मिसेज विज़या चक्रवर्ती जी ने सी.जी.एम. के बारे में पूछा,

[अनुवाद]

सी.जी.एम., एम.ओ. और पी.जी. का मामला है लेकिन कोल ब्लॉक का आबंटन कोयला मंत्रालय का विषय है। रेलवे वैगनो से चोरी के बारे में कार्रवाई कानून के अनुसार की जाती है। अंत में, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह एक सामान्य बात है। वे पहले ही बोल चुके हैं और उन्हें उत्तर दिया जा चुका है। आप क्या चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वन क्वश्चन। मैंने लिख कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकता। केवल एक या दो सदस्यों को ही अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ईरान टू इंडिया थ्रू पाकिस्तान जो पाइप लाइन आनी थी, उसकी क्या प्रगति है, जरा अपने उत्तर में देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक छोटा-सा सुझाव देना चाहता हूं। आपको रेलमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग का उपयोग करके इसके

किनारे-किनारे पाइप लाईन डालनी चाहिए जिससे कि इसकी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी क्योंकि वहां यातायात अधिक होगी। यह पाइप लाइन की सुरक्षा के लिए सुगम होगा। मैं केवल इसका सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदयः यह अच्छा सुझाव है। उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री आर.पी.एन. सिंहः मैने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। मैं आपके सुझाव को स्वीकार करता हूं और जहां कहीं भी संभव होगा हम ऐसा करेंगे।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि पेट्रोयिलम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2

धारा 15 और 16 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,

"जो कोई" के पश्चात् "जानबूझकर अंतःस्थापित करें (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,

"निविष्ट" के स्थान पर "जानबूझकर निविष्ट रखें। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,

"भंग" के स्थान पर "जानबूझकर भंग" प्रतिस्थापित करें (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 30 से 36 का लोप करें। (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37,

"16ख" के स्थान पर "16क" प्रतिस्थापित करें (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38,

"सभी उपकरणों, यानों और सभी मदों" के स्थान पर "उपकरण, यान या किसी मद" प्रतिस्थापित करें (10)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,

"16ग" के स्थान पर "16ख" प्रतिस्थापित करें (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9,

"16घ" के स्थान पर "16ग' प्रतिस्थापित करें (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9-10,

"इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर "धारा 15 की उप-धारा (4) के अधीन" प्रतिस्थापित करें (14)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25,

"16ङ" के स्थान पर "16घ" प्रतिस्थापित करें (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25-26, "उप-धारा (2) या" का लोप करें (16)

(श्री आर.पी.एन. सिंह)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

लघुशीर्षक और प्रारंभ

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"2010" के स्थान पर "2011" प्रतिस्थापित करें (2)

(श्री आर.पी.एन. सिंह)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"इकसठवें" के स्थान पर "बासठवें" प्रतिस्थापित करें

(श्री आर.पी.एन. सिंह)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री आर.पी.एन. सिंहः मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब हम शून्यकाल के विषयों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरि मांझी (गया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए वहां के किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी है, जिसका मुआवजा किसानों को बहुत कम दिया जा रहा है। वहां के किसानों में भारी आक्रोश फैल रहा है। किसान लगातार मुआवजे के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ायी जाए तथा जिन किसानों की जमीन जा रही है, उनके परिवार के एक-एक सदस्य को एयरपोर्ट में रोजगार दिया जाए।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में दुमका जिला है जो संथाल परगना का एरिया है। उसमें एक गांव कनकटा है, उसकी तीन सौ आबादी है, जिसमें से 20 लोग विकलांग हैं। मैं बराबर इस लोक सभा में यह कहता रहा हूं कि आपने एम्स बनाया है, एम्स जैसे इंस्टीटयूट बनाए हैं, आप एनआरएचएम के माध्यम से हेल्थ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एमडीएस फोर, फाइव के मेंबर हैं और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, खासकर संथाल परगना जहां से मैं आता हूं, यदि कनकटा जैसे गांव में, जहां तीन सौ की आबादी में बीस लोग विकलांग हैं और आसपास के दूसरे गांवों में यदि आप देखेंगे, तो छः-सात से दस-पन्द्रह परसेंट लोग विकलांग हैं और आसपास के दूसरे गांवों में यदि आप देखेंगे, तो आपको छः-सात से दस-पन्द्रह परसेंट लोग विकलांग दिखायी देंगे। वहां एक एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक दिन संथाल परगना में दस महिलाएं बच्चों को जन्म देते ही मर जाती हैं और बच्चों का जो डेथ का रेश्यो है, वहां कम से कम 62-63 बच्चे प्रत्येक एक हजार में मर जाते हैं। वहां लगभग अस्सी परसेंट एनीमिक् महिलाएं हैं और लोग लगभग पैसठ परसेंट बच्चे मालन्यूट्रेशन का शिकार हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस जैसा कोई इंस्टीट्यूशन खोलें, जिससे झारखंड मरहूम है, इतनी बड़ी आबादी है, आपकी सरकार की किटी में माइंस और मिनरल्स के माध्यम से मोर दैन सिक्स्टी परसेंट कांट्रीब्यूट कर रहा है।

संथाल परगना में हसडिहा उस का एक सेन्टर प्वाइंट है। वहां एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिटयूट जैसा इंस्टिटयूशन दीजिए। मैं दुमका जिले के सरैया हाट ब्लॉक के बारे में कह रहा हूं और कनकट्टा जो गादीझोपा पंचायत में है यहां मेडिकल की एक टीम भेजी जाए और देखा जाए कि इस ब्लॉक में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे विकलांग क्यों पैदा हो रहे हैं? उनकी हालत ऐसी क्यों है?

उनकी ऐसी हालत पानी, माल-न्यूट्रिशंस, एनिमिया या किसी प्रकृति के कारण है। आप के माध्यम से वहां तुरंत एक टीम भेजी जाए तो बड़ी कृपा होगी। जय हिन्द, जय भारत।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, एआईबीपी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं-डीपीएपी तथा डीडीपी चलाई जा रही हैं। डीडीपी परियोजना राजस्थान के 16 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सितम्बर 2011 तक कुल 3 लाख 48 हजार 2 सौ 57 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। वहीं डीपीएपी योजना राज्य के ग्यारह जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत सितम्बर 2011 तक 1 लाख 27 हजार 4 सौ 33 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है। जहां डीपीएपी परियोजना के अंतर्गत केन्द्र द्वारा योजना का कुल 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिया जाता है। वहीं डीडीपी योजना में केन्द्र मात्र 25 प्रतिशत ही अनुदान देता है। राजस्थान में डीडीपी परियोजना के तहत सम्मिलित जिले, डीपीएपी योजना के अंतर्गत सम्मिलित जिलों से कहीं अधिक पानी की कमी से पीड़ित हैं। सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राजस्थान राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुए एआईबीपी और अन्य योजनाओं के मानदंडों और दिशा-निर्देशों में परिवर्तन कर दोनों योजनाओं में अनुदान की राशि 90 प्रतिशत की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री पन्ना लाल पुनिया को डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्रीमती अन्नू टन्डन (उन्वान): मैं बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जो हमारे देश में पूरी तरह हशिये पर जी रहे हैं। इसलिए, कृपया मुझे अपने निवेदन को पूरा करने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, आज मैं एक अत्यंत आवश्यक और आत्मा को छू लेने वाली अपने देश के 19 लाख किन्नरों की दुःखद स्थिति के बारे में आप के माध्यम से कहना चाहती हूं। हाल में मैंने एक फिल्म देखी जो किन्नरों की फिल्म की कहानी है। 11 जून, 2011, यह डा. पीयुष सक्सेना की फिल्म है "और नेहा नहीं बिक सकी"। यह अजमेर में रिलीज हुई थी जहां 500 किन्नर मौजूद थे। इस 55 मिनट की डाक्यूमेंटरी फिल्म में किन्नर यानी आम भाषा में असामान्य तरीके से जिन्हें हिजड़ा कहा जाता है उनकी दयनीय बंधक जिन्दगी के बारे में यह फिल्म है। किन्नर एक बहुत ही गोपनीय जिंदगी जीते हैं। ज्यादा न जानने की वजह से इन्हें तिरस्कार की नजर से देखा जाता है। किन्नर जब घर छोड़ता है तो यह घर से निकाला जाता है और गुरू पर आश्रित हो जाता है। यह उसी गुरू की हर बात मानता है। आप और हम लोगों से उसका संपर्क बहुत सीमित होता है। उसकी दशा यह है कि वह समाज से किनारे त्यागी हुई जिंदगी जीता है जिसमें न परिवार का प्रेम है और न आदर है बल्कि डरी, सहमी और धिक्कारी हुई जिन्दगी है। वे दूसरों की दया, भीख और अपमानजनक संवेदनशीलता द्वारा दो रोटी कमा पाता है।

महोदय, किन्नर भी जीना चाहते हैं। वे मेहनत से गुजर-बसर करना चाहते हैं पर उन्हें कोई इज्जत की नौकरी नहीं देता है। अगर वे मेहनत, मजदूरी और नौकरी करते भी हैं तो समाज अकेला पाकर उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इनकी इस जिन्दगी की दुर्दशा और दयनीय हालत के जिम्मेदार हम लोग ही हैं। इनको इंसान की जिन्दगी और बराबर का मौका देना और मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी हमारी हैं। हमारी जैसी कितनी ही मां हैं जिन्होंने ऐसे ही लोगों को जन्म दिया है। हमारी ही जैसी कोई मां होगी जिसने ऐसी किसी किन्नर को जन्म दिया है।

महोदय, आज मैं आप के द्वारा सरकार से तीन चीजों की मांग इन के लिए करती हूं। पहला, इन्हें वोटर कार्ड बनाने की सहुलियत दी जाए क्योंकि इनके पास अपनी कोई पहचान नहीं होती है। सिवाय उनके गुरू के, इनके पास अपना कोई पता का प्रमाण नहीं होता है। उन्हें मोबाइल का सिम कार्ड लेना भी मुश्किल होता है। दूसरा, क्या हम उनकी भीख मांगने की मजबूरी को कानूनी स्वरूप या पुनर्वास का कोई अवसर दे सकते हैं? इसके बारे में सरकार सोचे। तीसरा, इनको किन्नर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जिसे ये निर्वाण कहते हैं उसे कानूनी स्वीकृति देना बहुत जरूरी है ताकि वे झोलाछाप डॉक्टरों से मुक्ति पा सकें। महोदय, जीरों आवर में यह पूर्ण चर्चा संभव नहीं है पर आप के द्वारा किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए मैं इस सदन से इस पर पूरी चर्चा चाहती हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। देश में सामाजिक गैर-बराबरी खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने की अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के माध्यम से विशेष योजनाओं को लागू करने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कम्पनियों द्वारा डीजल व पैट्रोल के विक्रय हेतु पैट्रोल पम्प स्थापित करने में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तेल कम्पनियों द्वारा पम्प स्थापित करने में उनकी मदद भी की जाती है। मेरे संज्ञान में आया

है कि अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर तेल कम्पनियों द्वारा कम्पनी के स्वामित्व और स्वयं द्वारा संचालित कम्पनी आन और कम्पनी ऑपरेटेड कोको पम्प स्थापित किए जाते हैं। इन कोको पम्प के संचालन हेतु निजी लोगों को दिया जाता है जिसके आवंटन में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, यह उनका खुला उल्लंघन है। मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सामाजिक बराबरी में लाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की सभी ऑयल कम्पनीज के कोको पम्पों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री वीरेन्द्र कश्यप श्री वीरेन्द्र कुमार श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महेश्वर हजारी और श्रीमती ज्योति धुर्वे भी श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम सभी अरसे से ऐसा मानते चले आ रहे हैं। इसलिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे भी सब मानते हैं। लगभग 70 प्रतिशत के आसपास आबादी इस व्यवसाय और क्षेत्र से जुड़ी है। मौसम की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, दोनों का ही सीधा असर किसान के ऊपर होता है। जब उस पर प्रतिकूलता होती है, तो उससे उसके कृषि के उत्पादन पर असर होता है। हमें इसे मानकर चलना चाहिए कि यह किसान की बेबसी है। इसका कोई हल आज हम वैज्ञानिक रूप से भी नहीं निकाल सके हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि राज्यों में किस दल की सरकार है, इसके आधार पर किसी राज्य के किसानों के साथ केन्द्र को भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूर्व में इस देश में जो कृषि की नीति रही है, वह सही रही है या गलत रही है, यह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह है कि आज कृषि क्षेत्र में पूर्णतः निर्भरता रासायनिक खाद के ऊपर हो चुकी है। मौसम अनुकूल है, सिंचाई के साधन हैं, बिजली है, इन सबके बावजूद भी अगर रासायनिक खाद नहीं है तो उत्पादन में उसका असर निश्चित रूप से होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारी डीएपी की 1.80 लाख मीट्रिक टन और एनपीके की 1.75 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। इसकी मांग भी केन्द्र में आई। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं दिल्ली आए थे। वे मंत्री जी से मिले। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से हमें डीएपी में मात्र 1.45 लाख मीट्रिक टन और एनपीके में 1.12 लाख मीट्रिक टन का आवंटन हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ओर किसान खाद की कमी का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार ने रासायनिक खाद की कीमतें बढ़ा दीं। जहां उसे खाद नहीं मिल रही है वहां खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है। महंगी कीमत देने के बावजूद भी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है।

मैं पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में था। मैंने जो स्थिति देखी, किसान खून के आंसू रो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह आज हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है, यदि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है, तो खेती फायदे का धंधा बने, हमें इसका प्रयास करना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने का फैसला करके इस दिशा में कदम भी आगे बढ़ाया है। लेकिन मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इसमें केन्द्र सरकार भी अपने हिस्से की सहभागिता देगी, तो निश्चय ही खेती लाभ का सौदा बनेगी। मुझे आज ही जानकारी मिली कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को जब इस बात की जानकारी मिली, तो ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और केन्द्र सरकार के माननीय मंत्रीगणों से इस बारे में चर्चा की। उनको यह आश्वासन मिला है कि जल्दी ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। ...*(व्यवधान)* मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यही आग्रह है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है, तो सरकार तत्काल खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप संबद्ध हो सकते हैं और इसके लिए अपनी पर्ची भेजें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंहः सभापति महोदय, आसन की तरफ से यह निर्देश सरकार को जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मेरा आपके माध्यम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से इतना ही आग्रह है कि केन्द्र सरकार खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित कराने का काम करे। ...*(व्यवधान)* आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः डॉ. राजन सुशांत के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः हर व्यक्ति किसानों के बारे में बातें कर रहा है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री वीरेन्द्र कुमार और श्री हंसराज गं. अहीर को श्री राकेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्तः आदरणीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से सदन में देश के पांच राज्यों में रहने वाले हजारों एसएसबी वालंटियर्स का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। यह गोरिल्ला स्वयंसेवक पिछले पांच वर्षों से आंदोलित हैं। इसका गठन 1962 में जब चीन से भारत हारा था, तो उसके बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे नागरिकों का चयन किया जाता था। उन्हें राइफल, छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। शांति काल में, युद्धकाल में और युद्ध काल के बाद भी इनकी भूमिका निर्धारित की गयी और यहां तक कि युद्ध में हार के बाद अगर नियमित सेना भी पीछे हट जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी दुश्मन से छापामार युद्ध करके उसे अपनी धरती से खदेड़ने की जिम्मेदारी इन्हें दी गयी थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले पांच सालों से ये सारे के सारे स्वयंसेवक आंदोलित हैं। सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। इनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इनकी मांग है कि मणिपुर की भांति इनकी आयु सीमा में भी छूट दे दी जाये और एसएसबी में स्थायी नियुक्ति दी जाये। एसएसबी की प्रस्तावित भर्तियों में एसएसबी स्वयंसेवकों को ही भर्ती किया जाये। नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके अथवा भर्ती न हो सकने वाले एवं मृतक स्वयंसेवकों की विधवाओं और विधुरों को सम्मानजनक पैंशन दी जाये। बीमार एवं आर्थिक रूप से कमजोर स्वयंसेवकों को शीघ्र आर्थिक मदद दी जाये। राज्य सरकारों में वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में तथा पुलिस आदि बलों में भी इन्हें भर्ती का कोटा आरक्षित किया जाये। सेना व अर्द्ध सैनिक बलों की भांति अन्य सुविधाएं भी दी जायें।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये सारी फाइल अब निर्णय की स्थिति में आ गयी है। डायरेक्टर जनरल ने भी इनका समर्थन किया है, सारे सांसद भी समर्थन कर रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों का जो मसला है, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए मैं इनकी मांगों का भरपूर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री वीरेन्द्र कश्यप और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को डॉ. राजन सुशांत द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): मैं उन गरीब मछुआरों की बहुत ही दयनीय स्थिति के बारे में कहना चाहती हूं जो दीपार बील के आस-पास रह रहे हैं। यह गुवाहाटी शहर में स्थित है। यह 414 हेक्टेयर कट वन आच्छादित छिपे हुए क्षेत्र में फैला हुआ है। वहां पर अनुसूचित जाति के मछुआरे मछली पकड़ते हैं। वे कई पीढ़ियों से मत्स्य के धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन स्थानीय सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण ये गरीब मछुआरे बेघर होने वाले हैं। दीपार बील को खाद्य और कृषि संगठन के अंतर्गत लाया गया है और यह असम सरकार के मत्स्य की विभाग द्वारा नियंत्रित होता है।

कुछ वर्ष पूर्व असम सरकार ने एक आदेश जारी किया या जिसमें दीपार बील को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की बात कही गई थी जिससे इस बहुत ही गरीब मत्स्य पालक समुदाय के लोगों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी क्योंकि वे पूरी तरह केवल दीपार बील पर ही निर्भर करते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि असम में बहुत-से पक्षी अभयारण्य है, दीपार बील गुवाहाटी के मध्य में स्थित है। यदि पूरे दीपार बील क्षेत्र को पक्षी अभयारण्य के रूप में आरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता है तो यह गरीब मछुआरों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर देगा जो वहां वर्षों से कार्यरत हैं और रह भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये मछुआरे वहां केवल मछली ही नहीं पकड़ते है बल्कि वे वहां उन जल स्त्रोंतों का संरक्षण और पोषण भी कर रहे हैं जो दीपार बील में स्थित हैं।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस बील को प्रतिबंधित आरसी क्षेत्र बनाने संबंधी प्रस्तावित जारी आदेश को खारिज किया जाए ताकि इन गरीब मछुआरों को राहत दी जा सके।

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित मुद्दा उठाना चाहता हूं जो दक्षिण में एर्नाकुलम से उत्तर में त्रिसूर जिले तक सात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तक फैला

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ है। त्रिसूर जिला में 22 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है जो कोडंगलूर और काईपामंगलम विधान क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह 22 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र अजिकोड से चेनलापिन्नी तक कोस्टल बेल्ट द्वारा सुरक्षित नहीं है और यह सात पंचायतों में फैला हुआ है। वहां पर अक्सर समुद्री हमले की घटना होती रहती है। जिससे मृदा अपरदन होता है तथा तटीय क्षेत्र में स्थित मकान और पेड़ गिर जाते हैं। समुद्र में ज्वार के समय भी मौते हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व सुनामी के दौरान भी गंभीर जानमाल की हानि हुई थी। इस तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्दी-जल्दी होने वाले समुद्री हमलों के कारण गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 'मुजरिस' जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पत्तन था। वह भी इसी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। उत्खनन का कार्य भी यहां चल रहा है और इस क्षेत्र से लाखों प्राचीन वस्तुएं निकाली गई हैं। इसलिए, इस तटीय क्षेत्र की रक्षा के लिए तटीय बेल्ट का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अजिकोड से चेनथ्रापिन्नी तक 22 किलोमीटर लंबे तट जो उन सात पंचायतों को जोड़ता है, की तटीय बेल्ट के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाए।

डॉ. रत्ना डे (हुगली): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

अमेरिकन सोसायटी ऑफ ट्रापिकल मेडिसीन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 46000 लोग सर्पदंश से मारे जा चुके हैं। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 2.5 लाख से अधिक लोग सर्पदंश से घायल हो गये हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 50 लाख लोग सर्पदंश के शिकार के रूप में घायल हुये। यह कटु सत्य है कि इन 50 लाख लोगों में से हमारे देश में 3 लाख लोग स्थानीय रूप से अपंग हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम और उड़ीसा हैं।

दूसरा आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में जहरीले सांपों की संख्या ज्यादा है। एक फिजिसियन के रूप में मुझे ज्ञात है कि सर्पदंश के तुरंत बाद एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है और उसे न्यूरो ट्रॉक्सिक आघात लगता है। लेकिन डॉक्टर उसका समुचित इलाज नहीं कर पाते। इसका कारण है कि अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुषंगी स्वास्थ्य केन्द्र और यहां तक कि बी.पी.एच. केन्द्र आंतरिक भागों में स्थित हैं। दूर और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है।

इसलिए, जीवन की क्षति और अशक्तता को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि सर्प दंश पर राष्ट्रीय नीति बनायें और यह सुनिश्चित करें कि सर्प के जहर को निष्क्रिय करने की दवा को इन सभी आंतरिक क्षेत्रों के अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिये ताकि हमारे देश के मानव जीवन की रक्षा की जा सके तथा अपंगता और घायल होने से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक आबादी वाले गांवों एवं मंजरों के विद्युतीकरण का काम स्वीकृत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 में ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना स्वीकृत की गयी थी उसमें केवल एक मुख्य गांव एवं मजरा शामिल किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 से अधिक आबादी वाले 1,38,373 मजरों के विद्युतीकरण हेतु लगभग 12,367 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 300 से अधिक आबादी के मजरों के विद्युतीकरण हेतु डीपीआर मांगने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किए गए। उत्तर प्रदेश द्वारा 69 जनपदों के 63,909 मजरों के विद्युतीकरण हेतु 83,071 करोड़ रुपये की डीपीआर प्रेषित कर दी गयी।

सायं 07.00 बजे

अभी तक किसी भी डीपीआर को स्वीकृत नहीं किया गया है, केवल रायबरेली और सुल्तानपुर के गैर विद्युतीकृत मजरों के लिए धनराशि स्वीकृत करना तथा अन्य जनपदों के गैर विद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत न करना केन्द्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति का द्योतक है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने ही यह घोषणा की थी कि 2012 तक प्रत्येक घर को बिजली की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गैर विद्युतीकृत मजरों की योजनाएं स्वीकृत नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश में जो गांव देहात के लोग हैं, वे आज भी बिजली के लिए बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मजरों के विद्युतीकरण की योजना जो केन्द्र सरकार को भेजी गई है, वह जल्द से जल्द पास की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्रीमती ज्योति धुर्वे और श्री शैलेन्द्र कुमार को श्री रमाशंकर द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबंद्ध करने के लिए अनुमति दी जा सकती हैं।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार हूं। मेरे राज्य कर्नाटक विशेषकर कर्नाटक के उतरी भागों के हुबली, धरवाड, बेलगाम आदि जिलों में

किसान सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि प्याज का मूल्य 100 रुपये से 200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यह आश्यर्चजनक बात है कि जब हम यहां पर प्याज के मूल्यों सहित महंगाई जैसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अन्य वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे कर्नाटक राज्य विशेषकर उतर कर्नाटक में किसान प्याज के कम मूल्य के कारण सड़कों पर उतर आए हैं।

महोदय, हम एक विचित्र स्थिति देख रहे हैं, जब अच्छी फसल के बावजूद स्थानीय बाजार में वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है फिर भी किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है और यह आम तौर पर लगभग हर मौसम में होता है। प्रत्येक मौसम में हम यह देख रहे हैं। हम ऐसी स्थिति भी देख रहे हैं। देश के एक छोर पर प्याज की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि दूसरी ओर प्याज उत्पादक किसान लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं करने के कारण अपने उत्पाद को सड़कों पर बिखेर कर विरोध कर रहे हैं और यह सही समय है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

वास्तव में, इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम सभी को बैठकर सोचने का यही सही समय है, जो उपभोक्ताओं और प्याज के किसानों के लिए चिंता का विषय है। मूलतः सरकार को पहले कदम के रूप में एक दीर्घकालीक निर्यात नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा आयात शुल्क की कमी में बार-बार बदलाव लाने से प्याज उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बिचौलिये अपना हित साधते हैं। कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के प्याज उत्पादक किसानों की एक शिकायत यह भी रही है कि इन क्षेत्रों में सितम्बर महीने में फसल के बाद बाजार में प्याज की भारी आपूर्ति होती है और उस समय अचानक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सामान्यतः कर्नाटक में, प्याज की खेती अगस्त और सितम्बर महीने में होती है। चूंकि प्याज की फसल खरीफ फसल है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय बाजारों में मूल्य में गिरावट आती है। कभी-कभी आपूर्ति इतनी अधिक होती है कि प्याज बहुतायात मात्रा में व्यापार के अवसरों की कमी के कारण सड़ा जाता है और किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कभी-कभी जब प्रतिबंध नहीं होता है तो एमईपी इतना अधिक होता है कि किसानों के लिए निर्यात करना असंभव हो जाता है। प्याज की आयात नीति और निर्यात के खराब और अवैज्ञानिक तरीके से न तो किसानों को फायदा हुआ है और न ही हमारे देश के उपभोक्ताओं को।

भारत प्याज का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है और सरकार के लिए बाजार तथा किसानोंन्मुखी निर्यात नीति बनाना और स्थानीय प्याज के बाजारों को स्थिर करने में सहायता करना युक्ति संगत है। इसके अतिरिक्त, जब किसान बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं, कोई आपूर्ति शृंखला नहीं है तथा कोई शीतगृह नहीं है तथा लोग सड़कों पर हैं, भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ-साथ वहां बहुत सी समस्याएं आज भी निरंतर बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, आज भी वहां 80 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। वे लोग वनों और निचले गांवों में रहते हैं। आज भी उनकी जिंदगी नर्क से बदतर बनी हुई है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर यदि हम ध्यान दें तो बहुत ही गम्भीर पाएंगे। वे लोग आज भी लकड़ी काटकर और बहुत मुश्किल से अपना जीवनयापन करते हैं। कुछ समय पहले केन्द्र सरकार द्वारा निश्चय किया गया और उन आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे वितरित किए गए थे। यह कदम निश्चय ही सराहनीय था, लेकिन उसमें आज थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि जो वन-भूमि के पट्टे उन्हें मिले, उन पट्टों और जमीन पर यदि वह अपनी जमीन का काम, खेती का काम करते हैं तो उस भूमि के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, आज भी उस बंजर भूमि पर पानी की ऐसी सुविधा नहीं है। सिंचाई करने का कोई नियमित साधन नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा जो पट्टे लाभस्वरूप उन्हें दिये हैं, उनका जीवन-बदलने के लिए दिये हैं, वहां बड़े-बड़े बांधों का निर्माण होना चाहिए या छोटे डैमों का निर्माण होना चाहिए। इससे उन आदिवासियों की जमीन को एक निश्चित पानी का साधन उपलब्ध हो सकता है।

सिंचाई के लिए विद्युत की भी आवश्यकता होती है क्योंकि डीजल की आज भी कीमत है, आदिवासी उस कीमत पर डीजल लेने में सक्षम नहीं हैं। यदि विद्युतीकरण हो जाता है तो केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें जो डीजल-पम्प दिये जाते हैं, उनका उपयोग भी वे नहीं कर सकते हैं।

मेरी मांग है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, विद्युतीकरण की व्यवस्था हो और वन-भूमि के जो पट्टे उन्हें मिले हैं वे उसका पूरा लाभ ले सकें, ताकि उनका जीवन बदल सके।

मैं यही मांग आपसे करती हूं और मुझे विश्वास है कि इन आदिवासियों को इसका लाभ केन्द्र सरकार देगी। वनभूमि के पट्टे वितरित हुए हैं, उनमें केवल वनग्राम ही शामिल नहीं हैं उनमें समस्त ग्राम भी शामिल हैं। इसलिए बड़े-छोटे डैम के निर्माण करने में असुविधा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज भी आदिवासी 120

पंचायतों को राजीव गांधी विद्युतीकरण से नहीं जोड़ा गया है। अतः इन 120 पंचायतों को राजीव गांधी विद्युतीकरण से जोड़कर उनके अधिकारों की रक्षा करने का न्याय करें।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति जी, शून्य प्रहर में मुझे अपनी बात रखने का मौका आपने दिया। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के शाहजहानपुर और देवास जिले में बहने वाली काली-सिंध नदी, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन-रेखा है, उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण नदी है तो काली-सिंध नदी है। इस नदी पर बांध बनाने के लिए वर्षों से कागजी कार्रवाई चलती रही है। बड़ी मुश्किल से इस योजना की डिटेल रिपोर्ट बनाई गयी। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा उसका क्लीयरेंस दिया गया, लेकिन बार-बार राज्य सरकार बॉल केन्द्र के पाले में डालती रही, केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के पाले में डालती रही, जिससे योजना मूर्त रूप आज तक नहीं ले पाई है।

माननीय सभापति जी, इस काली-सिंध बांध परियोजना से हजारों एकड़ में सिंचाई होनी है और हजारों कृषक परिवारों की समृद्धि का कारण यह बांध बनने वाला है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की हितेषी सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। हमारी ज्योति जी बोल रही थीं कि किसानों के लिए छोटे डैम बनाये जाने चाहिए। अपनी सरकार से भी यह अनुरोध करें क्योंकि मध्य प्रदेश योजनाएं रोक लेती है और केन्द्र सरकार तक ठीक ढंग से इनकी लिखा-पढ़ी नहीं होती है।

मेरा अनुरोध केन्द्र की सरकार से है कि वह चाहे प्रदेश सरकार का कर्मचारी-अधिकारी हो या केन्द्र सरकार के कर्मचारी-अधिकारी हो, उन्हें जब तक आप दंडित करने का भय नहीं दिखाएंगे, ये योजनाएं सालों-साल फुटबॉल की तरह इधर से उधर राज्यों और केन्द्र के पाले में रहेंगी। मेरा अनुरोध है कि कालीसिंध परियोजना को निर्माण की ओर ले जाया जाए।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के गढ़वा जिला के अंतर्गत चिनिया प्रखंड के ग्राम बारडिह में वर्ष 1975 में स्वीकृत लोकहित कनहर डैम की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। उक्त योजना का निर्माण कार्य कराने का निर्णय बिहार राज्य (अब झारखंड) मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ दिनांक 16.9.1973 को बाणसागर जल के समझौते पर हुआ। दिनांक 20.2.1982 को समझौते के अनुसार कनहर नदी के जल का बंटवारा के अनुसार 0.43 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला तथा 302 मेगावाट बिजली उत्पादन पर समझौता हुआ।

महोदय, 36 वर्ष का समय बीत जाने के बाद केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली ने पत्रांक 1911 दिनांक 24.9.2010 तथा 289 दिनांक 15.2.2011 द्वारा झारखंड सरकार से कनहर डैम का निर्माण का अद्यतन स्थलीय सर्वेक्षण, संशोधित जल विज्ञान/पुनरीक्षित योजना तथा प्राक्कलन आदि भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के उक्त पत्र के आलोक में झारखंड सरकार ने अपने पत्रांक 215 दिनांक 03.3.2011 तथा 148 दिनांक 9.3.2011 द्वारा उक्त संबंधी सभी प्रतिवेदन केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृत हेतु भेज दी गई है, परन्तु आज तक इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मुद्दे पर बात करें। आप क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र मरुभूमि जैसा है, पानी के अभाव में इस क्षेत्र का जल स्तर 400 फीट नीचे चला गया है। उक्त योजना निर्माण होने पर 500 गांवों के सिंचाई की सुविधा के साथ-साथ 302 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करे।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, इसी संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और न्यायालय ने भी इसके तुरंत निर्माण हेतु आदेश पारित किया।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का अतिमहत्वपूर्ण लोकहित और कार्यहित योजना है, जिसका निर्माण कराना अति आवश्यक है। मेरा संसदीय क्षेत्र पहाड़ी है, जंगल है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। इस योजना को पूरा किया जाए। इससे 500 गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी एवं 302 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ इस क्षेत्र का जल स्तर भी ऊंचा हो जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रमाशंकर (आगरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी के नाम से जाना जाता है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां यमुना नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी है। साढ़े तीन सौ साल पहले जब ताजमहल का निर्माण हुआ, उस समय यमुना में पर्याप्त पानी था, लेकिन आज यमुना सूखी है। इस कारण ताजमहल की नींव में जो लकड़ी है, वह सूख रही है। वह लकड़ी सूखने और सिकुड़ने के कारण ताजमहल को खतरा हो गया है और ताजमहल कभी भी गिर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल औपचारिकताएं हो रही हैं। यमुना के पानी के कारण मिनारों का झुकाव नहीं हो रहा था, लेकिन यमुना सूखी होने के कारण ताजमहल की मिनारें झुक रही हैं। यमुना के पानी से वहां की जनता की पानी की समस्या हल होती थी, वहां लोग पानी न मिलने से परेशान है और बीमारी फैल रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि ताजमहल को देखने के लिए आज भी चालीस से पचास हजार पर्यटक रोज आते हैं, इसलिए ताजमहल और आगरा के लोगों को बचाने के लिए यमुना में बैराज बनाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गम्भीरता से लिया है।

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): मैं बॉस्तेन कंसलटेंसी ग्रुप, बीसीजी की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड) के पुनर्गठन के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि चालू प्रतिस्थापन कार्य जोर-शोर से जारी रहता है, तो नाबार्ड एक विकास वित्त संस्थान, डीएफआई के रूप में बना नहीं रह पाएगा और यह वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और होगीय ग्रामीण बैंकों की तरह अन्य वित्तीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता हुआ एक प्रत्यक्ष वित्तीय संस्थान बन जाएगा। इससे इसका मूल अधिदेश और उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए इसका अर्थात संसद के अधिनियम अर्थात् नाबार्ड अधिनियम, 1981 तहत गठन किया गया था।

मैं इस बात से भी चिंतित हूं कि यदि नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त पोषण व्यवसाय में प्रदेश करता है, खुले बाजार से धनराशि जुटाता है तो इससे किसानों के लिए ऋण हेतु ब्याज दर में वृद्धि होगी।

इससे किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए और विपदा आ जाएगी जो पहले से ही गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। बीसीजी की सिफारिशों के आधार पर, नाबार्ड प्रबंधन ने सम्पर्ण भारत में लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को कथित रूप से रोक दिया है। इससे देश के बेरोजगार युवाओं के बीच अत्यधिक कुंठा व्याप्त हो जाएगी।

इसको ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता है कि नाबार्ड के पुननिर्माण के कार्य में इन आशंकाओं को ध्यान में रखें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इस माननीय सभा की जानकारी के बिना, किसी भी ऐसे संशोधन या किसी ऐसे पुनर्गठन की अनुमति न दी जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सांसद निधि की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी कारण हो या राज्य के जो संबंधित जिला अधिकारी या सीडीओ हैं और यहां के एमपी लैड्स का जो विभाग है, उनके बीच में आपस में समन्वय न होने के कारण बहुत से पिछले पैसे सांसदों के पड़े रहते हैं जिससे वे अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें समय फिक्स किया जाए कि इतने दिनों में वो पैसा चला जाए और खर्च भी हो जाए, उसके बाद दूसरी किश्त उनको जानी चाहिए। दूसरी मांग करना चाहूंगा कि जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी क्वॉलिटी और क्वांटिटी का भी समय समय पर निरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी समिति भेजकर वहां पर कराया जाना चाहिए और जो रिपोर्ट सीडीओ द्वारा यहां मंगायी जाती है, यहां से रिपोर्ट भेजी जाती है, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए तभी जाकर समय से एपी लैंड्स का पैसा पहुंच सकता है।

मैं अपने क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर करीब डेढ़ दो साल से करीब दो करोड़-ढाई करोड़ रुपये मैंने विद्युत रुपये मैंने विद्युत विभाग को दिया है, आज भी उस पैसे का चैक भी जिलाधिकारी सीडीओ के माध्यम से कट गया है लेकिन तमाम छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की जरूरत है, तार, खम्भे और ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है, वहां के लिए चैक दिया गया है लेकिन आज तक वहां पर काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसकी जांच कराए। एक अन्य बात और मैं कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के अलावा बाहर जो दस लाख रुपये हम देते हैं, वे भी अगर दूसरे जिले में हम देते हैं तो उसका काम भी समय से नहीं हो पा रहा है। अभी लेटेस्ट हम लोगों को सरकुलर मिला कि दस लाख रुपये अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकलांग है, उनको हम देते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आपको केवल एक मुद्दा उठाना है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः मैं चाहता हूं कि वो दस लाख रुपये निर्वाचन क्षेत्र में भेजे जाएं ताकि सभी माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको कृत्रिम अंग दे सकें और जो लिमिट रखी गई है कि एक साल में पचास लाख से ज्यादा रुपये स्कूलों में खर्च नहीं कर सकते, उसको खत्म किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप इस मुद्दे को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति की बैठक में उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः सर, वहां तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे ही लेकिन सांसद निधि का मुद्दा है, इसलिए उसको हम रखना चाहते हैं। एक संस्था को 25 लाख रुपये जो देने की बात है, वह भी टाइम बाउंड उसको रखा जाए ताकि सांसद अपने क्षेत्र का विकास अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको करे।

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र दमन और दीव में बिजली के दामों को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर जीआरसी ने अपनी मुहर लगा रखी है जो सभी सैक्टर, जैसे कि घरेलू खेती, उद्योग सभी पर लागू किया है। मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर अवगत कराना चाहूंगा कि घरेलू क्षेत्र में मात्र दो फीसदी बिजली का उपयोग दमन और दीव में किया जाता है जबकि 98 फीसदी उद्योग क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि दमन और दीव दिसम्बर, 1961 में भारत में शामिल हुआ था और इस वजह से दमन और दीव का विकास बाकी क्षेत्र के मुकाबले में बहुत धीमी गति से हुआ है। यहां के विकास के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों को टैक्स होलीडे और कम दाम में बिजली उपलब्ध करायी गई थी। दमन दीव में टैक्स होलीडे खत्म कर दिया गया है। दमन और दीव की जनता के लिए उद्योगों में बिजली ही एक लाइफ लाइन बची है। अगर बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे तो इस क्षेत्र में गहरा नुकसान हो सकता है जिससे कई उद्योगों पर ताला लग सकता है। इसके चलते दमन दीव में बेरोजगारी बढ़ सकती है और अर्थ तंत्र बिगड़ सकता है।

महोदय, मत्स्य उद्योग एग्रीकल्चर का एक भाग होता है। इस क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली उद्योग को दिए जाने वाले दाम में दी जाती है, मैं समझता हूं कि यह गलत है। दीव में आइस बनाने वाली फैक्ट्री मत्सय उद्योग का एक हिस्सा है इसलिए बिजली इस उद्योग को खेती क्षेत्र को दिए जाने वाले दाम पर मिलनी चाहिए क्योंकि आइस मछली पकड़ने वाली बोट में यूज होता है। मैं आज इस जगह से खड़ा होकर बताना चाहता हूं कि दमन और दीव करीब 3500 करोड़ रुपया रेवेन्यु भारत सरकार को देता है जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है क्योंकि यह रेवेन्यु भारत के दूसरे सबसे छोटे क्षेत्र से आता है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर आफ पावर से अनुरोध करता हूं कि बिजली के दाम में जीआरसी जो बढ़ोत्तरी करना चाहती है उसे तत्कालिक स्थगित किया जाए, इसे लागू न किया जाए और दमन दीव को और मजबूत बनाने में मदद की जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र शिवहर के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी के जल प्रवाह से बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबे एवं चार किलोमीटर चौड़े कृषि एवं आवासीय क्षेत्र में निरंतर जल बहाव एवं जल जमाव से लगभग 50,000 आबादी एवं 12,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूबी हुई है। इस इलाके के किसान एवं आम लोग प्राकृतिक यातना से पीड़ित हैं। जीविका एवं आवास से महरूम यहां के लोग विस्थापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बागमती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के साथ-साथ जल के प्रवाह में बड़े पैमाने पर उक्त क्षेत्र सिल्ट लेकर आती है तथा बागमती तटबंध की क्षमता घटती जा रही है तथा 15 किलोमीटर क्षेत्र में जल जमाव सालों भर बना रहता है। मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक होने वाले जल प्रवाह एवं जल जमाव के निस्सरण हेतु कारगर एवं स्थायी कदम उठाए जाएं जिससे उक्त इलाके की भूमि कृषि योग्य बन सके तथा किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार हो। यहां के लोग भूखमरी की कगार पर है।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 'शून्य काल' के दौरान बोलने का अवसर दिया।

चेन्नई के दक्षिण में स्थित मनाली औद्योगिक कलस्तर, जो तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रे रसायन, रसायन, उर्वरक और अन्य इंजीनियरिंग उद्योग शामिल हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जनवरी, 2010 में प्रदूषण सूचकांक 76 के आधार पर मनाली औद्योगिक कलस्टर में किसी नई परियोजना पर प्रतिबंध लगा दिया। 70 से अधिक का कोई भी सूचकांक गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है।

तत्पश्चात् मनाली के सभी उद्योगों ने पिछले एक वर्ष से कई प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू किया। हाल में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी और इस समिति ने वर्तमान प्रदूषण सूचकांक का आंकलन किया है जो 67 है। इसलिए, विशेषज्ञ समिति ने मनाली औद्योगिक कलस्तर पर से प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है।

तमिलनाडु प्रदूष्क्षण नियंत्रण बोर्ड ने भी विशेषज्ञ समिति कि सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी प्रत्युत्तर में, सितम्बर, 2011 में ही इस प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश की। अब यद्यपि इस प्रतिबंध को हटाने के लिए सीपीसीबी द्वारा सिफारिश किये जाने के दो महीने बीत गए हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अभी तक प्रतिबंध हटाया नहीं है। इसकी बजाए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नई परियोजनाओं पर प्रतिबंध 31.03.2012 तक बढ़ा दिया है। इस प्रतिबंध से मनाली के उद्योगों को काफी कठिनाई आ रही है, चूंकि वे नई परियोजनाओं को लगभग दो वर्षों तक लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए पर्यावरण और युवा पीढ़ी के लिए, भविष्य में रोजगार के अवसरों के सृजित करने हेतु वन मंत्रालय से मनाली औद्योगिक कलस्टर पर से प्रतिबंध तत्काल हटाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। वर्तमान में रेलवे विभाग विश्व का सबसे बड़ा परिवहन का साधन है और जहां रेल सुविधा होती है, वहां यात्री प्राथमिकता से रेल में ही यात्रा करना पसंद करता है। क्योंकि किसी भी अन्य परिवहन साधन के मुकाबले रेल की यात्रा सस्ती तथा आरामदायक रहती है। परन्तु रेलवे विभाग रेल की गति व समय सीमा का हवाला देते हुए आवश्यक स्टापेज भी नहीं कर पाता है। जिससे यात्रियों को रेल यात्रा करने में किसी अन्य शहर या नगर के रेलवे स्टेशनों पर जाना पड़ता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली दो ट्रेने हैं 2125 एवं 2126 इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एवं 11701-11702 कोटा-इंदौर इंटरसिटी जिनका स्टापेज वर्तमान में मेरे क्षेत्र में मात्र एक ही स्थान ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर है। उक्त दोनों ट्रेनों का स्टापेज सारंगपुर, पचोर एवं चाचौड़ा स्टेशनों पर किया जाना जनसुविधा को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रैस जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 के समानान्तर दो प्रमुख व्यावसायिक महानगरों इंदौर और ग्वालियर के बीच चलती है। दूसरी ट्रेन जो कि कोटा-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, यह भी एक व्यावसायिक महानगर इंदौर और एक शैक्षणिक नगरी कोटा (राजस्थान) को जोड़ती है। इन शहरों के मध्य मेरे संसदीय क्षेत्र से सैकड़ों व्यापारी, छात्र-छात्राएं इलाज हेतु विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीज एवं आम नागरिक बहुतायत में प्रतिदिन आते-जाते रहते हैं।

उक्त दोनों ट्रेनों के मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अंतर्गत सारंगपुर, पचोर व चाचौड़ा स्टेशनों पर स्टापेज कर दिये जाने से यात्रियों को रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही रेल की आय में भी वृद्धि होगी तथा इससे विभाग को स्टापेज करने के नियम व रेल की गति तथा समय आदि में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, यही मेरा अनुरोध है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्ष से सम्पर्क करें और अनुमति प्राप्त करें। यह अचछा रहेगा। आप सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और यही कारण हैं कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। परंतु मेरे लिए यह बहुत परेशानी की बात है कि मैं कुछ सदस्यों को रोजाना इस तरह का अवसर दूं, क्योंकि वे रोज बोलना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कल से आप अध्यक्ष के पास पहले से सम्पर्क कर अनुमति ले लें।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, जो विषय हम आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखने के लिए खड़े हुए हैं, यह विषय हमने सदन में नियम 377 के माध्यम से रखा है, जीरो ऑवर में रखा है और सबमिशन में भी रखा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सैंट्रल कोल फील्ड्स लि. है। यहां लोगों को मुआवजा भी मिला, नौकरी भी मिली, चाहे वे अंगावली माइन्स हो, चलकारी माइंस हों, चाहे दामोदर रिवर डाइवर्शन का मामला हो, लेकिन अभी तक वह चालू नहीं किया है। भारत कोकिंग कोल जो हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एरिया-4 में सलामपुर कोलियरी को बंद कर दिया गया है, अंगारपथरा को

बंद कर दिया गया है। एरिया-5 में लोयाबाद कोप प्लांट को बंद कर दिया गया है और एरिया-3 में साउथ गोविंदपुर को बंद कर दिया गया और जोगीडीह माइंस को बंद किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार को कोयले की आवश्यकता है और दूसरी तरफ इन माइंस को बंद किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इन्हें तुरंत चालू कराया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): सभापति महोदय, मैं इस महान सभा के माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान पाम ऑयल उत्पादकों से संबंधित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

जैसाकि सभा इस बात से अवगत है कि विजयनगरम जिला 15,000 हेक्टेयर से 20,000 हेक्टेयर की अनुमानित खेती करता है और इसे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त है। इस क्षेत्र को खाद्य तेल में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले चार वर्षो से वहां किसान अलामकारी मूल्य के कारण घाटा झेल रहे हैं जो मौजूदा मूल्य निर्धारण सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसकी वकालत ऑयल पाम रिसर्च, (आईसीएआर), इलुरु के निदेशक द्वारा की गई है।

किसानों द्वारा कई अभ्यावेदन दिए जाने के बाद, कृषि मंत्रालय द्वारा मौजूदा मूल्य निर्धारण सूत्र की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की गई है। मैं इसके लिए यूपीए सरकार का धन्यवाद करती हूं। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को सौंप दी है। अत मैं सरकार से समिति की सिफारिशों का शीघ्र कियान्वित करने की अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में आकशवाणी केंद्रों पर उद्घोषक कार्यरत होते हैं। उनमें से कुछ तो स्थाई होते हैं और कुछ अस्थाई होते हैं। स्थाई उद्घोषकों को कम से कम 30-40 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं और अस्थाई उद्घोषकों को 3-4 हजार रुपये ही प्रतिमाह मिलते हैं। इतना बड़ा गैप है। 15-20 सालों से ये अस्थाई उद्घोषक ऑल इण्डिया रेडियो में काम करते हैं। इनके द्वारा ही ऑल इण्डिया रेडियो चलते हैं। जब प्रियरंजन दास मुंशी मंत्री थे, तब उन्होंने सदन में घोषणा की थी इन अस्थाई उद्घोषकों को परमानेंट किया जाएगा। ये उद्घोषक 15-20 सालों से कार्य कर रहे हैं अब यह ओवर ऐज भी हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन उद्घोषकों को परमानेंट किया जाए।

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सांयं 07.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री सुरेश अंगड़ी योगी आदित्यनाथ	241
2.	श्री खगेन दास श्री निशिकांत दुबे	242
3.	श्रीमती सुप्रिया सुले डॉ. संजीव गणेश नाईक	243
4.	श्री आनंदराव अडसुल श्री धर्मेन्द्र यादव	244
5.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री अंजनकुमार एम. यादव	245
6.	श्री संजय दिना पाटील श्री एस. अलागिरी	246
7.	श्री प्रेम दास राय श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	247
8.	श्री अंनत कुमार	248
9.	श्री एंटो एंटोनी श्री जोस के. मणि	249
10.	श्री पी. करुणाकरन डॉ. रत्ना डे	250
11.	श्री ए. सम्पत श्रीमती रमा देवी	251
12.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	252
13.	श्री राम सुन्दर दास	253
14.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	254
15.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	255
16.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव श्री नलिन कुमार कटील	246
17.	श्री मधु गौड़ यास्खी श्री गजानन ध. बाबर	257
18.	श्री आर. ध्रुवनारायण श्री प्रताप सिंह बाजवा	258
19.	श्री सजंय धोत्रे श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	259
20.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री प्रदीप माझी	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	2947
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2843
3.	श्री आधि शंकर	2924, 2950
4.	श्री सुवेन्द्र अधिकारी	2871
5.	श्री आनंदराव अडसुल	2843, 2946
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2784, 2857, 2966
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	2819, 2821, 2905, 2946
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2775
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2971
10.	श्री अनंत कुमार	2947
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2874, 2881
12.	श्री सुरेश अंगड़ी	2941, 2951
13.	श्री घनश्याम अनुरागी	2890, 2903 2902
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2958
15.	श्री कीर्ति आजाद	2833
16.	श्री कामेश्वर बैठा	2797
17.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2879, 2888, 2957, 2977
18.	डॉ. बलीराम	2965
19.	श्री अम्बिका बनर्जी	2840
20.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	2926
21.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2855, 2865
22.	श्री सुदर्शन भगत	2937
23.	श्री ताराचन्द भगोरा	2830, 2876, 2941

1	2	3
24.	श्री शिवराज भैया	2887, 2940 2876
25.	श्री संजय भोई	2854, 2879
26.	श्री उदयनराजे भोंसले	2847, 2850, 2966
27.	श्री समीर भुजबल	2779, 2799, 2854, 2862, 2940
28.	श्री पी.के. बिजू	2963, 2968
29.	श्री भजन लाल	2778, 2890
30.	श्री हेमानंद बिसवाल	2855, 2938
31.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2874
32.	श्री सी. शिवासामी	2817
33.	श्री पी.सी. चाको	2885
34.	श्री हरीश चौधरी	2844, 2938, 2951, 2968
35.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	2800, 2836, 2918, 2957
36.	श्री दारा सिंह चौहान	2914
37.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2762, 2862, 2957
38.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2833, 2878
39.	श्री भूदेव चौधरी	2904, 2915
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2822, 2831
41.	श्री अधीर चौधरी	2906
42.	श्री भक्त चरण दास	2858
43.	श्री खगेन दास	2942, 2943, 2944
44.	श्री राम सुन्दर दास	2948
45.	श्री गुरुदास दासगुप्त	2877, 2954
46.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2929

1	2	3
47.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	2874, 2935
48.	श्री रमेन डेका	2855
49.	श्री के.डी. देशमुख	2853
50.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2927
51.	श्रीमती रमा देवी	2951, 2975
52.	श्री के.पी. धनपालन	2913, 2966
53.	श्री आर. ध्रुवनाराण	2946, 2958, 2982
54.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2860, 2915
55.	श्री निशिकांत दुबे	2949, 2950
56.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2831, 2841, 2862
57.	श्रीमती प्रिया दत्त	2970
58.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2863
59.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2854, 2879, 2956, 2958
60.	श्रीमती मेनका गांधी	2876, 2916
61.	श्री वरुण गांधी	2838
62.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	2943
63.	श्री ए. गणेश मूर्ति	2810
64.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2855, 2956
65.	डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	2906
66.	श्री एल. राज गोपाल	2859, 2944
67.	श्री शिवराम गौडा	2852
68.	श्री डी.बी. चन्द्र गौडा	2830, 2960, 2966
69.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	2855, 2897
70.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	2966
71.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2802, 2967
72.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2910, 2975

1	2	3
73.	श्री बलीराम जाधव	2873
74.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2846, 2950
75.	श्री बद्रीराम जाखड़	2943, 2962
76.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2861, 2880
77.	श्री हरिभाऊ जावले	2933
78.	श्रीमती जयाप्रदा	2837
79.	श्री नवीन जिन्दल	2771
80.	श्री कैलाश जोशी	2928
81.	श्री महेश जोशी	2808, 2855, 2864
82.	श्री प्रहलाद जोशी	2872
83.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2948
84.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2826, 2901
85.	श्री राम सिंह कस्वां	2930, 2966
86.	श्री लाल चंद कटारिया	2834, 2864
87.	श्री नलिन कुमार कटील	2988
88.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	2856, 2957
89.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2818, 2868, 2877, 2884, 2898
90.	श्री हसन खान	2796
91.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	2793, 2925, 2986
92.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2824, 2950, 2973
93.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2874
94.	श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल	2912, 2929
95.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2827, 2855
96.	श्री विश्व मोहन कुमार	2886, 2892
97.	श्री पी. कुमार	2829, 2869
98.	श्री यशवंत लागुरी	2770, 2864, 2968
99.	श्री पी. लिंगम	2954
100.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2776, 2831, 2880, 2978
101.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2949
102.	श्री सतपाल महाराज	2898, 2932
103.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2877, 2884, 2898
104.	श्री नरहरि महतो	2777, 2829, 2904
105.	श्री भर्तृहरि महताब	2904
106.	श्री प्रदीप माझी	2854, 2910, 2920, 2959
107.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	2942
108.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	2957, 2966
109.	श्री मंगली लाल मंडल	2862
110.	श्री हरि मांझी	2898
111.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2855, 2874, 2891
112.	श्री दत्ता मेघे	2837, 2899
113.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2787, 2876, 2915, 2981
114.	श्री महाबल मिश्रा	2842
115.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	2785, 2868, 2940, 2972
116.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2830
117.	श्री विलास मुत्तेमवार	2837, 2857
118.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2845, 2867
119.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2868
120.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2945

1	2	3
121.	श्री इंदर सिंह नामधारी	2875
122.	श्री जफर अली नकवी	2921
123.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2812, 2915
124.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2876, 2961
125.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2936, 2966
126.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2851
127.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2763, 2885, 2944, 2954
128.	श्री पी.आर. नटराजन	2898
129.	श्री वैजयंत पांडा	2854, 2915, 2946, 2949, 2955
130.	श्री प्रबोध पांडा	2894, 2944
131.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2952
132.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2767, 2855, 2898, 2910, 2980
133.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2902, 2971
134.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2854, 2879, 2956, 2958
135.	श्री देवराज सिंह पटेल	2887
136.	श्री देवजी एम. पटेल	2769, 2990
137.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2780
138.	श्री बाल कुमार पटेल	2893
139.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2854, 2910, 2920
140.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	2866
141.	श्री हरिन पाठक	2835, 2964
142.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2898, 2934, 2944
143.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2831, 2908
144.	श्री सी.आर. पाटिल	2880

1	2	3
145.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगावंकर	2854, 2879, 2956, 2958
146.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2850, 2873
147.	श्रीमती कमला देवी पटले	2813
148.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2766, 2833, 2879
149.	श्री नित्यानंद प्रधान	2946, 2949, 2955
150.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2820
151.	श्री प्रेमदास	2931
152.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2807, 2821, 2831, 2878, 2938
153.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	2878
154.	श्री एम.के. राघवन	2849
155.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2772, 2862
156.	श्री अब्दुल रहमान	2792, 2855, 2890
157.	श्री रमाशंकर राजभर	2839
158.	श्री सी. राजेन्द्रन	2882, 2994
159.	श्री पूर्णमासी राम	2883, 2961
160.	प्रो. रामशंकर	2890
161.	श्री रामकिशुन	2905
162.	श्री जगदीश सिंह राणा	2805, 2862, 2919
163.	श्री कादिर राणा	2786
164.	श्री रामसिंह राठवा	2776, 2918
165.	श्री अशोक कुमार रावत	2825
166.	श्री अर्जुन राय	2881
167.	श्री विष्णु पद राय	2761, 2989

1	2	3
168.	श्री रुद्र माधव राय	2782, 2831, 2868, 2957
169.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2811, 2886, 2940
170.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2788, 2944, 2983
171.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2791, 2831, 2985
172.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2781, 2979
173.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2777, 2829, 2904
174.	श्री एस. अलागिरी	2964, 2987
175.	श्री एस. सेम्मलई	2911, 2964
176.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2863, 2864, 2888, 2961, 2962
177.	श्री एस.आर जेयदुरई	2870, 2940, 2963
178.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2765, 2842
179.	श्री राकेश सचान	2878
180.	श्री चन्दू लाल साहू	2889
181.	श्री ए. संपत	2898
182.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2833
183.	श्री हमदुल्लाह सईद	2764, 2867, 2926
184.	श्री अर्जुन चरण सेठी	2848
185.	श्री एम.आई. शानवास	2909
186.	श्रीमती जे. शांता	2807, 2831, 2833, 2929, 2962
187.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	2798
188.	श्री जगदीश शर्मा	2837

1	2	3
189.	श्री नीरज शेखर	2837, 2855, 2969, 2970
190.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2918, 2973
191.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2789, 2829, 2833, 2967, 2984
192.	श्री एंटो एंटोनी	2957
193.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	2908, 2967
194.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2840, 2856, 2974
195.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	2783, 2894, 2945, 2958
196.	डॉ. भोला सिंह	2847, 2959
197.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2814, 2897, 2940, 2957
198.	श्री दुष्यंत सिंह	2943
199.	श्री गणेश सिंह	2868, 2940, 2972
200.	श्री इज्यराज सिंह	2794, 2844, 2910, 2938
201.	श्री जगदानंद सिंह	2828
202.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2809, 2862
203.	श्रीमती मीना सिंह	2831, 2919, 2942
204.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2922
205.	श्री राधा मोहन सिंह	2900
206.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2887, 2939, 2940
207.	श्री राकेश सिंह	2896, 2940
208.	श्री रवनीत सिंह	2790, 2968
209.	श्री सुशील कुमार सिंह	2855, 2961

1	2	3
210.	श्री उदय सिंह	2834, 2886, 2892
211.	श्री यशवीर सिंह	2837, 2845, 2855, 2969, 2970
212.	चौधरी लाल सिंह	2951
213.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2925
214.	श्री धनंजय सिंह	2874, 2885, 2951, 2964
215.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2874
216.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2846, 2953
217.	डॉ. संजय सिंह	2831, 2946, 2953
218.	श्री राजया सिरिसिल्ला	2823, 2967
219.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2801, 2874
220.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2806, 2868
221.	श्री के. सुधाकरण	2954
222.	श्री ई.जी. सुगावनम	2768, 2843
223.	श्री के. सुगुमार	2794, 2807, 2945
224.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2945
225.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2774, 2866, 2960, 2965, 2976
226.	डॉ. राजन सुशांत	2888
227.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2803
228.	श्री मानिक टैगोर	2831
229.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2832
230.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2863, 2895
231.	श्री मनीश तिवारी	2885
232.	श्री जगदीश ठाकोर	2815
233.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2873, 2898, 2901
234.	श्री आर. थामराई सेलवन	2804, 2954
235.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2968
236.	श्री पी.टी. थॉमस	2829, 2960
237.	श्री मनोहर तिरकी	2795
238.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2874, 2886
239.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2874, 2940, 2944
240.	श्री लक्ष्मण टुडु	2773
241.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2816, 2878
242.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2953, 2969
243.	श्री सज्जन वर्मा	2940, 2952
244.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2887, 2940
245.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	2855, 2862, 2907
246.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2836
247.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2951
248.	श्री ओम प्रकाश यादव	2876, 2944
249.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2923
250.	श्री मधुसूदन यादव	2917
251.	योगी आदित्यनाथ	2862, 2965

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	248, 249, 251, 260
रक्षा	:	246
पर्यावरण और वन	:	244, 247, 250, 246, 258
श्रम और रोजगार	:	245, 252
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	243, 255
पोत परिवहन	:	253
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	–
इस्पात	:	254
वस्त्र	:	241, 242, 257

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2763, 2766, 2768, 2771, 2775, 2794, 2804, 2815, 2819, 2829, 2831, 2833, 2834, 2836, 2837, 2840, 2844, 2846, 2865, 2869, 2886, 2899, 2910, 2944, 2945, 2951, 2957, 2968, 2974, 2976, 2977, 2984, 2985, 2986, 2987,
रक्षा	:	2765, 2774, 2778, 2783, 2787, 2790, 2796, 2799, 2800, 2803, 2810, 2817, 2818, 2823, 2826, 2830, 2851, 2854, 2873, 2876, 2885, 2888, 2893, 2894, 2901, 2911, 2915, 2918, 2922, 2929, 2934, 2941, 2952, 2966, 2969, 2978, 2979, 2981
पर्यावरण और वन	:	2764, 2776, 2791, 2798, 2807, 2816, 2824, 2838, 2841, 2842, 2849, 2852, 2853, 2855, 2861, 2862, 2864, 2866, 2867, 2877, 2882, 2883, 2884, 2891, 2892, 2896, 2898, 2902, 2905, 2907, 2908, 2909, 2916, 2917, 2920, 2925, 2938, 2989
श्रम और रोजगार	:	2769, 2779, 2781, 2795, 2843, 2845, 2847, 2850, 2856, 2857, 2859, 2872, 2874, 2900, 2904, 2912, 2919, 2926, 2936, 2942, 2953, 2959, 2970, 2973, 2983
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2761, 2770, 2780, 2788, 2797, 2806, 2809, 2814, 2848, 2860, 2868, 2870, 2881, 2887, 2890, 2897, 2903, 2906, 2923, 2927, 2931, 2932, 2933, 2937, 2939, 2940, 2943, 2947, 2949, 2954, 2961, 2962, 2963, 2967, 2971, 2975, 2988

पोत परिवहन	:	2762, 2782, 2786, 2789, 2792, 2793, 2858, 2913, 2955, 2960, 2964
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2784, 2801, 2805, 2820, 2822, 2825, 2827, 2828, 2832, 2835, 2871, 2880, 2889, 2924, 2928, 2930, 2935, 2950, 2965, 2972, 2982
इस्पात	:	2767, 2772, 2773, 2785, 2808, 2811, 2812, 2813, 2875, 2895, 2921, 2948, 2980, 2990
वस्त्र	:	2777, 2802, 2821, 2839, 2863, 2878, 2879, 2914, 2946, 2956, 2958

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद्-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/11/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।